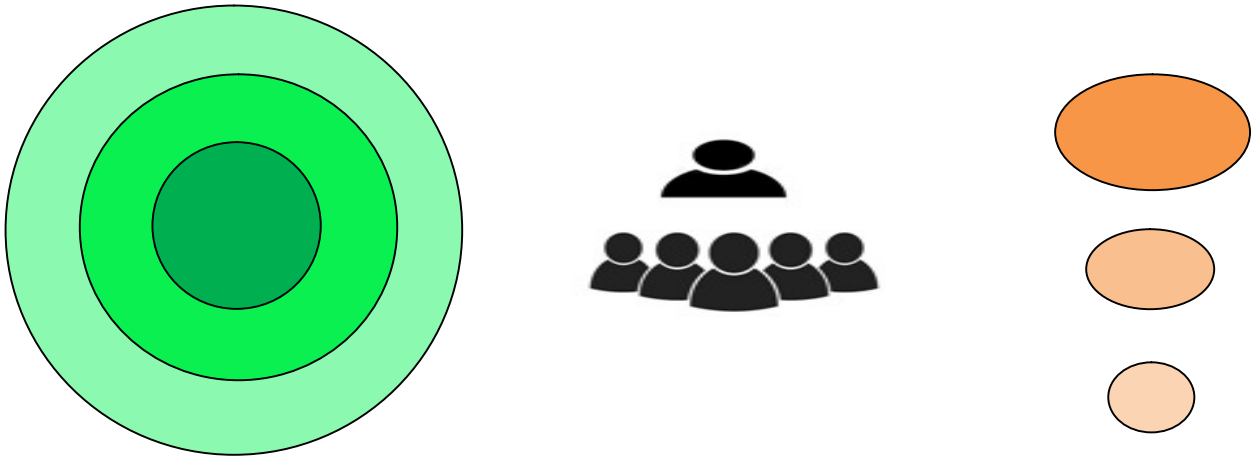
षष्ठम राज्य वित्त आयोग

उत्तराखण्ड

प्रतिवेदन

2026-2031



उत्तराखण्ड सरकार

मार्च 2026

Quotable Quotes

Panchayati Raj represents true democracy realized. We would regard the humblest and the lowest Indian as being equally the ruler of India with the tallest in the land.

My idea of village SWARAJ is that is a complete republic, independent of its neighbours for its own vital wants, and yet interdependent for many others which dependence is a necessity.

When the Panchayati Raj is established, public opinion will do what violence can never do.

If the village perishes, India will perish too. The soul of India lives in its villages.

Let the villages of the future live in our imaginations so that we might one day come to live in them.

The progress of the country lies in the development of its rural villages, the rural economy, and rural skills.

Mahatma Gandhi

Urbanization is not a crisis but an opportunity, seeing it as a crisis is wrong. And not just villages, we want everyone to get opportunities wherever they are staying. Aatma gaav ki ho or suvidha sheher ki ho, this is what we believe.

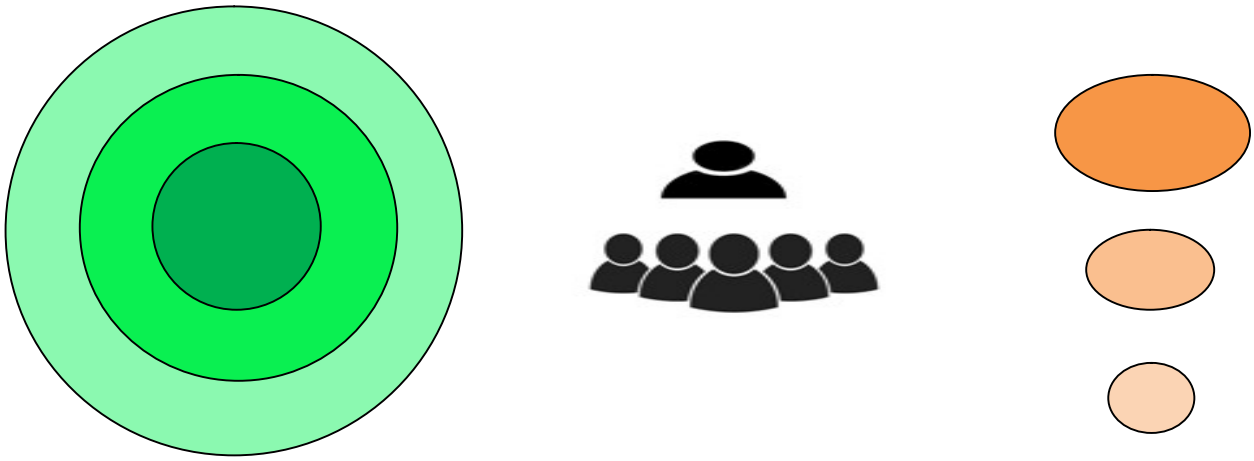
Narendra Modi

षष्ठम राज्य वित्त आयोग

उत्तराखण्ड

प्रतिवेदन

2026-2031



उत्तराखण्ड सरकार

मार्च 2026

श्री एन.रवि शंकर, अध्यक्ष. श्री पी.एस.जंगपांगी, सदस्य. डॉ. एम.सी.जोशी, सदस्य.

विषय–सूची

अध्याय संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	अस्वीकरण	ii
	आभार ज्ञापन	iii
	अध्यक्ष की मन की बात	iv-vii
	अनुलग्नकों की सूची	viii
1	परिचय	1-3
2	उत्तराखंड के छठवॉ राज्य वित्त आयोग का गठन	4-7
3	दृष्टिकोण और कार्यविधि	8-13
4	परिदृश्य और कार्यनिष्पादन की स्थिति	14-35
5	राज्य की भू–भौतिकीय और जनसांख्यिकीय प्रास्थिति	36-47
6	उत्तराखंड राज्य की आर्थिक स्थिति	48-58
7	उत्तराखंड राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति एवं पूर्वानुमान	59-77
8	उत्तराखंड राज्य की शासन–प्रशासन इकाइयाँ	78-86
9	पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति और उनके पूर्वानुमान; सुधार के प्रयास एवं सुझाव	87-107
10	शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति और उनके पूर्वानुमान; सुधार के प्रयास एवं सुझाव	108-162
11	पंचायतों के कार्यात्मक क्षेत्र एवं उनके सापेक्ष स्थिति तथा सुधार के बिंदु	163-173
12	शहरी स्थानीय निकायों के कार्यात्मक क्षेत्र एवं उनके सापेक्ष स्थिति तथा सुधार के बिंदु	174-189
13	शहरीकरण की प्रवृत्तियाँ, बुनियादी ढांचे और सेवा प्रदाय की स्थिति तथा सुझाव	190-212
14	स्थानीय स्वशासन इकाइयों की संगठनात्मक संरचना और उसका सरलीकरण	213-221
15	सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की प्रास्थिति एवं सुधार की सम्भावनाएं	222-225
16	विगत राज्य वित्त आयोगों के प्रतिवेदनों पर अनुपालन की स्थिति	226-237
17	स्थानीय स्वशासन इकाइयों के वित्तीय और लेखा प्रबंधन की स्थिति एवं वांछित सुधार के बिंदु	238-241
18	केंद्रीय वित्त आयोगों की संस्तुतियों के अनुसार स्थानीय स्वशासी इकाइयों को राजकोषीय हस्तांतरण की स्थिति	242-244
19	संस्तुतियाँ	245-321
(क)	वित्तीय हस्तांतरण सम्बन्धी संस्तुतियाँ	
(ख)	सहायता अनुदान के संबंध में संस्तुतियाँ	
(ग)	अन्य संस्तुतियाँ	
20	सत्रहवें वित्त आयोग के लिए सुझाव बिन्दु	322-323

अस्वीकरण

छठवॉ राज्य वित्त आयोग उत्तराखण्ड, ने शासन की संस्थाओं /संगठनों, अकादमिक एवं शोध संस्थानों तथा हितधारकों के साथ हुए परामर्श के माध्यम से प्राप्त आँकड़ों, सांख्यिकी एवं सूचनाओं का ही आधार लिया है।

प्रतिवेदन में जहाँ कहीं भी कतिपय त्रुटियाँ परिलक्षित हो रही हों, वे वास्तविक रूप से मानवीय, अनभिप्रेत तथा किसी संस्था या व्यक्ति के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह व विद्वेष के हैं।

टिप्पणी : प्रतिवेदन के हिंदी संस्करण में किसी प्रकार की असंगति, विरोधाभास अथवा अनुवाद संबंधी त्रुटि पाई जाने की स्थिति में प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण को ही प्रामाणिक/ आधिकारिक माना जाए।

****

आभार ज्ञापन

छठवॉ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड निम्न के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है :

1. डॉ. इकबाल अहमद, आई.ए.एस, तथा श्री हिमांशु खुराना, आई.ए.एस को आयोग के सचिव के रूप में उनके प्रशासनिक सहयोग एवं समन्वय प्रयासों के लिए।
2. श्री तेजपाल सिंह, वरिष्ठ शोध अधिकारी, वित्त आयोग निदेशालय, वित्त विभाग तथा छठे राज्य वित्त आयोग के आहरण एवं वितरण अधिकारी को, उनके निरंतर समन्वय प्रयासों तथा प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक सहयोग के लिए।
3. श्री बी. सी. सनवाल, शोध अधिकारी, वित्त आयोग निदेशालय, वित्त विभाग को शासकीय संगठनों, अकादमिक संस्थानों, अनुसंधान निकायों तथा हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से प्राप्त आँकड़ों, सांख्यिकी एवं सूचनाओं के संकलन, संयोजन एवं विश्लेषण में उनके समर्पित एवं अथक सहयोग तथा प्रतिवेदन के लेखन में उनके योगदान के लिए।
4. श्री कुशल सिंह, कार्यालय सहायक, वित्त आयोग निदेशालय, वित्त विभाग को आयोग के जनपद भ्रमणों/यात्राओं के दौरान उनकी उत्कृष्ट भूमिका तथा मूल्यवान प्रशासनिक सहयोग के लिए।
5. श्री पूरन सिंह रावत एवं श्री नारायण सिंह बिष्ट, कार्यालय सहायक, वित्त आयोग निदेशालय, वित्त विभाग को वित्तीय एवं लेखा संबंधी मामलों के त्वरित निस्तारण में उनकी भूमिका के लिए।
6. श्री अर्पित कुमार कासिवाल, ब्लॉक समन्वयक, पंचायती राज निदेशालय तथा श्री गौरव सिंह नेगी, लेखा लिपिक, नगर पालिका परिषद मसूरी, को छठे राज्य वित्त आयोग कार्यालय में उनकी समर्पित भूमिका एवं समन्वयात्मक प्रयासों के लिए।
7. सुश्री मीनाक्षी बहुगुणा, श्री सुन्दर सिंह पंवार तथा श्री मंदीप सिंह गुसाईं, उपनल के आउटसोर्स्ड डाटा एंट्री ऑपरेटरों को आयोग के कार्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें सौंपे गए दायित्वों के प्रति उनकी निष्ठापूर्ण, अथक परिश्रम एवं समर्पण हेतु। आयोग उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।
8. श्री राम सिंह रावत, श्री राम प्रसाद तथा श्री राजेन्द्र सिंह रावत, पी.आर.डी. जवानों को छठे राज्य वित्त आयोग कार्यालय में उनकी अनुशासित भूमिका एवं कर्तव्य निर्वहन के लिए।
9. श्री हिमांशु भट्ट, श्री देवेंद्र मैठाणी, श्री गुरप्रीत सिंह तथा श्री राकेश कुमार, चालकों को राज्य के सभी जनपदों में आयोग के भ्रमण एवं यात्राओं तथा स्थानीय आवागमन को सुगम बनाने में उनके योगदान के लिए।

आयोग, श्री दिलीप जावलकर, आई.ए.एस., सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन तथा श्री आनन्द बर्द्धन, आई.ए.एस., मुख्य सचिव (पूर्व अपर मुख्य सचिव, वित्त), उत्तराखण्ड शासन के प्रति आयोग के साथ हुई उनकी बैठकों/विचार–विमर्श के दौरान दिए गए उनके बहुमूल्य सुझावों एवं अंतर्दृष्टियों के लिए अपनी गहन एवं हार्दिक सराहना को अभिलेखबद्ध करता है।

****

अध्यक्ष की मन की बात

"Democracy is the rule, of the people, by the people, for the people".

Abraham Lincoln

भारत के संविधान को मूल रूप से अंगीकृत करते समय यह स्पष्ट किया गया था कि भारत एक सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा, जिससे संघ सरकार तथा राज्य सरकारों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में स्थापित करने की व्यवस्था निश्चित की गई, और इसी प्रकार 74वें संशोधन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं को स्वशासन की इकाइयों के रूप में स्थापित करने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार लोकतंत्र के यान को मूल संवैधानिक प्रावधानों के साथ नागरिकों के भविष्य को दिशा देने हेतु प्रवाहित किया गया, तथा अनुवर्ती संवैधानिक संशोधनों ने इसकी दिशा–यात्रा को और अधिक सुदृढ़ बनाया।

यदि भारतीय लोकतंत्र एक यान है, तो इसकी कल्पना एक ऐसे यान के रूप में की जा सकती है जिसमें 3–स्तर और 2–तल हों। संघ सरकार तथा राज्य सरकार इन दो तलों के प्रतीक हैं, जबकि पंचायतों की तीन स्तरीय व्यवस्था (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत) तथा नगर निकायों की तीन श्रेणियाँ (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में तीन–स्तरीय संरचना को दर्शाती हैं।

पंचम राज्य वित्त आयोग की उन अनुशंसाओं को, जो पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों को किए जाने वाले वित्तीय हस्तांतरण से संबंधित थीं, को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा एक लघु संशोधन के साथ स्वीकार किया गया। राज्य सरकार द्वारा 16वें संघ वित्त आयोग के समक्ष वर्ष 2026–31 की पाँच वर्षीय अवधि के लिए राज्य के राजस्व संसाधनों के संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रक्षेपणों/पूर्वानुमानों से छठवॉ राज्य वित्त आयोग को शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराए जाने वाले संभावित वित्तीय समर्थन/सहयोग का एक समग्र परिदृश्य प्राप्त हुआ है, जिसे आपूर्ति पक्ष कहा जा सकता है। वहीं, शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए छठवॉ राज्य वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदनों/मौखिक कथनों से अपेक्षित वित्तीय सहायता का आभास हुआ है, जिसे मांग पक्ष के रूप में देखा जा सकता है।

छठवॉ राज्य वित्त आयोग ने आरम्भ में निम्नलिखित संस्थानों द्वारा उनको आवंटित विषयों पर तीन स्वतंत्र अध्ययन कराने का निर्णय लिया :

1. **सेतु आयोग–** राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों का परीक्षण करने के उद्देश्य से, पिछले 5 वर्षों के वास्तविक आँकड़ों तथा आगामी 5 वर्षों के प्रक्षेपणों, पिछले 5 वर्षों में हुए व्यय तथा आगामी 5 वर्षों में संभावित व्यय के प्रक्षेपणों का विश्लेषण ताकि वर्ष 2026–31 की अवधि के लिए स्थानीय निकायों को आवंटित किए जा सकने वाले संभावित अधिशेष का आकलन किया जा सके।

2. **राज्य नगरीय विकास संस्थान (SIUD)–** डॉ. आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल के तत्वावधान में, शहरीकरण की प्रवृत्तियों, शहरी प्रशासन से संबंधित चुनौतियों एवं मुद्दों का अध्ययन, जिन्हें शहरी स्थानीय निकायों के समन्वित एवं सुचारु संचालन के लिए संबोधित/निराकृत किया जाना आवश्यक है।

3. **भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली (IIPA)** – पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के कार्य–निष्पादन पर केंद्रित अध्ययन ताकि उनकी सेवा–प्रदाय प्रणाली में विद्यमान कमियों का आकलन किया जा सके तथा सुधार की संभावनाओं का निर्धारण किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, छठवॉ राज्य वित्त आयोग ने दून विश्वविद्यालय के सहयोग से विभिन्न हितधारकों, जिनमें नीति विशेषज्ञ, व्यवहारिक क्षेत्र के विशेषज्ञ, स्थानीय निकायों की सभी श्रेणियों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, अकादमिक एवं संस्थागत क्षेत्रों के पेशेवर व्यक्ति आदि सम्मिलित थे, की भागीदारी के साथ दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया।

अध्ययनों की रिपोर्ट में निहित अनुशंसाओं, सम्मेलन में हुए विचार–विमर्श तथा छठवॉ राज्य वित्त आयोग को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एवं प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त सुझावों को संकलित एवं विश्लेषित किया गया, ताकि मार्गदर्शक सिद्धांतों का सारतत्व प्राप्त किया जा सके।

मार्गदर्शक सिद्धांत–

1. **सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव–** पूर्व में निर्मित सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव चाहे वे शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सीधे रूप से निर्मित की गई हों अथवा केंद्र/राज्य क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत सार्वजनिक धन से निर्मित की गई हों, संबंधित स्थानीय निकाय की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यह एक सुविदित आर्थिक सिद्धांत है कि दीर्घकाल तक परिसंपत्तियों का रखरखाव, नई परिसंपत्तियों के निर्माण या प्रतिस्थापन की अपेक्षा अधिक किफायती होता है। अतः आर्थिक दक्षता के दृष्टिकोण से न्यूनतम लागत वाले विकल्प को अपनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि स्थानीय निकाय निर्मित सार्वजनिक परिसंपत्तियों का स्वामित्व भाव से संरक्षण करें तथा उन्हें सामुदायिक परिसंपत्ति के रूप में मानें। स्थानीय स्वशासन की मूल भावना यह है कि स्थानीय निकाय सभी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के संरक्षक के रूप में कार्य करें।

2. **सभी परिसंपत्तियों का मानचित्रण (सार्वजनिक वित्तपोषित/स्थानीय निकाय की सामुदायिक परिसंपत्तियाँ)–** यह अत्यंत वांछनीय है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय में एक परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार किया जाए, जिसमें मूल वित्तपोषण का स्रोत, परिसंपत्ति के मूल रूप से निर्मित होने का वर्ष, परिसंपत्ति की मरम्मत/पुनर्निर्माण/नवीनीकरण (अंतिम बार कब किया गया) आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। इससे जमीनी स्तर से ऊपर की ओर नियोजन करने में सुविधा होगी, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उपलब्ध सामुदायिक परिसंपत्तियाँ कौन–कौन सी हैं, उनकी आयु क्या है, उनके प्रतिस्थापन या नवीनीकरण की आवश्यकता क्या है, नई परिसंपत्तियों की आवश्यकता कहाँ है, तथा उनका मौजूदा परिसंपत्तियों के साथ समेकन किस प्रकार किया जाना चाहिए।

3. **योजनाओं एवं संसाधनों का केन्द्राभिसरण/समन्वयन–** विभिन्न स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली वित्तीय हस्तांतरण राशि को केंद्रीय वित्तपोषित अथवा राज्य प्रायोजित योजनाओं के साथ, सभी विभागों में उपलब्ध संसाधनों के साथ केन्द्राभिसरित/समन्वित किया जाना चाहिए, ताकि विद्यमान कमियों की पूर्ति की जा सके। राज्य सरकार को जिला योजना समिति को सशक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वह विभिन्न वित्तीय स्रोतों के प्रयासों का प्रभावी केन्द्राभिसरण/समन्वय कर सके, जैसे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ, राज्य योजनाएँ, जिला योजनाएँ, पैरास्टैटल गतिविधियाँ (जैसे विकास प्राधिकरण, विभिन्न राज्य निगम), 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाएँ/शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त अनुदान, छठवॉ राज्य वित्त आयोग के वित्तीय हस्तांतरण मानदंड, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना,

विधायक निधि, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियाँ आदि, तथा संबंधित शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं की अपनी आय के स्रोतों से संचालित स्थानीय पहल।

4. **जिला योजना समिति का सशक्तिकरण :** संविधान तथा संबंधित अधिनियमों में परिकल्पित जिला योजना समिति की व्यवस्था का राज्य सरकार द्वारा समुचित रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की भूमिका न्यूनतम रह जाती है। अतः यह आवश्यक है कि जिला योजना समिति को पुनः सशक्त किया जाए तथा इसके कार्य–निर्वहन में स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए।

5. **सहयोग एवं सहकारिता की भावना को प्रोत्साहित करना–** सभी शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को अपने–अपने क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने तथा सहयोग एवं सहकार की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए पी.पी.पी. मॉडल को अपनाने की आवश्यकता है। कुछ गतिविधियों को विशेष रूप से पी.पी.पी. मार्ग के लिए चिन्हित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाआ को पी.पी.पी.पी. (Public–Private–Panchayat-Partnership) मॉडल को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसके अंतर्गत विभिन्न स्थानीय निकाय परस्पर सहयोग के साथ मिलकर सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन कर सकें। इस प्रकार के सहयोगात्मक मॉडलों में ही वास्तविक आर्थिक मूल्य निहित है।

6. **रोजगार पर बल–** शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं, विशेष रूप से नगर निगमों तथा जिला पंचायतों को अपने–अपने क्षेत्रों में निवासित एवं प्रवासी नागरिको के लिए रोजगार के अवसरों से संबंधित मुद्दों का समाधान करना होगा। इस दिशा में इन स्थानीय निकायों को आजीविका के अवसरों को बढ़ाने हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के सृजन पर ध्यान देना होगा। शहरी क्षेत्र स्वाभाविक रूप से रोजगार एवं आजीविका के अवसरों के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अतः नगर निगम तथा जिला पंचायत, जो कि शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं की शीर्ष श्रेणियाँ हैं, इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए ऐसी सक्षम आधारभूत संरचना का निर्माण करें जो इस प्रक्रिया को सुगम बनाए। जब औद्योगिक टाउनशिप/औद्योगिक एस्टेट ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के रूप में विकसित किए जाते हैं, तो उनका दबाव प्रायः उनके निकटवर्ती नगर निगम/नगर पालिका परिषद तथा आसपास के ग्राम पंचायतों पर पड़ता है। इसलिए अंतर्प्रवजन (inward migration), आवासीय क्षेत्रों से कार्यस्थलों तक आवागमन, तथा इस आवागमन के लिए आवश्यक परिवहन साधनों जैसी समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होगा। यह एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसका संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा समय–समय पर निराकरण करते हुए निरंतर अद्यतन भी किया जाना चाहिए। इससे नए शहरी समूह (Urban Agglomeration) विकसित होंगे तथा शहरी विकास के गलियारों (Urban Development Corridors) का सृजन स्वतः होगा। अतः शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए स्थानिक नियोजन (Spatial Planning) को सुदृढ़ करना आवश्यक होगा।

7. **परिवर्तन के साधन के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग–** आगामी 20 वर्षों में शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के समग्र नियोजन एवं विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तथा उससे संबंधित उपकरणों के उपयोग को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। उपग्रह आधारित जी.आई.एस मानचित्रों आदि के निर्माण हेतु विशेषज्ञ संस्थानों का सहयोग लिया जाना चाहिए। आधुनिक प्रौद्योगिकियाँ जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एवं Big data को जीवन की गुणवत्ता में सुधार तथा पर्यावरणीय संपदा के संरक्षण के साथ संतुलित एवं समन्वित विकास को बढ़ावा देने के लिए शामिल किया जाना चाहिए। जी.आई.एस., ड्रोन, एआई तथा अन्य प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग शहरी तथा ग्रामीण दोनों प्रकार के नियोजन में

किया जाना चाहिए। शहरी नियोजन तथा क्षेत्रीय नियोजन (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) को परस्पर पूरक के रूप में देखा जाना आवश्यक है। प्रत्येक स्थानीय निकाय की सभी श्रेणियों/स्तरों के लिए सार्वजनिक उपयोगिताओं के डिजिटल मानचित्र तैयार किए जाने चाहिए। सार्वजनिक उपयोगिताओं से संबंधित इस प्रकार का मानचित्रित डेटा नियोजन एवं क्रियान्वयन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

"सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन" ("Reform, Perform, Transform") माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित "विकसित भारत" का मंत्र है।

स्थानीय निकायों के कार्य–निष्पादन के संदर्भ में यह आवश्यक है कि देश के सभी राज्य सरकारें कार्य–विषयों के हस्तांतरण, कार्मिकों की नियुक्ति/आवंटन तथा वित्तीय संसाधनों के हस्तांतरण से संबंधित सुधारों को लागू करें, ताकि स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ अपने–अपने भौगोलिक क्षेत्रों में प्रभावी रूप से कार्य कर सकें। इससे वे देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकेंगी तथा हमारे राष्ट्रीय अर्थतंत्र के उन्नयन के माध्यम से नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार ला सकेंगी। इन सुधारों के प्रयासों को मिशन मोड में संचालित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इससे कमतर प्रयास आर्थिक विकास को गति देने में पर्याप्त नहीं होंगे।

छठवॉ राज्य वित्त आयोग का वित्तीय हस्तांतरण संबंधी दृष्टिकोण उपर्युक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विचारों के आधार पर विकसित हुआ है।

मैं छठे राज्य वित्त आयोग में अपने सहकर्मी– सदस्यों श्री प्रयाग सिंह जंगपांगी तथा डॉ. मोहन चंद्र जोशी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। उनका योगदान अत्यंत व्यापक और गहन रहा है। छठवॉ राज्य वित्त आयोग में हम तीनों ने, **प्रथम ने अपने सूक्ष्म एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण तथा संतुलित विचारों के साथ, द्वितीय ने अपने शोध अनुभव, विश्लेषणात्मक दृष्टि तथा प्रतिवेदन प्रारूप को तैयार करने में निरंतर परिश्रम के माध्यम से, तथा तृतीय अर्थात् मैं स्वयं, अध्यक्ष के रूप में वैचारिक स्पष्टता एवं सुलभ व्यावहारिक नेतृत्व की भूमिका** (जैसा कि मेरे दोनों सहकर्मियों का मत है) के साथ इस प्रतिवेदन की विषयवस्तु पर परस्पर सहयोग, विचार–विमर्श एवं समन्वय कर मत स्थिर किया है।

मैं जनपद स्तर पर आयोजित सुनवाइयों के दौरान विभिन्न स्थानों पर उपस्थित निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए अमूल्य सुझावों, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा अपने–अपने स्तर पर प्रदान किए गए सहयोग, अध्ययन कार्यों में सहभागी रहे संस्थानों के विशेषज्ञों एवं शिक्षाविदों, तथा सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के प्रति अपनी कृतज्ञता लिपिवद्व करना चाहता हूँ। मैं छठवॉ राज्य वित्त आयोग के सचिव तथा आयोग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आयोग के सदस्यों के साथ समन्वय करते हुए निरंतर अथक परिश्रम किया।

हमारी यह हार्दिक कामना है कि इन अनुशंसाओं को उत्तराखण्ड में स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा जाए एवं जिनसे राज्य में **"सबका साथ, सबका विकास"** की भावना के अनुरूप सुशासन का पथ प्रशस्त हो।

एन. रवि शंकर
अध्यक्ष, छठवां राज्य वित्त आयोग

अनुलग्नकों की सूची

अनुलग्नक (अध्याय) संख्या	अनुलग्नकों का विवरण	पृष्ठ संख्या
1(2)	छठे राज्य वित्त आयोग के गठन की अधिसूचना की प्रति	1-3
2(2)	आयोग के कार्यकाल विस्तार की अधिसूचना की प्रति	4
3(2)	छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन. रवि शंकर की कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट की प्रति	5
4(2)	छठे राज्य वित्त आयोग के सदस्य श्री प्रयाग सिंह जंगपांगी की कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट की प्रति	6
5(2)	छठे राज्य वित्त आयोग के सदस्य डा0 मोहन चंद्र जोशी की कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट की प्रति	7
6(10)	शासनादेश संख्या 1225/IV(2) S-V-2020-18 (मुख्यमंत्री घोषणा) 2018, दिनांक 23 नवंबर, 2020	8-9
7(10)	हाउस टैक्स छूट के कारण संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को होने वाली राजस्व हानि का विवरण	10-11
8(11)	पंचायती राज निदेशालय का पत्र संख्या 459/1284/छठा राज्य वित्त आयोग/2024–25 दिनांक 01 जुलाई 2025	12
9(11)	"स्वच्छता मिशन पंचायती राज" के हवाले, शीर्षक से दैनिक जागरण में 26 जून 2025 को प्रकाशित समाचार की प्रति	13
10(11)	राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र संख्या 2860/SEC-2/4113/2025 दिनांक 26 सितंबर, 2025	14-16
11(12)	"नगर निकायों को मिले पूरे अधिकार" शीर्षक से दैनिक जागरण में दिनांक 21 मई, 2025 को प्रकाशित समाचार की प्रति	17
12(12)	"देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड करेगी यातायात व्यवस्था में सुधार" शीर्षक से दैनिक जागरण में 11 सितंबर 2025 को प्रकाशित समाचार की प्रति	18
13(14)	शासनादेश संख्या 475/XII(2)/2021/92(22)2003 दिनांक 22 सितंबर, 2021	19-21
14(14)	शासनादेश संख्या 756/IV(1)/2015–01(32)/2014 दिनांक 12 जून, 2015	22-28
15(19)	जनपदवार क्षेत्र पंचायतों की न्यूनतम एवं अधिकतम जनसंख्या/क्षेत्रफल सम्बन्धी विवरण	29
16(19)	जनपदवार ग्राम पंचायतों की न्यूनतम एवं अधिकतम जनसंख्या/क्षेत्रफल सम्बन्धी विवरण	30-33
17(19)	जिला पंचायतों के वार्षिक औसत राजस्व आय और व्यय का 2021–22 से 2024–25 का विवरण	34
18(19)	जिला पंचायतों के वार्षिक स्वयं का राजस्व, राजस्व व्यय और राजस्व अंतर 2021–22 से 2024–25 का विवरण	35
19(19)	जिला पंचायतों के वार्षिक औसत स्वयं के राजस्व, राजस्व व्यय और राजस्व अंतर के पूर्वानुमान 2026–27 से 2030–31	36
20(19)	नगर निगमों के वार्षिक औसत राजस्व आय और व्यय का 2021–22 से 2024–25 का विवरण	37
21(19)	नगर निगमों के वार्षिक औसत स्वयं के राजस्व, राजस्व व्यय और उनके बीच के अंतर सम्बन्धी विवरण 2021–22 से 2024–25 और 2026–27 से 2030–31 के पूर्वानुमान	38
22(19)	नगर निगमों के वार्षिक औसत राजस्व आय, राजस्व व्यय और उनके बीच के अंतर 2021–22 से 2024–25 के विवरण	39
23(19)	नगर निगमों के वर्ष 2026–27 से 2030–31 के लिए वार्षिक औसत राजस्व आय, राजस्व व्यय और राजस्व अंतर का विवरण	40
24(19)	नगर पालिका परिषदों के वार्षिक औसत राजस्व, राजस्व व्यय और राजस्व अंतर 2021–22 से 2024–25 का विवरण	41

अनुलग्नक (अध्याय) संख्या	अनुलग्नकों का विवरण	पृष्ठ संख्या
25(19)	नगर पालिका परिषदों के वार्षिक औसत स्वयं के राजस्व, राजस्व व्यय और राजस्व अंतर 2026–27 से 2030–31 के पूर्वानुमानों का विवरण	42
26(19)	नगर पंचायतों के वार्षिक औसत राजस्व आय, राजस्व व्यय और उनके मध्य के अंतर 2021–22 से 2024–25 का विवरण	43
27(19)	नगर पंचायतों की वर्ष 2026–27 से 2030–31 के लिए वार्षिक औसत राजस्व आय, राजस्व व्यय और राजस्व अंतर पूर्वानुमानों का विवरण	44
28(19)	सभी नगर निगमों के कुल वित्तीय वितरण अंश में से नगर निगमों के मध्य क्षैतिज वित्तीय विवरण	45
29(19)	सभी नगर पालिका परिषदों के कुल वित्तीय वितरण अंश में से नगर पालिका परिषदों के मध्य क्षैतिज वित्तीय विवरण	46
30(19)	सभी नगर पंचायतों के कुल वित्तीय वितरण अंश में से नगर पंचायतों के मध्य क्षैतिज वित्तीय वितरण	47
31(19)	सभी जिला पंचायतों के कुल वित्तीय वितरण अंश में से जिला पंचायतों के मध्य क्षैतिज वित्तीय वितरण	48
32(19)	सभी क्षेत्र पंचायतों के कुल वित्तीय वितरण अंश में से क्षेत्र पंचायतों के मध्य क्षैतिज वित्तीय वितरण	49-50
33(19)	सभी ग्राम पंचायतों के कुल वित्तीय वितरण अंश में से ग्राम पंचायतों के मध्य क्षैतिज वित्तीय वितरण	51-202
34(19)	नगर निगमों की 31.03.2025 तक की देनदारियों का विवरण	203
35(19)	नगर पालिका परिषदों की 31.03.2025 तक की देनदारियों का विवरण	204
36(19)	नगर पंचायतों की 31.03.2025 तक की देनदारियों का विवरण	205
37(19)	जिला पंचायतों की 31.03.2025 तक की देनदारियों का विवरण	206

अध्याय–1

परिचय

1.1 भारत का संविधान को बहुधा संरचना में संघीय और आत्मा में एकात्मक के रूप में वर्णित किया जाता है, अर्थात इसकी विशेषता संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों का अस्तित्व में होना है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने कहा है, **"हमारा संविधान समय और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों होगा।"** बहरहाल, हमारी राजव्यवस्था के संघीय या एकात्मक होने पर कानूनी और बौद्धिक हलकों में समय–समय पर बहस छिड़ती रहती है। कई न्यायविदों और न्यायिक घोषणाओं ने हमारी राजव्यवस्था को अर्ध–संघीय घोषित किया है। हमारे शासन तंत्र की संवैधानिक व्यवस्था और इसकी कार्यप्रणाली, जैसा कि संविधान में निहित है और जैसा कि व्यवहृत होती है, व्यावहारिकता से ओत–प्रोत है जो कि हमारे उद्देश्य के लिए सर्वथा उचित है। पूर्व में उद्धृत डॉ. अंबेडकर के शब्द इस बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं। यह स्थिति वित्तीय क्षेत्र में भी उतनी ही सत्य है।

1.2 देश में शासन की सभी संस्थाएँ/अंग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविधान से शक्ति प्राप्त करते हैं और उनके कार्यों तथा कार्रवाईयों को संवैधानिकता की कसौटी पर खरा उतरना होता है। यह उनका कार्यक्षेत्र नहीं है कि वे संविधान द्वारा दी गई अपनी कार्यात्मक स्वायत्तता के नाम पर संवैधानिक व्यवस्था, संविधान या कानून द्वारा निर्धारित उनके अधिदेश और संवैधानिक नैतिकता पर प्रश्न उठाएँ या उसे दरकिनार करें। इसलिए राजव्यवस्था के प्रकार के बारे में विवाद उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अप्रासंगिक है। शासन की संस्थाओं/अंगों को उनके लिए निर्धारित निर्देशों का पालन करना होता है। हालाँकि, शैक्षणिक बहस/विमर्श और चर्चाएँ अलग क्षेत्रों में चलती रह सकती हैं।

1.3 हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत संविधान के भाग–XI के अध्याय–1 के अनुच्छेद 246 के अधीन सातवीं अनुसूची में विद्यमान, क्रमशः, सूची–I (संघ सूची), सूची–II (राज्य सूची) और सूची–III (समवर्ती सूची) से संसद और राज्यों की विधानसभाओं के मध्य विषयों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। संसद के पास उन विषयों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है जो विषय समवर्ती और राज्य सूचियों में सम्मलित नहीं हैं। संविधान की इस व्यवस्था ने आरम्भ में केंद्र और राज्यों के एवं उनके पारस्परिक विषयों को सुव्यवस्थित किया। विषयों के इस प्रकार विभाजन एवं उनके क्षेत्राधिकार सम्बन्धी व्यवस्था में, आरम्भ में, शासन के तीसरे स्तरीय स्थानीय शासकीय निकायों की व्यवस्था सम्मलित नहीं थी अथवा उनका नाममात्र ही उल्लेख था।

1.4 पूर्व प्रस्तर में वर्णित स्थिति का कदापि यह आशय नहीं है कि देश में स्थानीय निकायों की व्यवस्था थी ही नहीं। स्वतंत्रता पूर्व युग में भी ग्राम और जिला स्तर एवं नगरों में ग्रामीण पंचायतें व नगर पालिकाएं अस्तित्व में थीं एवं कार्यरत थीं, यद्यपि मतदाताओं की संख्या कतिपय बाध्यकारी योग्यताओं से सीमित होती थी एवं कई उम्मीदवारों का शासकों द्वारा विवेकाधीन नामांकन भी किया जाता था।

1.5 संविधान लागू होने के साथ, नगरपालिकाओं और ग्रामीण पंचायतों की मौजूदा व्यवस्था यथावश्यक परिवर्तनों के साथ जारी रही, लेकिन कई राज्यों ने व्यापक प्रतिनिधित्व और सार्वभौमिक मताधिकार के प्रावधान के साथ चुनाव कराने के लिए प्रासंगिक कानूनों में संशोधन किया या नए कानून बनाए और समय–समय पर उनके कार्यों और वित्त जैसे मामलों को व्यवस्थित किया। संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार, **"राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और**

प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो", जिससे यह अभिप्रेत है कि देश के संविधान निर्माता किस भाँति स्थानीय स्वशासी संस्थानों को स्थापित करना चाहते थे।

1.6 ऊपर संदर्भित अनुच्छेद के अलावा, स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाली या कार्य करने के लिए अपेक्षित इन संस्थाओं की व्यवस्था एवं भूमिका आरम्भ में संविधान में स्पष्ट रूप से विर्निदिष्ट नहीं थी, जब कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए उनकी संस्थाओं/अंगों, भूमिकाओं, कार्यों और वित्तीय व्यवस्थाओं का विस्तृत एवं स्पष्ट रूप से निर्धारण किया गया था। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ये स्वशासी निकाय बिना किसी वैधानिक समर्थन/व्यवस्था के अस्तित्व में थे, क्योंकि वे तत्समय प्रासंगिक कानूनों से शक्ति और अधिकार प्राप्त करते थे।

1.7 कुछ राज्यों द्वारा नगर निकायों एवं पंचायतों को क्रमिक रूप से सशक्त एवं सुदृढ़ करने के लिए उठाए गऐ कदमों का दृश्य एवं प्रत्यक्ष रूप से अत्यधिक प्रभाव अथवा परिणाम इन निकायों के क्रियाकलापों एवं व्यवस्था से परिलक्षित नहीं हुआ। अधिकांश राज्यों में ऐसे कई स्वशासी निकाय वर्षों और दशकों तक अवक्रमित रहे। बेशक, कुछ राज्य चमकते उदाहरणों के रूप में अपवाद थे, जिन्होंने 1993 में अंततः पथ–प्रदर्शक संशोधनों के लागू होने से पहले ही इन स्वशासी निकायों को समग्र रूप से पुनर्गठित और सशक्त बनाने में शुरुआती बढ़त हासिल कर ली थी।

1.8 युगांतरकारी और पथ–प्रदर्शक 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में पेश एवं पारित किए गए और 1993 में प्रभावी हुए। इन संशोधनों ने पंचायती राज संस्थाओं (ग्रामीण स्थानीय सरकारें) और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक आधार प्रदान करके भारत में स्थानीय स्वशासन को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने की नीव डाली।

1.9 इन ऐतिहासिक संशोधनों ने;

- संविधान में भाग IX और भाग IX क जोड़े, जिनका शीर्षक क्रमशः पंचायतें (अनुच्छेद 243 से 243–ण) और नगरपालिकाएँ (अनुच्छेद 243 त से 243 यछ) है।

- संविधान में ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियाँ जोड़ीं, जिनमें पंचायतों के कार्यों के अंतर्गत 29 विषय और नगरपालिकाओं के कार्यों के अंतर्गत 18 विषय सम्मिलित हैं।

- ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की त्रि–स्तरीय प्रणाली और नगरपालिकाओं के लिए एक समान संरचना, अर्थात् नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम का प्रावधान किया गया।

- पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में सभी क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों/सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया।

- सभी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं (कम से कम 33%) के लिए आरक्षण अनिवार्य किया।

- स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगरपालिकाओं) के चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया।

- पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और उन सिद्धांतों की संस्तुति करने के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई, जो राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, टोल और फीस की शुद्ध आय के राज्य और स्वशासी स्थानीय निकायों के बीच वितरण और सभी स्तरों के स्थानीय निकायों के बीच उनके संबंधित अंशों के आवंटन, उनके वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के उपायों और उससे संबंधित अन्य मामलों पर भी संस्तुतियाँ दे।

- जिला स्तर पर जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किया।

अध्याय–2

उत्तराखंड के छठवॉ राज्य वित्त आयोग का गठन

2.1 संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, राष्ट्रीय स्तर पर एक वित्त आयोग का गठन प्रत्येक पाँचवें वर्ष अथवा उससे पहले, यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझें, किया जाना अनिवार्य किया गया है, ताकि वह राष्ट्रपति को इस संबंध में अपनी संस्तुतियाँ दे सके कि संघ और राज्यों के बीच उन करों की शुद्ध आय का वितरण कैसे किया जाए, जिन्हें उनके बीच विभाजित किया जाना है या किया जा सकता है ..... तथा राज्यों के मध्य उक्त आय में उनके अपने–अपने हिस्सों का आवंटन कैसे किया जाए, और अन्य संबंधित विषयों पर भी सुझाव प्रदान करे। यह प्रावधान संविधान के लागू होने के समय से ही विद्यमान है और इसके अनुपालन में केंद्रीय वित्त आयोग का नियमित रूप से गठन किया जाता रहा है, वर्तमान आयोग सोलहवाँ वित्त आयोग है।

2.2 शीर्ष स्तर पर वित्त आयोग के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों तथा उसे प्रदान किए गए अधिदेश ने राजकोषीय हस्तांतरण/अंतर–सरकारी वित्तीय स्थानांतरण की व्यवस्था को संस्थागत रूप प्रदान किया है, और इस व्यवस्था का संचालन राष्ट्र के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ है। संघवाद के समर्थक एवं पक्षधर कराधान तथा कर–संग्रहण में केंद्र की प्रमुख भूमिका पर आपत्ति जता सकते है और जताते भी हैं किंतु राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच संसाधनों की उपलब्धता तथा आर्थिक विकास की स्थिति में अत्यधिक असमानता को देखते हुए, राजकोषीय क्षेत्र में किया गया यह संवैधानिक प्रावधान इससे बेहतर रूप में न तो कल्पित किया जा सकता था और न ही व्यवस्थित व विन्यस्त। यदि यह तंत्र, जो विधिक एवं संवैधानिक ढांचे में पूर्णतः निहित और सुदृढ़ रूप से स्थापित है, अस्तित्व में न होता, तो संसाधनों की दृष्टि से कम–संपन्न, दूरस्थ, दुर्गम एवं पर्वतीय, आपदा–प्रवण, छोटे, पिछड़े तथा पारिस्थितिक और सामरिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश अत्यधिक रूप से वंचित रह जाते। वे राजकोषीय समानता तथा संविधान द्वारा प्रदत्त वितरणात्मक न्याय के अभाव में प्रगति और समृद्धि के पथ पर निश्चित रूप से पिछड़ जाते।

2.3 संविधान के अनुच्छेद 243–झ/अनुच्छेद 243–म तथा अनुच्छेद 243–ट/243–यक के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पाँच वर्ष की अवधि के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जायेगा, जो इन स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे तथा राज्य के राजस्व के वितरण और उसमें उनके हिस्से, उन्हें सहायक अनुदान प्रदान करने तथा उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार आदि विषयों पर अध्ययन कर अपनी संस्तुतियाँ करेगा। इसी प्रकार, इन स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के नियमित चुनाव अपने पर्यवेक्षण में संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है।

2.4 उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2002 से राज्य वित्त आयोग का नियमित रूप से गठन किया जाता रहा है। यहाँ तक कि जब कोविड–19 महामारी के कारण सम्पूर्ण विश्व प्रभावित हुआ, उन वर्षों में भी आयोग का गठन किया गया और उसने अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत कीं। निम्नलिखित सारणी इस स्थिति को स्पष्ट करती है–

क्र0 सं0	गठन की तिथि	प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि
प्रथम राज्य वित्त आयोग	31 मार्च 2001	29 जून 2002
द्वितीय राज्य वित्त आयोग	30 अप्रैल 2005	07 जून 2006
तृतीय राज्य वित्त आयोग	02 दिसम्बर 2009	13 जून 2011
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	02 फरवरी 2015	31 मई 2016
पंचम राज्य वित्त आयोग	04 नवम्बर 2019	14 जून 2021

2.5 भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–झ एवं 243–म द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 158(क), [उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 138 क एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 127–ग] के साथ पठित प्रावधानों के अंतर्गत, उत्तराखण्ड के छठवें राज्य वित्त आयोग का गठन अधिसूचना संख्या 58/78489/FCD-IRFC/FSFC/10/2025 दिनांक 27 जनवरी, 2025 के माध्यम से किया गया है।

2.6 श्री एन. रवि शंकर, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव/आई.ए.एस., को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तथा श्री पी. एस. जंगपांगी, सेवानिवृत्त सचिव/आई.ए.एस. एवं डॉ. एम. सी. जोशी, सेवानिवृत्त सचिव/आई.ए.एस., को क्रमशः आयोग के सदस्य नियुक्त किये गये हैं।

2.7 आयोग का कार्यकाल एक वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था, जिसे बाद में दो माह के लिए बढ़ाकर 31 मार्च, 2026 तक कर दिया गया। इसके गठन, कार्यकाल, संदर्भ बिन्दु आदि तथा कार्यकाल–विस्तार से संबंधित अधिसूचनाओं की प्रतियां क्रमशः **अनुलग्नक 1(2) एवं 2(2)**, के रूप में संलग्न हैं।

2.8 वर्तमान आयोग उत्तराखण्ड राज्य का छठा राज्य वित्त आयोग है, जिसकी अनुशंसा अवधि 1 अप्रैल 2026 से प्रारम्भ होकर आगामी पाँच वर्षों तक प्रभावी रहेगी, अर्थात् 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक।

2.9 वर्तमान आयोग के विचारार्थ विषय निम्नवत हैंः–

'4 राज्य वित्त आयोग पंचायतों तथा स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करेगा तथा श्री राज्यपाल को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में अपनी सस्तुतियाँ देगाः–

(क) सिद्धांत, जो संनियमित करेंगे :–

(i) राज्य और ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों के बीच राज्य सरकार द्वारा उद्गृहित करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगम, जो संविधान के भाग–9 व 9–क के अधीन उनमें विभाजित किये जाने हैं या विभाजित किये जाएं, के वितरण के बारे में और उक्त सभी स्तरों की पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों के बीच ऐसे आगमों के तत्सम्बन्धी अंश के आबंटन के बारे में;

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों, जिन्हें ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों को समनुदेशन किया जाना है अथवा जिन्हें उनके द्वारा हस्तगत किया जाना है, के अवधारण के बारे में;

(iii) राज्य की संचित निधि मे से ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान के रूप में संदेय राशियों को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में;

(ख) ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में;

(ग) कोई अन्य विषय, जिन्हें राज्यपाल द्वारा ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों की ठोस वित्त व्यवस्था के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाए।

(घ) शहरीकरण की स्पष्ट प्रवृत्ति की रूपरेखा इंगित करते हुए, शहरी, शहरों से लगे अर्ध–शहरी /शहरीकृत क्षेत्रों एवं जनगणना कस्बों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की स्थिति का आंकलन और उसमें आवश्यकता के सापेक्ष कमी को चिन्हीकृत करने के साथ उनकी अभिवृद्धि /सुधार के उपाय हेतु सुझाव।

(ङ) पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों में सुधारों के क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन और शासन और क्रियान्वयन में सुधार के उपायों हेतु सुझाव।

5 राज्य वित्त आयोग अपनी संस्तुतियाँ देने में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखेगाः–

(क) राज्य सरकार के राजस्व स्रोत क्या हैं और उनसे अपेक्षाऐं क्या हैं, विशेषकर नागरिक प्रशासन व ऋण सेवा पर होने वाला व्यय और अन्य प्रतिबद्ध व्यय तथा दायित्व;

(ख) उपयुक्त स्तर पर पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों को सौंपे गए कार्य और अनुच्छेद 243–छ और 243–ब के अन्तर्गत उन्हें सौंपी गयी योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित उनके दायित्वों पर होने वाली देयता;

(ग) सभी स्तरों पर पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों के संसाधनों को बढ़ाने की क्षमता के आधार पर अगले पांच वर्षों के लिए राजस्व संसाधन तथा अतिरिक्त संसाधन एकत्रित करने के लिए निर्धारित किये गए लक्ष्य और इस दिशा में किए गए प्रयास;

(घ) अन्तरित की जाने वाली राशि के सापेक्ष पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनुरूप प्रयास;

(ङ) वित्तीय प्रबंध में सुधार के साथ ही साथ संगठनात्मक ढांचे को सरलीकृत करने की सम्भावना, जो प्रशासन में दक्षता और व्यय में मितव्ययिता के सुसंगत हों;

(च) पूंजीगत परिसंपत्तियों का रखरखाव व अनुरक्षण और उन योजनाओं पर अनुरक्षण व्यय जो इन निकायों को सौंपी गयी हो व जो दिनांक 31 मार्च, 2031 तक पूर्ण हो जाये।

(छ) आयोग नगरीय स्थानीय निकायों व सभी स्तरों पर पंचायतों की दिनांक 31 मार्च, 2025 को यथा विद्यमान ऋण स्थिति का आंकलन करेगा और ऐसे सुधारात्मक उपाय बतायेगा, जो राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक समझे जायें।

(ज) आयोग इस प्रश्न पर भी अपनी सुस्पष्ट संस्तुति देगा कि यदि वित्तीय संवितरण की नई व्यवस्था के बाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध धनराशि राजस्व पक्ष के लिए पूरी नहीं पड़ती तो उसकी प्रतिपूर्ति व राजस्व एवं पूँजी पक्ष दोनों के व्यय के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था किस प्रकार हो; तथा।

(झ) सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा कर्मियों के आकार का सही निर्धारण;

6 राज्य वित्त आयोग को अपने कृत्यों के सम्पादन के लिए निम्नलिखित शक्तियाँ होंगीः–

(क) किसी अधिकारी या प्राधिकारी से किसी सूचना अथवा अभिलेख को मांग सकता है;

(ख) साक्ष्य देने या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को बुला सकता है;

(ग) राज्य वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा; और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियाँ, जैसी नियत की जाएं।

7 राज्य वित्त आयोग पूर्वोक्त प्रत्येक विषय पर जिसमें 01 अप्रैल, 2026 से प्रारम्भ होने वाले पांच वर्ष की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट अग्रेंजी एंव हिन्दी में दोनों भाषा में उपलब्ध करायेगा;

8 सत्रहवें वित्त आयोग के लिए मुद्दों का चिन्हीकरण।'

2.10 इस आयोग के लिए निर्धारित संदर्भ बिन्दु पंचम राज्य वित्त आयोग के संदर्भ बिन्दु के समान हैं।

2.11 आयोग के अध्यक्ष श्री एन. रवि शंकर तथा सदस्यगण श्री पी. एस. जंगपांगी एवं डॉ. एम. सी. जोशी ने दिनांक 1 फरवरी, 2025 को अपना कार्यभार ग्रहण किया **[अनुलग्नक 3(2), 4(2) एवं 5(2)]**।

अध्याय–3

दृष्टिकोण और कार्यविधि

3.1 आदिकाल से सभ्यता की दीर्घकालीन दौड़ में, मानव समाज ने स्वयं को आवास समूहों, गांवों और कस्बों/शहरों के रूप में खुद को संगठित करना शुरू किया। इस प्रक्रिया में उसे आजीविका के अवसरों और उपलब्धता, सुरक्षा और समग्र कल्याण के बारे में जटिलताओं और समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिन्हें धीरे–धीरे दूर किया गया। इसके साथ, विभिन्न स्तरों पर शासन व्यवस्था की आवश्यकता उत्पन्न हुई, जो प्रारम्भिक रूप से मानव समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और बाद में, बुनियादी नागरिक सेवाओं/सुविधाओं के लिए आवश्यक थीं। आधुनिक शासन प्रणालियाँ इसी प्रकार विकसित हुई हैं।

3.2 एक संघीय व्यवस्था में, केंद्रीय या क्षेत्रीय/मध्यवर्ती के अतिरिक्त कुछ विकेंद्रीकृत कार्यों और लक्ष्यों का होना स्वाभाविक है। ऐसी प्रणालियों के क्षेत्रीय और स्थानीय इकाइयों के कार्य और लक्ष्य अंततः केंद्रीय कार्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती हैं। ऐसी स्थिति में, यह आवश्यक हो जाता है कि क्षेत्रीय और स्थानीय इकाइयों के पास, प्रणाली की केंद्रीय इकाई के साथ–साथ, उचित लेकिन पर्याप्त कार्य, कार्मिक, वित्त के साथ–साथ पर्याप्त कानूनी प्रावधान, प्राधिकार और शक्ति हो।

3.3 सम्पूर्ण प्रकृति एक केंद्रीकृत प्रणाली के भीतर विकेंद्रीकृत तरीके से कार्य करती है। तदनुसार, यह आवश्यक है कि मानव समाज और उसके विभिन्न स्तरों पर शासन तंत्र कुछ पहलुओं में केंद्रीकृत रूप से और कुछ अन्य पहलुओं के संबंध में विकेंद्रीकृत तरीके से संगठित हों ताकि सम्पूर्ण शासन प्रणाली संतुलित हो।

3.4 भारत की संघीय व्यवस्था सहकारी संघवाद की भावना के अन्तर्गत कार्य करती है। इस प्रणाली में, केंद्र और राज्यों का शासन प्रभावी और जिम्मेदारीपूर्वक संचालित करने के लिए, विषयों को संविधान के भाग XI अध्याय 1 अनुच्छेद 246 के अनुसार सातवीं अनुसूची की सूची–1, सूची–II और सूची–III के तहत संसद और राज्यों की विधानसभाओं के बीच कानून बनाने के लिए स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है, जैसा कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है। संसद को ऐसे विषयों के सम्बन्ध में अनुच्छेद 248 के अधीन कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है जो सातवीं अनुसूची की समवर्ती और राज्य सूचियों में सम्मिलित नहीं हैं।

3.5 अध्याय–4, **'परिदृश्य और कार्यनिष्पादन की स्थिति'** के तहत, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का वर्णन करते हुए और उसके विपरीत वास्तविक कार्यनिष्पादन परिदृश्य को दर्शाते हुए, उनके प्रदर्शन की वर्तमान स्थिति के संक्षिप्त विवरण और सुधार तथा सुधार की आवश्यकता को इंगित करने का प्रयास किया गया है।

3.6 इस आयोग के संदर्भ बिन्दुओं को 27 जनवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या–58/78489/FCD&IRFC/FSFC/10/2025 में भारत के संविधान के भाग–IX और भाग–IX क में उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्णित किया गया है।

3.7 छठवें राज्य वित्त आयोग का मुख्य संदर्भ बिन्दु निम्नलिखित है–

राज्य वित्त आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और राज्यपाल को सिफारिशें करेगा–

कि राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगम, जो संविधान के भाग–IX और भाग–IX क के अधीन उनमें विभाजित किये जाने है या विभाजित किये जायें, के वितरण के बारे में और उक्त सभी स्तरीय पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच ऐसे आगमों के तत्सम्बन्धी अंश के आवंटन के बारे में सिद्धान्त का संनियमन किस भाँति किया जाये।

दृष्टिकोण–

3.8 वर्तमान आयोग के संदर्भ बिन्दु पूर्व आयोगों के संदर्भ बिन्दुओं के समान हैं। उपर्युक्त संदर्भ बिन्दु, पैरा 3.7, मुख्य संदर्भ बिन्दु है, अन्य संदर्भ बिन्दु पूरक हैं। आयोग को संस्तुति अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए राज्य के निवर्तन पर उपलब्ध विभाज्य कोष का निर्धारण करना है और उसमें से क्रमशः, शहरी स्थानीय निकायों एवं त्रि–स्तरीय पंचायतों के संयुक्त हिस्से को इंगित करते हुए उसके सापेक्ष नगर निगमों से नगर पंचायतों तक और जिला पंचायतों से ग्राम पंचायतों तक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संवितरण की न्यायपूर्ण, उचित, समान और बोधगम्य तरीके से, वितरण न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, संस्तुति करना है। आयोग को इन निकायों के लिए सहायक अनुदान, यदि कोई हो, की संस्तुतियाँ भी प्रत्येक के लिए तर्क और औचित्य के साथ करनी हैं।

3.9 उत्तराखंड राज्य में 13 जिले, 95 विकास खंड और 16991 राजस्व ग्राम हैं जो 7817 ग्राम पंचायतों में शामिल हैं– जिले और विकास खंड क्रमशः जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के सहवर्ती (coterminous) हैं। राज्य में 11 नगर निगम, 46 नगर पालिका परिषदें और 51 नगर पंचायतें हैं। राज्य की भू–आकृति मुख्य रूप से पर्वतीय और पहाड़ी है लेकिन ऐसा नहीं है कि यह पूरी तरह से पर्वतीय हो, क्योंकि इसके दो सबसे अधिक आबादी वाले जिले मैदानों में स्थित हैं और अन्य चार जिलों के कुछ भूभाग उप–हिमालयी और शिवालिक क्षेत्रों में स्थित हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भी, पर्याप्त भू–विविधता है, जैसे उच्च हिमालयी एवं सीमावर्ती से लेकर गहरी घाटियों और घाटी तलहटियों में स्थित ग्राम पंचायतें। आबादी की सघनता स्वाभाविक रूप से मैदानों और उप–पर्वतीय शहरों, कस्बों, गांवों और बस्तियों में है। पर्वतीय क्षेत्रों में आर्थिक, विकासात्मक, आकांक्षी और आपदा–प्रवणता कारकों के कारण पलायन से जनसंख्या घटती जा रही है अथवा जनसंख्या वृद्धि अपेक्षाकृत न्यून है, यद्यपि राज्य भर में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के पर्याप्त उन्नयन, संचार साधनों और आजीविका अवसरों का सृजन हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन पर्यावरणीय बाधाओं, आपदा प्रवणता और आर्थिक अवसरों की न्यूनता के दृष्टिगत निरन्तर जारी है। यहां तक कि सुदूर उत्तर में एक समय में जीवंत सीमावर्ती गांव लगभग खाली हैं, जिन को पुनः आबाद करने हेतु भारत सरकार द्वारा भी चिंता दिखाते हुए उनमें विशेष रूप से तैयार परियोजनाओं, जैसे **वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज परियोजना** आदि, को डिजाइन कर क्रियान्वित किया जा रहा है। विडंबना यह भी है कि सिंचाई सुविधाओं वाले कुछ उपजाऊ घाटियों और क्षेत्रों में भी, कृषि योग्य भूमि वर्षों तक बंजर पड़ी रहती है। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन सेवायोजन के अवसर घटने के साथ, सदियों से लोगों की नौकरियों के लिए मानसिक प्रवृत्ति और निजी क्षेत्र में सिकुड़ते सेवायोजन हेतु प्रतिस्पर्धा करने के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा और उपयुक्त कौशल की कमी, राज्य के लिए चुनौती उपस्थित करते हैं।

3.10 राज्य की स्थलाकृति की विविधता कतिपय उच्च हिमालयी ग्राम पंचायतों के सागर सतह से 10000 फीट औसत ऊंचाई पर स्थित एवं विरल और मौसमी रूप से आबाद होने से भी स्पष्ट होती है।

3.11 इसके अतिरिक्त, कई पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के मध्य जनसंख्या और क्षेत्रफल का पर्याप्त अन्तर विद्यमान है। एक दूरस्थ पर्वतीय ग्राम पंचायत 3–4 या अधिक गांव या बस्तियों में फैला बड़ा क्षेत्र हो सकता है जिसकी कुल मिलाकर मात्र 100 या उससे कम जनसंख्या हो,

जबकि मैदानों में इसका एक घनी आबादी वाला समकक्ष एक छोटे सिमटे क्षेत्रफल में सीमित हो सकता है जिसकी आबादी पर्वतीय क्षेत्र की नगर पालिका अथवा क्षेत्र पंचायत से अधिक हो सकती है।

3.12 इसके अतिरिक्त, देश के पवित्रतम तीर्थस्थलों में से तीन, क्रमशः, बद्रीनाथ, केदारनाथ एवं गंगोत्री के लिए गठित अनिर्वाचित मौसमी नगर पंचायतें भी राज्य में स्थित हैं जो कि प्रशासकीय नियंत्रणाधीन है।

3.13 उक्त वर्णित भौगोलिक एवं जनसांख्यकीय भिन्नता कमोवेश शहरी स्थानीय निकायों के मामले में भी विद्यमान है।

3.14 उक्त स्थिति को अतिस्पष्ट करने का आशय यह है कि आयोग के लिए राज्य की स्वशासी निकायों की प्रत्येक इकाई को आगामी पांच वर्षों के लिए वित्तीय हस्तान्तरण हेतु की जानी वाली अपनी संस्तुतियों के सम्बन्ध में राज्य की सम्पूर्ण स्थिति का संज्ञान लेकर उनसे रूबरू होकर, मंथन व विचार–विमर्श कर एक सुसंगत दृष्ट्रिकोण व दृष्टि सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

3.15 सारांश में, आयोग को पंचायतीराज संस्थाओ और शहरी स्थानीय निकायों को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वित्तीय हस्तांतरण के लिए ऐसा सूत्र या व्यवस्था तैयार करनी हैं जो ऐसी सभी इकाइयों/संस्थानों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को समतापूर्वक संतुलित करें एवं राज्य के वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए और पंचायतीराज संस्थाओ एवं शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय प्रयासों को धीरे–धीरे उनकी वित्तीय स्वायत्तता प्राप्ति हेतु प्रोत्साहित करें।

3.16 पांचवें राज्य वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के स्वयं के सकल कर राजस्व का 11% हस्तांतरण की संस्तुति की थी। राज्य सरकार ने 10.5% स्वीकार किया। फलतः, वार्षिक आधार पर, औसतन लगभग 1698 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा इन संस्थाओं को आवंटित किये गये हैं। इस प्रकार वर्ष 2021–26 की पांच वर्षीय अवधि के लिए कुल आवंटित राशि लगभग 8488 करोड़ रुपये होती है।

3.17 राज्य सरकार ने 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग को अपनी प्रस्तुति में राज्य के कुल कर राजस्व को वित्तीय वर्ष 2026–31 के लिए रु0 1,50,000 करोड़ अनुमानित किया है, और इसी तरह शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय हस्तांतरण हेतु रू0 30,000 करोड़ वित्तीय वर्ष 2026–31 के लिए दर्शाया है। यह प्रस्तावित राशि राज्य के सकल कर राजस्व का 20% है।

3.18 संभावित हस्तांतरण सीमा–

छठवां राज्य वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं को वितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2026–31 की 5 वर्षीय अवधि के लिए निम्न 3 परिदृश्यों के अनुसार अनुमान आधारित किया हैं:

निम्न सीमा 24,000 करोड़ रुपये
मध्य सीमा 27,000 करोड़ रुपये
उच्च सीमा 30,000 करोड़ रुपये

तदनुसार, आयोग शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं को प्रस्तावित वित्तीय हस्तांतरण हेतु "आपूर्ति व मांग" के पहलुओं का निम्नवत आंकलन कर सकता है:

- आपूर्ति पक्ष– राज्य सरकार के वर्ष 2026–31 के संभावित वित्तीय समर्थन के अनुमानों के आधार पर समीक्षण।
- मांग पक्ष– संवैधानिक रूप से निर्दिष्ट कर्तव्यों को निभाने के लिए धनराशि की आवश्यकता के संबंध में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाएं।

इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से जिला पंचायतों और सामान्य रूप से शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं के राजस्व हेतु प्रयासों के प्रोत्साहन को अंततः उनको हस्तांतरित की जाने वाली राशि हेतु निर्धारित किये जाने वाली व्यवस्था में समाहित किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु, गत संस्तुति अवधि के अंतिम वर्ष के वास्तविक आवंटन को, मूल्य वृद्धि को समायोजित करते हुए, आधार माना जाना समीचीन होगा। सहायक अनुदान प्रस्ताव संस्तुति विशिष्ट परियोजना, गुण–दोष एवं आवश्यकता आधारित होनी चाहिए, जोकि नियमित वित्तीय हस्तांतरण के अतिरिक्त होंगी।

कार्यप्रणाली–

3.19 आयोग अपनी संरचना में अत्यंत सीमित है। इसमें कोई विषय विशेषज्ञ नहीं हैं, न ही नियमित सहायक या तकनीकी स्टाफ, सिवाय तीन आउटसोर्स्ड डेटा एंट्री ऑपरेटरों और तीन कार्यालय सहायकों एवं वित्त आयोग निदेशालय के दो–तीन आंशिक रूप से उपलब्ध अधिकारियों के जो राज्य के वित्त विभाग में पूर्णकालिक रूप से पूर्व से ही कार्यरत हैं। आयोग के सचिव के पास शासन के अधीन कई अन्य पदभार हैं, पहले पदाधिकारी एक महत्वपूर्ण राजनयिक प्रतिनियुक्ति पर मात्र दो महीने बाद कार्यमुक्त हुए एवं पश्चातवर्ती सचिव अधिकतर अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों में व्यस्त रहे है। परिस्थितियों को देखते हुए और पूर्व आयोगों के अनुभव के दृष्टिगत, आयोग ने आरम्भ में ही तीन अध्ययन कराने एवं एक कार्यशाला आयोजित करने का संकल्प लिया। निम्नलिखित अध्ययन, क्रमशः, राज्य के सेतु आयोग, डॉ. आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी, नैनीताल के अन्तर्गत स्थापित राज्य शहरी विकास संस्थान और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली को सौंपे गए–

1. **नगरीय शासन के सम्बन्ध में–** समग्र नगरीय शासन में सुधार हेतु प्रशासनिक, वित्तीय व प्रक्रियात्मक सुदृढ़ीकरण के संबंध में 'स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट', डॉ. आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल द्वारा।
2. **त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के सम्बन्ध में–** पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक, वित्तीय और कार्यात्मक तंत्र का तृणमूल शासन एवं सेवा प्रदाय में समग्र सुधार हेतु सुदृढ़ीकरण पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा।
3. **राज्य और स्व–शासित पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधनों के सम्बन्ध में–** राज्य और उसके पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधनों एवं स्थिति, 'स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड' (सेतु आयोग) द्वारा।

'उत्तराखंड में 73वें और 74वें संशोधनों के उपरान्त विकेंद्रीकरण और हस्तांतरण– उपलब्धियां, चुनौतियां एवं तृणमूल स्तरीय शासन के सुदृढ़ीकरण हेतु रणनीतियां' विषय पर एक कार्यशाला दून विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई।

अध्ययनों की रिपोर्टें और कार्यशाला की संस्तुतियां इस प्रतिवेदन के अंग हैं।

3.20 आयोग के पदभार एवं सुव्यवस्थित होने के उपरान्त एक सार्वजनिक सूचना, विचारों एवं सुझावों के आमंत्रण हेतु निर्गत की गयी। इसके साथ ही आयोग ने राज्य सरकार के शहरी विकास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, नियोजन और वित्त विभागों के अधिकारियों के साथ मंथन एवं परामर्श/विचार–विमर्श किया। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, नगर एवं ग्राम्य नियोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड एवं नगर विकास प्राधिकरण, अर्थ एवं सख्या निदेशालय, और वन विभाग के विभागाध्यक्ष के साथ भी परामर्श किया गया।

3.21 आयोग ने श्री इंदु कुमार पांडे, पूर्व मुख्य सचिव जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वित्त विभाग में लंबे समय तक सेवारत रहे हैं और क्रमशः तीसरे और पांचवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे, का मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। इसी तरह, प्रो. वी.एन. आलोक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, सुश्री ज्योत्सना सितलिंग, सेवानिवृत्त प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत उत्तराखंड, जोकि पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता विशेषज्ञ है, श्री शत्रुघ्न सिंह, सेतु आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पूर्व मुख्य सचिव एवं श्री बी.पी. पांडे, महानिदेशक, डॉ. आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल आदि से भी परामर्श किया गया।

3.22 आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने अपने कार्यकाल के प्रारंभिक महीनों में कुछ राज्यों के वित्त आयोगों, उत्तराखंड के पूर्व वित्त आयोगों और केंद्रीय वित्त आयोगों की रिपोर्ट एवं गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों के विषय से सम्बन्धित कतिपय शोध पत्रों का अध्ययन किया। उन्होंने भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के तत्वाधान में पंचायतीराज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों पर किए गए अध्ययनों की रिपोर्टें भी देखीं।

3.23 आयोग ने राज्य के शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों, जिला स्तर के अधिकारियों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत परामर्श आयोजित किए एवं जिलों में स्थलीय भ्रमण भी किये गये। इसके अतिरिक्त, आयोग के सदस्यों ने कुछ शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं का एकल रूप से अध्ययन भ्रमण भी किया ताकि उनके कार्य, वित्तीय स्थिति, स्टाफिंग, क्षमता व कमियां एवं उनकी आयोग एवं राज्य शासन से अपेक्षाओं का प्रत्यक्ष संज्ञान लिया जा सके। ऐसे अध्ययनों के दौरान सम्बन्धित सदस्यों ने स्थलीय भ्रमण व अवलोकन भी किए।

3.24 शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं की पूर्ण वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्ति वर्तमान समय में एक कल्पना–सी प्रतीत होती है। उन्हें अपने निवर्तन पर उपलब्ध सभी वित्तीय संसाधनों का दोहन करके राजस्व प्राप्ति/संग्रह को यथेष्ट रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। केंद्र और राज्य सरकारे अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु बड़े पैमाने पर बाजार और संस्थागत ऋण लेती हैं और बहुपक्षीय सहायता एजेंसियों तथा वित्तीय संगठनों और अन्य देशों से सहायता, सॉफ्ट लोन आदि प्राप्त करते हैं। शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं को होने वाले वित्तीय हस्तांतरण उनके कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के निमित्त होते हैं। इसीलिए, केंद्र से राज्यों को और राज्यों से स्थानीय निकायों को वित्तीय हस्तांतरण संवैधानिक व्यवस्था में अंतर्निहित हैं। ऐसा भी काल था जब इन निकायों को शासकीय सहायता की आवश्यकता कम ही रहती थी परन्तु शनैः–शनैः उनके प्रमुख आय स्रोत जैसे पथ कर, चुंगी आदि समाप्त कर दिए गए और उन्हें कुछ वर्षों के लिए क्षतिपूर्ति भी दी जाती रही। सौभाग्य से, अब वित्तीय हस्तांतरण एक संवैधानिक व्यवस्था है।

3.25 आयोग को व्यक्तियों, विशेषज्ञों और हितधारकों से लिखित ज्ञापन, अभ्यावेदन और सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। लगभग सभी शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं से निर्धारित प्रारूपों/प्रश्नावलियों पर

विस्तृत जानकारियां/सूचनाऐ प्राप्त हुई है, हालांकि कुछ ने इन्हें सटीक रूप से नहीं पूर्ण किया। आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं से प्राप्त सभी जानकारियों को संकलित, समेकित और विश्लेषित किया है ताकि पिछले पांच वर्षों में स्वयं के स्रोतों से उनकी आय, अगले पांच वर्षों के लिए अनुमान/पूर्वानुमान, पिछले व्यय और देनदारियां, वित्तीय आवश्यकता, स्टाफिंग आदि का बोध हो।

आयोग ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की उपलब्ध ऑडिट रिपोर्टों का भी अध्ययन/अनुशीलन किया है, जिनके उद्धरण इस रिपोर्ट में उचित स्थानों पर संदर्भित हैं।

अध्याय–4

परिदृश्य और कार्यनिष्पादन की स्थिति

4.1 यह कहा जाता है कि मानव समाज की सभी वांछनीय गतिविधियाँ प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और सुख–समृद्धि के लिए होती हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना न केवल हम सभी की गरिमा एवं राजनीतिक अधिकारों का आश्वासन देती है, बल्कि समानता एवं अवसर, तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को भी आश्वस्त करती है ताकि मानव जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। राज्य के नीति–निदेशक सिद्धांत राष्ट्र के विकास एवं कल्याण के प्रतिमान/मानकों को अभिव्यक्त करते हैं। इस देश में अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर जनसहभागी शासन की अपेक्षा करती है। नागरिक नियमित अंतराल पर शासन के तीनों स्तरों के लिए अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं। सभी स्तरों की शासकीय संस्थाएँ निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की इच्छा को ही प्रतिबिंबित करती हैं। जनप्रतिनिधि तथा शासकीय वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वस्तुतः हमारे देश में संप्रभुता जनसाधारण में ही निहित है।

4.2 इस आयोग के अधिदेश की पूर्ति के उद्देश्यो की दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को केंद्र में रखना आवश्यक है। ये जमीनी स्तर की शासकीय संस्थाएँ प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में अस्तित्व में रही हैं। 73वें एवं 74वें पथप्रवर्तक संविधान संशोधनों के प्रावधान इन संस्थाओं को शासन के तृतीय स्तर के रूप में पुनर्गठित एवं सुदृढ़ करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम सिद्ध हुए हैं। तथापि उक्त संशोधनों के लगभग 32 वर्ष पश्चात भी देशभर में इन संस्थाओं की स्थितियों/दशाओं में भिन्नता है। उत्तराखण्ड में, पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों की स्थिति, निर्धारित मानकों के संदर्भ में, देश में उच्च स्थान पर नहीं है, जबकि एक छोटे राज्य के रूप में इसे अग्रणीय होना चाहिए।

4.3 संविधान के भाग–IX एवं भाग–IX क के अंतर्गत ग्राम पंचायतों एवं नगरीय स्थानीय निकायों को सशक्त, सक्षम एवं उत्तरदायी बनाने हेतु स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान हैं, जिससे प्रत्येक नागरिक का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके, उसकी गरिमा सुरक्षित रहे तथा वंचित वर्गों का समावेशन सुनिश्चित किया जा सके।

4.4 संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित वर्ष 2015 में अंगीकृत तथा वर्ष 2016 से क्रियान्वित **सतत विकास लक्ष्य** हेतु **एजेंडा–2030** भी उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम है।

4.5 भाग–IX के अनुच्छेद 243छ तथा भाग–IX क के अनुच्छेद 243 ब के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को स्थानीय स्वशासी इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक उत्तरदायित्व एवं अधिकार सौंपने के प्रावधान हैं। इस संदर्भ में संविधान की ग्यारहवीं एवं बारहवीं अनुसूचियों में उल्लिखित विषयों को आर्थिक विकास, लोक एवं नागरिक सेवाओं के प्रदाय तथा सामाजिक न्याय हेतु पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है।

अनुच्छेद 243 यघ के अंतर्गत जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है, जो जिले में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन कर समग्र जिला विकास योजना तैयार करती है।

4.6 निम्न तालिकाओं में संविधान के भाग–IX (अनुच्छेद 243 छ) तथा भाग–IX क (अनुच्छेद 243 ब) के अंतर्गत किए गए प्रावधानों तथा ग्यारहवीं एवं बारहवीं अनुसूचियों में वर्णित विषयों का क्रमशः पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए विवरण प्रदर्शित किया गया है।

भाग9 अनुच्छेद 243 छ/ग्यारहवीं अनुसूची (पंचायतों से सम्बन्धित)	भाग9क अनुच्छेद 243ब/बारहवीं अनुसूची (नगर पालिका से सम्बन्धित)
243–छ. पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व– संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यागत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात– **(क)** आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना; **(ख)** आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करना।	**243–ब. नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व–** इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा– **(क)** नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो और ऐसी विधि में नगरपालिकाओं को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात– **(i)** आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना; **(ii)** ऐसे कृत्यों का पालन करना और ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अन्तर्गत वे स्कीमें भी हैं जो बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है, कार्यान्वित करना; **(ख)** समितियों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें अपने को प्रदत्त उत्तरदायित्वों को, जिनके अन्तर्गत वे उत्तरदायित्व भी हैं जो बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों।
ग्यारहवीं अनुसूची **1.** कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि–विस्तार है। **2.** भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण। **3.** लघु सिंचाई, जल प्रबन्ध और जल–विभाजक क्षेत्र का विकास। **4.** पशुपालन, डेरी उद्योग और कुक्कुट–पालन। **5.** मत्स्य उद्योग। **6.** सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी। **7.** लघु वन उपज। **8.** लघु उद्योग, जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं। **9.** खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग। **10.** ग्रामीण आवासन। **11.** पेयजल। **12.** ईधन और चारा। **13.** सड़कें, पुलिया पुल, फेरी, जल मार्ग और अन्य संचार साधन। **14.** ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अन्तर्गत विद्युत का वितरण है। **15.** अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। **16.** गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। **17.** शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं। **18.** तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। **19.** प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा। **20.** पुस्तकालय। **21.** सांस्कृतिक क्रियाकलाप। **22.** बाजार और मेले।	**बारहवीं अनुसूची** **1.** नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है। **2.** भूमि उपयोग का विनयमन और भवनों का निर्माण। **3.** आर्थिक और सामाजिक विकास योजना। **4.** सड़कें और पुल। **5.** घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय। **6.** लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा–करकट प्रबंध। **7.** अग्निशमन सेवाएं। **8.** नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि। **9.** समाज के दुर्बल वर्गो के, जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप में मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा। **10.** गंदी–बस्ती सुधार और प्रोन्नयन। **11.** नगरीय निर्धनता उन्मूलन। **12.** नगरीय सुख–सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था। **13.** सांस्कृतिक, शैक्षिणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि। **14.** शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और शमशान और विद्युत शवदाह गृह। **15.** कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण। **16.** जन्म–मृत्यु सांख्यिकी, जिसके अन्तर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है। **17.** सार्वजनिक सुख–सुविधाएं, जिनके अन्तर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टाप और जन सुविधाएं भी हैं।

23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी हैं। **24.** परिवार कल्याण। **25.** महिला और बाल–विकास। **26.** समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है। **27.** दुर्बल वर्गो का और विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण। **28.** सार्वजनिक वितरण प्रणाली। **29.** सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।	**18.** वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन।

4.7 पंचायती राज संस्थाओं के लिए उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 तथा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (समय–समय पर यथा संशोधित) और नगर निगमों के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (समय–समय पर यथा संशोधित) उत्तराखण्ड राज्य में लागू हैं। तथापि, कुछ परिस्थितियों में ये अधिनियम अपर्याप्त, प्रभावहीन अथवा अनधुनान्त प्रतीत होते हैं। नगरीय स्थानीय निकायों को नियंत्रित करने वाले कानून पुराने हो चुके हैं तथा राज्य की भौगोलिक, जनसांख्यिकीय एवं विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनका पुनर्अधिनियमन किया जाना आवश्यक है।

4.8 उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 के कुछ प्रावधान संबंधित संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप नहीं प्रतीत होते हैं। संविधान के विपरीत प्रावधानों की पुनर्समीक्षा आवश्यक होगी।

4.9 भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 यघ के खण्ड (3)(क) में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक जिला योजना समिति, विकास योजना प्रारूप तैयार करने में पंचायतों और नगरपलिकाओं के सामान्य हित के विषय, जिनके अन्तर्गत स्थानिक योजना, जल तथा अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों के हिस्सा बंटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण सहित उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधनों की मात्रा सम्मिलित है, का ध्यान रखेगी। अनुच्छेद 243 यघ निम्नानुसार उद्धरित है–

243–यघ. जिला योजना के लिए समिति–

(1) प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर, जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और सम्पूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए, एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा।

(2) राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित की बाबत उपबन्ध कर सकेगा; अर्थात्

(क) जिला योजना समितियों की संरचना,

(ख) वह रीति जिससे ऐसी समितियों में स्थान भरे जाएंगेः

परंतु यह उपबंध होगा कि समिति के कुल सदस्यों का कम से कम चार–पाँचवाँ भाग जिला स्तर की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से तथा उनके द्वारा निर्वाचित होगा, और यह निर्वाचन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में होगा

(ग) जिला योजना से संबंधित ऐसे कृत्य जो ऐसी समितियों को समनुदिष्ट किए जाएं;

(घ) वह रीति जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्ष चुने जाएंगे।

(3) प्रत्येक जिला योजना समिति, विकास योजना प्रारूप तैयार करने में –

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी, अर्थात्–

(i) पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के मध्य सामान्य हित के विषय

(ii) उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधनों की मात्रा और प्रकार;

(ख) राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों एवं संगठनों से परामर्श करेगी।

(4) प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा अनुशंसित विकास योजना राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।

उत्तराखण्ड में यद्यपि जिला योजना समिति के 4/5 निर्वाचित सदस्य पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों से हैं, तथापि जिला योजना में ग्राम पंचायत विकास योजना, क्षेत्र पंचायत विकास योजना एवं जिला पंचायत विकास योजना का समुचित समेकन/एकीकरण परिलक्षित नहीं होता और न ही इसमे नगरीय निकायों की वार्षिक योजनाएँ सम्मिलित होती हैं। फलस्वरूप, जिला स्तर की नियोजन प्रक्रिया संविधान की भावना को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

4.10 उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 के अध्याय VII की धारा 22 में ग्राम पंचायत के सामान्य कार्यों का उल्लेख है तथा धारा 23 में अन्य कार्यों का विवरण दिया गया है। धारा 26 से 29 में ग्राम पंचायत के अधिकारों को परिभाषित किया गया है। अध्याय VIII की धारा 46 के अंतर्गत कर, व्यवसाय कर एवं भवन कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है। धारा 47 के अंतर्गत ऋण लेने की शक्ति भी प्रदान की गई है।

4.11 मध्य स्तर की पंचायत अर्थात् क्षेत्र/ब्लॉक पंचायत की शक्तियों एवं कर्तव्यों का उल्लेख अध्याय XII की धारा 67 में किया गया है। अध्याय XV की धारा 84 के अंतर्गत यह स्तर सीमित रूप में कर लगाने हेतु अधिकृत है।

4.12 जिला पंचायत की शक्तियाँ, अधिकार एवं कर्तव्य अध्याय XIX की धारा 104 में वर्णित हैं। धारा 106 में उपविधियाँ बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्याय XXII की धारा 123 के अंतर्गत जिला पंचायत को कर, शुल्क, उपकर एवं टोल लगाने का अधिकार है। धारा 164 एवं 165 के अंतर्गत परिस्थिति एवं संपत्ति कर लगाने की शक्ति सीमाओं एवं शर्तों के अधीन प्रदान की गई है।

4.13 उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से संबंधित है। धारा 22 से 26 में ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कार्यों का उल्लेख है। धारा 27 में ग्राम पंचायत के अधीन विभिन्न विभागों के कर्मचारियों पर अधिकार–क्षेत्र निर्धारित है। धारा 28 में वार्षिक विकास योजना तैयार करने का प्रावधान है। धारा 29 उपविधियों से संबंधित है।

4.14 धारा 67 क्षेत्र पंचायत की शक्तियों एवं कर्तव्यों का उल्लेख करती है तथा ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय स्थापित करने एवं दिशा–निर्देश जारी करने का दायित्व निर्धारित करती है। धारा 74 के अंतर्गत छह समितियों एवं एक या अधिक उप–समितियों के गठन का प्रावधान है, जिनमें नियोजन एवं विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण, निर्माण, प्रशासन, जल प्रबंधन एवं जैव–विविधता प्रबंधन सम्मिलित हैं।

4.15 धारा 67 क्षेत्र पंचायत की शक्तियों और कर्तव्यों के साथ–साथ ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय करने और दिशा–निर्देश जारी करने के इसके कर्तव्य से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र पंचायतों को उन शक्तियों का प्रयोग और उन कार्यों का निर्वहन करना है जो उन्हें राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा सौंपे या प्रत्यायोजित किए जाते हैं, जबकि धारा 74 अपने सूचीबद्ध कर्तव्यों को पूरा करने के लिए छह समितियों और एक या एक से अधिक उप–समितियों के गठन का प्रावधान करती है। निर्धारित समितियाँ– योजना एवं विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण, निर्माण, प्रशासनिक, जल प्रबंधन और जैव–विविधता प्रबंधन– से

संबंधित हैं। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि धारा 67(2) के तहत स्पष्ट प्रावधान है जो क्षेत्र पंचायत को ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना और बजट को मंजूरी देने का अधिकार देता है, जबकि धारा 68(1) प्रावधान करती है कि क्षेत्र पंचायत अपनी वार्षिक विकास योजना तैयार करेगी जिसमें क्षेत्र पंचायत के भीतर की ग्राम पंचायतों की विकास योजनाएं शामिल होंगी और एकीकृत योजना को समय पर जिला पंचायत को भेजेगी।

4.16 जिला पंचायत की शक्तियाँ, कार्य और कर्तव्य धारा 104 के तहत शामिल हैं, जबकि धारा 105 के तहत जिले के लिए वार्षिक योजना तैयार करने का प्रावधान है जिसमें जिले की क्षेत्र पंचायतों की विकास योजनाओं को शामिल किया जाएगा और एकीकृत योजना को जिला योजना समिति को भेजा जाएगा। धारा 106 जिला पंचायत की उप–नियम बनाने की शक्तियों का प्रावधान करती है।

4.17 उत्तराखंड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 की धारा 3(1) प्रावधान करती है कि प्रत्येक जिले के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा जो पूरे जिले के लिए एक प्रारूप विकास योजना तैयार करेगी जिसमें जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा। धारा 3(2) प्रावधान करती है कि प्रारूप विकास योजना तैयार करते समय, जिला योजना समिति पंचायतों और नगर पालिकाओं के सामान्य हित के विषयों को ध्यान में रखेगी।

4.18 उत्तराखण्ड शासन द्वारा पंचायती राज विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 622/पं.ग्रा.अ. से.अनु./92(25)/2003 दिनांक 29 अक्टूबर 2003 माध्यम पंचायतों को प्रशासनिक, कार्यकारी एवं वित्तीय अधिकारों का संक्रमण करने हेतु विस्तृत व्यवस्था की गई है जिसमें पेयजल, ग्रामीण आवास, गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा/प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, परिवार कल्याण, स्वास्थय एवं स्वच्छता कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लघु सिंचाई, तथा कृषि (जलागम) सम्बन्धित 14 विषयों का वित्तीय/कार्यकारी और कार्मिक आधार पर पूर्ण नियंत्रण त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को सौंपने का निर्णय किया जाना स्पष्ट वर्णित है। इसी क्रम में निम्नांकित शासनादेशों अन्तर्गत भी विभिन्न विभागों द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों के वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां एवं दायित्व/कार्य इन विभिन्न स्तर की पंचायतों को सौंपने सम्बन्धित विशिष्ट आदेश निर्गत हुए हैं–

1. शासनादेश संख्या 107 सी.एम./कृषि/03/रिट 2(2)02 दिनांक 03 जनवरी 2004, कृषि विभाग द्वारा।
2. शासनादेश संख्या 737/पंचायत राज/03 दिनांक 03 फरवरी 2004, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा।
3. शासनादेश संख्या 3379/चि. 2–2004–270/2004 T.C दिनांक 11 फरवरी 2004, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा।
4. शासनादेश संख्या 736/नौ0–1–सिं0(स्थापना)/2004 दिनांक 23 फरवरी 2004, सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित अधिकार/दायित्व।
5. शासनादेश संख्या 548/स0क0/2003–600 (समाज कल्याण)/2002 दिनांक 03 मार्च 2004, समाज कल्याण विभाग द्वारा।
6. शासनादेश संख्या 73/XI/पशु पा0/2004/1(13) दिनांक 24 मई 2004, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग द्वारा।
7. शासनादेश संख्या 410/व0ग्रा0वि/उद्यान/224/2003 दिनांक 31 मई 2004, उद्यान विभाग द्वारा।
8. शासनादेश संख्या C5–01/XXIV (3)/2004 दिनांक 02 जून 2004, मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा शिक्षा व्यवस्था के सम्बंध में।
9. शासनादेश संख्या 2121/उन्तीस/04–2/2004 दिनांक 17 अगस्त 2004, पेयजल विभाग द्वारा।

10. शासनादेश संख्या 806/X1/04/58(44)/2004 दिनांक 16 फरवरी 2005, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा।
11. शासनादेश संख्या 836/XIX/2005 दिनांक 20 मई 2005, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा।
12. शासनादेश संख्या 190/XI–06/58(44)/2004 दिनांक 4 अप्रैल 2006, ग्राम्य विकास विभाग पंचायत स्तर पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में त्रिस्तरीय पंचायतां के मध्य कार्य विभाजन।
13. अधिसूचना संख्या 844/XXIV (I)/2014–15/2008 TC III दिनांक 16 जुलाई 2014, अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य विषयक (शिक्षा विभाग)।
14. शासनादेश संख्या 49686/2022 दिनांक 13 जुलाई 2022, केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोगो से संक्रमित अनुदान अन्तर्गत पंचायतों में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के गतिविधि मानचित्रण विषय में, इस क्रम में निदेशक पंचायती राज का पत्र संख्या 3409/लेखा/15वॉ वित्त आयोग/2022–23 दिनांक 27/12/2022 को निर्गत निर्देश।

4.19 राज्य में लागू और समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अध्याय V, धारा 114 और धारा 115 के तहत, नगर निगम के अनिवार्य और विवेकाधीन कर्तव्यों के लिए विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं।

4.20 उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 7 और 8 के तहत नगर पालिकाओं के कर्तव्यों और कार्यों के प्रावधान हैं, और अध्याय V धारा 128 के तहत कर लगाने के प्रावधान हैं। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 172 और 173 के तहत संपत्ति और अन्य कर लगाने के प्रावधान हैं।

4.21 उपर्युक्त सभी संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों, जो जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं को शक्तियाँ, अधिकार एवं कर्तव्य प्रदान करते हैं, के बावजूद अब तक के व्यवहार एवं अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि इन संस्थाओं को पर्याप्त रूप से सशक्त, सुदृढ़ अथवा संसाधनों से युक्त नहीं किया गया है। कार्य, कार्मिक एवं वित्तीय संसाधनों का संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हस्तांतरण नहीं किया गया है तथा न ही इन संस्थाओं को जिला विकास योजना के निर्माण एवं अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में समुचित सहभागिता प्राप्त है। ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का क्षेत्र पंचायत विकास योजनाओं के साथ, क्षेत्र पंचायत विकास योजनाओं का जिला पंचायत विकास योजनाओं के साथ तथा जिला पंचायत विकास योजनाओं का जिला विकास योजना के साथ समेकन/समावेशन नहीं हो रहा है। अतः समेकित जिला पंचायत विकास योजनाओं को जिला विकास योजना में समाहित या समेकित किए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। संविधान में निहित प्रभावी, लोकतांत्रिक एवं सहभागी जमीनी शासन की अवधारणा को साकार करने हेतु राज्य को इस संबंध में संवैधानिक अनिवार्यता के अनुरूप विधायी एवं प्रशासनिक प्रावधान करना आवश्यक है।

4.22 उत्तराखंड सरकार द्वारा 'सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस' की स्थापना की गई है। इस क्रम में एक पुस्तिका (2021) "उत्तराखण्ड त्रिस्तरीय पंचायत योजना : मॉडल प्लान" प्रकाशित की गई है, जिसके माध्यम से 'ग्राम पंचायत विकास योजना', 'क्षेत्र पंचायत विकास योजना' तथा 'जिला पंचायत विकास योजना' के प्रारूप (ड्राफ्ट) के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाशित की गई है। इसमें 'उत्तराखंड विजन 2030', भारतीय संविधान के 73वाँ संशोधन/संविधान की 11वीं अनुसूची तथा सतत विकास लक्ष्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। सतत् विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 17 लक्ष्यों एवं 169 उप–लक्ष्यों के संदर्भ में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य स्तर पर 369 संकेतकों तथा जिला स्तर पर 125 संकेतकों की पहचान की गई है।

4.23 सतत् विकास लक्ष्यों के अन्तर्गत 169 उप–लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने की प्रतिबद्धता भारत सरकार द्वारा जताई गई है और **"सबका साथ सबका विकास व सबका विश्वास"** सिद्धान्त के आधार पर

उत्तराखण्ड राज्य ने भी इस सम्बन्ध में प्रतिबद्धता को इंगित किया है। इस दिशा में **'उत्तराखण्ड विजन 2030'** का निमार्ण कर लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु समन्वयन, युक्तिकरण तथा नेटवर्किंग [Coordination,Convergence and Networking (C2N)] मॉडल के अनुसार सामुदाय आधारित संस्थाओं (CBOs), शैक्षिक एवं शोध संस्थानों, अकादमियों, बुद्धिजीवी वर्ग की भागीदारी के साथ–साथ **सतत् विकास लक्ष्यों** के स्थानीयकरण हेतु ग्रामीण एवं नगरीय निकायों व गैर सरकारी संगठनों को जोड़े जाने का प्रयास किये जाने को भी इंगित किया है। **सतत् विकास लक्ष्यों** की सूची निम्नानुसार अवलोकनीय है–

1. प्रदेश में सब जगह गरीबी का सभी रूपों में अन्त करना।
2. भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण सुनिश्चित करना तथा सतत् कृषि को बढ़ावा देना।
3. स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और आजीवन तंदुरूस्ती को बढ़ावा देना।
4. समावेशी न्याय संगत तथा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी के लिए आजीवन शिक्षा प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना।
5. लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं एवं बालिकाओं का सशक्तिकरण करना।
6. सभी के लिए स्वच्छ जल एवं स्वच्छता का सतत् प्रबन्धन सुनिश्चित करना।
7. सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद, सतत और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
8. सभी के लिए सतत्, समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी योजना और उचित कार्य को बढ़ावा देना।
9. समुत्थानशील अवसंरचना का निर्माण करना, समावेशी व संधारणीय औद्यौगिकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को प्रोत्साहन करना।
10. अर्न्तराज्यीय असमानताओं को कम करना।
11. शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, समुत्थानशील और संधारणीय बनाना।
12. सतत् उपभोग व उत्पादन पद्धति सुनिश्चित करना।
13. जलवायु परिवर्तन एवं इनके प्रभावों से निपटने के लिए तात्कालिक कार्यवाही करना।
15. स्थलीय पारिस्थिकी–तंत्रों का संरक्षण एवं पुनरूद्धार करना, इनके सतत् उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत् तरीके से प्रबंधन करना, भूमि अवक्रमण को रोकना और प्रतिवर्तित करना तथा जैव–विविधता की हानि को रोकना।
16. स्तत् विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना।
17. कार्यान्वयन प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण करना और सतत् विकास के लिए वैश्विक भागीदारी सुनिश्चित करना।

    (**टिप्पणी–** चौदहवॉ सतत् विकास लक्ष्य 'सागरों, महासागरों और समुद्री संसाधनों के सतत् विकास' है, इस कारण उल्लेख नहीं किया गया है।)

4.24 उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड राज्य ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार कुछ कदम उठाए हैं और साथ ही, 'उत्तराखंड विजन 2030' के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है और ऐसा करने के लिए, पंचायतों और नगर पालिकाओं को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में सक्षम और सशक्त बनाने के लिए उन्हें शामिल करने की प्रतिबद्धता दिखाई गई है।

4.25 इन सबके बावजूद पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'भारतीय लोक प्रशासन संस्थान' के माध्यम से कराये गये अध्ययन में उत्तराखण्ड राज्य में पंचायतों की प्रदर्शन श्रेणी किसी भी श्रेणी संकेतक में उत्साहवर्धक नहीं है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्ययनानुसार उत्तराखण्ड राज्य की प्रदर्शन श्रेणी नीचे तालिका 4.1 में उद्धरित है–

तालिका 4.1
राज्यों की प्रदर्शन श्रेणी (संक्षिप्त)

वर्गो अनुसार राज्य	हस्तान्तरण संकेताक श्रेणी/अंक (DI Ranking/Score)	तंत्र (Framework) श्रेणी/अंक	कार्य (Functions) श्रेणी/अंक	वित्त (Finances) श्रेणी/अंक	कार्यकर्ता (Functionaries) श्रेणी/अंक	क्षमता निर्माण (Capacity Building) श्रेणी/अंक	जवाबदेही (Accountability) श्रेणी/अंक
सामान्य श्रेणी राज्य	कर्नाटक/प्रथम/72.23	केरल/प्रथम/83.56	तमिलनाडु/प्रथम/60.24	कर्नाटक/प्रथम/70.65	गुजरात/प्रथम/90.24	तेलगाना/प्रथम/86.19	कर्नाटक/प्रथम/81.33
	उत्तर प्रदेश/पंचम/60.07	उत्तर प्रदेश/तेरहवॉ/54.64	उत्तर प्रदेश/छठवां/46.89	उत्तर प्रदेश/सातंवा/51.76	उत्तर प्रदेश/ग्यारहवां/63.13	उत्तर प्रदेश/छठवां/74.44	उत्तर प्रदेश/चतुर्थ/76.07
	झारखंण्ड/अठारहवॉ/27.73	झारखण्ड/अठारहवॉ/42.30	गोवा/अठारहवॉ/6.63	गोवा/अठारहवॉ/26.88	पंजाब/अठारहवॉ/8.20	झारखण्ड/अठारहवॉ/24.72	झारखण्ड/अठारहवॉ/16.47
उत्तर पूर्वी/पर्वतीय राज्य	त्रिपुरा/प्रथम/57.58	उत्तराखण्ड/प्रथम/70.95	सिक्किम/प्रथम/42.59	त्रिपुरा/प्रथम/59.16	हिमाचल/प्रथम/70.06	हिमाचल/प्रथम/83.68	त्रिपुरा/प्रथम/70.69
	हिमाचल प्रदेश/द्वितीय/53.17	हिमाचल प्रदेश/चतुर्थ/62.22	हिमाचल प्रदेश/तृतीय/23.01	हिमाचल प्रदेश/द्वितीय/48.41	उत्तराखण्ड/तृतीय/60.49	उत्तराखण्ड/चतुर्थ/56.02	उत्तराखण्ड/तृतीय/52.72
	उत्तराखण्ड/तृतीय/49.11	मणिपुर/सातवॉ/34.05	उत्तराखण्ड/पंचम/16.68	उत्तराखण्ड/तृतीय/47.11	–	मणिपुर/सातवॉ/3.75	हिमाचल/चतुर्थ/39.41
	मणिपुर/सातवॉ/19.13	–	मणिपुर/सातवॉ/11.23	अरूणाचल प्रदेश/सातवॉ/6.83	अरूणाचल प्रदेश/सातवॉ/5.74	–	अरूणाचल प्रदेश/सातवॉ/22.56

स्रोत– Status of Devolution to Panchayats in States 2024 (IIPA)

टिप्पणीः मणिपुर एवं अरूणाचल के सम्बन्ध में पुराने आकड़े का उपयोग किया गया है।

4.26 पंचायतों को शक्ति, प्राधिकार तथा हस्तान्तरण के सम्बन्ध में देश में राज्यों की प्रदर्शन स्थिति नीचे तालिका 4.2 में दर्शित है–

तालिका 4.2

क्र0सं0	संकेतक विवरण	संकेतकवार प्रदर्शन स्थिति	देश के औसत प्रदर्शन के सापेक्ष राज्यों की स्थिति (ऊपर/नीचे)
1.	तंत्र (Framework)	केरल /प्रथम	औसत से ऊपर
		उत्तराखण्ड/पंचम	औसत से ऊपर
		हिमाचल प्रदेश/चौदहवॉ	औसत से ऊपर
		उत्तर प्रदेश/अठारहवॉ	औसत के निकट
2.	कार्य (Functions)	तमिलनाडु/प्रथम	औसत से ऊपर
		उत्तर प्रदेश/छठवॉ	औसत से ऊपर
		हिमाचल प्रदेश/अठारहवॉ	औसत से नीचे
		उत्तराखण्ड/बाईसवॉ	औसत के नीचे
3.	वित्त (Finances)	कर्नाटक/प्रथम	औसत से ऊपर
		उत्तर प्रदेश/आठवॉ	औसत से ऊपर
		हिमाचल प्रदेश/दसवॉ	औसत से ऊपर
		उत्तराखण्ड/ग्यारहवॉ	औसत से ऊपर
4.	कार्यकर्ता (Functionaries)	गुजरात/प्रथम	औसत से ऊपर
		हिमाचल प्रदेश/आठवॉ	औसत से ऊपर
		उत्तर प्रदेश/तेरहवॉ	औसत से ऊपर

		उत्तराखण्ड / पंद्रहवॉ	औसत से ऊपर
5.	क्षमता वृद्धि (Capacity Enhancement)	तेलंगाना / प्रथम हिमाचल प्रदेश / चतुर्थ उत्तर प्रदेश / आठवॉ उत्तराखण्ड / सोलहवॉ	औसत से ऊपर औसत से ऊपर औसत से ऊपर औसत से ऊपर
6.	जवाबदेही (Accountability)	कर्नाटक / प्रथम उत्तर प्रदेश / चतुर्थ उत्तराखण्ड / बारहवॉ हिमाचल प्रदेश / बीसवॉ	औसत से ऊपर औसत से ऊपर औसत से ऊपर औसत के नीचे

स्रोत–Status of Devolution to Panchayats in States 2024 (IIPA)

4.27 भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन में निम्नलिखित कुल छः संकेतक- मापदण्डों के लिए राज्यों की स्थिति के आधार पर अंक देते हुए राज्यों की प्रदर्शन श्रेणी आंकलित की गई है। संकेतक-मापदण्ड एवं उनके अन्तर्गत स्थिति निम्नानुसार है–

1. **तंत्र–** यह मापदंड संविधानिक प्रावधानों के अनुरूप राज्यों द्वारा किए गए विधिक प्रावधानों से संबंधित है, जिसके अंतर्गत पंचायतों के नियमित चुनाव कराना, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, राज्य वित्त आयोग का गठन तथा जिला योजना समिति की स्थापना के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन किया गया है।

   इस मापदंड में उत्तराखंड 70.95 अंकों के साथ राष्ट्रीय औसत 54.29 अंकों की तुलना में यद्यपि पाँचवें स्थान पर है तथापि, निर्वाचित पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व समयबद्ध चुनाव कराने में असमर्थता तथा अंतरिम अवधि में पंचायतों को 'प्रशासकों' के नियंत्रण में रखे जाने (अर्थात् दो लगातार चुनावों के मध्य निर्वाचित पंचायतों का अभाव) के कारण उत्तराखण्ड का प्रदर्शन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। कार्यरत राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व नए राज्य निर्वाचन आयुक्त की समय पर नियुक्ति तथा राज्य वित्त आयोग के समयबद्ध गठन के विषय भी महत्वपूर्ण हैं।

   यद्यपि राज्य में जिला योजना समिति का गठन किया गया है, तथापि 'ग्राम पंचायत विकास योजना', 'क्षेत्र पंचायत विकास योजना', 'जिला पंचायत विकास योजना' अथवा शहरी स्थानीय निकायों की योजनाओं का 'जिला योजना' के साथ समेकन एवं एकीकरण नहीं किया जा रहा है। यदि यह सुनिश्चित किया जाए, तो उत्तराखंड राज्य की प्रदर्शन श्रेणी में और सुधार संभव है।

   जिला योजना समिति उप–मापदंड के अंतर्गत उत्तराखंड का स्थान 21वाँ है, जबकि उत्तर प्रदेश 12वें तथा हिमाचल प्रदेश 17वें स्थान पर है। स्वायत्तता के मामले में उत्तराखंड राजस्थान और कर्नाटक के पश्चात् तृतीय स्थान पर है, तथापि अन्य मापदंडों, विशेषकर ग्यारहवीं अनुसूची के अनुरूप कार्यों के हस्तांतरण के आधार पर और सुधार की आवश्यकता प्रतीत होती है।

   यहां यह दृष्टव्य है कि तंत्र आयाम के अंतर्गत पंचायतों का चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला योजना समिति, समानांतर निकायों के साथ पंचायतों की भूमिका, पंचायतों को स्वायत्तता तथा कार्यकाल / विघटन / उप–चुनाव संबंधी बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है। नियमित चुनाव कराने में असमर्थता एवं दो चुनावों के मध्य अंतर के मापदंड पर उत्तराखंड देश में 14वें स्थान पर है, जबकि हिमाचल प्रदेश 3रे तथा उत्तर प्रदेश 15वें स्थान पर है। जिला योजना समिति के मापदंड में

उत्तराखंड 21वें स्थान पर है। कामकाज सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर आधारित राज्य निर्वाचन आयोग मापदंड में उत्तराखंड 7वें स्थान पर है, यद्यपि नियमित चुनाव के संदर्भ में इसका स्थान 14वाँ है।

समानांतर निकायों के मापदंड परिप्रेक्ष्य में भी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा राज्यों की श्रेणियों की तुलना की गई है, जिसमें उत्तराखंड 14वें स्थान पर है। समानांतर निकायों का तात्पर्य उन इकाइयों से हैं जिनका कार्यक्षेत्र पंचायतों के कार्यक्षेत्र में अधिव्याप्त है। इन सामान्तर निकायों की स्थिति का मूल्यांकन पंचायती राज संस्थाओं के प्रति उनकी जवाबदेही एवं समन्वय के आधार पर संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित विषयों के संदर्भ में पंचायतों के निर्णय लेने एवं प्रभावी कामकाज में इन्हें सहयोगी इकाइयों के रूप में देखते हुए किया गया है।

2. **कार्य–** संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों को संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित स्थानीय कार्य पंचायतों को हस्तांतरित करने हैं। इस मापदंड में उत्तराखंड 16.68 अंकों के साथ 22वें स्थान पर है, जो राष्ट्रीय औसत 29.18 अंकों से काफी कम है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश 46.89 अंकों के साथ 6वें तथा हिमाचल प्रदेश 23.01 अंकों के साथ 18वें स्थान पर है।

   योजना क्रियान्वयन में पंचायतों की भूमिका के मापदंड पर उत्तराखंड देश में 24वें स्थान पर है। यह मापदंड विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी को मापने हेतु अपनाया गया है। इससे स्पष्ट है कि उत्तराखंड में योजना क्रियान्वयन में पंचायतों की भूमिका नगण्य है।

3. **वित्त–** इस संकेतक के अंतर्गत केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुदानों को ससमय निर्गत करना, राज्य वित्त आयोग का नियमित एवं प्रभावी संचालन, राज्य वित्त आयोग की धनराशि का पंचायतों को हस्तांतरण, पंचायतों की राजस्व संग्रहण शक्ति, पंचायतों के पास निधि उपलब्धता, राज्य के कुल सार्वजनिक व्यय के सापेक्ष पंचायतों का प्रतिशत व्यय तथा लेखा एवं बजट संबंधी पहलुओं का मूल्यांकन किया गया है। इस मापदंड में उत्तराखंड 47.11 अंकों के साथ 11वें स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश 51.45 अंकों के साथ 7वें तथा हिमाचल प्रदेश 48.41 अंकों के साथ 10वें स्थान पर है।

   वित्त संकेतक अन्तर्गत उत्तराखण्ड, केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदानों को निर्गत करने के संदर्भ में 11वें स्थान पर है। राज्य वित्त आयोग के नियमित एवं प्रभावी कार्य के मामले में उत्तराखण्ड 18वें स्थान पर है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर समय पर कार्यवाही न करने तथा धनराशि के समय पर हस्तांतरण/निर्गम में असमर्थता आधार पर उत्तराखंड का 24वाँ स्थान है।

   कर एवं करेत्तर राजस्व अधिरोपण की शक्ति के मामले में उत्तराखंड 6वें स्थान पर है तथा पंचायतों के पास निधि की उपलब्धता के संदर्भ में यह 20वें स्थान पर है। राज्य के कुल सार्वजनिक व्यय के सापेक्ष पंचायतों के व्यय प्रतिशत के उप–मापदंड में उत्तराखंड 19वें स्थान पर है। वित्त, लेखा एवं बजट उप–मापदंड के अंतर्गत ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायतों के बजट का उनके विकास योजनाओं के साथ समेकन/एकीकरण तथा अभिलेखों के ऑनलाइन प्रकटीकरण के संदर्भ में उत्तराखंड 13वें स्थान पर है।

4. **कार्मिक–** इस संकेतक के अंतर्गत मूल्यांकन पंचायतों की क्षमता– जैसे भौतिक आधारभूत संरचना, ई–कनेक्टिविटी, पंचायतों के कर्मियों तथा कार्मिकों के स्वीकृत एवं वास्तविक रूप से कार्यरत पदों के आधार पर किया गया है। 60.49 अंकों के साथ उत्तराखंड 15वें स्थान पर है, जबकि हिमाचल प्रदेश 70.06 अंकों के साथ 8वें तथा उत्तर प्रदेश 63.13 अंकों के साथ 13वें स्थान पर है।

5. **क्षमता संवर्द्धन–** इस मापदंड में पंचायतों को सक्षम स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक पहलुओं का मूल्यांकन किया गया है। प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की पर्याप्तता पर विचार किया गया है। इस संकेतक में उत्तराखंड 56.02 अंकों के साथ 16वें स्थान पर है, जबकि हिमाचल प्रदेश 83.68 अंकों के साथ 4थे (पूर्वोत्तर/पर्वतीय राज्यों में प्रथम) तथा उत्तर प्रदेश 74.44 अंकों के साथ 8वें स्थान पर हैं।

6. **जवाबदेही–** यह मापदंड पंचायतों की जनता के प्रति जवाबदेही तथा निष्पक्ष एवं दक्ष कार्यप्रणाली से संबंधित है। इसके लिए पंचायतों के लेखा एवं लेखापरीक्षा, सामाजिक समपरीक्षा, ग्राम सभा की कार्यप्रणाली, पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार–निरोधक तंत्र सहित पंचायतों का आकलन एवं प्रोत्साहन को विचारित किया गया है। इस संदर्भ में उत्तराखंड 52.72 अंकों के साथ देश में 12वें स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश 76.07 अंकों के साथ 4थे तथा हिमाचल प्रदेश 39.41 अंकों के साथ हम से नीचे 20वें स्थान पर है।

4.28 उक्त के अतिरिक्त विभिन्न मापदण्डों /संकेतकों अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य की देश में स्थिति नीचे की तालिका में उद्धरित है–

तालिका 4.3

क्र.सं.	विवरण	उत्तराखण्ड राज्य का देश में स्थान	टिप्पणी
1.	भौतिक ढांचा	दसवॉ	पंचायत घर, कम्प्यूटर, आधुनिक संचार सुविधा, टेलीफोन, इन्टरनैट इत्यादि।
2.	ई–कनैक्टीविटी	सोलहवॉ	आई.सी.टी. उपयोग, ई–मेल, नेटवर्क आदि
3.	पंचायत कर्मचारी	बाइसवॉ	पंचायत सचिव, तकनीकी/ गैरतकनीकी सहायक, स्वीकृत पदों के सापेक्ष भरे पद इत्यादि।
4.	प्रशिक्षण संस्थान	बीसवॉ	
5.	प्रशिक्षण क्रियाकलाप	सत्रहवॉ	
6.	चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण	उन्नीसवॉ	
7.	लेखा तथा लेखा संपरीक्षा	पन्द्रहवॉ	
8.	समाजिक संपरीक्षा	ग्यारहवॉ	
9.	ग्राम सभा का कार्यचालन	दसवॉ	
10.	परदर्शिता एंव भ्रष्टाचार विरोधिता	चौदहवॉ	सिटीजन चार्टर, वार्षिक प्रतिवदेन, आर. टी.आई. इत्यादि
11.	पंचायत मूल्यांकन तथा प्रोत्साहन	उन्नीसवॉ	राज्य द्वारा मूल्याकंन/अंक योजना हेतु की गई व्यवस्था, पुरस्कार (पंचायतों/चुने हुए प्रतिनिधियो के लिए), खराब प्रदर्शन वाली पंचायतों के क्रियाकलाप अभिवृद्धि हेतु सहायता क्रियाविधि/तंत्र की स्थापना।

स्रोत–Status of Devolution to Panchayats in States 2024 (IIPA)

उक्त के अतिरिक्त, छठवॉ राज्य वित्त आयोग द्वारा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के माध्यम से कराये गये अध्ययन ने दर्शाया है कि उत्तराखण्ड में 7903 ग्राम पंचायतों में से 6668 के पास स्थाई पंचायत भवन है, परिणामतः प्रति ग्राम पंचायत औसत पंचायत घर उपलब्धता 0.84 है। इसकी तुलना में हिमाचल प्रदेश में प्रति ग्राम पंचायत औसत पंचायत घर उपलब्धता 0.87 है।

4.29 पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के आग्रह पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन में उल्लिखित उपर्युक्त स्थिति से स्पष्ट है कि उत्तराखंड राज्य को पंचायतों को स्वायत्त, सक्षम एवं जवाबदेह बनाने तथा निर्वाचित स्थानीय स्वशासन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। यद्यपि इन में से कुछ, जैसे ई–कनेक्टिविटी एवं वित्तीय संसाधन मामलों में, राज्य को केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, तथापि अधिकांश विषयों में राज्य को देश में विभिन्न संकेतक–मापदंडों के अंतर्गत उच्च श्रेणी प्राप्त करने हेतु आवश्यक एवं उपयुक्त कदम उठाने होंगे तथा संवैधानिक प्रावधानों को अक्षरशः एवं भावना अनुरूप वास्तविक रूप से लागू करने की आवश्यकता है।

4.30 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में तथा सप्तम अनुसूची की सूची–1, सूची–2 एवं सूची–3 (क्रमशः संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची) के अंतर्गत संसद एवं राज्य विधानसभाओं द्वारा विधि निर्माण हेतु विषयों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। सप्तम अनुसूची की सूची–2 (राज्य सूची) में उल्लिखित अनेक विषय अनुच्छेद 243 छ एवं 243ब के अंतर्गत ग्यारहवीं एवं बारहवीं अनुसूचियों में भी सम्मिलित हैं। परिणाम स्वरूप, इन विषयों से संबंधित कार्यों में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उसकी संस्थाओं/निकायों तथा पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों के मध्य स्वाभाविक रूप से कार्यों का अधिव्यापन है। अनुच्छेद 243छ एवं 243ब में यह प्रावधान है कि राज्य की विधान सभा विधि द्वारा पंचायतों/नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ, अधिकार एवं दायित्व हस्तांतरित करे जिससे वे स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में सक्षम बन सकें। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय वित्तपोषित, राज्य वित्त पोषित (जैसे जिला योजना) एवं बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा योजनाऐ बनाना, कार्यों का चिन्हीकरण, स्वीकृति आदि कार्य सीधे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, परियोजना निदेशालयों, निगमों, प्राधिकरणों एवं अन्य समानांतर निकायों द्वारा किए जा रहे हैं और इनकी कार्यप्रणाली में स्थानीय स्वशासन निकायों की अत्यंत सीमित भूमिका है, क्योंकि राज्य की ये संस्थाएँ पंचायतों एवं नगरपालिकाओं से प्रायः, यहां तक कि स्थानीय स्वशासन निकायों के क्षेत्राधिकार के भीतर भी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। अतः **यह वांछनीय है कि ग्यारहवीं एवं बारहवीं अनुसूचियों में उल्लिखित विषयों सहित उनसे संबंधित समस्त गतिविधियों के संदर्भ में पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों की विषयवार एवं गतिविधि वार सहभागिता/भूमिका/अभिसरण को स्पष्ट रूप से मानचित्रित एवं परिभाषित किया जाए, ताकि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति भी सुनिश्चित की जा सके।**

4.31 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए किए गए अपनी संपरीक्षा में शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में उत्तराखंड राज्य की स्थिति का मूल्यांकन किया है। इसमें शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने की प्रबल अनुशंसा की गई है, ताकि ये निकाय 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी कार्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन कर सकें। इस अध्याय के बिंदु 4.6 में भाग–IX क, अनुच्छेद 243ब तथा बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 18 विषयों का पूर्व में ही संदर्भ दिया जा चुका है।

4.32 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपने संपरीक्षा प्रतिवेदन में संवैधानिक प्रावधानों अनुरूप नगरीय स्थानीय निकायों के वास्तविक संस्थागत प्रक्रिया का आकलन किया है, जो नीचे तालिका 4.4 में निम्नवत् उद्धरित है–

तालिका 4.4

क्र. सं.	कार्य	बारहवीं अनुसूची का क्रमांक	क्रियाकलाप	कार्यों का निष्पादित करने वाले प्राधिकरण
1.	कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण।	15	• आवारा (पशुओं) को पकड़ना एवं रखना। • वंध्यकरण तथा रेबीज रोधी। • पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना।	पशुपालन विभाग एवं नगरीय स्थानीय निकाय।
2.	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आंकड़े।	16	• सूचना प्राप्त करने हेतु अस्पतालों एवं श्मशान आदि से समन्वय। • डेटाबेस का अनुरक्षण और अद्यतन करना।	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सम्बन्धित जनपदों में नगरीय स्थानीय निकाय।
3.	वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनिमयन।	18	• जनवरों एवं मांस की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।	नगरीय स्थानीय निकाय, खाद्य सुरक्षा विभाग (अनापत्ति प्रमाण पत्र)।
			• अपशिष्ट का निस्तारण। • वधशालाओं का संचालन एवं अनुरक्षण।	नगरीय स्थानीय निकाय।
4.	पथ प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप एवं जन सुविधाऐं सहित सार्वजनिक सुख सुविधाऐं।	17	• पथ प्रकाश की स्थापना एवं अनुरक्षण।	सम्बन्धित जनपद में नगरीय स्थानीय निकाय, सम्बन्धित जनपद में विकास प्राधिकरण।
			• बस मार्गों का निर्णय एवं संचालन।	परिवहन विभाग।
			• पार्किंग स्थलों का निर्माण व अनुरक्षण।	नगरीय स्थानीय निकाय, परिवहन विभाग।
			• सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण एवं अनुरक्षण।	नगरीय स्थानीय निकाय।
5.	मलिन बस्ती सुधार एवं प्रोन्नयन।	10	• लाभार्थियों का चिन्हाकन।	नगरीय स्थानीय निकाय, जिला प्रशासन।
			• किफायती आवास	नगरीय स्थानीय निकाय, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।
			• प्रोन्नयन	
6.	शव गाड़ना तथा कब्रिस्तान, शवदाह, श्मशान।	14	• श्मशानों एवं कब्रिस्तानों का निर्माण तथा अनुरक्षण और विद्युत शवदाह गृह।	नगरीय स्थानीय निकाय, सिंचाई विभाग, निजी ट्रस्ट, वक्फ बोर्ड।
7.	आर्थिक और सामाजिक विकास का नियोजन।	03	• आर्थिक क्रियाकलापों के लिए कार्यक्रम क्रियान्वयन।	नेशनल अरबन लाइवलीहुड मिशन (NULM) और नगरीय स्थानीय निकाय।
			• सामाजिक विकास के लिए नीतियां।	समाज कल्याण और नगरीय स्थानीय निकाय।
8.	नगरीय सुख–सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था।	12	• पार्कों और उद्यानों का निर्माण। • संचालन एवं अनुरक्षण।	सम्बन्धित विकास प्राधिकरण, नगरीय स्थानीय निकाय।
9.	सड़क और पुल	04	• सड़को का निर्माण और अनुरक्षण	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग

क्र. सं.	कार्य	बारहवीं अनुसूची का क्रमांक	क्रियाकलाप	कार्यों का निष्पादित करने वाले प्राधिकरण
				प्राधिकरण (NHAI), लोक निर्माण विभाग (PWD), नगर निगम एवं नगरीय स्थानीय निकाय।
			• पुलों, नालियों, फ्लाई ओवर, तथा फुटपाथ का निर्माण और अनुरक्षण।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), लोक निर्माण विभाग (PWD), सम्बन्धित जनपद में नगर निगम और नगरीय स्थानीय निकाय।
10.	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा–करकट प्रबंध।	06	• अस्पतालों और औषधालयों का अनुरक्षण। • प्रतिरक्षण/टीकाकरण।	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
			• जन्म व मृत्यु का पंजीकरण।	नगरीय स्थानीय निकाय।
			• संक्रामक रोगों से प्रभावित मुहल्लों की सफाई तथा विसंक्रमण।	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नगरीय स्थानीय निकाय।
			• कूड़ा–करकट प्रबन्धन।	सम्बन्धित जनपद में नगरीय स्थानीय निकाय।
			• सार्वजनिक बाजारों का नियंत्रण व पर्यवेक्षण।	नगरीय स्थानीय निकाय एवं छावनी परिषद्।
11.	नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि।	08	• वनीकरण • हरियाली बढ़ाना	प्रतिपूरक वनीकरण प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (CAMPA), वन विभाग।
			• जागरूकता अभियान। • पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि।	वन विभाग द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान (NEAC), गैर सरकारी संगठन (NGOs), समुदाय आधारित संगठन (CBOs) ।
			• जल स्रोतों आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अनुरक्षण।	(CAMPA), वन विभाग, जल संस्थान, और नगरीय स्थानीय निकाय।
12.	समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप में मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा।	09	• लाभार्थियों का चिन्हांकन • तिपहिया साइकिलों जैसे उपकरण/लाभ प्रदान करना।	समाज कल्याण विभाग और नगरीय स्थानीय निकाय।
			• आवास कार्यक्रम	नगरीय स्थानीय निकाय, सम्बन्धित जनपद में विकास प्राधिकरण।
			• छात्रवृत्तियां।	समाज कल्याण विभाग।
13.	नगरीय निर्धनता उन्मूलन।	11	• लाभार्थियों का चिन्हांकन।	नेशनल अरबन लाइवलीहुड मिशन (NULM) और नगरीय स्थानीय निकाय।
			• आजीविका और रोजगार।	आवासन एवं शहरी मामलों सम्बन्धी मंत्रालय (MoUHA)।
			• फुटपाथ विक्रेता।	नगरीय स्थानीय निकाय।

क्र. सं.	कार्य	बारहवीं अनुसूची का क्रमांक	क्रियाकलाप	कार्यों का निष्पादित करने वाले प्राधिकरण
14.	सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि।	13	• विद्यालय एवं शिक्षा	विद्यालयी शिक्षा विभाग।
			• मेले एवं त्यौहार।	नगरीय स्थानीय निकाय, परियोजना क्रियान्वयन इकाई।
			• सांस्कृतिक भवन/संस्थान।	पर्यटन विभाग।
			• विरासत।	पर्यटन विभाग।
			• सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यकरण।	नगरीय स्थानीय निकाय, पर्यटन विभाग।
15.	नगरीय योजना सहित नगर नियोजन।	01	• मास्टर प्लान/विकास योजना/जोनल प्लान, मास्टर प्लान विनियमों का प्रवर्तन।	उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, जनपद विकास प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर/ नैनीता/ चम्पावत।
			• भवन उपविधियों व अनुमतियों का प्रवर्तन।	
			• समूह आवास तथा औद्योगिक क्षेत्रों का विकास।	सिडकुल (SIDCUL), पी.पी.पी. प्रकोष्ठ।
16.	भूमि उपयोग का विनयमन और भवनों का निर्माण।	02	• भू–उपयोग का विनयमन।	सम्बन्धित जनपदों में विकास प्राधिकरण तथा राजस्व विभाग।
			• भवन योजनाओं / ऊँचे निर्माणों की स्वीकृति।	सम्बन्धित जनपद के विकास प्राधिकरण।
			• अवैध भवनों का ध्वस्तीकरण।	सम्बन्धित जनपद के विकास प्राधिकरण।
17.	घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु जल प्रदाय।	05	• जल वितरण।	पेयजल निगम तथा जल संस्थान।
			• संयोजन देना।	
			• संचालन तथा रख–रखाव।	
			• मूल्य वसूली।	
18.	अग्निशमन सेवाऐं।	07	• फायर ब्रिगेड स्थापना और रख–रखाव।	उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग।
			• अग्नि अनापत्ति देना/ ऊँचे भवनों के लिए अनुमोदन प्रमाण पत्र।	सम्बन्धित जनपद के अग्निशमन विभाग तथा विकास प्राधिकरण।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रासंगिक संपरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, केवल 14 कार्य–विषय पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए गए हैं, जबकि 4 कार्य–विषय अभी हस्तांतरित किए जाने शेष हैं। राज्य शहरी विकास संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन अनुसार उत्तराखंड में, केवल 8 कार्य–विषय शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए गए हैं, जबकि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 2024 के अनुसार 11 कार्य–विषयों का हस्तान्तरण किया गया है।

4.33 संपरीक्षा रिपोर्ट में यह भी इंगित किया गया है कि नगरीय स्थानीय निकायों में चुनाव नियत समय पर, परिसीमन व आरक्षण कार्य में राज्य सरकार के स्तर से देरी होने के कारण, नहीं हो पाते और परिणामतः दो चुनावों के मध्य व्यवधान होता है। निम्नलिखित तालिका इसे दर्शाती है है–

चुनाव स्थिति विवरण

वर्ष	चुनाव की नियत तिथि	चुनाव की वास्तविक तिथि	टिप्पणी
2003	मार्च, 2002	03 फरवरी 2003	व्यवधान / विलम्ब
2008	14 फरवरी, 2008	21 अप्रैल, 2008	व्यवधान / विलम्ब
2013	04 मई, 2013	30 अप्रैल, 2013	कोई व्यवधान / विलम्ब नहीं
2018	03 मई, 2018	20 नवम्बर, 2018	व्यवधान / विलम्ब

स्रोत–भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा रिपोर्ट (31 मार्च, 2021)

4.34 लेखा परीक्षण प्रतिवेदन में यह भी इंगित किया गया है कि अनुच्छेद 243 ध के अनुसार नगर निगम देहरादून में वार्ड समितियों का गठन नहीं किया गया। यह भी उल्लेखित है कि वर्ष 2015–16 से 2019–20 की अवधि के दौरान, संविधान के अनुच्छेद 243 य घ के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों की किसी भी योजना को जिला योजना में सम्मिलित नहीं किया गया।

4.35 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संपरीक्षा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 74वें संविधान संशोधन का उद्देश्य मुख्य नागरिक कार्यों एवं दायित्वों को शहरी स्थानीय निकायों को सौंपना था, किंतु इसके विपरीत मुख्य नागरिक कार्य एवं जिम्मेदारियाँ विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा तथा कुछ अन्य कार्य समानांतर संस्थाओं द्वारा निरंतर संपादित किए जाते रहे।

4.36 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए, चयनित नमूना निकायों के आधार पर, प्रमुख एवं आवश्यक नागरिक कार्यों में से एक– 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' के प्रदर्शन की संपरीक्षा भी की है। वर्ष 2024 की रिपोर्ट संख्या–4 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुसार राज्य के शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी के निर्वहन हेतु व्यापक सुधार की आवश्यकता इंगित की गई है। इसके लिए राज्य सरकार एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले आवश्यक कार्यों के संबंध में स्पष्ट सुझाव भी दिये गये हैं।

4.37 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के परिप्रेक्ष्य में नमूना नगरीय स्थानीय निकायों के प्रदर्शन की स्थिति निम्नानुसार है–

क्र.सं.	गतिविधि विवरण	गतिविधि	स्थिति	टिप्पणी
1.	ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन परियोजनाओं के प्लान।	लघु एवं दीर्घकालीन विस्तृत ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन प्लान तैयार करना।	कोई नहीं बनाए गए।	–
2.	ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन के लिए आपातकालीन प्लान।	आपातकालीन स्थितियों के लिए वैकल्पिक प्लान तैयार करना।	कोई नहीं बनाए गए।	–
3.	घरेलू खतरनाक अपशिष्ठ	घरेलू खतरनाक अपशिष्ठ के उत्पादन, संग्रहण तथा निस्तारण के आकड़े रखना।	कोई नहीं रखे जा रहे हैं तथा अपशिष्ठ निस्तारण केन्द्र स्थापित नहीं।	–
4.	निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ठ।	निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ठ के प्रबन्धन हेतु उपनियम बनाना, संग्रहण हेतु व्यवस्था करना तथा प्रोसेसिंग / निस्तारण स्थान के लिए स्थल चिन्हित	कोई विनियमावली नहीं बनाई गई, देहरादून के अतिरिक्त कहीं कोई स्थान चिन्हित नहीं, देहरादून को छोडकर शेष में संग्रहण / निस्तारण के	–

क्र.सं.	गतिविधि विवरण	गतिविधि	स्थिति	टिप्पणी
		करना, आंकड़े रखना।	आकड़े रखे नहीं गए।	
5.	ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन विनियमावली, 2016 के अधीन निकायों द्वारा उपनियम।	ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन विनियमावली बनाना।	अधिकांश निकायों द्वारा कोई उपनियम नहीं बनाए गए।	कदाचित अब 92 निकायों (2023 अन्त) द्वारा बनाई हैं।
6.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	नगर निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ठ का आधारभूत अपशिष्ठ विश्लेषण (आधारभूत अध्ययन)। अपनी आवश्यकता/ स्थिति अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाना।	अभाव (कोई ऐसे अध्ययन/ विश्लेषण नहीं)। दूसरे निकाय से नकल की स्थिति। परियोजना रिपोर्ट बिना भूमि उपलब्धता के तैयार व स्वीकृत करने से कार्य आरम्भ नहीं होना। कम क्षमता की परियोजनाऐं तैयार/ स्वीकृत।	
7.	कूड़ा के पुराने डम्प स्थानों का जैविक उपचार/ढकना।	पांच वर्ष की समयावधि	अभी लम्बित (4 नमूना निकायों)।	–

4.38 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संपरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन एवं निस्तारण के संबंध में यह पाया गया कि राज्य स्तर पर उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट का लगभग 5 से 8 प्रतिशत (नमूना शहरी स्थानीय निकायों में 8 से 16 प्रतिशत) इन निकायों द्वारा संग्रहीत नहीं किया जाता है और संग्रहीत अपशिष्ट के विरुद्ध केवल लगभग 3.13 प्रतिशत (100 प्रतिशत के सापेक्ष) का ही पृथक्करण किया जाता है। कचरा बीनने वालों की पहचान न किए जाने तथा उनके पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ न किए जाने की ओर भी संकेत किया गया है। यह भी दर्शाया गया है कि अपशिष्ट स्थानांतरण केंद्र (वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन) आवासीय क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं।

ठोस अपशिष्ट संग्रहण वाहन बिना ढके हुए पाए गए। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्षित सेवा स्तर मानक संकेतकों के विरुद्ध प्रदर्शन निम्न पाया गया। अपशिष्ट डंपिंग स्थलों की अनुपलब्धता का भी उल्लेख किया गया है। द्वार से द्वार अपशिष्ट का संग्रहण न होने के कारण कचरा सड़कों एवं नालियों आदि में बिखरा हुआ पाया गया। कई (8–9 प्रतिशत) अपशिष्ट परिवहन वाहन बिना पंजीकरण एवं बीमा के संचालित हो रहे पाए गए; घरों से कचरा संग्रहण करने वाले इनमें से अधिकांश वाहनों में जीपीएस प्रणाली (लगभग 54 प्रतिशत में) स्थापित नहीं पाई गई। संबंधित एजेंसी द्वारा रियायत अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन (देहरादून में) भी प्रतिवेदित किया गया है। जहाँ वैज्ञानिक अपशिष्ट भराव स्थल उपलब्ध हैं, वहाँ ठोस अपशिष्ट से प्राप्त 'अपशिष्ट व्युत्पन्न ईधन' को भराव स्थलों से बाहर भेजा नहीं जा रहा है। तदनुसार यह इंगित किया गया है कि प्रासंगिक नियमों/मानकों तथा रियायत अनुबंध की संबंधित धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है।

4.39 प्रतिवेदन में स्रोत स्तर पर कचरे के पृथक्करण की न्यूनता (अर्थात् 100 प्रतिशत पृथक्करण न होना) की ओर भी संकेत किया गया है तथा 100 प्रतिशत घरों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएँ उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

4.40 प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित है कि उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नियमों के प्रवर्तन के संबंध में प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।

4.41 राज्य शहरी विकास संस्थान द्वारा छः शहरी स्थानीय निकायों– क्रमशः नैनीताल, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, मसूरी, पौड़ी एवं चम्पावत– में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी परिवहन तथा जल उपलब्धता एवं जलापूर्ति विषयों पर प्रकाशित एक अध्ययन प्रतिवेदन (दिसम्बर 2024) में यह पाया गया है कि अध्ययनाधीन सभी नगरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के निर्वहन में शिथिलता पाई गई।

4.42 'प्रजा फाउन्डेशन', मुंबई (भारत) द्वारा चुने गये शहरों के सम्बन्ध में शहरी स्थानीय निकायों के प्रदर्शन स्थिति का श्रेणीकरण 4 मुख्य विषयों /13 उप विषयों एवं 42 संकेतकों के आधार पर किया गया है। यह संस्था वर्ष 2020 से ऐसा श्रेणीकरण कर रही है। इस श्रेणीकरण में उत्तराखंड के देहरादून नगर का चयन किया गया है।

श्रेणीकरण अध्ययन के लिए विचार किए गए चार आधारभूत विषय निम्नलिखित हैं–

1 सशक्त नगर निर्वाचित प्रतिनिधि एवं विधायी संरचना।
2 सशक्त नगर प्रशासन।
3 सशक्त नागरिक।
4 वित्तीय सशक्तिकरण।

इस सूचकांक/श्रेणीकरण में 28 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कुल 31 नगरों को सम्मिलित किया गया है। शहरी शासन संरचना पहलु के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा शहरी सरकारों को शक्तियों का विकेंद्रीकरण तथा नगर सरकार की नागरिकों के प्रति जवाबदेही प्रणाली का मूल्यांकन किया गया है।

4.43 शहरी सरकार का सशक्तिकरण नागरिकों को सर्वोत्तम सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह देश के आर्थिक विकास एवं असमानता की समस्या के समाधान के लिए मार्ग काफी सुनिश्चित कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यह देखा गया है कि जहाँ स्थानीय सरकार निर्णय लेने के लिए सशक्त किये गये है, वहाँ आर्थिक विकास अधिक तीव्र एवं स्थायी है।

4.44 इस अध्ययन में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि **प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर अपेक्षा व्यक्त की है कि शहरी सरकारें प्रतिवर्ष कम से कम दो सुधारों को लागू करें।**

4.45 प्रजा फाउन्डेशन द्वारा चिन्हित शहरों में शहरी शासन के सम्बन्ध में देश के राज्यों के मध्य उनके प्रदर्शन की स्थिति का श्रेणीकरण किया है। जिसमें उत्तराखण्ड की स्थिति निम्नानुसार पाई गई है–

राज्य (शहर)	शहरी शासन संकेतक		सशक्त प्रतिनिधि एवं विधायी संरचना		सशक्त नगर प्रशासन		सशक्त नगरिक		वित्तीय सशक्तीकरण	
	अंक (100 में से)	श्रेणी क्रम	अंक (30 में से)	श्रेणी क्रम	अंक (15 में से)	श्रेणी क्रम	अंक (25 में से)	श्रेणी क्रम	अंक (30 में से)	श्रेणी क्रम
उत्तराखण्ड (देहरादून)	38.79	17	10.69	19	3.96	09	11	20	13.14	16
हिमाचल प्रदेश (शिमला)	42.02	13	8.81	25	3.84	11	15	9	14.37	14
उत्तर प्रदेश (लखनऊ)	40.70	16	12.56	13	2.22	24	09	24	16.92	06

(स्रोतः प्रजा फाउन्डेशन का शहरी शासन सूचकांक 2024)

4.46 प्रजा फाउन्डेशन द्वारा किये गये शहरी शासन सूचकांक, 2024 में उत्तराखण्ड राज्य के 2024 के जनसंख्या अनुमान निम्नानुसार लिए गये हैं–

राज्य	जनसंख्या अनुमान 2024			
	कुल	शहरी	ग्रामीण	कुल के सापेक्ष शहरी जनसंख्या प्रतिशत
उत्तराखण्ड	1,17,95,000	43,07,000	74,88,000	37
हिमाचल प्रदेश	75,18,000	7,78,000	67,40,000	10
उत्तर प्रदेश	23,88,75,000	5,78,50,000	18,10,25,000	24

स्रोत–प्रजा फाउन्डेशन का 'शहरी शासन सूचकांक, 2024'

उक्त वर्णित साहित्य अनुसार नगर निगम देहरादून की अनुमानित जनसंख्या (2024) कुल 7,23,446 तथा जनसंख्या घनत्व 10,611 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. इंगित किया गया है।

4.47 जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संपरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेखित है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी यह इंगित किया है कि "यथासंभव कार्यों का निष्पादन शासन की उस सबसे छोटी इकाई द्वारा किया जाना चाहिए जो नागरिकों के सर्वाधिक निकट हो, तथा केवल तब ही उन्हें उच्च स्तर पर प्रत्यायोजित किया जाए जब स्थानीय इकाई उस कार्य को संपादित करने में असमर्थ हो, अन्यथा, प्रत्येक विषय/कार्य के संबंध में स्पष्ट विभाजन के अभाव में अनावश्यक भ्रम, दोहराव एवं अपव्यय की स्थिति उत्पन्न होती है"। आयोग ने यह भी उल्लेख किया है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके कुछ भागों का निष्पादन शासन की सबसे छोटी इकाई द्वारा किया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य पहलुओं को, जो राज्य में एक रूप प्रणाली बनाने के लिए आवश्यक हो, राज्य स्तर पर रखा जा सकता है। प्रशासनिक सुधार आयोग का यह भी मत है कि विभिन्न स्तरों पर तथा शहरी स्थानीय निकायों/पंचायतों के मध्य कार्यों एवं दायित्वों का सुस्पष्ट विभाजन होना चाहिए।

4.48 संपरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेख है कि 'अमृत मिशन' के अंतर्गत राज्यों को ग्यारह सुधारों को लागू करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें 74वें संविधान संशोधन (बारहवीं अनुसूची) के अनुसार 18 कार्यों के हस्तांतरण हेतु 12 माह की अवधि निर्धारित की गई थी। उल्लेखनीय है कि अमृत मिशन जून 2015 में प्रारंभ हुआ था। इस संबंध में जमीनी स्तर पर कोई उल्लेखनीय प्रगति परिलक्षित नहीं होती।

4.49 संपरीक्षा में यह पाया गया है कि उत्तराखंड राज्य में प्रभावी शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित अधिनियमों के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को कोई अतिरिक्त कार्य अथवा दायित्व हस्तांतरित नहीं किए गए। इसके विपरीत, कुछ कार्य इन निकायों से लेकर अन्य संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिए गए। संपरीक्षा रिपोर्ट में यह और इंगित है कि राज्य को 74वें संविधान संशोधन /12वीं अनुसूची अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को विषय /कार्य हस्तान्तरण के तीन अवसर थे और ये थे– 1993 (74वें संशोधन उपरान्त), 2007 (द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट पर) एवं 2016 में (अमृत मिशन के प्रारम्भ होने पर) परन्तु राज्य ने हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कार्रवाई नहीं की। इसी तरह यह सुधार ऐजेन्डा 'जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन' अन्तर्गत सम्मिलित था कि नगर नियोजन कार्य शहरी स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित किया जाय और इस हेतु एक त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन (भारत सरकार, राज्य सरकार एवं शहरी स्थानीय निकायों के मध्य) निष्पादित हुआ और राज्य ने मिशन अन्तर्गत धन प्राप्त किया परन्तु उक्त सुधार एजेन्डा अनुसार वर्णित कार्यों को शहरी स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित नहीं किया गया।

4.50 संपरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 74वें संविधान संशोधन के पश्चात् भी उत्तराखंड राज्य में समानांतर संस्थाएँ न केवल यथावत् बनी रहीं, बल्कि उनके कार्य भी पूर्ववत् उनके पास ही रखे गए तथा सुविधा अनुसार नई

संस्थाओं का गठन भी किया गया। इस संदर्भ में उत्तराखण्ड में यथा प्रभावी उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 अन्तर्गत 'उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण' तथा जिला विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया।

4.51 आयोग को जिला स्तर पर आयोजित परामर्श बैठकों के दौरान शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अवगत कराया गया कि एक अवधि के उपरान्त जिला विकास प्राधिकरणों की भवन निर्माण अनुज्ञा सम्बन्धी गतिविधियाँ स्थगित कर दी गईं, किंतु जो अधिकार पूर्व में कुछ शहरी स्थानीय निकायों (उदाहरणार्थ अल्मोड़ा) द्वारा प्रयोग किए जा रहे थे, उन्हें पुनः उन्हें वापस नहीं सौंपा गया।

इसके परिणाम स्वरूप, एक ओर भवन निर्माण एवं शहरी नियोजन का विनियामक कार्य व्यवधानित हुआ, तो दूसरी ओर संबंधित निकाय के लिए राजस्व के एक महत्वपूर्ण स्रोत भी समाप्त हो गया। जो लोग अपने भवन मानचित्रों की स्वेच्छा से स्वीकृति कराना चाहते, वे इस विषय में स्पष्टता के अभाव के कारण असमंजस की स्थिति में हैं। इसी प्रकार आयोग के संज्ञान में एक मामला यह आया कि ग्राम पंचायतों के स्थान पर नगर पंचायतों (उदाहरणार्थ नगर पंचायत गरूड़) के गठन तथा कुछ नगर निकायों के उच्चीकरण अथवा विस्तार के कारण, जिन ग्राम क्षेत्रों को नवीन नगर पंचायतों अथवा उच्चीकृत/विस्तारित शहरी स्थानीय निकायों में सम्मिलित किया गया है, वहाँ संपत्ति कर, जो पहले जिला पंचायत वसूल कर रही थी, के स्थान पर गृहकर की वसूली को उन ग्रामों जो नई नगर पंचायतों एवं अन्य शहरी स्थानीय निकायों के भाग हुए, में राज्य सरकार द्वारा छूट दे कर रोक दिया गया। राज्य सरकार ने नवगठित नगर पंचायतों एवं अन्य शहरी स्थानीय निकायों में गृहकर अधिरोपण पर दस वर्ष की सामान्य छूट प्रदान की है, किंतु इसके लिए कोई प्रतिपूरक तंत्र स्थापित नहीं किया गया, जिससे इन नवगठित, उच्चीकृत अथवा विस्तारित शहरी स्थानीय निकायों की आय प्रभावित हुई है।

4.52 संपरीक्षा प्रतिवेदन में यह इंगित किया गया है कि परिसीमन एवं सीटों/वार्डों के आरक्षण के कारण शहरी स्थानीय निकायों के समयबद्ध चुनाव आयोजित नहीं किए गए। इसी प्रकार क्रमशः वर्ष 2018, 2019 एवं 2020 में राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय तथा जिला स्तरीय निर्वाचन कार्यालयों में अनेक पद रिक्त पाए गए।

4.53 संपरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015–16 से 2020–21 की अवधि में कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष स्वयं के स्रोत से प्राप्त राजस्व 10.16 प्रतिशत से 20.20 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि अनुदानों की तुलना में स्वयं का राजस्व केवल 16 प्रतिशत था। वर्ष 2015–16 से 2019–20 की अवधि में स्वयं के राजस्व की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 10.87 प्रतिशत रही, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 7.54 प्रतिशत वृद्धि दर से अधिक थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि शहरी स्थानीय निकाय राजस्व स्रोतों का दोहन करने में सक्षम हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित तालिका 4.5 में दिए गए विवरण (जैसा कि संपरीक्षा द्वारा प्रतिवेदित) ध्यान देने योग्य हैं।

तालिका 4.5

2015–16 से 2020–21 की अवधि मे शहरी स्थानीय निकायो की राजस्व प्राप्ति स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	अनुदान	स्वंय का राजस्व	कुल राजस्व	कुल राजस्व के सापेक्ष स्वयं का राजस्व प्रतिशत
2015–16	177 163	482.60	92.91	575.51	16.14
2016–17	195 125	480.16	121.57	601.73	20.20
2017–18	220 222	830.55	152.85	983.40	15.54
2018–19	230 327	867.55	137.16	1004.71	13.65

2019–20	236 988	894.40	139.95	1034.35	13.53
2020–21	234 660	1202.19	136.02	1338.21	14.09
योग		4757.45	780.46	5537.91	-
चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर।	7.54	16.70	10.87	15.80	-

स्रोत–भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष की संपरीक्षा रिपोर्ट [टिप्पणी–वर्ष 2020–21 में कोविड के कारण सी.ए.जी.आर. आगणित नहीं किया गया; शहरी विकास निदेशालय द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तैयार तालिका]

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि शहरी स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व के सापेक्ष अनुदान से प्राप्त राजस्व कहीं अधिक है और स्वयं का राजस्व कुल राजस्व के सापेक्ष केवल 10.16 प्रतिशत से 20.20 प्रतिशत तक ही है। यद्यपि राज्य सकल घरेलू उत्पाद के चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (7.54) के सापेक्ष इन नगरीय निकायों के स्वयं के राजस्व की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर अधिक (10.87) रही है तथापि वर्ष 2017–18 के बाद इसमें वर्ष वार गिरावट हुई है। वर्ष 2020–21 में यद्यपि कोविड महामारी का प्रकोप रहा तथापि उससे पूर्व के दो वर्षों में स्वयं के राजस्व में हुई कमी चिन्ता का विषय है।

4.54 उपरोक्त स्थिति के विपरीत, संपरीक्षा में पाया गया कि कुछ मामलों में शहरी स्थानीय निकाय अपनी स्वयं की आय में वृद्धि हेतु प्रभावी प्रयास नहीं करते हैं तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए विनियम/उपविधियाँ नहीं बनाते हैं। तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार राज्य में राज्य स्तरीय कर बोर्ड का गठन नहीं किया गया है।

4.55 संपरीक्षा प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को एक वर्ष के भीतर अपने विनियम बनाने थे, परंतु 19 नमूना निकायों में से केवल 03 ने ही नए विनियम बनाए हैं, जबकि अन्य निकायों में वर्ष 2000 के नियमों के अनुसार बनाए गए विनियम ही लागू हैं। यह भी पाया गया कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण कुछ निकाय सड़कों के किनारे ठोस अपशिष्ट को डाल रहे हैं, अनेक निकाय पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में अपशिष्ट को भराव स्थलों या सड़कों के किनारे बिना उपचार के डाल रहे हैं तथा कुछ निकाय सड़कों के किनारे ही अपशिष्ट का पृथक्करण कर रहे हैं।

4.56 संपरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेख है कि आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के सर्वेक्षण के अभाव में मासिक उपयोगकर्ता शुल्क की मांग का आकलन सुनिश्चित नहीं किया जा सका, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की आवर्ती हानि हो रही है।

4.57 संपरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार चोदहवें वित्त आयोग तथा तृतीय राज्य वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों में स्व–मूल्यांकन के आधार पर संपत्ति कर प्रारंभ करने की संस्तुति की थी। देहरादून नगर निगम द्वारा इसे क्रियान्वित किया गया और यह पाया गया कि नई कर निर्धारण प्रक्रिया में वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 में संपत्ति कर संग्रह में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके बावजूद नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में इस प्रक्रिया का कार्यान्वयन लंबित रहा। नगर पंचायत भगवानपुर ने विनियम अधिसूचित होने के उपरांत भी संपत्ति कर वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की और संबंधित गृहस्वामियों को नोटिस भेजने का भी कष्ट नहीं किया। संपरीक्षा प्रतिवेदन में यह पाया गया कि मार्च 2020 के अंत में ₹27.57 करोड़ का संपत्ति कर बकाया वसूली हेतु लंबित था, जिसमें से 51.43 प्रतिशत

शासकीय संपत्तियों पर लंबित था। कुछ निकायों में शासकीय संपत्तियों पर कोई संपत्ति कर आरोपित ही नहीं किया गया।

4.58 मार्च 2020 के अंत तक 11 नमूना निकायों में दुकानों एवं संपत्तियों के किराये की वसूली (₹2.4 करोड़) भी लंबित पाई गई।

4.59 नगर पालिका परिषद, मंगलोर को छोड़कर किसी अन्य निकाय ने दूरसंचार कंपनियों या अन्य उपयोगिता सेवाओं द्वारा भूमिगत केबल बिछाने के लिए शुल्क आरोपित करने संबंधी विनियम नहीं बनाए हैं।

4.60 संपरीक्षा में पाया गया कि 'उत्तराखंड मलिन बस्तियों का सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध नियम, 2016' के अंतर्गत राज्य सरकार स्तर पर मलिन बस्ती सुधार कार्रवाई में शिथिलता रही है। इस संबंध में यह भी पाया गया कि शहरी स्थानीय निकायों एवं सरकार के बीच भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को लेकर भ्रम, असंवाद एवं समन्वय का अभाव है। नियमों के अनुसार राज्य सरकार को 'मलिन बस्ती कोष निधि' की स्थापना करनी थी, जो (सितंबर 2020 तक) लंबित थी।

4.61 प्रधानमंत्री आवास योजना कुछ मामलों में विभिन्न कारणों से कार्यान्वित नहीं की गई या कुछ निकायों में लंबित रही अथवा विभिन्न स्तरों पर लंबित है। कुछ मामलों में लाभार्थियों की अनुपलब्धता, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के तैयार न होने अथवा परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति लंबित रहने आदि कारणों से योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका।

4.62 उत्तराखंड नगरपालिका लेखा मैनुअल के अनुसार उपार्जन आधारित लेखांकन के अंतर्गत द्वि–प्रविष्टि पद्धति से लेखा संधारण का प्रावधान है। इसके बावजूद, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अब भी एकल–प्रविष्टि पद्धति से लेखा संधारण किया जा रहा है।

4.63 तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित किए जाने हेतु डाटाबेस प्रारूप जारी किए थे, ताकि संबंधित निकाय इन प्रारूपों में वित्त/लेखा संबंधी डाटाबेस तैयार करें, परंतु संपरीक्षा में पाया गया कि ये निकाय इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। शहरी विकास विभाग द्वारा यह सूचित किया गया है कि प्रशिक्षित/नियमित कर्मचारियों की कमी है।

4.64 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा ने अपने संपरीक्षा प्रतिवेदन में राज्य सरकार को प्रत्येक पहलू पर विस्तृत एवं स्पष्ट संस्तुतियाँ की हैं। यद्यपि आयोग को इनके अनुपालन की स्थिति की जानकारी नहीं है, तथापि शहरी स्थानीय निकायों एवं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रतीत होता है कि इन संस्तुतियों पर संभवतः कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है।

अध्याय–5

राज्य की भू–भौतिकीय और जनसांख्यिकीय प्रास्थिति

5.1 उत्तराखंड राज्य का गठन देश के 27वें राज्य के रूप में 09.11.2000 को 'उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000' के अंतर्गत हुआ। वर्ष 1994 में मुख्यतः महिलाओं के नेतृत्व में हुए स्वस्फूर्त एवं उग्र राज्य आंदोलन ने उत्तराखंड राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तराखंड, एक विशिष्ट भौगोलिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में राष्ट्र और स्थानीय नागरिकों की चेतना में प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है। यहां की आबादी का केवल 3 प्रतिशत भाग अन्य पिछडा वर्ग में होते हुए भी तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में भी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्णय, राज्य आंदोलन का प्रमुख कारण बना। क्षेत्र–विशिष्ट विकास मॉडल के अभाव में विकास की कमी तथा यह धारणा कि एक बड़े राज्य का छोटा भाग होने के कारण यह क्षेत्र राजकोष में कोई उल्लेखनीय राजस्व योगदान नहीं दे रहा था, भी हमेशा कारण रहे। परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों में उपेक्षा और अलगाव की मानसिक तथा प्रत्यक्ष भावना सदैव बनी रही। राज्य आंदोलन के प्रति तत्कालीन राज्य सरकार के कठोर रवैये ने स्थिति को और उग्र बना दिया और अंततः नए राज्य का गठन अवश्यंभावी हो गया। अविभाजित उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भाग तथा हरिद्वार जनपद (जिसमें मुजफ्फरनगर और बिजनौर जनपदों के कुछ गाँव सम्मिलित किए गए) से मिलकर यह राज्य 'उत्तरांचल' नाम से स्थापित हुआ, जिसका नाम बाद में 'उत्तराखंड' हुआ।

5.2 उत्तराखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (उत्तराखंड सांख्यिकी डायरी 2023–24 के अनुसार) 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 46,035 वर्ग किलोमीटर पर्वतीय क्षेत्र तथा 7,448 वर्ग किलोमीटर मैदानी क्षेत्र है। राज्य का लगभग 86 प्रतिशत भाग पर्वतीय है, जबकि लगभग 14 प्रतिशत भाग मैदानी है। राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ उत्तर एवं पूर्व में क्रमशः तिब्बत (चीन) (350 किमी) तथा नेपाल (275 किमी) से मिलती हैं। पश्चिम और दक्षिण में क्रमशः हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश स्थित हैं। पर्वतीय क्षेत्र का एक बड़ा भाग हिमाच्छादित है और रहने योग्य नहीं है। राज्य के अति उत्तरी क्षेत्रों के निवासी शीतकाल में निचले गाँवों में प्रवास करते हैं। पर्वतीय गाँवों में एक ओर उपयुक्त आजीविका अवसरों, गुणवत्तापूर्ण विद्यालयों और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव तथा दूसरी ओर बार–बार आने वाली आपदाएँ, पर्यावरणीय बाधाऐ, बढ़ते मानव–वन्यजीव संघर्ष, निर्वाह कृषि तथा सरकारी नौकरियों के प्रति झुकाव के कारण अधिकांश लोगों में बाहर, प्रमुख रूप से मैदानी शहरी केंद्रों, निकटवर्ती शहरों या कम से कम सड़क–सुविधा वाले क्षेत्रों की ओर, पलायन की प्रवृत्ति है। निरंतर हो रहे इस पलायन के कारण हजारों पर्वतीय गाँव 'भूतिया गाँव' में परिवर्तित हो गए हैं। इस प्रवृत्ति ने राज्य में शहरीकरण को भी तीव्र किया है और इससे शहरी, परि–नगरीय क्षेत्रों तथा जनगणना नगरों में लगातार बढ़ती जनसंख्या के दृष्टिगत उन्हें समुचित रूप में विकसित और सुसज्जित करने की चुनौती विद्यमान है।

5.3 निम्नलिखित तालिका में राज्य के जनपदों के भौगोलिक क्षेत्रफल का विवरण प्रदर्शित है–

तालिका 5.1

जनपदवार भौगोलिक क्षेत्रफल

क्र.स.	जनपद	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	टिप्पणी
1-	उत्तरकाशी	8016	पूर्णतः पर्वतीय
2-	चमोली	8030	पूर्णतः पर्वतीय

क्र.स.	जनपद	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	टिप्पणी
3-	टिहरी गढ़वाल	3642	पर्वतीय
4-	देहरादून	3088	पर्वतीय एवं मैदानी
5-	पौडी गढ़वाल	5329	पर्वतीय एवं मैदानी
6-	रूद्रप्रयाग	1984	पूर्णतः पर्वतीय
7-	पिथौरागढ़	7090	पूर्णतः पर्वतीय
8-	अल्मोड़ा	3139	पूर्णतः पर्वतीय
9-	नैनीताल	4251	पर्वतीय एवं मैदानी
10-	बागेश्वर	2246	पूर्णतः पर्वतीय
11-	चम्पावत	1766	पर्वतीय एवं मैदानी
	कुल पर्वतीय जनपद	48581	
12-	उधमसिंह नगर	2542	पूर्णतः मैदानी
13-	हरिद्वार	2360	पूर्णतः मैदानी
	कुल मैदानी जनपद	4902	
	कुल योग (उत्तराखंड)	**53483**	

(स्रोत – सांख्यिकी डायरी उत्तराखंड, 2023–24)

5.4 उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों में केवल दो जिले, अर्थात् हरिद्वार और उधम सिंह नगर, पूर्णतः मैदानी हैं, जबकि 7 जिले पूर्णतः पर्वतीय हैं और 4 जिले आंशिक रूप से मैदानी हैं। गाँवों से शहरी केंद्रों और सड़क–सुविधा वाले क्षेत्रों की ओर लगातार हो रहे पलायन ने राज्य के सामने तीव्र शहरीकरण की चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं।

5.5 कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वनाच्छादित क्षेत्रफल लगभग 24,303.83 वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग 45.44 प्रतिशत है (भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, जैसा कि राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2024–2025 भाग–1 में उल्लिखित है)। यह उल्लेखनीय है कि राज्य के गठन के तुरंत बाद वनाच्छादित क्षेत्रफल (क्षरित वन को सम्मिलित करते हुए) को राज्य के कुल क्षेत्रफल के सापेक्ष 63 प्रतिशत उद्धृत किया गया था, जैसा कि प्रथम राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय–1 में वर्णित है।

5.6 यद्यपि वनाच्छादित क्षेत्र धीरे–धीरे घटता दिखायी देता है, तथापि हिमाच्छादित क्षेत्र, विस्तृत वनाच्छादित क्षेत्र और हिम पोषित बारहमासी नदियाँ न केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे हिमालय क्षेत्र, देश और संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए उपयोगी हैं। यद्यपि वन और पर्यावरण का संरक्षण मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, परन्तु पर्वतीय अर्थव्यवस्थाएँ इसकी वर्जनाओं के कारण काफी नुकशान में रहती है क्योंकि उन्हें इनके अनुरक्षण एवं संरक्षण की लागत के साथ–साथ अवसर लागत को झेलना पड़ता है एवं उन्हें इस संसाधन के प्रतिफल का वैसा लाभ नहीं मिल पाता जैसा अन्य क्षेत्रों के लोग प्राप्त करते हैं। इसलिए यह उक्त वर्णित चुनौतियों एवं समस्या के कारण यह स्वाभाविक है कि ये कारक राज्य के भौतिक/आर्थिक विकास की गति को प्रभावित करते हैं।

5.7 जनगणना 2001 के अनुसार नव–निर्मित उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या 84,79,562 थी और उसी अनुसार जनगणना 2011 आधार पर जनसंख्या घनत्व 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जनगणना 2011 के अनुसार, राज्य की जनसंख्या 1,00,86,292 थी और जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था।

5.8 निम्नलिखित तालिका (तालिका 5.2) वर्ष 1901 से 2011 तक राज्य और देश के संदर्भ में जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व की तुलना प्रस्तुत करती है—

तालिका 5.2

क्र.स.	वर्ष	जनसंख्या (लाख में)		जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर)	
		उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत
1	1901	20	2384	37	77
2	1911	21	2521	40	82
3	1921	21	2513	39	81
4	1931	23	2790	42	90
5	1941	26	3187	47	103
6	1951	29	3611	53	117
7	1961	36	4392	69	142
8	1971	45	5482	86	177
9	1981	57	6833	90	216
10	1991	71	8463	133	274
11	2001	85	10287	159	325
12	2011	101	12105	189	382

(स्रोत– सांख्यिकी डायरी उत्तराखंड 2023–24/भारत की जनगणना 2011)

5.9 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व देश की तुलना (जनगणना 2011 के अनुसार 382 की तुलना में 189) में कम है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक प्रतीत होगी, लेकिन सेवा प्रदान करने, बुनियादी ढांचे के विकास तथा इसके संचालन और रखरखाव के लिए प्रति व्यक्ति व्यय काफी अधिक होगा।

5.10 राज्य में जिलावार जनसंख्या घनत्व (जनगणना 2011 अनुसार) में भी भिन्नता है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट रूप से दर्शित है—

तालिका 5.3

क्र.स.	जनपद	कुल परिवार	परिवार की संख्या		कुल जनसंख्या	जनसंख्या घनत्व
			शहरी	ग्रामीण		
1	उत्तरकाशी	67602	5688	61914	330086	41
2	चमोली	88964	14646	74318	391605	49
3	टिहरी गढ़वाल	132714	17023	115691	618931	170
4	देहरादून	347001	202889	144112	1696694	549
5	पौडी गढ़वाल	161778	25598	136180	687271	129
6	रूद्रप्रयाग	53542	2660	50882	242285	122
7	पिथौरागढ़	114730	17759	96971	483439	68
8	अल्मोड़ा	140577	15368	125209	622506	198
9	नैनीताल	191383	76429	114954	954605	225
10	बागेश्वर	58046	2054	55992	259898	116
11	चम्पावत	53953	8212	45741	259648	147

क्र.स.	जनपद	कुल परिवार	परिवार की संख्या		कुल जनसंख्या	जनसंख्या घनत्व
			शहरी	ग्रामीण		
	कुल पर्वतीय जनपद	**1410290**	**388326**	**1021964**	**6546968**	**135**
12	उधमसिंह नगर	308581	109936	198645	1648902	649
13	हरिद्वार	338104	133627	204477	1890422	801
	कुल मैदानी जनपद	**646685**	**243563**	**403122**	**3539324**	**722**
	कुल योग (उत्तराखंड)	**2056975**	**631889**	**1425086**	**10086292**	**189**

(स्रोत– सांख्यिकी डायरी उत्तराखंड 2023–24/भारत की जनगणना 2011)

5.11 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मैदानी या आंशिक रूप से मैदानी जिलों में जनसंख्या घनत्व पर्वतीय जिलों की तुलना में काफी अधिक है।

5.12 निम्नलिखित तालिका में राज्य के जनपद वार कुल परिवारों के सापेक्ष शहरी परिवारों का प्रतिशत (जनगणना 2011 अनुसार) दर्शित है–

तालिका 5.4

क्र.स.	जनपद	शहरी परिवार	कुल परिवार	कुल परिवारों में शहरी परिवारों का प्रतिशत
1	उत्तरकाशी	5688	67602	8
2	चमोली	14646	88964	16
3	टिहरी गढ़वाल	17023	132714	13
4	देहरादून	202889	347001	58
5	पौडी गढ़वाल	25598	161778	16
6	रूद्रप्रयाग	2660	53542	5
7	पिथौरागढ़	17759	114730	15
8	अल्मोड़ा	15368	140577	11
9	नैनीताल	76429	191383	40
10	बागेश्वर	2054	58046	4
11	चम्पावत	8212	53953	15
	कुल पर्वतीय जनपद	**388326**	**1410290**	**28**
12	उधमसिंह नगर	109936	308581	36
13	हरिद्वार	133627	338104	40
	कुल मैदानी जनपद	**243563**	**646685**	**38**
	कुल योग (उत्तराखंड)	**631889**	**2056975**	**31**

5.13 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि देहरादून जनपद में सबसे अधिक शहरी परिवार हैं (58 प्रतिशत), इसके बाद नैनीताल और हरिद्वार (40 प्रतिशत) हैं। मैदानी जिलों में शहरी परिवारों का प्रतिशत (38 प्रतिशत) राज्य के औसत (31 प्रतिशत) से अधिक है।

5.14 जनगणना 2001 और 2011 अनुसार, जनपद वार ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है—

तालिका 5.5

क्र.स.	जनपद	जनगणना 2001		जनगणना 2011	
		ग्रामीण जनसंख्या (प्रतिशत)	शहरी जनसंख्या (प्रतिशत)	ग्रामीण जनसंख्या (प्रतिशत)	शहरी जनसंख्या (प्रतिशत)
1	उत्तरकाशी	92.21	7.79	92.64	7.36
2	चमोली	86.57	13.43	84.83	15.17
3	टिहरी गढ़वाल	90.33	9.67	88.67	11.33
4	देहरादून	47.06	52.94	44.48	55.52
5	पौडी गढ़वाल	87.05	12.95	83.60	16.40
6	रूद्रप्रयाग	98.8	1.2	95.90	4.10
7	पिथौरागढ़	87.86	12.14	85.60	14.40
8	अल्मोड़ा	91.44	8.56	89.99	10.01
9	नैनीताल	64.64	35.36	61.06	38.94
10	बागेश्वर	96.87	3.13	96.51	3.49
11	चम्पावत	85.42	14.58	85.23	14.77
	कुल पर्वतीय जनपद			72.97	27.03
12	उधमसिंह नगर	67.35	32.65	64.42	35.58
13	हरिद्वार	69.14	30.86	63.34	36.66
	कुल मैदानी जनपद			**63.84**	**36.16**
	कुल योग (उत्तराखंड)	**74.41**	**25.59**	**69.77**	**30.23**

स्रोत– सांख्यिकी डायरी उत्तराखंड 2023–24 और प्रथम राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट, अध्याय–1

5.15 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तरकाशी जनपद को छोड़कर, सभी जिलों में कुल जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या बढ़ी है, जो राज्य में बढ़ते शहरीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाता है। बढ़ती शहरीकरण की यह प्रवृत्ति वैश्विक स्तर पर भी है और देशों को इसके अनुरूप योजना बनाकर, शहरी भौतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना का लगातार विकास और विस्तार कर इससे निपटना ही है।

5.16 जनगणना 2011 उपरान्त उत्तराखंड राज्य के वार्षिक जनसंख्या अनुमान निम्नलिखित तालिका 5.6 में अवलोकनीय हैं—

तालिका–5.6

उत्तराखंड और भारत के वार्षिक जनसंख्या अनुमान (1 अक्टूबर, 2023 में)

क्र.स.	वर्ष	जनसंख्या (हजार में)	
		उत्तराखण्ड	भारत
1	2001 जनगणना	8578	1037952
2	2011 जनगणना	10164	1220116
3	2012	10298	1235992
4	2013	10432	1251868
5	2014	10565	1267744
6	2015	10699	1283620
7	2016	10830	1298531
8	2017	10959	1212753
9	2018	11088	1326974

क्र.स.	वर्ष	जनसंख्या (हजार में)	
		उत्तराखण्ड	भारत
10	2019	11217	1341196
11	2020	11346	1355417
12	2021	11468	1368587
13	2022	11587	1381005
14	2023	11706	1393424
15	2024	11824	1405842

स्रोत– सांख्यिकी डायरी उत्तराखंड, 2023–24/राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली

5.17 निम्नलिखित तालिका अनुसार 2024 में उत्तराखंड की अनुमानित जनसंख्या, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सापेक्ष दर्शित है, जैसा कि 'अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2024' में प्रजा फाउंडेशन, मुंबई द्वारा प्रकाशित किया गया है—

तालिका–5.7

क्र.स.	राज्य	शहरी जनसंख्या 2024	ग्रामीण जनसंख्या 2024	कुल जनसंख्या 2024	शहरी जनसंख्या का प्रतिशत
1	उत्तराखण्ड	43,07,000	74,88,000	1,17,95,000	37
2	हिमाचल प्रदेश	7,78,000	67,40,000	75,18,000	10
3	उत्तर प्रदेश	5,78,50,000	18,10,25,000	23,88,75,000	24

स्रोत – 'प्रजा' का अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2024

उपरोक्त तालिकाओं 5.6 और 5.7 का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और प्रजा फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2024 में लगभग समान हैं।

5.18 विभिन्न कारणों से उत्तराखंड में शहरीकरण की दर अपेक्षाकृत अधिक है। इस संदर्भ में, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तकनीकी समूह की रिपोर्ट (जुलाई 2020) के अनुसार, देश और हिमाचल प्रदेश की तुलना में उत्तराखण्ड राज्य में शहरीकरण की अनुमानित दर निम्नलिखित तालिका में इंगित है—

तालिका–5.8
शहरीकरण प्रतिशत

क्र.स.	राज्य	2011	2021	2026	2031	2036
1	उत्तराखण्ड	30.2	35.0	37.3	39.6	42.0
2	हिमाचल प्रदेश	10.0	10.3	10.4	10.5	10.6
3	उत्तर प्रदेश	31.1	34.4	36.0	37.5	39.1

स्रोत– भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तकनीकी समूह की रिपोर्ट (जुलाई 2020) आधार पर।

5.19 उत्तराखंड के अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा तैयार अनौपचारिक अनुमानों के अनुसार, राज्य की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या (जिसमें वन क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या भी शामिल है) लगभग 81,09,698 है, जो 2011 में 75,96,912 थी। उपरोक्त निदेशालय द्वारा अनौपचारिक रूप से उपलब्ध कराए

गए जनपद एवं विकास खण्ड वार जनसंख्या अनुमानों का विवरण निम्नलिखित तालिका 5.9 में दर्शित है—

तालिका–5.9

क्र. स.	जनपद	विकासखण्ड	गांव की कुल संख्या	कुल ग्रामीण जनसंख्या	
				जनगणना 2011	अनुमानित 2025
1	उत्तरकाशी	पुरोला	78	31863	34016
		मोरी	92	39691	42373
		नौगांव	184	65668	70105
		डांडा	123	59843	63885
		चिन्यालीसौड़	103	49641	52992
		भटवाड़ी	97	56405	60214
		वन उत्तरकाशी	30	2670	2851
				305781	**326436**
2	चमोली	जोशीमठ	95	29053	31013
		दशोली	122	39475	42129
		घाट	97	37408	39933
		पोखरी	140	35868	38290
		कर्णप्रयाग	219	39232	41883
		नारायणबगड़	153	30919	33006
		थराली	92	34124	36428
		देवाल	74	23925	25543
		गैरसैंण	230	61996	66179
		वन चमोली	24	209	222
				332209	**354626**
3	रूद्रप्रयाग	उखीमठ	145	50719	54143
		अगस्त्यमुनि	364	106881	114101
		जखोली	168	74759	79805
		वन रूद्रप्रयाग	11	1	1
				232360	**248050**
4	टिहरी	भिलंगना	268	109756	117167
		कीर्तिनगर	154	45629	48712
		प्रतापनगर	126	62618	66845
		जाखणीधार	151	47520	50731
		देवप्रयाग	256	51482	54959
		थौलधार	179	43403	46331
		जौनपुर	259	72219	77105
		चंबा	221	50950	54396
		नरेन्द्रनगर	213	81604	87111
		वन टिहरी	36	1627	1657
				566808	**605014**
5	देहरादून	चकराता	154	67258	71798
		कालसी	204	58228	62157
		विकासनगर	70	165663	176844
		सहसपुर	113	184381	196834
		रायपुर	115	165386	176551
		डोईवाला	81	221513	236464

क्र. स.	जनपद	विकासखण्ड	गांव की कुल संख्या	कुल ग्रामीण जनसंख्या	
				जनगणना 2011	अनुमानित 2025
		वन देहरादून	23	39143	41786
				901572	**962434**
6	पौडी	खिरसू	146	26731	28545
		कोट	266	23754	25348
		पौड़ी	214	28694	30631
		कल्जीखाल	274	29287	31272
		पाबौ	158	34645	36980
		थलीसैंण	224	59806	63846
		बीरोंखाल	267	40915	43673
		नैनीडांडा	305	32937	35162
		द्वारीखाल	234	38106	40680
		दुगडडा	283	131082	139936
		जहरीखाल	236	26493	28273
		एकेश्वर	269	28035	29936
		पोखड़ा	137	21199	22634
		रिखणीखाल	190	29466	31453
		यमकेश्वर	241	41334	44128
		वन पौडी	33	11568	12346
				604052	**644843**
7	पिथौरागढ	मुनस्यारी	223	46520	49666
		धारचूला	73	58413	62356
		डीडीहाट	167	33505	35765
		कनालीछीना	208	41652	44468
		बेरीनाग	284	50757	54186
		गंगोलीहाट	332	71920	76766
		पिथौरागढ़	166	64200	68530
		मूनाकोट	173	46557	49700
		वन पिथौरागढ़	49	310	330
				413834	**441767**
8	बागेश्वर	कपकोट	214	80014	85416
		बागेश्वर	497	102033	108924
		गरूड़	189	68617	73251
		वन बागेश्वर	47	155	162
				250819	**267753**
9	अल्मोड़ा	स्याल्दे	195	44747	47762
		चौखुटिया	171	46039	49147
		भिकियासैंण	202	32847	35061
		ताड़ीखेत	268	66831	71340
		सल्ट	259	56095	59880
		द्वाराहाट	432	60066	64124
		ताकुला	632	45883	48980
		भैसियाछाना	98	26634	28429
		हवालबाग	234	72613	77509
		लमगड़ा	218	52169	55688
		धौलादेवी	232	60620	64717
		वन अल्मोड़ा	39	814	869

क्र. स.	जनपद	विकासखण्ड	गांव की कुल संख्या	कुल ग्रामीण जनसंख्या	
				जनगणना 2011	अनुमानित 2025
				565658	**603506**
10	चम्पावत	चम्पावत	267	104657	111725
		पाटी	164	51971	55476
		बाराकोट	103	26676	28472
		लोहाघाट	154	45333	48395
		वन चम्पावत	30	658	700
				229295	**244768**
11	नैनीताल	बेतालघाट	133	41535	44340
		रामगढ़	130	39830	42518
		कोटाबाग	115	46924	50094
		भीमताल	108	52043	55555
		धारी	46	30346	32396
		ओखलकांडा	107	48337	51599
		रामनगर	187	97916	104523
		हल्द्वानी	256	227329	242677
		वन नैनीताल	73	87419	93322
				671679	**717024**
12	उधमसिंह नगर	काशीपुर	76	134253	143315
		जसपुर	106	126397	134935
		बाजपुर	115	137387	146663
		रूद्रपुर	93	207795	221823
		गदरपुर	69	134238	143298
		सितारगंज	125	176446	188356
		खटीमा	91	203220	216935
		वन उधमसिंह नगर	21	25943	27695
				1145679	**1223020**
13	हरिद्वार	भगवानपुर	87	228583	244016
		रूड़की	114	301268	321605
		नारसन	120	248251	265006
		बहादराबाद	136	357366	381492
		लक्सर	116	171889	183494
		खानपुर	53	53194	56787
		वन हरिद्वार	5	16915	18057
				1377466	**1470457**
		कुल जनसंख्या		**7596912**	**8109698**
		कुल वन जनसंख्या		**187432**	**199998**

स्रोत – उत्तराखंड अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय से प्राप्त जानकारी

5.20 उत्तराखंड अर्थ एवं संख्या निदेशालय से अनौपचारिक रूप से प्राप्त 2025 में शहरी स्थानीय निकायों की अनुमानित जनसंख्या का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शित है—

तालिका–5.10

क्र.स.	जनपद	शहरी स्थानीय निकाय	जनसंख्या जनगणना 2011 अनुसार	क्षेत्रविस्तार के बाद जनसंख्या	अनुमानित जनसंख्या 2025 में
1	देहरादून	नगर निगम देहरादून	569578	803983	1148806
		नगर पालिका परिषद विकासनगर	13927	24019	34321

क्र.स.	जनपद	शहरी स्थानीय निकाय	जनसंख्या जनगणना 2011 अनुसार	क्षेत्रविस्तार के बाद जनसंख्या	अनुमानित जनसंख्या 2025 में
		नगर पालिका परिषद मसूरी	30118	30118	43035
		नगर निगम ऋषिकेश	98899	106320	151920
		नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर	9782	12217	17457
		नगर पालिका परिषद डोईवाला	8709	55791	79719
		नगर पंचायत सेलाकुई	16880	16880	24120
		7	**747893**	**1049328**	**1499378**
2	हरिद्वार	नगर निगम हरिद्वार	228832	251197	358934
		नगर निगम रूड़की	184060	182515	260795
		नगर पालिका परिषद मंगलौर	52971	52994	75723
		नगर पंचायत झबरेड़ा	11186	11186	15984
		नगर पालिका परिषद लक्सर	21760	25754	36800
		नगर पंचायत लंढौरा	18370	18370	26249
		नगर पंचायत भगवानपुर	17179	17179	24547
		नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर	32000	33600	48011
		नगर पंचायत पिरान कलियर	19201	19439	27776
		नगर पंचायत ढंडेरा	23257	23276	33259
		नगर पंचायत इमलीखेड़ा	10236	10240	14632
		नगर पंचायत पाडली गुर्जर	21468	21468	30675
		नगर पंचायत रामपुर	17821	27364	39100
		नगर पंचायत आदमपुर सुल्तानपुर	16042	16047	22929
		14	**674383**	**710629**	**1015414**
3	उत्तरकाशी	नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी	17475	27102	38726
		नगर पालिका परिषद बड़कोट	6720	7414	10594
		नगर पंचायत गंगोत्री	110	110	157
		नगर पालिका परिषद पुरोला	7931	7931	11333
		नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड़	8844	8844	12637
		नगर पंचायत नौगांव	5174	5174	7393
		6	**46254**	**56575**	**80840**
4	चमोली	नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर	21447	21447	30645
		नगर पालिका परिषद जोशीमठ	16709	16709	23875
		नगर पंचायत बद्रीनाथ	2438	2438	3484
		नगर पंचायत नंदप्रयाग	1641	2441	3488
		नगर पालिका परिषद गोचर	8864	8864	12666
		नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग	8297	8897	12713
		नगर पंचायत पोखरी	6119	5295	7566
		नगर पंचायत गैरसैंण	8665	8665	12381
		नगर पंचायत थराली	4482	4649	6643
		नगर पंचायत पीपलकोटी	3521	3521	5031
		नगर पंचायत नंदानगर	-	2839	4057
		11	**82183**	**85765**	**122549**
5	टिहरी	नगर पालिका परिषद टिहरी	24014	24014	34313
		नगर पालिका परिषद नंदानगर	6033	6613	9449
		नगर पंचायत चम्बा	10457	10457	14942
		नगर पंचायत कीर्तिनगर	1517	2991	4274
		नगर पालिका परिषद देवप्रयाग	2868	3059	4371
		नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती	28636	28636	40918
		नगर पंचायत घनसाली	7775	7750	11074
		नगर पंचायत गजा	1800	2098	2998
		नगर पंचायत लम्बगांव	2330	1061	1516
		नगर पंचायत चमयाला	5306	5017	7169
		नगर पंचायत तपोवन	3890	3890	5558
		11	**94626**	**95586**	**136582**
6	**रूद्रप्रयाग**	नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग	9307	9313	13307
		नगर पंचायत केदारनाथ	612	612	874
		नगर पंचायत अगस्त्यमुनि	6557	6557	9369
		नगर पंचायत ऊखीमठ	3115	3638	5198

क्र.स.	जनपद	शहरी स्थानीय निकाय	जनसंख्या जनगणना 2011 अनुसार	क्षेत्रविस्तार के बाद जनसंख्या	अनुमानित जनसंख्या 2025 में
		नगर पंचायत तिलवाड़ा	2900	2398	3426
		नगर पंचायत गुप्तकाशी	-	3068	4384
		6	**22491**	**25586**	**36558**
7	पौड़ी	नगर पालिका परिषद पौड़ी	25440	25135	35915
		नगर निगम श्रीनगर	20115	37911	54171
		नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जोंक	4669	4617	6597
		नगर पालिका परिषद दुगड्डा	2422	2422	3461
		नगर निगम कोटद्वार	28859	135544	193678
		नगर पंचायत सतपुली	4345	4345	6209
		नगर पंचायत थलीसैंण	2982	2982	4261
		7	**88832**	**212956**	**304292**
8	**पिथौरागढ़**	नगर निगम पिथौरागढ़	56044	65502	93595
		नगर पालिका परिषद धारचूला	7039	7039	10058
		नगर पालिका परिषद डीडीहाट	6522	7969	11387
		नगर पालिका परिषद गंगोलीहाट	7112	7112	10162
		नगर पालिका परिषद बैरीनाग	7641	7641	10918
		नगर पंचायत मुनस्यारी	-	5354	7650
		6	**84358**	**100617**	**143770**
9	चम्पावत	नगर पालिका परिषद टनकपुर	17626	21484	30698
		नगर पालिका परिषद चम्पावत	11029	12756	18227
		नगर पालिका परिषद लोहाघाट	7926	7932	11334
		नगर पंचायत बनबसा	6023	6023	8606
		नगर पंचायत पाटी	2331	2331	3331
		5	**44935**	**50526**	**72196**
10	अल्मोड़ा	नगर निगम अल्मोड़ा	34125	38958	55667
		नगर पंचायत द्वारहाट	2749	2749	3928
		नगर पालिका परिषद रानीखेत	5050	5050	7216
		नगर पंचायत भिकियासैंण	3275	4214	6021
		नगर पंचायत चौखुटिया	4464	4464	6379
		5	**49663**	**55435**	**79211**
11	बागेश्वर	नगर पालिका परिषद बागेश्वर	9079	25045	35787
		नगर पंचायत कपकोट	5365	5365	7666
		नगर पंचायत गरूड़	5002	5227	7469
		3	**19446**	**35637**	**50922**
12	**नैनीताल**	नगर पालिका परिषद नैनीताल	41377	41377	59123
		नगर पालिका परिषद रामनगर	54787	62024	88626
		नगर पालिका परिषद भवाली	6309	8457	12084
		नगर निगम हल्द्वानी	171351	281215	401826
		नगर पालिका परिषद कालाढुंगी	7611	9878	14115
		नगर पालिका परिषद लालंकुआ	7644	7644	10922
		नगर पालिका परिषद भीमताल	7722	14882	21265
		7	**296801**	**425477**	**607961**
13	**उधमसिंह नगर**	नगर पालिका परिषद गदरपुर	19301	23289	33278
		नगर पालिका परिषद जसपुर	50523	56156	80241
		नगर निगम काशीपुर	121623	175819	251227
		नगर पालिका परिषद बाजपुर	25524	31172	44541
		नगर निगम रूद्रपुर	140857	175723	251090
		नगर पालिका परिषद किच्छा	41965	61777	88273
		नगर पालिका परिषद सितारगंज	29965	31185	44560
		नगर पालिका परिषद खटीमा	15093	76179	108852
		नगर पंचायत महुआडाबरा	7326	7326	10468
		नगर पालिका परिषद महुआखेड़ा गंज	12584	12584	17981
		नगर पालिका परिषद नगंला	5797	8613	12307
		नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी	9881	9881	14119
		नगर पंचायत कलाखेड़ा	10929	10929	15616
		नगर पंचायत दिनेशपुर	10802	11883	16980

क्र.स.	जनपद	शहरी स्थानीय निकाय	जनसंख्या जनगणना 2011 अनुसार	क्षेत्रविस्तार के बाद जनसंख्या	अनुमानित जनसंख्या 2025 में
		नगर पंचायत शक्तिगंढ	6309	7784	11123
		नगर पंचायत नानकमत्ता	8478	8478	12114
		नगर पंचायत गुलरभोज	4829	6957	9941
		नगर पंचायत लालपुर	3675	3975	5680
		नगर पंचायत गढ़नेगी	5497	5497	7855
		19	**583138**	**725207**	**1036246**
		Total	**2835003**	**3629324**	**5185919**

5.21 उपरोक्त तालिकाओं 5.9 और 5.10 से स्पष्ट है कि 2025 में राज्य की कुल अनुमानित जनसंख्या 1,32,95,617 के सापेक्ष अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या 81,09,698 (61 प्रतिशत) और अनुमानित शहरी जनसंख्या 51,85,919 (39 प्रतिशत) है।

5.22 हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की तुलना में उत्तराखंड राज्य की जनगणना जनसांख्यिकीय विवरण निम्नलिखित तालिका 5.11 में दर्शित है—

तालिका–5.11

क्र.स.	विवरण	उत्तराखण्ड	हिमाचल प्रदेश	उत्तर प्रदेश
1	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	53000	56000	241000
2	जनसंख्या 2011 (लाख में)	100.86	68.65	1998.12
3	जनसंख्या घनत्व	189	123	829
4	शहरी जनसंख्या 2011 (कुल जनसंख्या का प्रतिशत)	30.23	10.03	22.27
5	भारत की तुलना में जनसंख्या प्रतिशत (2011)	0.83	0.57	16.50
6	दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (2001 से 2011)	18.81	12.94	20.23
7	कुल परिवार 2011 (लाख में)	20.57	14.83	334.48

(स्रोत – उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25, भाग–1)

5.23 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि यद्यपि हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल हमारे राज्य के समान है और कई दृष्टिकोणों से उत्तराखंड से तुलनीय भी है, तथापि थोड़े अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल के बावजूद, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, शहरी जनसंख्या, कुल परिवारों की संख्या और दशकवार जनसंख्या वृद्धि उत्तराखंड की तुलना में कम है।

अध्याय–6

उत्तराखंड राज्य की आर्थिक स्थिति

6.1 उत्तराखंड राज्य का गठन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधीन 09 नवंबर, 2000 को पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के विभाजन द्वारा किया गया। इसी समय दो अन्य राज्यों– झारखंड तथा छत्तीसगढ़ का भी गठन क्रमशः पूर्ववर्ती बिहार एवं मध्य प्रदेश राज्यों के विभाजन के परिणामस्वरूप किया गया। उत्तराखण्ड राज्य भारतीय संघ का सत्ताईसवाँ राज्य बनाकर अस्तित्व में आया।

6.2 राज्य बनने के तुरंत बाद वर्ष 2001–02 में (अर्थात राज्य बनने के बाद पहला वित्तीय वर्ष) और वर्ष 2011–12 और 2023–24 में ऊपर बने दो दूसरे नए राज्यों की तुलना में उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति इस तरह है (तालिका 6.1)–

तालिका 6.1

अर्थव्यवस्था का आकार एवं प्रति व्यक्ति आय का विवरण

विवरण	वर्ष	उत्तराखण्ड	झारखण्ड	छत्तीसगढ़
अर्थव्यवस्था का आकार (करोड़ में)	2001-02	15826	35069	29539
	2011-12	115328	150918	158074
	2023-24	3,32,998	4,61,010	5,05,887
प्रति व्यक्ति आय (रुपये में)	2001-02	16232	11034	12170
	2011-12	100314	41254	55177
	2023-24	2,46,178	1,05,274	1,47,361

(स्रोत – आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25, भाग–1, उत्तराखण्ड)

6.3 उपर्युक्त आंकड़ों तथा बिंदु 6.2 में उल्लिखित विवरण से यह स्पष्ट है कि इन राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में भी पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नए राज्यों के गठन से शासन और प्रशासन जनता के और अधिक निकट आए तथा नागरिकों की सहभागिता के अवसर भी बढ़े। इसी तर्क के आधार पर कहा जा सकता है कि यदि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य, दायित्व, वित्तीय संसाधन एवं प्रशासनिक तंत्र का पूर्ण हस्तांतरण ग्रामीण पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों को कर दिया जाए, तो यह न केवल उनके वित्तीय एवं कार्यात्मक परिणामों को सुदृढ़ करेगा, बल्कि उन्हें नागरिकों को बेहतर, उत्तरदायी एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ तथा सुविधाएँ प्रदान करने के लिए भी सशक्त एवं प्रेरित करेगा। यह व्यवस्था संबंधित संवैधानिक संशोधनों की भावना के अनुरूप भी होगी। अनुसूची–11 एवं अनुसूची–12 में उल्लिखित विषयों से संबंधित सभी कार्य जब संबंधित स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को पर्याप्त शक्तियों, अधिकारों एवं स्वायत्तता के साथ हस्तांतरित किए जाएंगे, तब त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएँ तथा शहरी स्थानीय निकाय अपने दायित्वों का निर्वहन अधिक समन्वित, सक्षम एवं प्रभावी ढंग से अपने हितग्राहियों/नागरिकों के प्रति कर सकेंगे।

6.4 उत्तराखंड राज्य में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ा, यद्यपि 2020–21 में कोरोना महामारी के दौरान इसमें गिरावट आई। इस सम्बन्ध में उत्तराखंड की हिमाचल प्रदेश और देश के सापेक्ष विगत वर्ष वार तुलनात्मक विवरण नीचे तालिका 6.2 क और 6.2 ख में है–

तालिका 6.2 क

क्रम सं.	वर्ष	प्रचलित भावों पर अर्थव्यवस्था का आकार (करोड़ रुपये में)		
		उत्तराखंड	हिमाचल प्रदेश	भारत
1	2011-12	115328	72720	8736329
2	2012-13	131613	82820	9944013
3	2013-14	149074	94764	11233522
4	2014-15	161439	103772	12467959
5	2015-16	177163	114239	13771874
6	2016-17	195125	125634	15391669
7	2017-18	220222	138551	17090042
8	2018-19	230327	148383	18899668
9	2019-20	239263	159164	20103593
10	2020-21	225617	151905	19854096
11	2021-22	254966	170376	23597399
12	2022-23	292599	192026	26890473
13	2023-24 RE	315616	212169	30122956
14	2024-25 PE	350005	231690	33068145

तालिका 6.2 ख

क्रम सं.	वर्ष	स्थिर भावों पर अर्थव्यवस्था का आकार (करोड़ रुपये में)		
		उत्तराखंड	हिमाचल प्रदेश	भारत
1	2011-12	115328	72720	8736329
2	2012-13	123710	77384	9213017
3	2013-14	134182	82847	9801370
4	2014-15	141278	89060	10527674
5	2015-16	152699	96274	11369493
6	2016-17	167703	103055	12308193
7	2017-18	180956	109406	13144582
8	2018-19	186083	116414	13992914
9	2019-20	189740	121227	14534641
10	2020-21	166786	115894	13694869
11	2021-22	174635	121191	15021846
12	2022-23	190955	129187	16164913
13	2023-24 RE	202993	137343	17650591
14	2024-25 PE	217598	145207	18795095

स्रोत– अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखंड (संकेत– RE**–संशोधित अनुमान,** PE**– अन्नतिम अनुमान)**

6.5 उत्तराखंड की आर्थिकी की वृद्धि दरों का हिमाचल प्रदेश और भारत से वर्षवार तुलनात्मक विवरण नीचे तालिका 6.3 में दिया गया है–

तालिका 6.3

क्रम सं	वर्ष	स्थिर भावों पर आर्थिकी की प्रतिशत में वृद्धि दर			प्रचलित भावों पर आर्थिकी की प्रतिशत में वृद्धि दर		
		उत्तराखंड	हिमाचल प्रदेश	भारत	उत्तराखंड	हिमाचल प्रदेश	भारत

क्रम सं	वर्ष	स्थिर भावों पर आर्थिकी की प्रतिशत में वृद्धि दर			प्रचलित भावों पर आर्थिकी की प्रतिशत में वृद्धि दर		
		उत्तराखंड	हिमाचल प्रदेश	भारत	उत्तराखंड	हिमाचल प्रदेश	भारत
1	2011-12						
2	2012-13	7.27	6.41	5.46	14.12	13.89	13.82
3	2013-14	8.47	7.06	6.39	13.27	14.42	12.97
4	2014-15	5.29	7.5	7.41	8.29	9.51	10.99
5	2015-16	8.08	8.1	8	9.74	10.09	10.46
6	2016-17	9.83	7.04	8.26	10.14	9.97	11.76
7	2017-18	7.9	6.16	6.8	12.86	10.28	11.03
8	2018-19	2.83	6.41	6.45	4.59	7.1	10.59
9	2019-20	1.97	4.13	3.87	3.88	7.27	6.37
10	2020-21	-12.1	-4.4	-5.78	-5.7	-4.56	-1.24
11	2021-22	4.71	4.57	9.69	13.01	12.16	18.85
12	2022-23	9.35	6.6	7.61	14.76	12.71	13.96
13	2023-24 RE	6.3	6.31	9.19	7.87	10.49	12.02
14	2024-25 PE	7.19	5.73	6.48	10.9	9.2	9.78

स्रोत– अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखंड

6.6 ऊपर दी गई तालिका 6.2 क, 6.2 ख और 6.3 से यह स्पष्ट है कि भले ही हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद उत्तराखंड की तुलना में कम है, फिर भी कोरोना महामारी के दौरान, इसकी वार्षिक वृद्धि दर में गिरावट उत्तराखंड जितनी तेज नहीं रही। इसका कारण यह है कि कृषि क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का भाग उत्तराखंड राज्य की तुलना में कहीं अधिक है। वर्ष 2011–12 में हिमाचल प्रदेश में कृषि क्षेत्र का योगदान 17.16% और 2023–24 में 14.74% था। इस तरह हिमाचल प्रदेश में कृषि अभी भी एक महत्वपूण आजीविका है।

6.7 पिछले वर्षों में उत्तराखंड राज्य की निबल राज्य आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय की स्थिति नीचे तालिका 6.4 में इंगित है–

तालिका 6.4

नई श्रृंखला के अंतर्गत चालू मूल्यों पर राज्य की शुद्ध राज्य आय एवं प्रति व्यक्ति आय

क्र.सं.	वर्ष	निबल राज्य आय	
		कुल (रूपये में)	प्रति व्यक्ति (रूपये में)
1	2011–12	10195961	100314
2	2012–13	11704126	113654
3	2013–14	13181411	126356
4	2014–15	14378888	136099
5	2015–16	15827724	147936
6	2016–17	17517752	161752
7	2017–18	19820174	180858
8	2018–19	20646656	186207
9	2019–20	21374878	190558
10	2020–21	19801773	174526
11	2021–22	23537642	194670
12	2022–23	26765282	217216

क्र.सं.	वर्ष	निबल राज्य आय	
		कुल (रूपये में)	प्रति व्यक्ति (रूपये में)
13	2023–24 RE	30459174	233007
14	2024–25 PE		252447

स्रोत– सांख्यकीय डायरी 2023–24 / अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

[संकेत– RE (संशोधित अनुमान), PE (अन्नतिम अनुमान)]

6.8 नई श्रृंखला अन्तर्गत चालू मूल्यों पर क्षेत्रवार प्रतिशत में निबल राज्य आय नीचे तालिका 6.5 में है–

तालिका 6.5

नई श्रृंखला अन्तर्गत प्रचलित भावों पर प्रतिशत में क्षेत्रवार निबल राज्य आय

क्र.सं.	वर्ष	समस्त प्राथमिक उपखण्ड	समस्त द्वितीयक उपखण्ड	सेवा क्षेत्र
1	2011–12	13.42	47.65	32.07
2	2012–13	13.35	47.94	31.99
3	2013–14	12.71	47.07	32.95
4	2014–15	11.36	46.90	34.12
5	2015–16	10.15	46.44	34.84
6	2016–17	9.71	46.44	35.13
7	2017–18	9.81	44.85	35.33
8	2018–19	9.88	45.06	36.85
9	2019–20	10.83	43.35	38.42
10	2020–21	13.02	41.44	38.75
11	2021–22 RE	10.95	43.12	39.48
12	2022–23 PE	9.84	43.87	39.95
13	2023–24 AE	10.54	51.69	44.44

स्रोत– सांख्यकीय डायरी 2023–24 (अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड)

[संकेत– RE (संशोधित अनुमान), PE (अन्नतिम अनुमान), AE (अग्रिम अनुमान)]

6.9 उत्तराखंड राज्य की पूरी आर्थिक स्थिति के सापेक्ष जनपद वार इसमें बहुत अंतर है। ऐसा भौगोलिक स्थितियों और राज्य के कई पर्वतीय जनपदों में आर्थिक गतिविधियां संचालित करने की बाधाओं के कारण है। इस संदर्भ में नीचे तालिका 6.6 के विवरण अवलोकनीय हैं–

तालिका 6.6

वर्ष 2021–22 में जनपद वार सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय

(प्रचलित भावों पर/आधार वर्ष 2011–12)

क्र.सं.	जनपद	जिला सकल घरेलू उत्पाद (रू0 करोड़ में)	प्रति व्यक्ति आय (रूपये में)
1	उत्तरकाशी	4488	107281
2	चमोली	6270	127330
3	टिहरी गढ़वाल	8245	103345
4	देहरादून	50687	235707
5	पौड़ी गढ़वाल	9680	108640
6	रूद्रप्रयाग	2839	93160

क्र.सं.	जनपद	जिला सकल घरेलू उत्पाद (रू0 करोड़ में)	प्रति व्यक्ति आय (रूपये में)
7	पिथौरागढ़	7272	118678
8	अल्मोड़ा	8606	100844
9	नैनीताल	23464	190627
10	बागेश्वर	3226	98755
11	चम्पावत	3805	116136
12	हरिद्वार	85636	362688
13	ऊधमसिंह नगर	57579	269070

स्रोत–संख्याकीय डायरी 2023–24/अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

6.10 उपर्युक्त तालिका 6.6 से स्पष्ट है कि जनपदवार सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में रूद्रप्रयाग ₹2839 करोड़ के साथ सबसे नीचे है, जबकि हरिद्वार ₹85636 करोड़ के साथ शीर्ष पर है। इस प्रकार इन दोनों जनपदों के जिला सकल घरेलू उत्पाद के मध्य लगभग 1:30 का अनुपात है। इसी प्रकार पर्वतीय जनपदों एवं आंशिक रूप से पर्वतीय जनपदों– नैनीताल एवं देहरादून –के बीच भी यह अनुपात लगभग 1:8 से 1:18 गुना के बीच है। तदनुसार, पर्वतीय एवं मैदानी जनपदों के प्रति व्यक्ति आय में व्यापक अंतर विद्यमान है। आय में इन अंतरों/असमानताओं का प्रत्यक्ष संबंध प्रायः सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थानों का देहरादून, हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर जनपदों में स्थित होना उनकी स्थानिक एवं भूप्राकृतिक अनुकूलता के कारण है। यदि यह कल्पना की जाए कि राज्य की राजधानी देहरादून में न होती, तो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में देहरादून जनपद का योगदान कितना होता, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पर्वतीय जनपदों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान अपेक्षाकृत कम है तथा उनकी प्रति व्यक्ति आय भी कम है।

6.11 राज्य के जनपदों के मध्य प्रति व्यक्ति आय में उपर्युक्त असमानता के साथ–साथ राज्य के पर्वतीय, अर्द्ध–पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों के बीच भी प्रति व्यक्ति आय में स्पष्ट विषमता विद्यमान है, जैसा कि आयोग द्वारा 'सेतु आयोग' के माध्यम से कराए गए अध्ययन में प्रदर्शित निम्न विवरणों से इंगित होता है।

स्थिर भावों पर प्रति व्यक्ति आय के रूझान (धनराशि रूपये में)

वर्ष	पर्वतीय क्षेत्र	अर्ध पर्वतीय क्षेत्र	मैदानी क्षेत्र
2011-12	57403.4	62039.3	174066
2012-13	58484.5	65495.7	186377
2013-14	63200.0	72775.0	196807
2014-15	64606.0	73055.7	207052
2015-16	65864.3	79856.7	222314
2016-17	70756.9	86630.7	240738
2017-18	75473.3	93646.3	254541
2018-19	77416.6	95743.7	256403
2019-20	79676.1	96724.3	256357
2020-21	75637.8	88401.0	241861
2021-22	82137.5	94850.3	261171

स्रोतः 'सेतु आयोग' माध्यम कराये गये अध्ययन रिपोर्ट से

6.12 'सेतु आयोग' के माध्यम से कराए गए अध्ययन के अनुसार राज्य के पर्वतीय, अर्द्ध–पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर की प्रवृत्तियाँ निम्नानुसार पाई गई हैं–

भौगोलिक क्षेत्र वार सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धिदर (प्रतिशत में)

वर्ष	पर्वतीय क्षेत्र	अर्ध पर्वतीय क्षेत्र	मैदानी क्षेत्र
2012-13	3.3	6.6	8.525
2013-14	10.1	16.1	7.035
2014-15	3.8	2.6	6.715
2015-16	3.5	9.5	8.865
2016-17	8.8	8.5	9.53
2017-18	7.9	6.9	6.785
2018-19	3.8	5.8	1.945
2019-20	4.1	1.0	1.27
2020-21	-3.6	-6.5	-4.49
2021-22	6.69	9.3	8.97

स्रोतः 'सेतु आयोग' माध्यम कराये गये अध्ययन रिपोर्ट से

6.13 उत्तराखण्ड (2023–24) में जनपदवार समस्त बैंको का जमा धनराशि, ऋण वितरण एवं ऋण जमा अनुपात का विवरण नीचे तालिका 6.7 में दर्शित है–

तालिका 6.7

क्र.सं.	जनपद	जमा धनराशि (₹ करोड़ में)	ऋण वितरण (₹ करोड़ में)	ऋण जमा अनुपात	टिप्पणी
1	उत्तरकाशी	3010	1541	51	ऋण वितरण में नाबार्ड से ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) एवं राज्य से बाहर ऋण वितरण सम्मिलित नहीं है।
2	चमोली	5012	1419	28	
3	टिहरी गढ़वाल	7439	2579	35	
4	देहरादून	91460	35701	39	
5	पौड़ी गढ़वाल	11743	3213	27	
6	रूद्रप्रयाग	2877	869	30	
7	पिथौरागढ़	6176	2024	33	
8	अल्मोड़ा	8301	2265	27	
9	नैनीताल	25199	13928	55	
10	बागेश्वर	2498	612	25	
11	चम्पावत	3004	1061	35	
	योग पर्वतीय जनपद	**166720**	**65212**	**59**	
12	हरिद्वार	29512	17439	59	
13	उधमसिंह नगर	21445	21453	100	
	योग मैदानी जनपद	**50957**	**38892**	**76**	
	योग उत्तराखण्ड	**217677**	**104103**	**48**	

(स्रोत–सांख्यकीय डायरी उत्तराखण्ड 2023–2024)

उपर्युक्त तालिका 6.6 एवं 6.7 स्पष्ट इंगित करते हैं कि राज्य के पूर्णतः पर्वतीय जनपदों में जिला सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय तथा बैंकों का ऋण–जमा अनुपात (उत्तरकाशी अपवाद स्वरूप प्रतीत होता है) पूर्णतः मैदानी जनपदों की तुलना में अत्यंत कम है तथा आंशिक रूप से मैदानी जनपदों की अपेक्षा भी कम है। इसके परिणामस्वरूप पर्वतीय जनपदों में आर्थिक अवसर अपेक्षाकृत कमजोर हैं, प्रति व्यक्ति आय निम्न स्तर पर है तथा लोगों के लिए आजीविका के सीमित अवसर उपलब्ध हैं एवं भौगोलिक स्थिति तथा पर्यावरणीय एवं आपदा संबंधी बाधाऐं अवसंरचना व सेवा प्रदाय कार्यों की लागत अधिक होने के आसन्न कारक हैं।

6.14 हिमाचल प्रदेश तथा देश के सापेक्ष उत्तराखण्ड में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय (रुपये में) के विवरण निम्नानुसार तालिका 6.8 में हैं–

तालिका 6.8

क्र.सं.	वर्ष	उत्तराखण्ड	हिमाचल प्रदेश	भारत
1	2011-12	100314	87721	63462
2	2012-13	113654	99730	70983
3	2013-14	126356	114095	79118
4	2014-15	136099	123299	86647
5	2015-16	147936	135512	94797
6	2016-17	161752	150290	104884
7	2017-18	180858	165497	115224
8	2018-19	186207	174804	125946
9	2019-20	190558	186559	132341
10	2020-21	174526	173152	127244
11	2021-22	194670	193016	150906
12	2022-23	257216	214952	169145
13	2023-24 RE	233007	234721	188892
14	2024-25 PE	252447	256137	205324

स्रोत–आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24/अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

[संकेत– RE (संशोधित अनुमान), PE (अनन्तिम अनुमान)]

6.15 उत्तराखण्ड की स्थिर मूल्यों पर आर्थिक वृद्धि दर का देश की तुलना में विवरण निम्न तालिका 6.9 में प्रस्तुत है।

तालिका– 6.9

क्र.सं.	वर्ष	उत्तराखण्ड	भारत
1	2012-13	7.27	5.46
2	2013-14	8.47	6.39
3	2014-15	5.29	7.41
4	2015-16	8.08	8.00
5	2016-17	9.83	8.26
6	2017-18	7.90	6.80
7	2018-19	2.83	6.45
8	2019-20	1.97	3.87
9	2020-21	-12.10	-5.78
10	2021-22	4.71	9.69
11	2022-23	9.35	7.61
12	2023-24 RE	6.30	9.19
13	2024-25 PE	7.19	6.48

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कोरोना महामारी के प्रभाव वाले वर्ष 2020–21 में राज्य की आर्थिक वृद्धि दर देश की तुलना में काफी कम रही, किंतु वर्ष 2024–25 में राज्य की आर्थिक वृद्धि दर देश की वृद्धि दर से अधिक है।

6.16 वर्षवार वास्तविक एवं नाममात्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि प्रवृत्तियों का विवरण नीचे तालिका 6. 10 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.10

उत्तराखण्ड राज्य की वास्तविक एवं नाम मात्र राज्य सकल घरेलू उत्पाद के वृद्धि रूझान।

क्र.सं.	वर्ष	वास्तविक	नाममात्र
1	2012-13	7.27	14.12
2	2013-14	8.47	13.27
3	2014-15	5.29	8.29
4	2015-16	8.08	9.74
5	2016-17	9.83	10.14
6	2017-18	7.90	12.86
7	2018-19	2.83	4.59
8	2019-20	1.97	3.88
9	2020-21	-12.10	-5.70
10	2021-22	4.71	13.01
11	2022-23	9.35	14.76
12	2023-24 RE	6.30	7.87
13	2024-25 PE	7.19	10.90

6.17 उपर्युक्त तालिका 6.3 एवं 6.8 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यद्यपि स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश के बीच कुछ अंतर है, तथापि हाल के वर्षों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में इन दोनों राज्यों के मध्य अधिक अंतर नहीं है।

6.18 उत्तराखण्ड राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान समय के साथ बदलता रहा है। यह एक विकासशील एवं गतिशील अर्थव्यवस्था की स्वाभाविक विशेषता है। उत्तराखण्ड राज्य की क्षेत्रवार अर्थव्यवस्था तथा राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों के योगदान का विवरण नीचे तालिका 6.11 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 6.11

सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार संघटन।

क्र.स.	वर्ष	क्षेत्रवार प्रतिशत संघटन			आधार वर्ष
		प्राथमिक	द्वितीयक	तृतीयक	
1	1999–2000	30.10	18.79	51.11	1999–2000
2	2008–09	15.51	34.36	50.12	2004–05
3	2011–12	14.00	52.12	33.88	2011–12
4	2024–25	9.34	44.65	46.02	

(स्रोत– पांचवां राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन तथा आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25, भाग–1)

6.19 उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र (कृषि आदि) के योगदान में कमी उसके विशिष्ट भौगोलिक एवं भू–आकृतिक परिस्थितियों के कारण स्वाभाविक है। राज्य का बड़ा भू–भाग वनाच्छादित तथा हिमाच्छादित/वनस्पति–विहीन है, पर्वतीय क्षेत्रों से निरंतर पलायन हो रहा है, कृषि एवं बागवानी को आजीविका के रूप में अपनाने में लोगों की रुचि कम हो रही है, तथा मैदानी क्षेत्रों में घनी जनसंख्या एवं

अन्य क्षेत्रों का दबाव है। इन परिस्थितियों के बावजूद प्राथमिक क्षेत्र के योगदान को बनाए रखने हेतु राज्य द्वारा विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए जैविक खेती, बागवानी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन आदि क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

6.20 वर्ष 2024–25 में चालू मूल्यों पर राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न घटकों का योगदान निम्नानुसार है (तालिका 6.12)।

तालिका 6.12

प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार विभिन्न घटकों के सकल घरेलू उत्पाद अनुमान तथा वृद्धि

क्र.स.	क्षेत्र विवरण	घटक (मद) विवरण	कुल मूल्य वर्द्धन (रू करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत)	प्रतिशत अंश
1	प्राथमिक क्षेत्र	1.कृषि	11754	7.51	36.48
		2.पशुपालन	8082	6.59	25.08
		3.वानिकी	8070	4.38	25.04
		4.मत्स्य पालन	153	12.53	0.48
		5.खनन / उत्खनन	4166	10.03	12.93
		योग	**322225**	**6.82**	**100**
2	द्वितीय क्षेत्र	1.विनिर्माण	90.238	12.07	58.56
		2.विद्युत,गैस, जलापूर्ति आदि सेवाऐं	10.973	12.27	7.12
		3.निर्माण	58.882	22.64	34.32
		योग			**100**
3	तृतीयक क्षेत्र	1.परिवहन, भँडारण, संचार / प्रसारण सेवाऐं	29965	11.32	18.87
		2.व्यापार, होटल, जलपान गृह	60594	8.64	38.15
		3.वित्तीय सेवाऐं	11031	14.74	6.95
		4.स्थावर सम्पदा / व्यवसायिक सेवाऐं	19325	12.09	12.17
		5.लोक प्रशासन	14817	14.76	9.33
		6.अन्य सेवाऐं	23080	10.42	14.53
		योग	**1,58,812**	**10.78**	**100**

(स्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25, भाग–1)

6.21 सकल राज्य मूल्यवर्द्धन के परिप्रेक्ष्य में विगत वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रवार घटकों का विभाजन निम्न तालिका 6.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.13

सकल राज्य मूल्य वर्द्धन आधार पर क्षेत्र घटक वार प्रतिशत हिस्सेदारी

क्र.स.	क्षेत्र घटक	2011-12	2015-16	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	कृषि	12.3	9.2	8.2	8.4	9.6	9.2	8.0	7.8
2	खनन	1.7	1.3	1.8	1.7	1.5	1.3	1.0	1.0
3	विनिर्माण	40.3	40.7	39.4	38.1	36.3	32	29.8	29.8
4	विद्युत	3.7	3.6	3.8	3.8	4.0	4.4	4.5	4.5
5	निर्माण	8.2	7.7	7.9	7.8	8.3	9.6	12.3	12.5
6	व्यापार आदि	11.0	11.9	14.5	15.2	12.4	14.6	14.3	14.7
7	परिवहन आदि	6.4	7.8	6.1	6.8	7.0	7.8	8.0	8.0
8	वित्तीय सेवाऐं	2.7	2.9	2.8	2.8	3.7	3.2	3.1	3.1
9	स्थावर सम्पदा	5.4	5.2	5.4	5.7	6.3	6.1	5.9	5.7

क्र.स.	क्षेत्र घटक	2011-12	2015-16	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
10	लोक प्रशासन	3.7	3.8	3.8	3.3	4.2	4.5	4.3	4.4
11	अन्य सेवाऐं	4.6	5.9	6.3	6.4	6.7	6.8	6.3	6.2
	कुल सकल राज्य मूल्यवर्द्धन	100	100	100	100	100	100	100	100

समग्र क्षेत्र वार सकल मूल्यवर्द्धन हिस्सेदारी

क्र.स.	क्षेत्र घटक	2011-12	2015-16	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	कृषि	12.3	9.2	8.2	8.4	9.6	9.2	8.0	7.8
2	उद्योग	53.8	53.3	52.9	51.3	50.1	47.4	47.6	47.7
3	सेवाऐं	33.9	37.5	38.9	40.2	40.3	43.4	44.3	44.5

6.22 उत्तराखण्ड राज्य की अर्थव्यवस्था से संबंधित उपर्युक्त आँकड़े यद्यपि अर्थव्यवस्था के आकार एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं, तथापि एक ओर राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों एवं घटती भूमि उपलब्धता के कारण कृषि सहित प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घट रहा है, वहीं दूसरी ओर द्वितीयक क्षेत्र का योगदान भी कुछ सीमा तक कम हुआ है, जबकि तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। इस प्रकार आगामी वर्षों में विनिर्माण/औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र प्रगति या वृद्धि की संभावनाएँ अत्यधिक प्रबल प्रतीत नहीं होती हैं। इन सभी परिस्थितियों के बावजूद, कोरोना महामारी वर्ष (2020–21) को छोड़कर, आर्थिक वृद्धि दर सुधर रही है और वर्तमान में यह देश की आर्थिक वृद्धि दर के समीप है तथा वास्तविक रूप में लगभग 6.5 प्रतिशत और नाममात्र रूप में लगभग 13.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है।

6.23 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2025–26 में लगभग 6.3 से 6.8 प्रतिशत आंकी गई है, जबकि भारती रिजर्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे 6.5 प्रतिशत अनुमानित किया है। भारत सरकार के बजट साहित्य के अनुसार देश की नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 10.1 प्रतिशत आंकी गई है। मध्यम अवधि के अनुमानों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2025–26 से 2030–31 के मध्य भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर लगभग 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। चूँकि उत्तराखण्ड राज्य की आर्थिक वृद्धि दर वर्तमान में सामान्यतः देश की वृद्धि दर के निकट बनी हुई है, अतः यह अनुमान अनुचित नहीं होगा कि यदि किसी विशिष्ट आंतरिक अथवा बाह्य कारकों का विशेष प्रभाव न पड़े, तो वर्ष 2025–26 में तथा आगे 2030–31 तक उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर लगभग 6.5 प्रतिशत रह सकती है, लेकिन राज्य के भीतर जनपदवार भिन्नताएँ, विशेषकर पर्वतीय एवं मैदानी जनपदों के मध्य, आगामी वर्षों में भी विद्यमान रहेंगी।

6.24 उपर्युक्त बिंदु 6.21 के संदर्भ में, आगामी वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31) के लिए राज्य के प्रक्षेपित अनुमानों का उल्लेख राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के सोलहवें वित्त आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन में किया गया है, जो निम्नानुसार हैं–

प्रचलित भावों पर नाममात्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद और वृद्धि दर

क्र.सं.	वर्ष	आधार	नममात्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रूपये करोड़ में)	वृद्धि दर (%)
1	2024–25	अनन्तिम	378245	13.6

2	2025–26	अनुमानित	419851	11.0
3	2026–27	प्रक्षेपित	466035	11.0
4	2027–28	प्रक्षेपित	517299	11.0
5	2028–29	प्रक्षेपित	571615	10.50
6	2029–30	प्रक्षेपित	631635	10.50
7	2030–31	प्रक्षेपित	697957	10.50

6.25 उपर्युक्त तालिका में वर्ष 2025–26 से 2030–31 तक के सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं वृद्धि दर के वर्षवार पूर्वानुमानों की तुलना में, यद्यपि 'सेतु आयोग' की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि दर में कुछ अंतर परिलक्षित होता है, तथापि आयोग को यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के सोलहवें वित्त आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन में उपलब्ध कराए गए विवरणों का उपयोग किया जाए। यह उल्लेखनीय है कि 16वें वित्त आयोग को प्रस्तुत विवरणों में दर्शाया गया पूर्वानुमान तुलनात्मक रूप से कम है, अतः उनकी प्राप्ति की संभावना यथोचित रूप से अधिक मानी जा सकती है।

6.26 'विकसित भारत' के संकल्प के परिप्रेक्ष्य में, राज्य सरकार ने भी उत्तराखण्ड को वर्ष 2047 तक एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अपेक्षित वृद्धि दर, 16वें वित्त आयोग को प्रस्तुत पूर्वानुमानों में दर्शाई गई दर से अधिक होनी आवश्यक होगी तथा उस स्थिति में राज्य की वित्तीय स्थिति भी तुलनात्मक रूप से अधिक सुदृढ़ होनी चाहिए, फिर भी, आयोग उपर्युक्त वृद्धि दर के पूर्वानुमानों को ही अपनाना उचित समझता है।

अध्याय–7

उत्तराखंड राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति एवं पूर्वानुमान

7.1 हमने पूर्ववर्ती अध्यायों में उल्लेख किया है कि वर्ष 2000 में अस्तित्व में आने के पश्चात तीन नवगठित राज्यों, अर्थात् उत्तराखण्ड, झारखण्ड तथा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन/प्रगति हुई है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2001–02 से वर्ष 2022–23 के मध्य इन राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में जो परिवर्तन हुए, वे निम्नलिखित तालिका के अनुसार हैं—

तालिका 7.1

(रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	राज्य	वर्ष		
			2001–02	2011–12	2022–23
1	राजस्व प्राप्तियाँ	उत्तराखण्ड	2732.97	13691.42	49082.70
		झारखण्ड	6099.63	22419.45	80245.22
		छत्तीसगढ़	4375.70	25867.38	93877.13
2	पूंजीगत प्राप्तियाँ	उत्तराखण्ड	555.82	3734.35	9460.21
		झारखण्ड	1560.77	3663.02	11392.6
		छत्तीसगढ़	983.45	3664.99	5640.16
3	कुल व्यय	उत्तराखण्ड	3712.74	17463.52	60535.64
		झारखण्ड	7770.76	26082.47	91637.82
		छत्तीसगढ़	5555.93	27957.22	98691.19

स्रोत – आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 भाग–1 / अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखंड

7.2 उपरोक्त तालिका 7.1 से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में वर्ष 2001–02 की तुलना में वर्ष 2022–23 में छत्तीसगढ ने सर्वाधिक वृद्धि (लगभग 21 गुना से अधिक) दर्ज की, जबकि उत्तराखण्ड ने इसी अवधि में लगभग 18 गुना वृद्धि के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। पूंजी प्राप्तियों के संदर्भ में, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2001–02 के मुकाबले वर्ष 2022–23 में सर्वाधिक वृद्धि (लगभग 17 गुना) उत्तराखण्ड में हुई, जबकि झारखण्ड लगभग 7.30 गुना वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर तथा छत्तीसगढ़ लगभग 5.73 गुना वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पर रहा। अतः विश्लेषणाधीन तीनों राज्यों में उत्तराखण्ड राज्य पूंजी प्राप्तियों (ऋणों) पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर रहा है। जहाँ तक कुल व्यय का प्रश्न है, उत्तराखण्ड लगभग 16.30 गुना वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि प्रथम स्थान छत्तीसगढ को प्राप्त हुआ, जो 17.76 गुना वृद्धि के साथ तीनों राज्यों में काफी ऊपर है।

7.3 इन सभी तीन राज्यों की वर्ष 2022–23 में राजस्व प्राप्तियों, पूंजी प्राप्तियों तथा कुल व्यय की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2001–02 एवं 2011–12 की तुलना में निम्नानुसार रही है–

तालिका 7.2

क्र.सं.	राज्य	मिश्र वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)					
		राजस्व प्राप्तियाँ		पूंजीगत प्राप्तियाँ		कुल व्यय	
		2001–02 से	2011–12 से	2001–02 से	2011–12 से	2001–02 से	2011–12 से
1.	उत्तराखण्ड	15.54	13.62	15.23	9.74	14.98	13.24
2.	झारखण्ड	13.75	13.90	10.45	12.02	13.13	13.39
3.	छत्तीसगढ़	16.57	13.76	9.13	4.41	15.47	13.44

स्रोते– आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 भाग–1/अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखंड

7.4 वर्ष 2019–20 से वर्ष 2025–26 तक उत्तराखण्ड सरकार की आय एवं व्यय की स्थिति निम्नलिखित तालिका में अवलोकनीय है –

तालिका 7.3

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष						
		2019–20 वास्तविक	2020–21 वास्तविक	2021–22 वास्तविक	2022–23 वास्तविक	2023–24 वास्तविक	2024–25 पुनरीक्षित अनुमान	2025–26 बजट अनुमान
1	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	30722.57	38204.36	43056.99	49082.70	50615.01	59235.66	62540.54
	(1) कर राजस्व (केन्द्रीय करों से हिस्सा सहित)	18414.99	18506.31	24082.37	27719.54	31872.71	36521.50	39917.74
	(2) करेत्तर राजस्व (केन्द्र से प्राप्त अनुदान सहित)	12307.58	19698.05	18974.62	21363.16	18742.30	22714.16	22622.80
2	कुल पूंजी प्राप्तियाँ	13131.88	15157.94	7935.07	9460.21	28847.51	28124.28	38494.21
	(1) ऋणों की वसूली	18.92	23.05	17.08	17.30	15.82	24.28	24.21
	(2) अन्य प्राप्तियाँ	–	–	–	11.83	–	–	–
	(3) ऊधार एवं अन्य देयताऐं	13112.96	15134.89	7917.99	9431.08	28831.69	28100.00	38470.00
3	कुल प्राप्तियाँ (1+2)	43854.45	53362.30	50992.06	58542.91	79462.52	87359.94	101034.75
4	कुल राजस्व व्यय	32858.80	37091.03	38928.95	43772.73	47273.96	56383.30	59954.65
	(1) ब्याज अदायगी	4504.02	4773.07	4938.83	5103.63	5192.45	6636.44	6990.14
5	कुल पूंजी व्यय	14635.99	14845.36	11711.10	16762.91	34135.63	31538.84	41220.68
	(1) पूंजीगत परिव्यय	5414.18	6538.21	7533.50	8194.51	10981.80	11768.21	14763.13
	(2) ऋणों की अदायगी	9096.03	8269.59	3830.15	8474.77	23029.74	19135.86	26005.66
	(3) ऋण और अग्रिम	125.78	37.55	347.46	93.63	124.09	634.78	451.89
6	कुल व्यय (4+5)	47494.79	51936.39	50640.05	60535.64	81409.58	87922.14	101175.33
7	राजस्व घाटा (–)/ अधिशेष (+) (1–4)	(–)2136.23	1113.33	4128.04	5309.97	3341.06	2852.36	2585.89
8	राजकोषीय घाटा (–)	(–)7657.27	(–)5439.38	(–)3735.83	(–)2949.04	(–)7749.02	(–)9526.35	(–)12604.92
9	प्राथमिक घाटा (–) [8-4(1)]	(–)3153.25	(–)666.31	1203.00	2154.59	(–)2556.57	(–)2889.91	(–)5614.78

स्रोत – बजट साहित्य, उत्तराखण्ड शासन

7.5 इन वर्षों में उत्तराखण्ड सरकार की राजस्व एवं पूंजी प्राप्तियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित तालिका 7. 4 में उल्लेखित है–

तालिका 7.4
वर्षवार उत्तराखंड सरकार की प्राप्तियों का संक्षिप्त विवरण

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	प्राप्ति शीर्षक विवरण	वर्षवार प्राप्तियाँ						
		2019–20 वास्तविक	2020–21 वास्तविक	2021–22 वास्तविक	2022–23 वास्तविक	2023–24 वास्तविक	2024–25 पुनरीक्षित अनुमान	2025–26 बजट अनुमान
1	**राजस्व प्राप्तियाँ**							
	(i) राज्य का कर राजस्व	11513.45	11937.59	14176.12	17102.53	19244.96	22134.14	24014.82
	(ii) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	6901.54	6568.72	9906.25	10617.01	12627.75	14387.36	15902.92
	कुल कर राजस्व	**18414.99**	**18506.31**	**24082.37**	**27719.54**	**31872.71**	**36521.50**	**39917.74**

क्र. सं.	प्राप्ति शीर्षक विवरण	वर्षवार प्राप्तियाँ						
		2019–20 वास्तविक	2020–21 वास्तविक	2021–22 वास्तविक	2022–23 वास्तविक	2023–24 वास्तविक	2024–25 पुनरीक्षित अनुमान	2025–26 बजट अनुमान
1	**राजस्व प्राप्तियाँ**							
	(iii) राज्य का करेत्तर राजस्व	3998.81	4170.57	2755.96	4366.54	4418.09	4576.86	4395.48
	(iv) केन्द्रीय सरकार से अनुदान	8308.76	15527.48	16218.67	16996.61	14324.22	18137.30	18227.32
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	**30722.56**	**38204.36**	**43057.00**	**49082.69**	**50615.02**	**59235.66**	**62540.54**
2	**पूंजी प्राप्तियाँ**							
	(i) राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	13042.93	12075.96	4232.22	8211.85	26781.99	26600.00	36750.00
	(ii) केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	70.03	3058.73	3685.77	1219.22	2049.71	1500.00	1720.00
	(iii) उधार और अग्रिम	18.92	23.05	17.08	29.12	15.82	24.28	24.21
	कुल पूंजी प्राप्तियाँ	**13131.88**	**15157.94**	**7935.07**	**9460.20**	**28847.51**	**28124.28**	**38494.21**
3	**कुल प्राप्तियाँ**	43854.44	53362.30	50992.07	58542.89	79462.53	87359.94	101034.75

स्रोत – बजट साहित्य, उत्तराखण्ड शासन।

7.6 उपरोक्त तालिका 7.3 का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि उत्तराखण्ड सरकार वर्ष 2019–20 में राजस्व घाटे (लगभग ₹2136.23 करोड़) में थी तथा इसके पश्चात वर्ष 2020–21 से निरंतर राजस्व अधिशेष की स्थिति में है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि राजस्व घाटा न हो, तथा यह बाध्यकारी शर्त है कि इसका राजकोषीय घाटा और कुल देनदारियों को अधिनियम में निर्दिष्ट सीमा के भीतर रखा जाये। वित्तीय वर्ष 2020–21 से राज्य सरकार निरंतर राजस्व अधिशेष में है, परंतु यदि तालिका 7.4 का गहन परीक्षण किया जाए तो इसका मुख्य कारण वर्ष 2019–20 की तुलना में केंद्र सरकार से प्राप्त अधिक अनुदान प्रतीत होता है। बजट अनुमान में दर्शाए अनुसार, प्राप्त अनुदानों की राशि व्यय न करके राजस्व अधिशेष की स्थिति बनाए रखना एक स्वस्थ वित्तीय परंपरा नहीं मानी जा सकती। निम्नलिखित तालिका 7.5 के विवरण भी अवलोकन योग्य हैं–

तालिका 7.5

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष वार बजट अनुमान और वास्तविक स्थिति									
		2020–21		2021–22		2022–23		2023–24		2024–25	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान
1	कुल राजस्व आय	42439.33	38204.36	44151.24	43057.00	51474.27	49082.69	57057.26	50615.02	60552.90	59235.66
2	उक्त में केन्द्र से सहायता अनुदान	16481.81	15527.48	20662.25	16218.67	21452.76	16996.61	20893.15	14324.22	19533.06	18137.30
3	राजस्व व्यय	42389.67	37091.03	44036.31	38928.95	49013.31	43772.73	52747.71	47273.96	55815.77	56383.30
4	राजस्व घाटा (–)/अधिशेष (+) (1–3)	49.66	1113.33	114.93	4128.05	2460.96	5309.96	4309.55	3341.06	4737.13	2852.36

7.7 पूर्ववर्ती कुछ वर्षों के दौरान भी राज्य सरकार राजस्व अधिशेष की स्थिति में रही है, जैसा कि संबंधित बजट साहित्य में उल्लेखित किया गया है, जिसे यहाँ निम्नानुसार उद्धृत किया जा रहा है–

घाटे की प्रवृत्ति

क्र.सं.	वर्ष	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा
1	2003-04	761.26	1407.14
2	2004-05	950.14	2171.42
3	2005-06	73.95	1878.23
4	2006-07	(-)896.37	885.77
5	2007-08	(-)636.53	1742.40
6	2008-09	(-)239.53	1844.96
7	2009-10	1171.34	2783.31
8	2010-11	12.91	1842.57
9	2011-12	(-)716.10	1357.48
10	2012-13	(-)1787.00	1599.23
11	2013-14	(-)1104.12	3050.26
12	2014-15	637.84	5696.87
13	2015-16	1852.01	6125.34
14	2016-17	382.54	5466.95
15	2017-18	1978.12	7685.82
16	2018-19	979.69	7321.60
17	2019-20	2136.24	7657.27
18	2020-21	(-)1113.33	5439.39
19	2021-22	(-)4128.04	3735.83
20	2022-23	(-)5309.97	2949.04
21	2023-24	(-)3341.06	7749.02
22	2024-25 (पु.अ.)	(-)2852.36	9526.35
23	2025-26 (ब.अ.)	(-)2585.89	12604.92

स्रोत– बजट साहित्य : वार्षिक वित्तीय विवरण 2025–26, खंड–2, भाग–1

टिप्पणी – चिह्न (–) अधिशेष को दर्शाता है तथा () घाटे को दर्शाता है/ पु.अ. (पुनरीक्षित अनुमान), ब.अ. (बजट अनुमान)

7.8 यह उल्लेखनीय है कि विगत वर्षों के दौरान एक ओर राज्य सरकार के अधीन अनेक नए प्रशासनिक इकाइयों का सृजन किया गया, वहीं दूसरी ओर विभिन्न सरकारी विभागों में अनेक पद रिक्त रहे। इसके परिणामस्वरूप शासकीय योजनाओं/कार्यों के क्रियान्वयन एवं संचालन में कठिनाइयों का सामना करना स्वाभाविक है। उपरोक्त तालिका 7.1 एवं 7.2 में दर्शाई गई स्थिति के अनुसार, राज्य के गठन के पश्चात जबकि एक ओर उत्तराखण्ड राज्य सरकार की ऋणों पर निर्भरता निरंतर बढ़ती रही है (यद्यपि एक सीमा तक यह आवश्यक है) और उधार लेकर वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की गई, तो दूसरी ओर राजस्व अधिशेष की स्थिति के लिए प्राप्त धनराशि का समुचित उपयोग नहीं किया गया। यह परम्परा उपयुक्त प्रतीत नहीं होती। यह स्पष्ट इंगित करता है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय एवं बजट प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता है।

7.9 वर्ष 2019–20 से 2025–26 तक की प्राप्तियों एवं व्यय के वास्तविक तथा अनुमानित (वर्ष 2024–25 और 2025–26) आँकड़े क्रमशः निम्नलिखित तालिकाओं 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 एवं 7.11 में अवलोकनीय हैं–

तालिका 7.6

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ (₹करोड़ में)

क्र0 सं0	मदें	आय–व्ययक अनुमान 2019–20	वास्तविक आँकड़े 2019–20	आय–व्ययक अनुमान 2020–21	वास्तविक आँकड़े 2020–21	आय–व्ययक अनुमान 2021–22	वास्तविक आँकड़े 2021–22	आय–व्ययक अनुमान 2022–23	वास्तविक आँकड़े 2022–23	आय–व्ययक अनुमान 2023–24	वास्तविक आँकड़े 2023–24	आय–व्ययक अनुमान 2024–25	पुनरीक्षित अनुमान 2024–25	बजट अनुमान 2025–26
1-	कर राजस्व	14736.84	11513.45	13760.74	11937.59	12754.45	14176.12	15370.56	17102.53	19982.68	19244.96	22509.32	22134.14	24014.82
2-	करेत्तर राजस्व	4254.82	3998.81	3539.42	4170.57	3293.56	2755.96	5520.79	4366.55	4761.63	4418.09	4873.38	4576.86	4395.48
3-	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	11078.57	8308.76	16481.81	15527.48	20662.25	16218.66	21452.76	16996.61	20893.15	14324.22	19533.06	18137.30	18227.32
4-	केन्द्रीय करों में राज्य का अंश	8885.26	6901.54	8657.35	6568.72	7440.98	9906.25	9130.16	10617.01	11419.80	12627.75	13637.15	14387.36	15902.92
	योग राजस्व लेखा	**38955.49**	**30722.56**	**42439.32**	**38204.36**	**44151.24**	**43056.99**	**51474.27**	**49082.70**	**57057.26**	**50615.02**	**60552.91**	**59235.66**	**62540.54**

तालिका 7.7

राज्य सरकार की पूँजीगत प्राप्तियाँ (₹करोड़ में)

क्र0सं0	मदें	आय–व्ययक अनुमान 2019–20	वास्तविक आँकड़े 2019–20	आय–व्ययक अनुमान 2020–21	वास्तविक आँकड़े 2020–21	आय–व्ययक अनुमान 2021–22	वास्तविक आँकड़े 2021–22	आय–व्ययक अनुमान 2022–23	वास्तविक आँकड़े 2022–23	आय–व्ययक अनुमान 2023–24	वास्तविक आँकड़े 2023–24	आय–व्ययक अनुमान 2024–25	पुनरीक्षित अनुमान 2024–25	बजट अनुमान 2025–26
1-	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	9510.00	13042.93	9800.00	12075.96	12700.00	4232.22	12110.00	8211.85	18010.00	26781.99	26260.00	26600.00	36750.00
2-	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	180.00	70.03	150.00	3058.73	150.00	3685.77	165.00	1219.22	1450.00	2049.70	1660.00	1500.00	1720.00
3-	ऋणों और अग्रिमों की वसूलियाँ	33.94	18.92	34.59	23.05	22.98	17.08	25.28	29.13	75.28	15.82	124.21	24.28	24.21
	योग पूँजी लेखा	**9723.94**	**13131.88**	**9984.59**	**15157.74**	**12872.98**	**7935.07**	**12300.28**	**9460.20**	**19535.28**	**28847.51**	**28044.21**	**28124.28**	**38494.21**

तालिका 7.8

केन्द्रीय सरकार से प्राप्तियाँ (₹करोड़ में)

क्र0 सं0	मदें	आय–व्ययक अनुमान 2019–20	वास्तविक आँकड़े 2019–20	आय–व्ययक अनुमान 2020–21	वास्तविक आँकड़े 2020–21	आय–व्ययक अनुमान 2021–22	वास्तविक आँकड़े 2021–22	आय–व्ययक अनुमान 2022–23	वास्तविक आँकड़े 2022–23	आय–व्ययक अनुमान 2023–24	वास्तविक आँकड़े 2023–24	आय–व्ययक अनुमान 2024–25	पुनरीक्षित अनुमान 2024–25	बजट अनुमान 2025–26
1-	केन्द्रीय करों में राज्य का अंश	8885.26	6901.54	8657.35	6568.72	7440.98	9906.25	9130.16	10617.01	11419.80	12627.75	13637.15	14387.36	15902.92
2-	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	11078.57	8308.76	16481.81	15527.48	20662.25	16218.66	21452.76	16996.61	20893.15	14324.22	19533.06	18137.30	18227.32
3-	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	180.00	70.03	150.00	3058.73	150.00	3685.77	165.00	1219.23	1450.00	2049.70	1660.00	1500.00	1720.00
	योगः–	**20143.83**	**15280.33**	**25289.16**	**25154.93**	**28253.23**	**29810.68**	**30747.92**	**28832.85**	**33762.95**	**29001.67**	**34830.21**	**34024.66**	**35850.24**

तालिका 7.9

राज्य सरकार के कर राजस्व की प्राप्तियाँ (₹करोड़ में)														
क्र0 सं0	मदें	आय–व्ययक अनुमान 2019–20	वास्तविक आँकड़े 2019–20	आय–व्ययक अनुमान 2020–21	वास्तविक आँकड़े 2020–21	आय–व्ययक अनुमान 2021–22	वास्तविक आँकड़े 2021–22	आय–व्ययक अनुमान 2022–23	वास्तविक आँकड़े 2022–23	आय–व्ययक अनुमान 2023–24	वास्तविक आँकड़े 2023–24	आय–व्ययक अनुमान 2024–25	पुनरीक्षित अनुमान 2024–25	बजट अनुमान 2025–26
1-	होटल प्राप्ति कर	0.10	0.20	0.23	0.12	0.23	0.10	0.08	0.02	0.08	-0.44	0.08	0.08	0.09
2-	भू–राजस्व	34.71	24.21	25.71	16.91	16.66	39.88	38.11	64.98	54.01	13.92	50.06	29.06	30.47
3-	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1340.73	1071.75	1249.23	1107.24	1200.00	1488.04	1590.05	1987.28	2062.93	2431.96	2665.20	2682.20	2798.72
4-	राज्य उत्पाद शुल्क	3047.50	2726.90	3400.00	2966.12	3202.09	3258.09	3522.30	3525.60	3949.51	4040.59	4439.45	4499.45	5059.61
5-	जी0एस0टी0 तथा वैट	8608.75	6741.68	7355.52	6911.48	6675.42	8275.00	8404.96	9895.87	11391.09	10816.33	12704.47	12719.57	13721.91
6-	वाहन कर	965.00	907.80	980.00	741.00	1050.00	889.02	1155.00	1211.55	1475.00	1389.67	1550.00	1450.72	1604.06
7-	विद्युतकर तथा शुल्क	440.05	39.40	500.05	188.80	500.05	223.87	500.06	293.79	550.06	333.95	550.06	525.06	550.07
8-	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	300.00	1.51	250.00	5.92	110.00	2.12	110.00	140.92	500.00	218.98	550.00	228.00	249.89
	योगः–	**14736.84**	**11513.45**	**13760.74**	**11937.59**	**12754.45**	**14176.12**	**15320.56**	**17120.01**	**19982.68**	**19244.96**	**22509.32**	**22134.14**	**24014.82**

तालिका 7.10

राजस्व लेखे का व्यय (₹करोड़ में)														
क्र0 सं0	मदें	आय–व्ययक अनुमान 2019–20	वास्तविक आँकड़े 2019–20	आय–व्ययक अनुमान 2020–21	वास्तविक आँकड़े 2020–21	आय–व्ययक अनुमान 2021–22	वास्तविक आँकड़े 2021–22	आय–व्ययक अनुमान 2022–23	वास्तविक आँकड़े 2022–23	आय–व्ययक अनुमान 2023–24	वास्तविक आँकड़े 2023–24	आय–व्ययक अनुमान 2024–25	पुनरीक्षित अनुमान 2024–25	बजट अनुमान 2025–26
1-	सामान्य सेवायें	15752.28	13844.47	16831.15	14826.25	17571.70	15668.11	17977.64	16888.82	19557.93	17578.63	21142.18	20783.20	23469.08
2-	सामाजिक सेवायें	14809.72	12593.21	16610.33	14761.63	17526.53	15572.84	20633.59	18156.14	20614.86	19653.17	22087.27	23175.38	22943.88
3-	आर्थिक सेवायें	6187.61	4704.45	6644.40	5570.95	6913.71	6147.66	7589.99	6687.11	9231.46	7484.76	8898.65	8813.16	9573.62
4-	सहायक अनुदान/ अंशदान/ राज सहायता	2182.79	1716.67	2303.78	1932.20	2024.38	1540.33	2812.09	2040.66	3343.46	2557.39	3687.67	3611.56	3968.07
	योगः– राजस्व लेखा	**38932.40**	**32858.80**	**42389.66**	**37091.03**	**44036.32**	**38928.94**	**49013.31**	**43772.73**	**52747.71**	**47273.95**	**55815.77**	**56383.30**	**59954.65**

तालिका 7.11

पूँजीगत लेखे का व्यय (₹करोड़ में)														
क्र0 सं0	मदें	आय–व्ययक अनुमान 2019–20	वास्तविक आँकड़े 2019–20	आय–व्ययक अनुमान 2020–21	वास्तविक आँकड़े 2020–21	आय–व्ययक अनुमान 2021–22	वास्तविक आँकड़े 2021–22	आय–व्ययक अनुमान 2022–23	वास्तविक आँकड़े 2022–23	आय–व्ययक अनुमान 2023–24	वास्तविक आँकड़े 2023–24	आय–व्ययक अनुमान 2024–25	पुनरीक्षित अनुमान 2024–25	बजट अनुमान 2025–26
1-	सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	777.19	361.95	632.01	754.90	1085.33	1084.90	2016.53	1607.64	2170.95	2359.68	3205.16	2006.55	2806.80
2-	सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2021.81	1610.41	2246.91	1938.10	3172.41	2261.70	2474.94	2013.41	3957.55	3496.38	3102.14	3153.11	4775.44

पूँजीगत लेखे का व्यय (₹करोड़ में)														
क्र0 सं0	मदें	आय–व्ययक अनुमान 2019–20	वास्तविक आँकड़े 2019–20	आय–व्ययक अनुमान 2020–21	वास्तविक आँकड़े 2020–21	आय–व्ययक अनुमान 2021–22	वास्तविक आँकड़े 2021–22	आय–व्ययक अनुमान 2022–23	वास्तविक आँकड़े 2022–23	आय–व्ययक अनुमान 2023–24	वास्तविक आँकड़े 2023–24	आय–व्ययक अनुमान 2024–25	पुनरीक्षित अनुमान 2024–25	बजट अनुमान 2025–26
3-	आर्थिक सेवाओं पर व्यय	3773.08	3441.82	4503.63	3845.21	4715.10	4186.90	6348.80	4573.45	7005.30	5125.74	7472.37	6608.55	7180.89
	योगः– पूँजीगत परिव्यय	**6572.08**	**5414.18**	**7382.55**	**6538.21**	**8972.84**	**7533.50**	**10840.27**	**8194.50**	**13133.80**	**10981.80**	**13779.67**	**11768.21**	**14763.13**
4-	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	2815.20	9048.96	3442.20	8211.09	4170.36	3774.60	5497.03	8412.58	11146.42	22961.63	19050.32	19050.32	25910.22
5-	आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय	61.11	47.07	61.11	58.50	71.21	55.54	71.21	62.19	81.21	68.10	86.21	85.54	95.44
	योगः– लोक ऋण	**2876.31**	**9096.03**	**3503.31**	**8269.59**	**4241.57**	**3830.14**	**5568.24**	**8474.77**	**11227.63**	**23029.73**	**19136.53**	**19135.86**	**26005.66**
6-	कर्ज तथा उधार	282.81	125.78	251.43	37.55	149.60	347.46	149.67	93.63	297.95	124.10	498.10	634.78	451.89
	योगः– पूँजी लेखा	**9731.20**	**14635.99**	**11137.29**	**14845.35**	**13364.01**	**11711.10**	**16558.18**	**16762.90**	**24659.38**	**34135.63**	**33414.30**	**31538.85**	**41220.68**

7.10 उपरोक्त तालिका 7.6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि बजट अनुमान के सापेक्ष वास्तविक (वित्तीय वर्ष 2024–25 के पुनरीक्षित अनुमान) कुल राजस्व प्राप्तियाँ कम रही हैं। तालिका 7.7 के अनुसार, यह स्पष्ट है कि वर्ष 2021–22 और 2022–23 को छोड़कर, अन्य वर्षों में पूंजी खाते की प्राप्तियाँ बजट अनुमानों की तुलना में काफी अधिक रही हैं। यह पुनः राज्य की ऋण पर बढ़ती निर्भरता को (यद्यपि कई अवसरों पर अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अस्थाई ऋण, जिसे अर्थोपाय अग्रिम कहा जाता है, लेने की स्थिति उत्पन्न होती है) दर्शाता है तथा राजस्व प्राप्तियों में ठोस प्रयासों की उदासीनता या कमी को इंगित करता है।

7.11 उक्त बिंदु 7.10 में इंगित स्थिति निम्नांकित तालिकाओं (7.12 से 7.14) में वर्षवार बजट अनुमानों के अपेक्षा प्रतिशत रूप में वास्तविक आय प्राप्तियों के विवरण से स्पष्ट परिलक्षित होता है, तथा प्रतिशत रूप में व्यय की स्थिति तालिकाओं 7.15 एवं 7.16 में दृष्टिगोचर है। इन विवरणों से यह भी स्पष्ट है कि आंतरिक ऋण अदायगी के मामले में राज्य सरकार को वर्ष 2019–20, 2020–21, 2022–23 तथा 2023–24 में बजट अनुमान से भी अधिक व्यय करना पड़ा। यह स्थिति एक ओर वर्षवार ऋणों की वापसी का सही अनुमान आंकने में न्यून दक्षता एवं पेशेवरता को इंगित करती है, तो दूसरी ओर बजट अनुमानों की तुलना में अधिक व्यय के दृष्टिगत अतिरिक्त ऋण लेने की परिस्थितियाँ परिणामित हुई। इससे, यद्यपि वित्तीय वर्ष 2019–20 में राजस्व घाटे की स्थिति उत्पन्न हुई, तो दूसरी ओर अधिक ऋण लेने के साथ–साथ संबंधित वर्षों में राजस्व अधिशेष की स्थिति भी रही, जो प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होती।

तालिका 7.12

बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्ताविक प्राप्तियों की भिन्नता (प्रतिशत में)							
क्र0सं0	**मदें**	**2019–20**	**2020–21**	**2021–22**	**2022–23**	**2023–24**	**2024–25**
1–	कुल राजस्व प्राप्तियां	78.87	90.02	97.52	95.35	88.71	97.82
i	कर राजस्व	78.13	86.75	111.15	111.26	96.31	98.33
ii	करेत्तर राजस्व	93.98	117.83	83.68	79.09	92.79	93.92
iii	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	75.00	94.21	78.49	79.23	68.56	92.85
iv	केन्द्रीय करों में राज्य का अंश	77.67	75.87	133.13	116.29	110.58	105.50
2–	कुल पूँजी प्राप्तियां	135.05	151.81	61.64	76.91	147.67	100.29
i	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	137.15	123.22	33.32	67.81	148.71	101.29
ii	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	38.91	2039.15	2457.18	738.92	141.36	90.36
iii	ऋणों और अग्रिमों की वसूलियाँ	55.75	66.64	74.33	115.20	21.01	19.55

तालिका 7.13

बजट अनुमानों के सापेक्ष राज्य सरकार के कर राजस्व की प्राप्तियों की भिन्नता (प्रतिशत में)							
क्र0सं0	मदें	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
1–	कुल राजस्व प्राप्तियां	78.13	86.75	111.15	111.26	96.31	98.33
i	होटल प्राप्ति कर	200.00	52.17	43.48	25.00	-550.00	100.00
ii	भू–राजस्व	69.75	65.77	239.38	170.51	25.77	58.05
iii	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	79.94	88.63	124.00	124.98	117.89	100.64
iv	राज्य आबकारी शुल्क	89.48	87.24	101.75	100.09	102.31	101.35
v	जी0एस0टी0 तथा वैट	78.31	93.96	123.96	117.74	94.95	100.12
vi	मोटर वाहन कर	94.07	75.61	84.67	104.90	94.21	93.59
vii	विद्युतकर तथा शुल्क	8.95	37.76	44.77	58.75	60.71	95.46
viii	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	0.50	2.37	1.93	128.11	43.80	41.45

तालिका 7.14

बजट अनुमानों के सापेक्ष केन्द्रीय सरकार से प्राप्तियों की भिन्नता (प्रतिशत में)							
क्र0सं0	मदें	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
1–	कुल राजस्व प्राप्तियां	75.86	99.47	105.51	93.77	85.90	97.69
i	केन्द्रीय करों में राज्य का अंश	77.67	75.87	133.13	116.29	110.58	105.50
ii	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	75.00	94.21	78.49	79.23	68.56	92.85
iii	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	38.91	2039.15	2457.18	738.93	141.36	90.36

तालिका 7.15

बजट अनुमानों के सापेक्ष राजस्व लेखा के व्यय की भिन्नता (प्रतिशत में)							
क्र0सं0	मदें	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
1–	कुल राजस्व लेखा	84.40	87.50	88.40	89.31	89.62	101.02
i	सामान्य सेवायें	87.89	88.09	89.17	93.94	89.88	98.30
ii	सामाजिक सेवायें	85.03	88.87	88.85	87.99	95.33	104.93
iii	आर्थिक सेवायें	76.03	83.84	88.92	88.10	81.08	99.04
iv	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	78.65	83.87	76.09	72.57	76.49	97.94

तालिका 7.16

बजट अनुमानों के सापेक्ष पूँजीगत लेखा के व्यय की भिन्नता (प्रतिशत में)							
क्र0सं0	मदें	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
1–	कुल पूँजीगत परिव्यय	82.38	88.56	83.96	75.59	83.61	85.40
i	सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	46.57	119.44	99.96	79.72	108.69	62.60
ii	सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	79.65	86.26	71.29	81.35	88.35	101.64
iii	आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय	91.22	85.38	88.80	72.04	73.17	88.44
2–	कुल लोक ऋण	316.24	236.05	90.30	152.20	205.12	100.00
i	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	321.43	238.54	90.51	153.04	206.00	100.00
ii	आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय	77.03	95.73	77.99	87.33	83.86	99.22
3–	कुल पूँजीलेखा	150.40	133.29	87.63	101.24	138.43	94.39
i	**कर्ज तथा उधार**	44.48	14.93	232.26	62.56	41.65	127.44

7.12 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष प्रमुख घटक–वार प्राप्तियों का प्रतिशत भाग निम्नलिखित सारणी 7.17 में अवलोकनीय है–

तालिका 7.17

राजस्व प्राप्तियों के घटक (कुल राजस्व के प्रतिशत में)											
क्र0 सं0	राजकोषीय समुच्चय	2011–12	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25 अनन्तिम
1-	स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	49.3	49.2	44.0	49.6	50.5	42.2	39.3	43.7	46.8	48.2
	स्वयं का कर राजस्व	41.0	43.8	37.5	39.0	37.5	31.2	32.9	34.8	38.0	40.3
	स्वंय का करेत्तर राजस्व	8.3	5.4	6.5	10.6	13.0	10.9	6.4	8.9	8.7	7.9
2-	केन्द्र से अन्तरण	50.7	50.8	56.0	50.4	49.5	57.8	60.7	56.3	53.2	51.8
	केन्द्रीय करों में हिस्सा	20.9	25.8	26.1	25.7	22.5	17.2	23.0	21.6	24.9	27.9
	अनुदान (वित्त आयोग अनुदान सहित)	29.8	25.0	29.8	24.7	27.0	40.6	37.7	34.6	28.3	23.9
	उक्त में वित्त आयोग अनुदान	0.7	1.5	1.8	1.6	3.2	18.0	21.9	22.5	15.9	12.6
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

स्रोत–वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आकड़े

7.13 उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरणों से स्पष्ट है कि जबकि राज्य अपनी कुल राजस्व प्राप्तियों के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त अन्तरणों पर अत्यधिक निर्भर है, उसकी स्वयं की राजस्व की प्राप्तियों पर निर्भरता 50% से भी कम है। स्वयं की राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत राज्य मुख्यतः अपने कर राजस्व पर निर्भर है तथा करेत्तर राजस्व का योगदान अत्यन्त कम है। अतः राज्य को अपने स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि हेतु प्रयासों को तीव्र करने तथा करेत्तर राजस्व से होने वाली आय में विद्यमान कमियों का विश्लेषण कर उन्हें शीघ्र दूर करने की आवश्यकता है।

7.14 उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा देश में सभी राज्यों के औसत की तुलना में कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष उत्तराखण्ड राज्य की स्वयं के स्रोतों से राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत अंश, जैसा कि ''सेतु आयोग'' माध्यम कराये गये अध्ययन में इंगित हैं, निम्नानुसार है–

वर्ष 2021–22 में कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष राज्य की स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व आय (प्रतिशत अंश रूप में)

क्र0सं0	प्रदेश	स्वयं के स्रोतों से प्राप्त कर राजस्व अंश	स्वयं के स्रोतों से प्राप्त करेत्तर राजस्व अंश	स्वयं के स्रोतों से प्राप्त कुल राजस्व अंश
1	उत्तराखण्ड	32.92	6.4	39.32
2	हिमाचल प्रदेश	26.04	7	33.04
3	उत्तर प्रदेश	39.72	3.08	42.8
4	सभी राज्यों का औसत	45.61	7.69	53.31

स्रोत– सेतु आयोग माध्यम कराये गये अध्ययन की रिपोर्ट से।

7.15 राज्यों के मध्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रतिशत अंश के रूप में विकास सम्बन्धी व्यय की स्थिति ''सेतु आयोग'' माध्यम किए गये अध्ययन में निम्नानुसार इंगित हुई है–

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष विकास व्यय अंश (प्रतिशत में)

क्र0सं0	राज्य	वर्ष 2022–23 वास्तविक			वर्ष 2023–24 पूनरीक्षित अनुमान			वर्ष 2024–25 बजट अनुमान		
		विकास व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सामाजिक क्षेत्र व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	पूंजीगत परिव्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सामाजिक क्षेत्र व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	पूंजीगत परिव्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सामाजिक क्षेत्र व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	पूंजीगत परिव्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद
1	सभी राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश	10.9	7.1	2.2	12.3	8	2.9	12	8.1	2.8
2	विशेष श्रेणी राज्य	23.1	14.5	6.7	26.5	16.6	8.6	23.5	14.6	7.7
3	सभी अन्य राज्य	11.8	7.6	2.4	13.4	8.7	3	12.9	8.6	2.9
4	हिमाचल प्रदेश	16.9	11.4	3.1	16.6	11	3.3	14.4	9.7	2.8
5	उत्तराखण्ड	10.4	8.1	2.7	11.1	8.5	3	10.7	7.8	3.5
6	उत्तरप्रदेश	13.8	8.9	4.1	15.9	9.6	5.7	16.7	10.7	5.7

स्रोत – सेतु आयोग द्वारा किये गये अध्ययन प्रतिवेदन से (भारतीय रिजर्व बैंक से उद्धृत)

7.16 प्रतिशत रूप में राज्यों के मध्य प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के विवरण, जो भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से उद्धृत हैं, सेतु आयोग के अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नीचे इंगित है—

(क)

क्र0सं0	राज्य	स्वयं का राजस्व/राजस्व व्यय			विकास व्यय/कुल वितरण			गैर विकास व्यय/कुल वितरण			ब्याज भुगतान/राजस्व व्यय		
		2022–23 वास्तविक	2023–24 पूनरीक्षित अनुमान	2024–25 बजट अनुमान	2022–23 वास्तविक	2023–24 पूनरीक्षित अनुमान	2024–25 बजट अनुमान	2022–23 वास्तविक	2023–24 पूनरीक्षित अनुमान	2024–25 बजट अनुमान	2022–23 वास्तविक	2023–24 पूनरीक्षित अनुमान	2024–25 बजट अनुमान
1	सभी राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश	55	54.4	57.4	61.5	62.9	62.5	27.8	26.5	26.9	12.3	11.9	11.9
2	विशेष श्रेणी राज्य	29	27.4	30.5	61	64.3	61.2	32.5	30.2	32.9	7.8	7.6	8
3	सभी अन्य राज्य	56	55.3	57.5	61.6	62.6	62.9	27.9	26.8	26.5	12.7	12.4	12
4	हिमाचल प्रदेश	30.3	34.9	40.2	60.3	60.8	57.6	33.5	33	35.4	10.9	12.3	13.4
5	उत्तराखण्ड	49	46.1	49.1	56.2	58	56.7	32.9	31.1	32.8	11.7	11.7	11.9
6	उत्तरप्रदेश	49.4	49.4	55.4	62.5	64	62	29.5	28.8	30.6	11.3	10.8	10.1

(ख)

क्र0सं0	राज्य	ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियों			वचनबद्ध व्यय/राजस्व व्यय			पेंशन /राजस्व व्यय		
		2022–23 वास्तविक	2023–24 पूनरीक्षित अनुमान	2024–25 बजट अनुमान	2022–23 वास्तविक	2023–24 पूनरीक्षित अनुमान	2024–25 बजट अनुमान	2022–23 वास्तविक	2023–24 पूनरीक्षित अनुमान	2024–25 बजट अनुमान
1	सभी राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश	12.6	12.3	12.1	31.7	30.4	30.8	12.5	11.7	11.9
2	विशेष श्रेणी राज्य	7.6	7.4	7.7	35.5	33.1	35	17	14	15
3	सभी अन्य राज्य	13.4	13.4	12.9	32	30.8	30.3	12.6	11.8	11.7
4	हिमांचल प्रदेश	12.7	14	14.8	38	37.8	40.6	20.9	19.6	21.3
5	उत्तराखण्ड	10.4	11.1	11	36.2	33.9	34.6	16.4	14.4	14.6
6	उत्तरप्रदेश	10.3	9.4	8.9	35.1	34.3	35.1	15.4	15.6	16.2

7.17 आयोग ने राज्य सरकार को विद्युत क्षेत्र से प्राप्त होने वाली राजस्व प्राप्तियों के कुछ वर्षों के विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। उत्तराखण्ड सरकार के ऊर्जा अनुभाग–2 द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2020–2021 से 2024–2025 तक केंद्र सरकार के उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र की जलविद्युत परियोजनाओं से देय विद्युत स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) की कुल ₹1246.28 करोड़ की राशि राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। इसी प्रकार, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा संचालित जलविद्युत परियोजनाओं से देय 'पावर फंड' की कुल ₹629.36 करोड़ की राशि में से केवल ₹38.79 करोड़

ही राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं तथा ₹590.57 करोड़ की राशि अवशेष है। इस संबंध में उपलब्ध कराए गए विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शित हैं। यह उपयुक्त होगा कि राज्य गठन से लेकर वर्ष 2024–25 तक (तथा आगामी प्रत्येक वर्ष) इन मदों के देय एवं प्राप्त धनराशियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियमित (वार्षिक) लेखा–परीक्षण कराया जाए तथा देय राशियों की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह उल्लेखनीय है कि विद्युत वितरण क्षेत्र में हुए नुकसान (विभिन्न उत्पादन कंपनियों को देय राशि) पूर्व में स्वयं राज्य सरकार द्वारा वहन किए गए हैं। इसके बावजूद विद्युत वितरण कंपनी की कार्यप्रणाली की दक्षता में कोई उल्लेखनीय सुधार दृष्टिगोचर नहीं होता है। **आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि ऐसे सभी मामलों में कर एवं करेत्तर राजस्व की नियमित वार्षिक लेखा–परीक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि वास्तविक मांग के अनुरूप राजस्व की प्राप्ति की एक सुदृढ़ प्रणाली विकसित हो सके तथा राजस्व आय में समुचित वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु संभावनाओं का अन्वेषण किया जा सके।**

उत्तराखण्ड पांवर कॉपरेशन लिमिटेड (विद्युत क्षेत्र) से राज्य की राजस्व प्राप्तियों की स्थिति

वर्ष	निःशुल्क विद्युत (स्वामित्व शुल्क/रॉयल्टी)				विद्युत शुल्क			उत्तराखंड जल विद्युत निगम की "ऊर्जा निधि" विद्युत परियोजनाओं के लिए देय राशि			
	विद्युत (मिलियन यूनिट)	प्रति इकाई दर (₹ प्रति इकाई)	कुल देय राशि (₹ करोड़)	कुल भुगतान की गई राशि (₹ करोड़)	कुल विक्रयित विद्युत (मिलियन यूनिट)	कुल देय राशि (₹ करोड़)	भुगतान की गई राशि (₹ करोड़)	कुल विद्युत (मिलियन यूनिट)	दर (₹ प्रति इकाई)	देय राशि (₹ करोड़)	भुगतान की गई राशि (₹ करोड़)
2020-21	1028	2.32	238.38	-	11432.59	335.00	387.00	4075	0.30	122.25	29.25
2021-22	1116	2.28	254.50	-	12518.79	335.00	376.57	4448	0.30	133.45	-
2022-23	1143	2.23	254.94	-	13491.22	419.55	464.72	4409	0.30	132.28	-
2023-24	1029	2.23	229.41	-	13870.70	424.78	399.14	4011	0.30	120.34	9.54
2024-25	1160	2.32	269.05	-	14742.32	425.00	544.77	4035	0.30	121.04	-
Total	**5476**		**1246.28**		**66055.62**	**1939.33**	**2172.20**	**20978**		**629.36**	**38.79**

7.18 पूर्ववर्ती वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य सरकार के राजकोषीय संकेतक निम्नलिखित तालिका 7.18 में अवलोकनीय हैं–

तालिका–7.18

व्यापक राजकोषीय समुच्य (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रतिशत के रूप में)

क्र. स.	वित्तीय संख्याएँ	2011-12	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 अस्थायी
1-	राजस्व प्राप्तियाँ	11.9	12.8	12.3	13.6	12.8	16.9	16.9	16.8	15.2	13.6
	स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ	5.9	6.3	5.4	6.7	6.5	7.1	6.6	7.3	7.1	6.6
	केंद्र से प्राप्त अंतरण/स्थानांतरण	6.0	6.5	6.9	6.8	6.4	9.8	10.2	9.4	8.1	7.1
2-	कर राजस्व	7.4	8.9	7.8	8.8	7.7	8.2	9.4	9.5	9.6	9.3
	स्वयं का कर राजस्व	4.9	5.6	4.6	5.3	4.8	5.3	5.6	5.8	5.8	5.5
	केंद्र सरकार के करों में हिस्सा	2.5	3.3	3.2	3.5	2.9	2.9	3.9	3.6	3.8	3.8
3-	करेत्तर राजस्व	4.5	3.9	4.5	4.8	5.1	8.7	7.4	7.3	5.6	4.3
	स्वयं का करेत्तर राजस्व	1.0	0.7	0.8	1.4	1.7	1.8	1.1	1.5	1.3	1.1
	केंद्र से प्राप्त अनुदान	3.5	3.2	3.7	3.3	3.5	6.9	6.4	5.8	4.3	3.3
	वित्त आयोग अनुदान	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	3.0	3.7	3.8	2.4	1.7
	अन्य अनुदान	3.4	3.0	3.5	3.1	3.1	3.8	2.7	2.0	1.9	1.6
4-	ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियाँ	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-	कुल व्यय	13.5	15.6	15.9	16.7	16.0	19.4	18.4	17.8	17.5	16.6
	राजस्व व्यय	11.3	13.0	13.2	14.0	13.7	16.4	15.3	15.0	14.2	13.6
	पूंजीगत व्यय	2.2	2.6	2.7	2.8	2.3	2.9	3.1	2.8	3.3	3.1
6-	राजस्व घाटा (+)/अधिशेष (–)	-0.6	0.2	0.9	0.4	0.9	-0.5	-1.6	-1.8	-1.0	-0.1
7-	राजकोषीय घाटा (+)/अधिशेष (–)	1.2	2.8	3.6	3.2	3.2	2.4	1.5	1.0	2.3	3.1
8-	देयताएँ (ऋण)	20.4	23.1	23.6	25.3	27.7	32.7	30.3	26.9	25.9	25.2

स्रोत – 16वें वित्त आयोग को राज्य का ज्ञापन (उत्तराखण्ड सरकार के वित्त विभाग से प्राप्त आँकड़े)

7.19 वर्ष 2025–26 से 2030–31 तक राज्य सरकार की प्रमुख घटक–वार स्वयं की राजस्व प्राप्तियों के अनुमानित एवं प्रक्षेपित विवरण, जैसा कि 16वें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत राज्य सरकार के ज्ञापन में दर्शाया गया है, निम्नलिखित तालिका 7.19 के अनुसार हैं–

तालिका–7.19
राज्य के स्वयं के कर राजस्व का अनुमानित विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	विवरण	2025-26 अनुमानित	अनुमानित कर राजस्व				
			2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31
1	स्वयं का कुल कर राजस्व	22727	24912	27332	29905	32746	35885
	राज्य जीएसटी	10408	11692	13134	14680	16409	18341
	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	2821	3016	3224	3448	3686	3941
	राज्य उत्पाद शुल्क	4705	5080	5485	5902	6351	6831
	राज्य वैट	2609	2678	2748	2818	2888	2961
	मोटर वाहन कर	1553	1745	1961	2193	2452	2742
	अन्य स्वयं का कर राजस्व	609	676	750	833	925	1027
2	स्वयं का करेत्तर राजस्व	4395	4835	5319	5850	6435	7079
3	स्वयं का कुल कर और करेत्तर राजस्व	27122	29747	32651	35755	39181	42964

स्रोत: 16वीं वित्त आयोग को प्रस्तुत राज्य सरकार का ज्ञापन

7.20 राज्य सरकार के कर राजस्व की उत्प्लावनशीलता तथा उस पर आधारित वृद्धि दर के प्रक्षेपित अनुमान, जैसा कि 16वें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, निम्नलिखित तालिका 7.20 में उल्लेखित हैं—

तालिका–7.20
राज्य के कर राजस्व की उत्प्लावनशीलता और इसके आधार पर विकास दर

विवरण	उत्प्लावनशीलता	उत्प्लावनशीलता आधारित विकास दर (प्रतिशत)					
		2025-26 अनुमानित	2026-27 अनुमान	2027-28 अनुमान	2028-29 अनुमान	2029-30 अनुमान	2030-31 अनुमान
स्वयं का कर राजस्व	0.96	7.8	9.5	9.6	9.7	9.4	9.5
राज्य जीएसटी	1.12	11.7	12.3	12.3	12.3	11.8	11.8
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	-	8.5	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
स्टाम्प उत्पाद शुल्क	0.72	7.8	8.0	8.0	8.0	7.6	7.6
राज्य वैट	0.24	0.9	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5
मोटर वाहन कर	1.13	-0.6	12.4	12.4	12.4	11.8	11.8
नाममात्र जीएसडीपी	-	11.0	11.0	11.0	10.5	10.5	10.5

स्रोत: 16वीं वित्त आयोग को प्रस्तुत राज्य सरकार का ज्ञापन

7.21 उत्तराखण्ड राज्य सरकार के राजस्व व्यय के प्रमुख व्यय मदवार प्रक्षेपित अनुमान, जैसा कि 16वें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, निम्नलिखित तालिका 7.21 में उल्लिखित हैं–

तालिका–7.21
कुल राजस्व व्यय का संक्षिप्त पूर्वानुमान (₹ करोड़ में)

मुख्य व्यय शीर्षक	2025-26 अनुमानित	अनुमानित अनुमान				
		2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31
सामान्य सेवाएँ	23469	26139	29163	32532	36283	40460
सामाजिक सेवाएँ	22944	26960	31302	36405	42425	49545
आर्थिक सेवाएँ	9574	11141	13000	15208	17834	20963
स्थानीय स्वशासन निकायों को अनुदान	3968	4563	5248	6035	6940	7981
राजस्व व्यय (कुल)	59955	68803	78713	90180	103482	118949

7.22 सामान्य सेवाओं के अंतर्गत प्रक्षेपित व्यय अनुमान तथा ब्याज एवं पेंशन से संबंधित भुगतानों के व्यय का पूर्वानुमान निम्नलिखित तालिका 7.22 में उल्लेखनीय है —

तालिका–7.22

सामान्य सेवाओं के तहत व्यय अनुमान जिसमें ब्याज और पेंशन भुगतान शामिल हैं (₹ करोड़ में)

व्यय मद	2025-26 अनुमानित	अनुमान				
		2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31
ब्याज भुगतान	6990	7361	8367	9485	10719	12084
पेंशन	9917	11236	12731	14424	16342	18515
अतिरिक्त पेंशन (एकीकृत पेंशन योजना)	492	522	553	586	621	658

स्रोत: 16वीं वित्त आयोग को प्रस्तुत राज्य सरकार का ज्ञापन

7.23 यह इंगित किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, राज्य सरकार के अधीन संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत सेवाकर्मियों को 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत पर, राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों के समान वेतन एवं अन्य लाभ प्रदान करने के संबंध में लगभग **₹3476** करोड़ की अनुमानित देयता बनती है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है–

व्यय मद	अनुमानित व्यय अनुमान (₹ करोड़ में)				
	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31
वेतन	948	1085	1228	1378	1534
बकाया वेतन	1738	1738	-	-	-
कुल	**2686**	**2823**	**1228**	**1378**	**1534**

स्रोत: 16वीं वित्त आयोग को प्रस्तुत राज्य सरकार का ज्ञापन

7.24 भारत सरकार द्वारा गठित अष्टम वेतन आयोग की आगामी संस्तुतियों के कार्यान्वयन के मद्देनजर, भविष्य में वित्तीय वर्ष 2026–2027 से वेतन आदि पर व्यय में वृद्धि होने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप (प्रतिबद्ध) राजस्व व्यय के अनुमान में वृद्धि हो सकती है और इससे व्यय का भार बढ़ जाएगा।

7.25 राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अनेक पद रिक्त पड़े हैं। यदि इन रिक्त पदों को भरा जाता है तो वेतन व्यय का भार बढ़ना स्वाभाविक है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 01.04.2024 को रिक्त पदों का विवरण निम्नलिखित है —

दिनांक 01.04.2024 को पदों की स्थिति

क्र.स.	श्रेणी	स्वीकृत पद			कुल भरे गए पद	कुल रिक्त पद
		स्थायी	अस्थायी	कुल		
1	श्रेणी क	9277	343	9620	6123	3497
2	श्रेणी ख	13349	914	14263	9554	4709
	कुल–	**22626**	**1257**	**23883**	**15677**	**8206**
1	श्रेणी ग	161153	1605	162758	120280	42478
2	श्रेणी घ	34441	17671	52112	35949	16163
	कुल–	**195594**	**19276**	**214870**	**156229**	**58641**
	सकल कुल–	**218220**	**20533**	**238753**	**171906**	**66847**

7.26 राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय एवं वित्तीय संकेतकों के पूर्वानुमान का विवरण, जैसा कि 16वें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत राज्य सरकार के ज्ञापन में वर्णित है, निम्नलिखित तालिका 7.23 में अवलोकनीय है —

तालिका–7.23

राज्य सरकार के वित्तीय और राजकोषीय संकेतक विवरण (₹ करोड़ में)

क्र.स.	शीर्षक	वास्तविक 2023-24	अंतरिम 2024-25	अनुमानित 2025-26	पूर्वानुमान 2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31
1-	राजस्व प्राप्तियाँ	50615	51541	61253	64326	70030	76113	82806	90173
	राज्य सरकार का स्वयं का राजस्व	23663	24817	27123	29747	32650	35755	39182	42964
	कुल कर राजस्व	19245	20754	22727	24912	27332	29905	32746	35885
	कुल करेत्तर राजस्व	4418	4063	4395	4835	5319	5850	6435	7079
2-	केंद्रीय सरकार से प्राप्तियाँ	26952	26723	34130	34579	37379	40357	43624	47209
	उपरोक्त में केंद्रीय करों का हिस्सा	12628	14387	15903	17740	19789	21970	24393	27082
	केंद्र से अनुदान	14324	12336	18227	16839	17591	18387	19231	20127
3-	कुल राजस्व व्यय	47273	51292	59955	71489	81535	91408	104861	120483
i	सामान्य सेवाएँ	17579	19572	23469	26139	29163	32532	36283	40460
	उपरोक्त में ब्याज भुगतान	5192	5643	6990	7361	8367	9485	10719	12084
	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	7597	8411	10409	11758	13283	15010	16963	19173
	अन्य सामान्य सेवाएँ	4789	5518	6562	7021	7512	8038	8601	9203
ii	सामाजिक सेवाएँ	19653	21345	22944	26960	31302	36405	42425	49545
iii	आर्थिक सेवाएँ	7485	7667	9574	11141	13000	15208	17834	20963
iv	स्थानीय स्वशासन इकाइयों को अनुदान	2557	2708	3968	4563	5248	6035	6940	7981
v	संविदा कर्मचारियों को भुगतान	-	-	-	2685	2822	1228	1378	1534
4-	पूंजीगत व्यय	11106	11844	15215	6832	4029	1871	-3087	-9351
i	उपरोक्त में पूंजीगत परिव्यय	10982	11161	14763	6755	3984	1850	-3052	-9246
ii	ऋण और अग्रिम	124	683	452	76	45	21	-34	-104
5-	राजस्व घाटा (+)ध्अधिशेष (–)	-3341	-249	-1299	7163	11506	15295	22055	30311
6-	राजकोषीय घाटा	7749	11559	13892	13981	15519	17148	18949	20939
7-	राज्य सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित मूल्य पर)	332998	378245	419851	466035	517299	571615	631635	697957
8-	राज्य सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर मूल्य 2011–12 पर)	204315	217817	232478	248125	264826	281377	298964	317649
9-	कुल देयताएँ	86105	95275	107880	121861	137380	154528	173477	194416

टिप्पणी : उपरोक्त विवरण में केंद्र करों में उत्तराखंड के हिस्से को 15वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किए गए 1.118 प्रतिशत के अनुसार लिया गया है, जो अब 16वें वित्त आयोग की संस्तुति अनुसार बढ़कर 1.141 प्रतिशत हो गया है, यद्यपि किसी भी राज्य को राजस्व घाटा अनुदान की संस्तुति नहीं की गई है।

7.27 उपरोक्त तालिका में, राज्य सरकार ने वर्ष 2026–27 से पूंजीगत व्यय में तीव्र कमी के पूर्वानुमान दिए हैं, जो अंततः वर्ष 2029–30 और 2030–31 में नकारात्मक होने इंगित किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक अधिकतम ऋण ले सकती है। तदानुसार राज्य सरकार को अधिक राजस्व व्यय करना पड़ेगा, जिससे उपरोक्त पूर्वानुमानों अनुसार पूंजीगत व्यय कम होना स्वाभाविक है।

7.28 राज्य सरकार के वित्तीय सुधार पथ के संकेतकों का विवरण, जैसा कि बजट साहित्य (खंड–2, भाग–2) में दिया गया है, निम्नलिखित तालिकाओं 7.24 और 7.25 में दर्शाया गया है–

तालिका–7.24

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य सरकार के अपने वित्तीय सुधार पथ के संकेतक

(₹ करोड़ में)

शीर्षक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक	2022-23 वास्तविक	2023-24 वास्तविक	2024-25 संशोधित अनुमान	2025-26 बजट अनुमान	2026-27 अनुमानित	2027-28 अनुमानित	2028-29 अनुमानित
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
(क) राज्य का राजस्व खाता										
1– स्वयं का कर राजस्व	11513.45	11937.59	14176.12	17102.53	19244.97	22134.14	24014.81	27136.74	30664.51	34650.90
2– करेत्तर राजस्व	3998.81	4170.57	2755.96	4366.54	4418.08	4576.86	4395.48	4511.21	4633.88	4763.91
3– स्वयं का राजस्व	15512.26	16108.15	16932.08	21469.07	23663.05	26711	28410.29	31647.94	35298.39	39414.81
4– केंद्रीय करों में हिस्सा	6901.54	6568.72	9906.25	10617.01	12627.75	14387.36	15902.92	17493.21	19242.53	21166.79
5– केंद्रीय सरकार से अनुदान	8308.76	15527.48	16218.67	16996.61	14324.22	18137.30	18227.32	17741.15	19515.27	21466.79
6– कुल केंद्रीय हस्तांतरण	15210.30	22096.20	26124.92	27613.62	26951.97	32524.66	34130.24	35234.36	38757.80	42633.58
7– कुल राजस्व प्राप्तियाँ (3+6)	**30722.56**	**38204.36**	**43057.00**	**49082.69**	**50615.02**	**59235.66**	**62540.53**	**66882.31**	**74056.19**	**82048.39**
8– राजस्व व्यय	32858.80	37091.03	38928.95	43772.73	47273.96	56383.30	59954.65	67014.37	78915.15	87788.37
9– वेतन भुगतान	13054.48	13704.09	14511.43	15882.93	16638.41	19008.83	20770.04	22847.04	27873.39	30382.00
10– पेंशन भुगतान	5506.92	6167.71	6364.46	7180.52	7597.49	8145.50	9917.40	10909.14	13309.15	14640.07
11– ब्याज भुगतान	4504.02	4773.07	4938.83	5103.63	5192.45	6636.44	6990.14	8304.78	9783.83	11450.18
12– ब्याज भुगतानध्राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	14.66	12.49	11.47	10.40	10.26	11.20	11.18	12.42	13.21	13.96
13– वेतन + पेंशन + ब्याज व्यय	23065.42	24644.87	25814.72	28167.08	29428.35	33790.77	37677.58	42060.96	50966.38	56472.25
14– राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले प्रतिशत (13/7)	75.08	64.51	59.95	57.39	58.14	57.04	60.25	62.89	68.82	68.83
15– राजस्व अधिशेष/घाटा (7–8)	-2136.24	1113.33	4128.05	5309.96	3341.06	2852.36	2585.88	-132.06	-4858.96	-5739.98
(ख) समेकित ऋण										
1– शेष ऋण और देयता*	65982.17	73750.64	77023.69	78509.04	85914.00	94271.98	106736.33	121354.25	137945.59	156776.76
2– कुल शेष गारंटी	582.40	728.68	374.34	117.22	119.42	105.85	105.85	105.85	105.85	105.85
(ग) पूंजी खाता										
1– पूंजीगत परिव्यय	5414.18	6538.21	7533.50	8194.51	10981.80	11768.21	14763.13	14000.00	11200.00	12500.00
2– ऋण और अग्रिम	125.78	37.55	347.46	93.63	124.09	634.78	451.89	500.00	400.00	300.00
3– ऋण की वसूली व अन्य पूंजीगत प्राप्तियाँ	18.92	23.05	17.08	29.13	15.82	24.28	24.21	25.00	25.00	25.00
4– अन्य पूंजीगत प्राप्तियाँ	7657.27	5439.38	3735.83	2949.05	7749.01	9526.35	12604.93	14607.06	16433.96	18514.98
(घ) राजकोषीय घाटा	**7657.27**	**5439.38**	**3735.83**	**2949.05**	**7749.01**	**9526.35**	**12604.93**	**14607.06**	**16433.96**	**18514.98**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	253666.30	234660.20	272159.48	303780.70	332997.88	378244.52	429307.53	487264.05	553044.69	627705.73
वर्तमान मूल्यों पर वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.00	-0.98	14.90	13.71	13.78	13.59	13.50	13.50	13.50	13.50
* इसमें भविष्य निधि राशि सम्मिलित है।										

स्रोत – राज्य सरकार के बजट साहित्य से

तालिका–7.25
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य सरकार के अपने वित्तीय सुधार पथ के संकेतक
(प्रतिशत में)

शीर्षक	2019-20 वास्तिविक	2020-21 वास्तिविक	2021-22 वास्तिविक	2022-23 वास्तिविक	2023-24 वास्तिविक	2024-25 संशोधित अनुमान	2025-26 बजट अनुमान	2026-27 अनुमानित	2027-28 अनुमानित	2028-29 अनुमानित
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
(क) राज्य का राजस्व खाता										
1– स्वयं का कर राजस्व	4.54	5.09	5.21	5.63	5.78	5.85	5.59	5.57	5.54	5.52
2– करेत्तर राजस्व	1.58	1.78	1.01	1.44	1.33	1.21	1.02	0.93	0.84	0.76
3– स्वयं का राजस्व	6.12	6.86	6.22	7.07	7.11	7.06	6.62	6.50	6.38	6.28
4– केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा	2.72	2.80	3.64	3.49	3.79	3.80	3.70	3.59	3.48	3.37
5– केंद्रीय सरकार से अनुदान	3.28	6.62	5.96	5.60	4.30	4.80	4.25	3.64	3.53	3.42
6– कुल केंद्रीय हस्तांतरण	6.00	9.42	9.60	9.09	8.09	8.60	7.95	7.23	7.01	6.79
7– कुल राजस्व प्राप्तियाँ (3+6)	**12.11**	**16.28**	**15.82**	**16.16**	**15.20**	**15.66**	**14.57**	**13.73**	**13.39**	**13.07**
8– राजस्व व्यय	12.95	15.81	14.30	14.41	14.20	14.91	13.97	13.75	14.27	13.99
9– वेतन भुगतान	5.15	5.84	5.33	5.23	5.00	5.03	4.84	4.69	5.04	4.84
10– पेंशन भुगतान	2.17	2.63	2.34	2.36	2.28	2.15	2.31	2.24	2.41	2.33
11– ब्याज भुगतान	1.78	2.03	1.81	1.68	1.56	1.75	1.63	1.70	1.77	1.82
12– वेतन + पेंशन + ब्याज व्यय	9.09	10.50	9.49	9.27	8.84	8.93	8.78	8.63	9.22	9.00
13– राजस्व अधिशेष/घाटा	-0.84	0.47	1.52	1.75	1.00	0.75	0.60	-0.03	-0.88	-0.91
(ख) समेकित ऋण										
1– शेष ऋण और देयता*	26.01	31.43	28.30	25.84	25.80	24.92	24.86	24.91	24.94	24.98
2– कुल शेष गारंटी	0.23	0.31	0.14	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
(ग) पूंजी खाता										
1– पूंजी व्यय	2.13	2.79	2.77	2.70	3.30	3.11	3.44	2.87	2.03	1.99
2– ऋण और अग्रिम	0.05	0.02	0.13	0.03	0.04	0.17	0.11	0.10	0.07	0.05
3– ऋण और अन्य पूंजी प्राप्तियों की वसूली	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
4– अन्य पूंजी प्राप्तियाँ	3.02	2.32	1.37	0.97	2.33	2.52	2.94	3.00	2.97	2.95
(घ) राजकोषीय घाटा	**3.02**	**2.32**	**1.37**	**0.97**	**2.33**	**2.52**	**2.94**	**3.00**	**2.97**	**2.95**

स्रोत – राज्य सरकार के बजट साहित्य से

7.29 राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष विभिन्न प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रतिशत भाग, जैसा कि राज्य सरकार के बजट साहित्य में दर्शाया गया है, निम्नलिखित तालिका 7.26 में प्रदर्शित है। स्पष्ट है कि स्वयं की राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष वेतन व्यय 70 से 84 प्रतिशत है और प्रतिबद्ध व्यय 124 से 148 प्रतिशत है। कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष वेतन व्यय 32 से 42 प्रतिशत है और प्रतिबद्ध व्यय 57 से 75 प्रतिशत है।

तालिका–7.26
राजस्व प्राप्तियाँ और प्रतिबद्ध राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)

क्र. स.	शीर्षक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 संशोधित अनुमान	2025-26 बजट अनुमान	2026-27 अनुमानित	2027-28 अनुमानित	2028-29 अनुमानित
1-	वेतन भुगतान	13054.48	13704.09	14511.43	15882.93	16638.41	19008.83	20770.04	22847.04	27873.39	30382.00
2-	पेंशन भुगतान	5506.92	6167.71	6364.46	7180.52	7597.49	8145.50	9917.40	10909.14	13309.15	14640.07
3-	ब्याज भुगतान	4504.02	4773.07	4938.83	5103.63	5192.45	6636.44	6990.14	8304.78	9783.83	11450.18
	कुल	**23065.42**	**24644.87**	**25814.72**	**28167.08**	**29428.35**	**33790.77**	**37677.58**	**42060.96**	**50966.37**	**56472.25**
	स्वयं का राजस्व	15512.26	16108.15	16932.08	21469.07	23663.05	26711.00	28410.29	31647.94	35298.39	39414.81
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	30722.57	38204.36	43057.00	49082.69	50615.02	59235.66	62540.53	66882.31	74056.19	82048.39

तलिका–7.27
कुल स्वयं के राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत

क्र.स.	शीर्षक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 संशोधित अनुमान	2025-26 बजट अनुमान	2026-27 अनुमानित	2027-28 अनुमानित	2028-29 अनुमानित
1-	वेतन भुगतान	84.16	85.08	85.70	73.98	70.31	71.16	73.11	72.19	78.96	77.08
2-	पेंशन भुगतान	35.50	38.29	37.59	33.45	32.11	30.49	34.91	34.47	37.70	37.14
3-	ब्याज भुगतान	29.04	29.63	29.17	23.77	21.94	24.85	24.60	26.24	27.72	29.05
	कुल	**148.69**	**153.00**	**152.46**	**131.20**	**124.36**	**126.51**	**132.62**	**132.90**	**144.39**	**143.28**

तालिका 7.28
कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत

क्र. स.	शीर्षक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 संशोधित अनुमान	2025-26 बजट अनुमान	2026-27 अनुमानित	2027-28 अनुमानित	2028-29 अनुमानित
1-	वेतन भुगतान	42.49	35.87	33.70	32.36	32.87	32.09	33.21	34.16	37.64	37.03
2-	पेंशन भुगतान	17.92	16.14	14.78	14.63	15.01	13.75	15.86	16.31	17.97	17.84
3-	ब्याज भुगतान	14.66	12.49	11.47	10.40	10.26	11.20	11.18	12.42	13.21	13.96
	कुल	**75.08**	**64.51**	**59.95**	**57.39**	**58.14**	**57.04**	**60.25**	**62.89**	**68.82**	**68.83**

7.30 राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों के पूर्वानुमान का विवरण, जैसा कि राज्य सरकार के बजट साहित्य, 16वें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत ज्ञापन तथा सेतु आयोग द्वारा किए गए अध्ययन में दिया गया है, निम्नानुसार हैं–

राजस्व प्राप्तियों का पूर्वानुमान (₹ करोड़ में)

क्र.स.	वर्ष	16वीं वित्त आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन में इंगित पूर्वानुमान	सेतु आयोग अध्ययन अनुसार पूर्वानुमान	राज्य सरकार के बजट साहित्य अनुसार पूर्वानुमान
1	2025-26	61253	65103.76	62540.53
2	2026-27	64326	72254.55	66882.31
3	2027-28	70030	80180.76	74056.19
4	2028-29	76113	88998.66	82048.39
5	2029-30	82806	98774.00	-
6	2030-31	90173	109623.02	-

7.31 राज्य सरकार के राजस्व व्यय के पूर्वानुमान, जैसा कि राज्य सरकार के बजट साहित्य, 16वें वित्त आयोग को भेजे गए ज्ञापन तथा सेतु आयोग द्वारा किए गए अध्ययन में दिए गए हैं, निम्नलिखित हैं —

राजस्व व्यय का पूर्वानुमान (₹ करोड़ में)

क्र.स.	वर्ष	16वीं वित्त आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन में इंगित पूर्वानुमान	सेतु आयोग अध्ययन अनुसार पूर्वानुमान	राज्य सरकार के बजट साहित्य अनुसार पूर्वानुमान
1	2025-26	59955	63631.72	59954.61
2	2026-27	71489	71811.97	67014.37
3	2027-28	81535	81043.84	78915.15
4	2028-29	91408	91462.52	87788.37
5	2029-30	104861	103220.59	-
6	2030-31	120483	116490.23	-

7.32 उपरोक्त तुलनीय पूर्वानुमान विवरणों के अनुसार 16वें वित्त आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन में इंगित राजस्व प्राप्तियों के पूर्वानुमान सबसे कम हैं और राजस्व व्यय के पूर्वानुमान सामान्यतः उच्चतर हैं, अतः आयोग इन्हें सुरक्षित मानते हुए इन पूर्वानुमानों को विचार योग्य समझता है।

7.33 16वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में उल्लिखित विवरणों के अनुसार, राज्य के राजकोषीय घाटे और कुल ऋण देयता के संबंध में निम्नलिखित पूर्वानुमान इंगित किए गए हैं–

	वर्ष					
	2025-26	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31**
राजकोषीय घाटा	13892	13981	15519	17148	18949	20939
कुल ऋण देयता	107880	121861	137380	154528	173477	194416
नाममात्र राज्य सकल घरेलू उत्पाद	419851	466035	517299	571615	631635	697957
उपरोक्त के प्रतिशत के रूप में						
1– राजकोषीय घाटा	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2– कुल ऋण देयताऐं	25.7	26.1	26.6	27.0	27.5	27.9

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2023 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2023–24 से 2025–26 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.00 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यह प्रावधान भी है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल देयता वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक क्रमशः 32.6, 33.3, 33.1, 32.8 और 32.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7.34 जैसा कि ऊपर पैरा 7.27 में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2026–27 से राज्य सरकार को अधिक राजस्व व्यय करना पड़ेगा, जिससे पूंजीगत व्यय पर स्पष्ट दबाव पड़ेगा, राज्य सरकार ने इसी अनुरूप 16वें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत अपने ज्ञापन में वर्ष 2026–27 से आगे राजस्व घाटा/राजस्व आवश्यकता अनुदान की निम्नलिखित मांग को इंगित किया गया है–

क्र.स.	वर्ष	राजस्व घाटा/आवश्यकता अनुदान (₹ करोड़ में)
1	2026-27	7163
2	2027-28	11506
3	2028-29	15295
4	2029-30	22055

क्र.स.	वर्ष	राजस्व घाटा/आवश्यकता अनुदान (₹ करोड़ में)
5	2030-31	30311

7.35 15वें वित्त आयोग की संस्तुति अवधि (वर्ष 2021–22 से 2025–26) तथा कोरोना महामारी के वर्ष 2020–21 में राज्य सरकार को केंद्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान निम्नानुसार प्राप्त हुआ। इन वर्षों में राज्य सरकार राजस्व अधिशेष की स्थिति में रही, जबकि इसके पूर्व यह राजस्व घाटे की स्थिति में थी–

(रू0 करोड़ में)

अवधि	वर्ष	संस्तुत अनुदान	अवमुक्त	टिप्पणी
पहला वर्ष (अलग से)	2020-21	5076	5076	
अनुदान अवधि	2021-22	7772	7772	
	2022-23	7137	7137	
	2023-24	6223	6223	
	2024-25	4916	4916	
	2025-26	2099	1924	फरवरी तक 2026
	कुल योग	**28147**	**26573**	

7.36 राज्य सरकार को अपने राजस्व व्यय को राजस्व आय की सीमान्तर्गत रखना आवश्यक है, ताकि वह राजस्व घाटा की स्थिति में न आए और उसका राजकोषीय घाटा समय–समय पर यथा संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम में निर्धारित सीमा के भीतर रहे। इसके साथ ही, उसे अपनी कुल देयताओं को अधिनियम में निर्दिष्ट सीमा के भीतर रखना भी आवश्यक है। यदि राजस्व प्राप्तियों के संबंध में राज्य सरकार का वास्तविक प्रदर्शन अनुमानित स्तर से कम रहता है या व्यय बढ़ता है, तो उक्त वित्तीय मानकों को प्राप्त करना कठिन होगा। चूंकि राज्य की आय केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदानों और आंतरिक ऋणों पर काफी निर्भर है, इसलिए राज्य के लिए राजस्व व्यय भार को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है, साथ ही आंतरिक ऋण को नियंत्रित रखना भी आवश्यक है। इस प्रकार, व्यय नियंत्रण के साथ–साथ स्वयं की राजस्व आय को अधिकतम करना अति आवश्यक है। इस संबंध में सुझाव और संस्तुतियाँ इस प्रतिवेदन के अध्याय–19 के अन्तर्गत अन्य संस्तुतियाँ में दी गई हैं।

अध्याय–8

उत्तराखंड राज्य की शासन–प्रशासन इकाइयाँ

8.1 उत्तराखंड राज्य दो मंडलों एवं तेरह जनपदों में विभाजित है। राज्य का पश्चिमी भाग गढ़वाल मंडल तथा पूर्वी भाग कुमाऊँ मंडल कहलाता है। गढ़वाल मंडल में 7 जनपद हैं, अर्थात् चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, देहरादून एवं हरिद्वार, जबकि कुमाऊँ मंडल में 6 जनपद हैं, अर्थात् पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चम्पावत, नैनीताल एवं उधम सिंह नगर। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 67 सब–डिविजन, 111 तहसीलें तथा 18 उप–तहसीलें और साथ ही 116 नगर एवं नगर समूह, 95 विकास खंड एवं 7817 ग्राम पंचायतें हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कुल 16,793 ग्राम हैं, जिनमें से 15,745 आबाद ग्राम हैं तथा शेष 1,048 निर्जन (आवादीहीन) ग्राम हैं।

8.2 पवित्र नदियाँ गंगा और यमुना गढ़वाल हिमालय में उद्गमित होती हैं तथा हिंदुओं के पवित्र तीर्थस्थल बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री भी यहीं स्थित हैं। पवित्र सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब भी गढ़वाल हिमालय में अवस्थित है। चार धाम यात्रा के दौरान प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु इन पवित्र धामों के दर्शन हेतु आते हैं। पवित्र नगर हरिद्वार और ऋषिकेश स्वयं भी प्रमुख तीर्थस्थल हैं तथा चार धाम यात्रा के प्रारंभ स्थल माने जाते हैं। मसूरी, लैंसडाउन, देहरादून, चकराता, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी आदि पर्यटन स्थल देश एवं विदेश से आने वाले पर्यटकों तथा साहसिक गतिविधि प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। हरिद्वार में बारह वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला कुंभ मेला तथा दो के मध्य आयोजित होने वाला अर्धकुंभ मेला अवधियों में करोड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति का साक्षी बनता है। इसी प्रकार पवित्र श्रावण मास में हरिद्वार एवं गंगा के ऊपरी क्षेत्रों से प्रारंभ होने वाली वार्षिक कांवड़ यात्रा के दौरान पखवाड़े भर में लाखों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त गढ़वाल हिमालय में पर्यटन गतिविधियाँ वर्षभर चलती रहती हैं, चाहे वह साहसिक गतिविधियाँ जैसे रिवर राफ्टिंग, हाइकिंग, ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, स्कीइंग हों अथवा प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना, दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, वन्यजीव सफारी आदि। कुमाऊँ मंडल में भी सर्वकालिक तीर्थस्थलों का अपना महत्व है—चितई गोलू देवता मंदिर, जागेश्वर मंदिर समूह, कैंची धाम, पूर्णागिरि आदि लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। पवित्र आदि कैलाश, कालापानी एवं ओम पर्वत परिपथ भी लोकप्रिय हो रहा हैं। नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जैसे पर्यटन स्थल वर्षभर पर्वतीय पर्यटन की विविध गतिविधियों हेतु लाखों पर्यटकों का स्वागत करते हैं।

8.3 उत्तराखंड में त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाएँ (जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत) और साथ ही तीनो प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) हैं। इसके अतिरिक्त छावनी क्षेत्रों में छावनी परिषदें भी कार्यरत हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्र के तीन मंदिर नगर—बदरीनाथ, केदारनाथ एवं गंगोत्री में मौसमी एवं अस्थायी जनसंख्या को नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु अनिर्वाचित नगर पंचायतें हैं।

8.4 राज्य गठन से अब तक पंचायती राज्य संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति निम्नलिखित तालिका में दर्शित है–

(अ) ग्रामीण पंचायती राज संस्थाऐं–

क्र.सं.	वर्ष	ग्राम पंचायतें	क्षेत्र पंचायतें	जिला पंचायतें
1	2001	7055	95	13
2	2011	7545	95	13

3	2023	7791	95	13
4	2024	7795	95	13
5	2025 (वर्तमान)	7817	95	13

(ब) शहरी स्थानीय निकाय–

क्र.सं.	वर्ष	कुल नगर निकाय	नगर पंचायतें	नगर पालिका परिषद्	नगर निगम
1	2001	63	31	31	01
2	2011	72	38	28	06
3	2023	102	44	49	09
4	2024	105	49	47	09
5	2025 (वर्तमान)	108	51	46	11

उपरोक्त आंकड़ों में तीन अनिर्वाचित नगर पंचायतें तथा उधम सिंह नगर की सिरौली कलां नगर पालिका परिषद सम्मिलित हैं। उपरोक्त शहरी स्थानीय निकायों के अतिरिक्त राज्य में कुल नौ छावनी परिषदें भी स्थापित हैं।

8.5 आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25, भाग–1 तथा राज्य के शहरी विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या के सापेक्ष शहरी जनसंख्या वर्ष 2001 में 21.72 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 26.55 प्रतिशत हो गई तथा वर्ष 2024 में इसके 36.77 प्रतिशत होने का अनुमान किया गया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तकनीकी समूह प्रतिवेदन (जुलाई 2020) के अनुसार, उत्तराखंड में कुल जनसंख्या के सापेक्ष शहरीकरण का प्रतिशत वर्ष 2011 में 30.2 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2026 में 37.3 प्रतिशत, वर्ष 2031 में 39.6 प्रतिशत तथा वर्ष 2036 में 42 प्रतिशत होना प्रक्षेपित किया गया है। अतः उपर्युक्त आंकड़ों में इंगित शहरीकरण की तीव्र वृद्धि के दृष्टिगत राज्य को शहरी नियोजन तथा अवसंरचना विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करना होगा, जिसमें पर्याप्त आवास की व्यवस्था, सभी नागरिक सेवाओं एवं सुविधाओं का प्रावधान तथा आजीविका के अवसरों का सृजन सम्मिलित है, ताकि शहरों, कस्बों एवं शहरी समूहों को वहाँ आने वाले प्रवासियों को समुचित रूप से समायोजित करने में सक्षम बनाया जा सके। इसके लिए शहरी स्थानीय निकायों को कार्य, कार्मिक एवं वित्तीय अधिकारों का हस्तांतरण कर उन्हें सशक्त, सक्षम एवं उत्तरदायी बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक आवश्यकता है।

8.6 निम्नलिखित तालिका में जनपद वार ग्रामीण पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों की संख्या अवलोकनीय है–

तालिका 8.1

क्र.सं.	जनपद	जिला पंचायत संख्या	क्षेत्र पंचायत संख्या	ग्राम पंचायत संख्या	कुल शहरी स्थानीय निकाय संख्या	नगर निगम संख्या	नगर पालिका परिषद् संख्या	नगर पंचायत संख्या
(क)	**गढ़वाल मण्डल**							
1	चमोली	1	9	615	11	–	4	7
2	देहरादून	1	6	409	7	2	4	1
3	हरिद्वार	1	6	318	14	2	3	9
4	पौड़ी	1	15	1166	7	2	2	3
5	रूद्रप्रयाग	1	3	333	6	–	1	5
6	टिहरी	1	9	1049	11	–	5	6

क्र.सं.	जनपद	जिला पंचायत संख्या	क्षेत्र पंचायत संख्या	ग्राम पंचायत संख्या	कुल शहरी स्थानीय निकाय संख्या	नगर निगम संख्या	नगर पालिका परिषद् संख्या	नगर पंचायत संख्या
7	उत्तरकाशी	1	6	521	6	—	4	2
	योग–	**7**	**54**	**4411**	**62**	**6**	**23**	**33**
(ख)	**कुमाऊँ मण्डल**							
8	अल्मोड़ा	1	11	1160	5	1	1	3
9	बागेश्वर	1	3	405	3	—	1	2
10	चम्पावत	1	4	312	5	—	3	2
11	नैनीताल	1	8	475	7	1	5	1
12	पिथौरागढ़	1	8	681	6	1	4	1
13	ऊधम सिंह नगर	1	7	373	20	2	9	9
	योग–	**6**	**41**	**3406**	**46**	**5**	**23**	**18**
	महायोग	**13**	**95**	**7817**	**108**	**11**	**46**	**51**

उपरोक्त आंकड़ों में तीन अनिर्वाचित नगर पंचायतें तथा उधम सिंह नगर की सिरौली कलां नगर पालिका परिषद सम्मिलित हैं।

8.7 राज्य गठन से वर्तमान तक राज्य सरकार द्वारा कुल छः राज्य वित्त आयोग गठित किये गए हैं। प्रत्येक वित्त आयोग के समय राज्य में शहरी स्थानीय निकायों एवं ग्रामीण पंचायतों की संख्या आदि में कुछ भिन्नता है जिसका विवरण नीचे तालिका 8.2 में वर्णित है–

तालिका 8.2
विभिन्न राज्य वित्त आयोगो के समय शहरी स्थानीय निकायों तथा ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं का संक्षिप्त विवरण

प्रथम राज्य वित्त आयोग (2001–06)				द्वितीय राज्य वित्त आयोग (2006–11)			तृतीय राज्य वित्त आयोग (2011–16)		
निकाय /पंचायत	निकायों की संख्या	जनसंख्या 2001	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी	निकायों की संख्या	जनसंख्या 2001	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी	निकायों की संख्या	जनसंख्या 2001	क्षेत्रफल वर्ग कि. मी
शहरी स्थानीय निकाय									
नगर निगम	1	447808	52	1	426674	52	3	763079	74.53
नगर पालिका परिषद	31	1203759	321	31	1245543	353.29	30	911388	331.76
नगर पंचायत	28	188778	126.72	28	190172	126.72	27	187922	133.60
गैरनिर्वाचित नगर पंचायत	3	1926	4.90	3	2769	4.94	3	-	4.94
योग	**63**			**63**			**63**		
ग्रामीण पंचायत (क्षेत्रफल हेक्टयर में)									
जिला पंचायत	13	6309317	52814	13	6495993	52814	13	6495993	52814
क्षेत्र पंचायत	95	6309317	52814	95	6495993	52814	95	6495993	52814
ग्राम पंचायत	7055	6309317	52814	7308	6495993	52814	7545	6495993	52814
योग	**7163**			**7416**			**7653**		
कुल योग	**7226**			**7479**			**7716**		

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (2016–21)				पंचम राज्य वित्त आयोग (2021–26)			छठवॉ राज्य वित्त आयोग (2026–31)
निकाय/पंचायत	निकायों की संख्या	जनसंख्या 2001	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी	निकायों की संख्या	जनसंख्या 2011	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी	निकायों की संख्या
शहरी स्थानीय निकाय							
नगर निगम	6	1416301	124.66	8	2113224	467.02	11
नगर पालिका परिषद	34+(3)*	800299	342.80	41	1049093	547.98	46
नगर पंचायत	20+(25)*	172725	70.72	39	282885	168.63	51
गैरनिर्वाचित नगर पंचायत	3	-	-	3	-	-	-
योग	**63+(28)**			**91**			**108**

ग्रामीण पंचायत							
जिला पंचायत	13	7233372	2826440	13	6297984	2042218	13
क्षेत्र पंचायत	95	7233372	2826440	95	6297984	2042218	95
ग्राम पंचायत	8633	7233372	2826440	7390	6297984	2042218	7817
योग	**8741**			**7498**			**7925**
कुल योग	**8804+(28)**			**7589**			**8033**

उपरोक्त आंकड़ों में तीन अनिर्वाचित नगर पंचायतें तथा उधम सिंह नगर की सिरौली कलां नगर पालिका परिषद सम्मिलित हैं।

8.8 उत्तराखण्ड राज्य में जनपद वार वर्तमान ग्रामीण पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों की सूची निम्नानुसार दृष्टव्य है–

(क) जनपद वार शहरी स्थानीय निकाय

क्र.सं.	जनपद	नगर निगम	नगर पालिका परिषद्	नगर पंचायत
(अ)	**गढ़वाल मण्डल**			
1	देहरादून	1 नगर निगम, देहरादून 2 नगर निगम, ऋषिकेश	1 नगर पालिका परिषद, विकासनगर 2 नगर पालिका परिषद, मसूरी 3 नगर पालिका परिषद, हरबर्टपुर 4 नगर पालिका परिषद, डोईवाला	1 नगर पंचायत, सेलाकूई
	योग–	**2**	**4**	**1**
2	हरिद्वार	1 नगर निगम, हरिद्वार 2 नगर निगम, रूडकी	1 नगर पालिका परिषद, मंगलौर 2 नगर पालिका परिषद, लक्सर 3 नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर	1 नगर पंचायत, लण्ढौरा 2 नगर पंचायत, झबरेडा 3 नगर पंचायत, भगवानपुर 4 नगर पंचायत, पिरान कलियर 5 नगर पंचायत, ढंढेरा 6 नगर पंचायत, इमलीखेडा 7 नगर पंचायत, पाडली गुर्जर 8 नगर पंचायत, रामपुर 9 नगर पंचायत, सुल्तानपुर आदमपुर
	योग–	**2**	**3**	**9**
3	उत्तरकाशी	–	1 नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी 2 नगर पालिका परिषद, बडकोट 3 नगर पालिका परिषद, पुरोला 4 नगर पालिका परिषद, चिन्यालीसौड	1 नगर पंचायत, गंगोत्री (अनिर्वाचित) 2 नगर पंचायत, नौगांव
	योग–	**–**	**4**	**2**
4	चमोली	–	1 नगर पालिका परिषद, चमोली–गोपेश्वर 2 नगर पालिका परिषद, जोशीमठ 3 नगर पालिका परिषद, गौचर 4 नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग	1 नगर पंचायत, बद्रीनाथ (अनिर्वाचित) 2 नगर पंचायत, नन्दप्रयाग 3 नगर पंचायत, पोखरी 4 नगर पंचायत, गैरसैण 5 नगर पंचायत, थराली 6 नगर पंचायत, पीपलकोटी 7 नगर पंचायत, नन्दानगर
	योग–	**–**	**4**	**7**
5	टिहरी	–	1 नगर पालिका परिषद, मुनि की रेती–ढालवाला 2 नगर पालिका परिषद, देवप्रयाग 3 नगर पालिका परिषद, चम्बा 4 नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर 5 नगर पालिका परिषद, टिहरी	1 नगर पंचायत कीर्तिनगर 2 नगर पंचायत, घनसाली 3 नगर पंचायत, गजा 4 नगर पंचायत, लम्बगांव 5 नगर पंचायत, चमियाला 6 नगर पंचायत, तपोवन
	योग–	–	**5**	**6**

क्र.सं.	जनपद	नगर निगम	नगर पालिका परिषद्	नगर पंचायत
6	रूद्रप्रयाग	–	1 नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग	1 नगर पंचायत केदारनाथ (अनिर्वाचित) 2 नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि 3 नगर पंचायत, ऊखीमठ 4 नगर पंचायत, तिलवाड़ा 5 नगर पंचायत, गुप्तकाशी
	योग–	–	**1**	**5**
7	पौडी	1 नगर निगम, श्रीनगर 2 नगर निगम, कोटद्वार	1 नगर पालिका परिषद, पौडी 2 नगर पालिका परिषद, दुगड्डा	1 नगर पंचायत, सतपुली 2 नगर पंचायत, थलीसैण 3 नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक
	योग–	**2**	**2**	**3**
	योग गढ़वाल मण्डल	**6**	**23**	**33**
(ब)	**कुमाऊँ मण्डल**			
8	पिथौरागढ	1 नगर निगम, पिथौरागढ	1 नगर पालिका परिषद, धारचूला 2 नगर पालिका परिषद, डीडीहाट 3 नगर पालिका परिषद, गंगोलीहाट 4 नगर पालिका परिषद, बेरीनाग	1 नगर पंचायत, मुनस्यारी
	योग–	**1**	**4**	**1**
9	चम्पावत	–	1 नगर पालिका परिषद, टनकपुर 2 नगर पालिका परिषद, चम्पावत 3 नगर पालिका परिषद, लोहाघाट	1 नगर पंचायत, बनबसा 2 नगर पंचायत, पाटी
	योग–	–	**3**	**2**
10	अल्मोडा	1 नगर निगम, अल्मोडा	1 नगर पालिका परिषद, रानीखेत–चिनियानौला	1 नगर पंचायत, द्वाराहाट 2 नगर पंचायत, भिकियासैंण 3 नगर पंचायत, चौखुटिया
	योग–	**1**	**1**	**3**
11	बागेश्वर	–	1 नगर पालिका परिषद, बागेश्वर	1 नगर पंचायत, कपकोट 2 नगर पंचायत, गरूड़
	योग–	–	**1**	**2**
12	नैनीताल	1 नगर निगम, हल्द्वानी–काठगोदाम	1 नगर पालिका परिषद, नैनीताल 2 नगर पालिका परिषद, रामनगर 3 नगर पालिका परिषद, भवाली 4 नगर पालिका परिषद, कालाढुंगी 5 नगर पालिका परिषद, लालकुंआ	1 नगर पंचायत, भीमताल
	योग–	**1**	**5**	**1**
13	उधमसिंह नगर	1 नगर निगम, काशीपुर 2 नगर निगम, रूद्रपुर	1 नगर पालिका परिषद, बाजपुर 2 नगर पालिका परिषद, गदरपुर 3 नगर पालिका परिषद, जसपुर 4 नगर पालिका परिषद, किच्छा 5 नगर पा0 परिषद, सितारगंज 6 नगर पालिका परिषद, खटीमा 7 नगर पालिका परिषद, महुआखेडागंज 8 नगर पालिका परिषद, नगला 9 नगर पालिका परिषद, सिरौली कलां*	1 नगर पंचायत, महुवाडावरा 2 नगर पंचायत, सुल्तानपुर पट्टी 3 नगर पंचायत, केलाखेडा 4 नगर पंचायत, दिनेशपुर 5 नगर पंचायत, शक्तिगढ 6 नगर पंचायत, नानकमत्ता 7 नगर पंचायत, गुलरभोज 8 नगर पंचायत, लालपुर 9 नगर पंचायत, गढ़ी नेगी
	योग–	**2**	**9**	**9**
	योग कुमाऊँ मण्डल	**5**	**23**	**18**
	महायोग (उत्तराखण्ड)	**11**	**46**	**51**

*** अभी कार्यरत नही हैं।**

(ख) जनपद वार ग्रामीण पंचायतें

क्र.सं.	जनपद	जिला पंचायत	क्षेत्र पंचायत	ग्राम पंचायत (संख्या)
(अ)	**गढ़वाल मण्डल**			
1	देहरादून	1 देहरादून	1 डोईवाला	38
			2 रायपुर	35
			3 सहसपुर	50
			4 विकासनगर	53
			5 चकराता	117
			6 कालसी	111
	योग–	**01**	**06**	**409**
2	हरिद्वार	1 हरिद्वार	1 भगवानपुर	54
			2 खानपुर	25
			3 रूड़की	45
			4 नारसन	63
			5 लक्सर	51
			6 बहादराबाद	80
	योग–	**01**	**06**	**318**
3	उत्तरकाशी	1 उत्तरकाशी	1 भटवाड़ी	86
			2 डुण्डा	103
			3 चिन्यालीसैण	83
			4 नौगाँव	134
			5 पुरोला	45
			6 मोरी	70
	योग–	**01**	**06**	**521**
4	चमोली	1 चमोली	1 कर्णप्रयाग	**94**
			2 जोशीमठ	**58**
			3 दशोली	**67**
			4 घाट	**54**
			5 पोखरी	**73**
			6 गैरसैण	**95**
			7 थराली	**48**
			8 देवाल	**47**
			9 नारायणबगड़	**79**
	योग–	**01**	**09**	**615**
5	टिहरी	1 टिहरी	1 नरेन्द्र नगर	120
			2 कीर्तिनगर	97
			3 चम्बा	104
			4 देवप्रयाग	105
			5 भिलंगना	186
			6 थौलधार	95
			7 जौनपुर	149
			8 प्रतापनगर	101
			9 जाखणीधार	92
	योग–	01	**09**	**1049**
6	रूद्रप्रयाग	1 रूद्रप्रयाग	1 अगस्त्यमुनी	159

क्र.सं.	जनपद	जिला पंचायत	क्षेत्र पंचायत	ग्राम पंचायत (संख्या)
			2 जखोली	108
			3 ऊखीमठ	66
	योग–	01	**03**	**333**
7	पौडी	1 पौडी	1 बीरोंखाल	95
			2 द्वारीखाल	97
			3 दुग्गड्डा	67
			4 एकेश्वर	82
			5 जयहरीखाल	73
			6 कल्जीखाल	87
			7 खिर्सू	45
			8 कोट	68
			9 नैनीडांडा	88
			10 रिखणीखाल	81
			11 थलीसैण	103
			12 यमकेश्वर	86
			13 पौड़ी	62
			14 पाबो	72
			15 पोखड़ा	60
	योग–	**01**	**15**	**1166**
	योग गढ़वाल मण्डल	**07**	**54**	**4411**
(ब)	**कुमाऊँ मण्डल**			
8	पिथौरागढ	1 पिथौरागढ	1 गंगोलीहाट	**117**
			2 मुनाकोट	**76**
			3 कनालीछीना	**92**
			4 धारचूला	**62**
			5 पिथौरागढ़	**85**
			6 डीडीहाट	**71**
			7 मुनस्यारी	**94**
			8 बेरीनाग	**84**
	योग–	**01**	**08**	**681**
9	चम्पावत	1 चम्पावत	1 लोहाघाट	**67**
			2 बाराकोट	**48**
			3 पाटी	**83**
			4 चम्पावत	**113**
	योग–	**01**	**04**	**312**
10	अल्मोडा	1 अल्मोडा	1 स्याल्दे	95
			2 ताकुला	89
			3 धौलादेवी	110
			4 भैंसियाछाना	53
			5 हवलबाग	126
			6 लमगड़ा	103
			7 द्वाराहाट	122
			8 सल्ट	138
			9 भिक्यासैण	99
			10 ताड़ीखेत	130

क्र.सं.	जनपद	जिला पंचायत	क्षेत्र पंचायत	ग्राम पंचायत (संख्या)
			11 चौखुटियाँ	95
	योग–	**01**	**11**	**1160**
11	बागेश्वर	1 बागेश्वर	1 कपकोट	122
			2 गरूड़	101
			3 बागेश्वर	182
	योग–	**01**	**03**	**405**
12	नैनीताल	1 नैनीताल	1 भीमताल	**60**
			2 ओखलकाण्डा	**75**
			3 बेतालघाट	**75**
			4 हल्द्वानी	**60**
			5 रामनगर	**50**
			6 रामगढ़	**59**
			7 कोटाबाग	**56**
			8 धारी	**41**
	योग–	**01**	**08**	**475**
13	उधमसिंह नगर	1 उधमसिंह नगर	1 खटीमा	59
			2 सितारगंज	76
			3 रूद्रपुर	42
			4 गदरपुर	52
			5 बाजपुर	59
			6 काशीपुर	34
			7 जसपुर	59
	योग–	**01**	**07**	**373**
	योग कुमाऊँ मण्डल	**06**	**41**	**3406**
	महायोग (उत्तराखण्ड)	**13**	**95**	**7817**

8.9 अनुसूची–XI एवं अनुसूची–XII में उल्लिखित अधिकांश नगरपालिका एवं पंचायत संबंधी कार्य राज्य सरकार के संबंधित विभागों, निगमों, परिषदों तथा अन्य अर्ध–सरकारी संस्थाओं (पैरास्टेटल निकायों) द्वारा संपादित/निष्पादित किए जा रहे हैं। ये विभाग एवं पैरास्टेटल निकाय संबंधित पंचायतों अथवा शहरी स्थानीय निकायों के प्रति अत्यंत सीमित अथवा नाममात्र के लिए उत्तरदायी हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से अपने विभागाध्यक्षों एवं राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। वित्तीय संसाधन भी सीधे इन्हें प्रवाहित होते हैं। इनके कार्मिक संबंधित पंचायतों अथवा शहरी स्थानीय निकायों के नियंत्रण में नहीं होते। इसके अतिरिक्त, केंद्र प्रायोजित योजनाओं/परियोजनाओं अथवा बहुपक्षीय सहायता एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए स्थापित परियोजना निदेशालय, परियोजना प्रबंधन इकाइयाँ अथवा विशेष प्रयोजन संस्थाऐ भी पंचायतों या शहरी स्थानीय निकायों के प्रति कदापि उत्तरदायी नहीं होते।

8.10 राज्य की पंचायती राज संस्थाएँ एवं शहरी स्थानीय निकाय 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 243–ख एवं 243–थ के अंतर्गत स्थापित हैं तथा इस रूप में इन्हें 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से वर्ष 1993 से इन्हें संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। ये संस्थाएँ राज्य एवं केंद्र सरकार के अतिरिक्त शासन की तृतीय/जमीनी स्तर की स्वशासन इकाइयाँ हैं।

8.11 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 243–छ एवं 243–ब तथा अनुसूची–XI एवं अनुसूची–XII में क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियों, अधिकारों एवं दायित्वों के हस्तांतरण का

प्रावधान किया गया है। तदनुसार, अनुसूची–XI के अंतर्गत 29 विषय तथा अनुसूची–XII के अंतर्गत 18 विषय राज्य सरकार द्वारा इन संस्थाओं/निकायों को हस्तांतरित किए जाने अपेक्षित हैं। उत्तराखंड में पंचायती राज संस्थाएँ एवं शहरी स्थानीय निकाय, उपर्युक्त संवैधानिक संशोधनों के प्रभावी होने के लगभग 32 वर्ष पश्चात भी, इस संदर्भ में केवल नाममात्र की भूमिका निभा रहे हैं। राज्य सरकारों ने संविधान के अनिवार्य प्रावधानों का पालन तो किया है, परंतु जिन प्रावधानों के अंतर्गत अनुच्छेद 243–छ एवं 243–ब के अनुसार इन निकायों को शक्तियों, अधिकारों एवं दायित्वों का विधिक प्रावधानों के माध्यम से हस्तांतरित करने के लिए उनके अनुपालन के प्रति पर्याप्त तत्परता प्रदर्शित नहीं की गई है। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है, विभाग, निगम, परिषद्, प्राधिकरण एवं अन्य अर्ध–सरकारी संस्थाएँ पंचायत एवं नगरपालिका संबंधी कार्यों का निर्वहन बिना उनके प्रति उत्तरदायी हुए निरंतर करती आ रही हैं। परिणामस्वरूप, संवैधानिक संशोधनों के पीछे निहित उद्देश्य एवं मंशा अभी तक पूर्णतः साकार नहीं हो सकी है।

8.12 पूर्ववर्ती अनुच्छेद में वर्णित वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत, विभागों एवं अर्ध–सरकारी संस्थाओं (पैरास्टेटल निकायों) के कार्यों, गतिविधियों एवं प्रदर्शन का पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों के साथ किसी प्रकार का कोई समन्वय एवं एकीकरण नहीं है और परिणामस्वरूप कार्यों की पुनरावृत्ति, संसाधनों का अपव्यय, स्थानीय संसाधनों का उपयोग न होना तथा सेवा प्रदाय का स्तर अपर्याप्त है एवं यथेष्ट नही है। इस प्रकार की स्थिति में अंततः नागरिक ही पीड़ित होते है अथवा उन्हें त्वरित एवं प्रभावी सेवाएँ यथोचित रूप से प्राप्त नहीं होती तथा उनकी शिकायतें अधिकांशतः अनसुलझी रह जाती हैं।

अध्याय–9

पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति और उनके पूर्वानुमान; सुधार के प्रयास एवं सुझाव

9.1 जो क्षेत्र एवं जनसंख्या शहरी स्थानीय निकायों की सीमाओं के अंतर्गत नहीं आते, वे पंचायती राज संस्थाओं के अधीन हैं। तथापि, आरक्षित वनों तथा विस्तृत निर्जन हिमाच्छादित एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। इस प्रकार वर्तमान में राज्य में पंचायती राज संस्थाएँ तुलनात्मक रूप से अधिक क्षेत्रफल एवं जनसंख्या को आच्छादित करती हैं। इन दोनों प्रकार की स्थानीय शासन इकाइयों के मध्य, उन्हें हस्तांतरित एवं/अथवा उनके द्वारा निष्पादित कार्यों एवं विषयों, उनकी स्वयं की आय, जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व, कार्मिक व्यवस्था तथा नागरिक सेवाओं, सार्वजनिक सुविधाओं एवं अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं के संदर्भ में भिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि शहरी स्थानीय निकायों पर पंचायती राज संस्थाओं की अपेक्षा अधिक दायित्व हैं। पंचायती राज संस्थाओं की तीन श्रेणियों में से ग्राम पंचायतें एवं क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतों की तुलना में सीमित दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। साथ ही, मध्यवर्ती पंचायती राज संस्था के रूप में क्षेत्र पंचायतें, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा व्यवहारिक रूप से भी अत्यंत सीमित दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं।

9.2 'भारतीय लोक प्रशासन संस्थान' द्वारा "DESIGNING EFFECTIVE FISCAL TRANSFERS TO BUILD PANCHAYAT CAPACITY AND DELIVER SERVICES: PRINCIPLES AND PRACTICES" विषयक किये गये अध्ययन, में नमूना जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार प्रकट हुई है–

(क) नमूना जिला पंचायतों की वित्तीय स्थिति (कुल व्यय के सापेक्ष प्रतिशत अंश में)

वर्ष	देहरादून						
	कुल राजस्व	कुल स्वयं का राजस्व	कर राजस्व	करेत्तर राजस्व	अन्य अनुदान	केन्द्रीय वित्त आयोग	राज्य वित्त आयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
2021-22	83.7	11.2	0.3	10.9	17.9	21.7	32.9
2022-23	83.8	17.3	0.6	16.6	8.7	12.4	45.5
2023-24	111.1	13.9	0.7	13.2	11.7	23.6	61.9
2024-25	104.7	16.5	0.5	16.1	7.1	13.8	67.3
2025-26 अनुमानित	80.9	11.0	0.6	10.4	6.8	12.6	50.5

वर्ष	पिथौरागढ़						
	कुल राजस्व	कुल स्वयं का राजस्व	कर राजस्व	करेत्तर राजस्व	अन्य अनुदान	केन्द्रीय वित्त आयोग	राज्य वित्त आयोग
1	9	10	11	12	13	14	15
2021-22	47.4	2.8	0	2.8	14.8	10.4	19.3
2022-23	90.9	4.8	0	4.8	43.1	11.0	32.0
2023-24	109.4	18.0	0	18.0	50.7	9.7	31.0
2024-25	100.2	7.7	0	7.7	43.6	5.6	43.2
2025-26 अनुमानित	20.4	13.2	0	13.2	0.3	7.0	-

स्रोतः भा.लो.प्र. संस्थान का अध्ययन प्रतिवेदन

(ख) कुल व्यय के सापेक्ष मुख्य घटकवार प्रतिशत अंश में व्यय विवरण

व्यय मद	देहरादून					पिथौरागढ़				
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
(1) राजस्व व्यय	39.7	44.4	43.1	40.9	41.13	4.83	5.8	8.4	0.9	8.3
उक्त में कार्यालय/ अधिष्ठान व्यय	13.8	20.5	18.7	15.5	15.9	—	—	—	—	—
परिसम्पत्तियों का रखरखाव	25.9	23.9	24.4	25.4	25.2	—	—	—	—	—
(2) पूंजी व्यय	60.3	55.6	56.9	59.1	58.9	95.2	94.2	91.6	99.1	91.7

स्रोतः भा.लो.प्र. संस्थान का अध्ययन प्रतिवेदन

(ग) नमूना क्षेत्र पंचायतों की वित्तीय स्थिति (रूपये लाख में)

नमूना क्षेत्र पंचायत	आय स्रोत विवरण	वर्ष									
		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
दशौली	स्वयं के स्रोत से आय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य स्रोत से आय	117.00	117.00	109.00	109.00	117.00	117.00	117.00	108.40	82.00	82.00
	राज्य से	66.4	59.4	93.6	88.6	104.00	92.8	122.2	101.1	158.0	102.0
	केन्द्रीय वित्त आयोग	46.4	42.3	35.7	31.6	39.3	36.0	39.7	36.5	21.1	—
	राज्य वित्त आयोग	66.4	59.4	65.6	60.6	93.1	82.1	112.6	91.5	126.0	70.0
डोईवाला	स्वयं के स्रोत से आय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य स्रोत	234.9	234.9	357.0	357.0	401.6	401.6	420.6	420.6	419.1	419.1
	राज्य से	3.00	3.00	5.00	5.00	1.3	1.3	3.00	3.00	8.00	8.00
	केन्द्रीय वित्त आयोग	—	71.2	—	52.4	—	40.4	—	45.9	—	46.6
	राज्य वित्त आयोग	—	183.9	—	173.8	—	121.8	—	144.6	—	192.3
भगवानपुर	स्वयं के स्रोत से आय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य स्रोत	3.8	3.8	8.8	8.8	18.8	18.8	31.00	31.0	4.8	4.8
	राज्य से	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	केन्द्रीय वित्त आयोग	—	—	94.5	94.5	102.4	102.4	103.4	103.4	54.8	54.8
	राज्य वित्त आयोग	—	—	163.8	163.8	242.5	242.5	293.3	293.3	328.2	328.2

स्रोतः भा.लो.प्र. संस्थान का अध्ययन प्रतिवेदन

(घ) नमूना ग्राम पंचायतों की वित्तीय आय स्थिति (रूपये लाख में)

नमूना ग्राम पंचायत	आय स्रोत विवरण	वर्ष									
		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
उरगम	स्वयं के स्रोत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	केन्द्रीय वित्त	6.4	6.4	4.7	3.1	5.3	5.3	5.4	2.6	—	—

नमूना ग्राम पंचायत	आय स्रोत विवरण	वर्ष									
		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
	आयोग										
	राज्य वित्त आयोग	1.5	0.1	1.5	1.5	4.3	3.1	5.2	6.0	5.9	2.8
रायपुर	स्वयं के स्रोत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	केन्द्रीय वित्त आयोग	22.4	22.4	16.5	16.5	18.0	18.0	18.2	18.2	9.6	9.6
	राज्य वित्त आयोग	5.1	5.1	5.1	5.1	14.6	14.6	17.7	17.7	19.9	19.9
एमकेडिया	स्वयं के स्रोत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	केन्द्रीय वित्त आयोग	4.4	4.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	2.3	3.5	–
	राज्य वित्त आयोग	1.0	1.0	1.0	1.0	2.4	2.4	3.2	2.4	3.7	–
	अन्य स्रोतों से अनुदान	–	–	–	–	–	–	10.00	10.00	–	–

स्रोतः भा.लो.प्र. संस्थान का अध्ययन प्रतिवेदन

9.3 आयोग द्वारा 'सेतु आयोग' के माध्यम कराए गए अध्ययन अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व प्राप्तियों के विवरण इस प्रकार इंगित हुए हैं–

पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व प्राप्तियों के विवरण (रूपये करोड़ में)

वर्ष	स्वयं का राजस्व	कुल राजस्व के सापेक्ष स्वयं का राजस्व प्रतिशत अंश में	राज्य वित्त आयोग अनुदान	केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान	कुल राजस्व प्राप्ति	प्रति जनपद औसत	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
2012-13	18.37	7.11	170.53	69.35	258.25	19.87	-
2013-14	17.13	6.34	162.45	90.40	269.98	20.77	4.54
2014-15	18.04	5.84	191.92	98.81	308.77	23.75	14.37
2015-16	22.13	4.90	226.32	203.26	451.71	34.75	46.29
2016-17	34.38	6.33	226.95	281.45	542.78	41.75	20.16
2017-18	54.97	7.75	329.00	325.19	709.16	54.55	30.65
2018-19	67.41	8.02	396.47	376.19	840.07	64.62	18.46
2019-20	45.15	4.54	441.22	508.31	994.68	76.51	18.41
2020-21	64.27	5.94	443.43	574.00	1081.70	83.21	8.75
2021-22	62.79	6.93	418.89	425.00	906.68	69.74	-16.18
2022-23	76.23	6.21	551.52	599.72	1227.47	94.42	35.38
2023-24	124.71	8.63	654.90	665.40	1445.01	115.15	17.72
2024-25	-	-	790.00	693.50	1483.50	114.12	2.67
2025-26	-	-	889.00	693.57	1582.97	121.74	6.68

स्रोतः 'सेतु आयोग' अध्ययन प्रतिवेदन

9.4 'सेतु आयोग' माध्यम कराए गए अध्ययन में जिला पंचायत के राजस्व प्राप्तियों के विवरण निम्नानुसार इंगित हुए है–

जिला पंचायतों की राजस्व प्राप्तियाँ (धनराशि करोड़ में)

वर्ष	स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ			कुल राजस्व में स्वयं का राजस्व अंश (प्रतिशत में)	केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान	राज्य वित्त आयोग अनुदान	कुल अनुदान	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	प्रति जिला पंचायत औसत प्राप्तियाँ
	कर	करेत्तर	कुल						
1	2	3	(2+3) 4	5	6	7	(6+7) 8	(4+8) 9	10
2017-18	13.28	20.87	34.15	16.68	-	170.59	170.59	204.74	15.75
2018-19	13.27	28.39	41.66	17.40	-	198.24	198.24	239.90	18.45
2019-20	6.09	24.96	31.05	12.34	-	220.61	220.61	251.66	19.36
2020-21	3.68	40.67	44.35	15.04	28.70	221.71	250.41	294.76	22.67
2021-22	3.34	37.70	41.04	13.05	64.00	209.44	273.44	314.48	24.19
2022-23	7.85	53.61	61.46	17.10	91.13	206.82	297.95	359.41	27.65
2023-24	31.92	67.49	99.41	22.35	99.81	245.59	345.40	444.81	34.22
2024-25	-	-	-	-	104.03	296.00	400.03	400.03	30.77
2025-26	-	-	-	-	104.04	333.00	437.04	437.04	33.62

9.5 'सेतु आयोग' के अध्ययन रिपोर्ट अनुसार क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के राजस्व प्राप्तियों के विवरण निम्नानुसार हैं–

क्षेत्र पंचायतों की राजस्व प्राप्तियाँ (धनराशि करोड़ में)

वर्ष	स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ			कुलराजस्व में स्वयं का राजस्व अंश (प्रतिशत में)	केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान	राज्य वित्त आयोग अनुदान	कुल अनुदान	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	प्रति क्षेत्र पंचायत औसत प्राप्तियाँ
	कर	करेत्तर	कुल						
1	2	3	(2+3) 4	5	6	7	(6+7) 8	(4+8) 9	10
2017-18	0.01	6.53	6.54	8.21	0.000	73.112	73.112	79.65	0.84
2018-19	0	4.23	4.23	4.75	0.000	84.958	84.958	89.19	0.94
2019-20	0	5.30	5.30	5.31	0.000	94.550	94.550	99.85	1.05
2020-21	0	5.46	5.46	3.46	57.400	95.020	152.420	157.88	1.66
2021-22	0	7.90	7.90	5.62	43.000	89.760	132.760	140.66	1.48
2022-23	0	3.53	3.53	2.19	60.751	96.520	157.271	160.80	1.69
2023-24	0	7.10	7.10	3.77	66.540	114.610	181.150	188.25	1.98
2024-25	-	-	-	-	69.350	138.000	207.350	207.35	2.18
2025-26	-	-	-	-	69.357	156.000	225.357	225.36	2.37

ग्राम पंचायतों की राजस्व प्राप्तियाँ (धनराशि करोड़ में)

वर्ष	स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ			कुलराजस्व में स्वयं का राजस्व अंश (प्रतिशत में)	केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान	राज्य वित्त आयोग अनुदान	कुल अनुदान	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	प्रति ग्रामपंचायत औसत प्राप्तियाँ
	कर	करेत्तर	कुल						
1	2	3	(2+3) 4	5	6	7	(6+7) 8	(4+8) 9	10
2017-18	1.05	13.24	14.29	3.36	325.190	85.300	410.490	424.78	0.05
2018-19	4.09	17.33	21.42	4.19	376.190	113.280	489.470	510.89	0.07
2019-20	-	8.81	8.81	1.37	508.310	126.060	634.370	643.18	0.08
2020-21	0.10	14.37	14.47	2.30	487.900	126.700	614.600	629.07	0.08
2021-22	0.10	13.75	13.85	3.07	318.000	119.690	437.690	451.54	0.06
2022-23	0.08	11.17	11.25	1.59	447.850	248.180	696.030	707.28	0.09
2023-24	2.89	15.30	18.19	2.24	499.050	294.700	793.750	811.94	0.10
2024-25	-	-	-	-	520.130	356.000	876.130	876.13	0.11
2025-26	-	-	-	-	520.180	400.000	920.180	920.18	0.12

9.6 आयोग द्वारा समस्त जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों से उनकी आय एवं व्यय से सम्बन्धित विवरण प्रश्नावली प्रारूप में अपेक्षित किये गये। जिला पंचायतों के आय सम्बन्धी विवरण नीचे तालिका 9.1(क) एवं 9.1 (ख) में हैं–

तालिका 9.1 (क)
जिला पंचायतों के आय विवरण (रूपये लाख में)

जिला पंचायत	वित्तीय वर्ष	करों से स्वयं की राजस्व आय	करों से भिन्न मदों से स्वयं की राजस्व आय	स्वयं की कुल राजस्व आय (3+4)	अनुदान			विधायक/ सांसद निधि व अन्य स्रोत से	कुल राजस्व आय	
					राज्य वित्त आयोग	केन्द्रीय वित्त आयोग	कुल अनुदान (6+7)			
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+8)	11 (5+8+9)
जिला पंचायत अल्मोड़ा	2021-22	7.54	193.08	200.62	1,099.19	496.24	1,595.43	0.00	1,796.05	1,796.05
	2022-23	12.32	274.25	286.58	1,561.10	541.28	2,102.38	0.00	2,388.96	2,388.96
	2023-24	6.63	246.41	253.04	1,800.26	547.44	2,347.70	0.00	2,600.74	2,600.74
	2024-25	11.54	272.11	283.65	2,221.07	289.71	2,510.78	0.00	2,794.43	2,794.43
	2025-26	12.70	323.65	336.35	2,272.40	579.42	2,851.82	0.00	3,188.17	3,188.17
जिला पंचायत बागेश्वर	2021-22	2.97	197.66	200.63	780.46	302.08	1,082.54	0.00	1,283.17	1,283.17
	2022-23	0.20	277.87	278.07	1,035.77	254.46	1,290.23	0.00	1,568.31	1,568.31
	2023-24	1.48	302.72	304.19	1,187.41	392.02	1,579.43	0.00	1,883.62	1,883.62
	2024-25	1.07	251.07	252.14	1,321.45	270.05	1,591.50	0.00	1,843.65	1,843.65
	2025-26	20.00	450.00	470.00	1,400.00	500.00	1,900.00	0.00	2,370.00	2,370.00
जिला पंचायत चमोली	2021-22	10.31	211.39	221.70	1,315.77	710.75	2,026.52	0.00	2,248.23	2,248.23
	2022-23	12.80	291.12	303.92	1,541.62	421.02	1,962.64	0.00	2,266.56	2,266.56
	2023-24	14.38	376.54	390.92	2,145.18	645.69	2,790.87	0.00	3,181.79	3,181.79
	2024-25	13.85	370.91	384.76	2,193.39	448.28	2,641.67	0.00	3,026.43	3,026.43
	2025-26	24.00	505.20	529.20	2,400.00	900.00	3,300.00	0.00	3,829.20	3,829.20
जिला पंचायत चम्पावत	2021-22	0.00	76.68	76.68	501.00	221.98	722.98	102.65	799.66	902.31
	2022-23	0.00	109.00	109.00	672.00	233.10	905.10	62.19	1,014.10	1,076.29
	2023-24	0.00	111.00	111.00	775.00	235.74	1,010.74	52.09	1,121.74	1,173.83
	2024-25	0.00	101.00	101.00	956.00	124.76	1,080.76	28.62	1,181.76	1,210.38
	2025-26	0.00	120.00	120.00	1,150.00	300.00	1,450.00	210.00	1,570.00	1,780.00
जिला पंचायत देहरादून	2021-22	15.98	581.27	597.25	1,750.99	1,156.05	2,907.04	952.05	3,504.29	4,456.34
	2022-23	20.79	566.02	586.82	1,546.63	421.78	1,968.41	295.42	2,555.23	2,850.65
	2023-24	21.38	421.33	442.71	1,973.81	754.20	2,728.01	373.01	3,170.72	3,543.73
	2024-25	14.87	526.86	541.74	2,200.52	450.53	2,651.04	233.14	3,192.78	3,425.92
	2025-26	30.00	493.70	523.70	2,400.00	600.00	3,000.00	325.00	3,523.70	3,848.70
जिला पंचायत हरिद्वार	2021-22	55.66	397.27	452.93	3,220.28	1,065.00	4,285.28	0.00	4,738.21	4,738.21
	2022-23	56.61	443.69	500.30	2,874.91	801.77	3,676.68	0.00	4,176.98	4,176.98
	2023-24	60.53	428.84	489.37	4,000.39	1,229.59	5,229.98	0.00	5,719.35	5,719.35
	2024-25	69.38	568.61	637.99	4,090.33	853.17	4,943.50	0.00	5,581.49	5,581.49
	2025-26	55.00	698.09	753.09	4,200.00	1,200.00	5,400.00	0.00	6,153.09	6,153.09
जिला पंचायत नैनीताल	2021-22	0.55	89.73	90.28	989.76	369.94	1,359.70	0.00	1,449.98	1,449.98
	2022-23	4.45	237.64	242.09	1,045.15	362.40	1,407.55	0.00	1,649.64	1,649.64
	2023-24	8.21	356.35	364.56	1,205.27	366.50	1,571.77	0.00	1,936.33	1,936.33
	2024-25	11.64	493.77	505.41	1,487.03	193.96	1,680.99	0.00	2,186.40	2,186.40
	2025-26	13.00	759.50	772.50	1,700.00	600.00	2,300.00	0.00	3,072.50	3,072.50
जिला पंचायत पौड़ी गढवाल	2021-22	451.46	112.48	563.94	1,651.59	938.16	2,589.75	36.75	3,153.69	3,190.44
	2022-23	484.49	74.42	558.90	1,914.02	468.92	2,382.94	1.22	2,941.84	2,943.06
	2023-24	200.60	97.78	298.38	2,190.08	731.28	2,921.36	569.99	3,219.74	3,789.73
	2024-25	174.06	74.90	248.96	2,441.67	499.02	2,940.69	477.36	3,189.65	3,667.01
	2025-26	589.80	203.05	792.85	3,000.00	550.00	3,550.00	770.00	4,342.85	5,112.85
जिला	2021-22	0.00	165.98	165.98	1,128.79	609.69	1,738.48	862.91	1,904.46	2,767.37
	2022-23	0.00	268.52	268.52	1,778.88	609.27	2,388.15	2,398.00	2,656.67	5,054.67

जिला पंचायत	वित्तीय वर्ष	करों से स्वयं की राजस्व आय	करों से भिन्न मदों से स्वयं की राजस्व आय	स्वयं की कुल राजस्व आय (3+4)	अनुदान			विधायक / सांसद निधि व अन्य स्रोत से	कुल राजस्व आय	
					राज्य वित्त आयोग	केन्द्रीय वित्त आयोग	कुल अनुदान (6+7)			
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+8)	11 (5+8+9)
पंचायत पिथौरागढ़	2023-24	0.00	706.98	706.98	1,216.21	380.26	1,596.47	1,989.49	2,303.44	4,292.93
	2024-25	0.00	353.17	353.17	1,985.29	258.68	2,243.97	2,004.93	2,597.15	4,602.08
	2025-26	0.00	758.00	758.00	2,481.62	400.00	2,881.62	2,393.68	3,639.62	6,033.30
जिला पंचायत रूद्रप्रयाग	2021-22	9.28	109.66	118.94	622.59	433.50	1,056.09	5.00	1,175.03	1,180.03
	2022-23	8.99	438.26	447.25	1,080.02	369.27	1,449.29	64.12	1,896.53	1,960.65
	2023-24	10.94	751.34	762.28	860.52	391.24	1,251.76	114.03	2,014.04	2,128.07
	2024-25	11.44	633.51	644.96	1,340.48	271.18	1,611.66	136.92	2,256.62	2,393.54
	2025-26	15.00	809.75	824.75	1,600.00	500.00	2,100.00	168.50	2,924.75	3,093.25
जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल	2021-22	69.29	79.08	148.37	1,136.41	514.40	1,650.81	213.63	1,799.19	2,012.82
	2022-23	126.85	183.35	310.19	1,790.85	556.74	2,347.59	283.65	2,657.78	2,941.43
	2023-24	119.39	69.84	189.23	2,049.18	563.08	2,612.26	739.21	2,801.49	3,540.70
	2024-25	105.51	224.13	329.64	2,284.55	297.99	2,582.54	883.06	2,912.18	3,795.24
	2025-26	129.17	228.22	357.38	2,514.00	953.77	3,467.77	1,090.00	3,825.15	4,915.15
जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर	2021-22	36.41	363.82	400.23	1,477.86	699.50	2,177.36	20.00	2,577.59	2,597.59
	2022-23	45.86	332.53	378.39	2,360.40	644.21	3,004.61	56.06	3,383.00	3,439.06
	2023-24	42.77	571.40	614.17	3,012.35	988.64	4,000.99	126.69	4,615.16	4,741.85
	2024-25	50.71	553.71	604.41	3,358.35	686.37	4,044.72	476.34	4,649.13	5,125.47
	2025-26	55.00	625.61	680.61	3,500.00	831.10	4,331.10	500.00	5,011.71	5,511.71
जिला पंचायत उत्तरकाशी	2021-22	3.81	220.03	223.84	1,176.53	528.73	1,705.26	15.94	1,929.10	1,945.04
	2022-23	7.30	443.48	450.78	1,124.57	275.14	1,399.71	7.85	1,850.49	1,858.34
	2023-24	5.71	341.70	347.41	1,286.77	417.63	1,704.40	15.25	2,051.81	2,067.06
	2024-25	6.94	487.37	494.30	1,434.58	429.95	1,864.53	141.18	2,358.83	2,500.01
	2025-26	10.42	560.38	570.80	1,900.00	700.00	2,600.00	2,011.50	3,170.80	5,182.30

तालिका 9.1 (ख)
जिला पंचायतों के आय विवरण (प्रतिशत अंश में)

जिला पंचायतें	वर्ष	कुल राजस्व के सापेक्ष (विधायक निधि आदि को छोड़कर)					स्वयं के कुल राजस्व के सापेक्ष	
		स्वयं का कर राजस्व अंश (प्रतिशत में)	स्वयं का करेत्तर राजस्व अंश (प्रतिशत में)	स्वयं का कुल राजस्व अंश (प्रतिशत में)	राज्य वित्त आयोग अनुदान अंश (प्रतिशत में)	केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान अंश (प्रतिशत में)	स्वयं का कर राजस्व अंश (प्रतिशत में)	स्वयं का करेत्तर राजस्व अंश (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला पंचायत अल्मोड़ा	2023–24	0.25	9.47	9.73	69.22	21.05	2.62	97.38
	2024–25	0.41	9.74	10.15	79.48	10.37	4.07	95.93
जिला पंचायत बागेश्वर	2023–24	0.08	16.07	16.15	63.04	20.81	0.49	99.51
	2024–25	0.06	13.62	13.68	71.68	14.65	0.42	99.58
जिला पंचायत चमोली	2023–24	0.45	11.83	12.29	67.42	20.29	3.68	96.32
	2024–25	0.46	12.26	12.71	72.47	14.81	3.60	96.40
जिला पंचायत चम्पावत	2023–24	0.00	9.90	9.90	69.09	21.02	0.00	100.00
	2024–25	0.00	8.55	8.55	80.90	10.56	0.00	100.00
जिला पंचायत देहरादून	2023–24	0.67	13.29	13.96	62.25	23.79	4.83	95.17
	2024–25	0.47	16.50	16.97	68.92	14.11	2.75	97.25
जिला पंचायत हरिद्वार	2023–24	1.06	7.50	8.56	69.94	21.50	12.37	87.63
	2024–25	1.24	10.19	11.43	73.28	15.29	10.87	89.13
जिला पंचायत नैनीताल	2023–24	0.42	18.40	18.83	62.25	18.93	2.25	97.75
	2024–25	0.53	22.58	23.12	68.01	8.87	2.30	97.70
जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल	2023–24	6.23	3.04	9.27	68.02	22.71	67.23	32.77
	2024–25	5.46	2.35	7.81	76.55	15.64	69.91	30.09

जिला पंचायतें	वर्ष	कुल राजस्व के सापेक्ष (विधायक निधि आदि को छोड़कर)					स्वयं के कुल राजस्व के सापेक्ष	
		स्वयं का कर राजस्व अंश (प्रतिशत में)	स्वयं का करेत्तर राजस्व अंश (प्रतिशत में)	स्वयं का कुल राजस्व अंश (प्रतिशत में)	राज्य वित्त आयोग अनुदान अंश (प्रतिशत में)	केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान अंश (प्रतिशत में)	स्वयं का कर राजस्व अंश (प्रतिशत में)	स्वयं का करेत्तर राजस्व अंश (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला पंचायत पिथौरागढ	2023–24	0.00	30.69	30.69	52.80	16.51	0.00	100.00
	2024–25	0.00	13.60	13.60	76.44	9.96	0.00	100.00
जिला पंचायत रूद्रप्रयाग	2023–24	0.54	37.31	37.85	42.73	19.43	1.44	98.56
	2024–25	0.51	28.07	28.58	59.40	12.02	1.77	98.23
जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल	2023–24	4.26	2.49	6.75	73.15	20.10	63.09	36.91
	2024–25	3.62	7.70	11.32	78.45	10.23	32.01	67.99
जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर	2023–24	0.93	12.38	13.31	65.27	21.42	6.96	93.04
	2024–25	1.09	11.91	13.00	72.24	14.76	8.39	91.61
जिला पंचायत उत्तरकाशी	2023–24	0.28	16.65	16.93	62.71	20.35	1.64	98.36
	2024–25	0.29	20.66	20.96	60.82	18.23	1.40	98.60

9.7 उपरोक्त तालिका 9.1 (ख) से स्पष्ट है कि जिला पंचायतों की स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व प्राप्तियाँ, कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में 8 प्रतिशत से 29–30 प्रतिशत तक हैं, जिनमें वर्ष–दर–वर्ष उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है। उनके स्वयं के राजस्व में कर राजस्व का प्रतिशत अत्यंत कम है (लगभग 0.4 प्रतिशत से लगभग 3.70 प्रतिशत तक)। जिला पंचायत पिथौरागढ़ एवं जिला पंचायत चम्पावत में स्वयं के करों से आय शून्य है। यह उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के समय में कुमाऊँ क्षेत्र की जिला पंचायतों में कर अधिरोपित नहीं किए गए, तथा जिला पंचायत पिथौरागढ़ एवं चम्पावत द्वारा अब तक भी कोई कर नहीं लगाया गया है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों एवं राज्य सरकार द्वारा उनकी स्वीकृति के बावजूद कर अधिरोपण न किया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है।

9.8 जिला पंचायतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उनके मदवार व्ययों का विवरण तथा कुल व्यय एवं कुल राजस्व आय के सापेक्ष मदवार व्यय प्रतिशत अंश क्रमशः नीचे तालिका 9.2 (क) एवं 9.2 (ख) में दिये गये है।

तालिका 9.2 (क)

जिला पंचायतों के व्यय विवरण (रूपये लाख में)

जिला पंचायत	वित्तीय वर्ष	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल राजस्व व्यय	कुल स्वयं की राजस्व आय	कुल राजस्व आय (विधायक निधि आदि से राजस्व आय छोड़कर)	कुल पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7	8	9	10 (6+9)
जिला पंचायत अल्मोड़ा	**2021-22**	176.64	63.36	53.92	293.92	200.62	1,796.05	2,776.17	3,070.09
	2022-23	399.27	68.18	78.90	546.35	286.58	2,388.96	3,577.79	4,124.15
	2023-24	423.93	65.73	135.43	625.09	253.04	2,600.74	3,228.26	3,853.36
	2024-25	458.63	64.97	125.78	649.38	283.65	2,794.43	3,099.26	3,748.64
	2025-26	658.00	112.00	158.99	928.99	336.35	3,188.17	4,506.30	5,435.29
जिला पंचायत बागेश्वर	**2021-22**	195.00	22.46	56.35	273.80	200.63	1,283.17	91.00	364.80
	2022-23	214.00	23.68	59.87	297.55	278.07	1,568.31	119.00	416.55
	2023-24	235.00	24.65	74.44	334.09	304.19	1,883.62	149.00	483.09
	2024-25	239.66	33.46	49.27	322.39	252.14	1,843.65	213.00	535.39
	2025-26	300.00	50.00	282.80	632.80	470.00	2,370.00	291.00	923.80
जिला पंचायत	**2021-22**	264.24	27.72	160.72	452.68	221.70	2,248.23	1,069.32	1,522.00
	2022-23	266.44	34.41	534.51	835.36	303.92	2,266.56	1,935.55	2,770.91

चमोली	**2023-24**	226.42	20.00	501.71	748.13	390.92	3,181.79	1,538.48	2,286.61
	2024-25	209.07	22.00	373.96	605.03	384.76	3,026.43	1,722.21	2,327.24
	2025-26	320.10	25.00	1,306.00	1,651.10	529.20	3,829.20	3,180.00	4,831.10
जिला पंचायत चम्पावत	**2021-22**	129.71	22.53	501.68	653.92	76.68	799.66	224.31	878.23
	2022-23	163.11	27.54	678.63	869.28	109.00	1,014.10	227.03	1,096.31
	2023-24	158.00	24.87	590.87	773.74	111.00	1,121.74	411.41	1,185.15
	2024-25	135.19	32.73	283.00	450.92	101.00	1,181.76	371.58	822.50
	2025-26	165.00	35.00	532.10	732.10	120.00	1,570.00	383.00	1,115.10
जिला पंचायत देहरादून	**2021-22**	316.52	95.23	1,702.78	2,114.53	597.25	3,504.29	3,213.03	5,327.56
	2022-23	349.93	32.24	1,126.73	1,508.90	586.82	2,555.23	1,892.61	3,401.51
	2023-24	336.93	38.31	998.97	1,374.21	442.71	3,170.72	1,816.29	3,190.50
	2024-25	376.96	35.33	924.12	1,336.40	541.74	3,192.78	1,934.18	3,270.58
	2025-26	550.00	50.00	1,355.85	1,955.85	523.70	3,523.70	2,800.00	4,755.85
जिला पंचायत हरिद्वार	**2021-22**	261.41	20.00	1,405.14	1,686.55	452.93	4,738.21	3,637.77	5,324.32
	2022-23	263.83	26.34	758.53	1,048.70	500.30	4,176.98	3,880.52	4,929.22
	2023-24	256.48	0.00	1,565.72	1,822.20	489.37	5,719.35	4,720.81	6,543.01
	2024-25	318.70	61.31	1,737.44	2,117.45	637.99	5,581.49	4,231.48	6,348.93
	2025-26	600.00	80.00	2,084.66	2,764.66	753.09	6,153.09	4,641.71	7,406.37
जिला पंचायत नैनीताल	**2021-22**	399.12	9.78	29.64	438.54	90.28	1,449.98	973.62	1,412.15
	2022-23	405.45	63.41	16.10	484.96	242.09	1,649.64	6,685.30	7,170.26
	2023-24	483.61	247.75	33.49	764.85	364.56	1,936.33	1,259.35	2,024.20
	2024-25	487.71	122.71	257.91	868.32	505.41	2,186.40	568.51	1,436.83
	2025-26	440.00	100.00	540.20	1,080.20	772.50	3,072.50	130.00	1,210.20
जिला पंचायत पौड़ी गढवाल	**2021-22**	215.91	97.00	273.74	586.64	563.94	3,153.69	23.00	609.65
	2022-23	237.69	99.11	474.83	811.63	558.90	2,941.84	15.84	827.47
	2023-24	291.09	120.15	416.23	827.47	298.38	3,219.74	244.93	1,072.40
	2024-25	303.57	93.04	165.90	562.51	248.96	3,189.65	0.00	562.51
	2025-26	400.00	150.00	631.55	1,181.55	792.85	4,342.85	400.00	1,581.55
जिला पंचायत पिथौरागढ़	**2021-22**	336.62	46.76	18.99	402.37	165.98	1,904.46	5,562.63	5,965.00
	2022-23	323.23	52.16	59.45	434.84	268.52	2,656.67	5,236.52	5,671.36
	2023-24	330.55	63.41	44.33	438.29	706.98	2,303.44	3,596.04	4,034.33
	2024-25	399.15	57.30	48.88	505.33	353.17	2,597.15	4,554.03	5,059.35
	2025-26	425.00	62.00	90.65	577.65	758.00	3,639.62	5,260.00	5,837.65
जिला पंचायत रूद्रप्रयाग	**2021-22**	211.48	44.00	78.65	334.13	118.94	1,175.03	62.06	396.19
	2022-23	254.48	58.84	176.99	490.31	447.25	1,896.53	57.18	547.49
	2023-24	302.01	36.38	262.70	601.09	762.28	2,014.04	27.17	628.26
	2024-25	194.15	55.57	370.91	620.64	644.96	2,256.62	76.81	697.45
	2025-26	273.95	60.00	414.50	748.45	824.75	2,924.75	205.14	953.59
जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल	**2021-22**	201.99	32.00	56.90	290.89	148.37	1,799.18	1,951.35	2,242.23
	2022-23	219.98	40.00	91.28	351.26	310.19	2,657.78	2,805.75	3,157.01
	2023-24	232.80	40.00	60.71	333.51	189.23	2,801.49	2,367.32	2,700.83
	2024-25	256.60	45.00	96.42	398.02	329.64	2,912.18	2,202.95	2,600.97
	2025-26	277.00	60.00	126.84	463.84	357.38	3,825.15	2,231.16	2,695.00
जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर	**2021-22**	300.00	59.43	220.34	579.77	400.23	2,577.59	3,022.38	3,602.15
	2022-23	301.99	70.64	100.97	473.60	378.39	3,383.00	2,624.19	3,097.79
	2023-24	328.57	61.61	132.41	522.59	614.17	4,615.16	2,599.29	3,121.88
	2024-25	408.40	51.74	90.95	551.10	604.41	4,649.13	1,286.15	1,837.24
	2025-26	410.00	65.00	119.50	594.50	680.61	5,011.71	12,120.27	12,714.77
जिला पंचायत उत्तरकाशी	**2021-22**	148.45	90.69	97.60	336.74	223.84	1,929.10	338.11	674.86
	2022-23	172.38	62.20	131.75	366.33	450.78	1,850.49	179.52	545.85
	2023-24	177.15	135.88	418.08	731.11	347.41	2,051.81	150.34	881.44
	2024-25	187.04	89.46	523.44	799.94	494.30	2,358.83	150.82	950.76
	2025-26	303.19	106.87	395.63	805.69	570.80	3,170.80	4,803.96	5,609.65

तालिका 9.2 (ख)

जिला पंचायतों के व्यय विवरण (प्रतिशत अंश में)

जिला पंचायतें	वर्ष	कुल राजस्व व्यय के सापेक्ष			कुल स्वयं के राजस्व के सापेक्ष		कुल राजस्व के सापेक्ष		
		वेतन व्यय अंश (प्रतिशत में)	पेंशन व्यय अंश (प्रतिशत में)	अन्य व्यय अंश (प्रतिशत में)	वेतन व्यय अंश (प्रतिशत में)	पेंशन व्यय अंश (प्रतिशत में)	वेतन व्यय अंश (प्रतिशत में)	पेंशन व्यय अंश (प्रतिशत में)	अन्य व्यय अंश
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
जिला पंचायत अल्मोड़ा	2023–24	67.82	10.52	21.67	167.54	25.98	16.30	2.53	5.21
	2024–25	70.63	10.01	19.37	161.69	22.91	16.41	2.33	4.50
जिला पंचायत बागेश्वर	2023–24	70.34	7.38	22.28	77.25	8.10	12.48	1.31	3.95
	2024–25	74.34	10.38	15.28	95.05	13.27	13.00	1.81	2.67
जिला पंचायत चमोली	2023–24	30.26	2.67	67.06	57.92	5.12	7.12	0.63	15.77
	2024–25	34.55	3.64	61.81	54.34	5.72	6.91	0.73	12.36
जिला पंचायत चम्पावत	2023–24	20.42	3.21	76.37	142.34	22.41	14.09	2.22	52.67
	2024–25	29.98	7.26	62.76	133.85	32.41	11.44	2.77	23.95
जिला पंचायत देहरादून	2023–24	24.52	2.79	72.69	76.11	8.65	10.63	1.21	31.51
	2024–25	28.21	2.64	69.15	69.58	6.52	11.81	1.11	28.94
जिला पंचायत हरिद्वार	2023–24	14.08	0.00	85.92	52.41	0.00	4.48	0.00	27.38
	2024–25	15.05	2.90	82.05	49.95	9.61	5.71	1.10	31.13
जिला पंचायत नैनीताल	2023–24	63.23	32.39	4.38	132.66	67.96	24.98	12.79	1.73
	2024–25	56.17	14.13	29.70	96.50	24.28	22.31	5.61	11.80
जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल	2023–24	35.18	14.52	50.30	97.56	40.27	9.04	3.73	12.93
	2024–25	53.97	16.54	29.49	121.93	37.37	9.52	2.92	5.20
जिला पंचायत पिथौरागढ	2023–24	75.42	14.47	10.11	32.61	8.97	14.35	2.75	1.92
	2024–25	78.99	11.34	9.67	113.02	16.22	15.37	2.21	1.88
जिला पंचायत रूद्रप्रयाग	2023–24	50.24	6.05	43.70	39.62	4.77	15.00	1.81	13.04
	2024–25	31.28	8.95	59.76	30.10	8.62	8.60	2.46	16.44
जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल	2023–24	69.80	11.99	18.20	123.03	21.14	8.31	1.43	2.17
	2024–25	64.47	11.31	24.22	77.84	13.65	8.81	1.55	3.31
जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर	2023–24	62.87	11.79	25.34	53.50	10.03	7.12	1.33	2.87
	2024–25	74.11	9.39	16.50	67.57	8.56	8.78	1.11	1.96
जिला पंचायत उत्तरकाशी	2023–24	24.23	18.59	57.18	50.99	39.11	8.63	6.62	20.38
	2024–25	23.38	11.18	65.44	37.84	18.10	7.93	3.79	22.19

9.9 उक्त तालिका 9.2 (ख) से स्पष्ट है कि कुल राजस्व व्यय के सापेक्ष जिला पंचायतों का वेतन तथा पेंशन व्यय लगभग 35 प्रतिशत से 81 प्रतिशत तक है तथा कुछ जिला पंचायतों में यह उनके कुल स्वयं के राजस्व के सापेक्ष कहीं अधिक है।

9.10 जिला पंचायतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2026–27 से 2030–31 की अवधि के लिए उनकी स्वयं की आय, कुल राजस्व व्यय और दोनों के बीच के अंतर का पूर्वानुमान एवं साथ ही वर्ष 2021–22 से 2024–25 के लिए वर्ष–वार स्वयं की राजस्व आय, कुल राजस्व व्यय और दोनों के मध्य अंतर का विवरण क्रमशः तालिका 9.3 और 9.4 में दिया गया है–

तालिका–9.3

कुल स्वयं का राजस्व, कुल राजस्व व्यय और दोनों में अंतर का पूर्वानुमान

(2026–27 से 2030–31 तक)

(राशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	जिला पंचायत	वर्ष	कुल स्वयं का राजस्व (अनुमानित)	कुल राजस्व व्यय (अनुमानित)	दोनों के मध्य अंतर
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	अल्मोड़ा	2026-27	255.08	882.47	-627.39
		2027-28	280.59	943.42	-662.83
		2028-29	308.65	1034.76	-726.11
		2029-30	339.51	1166.99	-827.48
		2030-31	373.47	1252.66	-879.19
		कुल-	**1557.30**	**5280.30**	**-3723.00**
2	बागेश्वर	2026-27	500.00	731.20	-231.20
		2027-28	550.00	1002.90	-452.90
		2028-29	605.00	1444.20	-839.20
		2029-30	665.00	1815.50	-1150.50
		2030-31	732.00	2985.20	-2253.20
		कुल-	**3052.00**	**7979.00**	**-4927.00**
3	चमोली	2026-27	632.00	1182.40	-550.40
		2027-28	634.50	1321.80	-687.30
		2028-29	637.00	1457.20	-820.20
		2029-30	639.50	1592.60	-953.10
		2030-31	642.00	1748.00	-1106.00
		कुल-	**3185.00**	**7302.00**	**-4117.00**
4	चम्पावत	2026-27	124.50	240.51	-116.01
		2027-28	128.00	248.21	-120.21
		2028-29	131.00	261.71	-130.71
		2029-30	133.00	260.76	-127.76
		2030-31	137.00	277.41	-140.41
		कुल-	**653.50**	**1288.60**	**-635.10**
5	देहरादून	2026-27	559.20	825.00	-265.80
		2027-28	604.04	883.60	-279.56
		2028-29	667.36	926.40	-259.04
		2029-30	735.05	980.00	-244.95
		2030-31	812.90	1073.60	-260.70
		कुल-	**3378.55**	**4688.60**	**-1310.05**
6	हरिद्वार	2026-27	767.90	1204.20	-436.30
		2027-28	844.69	1325.42	-480.73
		2028-29	929.15	1458.07	-528.92
		2029-30	1022.08	1603.18	-581.10
		2030-31	1124.28	1760.61	-636.33
		कुल-	**4688.10**	**7351.48**	**-2663.38**
7	नैनीताल	2026-27	303.60	858.44	-554.84
		2027-28	333.96	944.28	-610.32
		2028-29	367.37	1038.71	-671.34
		2029-30	404.09	1142.58	-738.49
		2030-31	444.50	1256.84	-812.34
		कुल-	**1853.52**	**5240.85**	**-3387.33**
8	पौड़ी गढ़वाल	2026-27	669.03	1184.40	-515.37
		2027-28	809.00	1294.30	-485.30
		2028-29	939.00	1344.40	-405.40
		2029-30	1078.00	1384.00	-306.00
		2030-31	1127.00	1516.60	-389.60
		कुल-	**4622.03**	**6723.70**	**-2101.67**
9	पिथौरागढ़	2026-27	117.33	723.31	-605.98

क्र.सं.	जिला पंचायत	वर्ष	कुल स्वयं का राजस्व (अनुमानित)	कुल राजस्व व्यय (अनुमानित)	दोनों के मध्य अंतर
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		2027-28	148.72	908.49	-759.77
		2028-29	192.19	1005.17	-812.98
		2029-30	259.45	1042.94	-783.49
		2030-31	387.74	1082.00	-694.26
		कुल-	**1105.43**	**4761.90**	**-3656.47**
10	रूद्रप्रयाग	2026-27	909.98	847.90	62.08
		2027-28	1000.99	975.91	25.08
		2028-29	1101.11	1107.64	-6.53
		2029-30	1211.24	1249.23	-37.99
		2030-31	1332.38	1398.88	-66.50
		कुल-	**5555.70**	**5579.56**	**-23.86**
11	टिहरी गढ़वाल	2026-27	371.48	393.03	-21.55
		2027-28	404.25	374.28	29.97
		2028-29	441.30	459.33	-18.03
		2029-30	516.95	498.59	18.36
		2030-31	575.65	531.92	43.73
		कुल-	**2309.63**	**2257.15**	**52.48**
12	ऊधमसिंह नगर	2026-27	723.16	675.75	47.41
		2027-28	781.90	781.50	0.40
		2028-29	857.60	907.25	-49.65
		2029-30	935.95	1023.00	-87.05
		2030-31	1027.50	1148.75	-121.25
		कुल-	**4326.11**	**4536.25**	**-210.14**
13	उत्तरकाशी	2026-27	627.66	659.66	-32.00
		2027-28	721.81	725.63	-3.82
		2028-29	830.08	798.19	31.89
		2029-30	981.82	878.01	103.81
		2030-31	1097.77	965.81	131.96
		कुल-	**4259.13**	**4027.30**	**231.84**

तालिका–9.4

कुल स्वयं का राजस्व, कुल राजस्व व्यय और उनके मध्य अंतर

(2021–22 से 2024–25)

(राशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	जिला पंचायत	वर्ष	कुल स्वयं का राजस्व (अनुमानित)	कुल राजस्व व्यय (अनुमानित)	दोनों के मध्य अंतर
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	अल्मोड़ा	2021-22	200.62	293.92	-93.30
		2022-23	286.58	546.35	-259.77
		2023-24	253.04	625.09	-372.05
		2024-25	283.65	649.38	-365.73
		कुल-	**1023.89**	**2114.74**	**-1090.85**
2	बागेश्वर	2021-22	200.63	273.80	-73.17
		2022-23	278.07	297.55	-19.48
		2023-24	304.19	334.09	-29.90
		2024-25	252.14	322.39	-70.25
		कुल-	**1035.03**	**1227.83**	**-192.80**
3	चमोली	2021-22	221.70	452.68	-230.98
		2022-23	303.92	835.36	-531.44
		2023-24	390.92	748.13	-357.21
		2024-25	384.76	605.03	-220.27
		कुल-	**1301.30**	**2641.20**	**-1339.90**
4		2021-22	76.68	653.92	-577.24

क्र.सं.	जिला पंचायत	वर्ष	कुल स्वयं का राजस्व (अनुमानित)	कुल राजस्व व्यय (अनुमानित)	दोनों के मध्य अंतर
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	चम्पावत	2022-23	109.00	869.28	-760.28
		2023-24	111.00	773.74	-662.74
		2024-25	101.00	450.92	-349.92
		कुल-	**397.68**	**2747.86**	**-2350.18**
5	देहरादून	2021-22	597.25	2114.53	-1517.28
		2022-23	586.82	1508.90	-922.08
		2023-24	442.71	1374.21	-931.50
		2024-25	541.74	1336.40	-794.66
		कुल-	**2168.52**	**6334.04**	**-4165.52**
6	हरिद्वार	2021-22	452.93	1686.55	-1233.62
		2022-23	500.30	1048.70	-548.40
		2023-24	489.37	1822.20	-1332.83
		2024-25	637.99	2117.45	-1479.46
		कुल-	**2080.59**	**6674.90**	**-4594.31**
7	नैनीताल	2021-22	90.28	438.54	-348.26
		2022-23	242.09	484.96	-242.87
		2023-24	364.56	764.85	-400.29
		2024-25	505.41	868.32	-362.91
		कुल-	**1202.34**	**2556.67**	**-1354.33**
8	पौड़ी गढ़वाल	2021-22	563.94	586.64	-22.70
		2022-23	558.90	811.63	-252.73
		2023-24	298.38	827.47	-529.09
		2024-25	248.96	562.51	-313.55
		कुल-	**1670.18**	**2788.25**	**-1118.07**
9	पिथौरागढ़	2021-22	165.98	402.37	-236.39
		2022-23	268.52	434.84	-166.32
		2023-24	706.98	438.29	268.69
		2024-25	353.17	505.33	-152.16
		कुल-	**1494.65**	**1780.82**	**-286.17**
10	रूद्रप्रयाग	2021-22	118.94	334.13	-215.19
		2022-23	447.25	490.31	-43.06
		2023-24	762.28	601.09	161.19
		2024-25	644.96	620.64	24.32
		कुल-	**1973.43**	**2046.16**	**-72.73**
11	टिहरी गढ़वाल	2021-22	148.37	290.89	-142.52
		2022-23	310.19	351.26	-41.07
		2023-24	189.23	333.51	-144.28
		2024-25	329.64	398.02	-68.38
		कुल-	**977.43**	**1373.68**	**-396.25**
12	ऊधमसिंह नगर	2021-22	400.23	579.77	-179.54
		2022-23	378.39	473.60	-95.21
		2023-24	614.17	522.59	91.58
		2024-25	604.41	551.10	53.31
		कुल-	**1997.20**	**2127.06**	**-129.86**
13	उत्तरकाशी	2021-22	223.84	336.74	-112.90
		2022-23	450.78	366.33	84.45
		2023-24	347.41	731.11	-383.70
		2024-25	494.30	799.94	-305.64
		कुल-	**1516.33**	**2234.12**	**-717.79**

9.11 वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31 की अवधि के लिए जिला पंचायतों के स्वयं के राजस्व, कुल राजस्व व्यय तथा दोनों के मध्य अंतर की वार्षिक औसत राशियाँ (पूर्वानुमान) एवं साथ ही वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2024–25 अवधि के सम्बन्धित वार्षिक औसतों का विवरण निम्नानुसार है।

(राशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	जिला पंचायत	वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2024–25 की वार्षिक औसत धनराशियाँ				वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31की प्रक्षेपित वार्षिक औसत धनराशियाँ		
		स्वयं की राजस्व आय	कुल राजस्व व्यय	दोनों के मध्य अन्तर	राज्य वित्त आयोग अनुदान	स्वयं की राजस्व आय	कुल राजस्व व्यय	दोनों के मध्य अंतर
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	अल्मोडा	255.97	528.69	-272.72	1670.41	311.46	1056.06	-744.60
2	बागेश्वर	258.76	306.96	-48.20	1081.27	610.40	1595.80	-985.40
3	चमोली	325.33	660.30	-334.97	1798.99	637.00	1460.40	-823.40
4	चंपावत	99.42	686.97	-587.55	726.00	130.70	257.72	-127.02
5	देहरादून	542.13	1583.51	-1041.38	1867.99	675.71	937.72	-262.01
6	हरिद्वार	520.15	1668.73	-1148.58	3546.48	937.62	1470.30	-532.68
7	नैनीताल	300.59	639.17	-338.58	1181.80	370.70	1048.17	-677.47
8	पौडी	417.55	697.06	-279.51	2049.34	924.41	1344.74	-420.33
9	पिथौरागढ़	373.66	445.21	-71.55	1527.29	221.09	952.38	-731.29
10	रूद्रप्रयाग	493.36	511.54	-18.18	975.90	1111.14	1115.91	-4.77
11	टिहरी	244.36	343.42	-99.06	1815.25	461.93	451.43	10.50
12	उधमसिंह नगर	499.30	531.76	-32.47	2552.24	865.22	907.25	-42.03
13	उत्तरकाशी	379.08	558.53	-179.45	1255.61	851.83	805.46	46.37
समस्त जिला पंचायत		**4709.64**	**9161.83**	**-4452.19**	**22048.57**	**8109.20**	**13403.34**	**-5294.14**

9.12 क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को अपने स्वयं के स्रोतों से या तो कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता अथवा अत्यंत नगण्य राजस्व प्राप्त होता है। इनका वित्तपोषण मुख्यतः राज्य वित्त आयोग एवं केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से होता है। राज्य वित्त आयोग निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, विगत वर्षों में क्षेत्र पंचायतों को इन स्रोतों से प्राप्त निधियों का विवरण निम्नानुसार है–

राज्य वित्त आयोग एवं केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत जारी की गई निधियों का क्षेत्र पंचायत–वार विवरण

(राशि ₹ लाख में)

जनपद	क्र0सं0	क्षेत्र पंचायत	वित्त आयोग	वित्तीय वर्ष					योग
				2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*	
1–अल्मोड़ा	1	स्याल्दे	के.वि.आ.	26.82	32.69	50.08	34.83	22.23	166.65
			रा.वि.आ.	70.04	98.32	118.91	133.08	147.18	567.53
	2	ताकुला	के.वि.आ.	21.77	28.88	44.27	30.79	19.65	145.36
			रा.वि.आ.	56.4	86.92	105.14	117.65	130.18	496.29
	3	धौलादेवी	के.वि.आ.	33.07	40	61.29	42.62	27.2	204.18
			रा.वि.आ.	85.96	120.38	145.56	162.9	180.16	694.96
	4	भैंसियाछाना	के.वि.आ.	16.73	22.02	33.73	23.46	14.97	110.91
			रा.वि.आ.	43.96	66.24	80.1	89.64	99.16	379.1
	5	हवलबाग	के.वि.आ.	31	39.41	60.42	42.02	26.82	199.67
			रा.वि.आ.	83.16	118.66	143.49	160.59	177.66	683.56
	6	लमगड़ा	के.वि.आ.	28.47	35.11	53.81	37.42	23.88	178.69
			रा.वि.आ.	74.08	105.66	127.77	142.98	158.14	608.63
	7	द्वाराहाट	के.वि.आ.	29.98	37.5	57.49	39.99	25.52	190.48
			रा.वि.आ.	77.68	112.91	136.52	152.78	169	648.89
	8	सल्ट	के.वि.आ.	31.09	33.91	51.98	36.16	23.08	176.22
			रा.वि.आ.	80.8	102.08	123.46	138.16	152.78	597.28
	9	भिक्यासैण	के.वि.आ.	19.85	20.15	30.88	21.47	13.7	106.05
			रा.वि.आ.	52.2	60.66	73.35	82.07	90.76	359.04
	10	ताड़ीखेत	के.वि.आ.	30.1	34.33	52.64	36.61	23.37	177.05
			रा.वि.आ.	79.48	103.37	125	139.89	154.74	602.48
	11	चौखुटियाँ	के.वि.आ.	23.28	29.43	45.08	31.35	20.01	149.15
			रा.वि.आ.	60.44	88.52	107.08	119.82	132.52	508.38
	के0वि0आ0योगः–			**292.16**	**353.43**	**541.67**	**376.72**	**240.43**	**1804.41**
	रा0वि0आ0योगः–			**764.2**	**1063.72**	**1286.38**	**1439.56**	**1592.28**	**6146.14**
2–बागेश्वर	1	कपकोट	के.वि.आ.	53.28	60.02	91.93	63.93	40.8	309.96
			रा.वि.आ.	139.84	180.53	218.29	244.29	270.06	1053.01
	2	गरूड़	के.वि.आ.	31.93	41.1	61.95	43.09	27.5	205.57
			रा.वि.आ.	82.72	121.68	147.14	164.65	182.4	698.59

जनपद	क्र0सं0	क्षेत्र पंचायत	वित्त आयोग	वित्तीय वर्ष					योग
				2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*	
	3	बागेश्वर	के.वि.आ.	41.94	52.79	80.91	56.27	35.91	267.82
			रा.वि.आ.	118.36	158.86	192.13	215	237.84	922.19
	के0वि0आ0योगः–			**127.15**	**153.91**	**234.79**	**163.29**	**104.21**	**783.35**
	रा0वि0आ0योगः–			**340.92**	**461.07**	**557.56**	**623.94**	**690.3**	**2673.79**
3–चमोली	1	कर्णप्रयाग	के.वि.आ.	25.29	32.47	49.72	34.58	22.07	164.13
			रा.वि.आ.	67.84	97.63	118.05	132.12	146.14	561.78
	2	जोशीमठ	के.वि.आ.	92.2	83.69	127.97	89	56.8	449.66
			रा.वि.आ.	247.4	251.3	303.91	340.1	375.36	1518.07
	3	दशोली	के.वि.आ.	23.86	30.96	47.4	32.98	21.05	156.25
			रा.वि.आ.	65.6	93.09	112.58	125.99	139.08	536.34
	4	घाट	के.वि.आ.	24.11	31.41	48.09	33.45	21.35	158.41
			रा.वि.आ.	63.44	94.43	114.2	127.79	137.38	537.24
	5	पोखरी	के.वि.आ.	21.21	28.11	43.03	29.93	19.1	141.38
			रा.वि.आ.	56.36	84.5	102.18	114.35	128.24	485.63
	6	गैरसैण	के.वि.आ.	30.96	39.43	60.4	42	26.8	199.59
			रा.वि.आ.	80.88	118.61	143.43	160.5	177.56	680.98
	7	थराली	के.वि.आ.	19.06	26.09	39.94	27.78	17.73	130.6
			रा.वि.आ.	50.52	78.45	94.85	106.14	117.44	447.4
	8	देवाल	के.वि.आ.	19.34	25.63	39.22	27.27	17.4	128.86
			रा.वि.आ.	51.16	76.99	93.14	104.21	115.78	441.28
	9	नारायणबगड़	के.वि.आ.	21.88	28.8	44.09	30.66	19.57	145
			रा.वि.आ.	60.32	86.57	104.71	117.18	129.62	498.4
	के0वि0आ0योगः–			**277.91**	**326.59**	**499.86**	**347.65**	**221.87**	**1673.88**
	रा0वि0आ0योगः–			**743.52**	**981.57**	**1187.05**	**1328.38**	**1466.6**	**5707.12**
4–चम्पावत	1	लोहाघाट	के.वि.आ.	22.56	24.63	37.77	26.27	16.77	128
			रा.वि.आ.	58.52	74.18	89.71	100.37	111.04	433.82
	2	बाराकोट	के.वि.आ.	17.99	23.03	35.25	24.52	15.65	116.44
			रा.वि.आ.	47.36	69.22	83.73	93.69	103.62	397.62
	3	पाटी	के.वि.आ.	28.89	35.41	54.26	37.73	24.08	180.37
			रा.वि.आ.	75.2	106.56	128.85	144.19	154.64	609.44
	4	चम्पावत	के.वि.आ.	44.6	49.6	76.06	52.9	33.76	256.92
			रा.वि.आ.	117.44	149.36	180.65	202.14	223.54	873.13
	के0वि0आ0योगः–			**114.04**	**132.67**	**203.34**	**141.42**	**90.26**	**681.73**
	रा0वि0आ0योगः–			**298.52**	**399.32**	**482.94**	**540.39**	**592.84**	**2314.01**
5–देहरादून	1	डोईवाला	के.वि.आ.	36.6	43.58	66.95	46.57	29.72	223.42
			रा.वि.आ.	173.8	131.48	158.99	177.92	206.68	848.87
	2	रायपुर	के.वि.आ.	15.9	13.05	20	13.92	8.89	71.76
			रा.वि.आ.	130.2	39.29	47.51	53.15	61.6	331.75
	3	सहसपुर	के.वि.आ.	45.35	50.63	77.73	54.07	34.51	262.29
			रा.वि.आ.	154.4	152.68	184.63	206.61	228.64	926.96
	4	विकासनगर	के.वि.आ.	54.87	62.71	96.28	66.98	42.75	323.59
			रा.वि.आ.	146.52	189.12	228.67	255.91	283.2	1103.42
	5	चकराता	के.वि.आ.	28.63	32.71	50.19	34.91	22.28	168.72
			रा.वि.आ.	73.64	98.58	119.19	133.38	148.44	573.23
	6	कालसी	के.वि.आ.	23.85	28.54	43.79	30.45	19.43	146.06
			रा.वि.आ.	61.2	85.97	104	116.37	128.76	496.3
	के0वि0आ0योगः–			**205.2**	**231.22**	**354.94**	**246.9**	**157.58**	**1195.84**
	रा0वि0आ0योगः–			**739.76**	**697.12**	**842.99**	**943.34**	**1057.32**	**4280.53**
6–हरिद्वार	1	भगवानपुर	के.वि.आ.	65.31	80.4	123.5	85.89	54.82	409.92
			रा.वि.आ.	163.84	242.53	293.27	328.2	363.76	1391.6
	2	खानपुर	के.वि.आ.	21.98	22.51	34.57	24.05	15.35	118.46
			रा.वि.आ.	56.36	67.88	82.1	91.86	101.62	399.82
	3	रूड़की	के.वि.आ.	66.96	71.3	97.72	67.96	43.37	347.31
			रा.वि.आ.	148.52	191.89	232.06	259.68	287.48	1119.63
	4	नारसन	के.वि.आ.	69.77	82.51	122.32	85.08	54.3	413.98
			रा.वि.आ.	185.8	240.2	290.48	325.06	360.86	1402.4
	5	लक्सर	के.वि.आ.	60.96	67.6	100.74	70.06	44.71	344.07
			रा.वि.आ.	154.44	197.8	239.2	267.7	294.32	1153.46
	6	बहादराबाद	के.वि.आ.	94.3	119.16	183.04	127.29	81.23	605.02
			रा.वि.आ.	254	359.35	434.74	486.5	548.36	2082.95
	के0वि0आ0योगः–			**379.28**	**443.48**	**661.89**	**460.33**	**293.78**	**2238.76**
	रा0वि0आ0योगः–			**962.96**	**1299.65**	**1571.85**	**1759**	**1956.4**	**7549.86**
7–नैनीताल	1	ओखलकाण्ड़ा	के.वि.आ.	22.89	25.87	39.66	27.58	17.6	133.6
			रा.वि.आ.	61.76	77.89	94.2	105.41	116.6	455.86
	2	भीमताल	के.वि.आ.	19.22	19.56	30.04	20.89	13.33	103.04
			रा.वि.आ.	53.44	58.98	71.33	79.82	88.32	351.89
	3	बेतालघाट	के.वि.आ.	20.38	18.3	28.08	19.52	12.46	98.74

जनपद	क्र0सं0	क्षेत्र पंचायत	वित्त आयोग	वित्तीय वर्ष					योग
				2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*	
			रा.वि.आ.	53.92	55.14	66.67	74.61	82.54	332.88
	4	हल्द्वानी	के.वि.आ.	33.8	38.43	59.02	41.05	26.2	198.5
			रा.वि.आ.	166.08	115.89	140.17	156.86	173.6	752.6
	5	रामनगर	के.वि.आ.	28.92	36.17	55.51	38.61	24.64	183.85
			रा.वि.आ.	73.44	109.03	131.84	147.53	166.64	628.48
	6	रामगढ़	के.वि.आ.	18.81	22.67	34.75	24.17	15.43	115.83
			रा.वि.आ.	49.04	68.26	82.52	92.36	102.16	394.34
	7	कोटाबाग	के.वि.आ.	26.68	26.73	41.04	28.55	18.22	141.22
			रा.वि.आ.	68.52	80.61	97.47	109.08	120.68	476.36
	8	धारी	के.वि.आ.	16.21	13.96	21.44	14.92	9.53	76.06
			रा.वि.आ.	39.68	42.1	50.92	56.97	63.04	252.71
	के0वि0आ0योगः–			**186.91**	**201.69**	**309.54**	**215.29**	**137.41**	**1050.84**
	रा0वि0आ0योगः–			**565.88**	**607.9**	**735.12**	**822.64**	**913.58**	**3645.12**
8–पौड़ी गढ़वाल	1	बीरोंखाल	के.वि.आ.	23.57	29.21	34.74	31.11	19.85	138.48
			रा.वि.आ.	64.76	87.87	106.24	118.89	129.2	506.96
	2	द्वारीखाल	के.वि.आ.	25.78	21.6	33.11	23.03	14.7	118.22
			रा.वि.आ.	67.8	65.03	78.63	88	97.24	396.7
	3	दुगड्डा	के.वि.आ.	15.94	13.4	20.52	14.26	9.1	73.22
			रा.वि.आ.	107.72	40.29	48.75	54.54	60.28	311.58
	4	एकेश्वर	के.वि.आ.	15.21	16.25	34.92	17.34	11.07	94.79
			रा.वि.आ.	39.8	48.92	59.17	66.21	73.26	287.36
	5	जयहरीखाल	के.वि.आ.	19.11	15.24	23.37	16.26	10.38	84.36
			रा.वि.आ.	50.28	45.9	55.5	62.11	68.66	282.45
	6	कल्जीखाल	के.वि.आ.	21.02	21.01	32.19	22.38	14.28	110.88
			रा.वि.आ.	55.36	63.21	76.43	85.53	94.58	375.11
	7	खिर्सू	के.वि.आ.	15.34	19.94	30.35	21.11	13.47	100.21
			रा.वि.आ.	41.12	59.59	72.1	80.67	89.22	342.7
	8	कोट	के.वि.आ.	19.02	23.37	35.77	24.88	15.88	118.92
			रा.वि.आ.	50.4	70.25	84.96	95.06	105.12	405.79
	9	नैनीडांडा	के.वि.आ.	22.63	23.77	36.43	25.34	16.17	124.34
			रा.वि.आ.	59.4	71.55	86.52	96.81	107.04	421.32
	10	रिखणीखाल	के.वि.आ.	21.33	21.28	32.6	22.67	14.47	112.35
			रा.वि.आ.	56.16	64.03	77.42	86.63	95.78	380.02
	11	थलीसैण	के.वि.आ.	28	34.95	52.91	36.79	23.48	176.13
			रा.वि.आ.	73.48	103.89	125.64	140.61	155.56	599.18
	12	यमकेश्वर	के.वि.आ.	26.85	27.66	42.37	29.46	18.8	145.14
			रा.वि.आ.	70.52	83.2	100.61	112.59	124.44	491.36
	13	पौड़ी	के.वि.आ.	17.39	22.53	34.5	23.99	15.31	113.72
			रा.वि.आ.	47.16	67.75	81.91	91.67	101.4	389.89
	14	पाबो	के.वि.आ.	19.44	25.31	38.94	27.08	17.28	128.05
			रा.वि.आ.	52.76	76.47	92.46	103.47	114.46	439.62
	15	पोखड़ा	के.वि.आ.	15.89	20.54	31.44	21.86	13.95	103.68
			रा.वि.आ.	42	61.75	74.67	83.57	94.72	356.71
	के0वि0आ0योगः–			**306.52**	**336.06**	**514.16**	**357.56**	**228.19**	**1742.49**
	रा0वि0आ0योगः–			**878.72**	**1009.7**	**1221.01**	**1366.36**	**1510.96**	**5986.75**
9–पिथौरागढ़	1	गंगोलीहाट	के.वि.आ.	36.97	45.65	69.94	48.65	31.05	232.26
			रा.वि.आ.	96.08	137.35	166.12	185.9	205.62	791.07
	2	मुनाकोट	के.वि.आ.	30.54	37.84	57.95	40.3	25.72	192.35
			रा.वि.आ.	80.24	113.82	137.62	154.01	170.34	656.03
	3	कनालीछीना	के.वि.आ.	30.68	37.22	56.99	39.64	25.3	189.83
			रा.वि.आ.	80.92	111.92	135.33	151.45	167.48	647.1
	4	धारचूला	के.वि.आ.	32.51	41.21	63.14	43.91	28.02	208.79
			रा.वि.आ.	84.84	123.97	149.95	167.79	185.62	712.17
	5	पिथौरागढ़	के.वि.आ.	27.89	40.22	61.61	42.85	27.35	199.92
			रा.वि.आ.	76.48	120.99	146.31	163.73	181.12	688.63
	6	डीडीहाट	के.वि.आ.	26.33	32.57	49.84	34.67	22.13	165.54
			रा.वि.आ.	69.68	97.89	118.4	132.48	146.52	564.97
	7	मुनस्यारी	के.वि.आ.	37.85	43.6	66.75	46.42	29.63	224.25
			रा.वि.आ.	96.56	131.09	158.51	177.38	187.54	751.08
	8	बेरीनाग	के.वि.आ.	28.04	35.36	54.15	37.66	24.03	179.24
			रा.वि.आ.	73.72	106.35	128.61	143.91	159.18	611.77
	के0वि0आ0योगः–			**250.81**	**313.67**	**480.37**	**334.1**	**213.23**	**1592.18**
	रा0वि0आ0योगः–			**658.52**	**943.38**	**1140.85**	**1276.65**	**1403.42**	**5422.82**
10–रूद्रप्रयाग	1	अगस्त्यमुनी	के.वि.आ.	45.18	57.06	87.47	60.84	38.83	289.38
			रा.वि.आ.	118.88	171.81	207.74	232.48	257.08	987.99
	2	जखोली	के.वि.आ.	33.62	44.51	68.22	47.45	30.28	224.08
			रा.वि.आ.	86.88	133.98	162.03	181.3	200.62	764.81

जनपद	क्र0सं0	क्षेत्र पंचायत	वित्त आयोग	वित्तीय वर्ष					योग
				2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*	
	3	ऊखीमठ	के.वि.आ.	25.36	33.85	51.86	36.07	23.02	170.16
			रा.वि.आ.	66.76	101.86	123.17	137.84	147.3	576.93
	के0वि0आ0योगः–			**104.16**	**135.42**	**207.55**	**144.36**	**92.13**	**683.62**
	रा0वि0आ0योगः–			**272.52**	**407.65**	**492.94**	**551.62**	**605**	**2329.73**
11–टिहरी गढ़वाल	1	नरेन्द्र नगर	के.वि.आ.	27.93	27.78	41.87	29.12	18.58	145.28
			रा.वि.आ.	71.68	82.21	99.45	111.28	123.4	488.02
	2	कीर्तिनगर	के.वि.आ.	23.6	30.95	47.44	32.99	21.05	156.03
			रा.वि.आ.	56.44	93.14	112.64	126.06	139.48	527.76
	3	चम्बा	के.वि.आ.	23	26.62	40.83	28.39	18.12	136.96
			रा.वि.आ.	59.96	80.18	96.96	108.49	120.02	465.61
	4	देवप्रयाग	के.वि.आ.	25.17	27.89	42.76	29.74	18.98	144.54
			रा.वि.आ.	70.32	83.94	101.54	113.62	125.58	495
	5	भिलंगना	के.वि.आ.	38.99	51.09	78.38	54.5	34.78	257.74
			रा.वि.आ.	101.72	153.89	186.12	208.28	232.58	882.59
	6	थौलधार	के.वि.आ.	22.42	29.03	44.48	30.93	19.74	146.6
			रा.वि.आ.	58.28	87.35	105.63	118.2	130.76	500.22
	7	जौनपुर	के.वि.आ.	32.7	37.61	57.7	40.13	25.61	193.75
			रा.वि.आ.	84.24	113.3	137.01	153.33	169.62	657.5
	8	प्रतापनगर	के.वि.आ.	25.13	33.9	51.98	36.15	23.07	170.23
			रा.वि.आ.	64.28	102.07	123.42	138.12	151.24	579.13
	9	जाखणीधार	के.वि.आ.	23.18	30.25	46.35	32.24	20.58	152.6
			रा.वि.आ.	60.12	91.02	110.07	123.19	136.3	520.7
	के0वि0आ0योगः–			**242.12**	**295.12**	**451.79**	**314.19**	**200.51**	**1503.73**
	रा0वि0आ0योगः–			**627.04**	**887.1**	**1072.84**	**1200.57**	**1328.98**	**5116.53**
12–ऊधम सिंह नगर	1	खटीमा	के.वि.आ.	58.79	67.49	103.62	72.06	45.99	347.95
			रा.वि.आ.	172.04	203.46	246.06	275.36	304.66	1201.58
	2	सितारगंज	के.वि.आ.	61.27	69.32	106.43	74.03	47.25	358.3
			रा.वि.आ.	162.88	209.03	252.77	282.86	312.98	1220.52
	3	रूद्रपुर	के.वि.आ.	39.07	42.59	64.57	44.91	28.66	219.8
			रा.वि.आ.	145.32	126.81	153.34	171.6	189.86	786.93
	4	गदरपुर	के.वि.आ.	43.64	50.8	78.02	54.26	34.63	261.35
			रा.वि.आ.	113.28	153.24	185.31	207.37	229.5	888.7
	5	बाजपुर	के.वि.आ.	46.46	53.42	82.02	57.04	36.4	275.34
			रा.वि.आ.	122.36	161.06	194.79	217.98	242.16	938.35
	6	काशीपुर	के.वि.आ.	29.45	32.52	49.95	34.74	22.17	168.83
			रा.वि.आ.	107.16	98.1	118.62	132.73	149.14	605.75
	7	जसपुर	के.वि.आ.	42.13	48.48	74.45	51.78	33.05	249.89
			रा.वि.आ.	106.76	146.2	176.8	197.85	209.26	836.87
	के0वि0आ0योगः–			**320.81**	**364.62**	**559.06**	**388.82**	**248.15**	**1881.46**
	रा0वि0आ0योगः–			**929.8**	**1097.9**	**1327.69**	**1485.75**	**1637.56**	**6478.7**
13–उत्तरकाशी	1	भटवाड़ी	के.वि.आ.	27.21	35.43	54.26	37.73	24.08	178.71
			रा.वि.आ.	76.92	106.56	128.85	144.2	159.52	616.05
	2	डुण्डा	के.वि.आ.	25.43	33.87	51.93	36.12	23.05	170.4
			रा.वि.आ.	65.16	101.99	123.33	138.02	154.34	582.84
	3	चिन्यालीसौड़	के.वि.आ.	21.17	27.66	42.37	29.47	18.81	139.48
			रा.वि.आ.	55.08	83.21	100.64	112.62	124.6	476.15
	4	नौगाँव	के.वि.आ.	31.43	38.78	59.43	41.33	26.38	197.35
			रा.वि.आ.	82.32	116.71	141.14	157.94	174.98	673.09
	5	पुरोला	के.वि.आ.	15.1	20.86	31.94	22.21	14.18	104.29
			रा.वि.आ.	39.52	62.69	75.83	84.83	93.9	356.77
	6	मोरी	के.वि.आ.	22.39	30.52	46.74	32.51	20.75	152.91
			रा.वि.आ.	58.64	91.76	110.99	124.19	137.42	523
के0वि0आ0योगः–				**142.73**	**187.12**	**286.67**	**199.37**	**127.25**	**943.14**
रा0वि0आ0योगः–				**377.64**	**562.92**	**680.78**	**761.80**	**844.76**	**3227.90**
महायाग के0वि0आ0योगः–				**2949.80**	**3475.00**	**5305.63**	**3690.00**	**2355.00**	**17775.43**
महायोग रा0वि0आ0योगः–				**8160.00**	**10419.00**	**12600.00**	**14100.00**	**15600.00**	**60879.00**
महायोग				**11109.80**	**13894.00**	**17905.63**	**17790.00**	**17955.00**	**78654.43**

***धनराशि दिसम्बर 2025 तक**

9.13 राज्य वित्त आयोग निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, ग्राम पंचायतों हेतु राज्य वित्त आयोग एवं केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों पर जारी की गई निधियों का क्षेत्र पंचायत–वार विवरण निम्नानुसार है–

राज्य वित्त आयोग एवं केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को निर्गत की गई धनराशि का क्षेत्र पंचायत–वार विवरण

(राशि ₹ लाख में)

जनपद	क्र0 सं0	क्षेत्र पंचायत	वित्त आयोग	वित्तीय वर्ष					योग
				2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*	
1–अल्मोड़ा	1	स्याल्दे	के.वि.आ.	215.63	259.70	335.67	346.62	182.78	1340.40
			रा.वि.आ.	99.88	272.43	329.77	371.52	407.14	1480.74
	2	ताकुला	के.वि.आ.	195.23	237.29	306.93	316.59	167.05	1223.09
			रा.वि.आ.	89.00	249.05	301.52	339.59	372.46	1351.62
	3	धौलादेवी	के.वि.आ.	261.18	319.76	414.64	428.47	222.82	1646.87
			रा.वि.आ.	120.04	333.56	403.65	454.81	498.48	1810.54
	4	भैंसियाछाना	के.वि.आ.	117.82	143.69	186.36	192.43	100.01	740.31
			रा.वि.आ.	53.88	149.82	181.35	204.27	223.90	813.22
	5	हवलबाग	के.वि.आ.	286.30	347.43	451.21	467.47	243.06	1795.47
			रा.वि.आ.	134.20	364.04	440.64	496.35	544.18	1979.41
	6	लमगड़ा	के.वि.आ.	235.65	282.12	367.40	384.72	200.03	1469.92
			रा.वि.आ.	109.72	299.52	362.59	408.44	447.74	1628.01
	7	द्वाराहाट	के.वि.आ.	275.36	329.11	423.21	437.06	234.92	1699.66
			रा.वि.आ.	125.48	348.23	421.53	474.83	520.46	1890.53
	8	सल्ट	के.वि.आ.	289.58	309.19	398.98	412.74	216.77	1627.26
			रा.वि.आ.	136.12	323.61	391.47	441.16	483.26	1775.62
	9	भिक्यासैण	के.वि.आ.	205.54	205.06	264.76	273.91	142.49	1091.76
			रा.वि.आ.	93.56	213.46	258.37	291.11	318.76	1175.26
	10	ताड़ीखेत	के.वि.आ.	275.09	298.89	385.58	398.93	209.58	1568.07
			रा.वि.आ.	131.40	312.88	378.54	426.58	467.30	1716.70
	11	चौखुटियाँ	के.वि.आ.	207.41	251.26	325.91	336.40	174.96	1295.94
			रा.वि.आ.	101.44	261.95	317.18	357.26	391.62	1429.45
	के0वि0आ0योगः–			**2564.79**	**2983.50**	**3860.65**	**3995.34**	**2094.49**	**15498.77**
	रा0वि0आ0योगः–			**1194.72**	**3128.55**	**3786.61**	**4265.92**	**4675.30**	**17051.10**
2–बागेश्वर	1	कपकोट	के.वि.आ.	355.72	436.40	679.31	471.30	300.74	2243.47
			रा.वि.आ.	163.88	455.16	550.68	620.66	689.46	2479.84
	2	गरूड़	के.वि.आ.	279.21	333.18	507.88	356.46	228.89	1705.62
			रा.वि.आ.	128.60	343.64	415.66	468.61	509.14	1865.65
	3	बागेश्वर	के.वि.आ.	445.10	539.57	840.19	582.39	371.68	2778.93
			रा.वि.आ.	224.24	562.88	680.87	767.69	840.08	3075.76
	के0वि0आ0योगः–			**1080.03**	**1309.15**	**2027.38**	**1410.15**	**901.31**	**6728.02**
	रा0वि0आ0योगः–			**516.72**	**1361.68**	**1647.21**	**1856.96**	**2038.68**	**7421.25**
3–चमोली	1	कर्णप्रयाग	के.वि.आ.	227.56	274.60	427.56	296.33	189.09	1415.14
			रा.वि.आ.	107.80	286.43	346.46	390.61	427.44	1558.74
	2	जोशीमठ	के.वि.आ.	182.11	220.11	342.56	237.86	151.73	1134.37
			रा.वि.आ.	84.76	229.60	277.78	313.01	342.58	1247.73
	3	दशोली	के.वि.आ.	164.86	202.88	315.82	219.06	139.81	1042.43
			रा.वि.आ.	82.52	211.64	256.00	288.59	329.94	1168.69
	4	घाट	के.वि.आ.	158.64	196.11	305.31	211.83	135.19	1007.08
			रा.वि.आ.	72.24	204.65	247.58	279.07	292.78	1096.32
	5	पोखरी	के.वि.आ.	173.75	210.52	327.79	227.21	145.00	1084.27
			रा.वि.आ.	81.56	219.58	265.64	299.50	332.94	1199.22
	6	गैरसैण	के.वि.आ.	249.75	306.94	477.80	331.43	211.54	1577.46
			रा.वि.आ.	113.36	320.18	387.29	436.61	478.04	1735.48
	7	थराली	के.वि.आ.	126.32	154.40	240.48	166.72	106.39	794.31
			रा.वि.आ.	51.40	161.12	194.90	219.72	240.52	867.66
	8	देवाल	के.वि.आ.	120.06	141.75	216.51	150.11	103.53	731.96

जनपद	क्र0 सं0	क्षेत्र पंचायत	वित्त आयोग	वित्तीय वर्ष					योग
				2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*	
			रा.वि.आ.	54.36	152.98	185.02	208.59	232.68	833.63
	9	नारायणबगड़	के.वि.आ.	193.86	231.14	358.44	251.35	161.27	1196.06
			रा.वि.आ.	96.04	242.93	293.89	331.36	362.56	1326.78
	के0वि0आ0योगः–			**1596.91**	**1938.45**	**3012.27**	**2091.90**	**1343.55**	**9983.08**
	रा0वि0आ0योगः–			**744.04**	**2029.11**	**2454.56**	**2767.06**	**3039.48**	**11034.25**
4–चम्पावत	1	लोहाघाट	के.वि.आ.	163.68	175.07	270.19	187.53	123.69	920.16
			रा.वि.आ.	75.36	185.21	224.09	252.55	276.74	1013.95
	2	बाराकोट	के.वि.आ.	112.88	138.94	216.19	150.00	95.74	713.75
			रा.वि.आ.	52.12	144.88	175.30	197.53	216.44	786.27
	3	पाटी	के.वि.आ.	208.66	256.54	399.29	277.06	176.81	1318.36
			रा.वि.आ.	95.84	267.60	323.81	364.86	389.96	1442.07
	4	चम्पावत	के.वि.आ.	312.39	355.29	553.23	383.98	245.09	1849.98
			रा.वि.आ.	146.32	370.94	448.75	505.79	554.12	2025.92
	के0वि0आ0योगः–			**797.61**	**925.84**	**1438.90**	**998.57**	**641.33**	**4802.25**
	रा0वि0आ0योगः–			**369.64**	**968.63**	**1171.95**	**1320.73**	**1437.26**	**5268.21**
5–देहरादून	1	डोईवाला	के.वि.आ.	242.41	286.82	372.39	385.39	200.32	1487.33
			रा.वि.आ.	220.80	300.33	362.93	409.03	472.20	1765.29
	2	रायपुर	के.वि.आ.	87.64	89.35	115.73	119.74	62.22	474.68
			रा.वि.आ.	164.84	94.70	112.74	127.06	149.58	648.92
	3	सहसपुर	के.वि.आ.	286.28	327.08	424.63	439.32	228.39	1705.70
			रा.वि.आ.	182.00	342.64	413.74	466.27	511.64	1916.29
	4	विकासनगर	के.वि.आ.	343.31	396.65	515.18	532.76	276.95	2064.85
			रा.वि.आ.	164.60	415.11	501.73	565.51	620.52	2267.47
	5	चकराता	के.वि.आ.	257.20	271.03	350.69	362.70	188.68	1430.30
			रा.वि.आ.	117.32	282.64	341.95	385.32	426.16	1553.39
	6	कालसी	के.वि.आ.	229.58	249.80	322.89	334.06	173.81	1310.14
			रा.वि.आ.	108.88	260.30	314.94	354.90	388.74	1427.76
	के0वि0आ0योगः–			**1446.42**	**1620.73**	**2101.51**	**2173.97**	**1130.37**	**8473.00**
	रा0वि0आ0योगः–			**958.44**	**1695.72**	**2048.03**	**2308.09**	**2568.84**	**9579.12**
6–हरिद्वार	1	भगवानपुर	के.वि.आ.	441.16	526.38	820.93	569.85	363.84	2722.16
			रा.वि.आ.	198.00	550.59	666.02	750.66	824.90	2990.17
	2	खानपुर	के.वि.आ.	126.44	146.88	228.99	158.96	101.49	762.76
			रा.वि.आ.	57.20	153.58	185.77	209.35	230.08	835.98
	3	रूड़की	के.वि.आ.	472.17	475.70	663.90	460.88	294.18	2366.83
			रा.वि.आ.	185.92	445.23	538.54	606.97	667.00	2443.66
	4	नारसन	के.वि.आ.	486.30	546.50	822.91	571.27	364.71	2791.69
			रा.वि.आ.	233.60	551.97	667.66	752.48	831.46	3037.17
	5	लक्सर	के.वि.आ.	371.71	416.83	629.69	437.21	279.11	2134.55
			रा.वि.आ.	167.00	422.35	510.87	575.75	629.10	2305.07
	6	बहादराबाद	के.वि.आ.	651.58	781.70	1219.14	846.22	540.36	4039.00
			रा.वि.आ.	316.92	817.63	989.02	1114.69	1245.12	4483.38
	के0वि0आ0योगः–			**2549.36**	**2893.99**	**4385.56**	**3044.39**	**1943.69**	**14816.99**
	रा0वि0आ0योगः–			**1158.64**	**2941.35**	**3557.88**	**4009.90**	**4427.66**	**16095.43**
7–नैनीताल	1	ओखलकाण्ड़ा	के.वि.आ.	171.03	190.85	296.71	205.99	131.54	996.12
			रा.वि.आ.	83.92	199.07	240.85	271.36	297.30	1092.50
	2	भीमताल	के.वि.आ.	146.32	149.82	233.22	161.97	103.41	794.74
			रा.वि.आ.	74.04	165.06	189.22	213.31	234.12	875.75
	3	बेतालघाट	के.वि.आ.	160.25	146.12	227.20	157.80	100.72	792.09
			रा.वि.आ.	77.24	166.55	184.37	207.87	228.16	864.19
	4	हल्द्वानी	के.वि.आ.	228.85	259.38	404.46	280.76	179.31	1352.76
			रा.वि.आ.	205.48	271.47	328.09	369.78	405.66	1580.48

जनपद	क्र0 सं0	क्षेत्र पंचायत	वित्त आयोग	वित्तीय वर्ष					योग
				2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*	
	5	रामनगर	के.वि.आ.	196.95	236.66	368.77	255.99	163.49	1221.86
			रा.वि.आ.	89.32	247.31	299.16	337.23	378.94	1351.96
	6	रामगढ़	के.वि.आ.	133.80	157.57	244.99	170.07	108.62	815.05
			रा.वि.आ.	63.68	164.37	198.84	224.15	245.64	896.68
	7	कोटाबाग	के.वि.आ.	178.14	187.17	291.51	202.41	129.23	988.46
			रा.वि.आ.	81.76	199.09	236.55	266.60	292.42	1076.42
	8	धारी	के.वि.आ.	102.76	102.26	159.11	110.48	70.51	545.12
			रा.वि.आ.	43.68	111.22	129.02	145.43	159.50	588.85
	के0वि0आ0योगः–			**1318.10**	**1429.83**	**2225.97**	**1545.47**	**986.83**	**7506.20**
	रा0वि0आ0योगः–			**719.12**	**1524.14**	**1806.10**	**2035.73**	**2241.74**	**8326.83**
8–पौड़ी गढ़वाल	1	बीरोंखाल	के.वि.आ.	205.88	246.89	320.42	330.50	171.85	1275.54
			रा.वि.आ.	99.76	257.33	311.55	350.92	376.74	1396.30
	2	द्वारीखाल	के.वि.आ.	210.29	186.20	240.80	249.41	129.60	1016.30
			रा.वि.आ.	98.28	207.74	234.76	264.67	290.26	1095.71
	3	दुगड्डा	के.वि.आ.	130.83	120.52	155.89	161.11	83.73	652.08
			रा.वि.आ.	158.96	138.15	151.69	171.00	187.70	807.50
	4	एकेश्वर	के.वि.आ.	168.40	167.83	215.62	223.02	118.11	892.98
			रा.वि.आ.	76.48	175.95	212.97	239.94	262.76	968.10
	5	जयहरीखाल	के.वि.आ.	153.40	135.05	174.49	180.50	93.81	737.25
			रा.वि.आ.	71.76	154.41	169.86	191.48	210.02	797.53
	6	कल्जीखाल	के.वि.आ.	186.16	187.23	242.73	251.12	130.58	997.82
			रा.वि.आ.	85.20	195.56	236.71	266.68	292.06	1076.21
	7	खिर्सू	के.वि.आ.	110.69	131.45	169.23	174.66	90.81	676.84
			रा.वि.आ.	49.56	135.97	164.63	185.40	203.18	738.74
	8	कोट	के.वि.आ.	151.76	180.84	234.73	242.18	125.90	935.41
			रा.वि.आ.	69.68	188.57	228.25	257.12	281.80	1025.42
	9	नैनीडांडा	के.वि.आ.	185.74	197.52	255.96	264.75	137.72	1041.69
			रा.वि.आ.	87.08	206.22	249.53	281.17	307.96	1131.96
	10	रिखणीखाल	के.वि.आ.	175.50	177.00	229.45	237.32	123.38	942.65
			रा.वि.आ.	80.80	184.87	223.70	252.05	276.04	1017.46
	11	थलीसैण	के.वि.आ.	232.60	279.88	359.07	370.81	192.87	1435.23
			रा.वि.आ.	108.96	288.79	349.48	393.72	431.62	1572.57
	12	यमकेश्वर	के.वि.आ.	197.16	213.16	276.31	285.73	148.61	1120.97
			रा.वि.आ.	90.96	222.45	269.26	303.38	332.22	1218.27
	13	पौड़ी	के.वि.आ.	135.26	162.75	211.19	217.93	113.31	840.44
			रा.वि.आ.	63.36	169.67	205.44	231.36	253.72	923.55
	14	पाबो	के.वि.आ.	153.11	186.85	243.84	251.64	130.87	966.31
			रा.वि.आ.	73.24	195.93	237.23	267.19	292.88	1066.47
	15	पोखड़ा	के.वि.आ.	125.80	150.12	194.80	200.96	104.46	776.14
			रा.वि.आ.	57.48	156.46	189.48	213.38	241.78	858.58
	के0वि0आ0योगः–			**2522.58**	**2723.29**	**3524.53**	**3641.64**	**1895.63**	**14307.67**
	रा0वि0आ0योगः–			**1271.56**	**2878.07**	**3434.54**	**3869.46**	**4240.74**	**15694.37**
9–पिथौरागढ़	1	गंगोलीहाट	के.वि.आ.	308.34	377.56	587.89	407.67	260.24	1941.70
			रा.वि.आ.	142.84	393.79	476.39	537.03	587.94	2137.99
	2	मुनाकोट	के.वि.आ.	217.54	266.05	414.27	287.30	183.35	1368.51
			रा.वि.आ.	100.68	277.53	335.75	378.43	414.38	1506.77
	3	कनालीछीना	के.वि.आ.	241.01	290.52	452.17	313.60	200.13	1497.43
			रा.वि.आ.	111.68	303.00	366.51	413.19	452.40	1646.78
	4	धारचूला	के.वि.आ.	218.68	269.64	419.98	291.34	185.92	1385.56
			रा.वि.आ.	100.68	281.44	340.45	383.73	420.48	1526.78
	5	पिथौरागढ़	के.वि.आ.	213.67	296.61	461.82	320.35	204.50	1496.95

जनपद	क्र0 सं0	क्षेत्र पंचायत	वित्त आयोग	वित्तीय वर्ष					योग
				2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*	
			रा.वि.आ.	105.88	309.50	374.39	422.04	462.24	1674.05
	6	डीडीहाट	के.वि.आ.	187.69	227.51	354.20	245.70	156.83	1171.93
			रा.वि.आ.	86.96	237.36	287.10	323.65	354.34	1289.41
	7	मुनस्यारी	के.वि.आ.	281.18	339.06	527.62	366.06	233.58	1747.50
			रा.वि.आ.	128.80	353.50	427.74	481.99	495.74	1887.77
	8	बेरीनाग	के.वि.आ.	213.90	261.01	406.47	281.83	179.84	1343.05
			रा.वि.आ.	98.88	272.24	329.32	371.31	406.50	1478.25
	के0वि0आ0योगः–			**1882.01**	**2327.96**	**3624.42**	**2513.85**	**1604.39**	**11952.63**
	रा0वि0आ0योगः–			**876.40**	**2428.36**	**2937.65**	**3311.37**	**3594.02**	**13147.80**
10–रूद्रप्रयाग	1	अगस्त्यमुनी	के.वि.आ.	418.77	516.56	804.38	557.64	355.91	2653.26
			रा.वि.आ.	193.76	538.87	651.80	734.76	804.50	2923.69
	2	जखोली	के.वि.आ.	287.57	358.17	557.83	386.91	246.93	1837.41
			रा.वि.आ.	132.44	373.75	452.09	509.61	558.24	2026.13
	3	ऊखीमठ	के.वि.आ.	186.69	231.83	361.01	250.49	159.85	1189.87
			रा.वि.आ.	87.08	241.95	292.68	329.89	342.66	1294.26
	के0वि0आ0योगः–			**893.03**	**1106.56**	**1723.22**	**1195.04**	**762.69**	**5680.54**
	रा0वि0आ0योगः–			**413.28**	**1154.57**	**1396.57**	**1574.26**	**1705.40**	**6244.08**
11–टिहरी गढ़वाल	1	नरेन्द्र नगर	के.वि.आ.	243.38	229.92	293.49	303.44	157.59	1227.82
			रा.वि.आ.	113.68	258.50	285.48	321.91	356.40	1335.97
	2	कीर्तिनगर	के.वि.आ.	213.33	260.55	338.27	349.00	181.43	1342.58
			रा.वि.आ.	85.48	271.69	328.96	370.50	406.24	1462.87
	3	चम्बा	के.वि.आ.	214.54	231.65	299.38	309.73	161.14	1216.44
			रा.वि.आ.	101.56	241.32	292.07	329.05	360.40	1324.40
	4	देवप्रयाग	के.वि.आ.	214.04	230.44	297.95	308.15	160.33	1210.91
			रा.वि.आ.	111.84	240.08	290.48	327.27	361.08	1330.75
	5	भिलंगना	के.वि.आ.	400.37	494.36	641.73	662.14	344.32	2542.92
			रा.वि.आ.	187.72	515.67	624.17	703.06	783.98	2814.60
	6	थौलधार	के.वि.आ.	197.37	239.43	310.80	320.58	166.67	1234.85
			रा.वि.आ.	90.00	249.69	302.20	340.38	380.54	1362.81
	7	जौनपुर	के.वि.आ.	301.00	327.51	423.68	438.27	227.94	1718.40
			रा.वि.आ.	141.84	341.45	413.12	465.52	518.58	1880.51
	8	प्रतापनगर	के.वि.आ.	224.56	278.07	360.94	372.47	193.70	1429.74
			रा.वि.आ.	102.20	290.04	351.06	395.49	438.64	1577.43
	9	जाखणीधार	के.वि.आ.	205.78	251.10	326.05	336.28	174.86	1294.07
			रा.वि.आ.	93.84	261.93	317.04	357.08	391.44	1421.33
	के0वि0आ0योगः–			**2214.37**	**2543.03**	**3292.29**	**3400.06**	**1767.97**	**13217.72**
	रा0वि0आ0योगः–			**1028.16**	**2670.37**	**3204.58**	**3610.26**	**3997.30**	**14510.67**
12–ऊधम सिंह नगर	1	खटीमा	के.वि.आ.	369.07	430.34	559.20	578.39	300.67	2237.67
			रा.वि.आ.	197.44	450.27	544.67	613.83	673.30	2479.51
	2	सितारगंज	के.वि.आ.	396.49	450.12	584.62	604.66	314.36	2350.25
			रा.वि.आ.	188.64	470.78	569.38	641.75	707.16	2577.71
	3	रूद्रपुर	के.वि.आ.	242.45	275.04	351.92	364.03	189.22	1422.66
			रा.वि.आ.	164.88	283.42	342.76	386.34	423.76	1601.16
	4	गदरपुर	के.वि.आ.	288.90	336.55	437.29	452.33	235.12	1750.19
			रा.वि.आ.	135.00	352.19	425.98	480.13	526.78	1920.08
	5	बाजपुर	के.वि.आ.	303.33	351.40	456.33	472.06	245.33	1828.45
			रा.वि.आ.	141.84	367.51	444.52	501.03	552.16	2007.06
	6	काशीपुर	के.वि.आ.	184.20	214.48	278.72	288.25	149.89	1115.54
			रा.वि.आ.	127.72	224.47	271.48	305.95	338.86	1268.48
	7	जसपुर	के.वि.आ.	277.03	321.59	417.68	432.00	224.61	1672.91
			रा.वि.आ.	124.20	336.31	406.85	458.55	481.72	1807.63

जनपद	क्र0 सं0	क्षेत्र पंचायत	वित्त आयोग	वित्तीय वर्ष					योग
				2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*	
	केवि0आ0योगः–			**2061.47**	**2379.52**	**3085.76**	**3191.72**	**1659.19**	**12377.66**
	रा0वि0आ0योगः–			**1079.72**	**2484.95**	**3005.64**	**3387.58**	**3703.74**	**13661.63**
13–उत्तरकाशी	1	भटवाड़ी	के.वि.आ.	221.78	272.00	423.58	293.56	187.39	1398.31
			रा.वि.आ.	107.84	283.65	343.19	386.85	432.10	1553.63
	2	डुण्डा	के.वि.आ.	232.22	283.61	438.22	308.03	198.13	1460.21
			रा.वि.आ.	104.40	297.46	360.12	405.55	453.12	1620.65
	3	चिन्याली–सौड़	के.वि.आ.	178.91	218.69	340.68	236.16	150.62	1125.06
			रा.वि.आ.	81.72	228.07	276.10	310.95	347.12	1243.96
	4	नौगाँव	के.वि.आ.	290.26	351.04	546.70	379.05	241.76	1808.81
			रा.वि.आ.	129.08	366.10	443.16	499.12	558.06	1995.52
	5	पुरोला	के.वि.आ.	99.68	123.86	192.93	133.80	85.35	635.62
			रा.वि.आ.	46.40	129.25	156.41	176.19	199.44	707.69
	6	मोरी	के.वि.आ.	173.95	213.72	332.93	230.72	147.22	1098.54
			रा.वि.आ.	80.12	222.97	269.70	304.02	340.00	1216.81
केवि0आ0योगः–				**1196.80**	**1462.92**	**2275.04**	**1581.32**	**1010.47**	**7526.55**
रा0वि0आ0योगः–				**549.56**	**1527.50**	**1848.68**	**2082.68**	**2329.84**	**8338.26**
महायाग केवि0आ0योगः–				**22123.48**	**25644.77**	**36577.50**	**30783.42**	**17741.90**	**132871.07**
महायोग रा0वि0आ0योगः–				**10880.00**	**26793.00**	**32300.00**	**36400.00**	**40000.00**	**146373.00**
महायोग योग				**33003.48**	**52437.77**	**68877.50**	**67183.42**	**57741.90**	**279244.07**

***धनराशि दिसम्बर 2025 तक**

9.14 पूर्ववर्ती प्रस्तरों में वर्णित स्थिति से स्पष्ट रूप से यह परिलक्षित होता है कि जिला पंचायतों को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु, विशेषकर अपने स्वयं के राजस्व स्रोतों में वृद्धि के लिए, विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्हें कर, उपकर, शुल्क आदि के माध्यम से अपने राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। **आयोग यह उपयुक्त समझता है और अनुशंसा करता है कि सभी जिला पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले कर, उपकर, शुल्क आदि की विभिन्न मदें एवं उनके लिए मानक दरें (प्रत्येक पाँच वर्ष में संशोधित की जाये) सरकार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए तथा इस सम्बन्ध में अनुपालन की निगरानी की जानी चाहिए।** राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों एवं राज्य सरकार की स्वीकृति के बावजूद, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत जिला पंचायतों द्वारा अभी तक विभव एवं संपत्ति कर अधिरोपित नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम के अध्याय 22 की धारा 123 में जिला पंचायत द्वारा कर, शुल्क आदि अधिरोपित/संग्रहित किए जाने का प्रावधान है, किंतु विभिन्न करों के मदों तथा उनसे संबंधित मानक दरों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अतः आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि उक्त अधिनियम एवं संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएं। **पूर्ववर्ती राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार को जिला पंचायतों के साथ–साथ शहरी स्थानीय निकायों में भी व्यवसाय कर अधिरोपित किए जाने पर विचार करना चाहिए।**

9.15 ग्राम पंचायतों को भी अपने स्वयं के राजस्व सृजन के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, विशेषकर उन ग्राम पंचायतों को जहाँ होटल, रिसॉर्ट, दुकानें आदि जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान स्थित हैं। संपत्ति/व्यवसाय कर का अधिरोपण एवं संग्रहण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उपयोग शुल्क, तहबाजारी, सुविधा शुल्क, लाइसेंस शुल्क, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपयोगकर्ता शुल्क, मेले एवं बाजार शुल्क आदि विभिन्न स्रोतों से राजस्व सृजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। **ग्राम पंचायतों में कार्मिकों की कमी तथा अनुभव के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए, उपर्युक्त भवनों/प्रतिष्ठानों पर कराधान एवं संग्रहण का प्रबंधन जिला पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए तथा संबंधित जिला पंचायतें इस प्रकार प्राप्त आय का एक अंश, जैसे 50 प्रतिशत, संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करें।**

अध्याय–10

शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति और उनके पूर्वानुमान; सुधार के प्रयास एवं सुझाव

10.1 शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता उपलब्ध अवसंरचना की स्थिति तथा आवश्यक सेवाओं और नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। शहरी क्षेत्रों में इन व्यवस्थाओं की समुचित एवं पर्याप्त स्थापना, रख–रखाव तथा संचालन सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसके लिए पर्याप्त धनराशि और कार्मिकों की उपलब्धता भी समान रूप से अनिवार्य है।

10.2 उत्तराखण्ड के शहरी स्थानीय निकायों की वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन तथा इस संदर्भ में उनकी वित्तीय स्वायत्तता का मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक है, ताकि उन्हें सुदृढ़ बनाने हेतु उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

10.3 आयोग ने 'Strengthening the Adminsistrative, Financial, and Functional Mechanism of Urban Local Bodies for Overall Improved Municipal Governance' विषय पर एक अध्ययन, नैनीताल स्थित राज्य नगरीय विकास संस्थान को सौंपा। यह संस्थान डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में स्थापित है।

10.4 राज्य नगरीय विकास संस्थान, नैनीताल के निष्कर्षों अनुसार, उत्तराखण्ड के शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय संधारणीयता के संबंध में स्थिति निम्नानुसार पाई गई–

(क) शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व व पूंजीगत प्राप्तियों की स्थिति :–

वर्ष 2018–19 एवं 2022–23 के लिए राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व व पूंजीगत पक्ष की प्राप्तियों के प्रतिशत अंश इस प्रकार हैं–

राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का प्रतिशत अंश

क्र.सं.	विवरण	कुल आय के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)		कुल आय के सापेक्ष पूंजीगत प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	
		2018–19	2022–23	2018–19	2022–23
1	समस्त शहरी स्थानीय निकाय	84.74	87.69	11.26	12.31
2	नगर निगम	89.22	83.64	10.78	16.36
3	नगर पालिका परिषद्	91.54	92.43	8.46	7.57
4	नगर पंचायत	76.82	77.45	23.18	22.55

(ख) प्रति व्यक्ति राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ :–

राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में प्रति व्यक्ति आधार पर राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ निम्नानुसार इंगित की गई हैं–

प्रति व्यक्ति राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ

(रूपये में)

क्र. सं.	विवरण	राजस्व प्राप्तियाँ			पूंजीगत प्राप्तियाँ		
		2018–19	2022–23	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)	2018–19	2022–23	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
1	समस्त नगरीय स्थानीय निकाय	2270.13	3312.73	10.87	288.01	465.23	17.91
2	नगर निगम	2005.47	2501.20	6.72	242.27	489.39	31.53
3	नगर पालिका परिषद्	2710.09	3700.36	9.52	250.62	303.06	8.64
4	नगर पंचायत	2032.76	2786.45	14.58	613.28	811.46	12.98

(ग) नगर निकायों के प्रतिशत अंश में स्वयं के राजस्व स्रोत एवं शासन से अन्तरण (अनुदान) निम्नानुसार पाये गये हैं–

क्र.सं.	विवरण	राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष स्वयं के स्रोतों से प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)		राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष अनुदान से प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	
		2018–19	2022–23	2018–19	2022–23
1	समस्त नगर निकाय	11.67	12.24	85.52	85.11
2	नगर निगम	15.53	21.33	82.89	79.40
3	नगर पालिका परिषद्	9.34	7.85	86.33	88.23
4	नगर पंचायत	3.86	4.85	93.09	92.91

(घ) नगर निकायों के प्रति व्यक्ति स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ एवं अनुदान से प्राप्तियाँ निम्नानुसार इंगित हुई हैं–

क्र. सं.	विवरण	प्रति व्यक्ति स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ (रूपये में)			प्रति व्यक्ति अनुदान से राजस्व प्राप्तियाँ (रूपये में)		
		2018–19	2022–23	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)	2018–19	2022–23	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
1	समस्त नगर निकाय	264.98	405.61	12.27	1941.34	2819.52	10.72
2	नगर निगम	311.49	533.61	15.53	1662.32	1909.54	4.64
3	नगर पालिका परिषद्	253.08	290.48	4.55	2339.57	3264.71	10.02
4	नगर पंचायत	78.55	135.02	19.19	1892.38	2589.00	15.35

(ङ) नगर निकायों के कर एवं करेत्तर राजस्व का प्रतिशत अंश इस प्रकार पाया गया है–

नगर निकायों के स्वयं की राजस्व प्राप्तियों में कर एवं करेत्तर राजस्व का प्रतिशत अंश

क्र.सं.	विवरण	स्वयं की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश (प्रतिशत में)		स्वयं की राजस्व प्राप्तियों में करेत्तर राजस्व का अंश (प्रतिशत में)	
		2018–19	2022–23	2018–19	2022–23
1	समस्त नगर निकाय	65.55	59.65	34.45	40.35
2	नगर निगम	69.76	63.53	30.24	36.47
3	नगर पालिका परिषद्	60.80	53.44	39.20	46.56
4	नगर पंचायत	30.48	26.06	69.52	73.94

(च) नगर निकायों में प्रति व्यक्ति कर एवं करेत्तर राजस्व प्राप्तियों की स्थिति निम्नानुसार देखी गई है–

क्र. सं.	विवरण	प्रति व्यक्ति कर राजस्व (रूपये में)			प्रति व्यक्ति करेत्तर राजस्व (रूपये में)		
		2018–19	2022–23	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)	2018–19	2022–23	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
1	समस्त नगर निकाय	173.70	241.94	9.88	91.28	163.67	16.77
2	नगर निगम	217.29	338.98	13.71	94.20	194.63	21.39
3	नगर पालिका परिषद्	153.87	155.23	2.17	99.21	135.25	10.27
4	नगर पंचायत	23.94	35.19	10.95	54.61	99.83	25.26

(छ) नगर निकायों में स्वयं की राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष सम्पत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क तथा फीस व अर्थदण्ड का प्रतिशत अंश निम्नानुसार पाया गया है–

क्र. सं.	विवरण	स्वयं की राजस्व प्राप्तियों में सम्पत्ति कर अंश (प्रतिशत में)		स्वयं की राजस्व प्राप्तियों में शुल्क एवं अर्थदण्ड अंश (प्रतिशत में)		स्वयं की राजस्व प्राप्तियों में उपयोगकर्ता शुल्क (प्रतिशत में)	
		2018–19	2022–23	2018–19	2022–23	2018–19	2022–23
1	समस्त नगर निकाय	55.38	48.87	13.45	17.98	5.84	7.35
2	नगर निगम	59.26	52.73	11.54	16.84	5.71	4.89
3	नगर पालिका परिषद्	50.87	41.58	16.38	20.61	5.19	10.76
4	नगर पंचायत	24.14	22.33	22.06	23.12	14.28	23.12

(ज) नगरीय निकायों में प्रति व्यक्ति सम्पत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क तथा फीस व अर्थदण्ड प्राप्तियाँ निम्नानुसार पाई गई हैं–

क्र. सं.	विवरण	प्रति व्यक्ति सम्पत्ति कर (रूपये में)			प्रति व्यक्ति फीस व अर्थदण्ड (रूपये में)			प्रति व्यक्ति उपयोगकर्ता शुल्क (रूपये में)		
		2018–19	2022–23	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)	2018–19	2022–23	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)	2018–19	2022–23	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
1	समस्त नगर निकाय	146.73	198.24	8.87	35.63	72.94	24.28	15.48	29.81	18.56
2	नगर निगम	184.59	281.36	12.69	35.94	89.84	35.23	17.80	26.11	10.21
3	नगर पालिका परिषद्	128.74	120.77	0.75	41.46	59.88	16.19	13.13	31.26	29.95
4	नगर पंचायत	18.96	30.15	14.27	17.33	31.21	22.50	11.22	42.93	55.31

(झ) नगरीय निकायों की उनके स्तर पर निर्धारित मांग के सापेक्ष वसूली प्रतिशत (वसूली दक्षता) की स्थिति, राज्य शहरी विकास संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन अनुसार नीचे सक्षिप्त में इंगित है–

क्र. सं.	विवरण	निर्धारित मांग के सापेक्ष सम्पत्ति कर की वसूली (प्रतिशत में)	मांग के सापेक्ष फीस एवं अर्थदण्ड की वसूली (प्रतिशत में)	मांग के सापेक्ष उपयोग कर्ता शुल्क की वसूली (प्रतिशत में)
2	नगर निगम	70-100	80-90	90-105
3	नगर पालिका परिषद्	40-55	45-65	40-60
4	नगर पंचायत	30-40	60-70	60

(ञ) कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष प्रतिशत में नगर निकायों को वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान निम्नानुसार हैं–

क्र.सं.	विवरण	राजस्व प्राप्तियों में राज्य वित्त आयोग अनुदान का अंश (प्रतिशत में)		राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान का अंश (प्रतिशत में)	
		2018–19	2022–23	2018–19	2022–23
1	समस्त नगर निकाय	65.59	60.61	11.99	14.58
2	नगर निगम	60.49	59.49	19.15	10.67
3	नगर पालिका परिषद्	66.20	72.94	12.62	10.28
4	नगर पंचायत	55.69	75.68	12.14	8.90

(ट) राज्य वित्त आयोग अनुदान और केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान अन्तर्गत नगर निकायों की प्रति व्यक्ति राजस्व प्राप्तियाँ इस प्रकार पाई गई हैं–

क्र. सं.	विवरण	प्रति व्यक्ति राज्य वित्त आयोग अनुदान (रूपये में)			प्रति व्यक्ति केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान (रूपये में)		
		2018–19	2022–23	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)	2018–19	2022–23	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
1	समस्त नगर निकाय	1488.93	2007.87	9.10	272.10	483.04	21.42
2	नगर निगम	1213.18	1400.28	4.95	384.10	266.88	-1.82
3	नगर पालिका परिषद्	1794.12	2469.04	9.18	342.15	380.53	12.19
4	नगर पंचायत	984.29	1855.36	25.31	246.69	248.02	14.76

10.5 नगर निकायों की राजस्व प्राप्तियों की उपर्युक्त स्थिति से स्पष्ट होता है कि राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के स्वयं के स्रोतों से राजस्व प्राप्तियाँ न केवल कुल राशि, प्रति व्यक्ति राशि तथा कुल राजस्व प्राप्तियों में प्रतिशत हिस्सेदारी की दृष्टि से कम हैं, बल्कि इन निकायों पर जो भी सीमित कार्यात्मक जिम्मेदारियाँ हैं उनके लिए वे राज्य वित्त आयोग एवं केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों पर काफी निर्भर हैं। अतः राज्य के शहरी स्थानीय निकायों तथा राज्य सरकार के समक्ष आवश्यक नागरिक सेवाओं, सुविधाओं एवं अपेक्षित अवसंरचना की व्यवस्था के साथ–साथ इन शहरी प्रशासनिक इकाइयों की वित्तीय स्वायत्तता, कार्यकुशलता और सुदृढ़ता सुनिश्चित करने की चुनौती विद्यमान है। यद्यपि राज्य वित्त आयोग के अनुदान राज्य के राजस्व में उनकी हिस्सेदारी के रूप में मूलतः वित्तीय अंतरण होते हैं, तथापि नागरिक सेवाओं, सुविधाओं एवं अवसंरचना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित वित्तीय अंतरणों पर अत्यधिक निर्भरता इन शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय एवं कार्यात्मक स्वायत्तता को कमजोर करती है।

10.6 नैनीताल स्थित राज्य नगरीय विकास संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर, राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के कुल व्यय के सापेक्ष राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के प्रतिशत संघटन निम्नानुसार है–

शहरी स्थानीय निकायों का व्यय संघटन

क्र.सं.	विवरण	कुल व्यय के सापेक्ष राजस्व व्यय (प्रतिशत में)		कुल व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय (प्रतिशत में)	
		2018–19	2022–23	2018–19	2022–23
1	समस्त नगर निकाय	68.77	69.59	31.23	30.41
2	नगर निगम	66.02	71.04	33.98	28.96
3	नगर पालिका परिषद्	71.56	69.54	28.44	30.46
4	नगर पंचायत	71.35	63.74	28.65	36.26

10.7 नगर निकायों के सम्बन्ध में प्रति व्यक्ति व्यय की स्थिति इस प्रकार पाई गई है–

प्रति व्यक्ति व्यय विवरण

क्र. सं.	विवरण	प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय (रूपये में)			प्रति व्यक्ति पूंजीगत व्यय (रूपये में)		
		2018–19	2022–23	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)	2018–19	2022–23	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
1	समस्त नगर निकाय	1422.91	2073.82	10.72	646.21	906.44	10.53
2	नगर निगम	1240.23	1767.47	9.34	638.40	720.63	13.31
3	नगर पालिका परिषद्	1738.89	2683.06	12.07	691.13	1175.31	14.31
4	नगर पंचायत	1379.44	1778.41	7.30	553.96	1011.87	19.34

10.8 अध्ययन में प्रकट हुए नगर निकायों के घटकवार व्यय प्रतिशत और प्रवृत्ति के विवरण इस प्रकार हैं–

व्यय के घटकवार विवरण (प्रतिशत में)

क्र. सं.	विवरण	राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रशासनिक व्यय अंश (प्रतिशत में)		राजस्व व्यय के सापेक्ष संचालन एवं अनुरक्षण व्यय अंश (प्रतिशत में)		पूंजीगत व्यय के सापेक्ष विकास कार्यों पर व्यय अंश (प्रतिशत में)	
		2018–19	2022–23	2018–19	2022–23	2018–19	2022–23
1	समस्त नगर निकाय	69.79	58.90	16.56	26.37	90.22	87.80
2	नगर निगम	83.93	69.21	10.76	22.56	94.35	90.00
3	नगर पालिका परिषद्	61.29	49.70	22.86	30.78	88.99	87.56
4	नगर पंचायत	45.66	49.93	18.41	25.16	72.06	81.33

10.9 वर्णित अध्ययन से विभिन्न प्रमुख घटकवार प्रति व्यक्ति व्यय के विवरण इस प्रकार इंगित हुए हैं–

प्रति व्यक्ति प्रमुख घटक वार व्यय स्थिति

क्र. सं.	विवरण	प्रति व्यक्ति प्रशासनिक व्यय (रूपये में)			प्रति व्यक्ति संचालन एवं अनुरक्षण व्यय (रूपये में)			प्रति व्यक्ति विकास कार्य व्यय (रूपये में)		
		2018–19	2022–23	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)	2018–19	2022–23	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)	2018–19	2022–23	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
1	समस्त नगर निकाय	993.03	1221.49	6.21	235.61	546.86	27.77	583.02	795.90	9.98
2	नगर निगम	1040.92	1223.35	4.34	133.41	398.79	43.59	602.34	648.57	13.21
3	नगर पालिका परिषद्	1065.78	1333.54	5.85	397.50	825.95	22.63	615.02	1029.06	13.81
4	नगर पंचायत	556.12	896.18	12.82	253.93	447.42	18.54	399.21	822.98	25.11

10.10 अध्ययन से राज्य के नगर निकायों में राजस्व व्यय के सापेक्ष स्वयं के राजस्व की स्थिति भी इंगित हुई है जो निम्नानुसार है–

राजस्व व्यय के सापेक्ष स्वयं का राजस्व (प्रतिशत में)

क्र.सं.	विवरण	राजस्व व्यय के सापेक्ष स्वयं का राजस्व (प्रतिशत में)				
		2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
1	समस्त नगर निकाय	18.62	17.89	17.70	18.35	19.56
2	नगर निगम	25.12	26.65	26.45	23.90	30.19
3	नगर पालिका परिषद्	14.55	10.84	10.84	9.89	10.83
4	नगर पंचायत	5.69	7.16	4.72	6.28	7.59

10.11 अध्ययन में वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक की पाँच वर्षीय अवधि के लिए उत्तराखण्ड के सभी शहरी स्थानीय निकायों के कुल संसाधन अंतर के अनुमान भी इंगित किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं–

राज्य के सभी नगर निकायों में अनुमानित संसाधन अन्तर की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	वर्ष				
		2026–27	2027–28	2028–29	2029–30	2030–31
1	संसाधन अन्तर (रू0 करोड़ में)	1944.88	2214.51	2521.41	2870.73	3268.30
2	*जनसंख्या (लाख में)	44.73	45.6	46.67	47.65	48.64
3	प्रति व्यक्ति संसाधन अन्तर (रूपये में)	4348.04	4846.80	5402.63	6024.61	6719.37

***जनसंख्या अनुमान भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 2020 के प्रेक्षेपित विवरण से लिए गए हैं।**

10.12 अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि शहरी स्थानीय निकाय अपने स्वयं के राजस्व सृजन में कमजोर हैं तथा वे मुख्यतः राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों पर निर्भर हैं। संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क आदि के निर्धारण/आकलन तथा उनकी वसूली दक्षता के मामले में भी इन निकायों का प्रदर्शन कमजोर पाया गया है।

10.13 सेतु आयोग को सौंपे गये 'Assessment of Financial Resources and Financial Position of State of Uttarakhand, and its Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBs)' विषयक अध्ययन के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों की आय एवं व्यय तथा उनकी संबंधित वित्तीय स्थितियाँ निम्नलिखित तालिकाओं में दर्शित हैं।

(क) शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व स्रोतवार प्राप्तियाँ (धनराशि रूपये करोड़ में)

वर्ष	कुल स्वयं का राजस्व	केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान	राज्य वित्त आयोग अनुदान	कुल अनुदान	कुल प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों के सापेक्ष स्वयं का राजस्व अंश प्रतिशत में
2017-18	98.57	232.32	595.72	828.04	926.61	10.64
2018-19	140.08	248.65	692.25	940.90	1080.98	12.96
2019-20	156.58	249.63	770.39	1020.02	1176.6	13.31
2020-21	130.44	250.20	774.24	1024.44	1154.88	11.29
2021-22	143.72	202.00	731.38	933.38	1077.10	13.34
2022-23	211.20	322.53	835.44	1157.97	1369.17	15.43
2023-24	248.06	430.21	984.04	1414.25	1662.31	14.92

(ख) नगर निगमों की राजस्व स्रोतवार प्राप्तियाँ (धनराशि रूपये करोड़ में)

वर्ष	स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ			केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान	राज्य वित्त आयोग अनुदान	कुल अनुदान	कुल प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों के सापेक्ष स्वयं का राजस्व अंश प्रतिशत में
	कर	करेत्तर	कुल					
2017-18	34.18	19.05	53.23	95.33	238.29	333.62	386.85	13.76
2018-19	36.42	22.47	58.89	99.46	276.90	376.36	435.25	13.53
2019-20	62.96	32.19	95.15	99.85	343.15	443.00	538.15	17.68
2020-21	52.54	24.18	76.72	97.30	344.87	442.17	518.89	14.79
2021-22	65.75	34.94	100.69	81.00	325.76	406.76	507.45	19.84
2022-23	79.76	42.11	121.87	135.60	331.78	467.38	589.25	20.68
2023-24	102.90	42.65	145.55	172.08	392.96	565.04	710.59	20.48

(ग) नगर पालिका परिषदों की राजस्व स्रोतवार प्राप्तियाँ (धनराशि रूपये करोड़ में)

वर्ष	स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ			केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान	राज्य वित्त आयोग अनुदान	कुल अनुदान	कुल प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों के सापेक्ष स्वयं का राजस्व अंश प्रतिशत में
	कर	करेत्तर	कुल					
2017-18	6.77	30.45	37.22	102.75	268.08	370.83	408.05	9.12
2018-19	21.46	51.13	72.59	111.89	311.51	423.40	495.99	14.64
2019-20	10.71	32.77	43.48	112.33	311.68	424.01	467.49	9.30
2020-21	10.86	29.93	40.79	111.20	313.24	424.44	465.23	8.77
2021-22	15.39	21.46	36.85	91.00	295.91	386.91	423.76	8.70
2022-23	27.06	50.73	77.79	145.40	390.41	535.81	613.60	12.68
2023-24	19.72	60.51	80.23	202.20	465.38	667.58	747.81	10.73

(घ) नगर पंचायतों की राजस्व स्रोतवार प्राप्तियाँ (धनराशि रूपये करोड़ में)

वर्ष	स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ			केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान	राज्य वित्त आयोग अनुदान	कुल अनुदान	कुल प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों के सापेक्ष स्वयं का राजस्व अंश प्रतिशत में
	कर	करेत्तर	कुल					
2017-18	4.81	3.32	8.13	34.25	89.36	123.61	131.74	6.17
2018-19	3.32	5.28	8.60	37.30	103.84	141.14	149.74	5.74
2019-20	3.36	14.60	17.96	37.44	115.56	153.00	170.96	10.51
2020-21	2.16	10.77	12.93	41.70	116.13	157.83	170.76	7.57
2021-22	1.79	4.38	6.17	30.00	109.71	139.71	145.88	4.23
2022-23	4.62	6.92	11.54	41.53	113.25	154.78	166.32	6.94
2023-24	6.24	16.04	22.28	55.93	125.71	181.64	203.92	10.93

10.14 उपरोक्त राजस्व आय के विवरणों से स्पष्ट होता है कि राज्य के शहरी स्थानीय निकायों की स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ उनकी कुल राजस्व प्राप्तियों का केवल लगभग 10 से 15 प्रतिशत ही हैं। इससे यह स्पष्ट है कि वे राज्य वित्त आयोग एवं केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों पर अत्यधिक निर्भर हैं। स्वयं की राजस्व प्राप्तियों में नगर निगमों में कर राजस्व का हिस्सा करेत्तर राजस्व की तुलना में अधिक है, जबकि नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में करेत्तर राजस्व का हिस्सा कर राजस्व से अधिक है। कुल प्राप्तियों के सापेक्ष स्वयं के राजस्व की हिस्सेदारी नगर निगमों में लगभग 13 से 20 प्रतिशत के बीच है, जबकि नगर पालिका परिषदों में यह 9 से 14 प्रतिशत तथा नगर पंचायतों में लगभग 4 से 10 प्रतिशत के बीच है। इस संदर्भ में अध्ययन प्रतिवेदन में उल्लिखित निम्नलिखित विवरण उल्लेखनीय हैं–

शहरी स्थानीय निकायों का औसत स्वयं का राजस्व (धनराशि रूपये लाख में)

वर्ष	नगर निगम			नगर पालिका परिषद			नगर पंचायत		
	कर	करेत्तर	कुल	कर	करेत्तर	कुल	कर	करेत्तर	कुल
2017-18	569.59	317.52	887.11	18.80	84.57	103.37	10.24	7.07	17.31
2018-19	607.01	374.57	981.58	59.61	142.03	201.64	7.07	11.23	18.30
2019-20	787.01	402.36	1189.37	31.49	96.37	127.86	7.15	31.06	38.21
2020-21	656.70	302.30	959.00	31.94	88.04	119.98	4.70	23.41	28.11
2021-22	821.88	436.78	1258.66	45.27	63.13	108.40	3.90	9.53	13.43
2022-23	996.98	526.36	1523.34	64.43	120.79	185.22	9.24	13.83	23.07
2023-24	1286.20	533.17	1819.37	45.86	140.72	186.58	12.74	32.72	45.46

10.15 उक्त अध्ययन अनुसार राज्य की शहरी स्थानीय निकायों के व्यय के विवरण निम्नानुसार हैं–

(क) राज्य की शहरी स्थानीय निकायों के व्यय विवरण (धनराशि रूपये करोड़ में)

वर्ष	कुल राजस्व व्यय	कुल पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2017-18	377.35	261.96	639.31
2018-19	443.68	260.98	704.66
2019-20	630.63	302.15	932.78
2020-21	559.07	417.29	976.36
2021-22	630.11	432.19	1062.30
2022-23	693.57	465.70	1159.27
2023-24	1015.93	476.97	1492.90

(ख) नगर निगमों का प्रमुख मदवार व्यय विवरण (धनराशि रूपये करोड़ में)

वर्ष	वेतन पेंशन	सामग्री क्रय	संचालन एवं अनुरक्षण	अन्य	कुल राजस्व व्यय	कुल पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2017-18	131.11	13.96	34.67	30.30	210.04	90.34	300.38
2018-19	131.05	11.47	74.81	12.54	229.87	74.15	304.02
2019-20	198.71	18.23	133.49	0.00	350.43	132.92	483.35
2020-21	222.58	34.60	49.79	0.00	306.97	196.13	503.10
2021-22	238.63	32.15	94.01	0.00	364.79	188.02	552.81
2022-23	249.63	54.76	59.79	0.00	364.18	151.20	515.38
2023-24	322.77	163.53	40.23	12.01	538.54	168.83	707.37

(ग) नगर पालिका परिषदों का प्रमुख मद वार व्यय विवरण (धनराशि रूपये करोड़ में)

वर्ष	वेतन पेंशन	सामग्री क्रय	संचालन एवं अनुरक्षण	अन्य	कुल राजस्व व्यय	कुल पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2017-18	70.71	32.68	12.72	2.39	118.50	127.47	245.97
2018-19	95.48	28.15	31.09	6.53	161.25	143.75	305.00
2019-20	97.47	28.75	69.84	4.41	200.47	101.85	302.32
2020-21	104.31	22.27	61.35	0.00	187.93	143.50	331.43
2021-22	124.81	47.80	28.98	0.00	201.59	162.82	364.41
2022-23	125.09	81.61	33.48	4.87	245.05	204.30	449.35
2023-24	176.91	119.63	48.34	5.73	350.61	230.40	581.01

(घ) नगर पंचायतों का प्रमुख मद वार व्यय विवरण (धनराशि रूपये करोड़ में)

वर्ष	वेतन पेंशन	सामग्री क्रय	संचालन एवं अनुरक्षण	अन्य	कुल राजस्व व्यय	कुल पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2017-18	20.99	9.79	9.87	8.16	48.81	44.14	92.95
2018-19	28.45	10.94	6.24	6.93	52.56	43.08	95.64
2019-20	35.97	21.41	18.78	3.55	79.71	67.38	147.09
2020-21	37.38	14.04	12.75	0.00	64.17	77.67	141.84
2021-22	33.31	17.82	12.59	0.00	63.72	81.35	145.07
2022-23	52.48	24.91	6.95	0.00	84.34	110.21	194.55
2023-24	56.18	33.83	35.32	1.46	126.79	77.74	204.53

10.16 आयोग ने सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों से प्रश्नावली प्रारूपों में सूचना सीधे रूप से आमंत्रित की। स्रोतवार आय, व्यय तथा आगामी वर्षों के आय एवं व्यय के पूर्वानुमान इन निकायों से प्रारूप 3(1), 3(2), 3(3), 3(4), 3(5) एवं 3(6) में प्राप्त विवरण का सारांश निम्नलिखित प्रस्तरों में प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि इस सूचना की शुद्धता एवं प्रामाणिकता सत्यापित/प्रतिपरीक्षित नहीं है और इसकी विश्वसनीयता भी बहुत स्पष्ट नहीं है, तथापि यह जानकारी संबंधित निकायों की वित्तीय स्थिति का कुछ संकेत अवश्य प्रदान करती है।

10.17 नगर निगमों से प्रश्नावली प्रारूप पर प्राप्त सूचनाओं अनुसार आय के संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका 10.1 (क) में इंगित है–

तालिका 10.1 (क)

नगर निगमों के आय विवरण (रूपये लाख में)

वित्तीय वर्ष	नगर निगम	करों से स्वयं की राजस्व आय	करों से भिन्न मदों से स्वयं की राजस्व आय	स्वयं की कुल राजस्व आय (3+4)	अनुदान			विधायक/ सांसद निधि व अन्य स्रोत से	कुल राजस्व आय	
					राज्य वित्त आयोग	केन्द्रीय वित्त आयोग	कुल अनुदान (6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+8)	11 (5+8+9)
2021-2022	नगर निगम अल्मोड़ा	110.21	323.81	434.02	1,932.17	142.55	2,074.72	189.48	2,508.74	2,698.22
2022-2023		144.63	383.70	528.33	1,397.59	261.65	1,659.24	265.13	2,187.57	2,452.70
2023-2024		139.83	451.79	591.62	1,829.74	318.67	2,148.41	448.81	2,740.03	3,188.84
2024-2025		153.43	437.35	590.78	1,881.22	267.27	2,148.49	187.21	2,739.27	2,926.48
2025-2026		-	-	-	2,000.00	333.16	2,333.16	-	2,333.16	2,333.16
2021-2022	नगर निगम देहरादून	3,734.83	36.14	3,770.97	10,397.18	2,439.22	12,836.40	1,267.56	16,607.37	17,874.93
2022-2023		5,768.23	47.44	5,815.67	15,081.81	2,633.76	17,715.57	5,890.40	23,531.24	29,421.64
2023-2024		5,878.00	43.07	5,921.07	19,808.00	3,196.32	23,004.32	4,870.23	28,925.39	33,795.62
2024-2025		6,428.98	49.08	6,478.06	18,497.70	2,558.86	21,056.56	784.76	27,534.62	28,319.38
2025-2026		-	-	-	20,269.00	3,141.00	23,410.00	80.00	23,410.00	23,490.00
2021-2022	नगर निगम ऋषिकेश	195.66	50.13	245.79	1,807.18	685.89	2,493.07	63.16	2,738.86	2,802.02
2022-2023		254.34	152.22	406.56	1,847.79	458.51	2,306.30	97.98	2,712.86	2,810.84
2023-2024		328.37	196.14	524.51	2,204.94	1,371.65	3,576.59	77.52	4,101.10	4,178.62
2024-2025		257.10	103.17	360.27	1,816.44	347.96	2,164.40	82.39	2,524.67	2,607.06
2025-2026		-	-	-	2,425.00	500.00	2,925.00	70.00	2,925.00	2,995.00
2021-2022	नगर निगम हरिद्वार	471.32	441.12	912.44	3,554.02	641.66	4,195.68	489.21	5,108.12	5,597.33
2022-2023		822.25	672.50	1,494.75	3,995.52	1,032.29	5,027.81	565.94	6,522.56	7,088.50
2023-2024		828.66	809.25	1,637.91	4,772.05	941.83	5,713.88	6,901.85	7,351.79	14,253.64
2024-2025		904.51	836.89	1,741.40	5,370.21	753.99	6,124.20	6,163.99	7,865.60	14,029.59
2025-2026		-	-	-	5,500.00	1,000.00	6,500.00	3,971.28	6,500.00	10,471.28
2021-2022	नगर निगम रूड़की	371.33	25.30	396.63	2,880.78	392.63	3,273.41	48.85	3,670.04	3,718.89
2022-2023		398.24	29.60	427.84	2,700.00	1,250.00	3,950.00	55.27	4,377.84	4,433.11
2023-2024		412.57	41.18	453.75	3,904.32	770.57	4,674.89	34.99	5,128.64	5,163.63
2024-2025		468.57	27.99	496.56	4,200.00	863.36	5,063.36	85.91	5,559.92	5,645.83
2025-2026		-	25.32	25.32	4,620.00	949.70	5,569.70	94.51	5,595.02	5,689.53
2021-2022	नगर निगम हल्द्वानी	322.00	782.00	1104.00	3171.00	1332.00	4503.00	142.00	5607.00	5749.00
2022-2023		346.00	1010.00	1356.00	4147.00	583.00	4730.00	385.00	6086.00	6471.00
2023-2024		427.00	2142.00	2569.00	4400.00	773.00	5173.00	836.00	7742.00	8578.00
2024-2025		435.00	1071.00	1506.00	8500.00	1159.00	9659.00	300.00	11165.00	11465.00
2025-2026		-	-	-	8500.00	1300.00	9800.00	400.00	9800.00	10200.00
2021-2022	नगर निगम श्रीनगर	27.57	37.20	64.77	640.13	165.09	805.22	66.26	869.99	936.25
2022-2023		29.83	39.50	69.33	1,206.38	195.13	1,401.51	107.81	1,470.84	1,578.65
2023-2024		23.04	103.34	126.38	1,442.34	274.94	1,717.28	159.19	1,843.66	2,002.85
2024-2025		14.85	69.05	83.90	1,623.81	230.86	1,854.67	94.37	1,938.57	2,032.94
2025-2026		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021-2022	नगर निगम कोटद्वार	27.10	35.44	62.54	1,106.06	654.40	1,760.46	990.00	1,823.00	2,813.00
2022-2023		35.04	48.76	83.80	2,634.77	618.78	3,253.55	1,062.16	3,337.35	4,399.51
2023-2024		104.20	44.11	148.31	3,144.83	620.14	3,764.97	94.98	3,913.28	4,008.26
2024-2025		128.25	46.10	174.35	3,539.87	623.32	4,163.19	314.78	4,337.54	4,652.32
2025-2026		-	-	-	3,602.50	616.60	4,219.10	3,910.09	4,219.10	8,129.19
2021-2022	नगर निगम पिथौरागढ़	21.37	33.25	54.62	1,554.70	283.29	1,837.99	302.15	1,892.61	2,194.76
2022-2023		32.29	39.68	71.97	1,993.56	208.15	2,201.71	550.13	2,273.68	2,823.81
2023-2024		36.49	60.33	96.82	2,717.64	346.96	3,064.60	577.69	3,161.42	3,739.11
2024-2025		43.36	73.31	116.67	3,322.16	459.41	3,781.57	252.44	3,898.24	4,150.68
2025-2026		-	-	-	4,500.00	500.00	5,000.00	604.65	5,000.00	5,604.65
2021-2022	नगर निगम काशीपुर	309.33	226.22	535.55	2,388.08	626.82	3,014.90	667.28	3,550.45	4,217.73
2022-2023		423.14	270.91	694.05	2,952.69	673.60	3,626.29	263.13	4,320.34	4,583.47
2023-2024		449.04	267.79	716.83	3,555.83	724.18	4,280.01	1,299.09	4,996.84	6,295.93
2024-2025		494.14	315.57	809.71	3,972.33	606.00	4,578.33	91.02	5,388.04	5,479.06
2025-2026		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021-2022	नगर निगम रूद्रपुर	328.95	170.09	499.04	2,551.76	890.30	3,442.06	526.49	3,941.10	4,467.59
2022-2023		381.29	296.37	677.66	3,288.29	769.74	4,058.03	725.10	4,735.69	5,460.79
2023-2024		464.18	339.46	803.64	3,970.63	778.15	4,748.78	859.38	5,552.42	6,411.80
2024-2025		393.83	205.88	599.71	4,414.27	0.00	4,414.27	903.68	5,013.98	5,917.66

वित्तीय वर्ष	नगर निगम	करों से स्वयं की राजस्व आय	करों से भिन्न मदों से स्वयं की राजस्व आय	स्वयं की कुल राजस्व आय (3+4)	अनुदान			विधायक/ सांसद निधि व अन्य स्रोत से	कुल राजस्व आय	
					राज्य वित्त आयोग	केन्द्रीय वित्त आयोग	कुल अनुदान (6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+8)	11 (5+8+9)
2025-2026		-	-	-	5,000.00	800.00	5,800.00	994.04	5,800.00	6,794.04

10.18 उक्त विवरण के आधार पर नगर निगमों की राजस्व स्रोतवार आय की प्रदर्शन स्थिति तालिका 10.1 (ख) में निम्नानुसार है–

तालिका 10.1 (ख)
नगर निगमों के आय विवरण (प्रतिशत अंश में)

नगर निगम	कुल राजस्व (विधायक निधि आदि को छोड़कर) के सापेक्ष						स्वयं के कुल राजस्व के सापेक्ष	
	वित्तीय वर्ष	स्वयं के कर से राजस्व आय अंश (प्रतिशत में)	स्वयं का करेत्तर राजस्व अंश (प्रतिशत में)	स्वयं का कुल राजस्व अंश (प्रतिशत में)	राज्य वित्त आयोग अनुदान अंश (प्रतिशत में)	केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान अंश (प्रतिशत में)	स्वयं का कर राजस्व अंश (प्रतिशत में)	स्वयं का करेत्तर राजस्व अंश (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नगर निगम अल्मोड़ा	2023-2024	5.10	16.49	21.59	66.78	11.63	23.64	76.36
	2024-2025	5.60	15.97	21.57	68.68	9.76	25.97	74.03
नगर निगम देहरादून	2023-2024	20.32	0.15	20.47	68.48	11.05	99.27	0.73
	2024-2025	23.35	0.18	23.53	67.18	9.29	99.24	0.76
नगर निगम ऋषिकेश	2023-2024	8.01	4.78	12.79	53.76	33.45	62.61	37.39
	2024-2025	10.18	4.09	14.27	71.95	13.78	71.36	28.64
नगर निगम हरिद्वार	2023-2024	11.27	11.01	22.28	64.91	12.81	50.59	49.41
	2024-2025	11.50	10.64	22.14	68.27	9.59	51.94	48.06
नगर निगम रूड़की	2023-2024	8.04	0.80	8.85	76.13	15.02	90.92	9.08
	2024-2025	8.43	0.50	8.93	75.54	15.53	94.36	5.64
नगर निगम हल्द्वानी	2023-2024	5.52	27.67	33.18	56.83	9.98	16.62	83.38
	2024-2025	3.90	9.59	13.49	76.13	10.38	28.88	71.12
नगर निगम श्रीनगर	2023-2024	1.25	5.61	6.85	78.23	14.91	18.23	81.77
	2024-2025	0.77	3.56	4.33	83.76	11.91	17.70	82.30
नगर निगम कोटद्वार	2023-2024	2.66	1.13	3.79	80.36	15.85	70.26	29.74
	2024-2025	2.96	1.06	4.02	81.61	14.37	73.56	26.44
नगर निगम पिथौरागढ़	2023-2024	1.15	1.91	3.06	85.96	10.97	37.69	62.31
	2024-2025	1.11	1.88	2.99	85.22	11.79	37.16	62.84
नगर निगम काशीपुर	2023-2024	8.99	5.36	14.35	71.16	14.49	62.64	37.36
	2024-2025	9.17	5.86	15.03	73.72	11.25	61.03	38.97
नगर निगम रूद्रपुर	2023-2024	8.36	6.11	14.47	71.51	14.01	57.76	42.24
	2024-2025	7.85	4.11	11.96	88.04	0.00	65.67	34.33

10.19 राज्य शहरी विकास संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन तथा नगर निगमों से प्रश्नावली प्रारूपों में सीधे प्राप्त सूचना अनुसार नगर निगमों की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार प्रदर्शित है–

नगर निगम	वित्तीय वर्ष	कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के स्रोत से प्राप्तियां (प्रतिशत में)	कुल राजस्व प्राप्तियों में अनुदान से प्राप्तियां (प्रतिशत में)	स्वयं की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (प्रतिशत में)	स्वयं की राजस्व प्राप्तियों में करेत्तर राजस्व (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6
*समस्त नगर निगम		12.24	85.11	59.65	40.35
नगर निगम अल्मोड़ा	2023-24	21.59	78.41	23.64	76.36
	2024-25	21.57	78.43	25.97	74.03
नगर निगम देहरादून	2023-24	20.47	79.53	99.27	0.73
	2024-25	23.53	76.47	99.24	0.76
नगर निगम ऋषिकेश	2023-24	12.79	87.21	62.61	37.39
	2024-25	14.27	85.73	71.36	28.64
नगर निगम हरिद्वार	2023-24	22.28	77.72	50.59	49.41
	2024-25	22.14	77.86	51.94	48.06

नगर निगम	वित्तीय वर्ष	कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के स्रोत से प्राप्तियां (प्रतिशत में)	कुल राजस्व प्राप्तियों में अनुदान से प्राप्तियां (प्रतिशत में)	स्वयं की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (प्रतिशत में)	स्वयं की राजस्व प्राप्तियों में करेत्तर राजस्व (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6
नगर निगम रूड़की	2023-24	8.85	91.15	90.92	9.08
	2024-25	8.93	91.07	94.36	5.64
नगर निगम हल्द्वानी	2023-24	33.18	66.82	16.62	83.38
	2024-25	13.49	86.51	28.88	71.12
नगर निगम श्रीनगर	2023-24	6.85	93.15	18.23	81.77
	2024-25	4.33	95.67	17.70	82.30
नगर निगम कोटद्वार	2023-24	3.79	96.21	70.26	29.74
	2024-25	4.02	95.98	73.56	26.44
नगर निगम पिथौरागढ़	2023-24	3.06	96.94	37.69	62.31
	2024-25	2.99	97.01	37.16	62.84
नगर निगम काशीपुर	2023-24	14.35	85.65	62.64	37.36
	2024-25	15.03	84.97	61.03	38.97
नगर निगम रूद्रपुर	2023-24	14.47	85.53	57.76	42.24
	2024-25	11.96	88.04	65.67	34.33

***टिप्पणी– राज्य शहरी विकास संस्थान माध्यम कराये गये अध्ययन अनुसार वर्ष 2022–23 की स्थिति**

10.20 उपरोक्त प्रस्तर 10.19 में उल्लिखित तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रत्येक नगर निगम राज्य वित्त आयोग तथा केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों पर अत्यधिक निर्भर है। उनकी स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ कुल राजस्व प्राप्तियों का न्यूनतम 3.06 प्रतिशत से अधिकतम 33.18 प्रतिशत तक हैं, जबकि वित्त आयोगों से प्राप्त अनुदानों पर निर्भरता न्यूनतम 66.81 प्रतिशत से अधिकतम 96.93 प्रतिशत तक है। उनकी स्वयं की राजस्व प्राप्तियों में से कर राजस्व का भाग न्यूनतम 16.62 प्रतिशत से अधिकतम 99.27 प्रतिशत तक है, जबकि करेत्तर राजस्व प्राप्तियाँ न्यूनतम 0.73 प्रतिशत से अधिकतम 83.38 प्रतिशत तक हैं। इन विवरणों से यह भी संकेत मिलता है कि राज्य के विभिन्न नगर निगमों में कर एवं करेत्तर राजस्व प्राप्तियों से संबंधित विधिक ढाँचा, कर निर्धारण पद्धतियाँ, कर पुनर्निर्धारण अवधियाँ, कर की दरें तथा कर वसूली के प्रयास समान रूप से लागू नहीं किए जा रहे हैं।

10.21 नगर निगमों से, उन्हें प्रेषित प्रश्नावली के प्रारूपों पर, प्राप्त सूचनाओं अनुसार उनके व्यय सम्बन्धी विवरण एवं स्थिति निम्नानुसार तालिका 10.2 (क) में हैं–

तालिका 10.2 (क)

नगर निगमों के व्यय विवरण(रूपये लाख में)

नगर निगम	वित्तीय वर्ष	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल राजस्व व्यय	कुल स्वयं की राजस्व आय	कुल राजस्व आय (विधायक निधि आदि से राजस्व आय छोड़कर)	कुल पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2	1	3	4	5	6	7	8	17	18
नगर निगम अल्मोड़ा	2021-2022	1,102.38	341.78	836.60	2,280.76	434.02	2,508.74	408.92	2,689.68
	2022-2023	1,105.27	370.49	408.38	1,884.14	528.33	2,187.57	300.02	2,184.16
	2023-2024	1,254.93	436.06	624.47	2,315.46	591.62	2,740.03	540.91	2,856.37
	2024-2025	1,187.27	462.95	623.59	2,273.81	590.78	2,739.27	465.65	2,739.46
	2025-2026	1,330.00	500.00	825.72	2,655.72	-	2,333.16	434.16	3,089.88
नगर	2021-2022	4,529.16	1,054.16	24,398.16	29,981.48	3,770.97	16,607.37	6,959.72	36,941.20

नगर निगम	वित्तीय वर्ष	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल राजस्व व्यय	कुल स्वयं की राजस्व आय	कुल राजस्व आय (विधायक निधि आदि से राजस्व आय छोड़कर)	कुल पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
निगम देहरादून	2022-2023	4,827.66	1,208.49	17,641.41	23,677.56	5,815.67	23,531.24	6,129.84	29,807.40
	2023-2024	5,231.31	1,298.07	19,538.28	26,067.66	5,921.07	28,925.39	6,395.84	32,463.50
	2024-2025	5,326.13	1,388.13	27,695.00	34,409.26	6,478.06	27,534.62	12,992.33	47,401.59
	2025-2026	5,524.87	1,400.00	31,680.00	38,604.87	-	23,410.00	8,467.00	47,071.87
नगर निगम ऋषिकेश	2021-2022	1,064.23	317.82	4,461.37	5,843.42	245.79	2,738.86	-	5,843.42
	2022-2023	1,337.83	347.70	3,196.55	4,882.08	406.56	2,712.86	-	4,882.08
	2023-2024	1,557.04	302.07	3,853.75	5,712.86	524.51	4,101.10	-	5,712.86
	2024-2025	1,868.44	338.32	4,250.56	6,457.32	360.27	2,524.67	-	6,457.32
	2025-2026	2,000.00	500.00	5,179.74	7,679.74	-	2,925.00	-	7,679.74
नगर निगम हरिद्वार	2021-2022	2,726.34	1,506.45	1,308.07	5,540.86	912.44	5,108.12	929.00	6,469.86
	2022-2023	3,107.23	1,690.72	1,472.89	6,270.84	1,494.75	6,522.56	478.29	6,749.13
	2023-2024	2,984.90	1,946.98	1,923.17	6,855.05	1,637.91	7,351.79	1,640.32	8,495.37
	2024-2025	3,028.83	1,882.52	3,913.08	8,824.43	1,741.40	7,865.60	1,855.28	10,679.71
	2025-2026	3,800.00	2,200.00	4,608.50	10,608.50	-	6,500.00	19,329.67	29,938.17
नगर निगम रूड़की	2021-2022	1,887.92	296.18	930.97	3,115.07	396.63	3,670.04	1,810.58	4,925.65
	2022-2023	2,249.90	399.12	1,375.74	4,024.76	427.84	4,377.84	816.93	4,841.69
	2023-2024	2,530.32	394.67	1,455.81	4,380.80	453.75	5,128.64	1,106.22	5,487.02
	2024-2025	2,786.00	550.00	2,885.72	6,221.72	496.56	5,559.92	1,572.24	7,793.96
	2025-2026	-	3,669.60	3,174.29	6,843.89	25.32	5,595.02	1,729.47	8,573.36
नगर निगम हल्द्वानी	2021-2022	2693.00	708.00	1059.00	4460.00	1104.00	5607.00	2079.00	6539.00
	2022-2023	3216.00	825.00	2391.00	6432.00	1356.00	6086.00	1569.00	8001.00
	2023-2024	4008.00	916.00	3084.00	8008.00	2569.00	7742.00	2225.00	10233.00
	2024-2025	4500.00	1000.00	4131.00	9631.00	1506.00	11165.00	16000.00	25631.00
	2025-2026	5000.00	1100.00	5043.00	11143.00	-	9800.00	16500.00	27643.00
नगर निगम श्रीनगर	2021-2022	340.38	73.34	194.11	607.83	64.77	869.99	255.27	863.10
	2022-2023	523.33	77.22	278.69	879.24	69.33	1,470.84	98.48	977.72
	2023-2024	442.64	101.69	412.18	956.51	126.38	1,843.66	675.77	1,632.28
	2024-2025	541.12	146.81	506.33	1,194.26	83.90	1,938.57	1,610.49	2,804.75
	2025-2026	-	-	-	-	-	-	1,000.20	1,000.20
नगर निगम कोटद्वार	2021-2022	-	1,023.87	1,068.79	2,092.66	62.54	1,823.00	653.94	2,746.60
	2022-2023	-	1,110.48	507.62	1,618.10	83.80	3,337.35	666.24	2,284.34
	2023-2024	-	1,237.13	1,176.29	2,413.42	148.31	3,913.28	1,469.03	3,882.45
	2024-2025	-	1,272.50	1,011.52	2,284.02	174.35	4,337.54	2,493.26	4,777.28
	2025-2026	-	1,350.00	1,631.70	2,981.70	-	4,219.10	3,520.00	6,501.70
नगर निगम पिथौरागढ़	2021-2022	796.60	-	1,092.58	1,889.18	54.62	1,892.61	441.24	2,330.42
	2022-2023	869.92	-	1,377.47	2,247.39	71.97	2,273.68	79.50	2,326.89
	2023-2024	990.21	-	1,734.37	2,724.58	96.82	3,161.42	828.98	3,553.56
	2024-2025	1,118.65	-	2,088.04	3,206.69	116.67	3,898.24	930.36	4,137.05
	2025-2026	1,368.00	-	2,480.52	3,848.52	-	5,000.00	1,220.00	5,068.52
नगर निगम काशीपुर	2021-2022	2,474.47	925.28	7,246.34	10,646.09	535.55	3,550.45	420.19	11,066.28
	2022-2023	2,877.57	1,089.60	5,600.64	9,567.81	694.05	4,320.34	899.96	10,467.77
	2023-2024	2,952.67	1,261.44	7,514.79	11,728.90	716.83	4,996.84	238.67	11,967.57

नगर निगम	वित्तीय वर्ष	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल राजस्व व्यय	कुल स्वयं की राजस्व आय	कुल राजस्व आय (विधायक निधि आदि से राजस्व आय छोड़कर)	कुल पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
	2024-2025	3,699.87	1,481.72	8,644.19	13,825.78	809.71	5,388.04	645.77	14,471.55
	2025-2026	4,300.00	10,000.00	17,243.00	31,543.00	-	100.00	1,865.00	33,408.00
नगर निगम रूद्रपुर	2021-2022	1,279.50	214.80	267.80	1,762.10	499.04	3,941.10	3,625.90	5,388.00
	2022-2023	1,328.28	268.06	322.72	1,919.06	677.66	4,735.69	3,485.73	5,404.79
	2023-2024	1,426.32	219.33	582.31	2,227.96	803.64	5,552.42	3,957.13	6,185.09
	2024-2025	1,629.55	270.15	767.06	2,666.76	599.71	5,013.98	3,799.59	6,466.35
	2025-2026	1,800.00	300.00	1,145.60	3,245.60	-	5,800.00	4,905.00	8,150.60

10.22 उपरोक्त तालिका 10.2 (क) के आधार पर वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में नगर निगमों के राजस्व व्यय में प्रमुख मद–वार व्यय के प्रतिशत अंश नीचे तालिका 10.2 (ख) में दर्शित हैं–

तालिका 10.2 (ख)
नगर निगमों के राजस्व व्यय विवरण

(प्रतिशत अंश में)

नगर निगम	वित्तीय वर्ष	कुल राजस्व व्यय के सापेक्ष			कुल स्वयं की राजस्व आय के सापेक्ष		कुल राजस्व आय के सापेक्ष	
		वेतन व्यय अंश (प्रतिशत में)	पेंशन व्यय अंश (प्रतिशत में)	अन्य व्यय अंश (प्रतिशत में)	वेतन व्यय अंश (प्रतिशत में)	पेंशन व्यय अंश (प्रतिशत में)	वेतन व्यय अंश (प्रतिशत में)	पेंशन व्यय अंश (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नगर निगम अल्मोड़ा	2023-2024	54.20	18.83	26.97	212.12	73.71	45.80	15.91
	2024-2025	52.22	20.36	27.42	200.97	78.36	43.34	16.90
नगर निगम देहरादून	2023-2024	20.07	4.98	74.95	88.35	21.92	18.09	4.49
	2024-2025	15.48	4.03	80.49	82.22	21.43	19.34	5.04
नगर निगम ऋषिकेश	2023-2024	27.26	5.29	67.46	296.86	57.59	37.97	7.37
	2024-2025	28.94	5.24	65.83	518.62	93.91	74.01	13.40
नगर निगम हरिद्वार	2023-2024	43.54	28.40	28.05	182.24	118.87	40.60	26.48
	2024-2025	34.32	21.33	44.34	173.93	108.10	38.51	23.93
नगर निगम रूड़की	2023-2024	57.76	9.01	33.23	557.65	86.98	49.34	7.70
	2024-2025	44.78	8.84	46.38	561.06	110.76	50.11	9.89
नगर निगम हल्द्वानी	2023-2024	50.05	11.44	38.51	156.01	35.66	51.77	11.83
	2024-2025	46.72	10.38	42.89	298.80	66.40	40.30	8.96
नगर निगम श्रीनगर	2023-2024	46.28	10.63	43.09	350.25	80.46	24.01	5.52
	2024-2025	45.31	12.29	42.40	644.96	174.98	27.91	7.57
नगर निगम कोटद्वार	2023-2024	0.00	51.26	48.74	0.00	834.15	0.00	31.61
	2024-2025	0.00	55.71	44.29	0.00	729.85	0.00	29.34
नगर निगम पिथौरागढ़	2023-2024	36.34	0.00	63.66	1022.73	0.00	31.32	0.00
	2024-2025	34.88	0.00	65.12	958.82	0.00	28.70	0.00
नगर निगम काशीपुर	2023-2024	25.17	10.75	64.07	411.91	175.97	59.09	25.24
	2024-2025	26.76	10.72	62.52	456.94	182.99	68.67	27.50
नगर निगम रूद्रपुर	2023-2024	64.02	9.84	26.14	177.48	27.29	25.69	3.95
	2024-2025	61.11	10.13	28.76	271.72	45.05	32.50	5.39

*टिप्पणी–नगर निगम कोटद्वार द्वारा वेतन तथा पिथौरागढ़ द्वारा पेंशन व्यय के पृथक व्यय विवरण नहीं दिये हैं।

10.23 तालिका 10.2 (ख) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नगर निगमों के कुल राजस्व व्यय के सापेक्ष वेतन व्यय अंश न्यूनतम 15.4 प्रतिशत से लेकर अधिकतम 64.02 प्रतिशत तक है। स्वयं की कुल राजस्व आय के सापेक्ष वेतन व्यय अंश न्यूनतम 88.35 प्रतिशत (देहरादून नगर निगम) से लेकर अधिकतम 1022.73 प्रतिशत (नगर निगम पिथौरागढ़) तक है। यह उल्लेखनीय है कि देहरादून नगर निगम को छोड़कर अन्य कोई भी नगर निगम अपनी स्वयं की राजस्व आय से अपने वेतन व्यय को पूरा वहन करने हेतु पर्याप्त आय अर्जित करने में सक्षम नहीं हैं। यहाँ तक कि देहरादून नगर निगम भी अपनी स्वयं की आय से वेतन एवं पेंशन व्यय दोनों की पूर्णतः पूर्ति करने में सक्षम नहीं है।

10.24 नगर निगमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025–31 के लिए उनके स्वयं के स्रोतों से राजस्व आय तथा उनके राजस्व व्यय के प्रक्षेपण क्रमशः तालिका 10.3 (क) एवं 10.3 (ख) में निम्नानुसार दिए गए हैं।

तालिका 10.3 (क)

नगर निगमों के स्वयं के स्रोतों से राजस्व आय के पूर्वानुमान (धनराशि लाख में)

नगर निगम	2025–26			2026–27			2027–28		
	कर	करेत्तर	योग	कर	करेत्तर	योग	कर	करेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नगर निगम अल्मोड़ा	160.65	-	160.65	168.68	-	168.68	177.12	-	177.12
नगर निगम देहरादून	-	-	5,693.55	-	-	5,693.55	-	-	6,035.16
नगर निगम ऋषिकेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
नगर निगम हरिद्वार	1,170.00	1,770.00	2,940.00	1,360.00	2,020.00	3,380.00	1,535.00	2,200.00	3,735.00
नगर निगम रूड़की	508.20	349.82	858.02	559.02	384.81	943.83	614.92	423.29	1,038.21
नगर निगम हल्द्वानी	484.00	1,238.00	1,722.00	532.00	1,361.00	1,893.00	586.00	1,497.00	2,083.00
नगर निगम श्रीनगर	135.00	256.13	391.13	148.50	281.74	430.24	163.35	309.92	473.27
नगर निगम कोटद्वार	118.01	-	118.01	133.01	-	133.01	125.00	-	125.00
नगर निगम पिथौरागढ़	60.00	-	60.00	66.00	-	66.00	72.60	-	72.60
नगर निगम काशीपुर	600.00	300.00	900.00	615.00	345.00	960.00	635.00	369.00	1,004.00
नगर निगम रूद्रपुर	2,060.00	-	2,060.00	2,160.00	-	2,160.00	2,260.00	-	2,260.00

नगर निगम	2028–29			2029–30			2030–31		
	कर	करेत्तर	योग	कर	करेत्तर	योग	कर	करेत्तर	योग
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
नगर निगम अल्मोड़ा	185.97	-	185.97	195.27	-	195.27	205.03	-	205.03
नगर निगम देहरादून	-	-	6,035.16	-	-	6,035.16	-	-	6,035.16
नगर निगम ऋषिकेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
नगर निगम हरिद्वार	1,720.00	2,410.00	4,130.00	1,925.00	2,640.00	4,565.00	2,120.00	2,570.00	4,690.00
नगर निगम रूड़की	676.41	465.62	1,142.03	744.06	512.19	1,256.25	818.46	563.40	1,381.86
नगर निगम हल्द्वानी	644.00	1,647.00	2,291.00	779.00	1,993.00	2,772.00	857.00	2,192.00	3,049.00
नगर निगम श्रीनगर	179.69	340.91	520.59	197.65	375.00	572.65	217.42	412.50	629.92
नगर निगम कोटद्वार	320.00	-	320.00	320.50	-	320.50	360.50	-	360.50
नगर निगम पिथौरागढ़	79.86	-	79.86	87.85	-	87.85	96.63	-	96.63
नगर निगम काशीपुर	930.00	387.60	1,317.60	990.00	408.00	1,398.00	1,050.00	419.50	1,469.50
नगर निगम रूद्रपुर	2,360.00	-	2,360.00	2,401.00	-	2,401.00	2,560.00	-	2,560.00

तालिका 10.3 (ख)

नगर निगमों के राजस्व व्यय के पूर्वानुमान (धनराशि लाख में)

नगर निगम	2025–26				2026–27				2027–28			
	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
नगर निगम अल्मोड़ा	1,330.00	836.00	60.52	2,226.52	1,463.00	886.00	54.10	2,403.10	1,609.30	941.00	59.10	2,609.40
नगर निगम देहरादून	5,355.87	2,900.00	1,573.50	9,829.37	5,524.87	3,200.00	2,048.00	10,772.87	5,955.89	4,000.00	2,666.00	12,621.89
नगर निगम ऋषिकेश	2,000.00	500.00	511.60	3,011.60	2,500.00	625.00	569.01	3,694.01	3,125.00	781.25	633.10	4,539.35
नगर निगम हरिद्वार	3,800.00	3,200.00	630.00	7,630.00	4,750.00	2,404.00	689.00	7,843.00	4,987.00	2,644.00	750.00	8,381.00
नगर निगम रूड़की	2,787.00	663.00	4,361.35	7,811.35	3,065.70	729.30	4,331.67	8,126.67	3,372.27	802.23	4,634.62	8,809.12
नगर निगम हल्द्वानी	5,000.00	1,100.00	356.99	6,456.99	5,500.00	1,150.00	486.00	7,136.00	6,000.00	1,200.00	616.00	7,816.00
नगर निगम श्रीनगर	622.29	175.20	114.17	911.66	777.86	219.00	120.93	1,117.79	972.32	251.85	78.64	1,302.81
नगर निगम कोटद्वार	1,140.00	210.00	4,642.84	5,992.84	1,197.00	220.50	4,874.99	6,292.49	1,256.85	231.53	5,118.73	6,607.11
नगर निगम पिथौरागढ़	1,193.00	250.00	257.20	1,700.20	1,250.00	265.00	222.96	1,737.96	130.00	280.00	211.97	621.97
नगर निगम काशीपुर	1,800.00	1,000.00	541.00	3,341.00	2,057.00	1,400.00	969.00	4,426.00	2,262.70	1,600.00	5,040.00	8,902.70
नगर निगम रूद्रपुर	1,200.00	300.00	504.60	2,004.60	1,350.00	350.00	529.75	2,229.75	1,420.00	380.00	555.45	2,355.45

नगर निगम	2028–29				2029–30				2030–31			
	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
नगर निगम अल्मोड़ा	1,770.23	1,001.50	67.10	2,838.83	1,947.25	1,068.05	72.10	3,087.40	2,141.98	1,141.26	77.10	3,360.33
नगर निगम देहरादून	6,124.29	4,500.00	3,471.00	14,095.29	6,231.09	5,000.00	4,516.00	15,747.09	6,427.04	5,500.00	5,884.00	17,811.04
नगर निगम ऋषिकेश	3,906.25	976.56	704.68	5,587.49	4,882.81	1,220.70	784.64	6,888.16	6,103.52	1,525.88	874.05	8,503.44
नगर निगम हरिद्वार	5,434.00	2,948.00	920.00	9,302.00	6,358.00	3,254.00	900.00	10,512.00	7,884.00	4,058.00	984.00	12,926.00
नगर निगम रूड़की	3,709.50	882.45	5,077.88	9,669.83	4,080.45	970.70	5,565.46	10,616.61	4,488.50	1,067.76	6,101.77	11,658.03
नगर निगम हल्द्वानी	6,500.00	1,250.00	745.99	8,495.99	7,000.00	1,300.00	876.00	9,176.00	7,500.00	1,350.00	1,008.00	9,858.00
नगर निगम श्रीनगर	1,215.40	289.63	87.26	1,592.29	1,519.26	333.07	96.95	1,949.28	189.91	383.03	107.85	680.79
नगर निगम कोटद्वार	1,319.69	243.10	5,374.68	6,937.47	1,385.68	255.26	5,643.41	7,284.34	1,454.96	268.02	5,925.58	7,648.56
नगर निगम पिथौरागढ़	1,350.00	295.00	223.21	1,868.21	1,370.00	310.00	233.88	1,913.88	1,400.00	325.00	239.43	1,964.43
नगर निगम काशीपुर	2,488.97	1,800.00	5,151.00	9,439.97	2,739.87	200.00	5,352.00	8,291.87	3,011.65	2,200.00	5,553.00	10,764.65
नगर निगम रूद्रपुर	1,540.00	385.00	580.20	2,505.20	1,700.00	390.00	612.77	2,702.77	1,870.00	395.00	642.35	2,907.35

10.25 नगर निगमों से प्राप्त सूचनाओं अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक चार वर्ष की अवधि के नगर निगमों की वार्षिक औसत स्वयं की राजस्व आय तथा वार्षिक औसत कुल राजस्व व्यय के सापेक्ष वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक की पांच वर्ष (छठवॉ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति अवधि) के वार्षिक औसत स्वयं की राजस्व आय और वार्षिक औसत कुल राजस्व व्यय के पूर्वानुमान निम्नानुसार हैं–

नगर निगमों का 2021–22 से 2024–25 तक का प्रतिवर्ष औसत राजस्व आय एवं व्यय

(धनराशि ₹लाख में)

नगर निगम	स्वयं का प्रतिवर्ष औसत राजस्व	राज्य वित्त आयोग से प्रतिवर्ष औसत अनुदान	केन्द्रीय वित्त आयोग से प्रतिवर्ष औसत अनुदान	प्रतिवर्ष कुल औसत प्राप्तियॉ	प्रतिवर्ष औसत राजस्व व्यय
1	2	3	4	5	6
अल्मोड़ा	536.19	1,760.18	247.54	2,543.90	2,188.54
देहरादून	5,496.44	15,946.17	2,707.04	24,149.66	28,533.99

नगर निगम	स्वयं का प्रतिवर्ष औसत राजस्व	राज्य वित्त आयोग से प्रतिवर्ष औसत अनुदान	केन्द्रीय वित्त आयोग से प्रतिवर्ष औसत अनुदान	प्रतिवर्ष कुल औसत प्राप्तियॉ	प्रतिवर्ष औसत राजस्व व्यय
1	2	3	4	5	6
ऋषिकेश	384.28	1,919.09	716.00	3,019.37	5,723.92
हरिद्वार	1,446.63	4,422.95	842.44	6,712.02	6,872.80
रूड़की	443.70	3,421.28	819.14	4,684.11	4,435.59
हल्द्वानी	1,633.75	5,054.50	961.75	7,650.00	7,132.75
श्रीनगर	86.10	1,228.17	216.51	1,530.77	909.46
कोटद्वार	117.25	2,606.38	629.16	3,352.79	2,102.05
पिथौरागढ़	85.02	2,397.02	324.45	2,806.49	2,516.96
काशीपुर	689.04	3,217.23	657.65	4,563.92	11,442.15
रूद्रपुर	645.01	3,556.24	609.55	4,810.80	2,143.97
समस्त नगर निगम	**11,563.39**	**45,529.20**	**8,731.23**	**65,823.82**	**74,002.17**

वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2024–25 तथा वर्ष 2026–27 से 2030–31 की अवधि के लिए नगर निगमों की वार्षिक औसत स्वयं की राजस्व आय, राजस्व व्यय तथा दोनों के मध्य अंतर

(धनराशि ₹लाख में)

नगर निगम	2021–22 से 2024–25 के वार्षिक औसत स्वयं का राजस्व	इस अवधि में वार्षिक औसत कुल राजस्व व्यय	दोनों के मध्य अन्तर	2026–27 से 2030–31 में प्रतिवर्ष औसत स्वयं के राजस्व पूर्वानुमान	इस अवधि में वार्षिक औसत कुल राजस्व व्यय पूर्वानुमान	दोनों के मध्य अन्तर
1	2	3	4	5	6	7
अल्मोड़ा	536.19	2,188.54	-1,652.36	190.00	3,111.00	-2,921.00
देहरादून	5,496.44	28,533.99	-23,037.55	5,967.00	14,210.00	-8,243.00
ऋषिकेश	384.28	5,723.92	-5,339.64	1,457.00	5,842.00	-4,385.00
हरिद्वार	1,446.63	6,872.80	-5,426.17	4,500.00	11,546.00	-7,046.00
रूड़की	443.70	4,435.59	-3,991.89	1,195.00	10,712.00	-9,517.00
हल्द्वानी	1,633.75	7,132.75	-5,499.00	2,418.00	9,193.00	-6,775.00
श्रीनगर	86.10	909.46	-823.37	525.00	2,034.00	-1,509.00
कोटद्वार	117.25	2,102.05	-1,984.80	252.00	7,302.00	-7,050.00
पिथौरागढ़	85.02	2,516.96	-2,431.94	81.00	1,855.00	-1,774.00
काशीपुर	689.04	11,442.15	-10,753.11	1,373.00	8,365.00	-6,992.00
रूद्रपुर	645.01	2,143.97	-1,498.96	2,348.00	2,718.00	-370.00

10.26 शहरी स्थानीय निकायों की दूसरी श्रेणी नगर परिषदें, अर्थात् नगर पालिका परिषद हैं। वर्तमान में राज्य में कुल 45 (सिरौलीकलां सम्मिलित नहीं) नगर पालिका परिषदें कार्यरत हैं। आयोग के प्रश्नावली के उत्तर में नगर परिषदों/नगर पालिका परिषदों से प्राप्त सूचना के आधार पर उनके वर्षवार आय और व्यय के विवरण नीचे क्रमशः तालिका 10.4(क) एवं 10.4(ख) तथा तालिका 10.5(क) एवं 10.5(ख) में अवलोकनीय है। इसी प्रकार स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व आय तथा कुल राजस्व व्यय के पूर्वानुमान नीचे तालिका 10.6(क) एवं 10.6(ख) में प्रस्तुत हैं।

तालिका 10.4 (क)
नगर पालिका परिषद् के आय विवरण (धनराशि लाख में)

जनपद	नगर पालिका परिषद	वित्तीय वर्ष	करों से स्वयं की राजस्व आय	करों से भिन्न मदों से स्वयं की राजस्व आय	स्वयं की कुल राजस्व आय (3+4)	अनुदान			अन्य विधायक / सांसद निधि व अन्य स्रोत से	कुल राजस्व आय	
						राज्य वित्त आयोग	केन्द्रीय वित्त आयोग	कुल अनुदान (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (6+9)	12 (6+9+10)
अल्मोड़ा	नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला	2021-2022	0.00	3.12	3.12	75.00	45.40	120.40	0.00	123.52	123.52
		2022-2023	0.00	5.70	5.70	475.51	41.76	517.27	59.38	522.97	582.35
		2023-2024	0.00	6.04	6.04	576.89	88.16	665.05	0.00	671.09	671.09
		2024-2025	0.00	5.45	5.45	649.49	0.00	649.49	0.00	654.94	654.94
		2025-2026	7.00	8.77	15.77	714.44	90.00	804.44	813.21	820.21	1,633.42
बागेश्वर	नगर पालिका परिषद बागेश्वर	2021-2022	15.07	28.99	44.06	383.30	130.65	513.95	130.07	558.01	688.08
		2022-2023	11.02	26.99	38.01	995.84	100.97	1,096.81	14.96	1,134.82	1,149.78
		2023-2024	12.97	28.65	41.62	1,304.85	227.50	1,532.35	0.70	1,573.97	1,574.67
		2024-2025	17.76	29.04	46.80	1,340.41	191.00	1,531.41	1.18	1,578.21	1,579.39
		2025-2026	19.50	31.93	51.43	1,474.45	210.00	1,684.45	76.87	1,735.88	1,812.75
चमोली	नगर पालिका परिषद गौचर	2021-2022	2.95	34.39	37.34	323.62	52.75	376.37	40.85	413.71	454.56
		2022-2023	2.89	39.58	42.46	644.31	51.97	696.28	140.32	738.74	879.06
		2023-2024	3.50	46.19	49.69	817.10	148.81	965.91	86.55	1,015.60	1,102.14
		2024-2025	3.60	50.06	53.66	866.92	124.86	991.78	8.78	1,045.44	1,054.22
		2025-2026	3.96	53.77	57.74	976.05	187.29	1,163.34	106.79	1,221.08	1,327.87
	नगर पालिका परिषद गोपेश्वर	2021-2022	21.16	113.54	134.69	750.50	118.61	869.11	37.50	1,003.80	1,041.30
		2022-2023	29.94	133.45	163.38	958.29	94.24	1,052.53	87.86	1,215.91	1,303.77
		2023-2024	31.37	202.18	233.55	1,145.72	219.68	1,365.40	41.59	1,598.95	1,640.54
		2024-2025	33.62	280.41	314.03	1,289.89	184.54	1,474.43	11.90	1,788.46	1,800.36
		2025-2026	37.00	210.35	247.35	1,419.10	184.54	1,603.64	95.49	1,850.99	1,946.48
	नगर पालिका परिषद जोशीमठ	2021-2022	30.02	63.43	93.44	620.95	335.44	956.39	166.00	1,049.83	1,215.83
		2022-2023	23.43	74.20	97.63	1,105.20	124.92	1,230.12	92.00	1,327.75	1,419.75
		2023-2024	27.07	89.74	116.81	1,312.96	247.43	1,560.39	93.00	1,677.20	1,770.20
		2024-2025	25.91	69.52	95.43	1,476.49	130.64	1,607.13	96.00	1,702.56	1,798.56
		2025-2026	25.91	69.52	95.43	1,476.49	130.64	1,607.13	96.00	1,702.56	1,798.56
	नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग	2021-2022	2.80	29.41	32.21	338.60	57.64	396.24	109.79	428.45	538.23
		2022-2023	3.50	39.05	42.55	599.26	51.99	651.25	95.75	693.80	789.55
		2023-2024	2.86	47.26	50.11	716.46	138.21	854.67	180.17	904.78	1,084.95
		2024-2025	4.15	55.53	59.68	806.61	115.89	922.50	5.14	982.18	987.32
		2025-2026	6.00	73.00	79.00	896.40	115.89	1,012.29	15.00	1,091.29	1,106.29
चम्पावत	नगर पालिका परिषद चम्पावत	2021-2022	29.39	19.56	48.95	398.50	74.06	472.56	21.80	521.51	543.31
		2022-2023	23.09	27.97	51.06	635.33	60.56	695.89	200.99	746.95	947.94
		2023-2024	52.88	74.12	127.00	759.59	145.84	905.43	291.09	1,032.43	1,323.52
		2024-2025	66.12	37.96	104.08	949.25	122.25	1,071.50	7.11	1,175.58	1,182.69
		2025-2026	250.00	78.85	328.85	1,015.00	150.00	1,165.00	310.00	1,493.85	1,803.85
	नगर पालिका परिषद	2021-2022	6.75	139.61	146.36	345.66	34.62	380.28	63.60	526.64	590.24
		2022-2023	5.17	39.96	45.12	349.14	26.47	375.61	86.52	420.73	507.25
		2023-2024	8.74	54.42	63.16	399.11	60.17	459.28	11.19	522.44	533.63

जनपद	नगर पालिका परिषद	वित्तीय वर्ष	करों से स्वयं की राजस्व आय	करों से भिन्न मदों से स्वयं की राजस्व आय	स्वयं की कुल राजस्व आय (3+4)	अनुदान			अन्य विधायक / सांसद निधि व अन्य स्रोत से	कुल राजस्व आय	
						राज्य वित्त आयोग	केन्द्रीय वित्त आयोग	कुल अनुदान (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (6+9)	12 (6+9+10)
	लोहाघाट	**2024-2025**	5.02	38.86	43.87	454.54	61.63	516.17	17.81	560.04	577.85
		2025-2026	6.00	41.00	47.00	511.00	150.00	661.00	102.00	708.00	810.00
	नगर पालिका परिषद टनकपुर	**2021-2022**	6.90	50.43	57.33	490.91	92.55	583.46	282.48	640.79	923.27
		2022-2023	6.04	78.48	84.53	715.43	141.74	857.17	0.00	941.70	941.70
		2023-2024	13.22	83.56	96.78	855.37	161.98	1,017.35	0.18	1,114.13	1,114.31
		2024-2025	12.79	74.11	86.90	963.01	135.95	1,098.96	100.00	1,185.86	1,285.86
		2025-2026	14.00	77.50	91.50	1,059.44	170.00	1,229.44	0.00	1,320.94	1,320.94
देहरादून	नगर पालिका परिषद डोईवाला	**2021-2022**	11.05	53.62	64.67	398.03	174.94	572.97	95.58	637.64	733.22
		2022-2023	12.82	77.75	90.57	1,750.43	78.17	1,828.60	317.21	1,919.17	2,236.38
		2023-2024	11.66	101.70	113.36	2,092.80	160.27	2,253.07	231.96	2,366.43	2,598.39
		2024-2025	16.85	104.91	121.76	2,356.12	82.72	2,438.84	145.41	2,560.60	2,706.01
		2025-2026	18.25	110.50	128.75	2,600.00	350.00	2,950.00	400.00	3,078.75	3,478.75
	नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर	**2021-2022**	6.57	19.78	26.34	353.54	45.50	399.04	35.62	425.38	461.00
		2022-2023	10.04	44.51	54.55	496.74	41.94	538.68	394.15	593.23	987.37
		2023-2024	12.33	34.57	46.90	593.88	113.54	707.42	55.42	754.32	809.74
		2024-2025	12.98	50.76	63.74	668.62	95.33	763.95	304.60	827.69	1,132.29
		2025-2026	35.16	58.38	93.54	1,000.00	118.70	1,118.70	1,137.20	1,212.24	2,349.44
	नगर पालिका परिषद मसूरी	**2021-2022**	171.07	472.13	643.19	2,194.47	264.11	2,458.58	0.00	3,101.77	3,101.77
		2022-2023	300.34	894.19	1,194.53	2,322.31	218.86	2,541.17	357.18	3,735.70	4,092.88
		2023-2024	363.23	982.59	1,345.82	2,776.55	534.70	3,311.25	280.30	4,657.07	4,937.37
		2024-2025	274.78	536.26	811.04	3,125.89	445.76	3,571.65	1.00	4,382.69	4,383.69
		2025-2026	388.00	1,013.20	1,401.20	3,500.00	500.00	4,000.00	100.00	5,401.20	5,501.20
	नगर पालिका परिषद विकासनगर	**2021-2022**	37.82	53.97	91.79	930.55	118.90	1,049.45	82.69	1,141.24	1,223.94
		2022-2023	54.08	75.09	129.17	1,046.56	91.79	1,138.35	61.19	1,267.51	1,328.70
		2023-2024	68.82	64.73	133.55	1,196.61	206.40	1,403.01	89.71	1,536.56	1,626.26
		2024-2025	81.43	62.09	143.52	1,327.79	173.11	1,500.90	40.63	1,644.43	1,685.06
		2025-2026	89.57	68.30	157.87	1,460.57	190.42	1,650.99	44.70	1,808.87	1,853.57
हरिद्वार	नगर पालिका परिषद लक्सर	**2021-2022**	11.13	20.86	31.99	692.73	109.66	802.39	82.70	834.38	917.08
		2022-2023	11.04	33.29	44.33	822.51	83.85	906.36	88.66	950.69	1,039.35
		2023-2024	14.79	24.26	39.05	983.40	186.10	1,169.50	143.86	1,208.55	1,352.41
		2024-2025	13.37	25.20	38.57	1,107.12	156.22	1,263.34	99.99	1,301.91	1,401.90
		2025-2026	19.29	34.88	54.17	1,217.83	171.84	1,389.67	493.00	1,443.84	1,936.84
	नगर पालिका परिषद मंगलौर	**2021-2022**	12.75	17.77	30.52	1,478.24	235.45	1,713.69	0.00	1,744.21	1,744.21
		2022-2023	21.33	14.25	35.58	1,506.71	168.24	1,674.95	0.00	1,710.53	1,710.53
		2023-2024	13.75	14.23	27.98	1,800.81	339.97	2,140.78	0.00	2,168.76	2,168.76
		2024-2025	31.94	10.64	42.58	2,027.20	285.55	2,312.75	0.00	2,355.33	2,355.33
		2025-2026	32.00	25.00	57.00	2,200.75	350.00	2,550.75	0.00	2,607.75	2,607.75
	नगर पालिका परिषद	**2021-2022**	2.04	60.38	62.42	243.60	171.61	415.21	294.42	477.63	772.05
		2022-2023	2.44	42.96	45.40	1,121.26	120.84	1,242.10	462.64	1,287.50	1,750.14
		2023-2024	3.65	51.69	55.34	1,263.75	238.85	1,502.60	2,439.90	1,557.94	3,997.84

जनपद	नगर पालिका परिषद	वित्तीय वर्ष	करों से स्वयं की राजस्व आय	करों से भिन्न मदों से स्वयं की राजस्व आय	स्वयं की कुल राजस्व आय (3+4)	अनुदान			अन्य विधायक / सांसद निधि व अन्य स्रोत से	कुल राजस्व आय	
						राज्य वित्त आयोग	केन्द्रीय वित्त आयोग	कुल अनुदान (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (6+9)	12 (6+9+10)
	शिवालिक नगर	**2024-2025**	5.76	34.53	40.29	1,422.76	200.68	1,623.44	794.79	1,663.73	2,458.52
		2025-2026	6.35	47.30	53.65	1,500.00	210.00	1,710.00	211.60	1,763.65	1,975.25
नैनीताल	नगर पालिका परिषद भीमताल	**2021-2022**	15.00	28.41	43.41	340.39	151.58	491.97	2.80	535.38	538.18
		2022-2023	20.82	35.15	55.97	715.82	133.12	848.94	0.00	904.91	904.91
		2023-2024	14.21	39.20	53.41	872.71	226.66	1,099.37	0.00	1,152.78	1,152.78
		2024-2025	10.82	42.83	53.65	993.55	121.63	1,115.18	0.00	1,168.83	1,168.83
		2025-2026	19.50	43.37	62.87	1,052.68	158.24	1,210.92	6.50	1,273.79	1,280.29
	नगर पालिका परिषद भवाली	**2021-2022**	12.29	35.12	47.41	0.00	74.30	74.30	9.39	121.71	131.10
		2022-2023	7.55	34.98	42.53	0.00	125.70	125.70	0.00	168.23	168.23
		2023-2024	19.96	84.97	104.93	36.43	133.22	169.65	130.58	274.58	405.16
		2024-2025	14.10	55.82	69.92	0.00	133.54	133.54	0.00	203.46	203.46
		2025-2026	15.00	60.00	75.00	0.00	150.00	150.00	0.00	225.00	225.00
	नगर पालिका परिषद कालाढूंगी	**2021-2022**	9.49	28.32	37.81	300.33	47.08	347.41	194.51	385.22	579.73
		2022-2023	5.69	43.75	49.44	329.35	54.66	384.01	30.25	433.45	463.70
		2023-2024	10.54	53.51	64.05	411.18	70.18	481.36	152.26	545.41	697.67
		2024-2025	12.00	48.45	60.45	468.30	70.18	538.48	71.11	598.93	670.04
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	515.13	77.20	592.33	219.55	592.33	811.88
	नगर पालिका परिषद नैनीताल	**2021-2022**	163.57	339.57	503.14	2,911.84	195.34	3,107.18	235.46	3,610.32	3,845.78
		2022-2023	163.23	639.30	802.54	1,688.15	370.24	2,058.39	184.24	2,860.93	3,045.16
		2023-2024	358.81	903.34	1,262.15	2,018.33	386.94	2,405.27	104.75	3,667.42	3,772.18
		2024-2025	202.29	537.85	740.14	2,473.52	323.89	2,797.41	114.56	3,537.55	3,652.11
		2025-2026	578.08	591.83	1,169.91	2,473.52	300.00	2,773.52	160.50	3,943.43	4,103.93
	नगर पालिका परिषद रामनगर	**2021-2022**	133.89	112.80	246.69	822.62	0.70	823.32	3.26	1,070.01	1,073.28
		2022-2023	135.24	283.60	418.85	1,100.82	0.00	1,100.82	16.23	1,519.67	1,535.90
		2023-2024	140.32	294.72	435.04	1,259.68	3.10	1,262.78	10.50	1,697.82	1,708.32
		2024-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पौड़ी	नगर पालिका परिषद दुगड्डा	**2021-2022**	1.21	16.55	17.76	382.93	45.40	428.33	36.47	446.09	482.56
		2022-2023	1.18	18.80	19.98	499.61	42.01	541.62	40.33	561.60	601.93
		2023-2024	1.15	18.51	19.66	597.31	113.99	711.30	84.16	730.96	815.12
		2024-2025	1.19	23.43	24.62	672.48	95.35	767.83	27.15	792.45	819.60
		2025-2026	1.25	26.30	27.55	700.00	100.00	800.00	344.05	827.55	1,171.59
	नगर पालिका परिषद पौड़ी	**2021-2022**	58.18	71.02	129.20	995.87	195.54	1,191.41	26.08	1,320.61	1,346.69
		2022-2023	82.16	104.00	186.15	1,263.82	140.76	1,404.58	81.54	1,590.73	1,672.27
		2023-2024	57.86	107.33	165.19	1,511.01	288.14	1,799.15	88.51	1,964.34	2,052.85
		2024-2025	63.32	336.90	400.22	1,701.12	302.65	2,003.77	27.23	2,403.99	2,431.22
		2025-2026	69.65	118.15	187.80	1,803.19	320.81	2,124.00	28.86	2,311.80	2,340.66
पिथौरागढ़	नगर पालिका परिषद	**2021-2022**	0.07	3.41	3.48	75.00	34.12	109.12	0.00	112.60	112.60
		2022-2023	8.02	4.28	12.29	230.04	23.58	253.62	0.00	265.91	265.91
		2023-2024	10.35	3.54	13.90	287.18	37.84	325.02	12.00	338.92	350.92

जनपद	नगर पालिका परिषद	वित्तीय वर्ष	करों से स्वयं की राजस्व आय	करों से भिन्न मदों से स्वयं की राजस्व आय	स्वयं की कुल राजस्व आय (3+4)	अनुदान			अन्य विधायक / सांसद निधि व अन्य स्रोत से	कुल राजस्व आय	
						राज्य वित्त आयोग	केन्द्रीय वित्त आयोग	कुल अनुदान (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (6+9)	12 (6+9+10)
	बेरीनाग	**2024-2025**	12.73	3.41	16.13	327.10	0.00	327.10	0.00	343.23	343.23
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	350.00	50.00	400.00	15.00	400.00	415.00
	नगर पालिका परिषद धारचूला	**2021-2022**	5.85	40.38	46.23	395.73	48.65	444.38	2.22	490.61	492.83
		2022-2023	5.11	39.75	44.86	634.76	119.61	754.37	21.00	799.23	820.23
		2023-2024	6.79	63.87	70.66	755.93	145.70	901.63	39.95	972.29	1,012.24
		2024-2025	10.00	27.82	37.82	850.90	122.25	973.15	0.29	1,010.97	1,011.26
		2025-2026	11.00	30.61	41.61	935.99	134.48	1,070.47	0.32	1,112.07	1,112.39
	नगर पालिका परिषद डीडीहाट	**2021-2022**	25.01	0.00	25.01	457.00	34.79	491.79	18.50	516.80	535.30
		2022-2023	26.80	13.25	40.05	631.00	43.68	674.68	5.33	714.73	720.06
		2023-2024	32.92	15.06	47.98	754.00	92.20	846.20	20.00	894.18	914.18
		2024-2025	34.12	14.79	48.91	850.00	152.00	1,002.00	3.00	1,050.91	1,053.91
		2025-2026	37.50	16.00	53.50	860.00	160.00	1,020.00	3.50	1,073.50	1,077.00
	नगर पालिका परिषद गंगाोलीहाट	**2021-2022**	1.12	2.65	3.77	75.00	31.78	106.78	122.90	110.55	233.45
		2022-2023	0.27	5.30	5.58	216.58	22.08	238.66	151.22	244.24	395.46
		2023-2024	0.64	4.62	5.26	270.38	33.84	304.22	169.90	309.48	479.38
		2024-2025	1.24	5.13	6.37	307.94	0.00	307.94	131.12	314.31	445.43
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	350.00	50.00	400.00	250.00	400.00	650.00
रूद्रप्रयाग	नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग	**2021-2022**	11.46	70.48	81.94	406.40	45.50	451.90	0.00	533.84	533.84
		2022-2023	9.91	88.60	98.51	682.96	149.59	832.55	70.00	931.06	1,001.06
		2023-2024	11.35	93.01	104.36	816.54	162.81	979.35	0.00	1,083.71	1,083.71
		2024-2025	8.91	71.96	80.87	919.27	136.07	1,055.34	0.00	1,136.20	1,136.20
		2025-2026	10.50	85.00	95.50	919.27	100.00	1,019.27	0.00	1,114.77	1,114.77
टिहरी गढ़वाल	नगर पालिका परिषद चम्बा	**2021-2022**	0.24	28.09	28.32	268.11	45.08	313.19	71.82	341.51	413.34
		2022-2023	0.47	38.50	38.97	441.91	39.07	480.98	16.75	519.95	536.70
		2023-2024	1.18	38.89	40.08	530.15	99.72	629.87	4.74	669.95	674.69
		2024-2025	2.85	44.05	46.89	602.24	83.60	685.84	1.17	732.73	733.90
		2025-2026	3.15	48.45	51.60	662.46	91.96	754.42	1.29	806.02	807.31
	नगर पालिका परिषद देवप्रयाग	**2021-2022**	2.38	8.50	10.88	325.09	22.82	347.91	0.00	358.79	358.79
		2022-2023	3.25	10.45	13.70	638.37	38.85	677.22	0.00	690.92	690.92
		2023-2024	3.39	10.02	13.41	778.73	147.17	925.90	0.00	939.31	939.31
		2024-2025	3.76	11.12	14.88	859.56	123.09	982.65	0.00	997.53	997.53
		2025-2026	0.00	8.66	8.66	860.56	150.00	1,010.56	0.00	1,019.22	1,019.22
	नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती–ढालवाला	**2021-2022**	58.91	132.86	191.77	337.40	115.52	452.92	59.43	644.69	704.12
		2022-2023	42.23	320.67	362.89	1,291.06	116.44	1,407.50	883.25	1,770.39	2,653.65
		2023-2024	82.63	1,027.09	1,109.72	1,254.56	238.16	1,492.72	205.99	2,602.44	2,808.43
		2024-2025	90.08	512.78	602.86	1,412.41	432.04	1,844.45	83.00	2,447.31	2,530.31
		2025-2026	110.00	600.11	710.11	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	2,710.11	2,710.11
	नगर पालिकापरिषद नरेन्द्र	**2021-2022**	6.82	27.45	34.27	439.68	63.53	503.21	13.03	537.48	550.50
		2022-2023	6.22	48.47	54.69	444.12	46.55	490.67	37.52	545.36	582.88
		2023-2024	11.95	86.58	98.53	514.02	97.67	611.69	48.17	710.22	758.40

जनपद	नगर पालिका परिषद	वित्तीय वर्ष	करों से स्वयं की राजस्व आय	करों से भिन्न मदों से स्वयं की राजस्व आय	स्वयं की कुल राजस्व आय (3+4)	अनुदान			अन्य विधायक / सांसद निधि व अन्य स्रोत से	कुल राजस्व आय	
						राज्य वित्त आयोग	केन्द्रीय वित्त आयोग	कुल अनुदान (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (6+9)	12 (6+9+10)
	नगर	**2024-2025**	193.23	61.01	254.24	578.67	81.90	660.57	5.98	914.81	920.79
		2025-2026	97.00	62.19	159.19	600.00	100.00	700.00	10.10	859.19	869.29
	नगर पालिका परिषद टिहरी गढ़वाल	**2021-2022**	0.002	48.01	48.02	831.80	178.96	1,010.76	41.63	1,058.78	1,100.41
		2022-2023	69.65	61.10	130.75	102.80	196.29	299.09	18.71	429.84	448.55
		2023-2024	0.01	69.63	69.64	1,318.49	250.79	1,569.28	112.33	1,638.92	1,751.26
		2024-2025	42.20	94.52	136.72	1,484.39	211.10	1,695.49	12.06	1,832.21	1,844.27
		2025-2026	100.00	100.00	200.00	1,484.39	25.00	1,509.39	25.00	1,709.39	1,734.39
ऊधमसिंह नगर	नगर पालिका परिषद बाजपुर	**2021-2022**	26.52	52.52	79.04	710.94	153.82	864.76	133.15	943.80	1,076.95
		2022-2023	30.71	95.06	125.77	972.38	109.40	1,081.78	8,460.00	1,207.55	9,667.55
		2023-2024	29.76	107.18	136.94	1,161.99	219.61	1,381.60	238.90	1,518.54	1,757.44
		2024-2025	57.04	214.84	271.88	1,307.84	184.42	1,492.26	121.15	1,764.14	1,885.29
		2025-2026	60.00	275.83	335.83	1,350.50	200.00	1,550.50	29.00	1,886.33	1,915.33
	नगर पालिका परिषद गदरपुर	**2021-2022**	32.03	15.48	47.51	571.85	109.51	681.36	0.00	728.87	728.87
		2022-2023	39.61	22.28	61.90	760.70	81.02	841.72	2.00	903.62	905.62
		2023-2024	35.62	23.78	59.40	909.49	172.17	1,081.66	0.00	1,141.06	1,141.06
		2024-2025	32.30	23.31	55.61	1,023.91	144.52	1,168.43	3.00	1,224.04	1,227.04
		2025-2026	50.33	28.92	79.25	1,095.00	180.60	1,275.60	5.00	1,354.85	1,359.85
	नगर पालिका परिषद जसपुर	**2021-2022**	47.93	15.64	63.57	1,197.19	361.60	1,558.79	0.00	1,622.36	1,622.36
		2022-2023	36.97	66.71	103.68	1,602.23	354.94	1,957.17	0.00	2,060.85	2,060.85
		2023-2024	45.72	65.18	110.90	1,986.61	354.94	2,341.55	0.00	2,452.45	2,452.45
		2024-2025	45.71	37.07	82.79	2,157.79	375.52	2,533.31	11.85	2,616.10	2,627.95
		2025-2026	88.00	47.53	135.53	2,481.46	400.00	2,881.46	20.00	3,016.99	3,036.99
	नगर पालिका परिषद खटीमा	**2021-2022**	12.99	33.25	46.24	736.52	115.42	851.94	0.00	898.17	898.17
		2022-2023	12.14	44.15	56.29	1,839.37	231.10	2,070.46	0.00	2,126.75	2,126.75
		2023-2024	16.72	280.88	297.60	2,125.12	298.10	2,423.22	0.00	2,720.82	2,720.82
		2024-2025	13.46	33.85	47.31	2,244.35	119.12	2,363.47	0.00	2,410.78	2,410.78
		2025-2026	64.22	26.51	90.73	2,500.00	1,500.00	4,000.00	0.00	4,090.73	4,090.73
	नगर पालिका परिषद किच्छा	**2021-2022**	20.62	48.91	69.53	991.36	368.13	1,359.49	136.17	1,429.02	1,565.18
		2022-2023	44.20	146.46	190.66	2,171.08	394.74	2,565.82	360.07	2,756.48	3,116.56
		2023-2024	31.60	149.87	181.48	2,595.72	489.62	3,085.34	385.53	3,266.82	3,652.35
		2024-2025	20.22	69.02	89.24	2,922.32	411.72	3,334.04	217.10	3,423.28	3,640.38
		2025-2026	22.25	75.92	98.17	3,214.55	452.89	3,667.44	289.64	3,765.61	4,055.25
	नगर पालिका परिषद महुआखेड़ागंज	**2021-2022**	39.27	21.63	60.90	341.13	55.22	396.35	0.00	457.25	457.25
		2022-2023	55.94	32.16	88.10	49.23	45.78	95.01	0.00	183.11	183.11
		2023-2024	114.87	13.72	128.59	58.86	111.72	170.58	0.00	299.17	299.17
		2024-2025	52.04	8.03	60.07	662.56	116.99	779.55	0.00	839.62	839.62
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नगर पालिका परिषद	**2021-2022**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	10.00	125.00	135.00
		2023-2024	0.00	0.00	0.00	100.00	409.86	509.86	0.00	509.86	509.86

जनपद	नगर पालिका परिषद	वित्तीय वर्ष	करों से स्वयं की राजस्व आय	करों से भिन्न मदों से स्वयं की राजस्व आय	स्वयं की कुल राजस्व आय (3+4)	अनुदान			अन्य विधायक / सांसद निधि व अन्य स्रोत से	कुल राजस्व आय	
						राज्य वित्त आयोग	केन्द्रीय वित्त आयोग	कुल अनुदान (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (6+9)	12 (6+9+10)
उत्तरकाशी	नगला	2024-2025	0.00	1.92	1.92	100.00	216.39	316.39	0.00	318.31	318.31
		2025-2026	4.00	8.00	12.00	100.00	432.78	532.78	400.00	544.78	944.78
	नगर पालिका परिषद सितारगंज	2021-2022	12.18	12.21	24.39	746.78	135.63	882.41	20.20	906.80	927.00
		2022-2023	14.64	32.22	46.86	1,027.96	104.23	1,132.19	219.53	1,179.05	1,398.59
		2023-2024	7.56	27.01	34.57	1,228.62	232.95	1,461.57	203.28	1,496.14	1,699.42
		2024-2025	13.56	20.81	34.36	1,382.84	244.25	1,627.09	178.53	1,661.45	1,839.98
		2025-2026	22.25	43.50	65.75	1,521.80	14.00	1,535.80	434.90	1,601.55	2,036.45
	नगर पालिका परिषद बडकोट	2021-2022	5.28	15.39	20.67	401.00	59.19	460.19	90.62	480.86	571.48
		2022-2023	6.70	28.24	34.94	650.01	52.66	702.67	131.55	737.61	869.15
		2023-2024	7.28	33.18	40.47	731.38	138.21	869.59	56.57	910.06	966.63
		2024-2025	8.09	32.26	40.35	922.01	116.81	1,038.82	10.02	1,079.17	1,089.19
		2025-2026	8.90	35.48	44.38	887.27	128.49	1,015.76	58.34	1,060.15	1,118.49
	नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड	2021-2022	1.44	2.88	4.32	82.20	55.64	137.84	1.19	142.16	143.35
		2022-2023	3.14	7.23	10.37	614.93	43.98	658.91	157.02	669.28	826.29
		2023-2024	3.85	13.70	17.55	807.49	109.17	916.66	139.14	934.21	1,073.35
		2024-2025	4.95	15.57	20.51	892.56	0.00	892.56	121.90	913.07	1,034.97
		2025-2026	6.97	20.24	27.20	1,106.62	100.00	1,206.62	491.80	1,233.82	1,725.62
	नगर पालिका परिषद पुरोला	2021-2022	1.57	13.48	15.05	80.90	34.83	115.73	540.34	130.78	671.12
		2022-2023	4.29	21.17	25.47	336.23	29.73	365.96	60.24	391.43	451.67
		2023-2024	4.06	13.17	17.23	420.00	59.20	479.20	253.34	496.43	749.77
		2024-2025	3.61	17.81	21.42	490.39	93.12	583.51	85.83	604.93	690.76
		2025-2026	3.64	19.60	23.24	539.43	102.43	641.86	94.41	665.10	759.51
	नगर पालिका परिषद बाडाहाट	2021-2022	5.02	48.04	53.06	674.06	142.13	816.19	124.40	869.25	993.64
		2022-2023	6.21	54.03	60.24	1,151.86	182.55	1,334.41	235.25	1,394.65	1,629.90
		2023-2024	6.35	123.16	129.51	1,364.52	261.21	1,625.73	79.51	1,755.24	1,834.75
		2024-2025	10.83	157.52	168.35	1,536.05	219.14	1,755.19	124.06	1,923.54	2,047.60
		2025-2026	11.49	189.35	200.84	1,851.90	244.50	2,096.40	148.49	2,297.24	2,445.73

तालिका 10.4 (ख)
नगर पालिका परिषद् के आय विवरण(प्रतिशत अंश में)

जनपद	नगर पालिका परिषद	वित्तीय वर्ष	कुल राजस्व (विधायक निधि आदि को छोड़कर) के सापेक्ष					स्वयं के कुल राजस्व के सापेक्ष	
			स्वयं के कर से राजस्व आय अंश (प्रतिशत में)	करेत्तर राजस्व (प्रतिशत में)	स्वयं का कुल राजस्व अंश (प्रतिशत में)	राज्य वित्त आयोग अनुदान अंश (प्रतिशत में)	केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान अंश (प्रतिशत में)	स्वयं का कर राजस्व अंश (प्रतिशत में)	स्वयं का करेत्तर राजस्व अंश (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अल्मोड़ा	रानीखेत चिलियानौला	2023–24	0.00	0.90	0.90	85.96	13.14	0.00	100.00
		2024–25	0.00	0.83	0.83	99.17	0.00	0.00	100.00
बागेश्वर	बागेश्वर	2023–24	0.82	1.82	2.64	82.90	14.45	31.16	68.84
		2024–25	1.13	1.84	2.97	84.93	12.10	37.95	62.05

जनपद	नगर पालिका परिषद	वित्तीय वर्ष	कुल राजस्व (विधायक निधि आदि को छोड़कर) के सापेक्ष					स्वयं के कुल राजस्व के सापेक्ष	
			स्वयं के कर से राजस्व आय अंश (प्रतिशत में)	करेत्तर राजस्व (प्रतिशत में)	स्वयं का कुल राजस्व अंश (प्रतिशत में)	राज्य वित्त आयोग अनुदान अंश (प्रतिशत में)	केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान अंश (प्रतिशत में)	स्वयं का कर राजस्व अंश (प्रतिशत में)	स्वयं का करेत्तर राजस्व अंश (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
चमोली	गौचर	2023–24	0.34	4.55	4.89	80.45	14.65	7.04	92.96
		2024–25	0.34	4.79	5.13	82.92	11.94	6.71	93.29
	गोपेश्वर	2023–24	1.96	12.64	14.61	71.65	13.74	13.43	86.57
		2024–25	1.88	15.68	17.56	72.12	10.32	10.71	89.29
	जोशीमठ	2023–24	1.61	5.35	6.96	78.28	14.75	23.17	76.83
		2024–25	1.52	4.08	5.61	86.72	7.67	27.15	72.85
	कर्णप्रयाग	2023–24	0.32	5.22	5.54	79.19	15.28	5.71	94.29
		2024–25	0.42	5.65	6.08	82.12	11.80	6.95	93.05
चम्पावत	चम्पावत	2023–24	5.12	7.18	12.30	73.57	14.13	41.64	58.36
		2024–25	5.62	3.23	8.85	80.75	10.40	63.53	36.47
	लोहाघाट	2023–24	1.67	10.42	12.09	76.39	11.52	13.84	86.16
		2024–25	0.90	6.94	7.83	81.16	11.00	11.44	88.56
	टनकपुर	2023–24	1.19	7.50	8.69	76.77	14.54	13.66	86.34
		2024–25	1.08	6.25	7.33	81.21	11.46	14.72	85.28
देहरादून	डोईवाला	2023–24	0.49	4.30	4.79	88.44	6.77	10.29	89.71
		2024–25	0.66	4.10	4.76	92.01	3.23	13.84	86.16
	हरबर्टपुर	2023–24	1.63	4.58	6.22	78.73	15.05	26.29	73.71
		2024–25	1.57	6.13	7.70	80.78	11.52	20.36	79.64
	मसूरी	2023–24	7.80	21.10	28.90	59.62	11.48	26.99	73.01
		2024–25	6.27	12.24	18.51	71.32	10.17	33.88	66.12
	विकासनगर	2023–24	4.48	4.21	8.69	77.88	13.43	51.53	48.47
		2024–25	4.95	3.78	8.73	80.74	10.53	56.74	43.26
हरिद्वार	लक्सर	2023–24	1.22	2.01	3.23	81.37	15.40	37.87	62.13
		2024–25	1.03	1.94	34.66	85.04	12.00	34.66	65.34
	मंगलौर	2023–24	0.63	0.66	1.29	83.03	15.68	49.14	50.86
		2024–25	1.36	0.45	1.81	86.07	12.12	75.01	24.99
	शिवालिक नगर	2023–24	0.23	3.32	3.55	81.12	15.33	6.60	93.40
		2024–25	0.35	2.08	2.42	85.52	12.06	14.30	85.70
नैनीताल	भीमताल	2023–24	1.23	3.40	4.63	75.70	19.66	26.61	73.39
		2024–25	0.93	3.66	4.59	85.00	10.41	20.17	79.83
	भवाली	2023–24	7.27	30.95	38.21	13.27	48.52	19.02	80.98
		2024–25	6.93	27.44	34.37	0.00	65.63	20.17	79.83
	कालाढूंगी	2023–24	1.93	9.81	11.74	75.39	12.87	16.46	83.54
		2024–25	2.00	8.09	10.09	78.19	11.72	19.85	80.15
	नैनीताल	2023–24	9.78	24.63	34.42	55.03	10.55	28.43	71.57
		2024–25	5.72	15.20	20.92	69.92	9.16	27.33	72.67
	रामनगर	2023–24	8.26	17.36	25.62	74.19	0.18	32.25	67.75
		2024–25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पौड़ी	दुगड्डा	2023–24	0.16	2.53	2.69	81.72	15.59	5.85	94.15
		2024–25	0.15	2.96	3.11	84.86	12.03	4.83	95.17
	पौड़ी	2023–24	2.95	5.46	8.41	76.92	14.67	35.03	64.97
		2024–25	2.63	14.01	16.65	70.76	12.59	15.82	84.18
पिथौरागढ़	बेरीनाग	2023–24	3.05	1.04	4.10	84.73	11.16	74.46	25.47
		2024–25	3.71	0.99	4.70	95.30	0.00	78.92	21.14
	धारचूला	2023–24	0.70	6.57	7.27	77.75	14.99	9.61	90.39
		2024–25	0.99	2.75	3.74	84.17	12.09	26.44	73.56
	डीडीहाट	2023–24	3.68	1.68	5.37	84.32	10.31	68.61	31.39
		2024–25	3.25	1.41	4.65	80.88	14.46	69.76	30.24
	गंगोलीहाट	2023–24	0.21	1.49	1.70	87.37	10.93	12.17	87.83

जनपद	नगर पालिका परिषद	वित्तीय वर्ष	कुल राजस्व (विधायक निधि आदि को छोड़कर) के सापेक्ष					स्वयं के कुल राजस्व के सापेक्ष	
			स्वयं के कर से राजस्व आय अंश (प्रतिशत में)	करेत्तर राजस्व (प्रतिशत में)	स्वयं का कुल राजस्व अंश (प्रतिशत में)	राज्य वित्त आयोग अनुदान अंश (प्रतिशत में)	केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान अंश (प्रतिशत में)	स्वयं का कर राजस्व अंश (प्रतिशत में)	स्वयं का करेत्तर राजस्व अंश (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2024–25	0.39	1.63	2.03	97.97	0.00	19.47	80.53
रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	2023–24	1.05	8.58	9.63	75.35	15.02	10.88	89.12
		2024–25	0.78	6.33	7.12	80.91	11.98	11.02	88.98
टिहरी गढ़वाल	चम्बा	2023–24	0.18	5.80	5.98	79.13	14.88	2.94	97.03
		2024–25	0.39	6.01	6.40	82.19	11.41	6.08	93.94
	देवप्रयाग	2023–24	0.36	1.07	1.43	82.90	15.67	25.28	74.72
		2024–25	0.38	1.11	1.49	86.17	12.34	25.27	74.73
	मुनिकीरेती–ढालवाला	2023–24	3.18	39.47	42.64	48.21	9.15	7.45	92.55
		2024–25	3.68	20.95	24.63	57.71	17.65	14.94	85.06
	नरेन्द्र नगर	2023–24	1.68	12.19	13.87	72.37	13.75	12.13	87.87
		2024–25	21.12	6.67	27.79	63.26	8.95	76.00	24.00
	टिहरी गढ़वाल	2023–24	0.00	4.25	4.25	80.45	15.30	0.00	99.99
		2024–25	2.30	5.16	7.46	81.02	11.52	30.87	69.13
ऊधमसिंह नगर	बाजपुर	2023–24	1.96	7.06	9.02	76.52	14.46	21.73	78.27
		2024–25	3.23	12.18	15.41	74.13	10.45	20.98	79.02
	गदरपुर	2023–24	3.12	2.08	5.21	79.71	15.09	59.97	40.03
		2024–25	2.64	1.90	4.54	83.65	11.81	58.08	41.92
	जसपुर	2023–24	1.86	2.66	4.52	81.01	14.47	41.23	58.77
		2024–25	1.75	1.42	3.16	82.48	14.35	55.21	44.78
	खटीमा	2023–24	0.61	10.32	10.94	78.11	10.96	5.62	94.38
		2024–25	0.56	1.40	1.96	93.10	4.94	28.45	71.55
	किच्छा	2023–24	0.97	4.59	5.56	79.46	14.99	17.41	82.58
		2024–25	0.59	2.02	2.61	85.37	12.03	22.66	77.34
	महुआखेड़ागंज	2023–24	38.40	4.59	42.98	19.67	37.34	89.33	10.67
		2024–25	6.20	0.96	7.15	78.91	13.93	86.63	13.37
	नगला	2023–24	0.00	0.00	0.00	19.61	80.39	0.00	0.00
		2024–25	0.00	0.60	0.60	31.42	67.98	0.00	100.00
	सितारगंज	2023–24	0.51	1.81	2.31	82.12	15.57	21.87	78.13
		2024–25	0.82	1.25	2.07	83.23	14.70	39.46	60.56
उत्तरकाशी	बडकोट	2023–24	0.80	3.65	4.45	80.37	15.19	17.99	81.99
		2024–25	0.75	2.99	3.74	85.44	10.82	20.05	79.95
	चिन्यालीसौड	2023–24	0.41	1.47	1.88	86.44	11.69	21.94	78.06
		2024–25	0.54	1.71	2.25	97.75	0.00	24.13	75.91
	पुरोला	2023–24	0.82	2.65	3.47	84.60	11.93	23.56	76.44
		2024–25	0.60	2.94	3.54	81.07	15.39	16.85	83.15
	बाडाहाट	2023–24	0.36	7.02	7.38	77.74	14.88	4.90	95.10
		2024–25	0.56	8.19	8.75	79.86	11.39	6.43	93.57

तालिका 10.5 (क)

नगर पालिका परिषद् के व्यय का विवरण (धनराशि लाख में)

जनपद	नगर पालिका परिषद	वित्तीय वर्ष	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल राजस्व व्यय	कुल स्वयं की राजस्व आय	कुल राजस्व आय (विधायक निधि आदि से राजस्व आय छोड़कर)	कुल पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अल्मोड़ा	रानीखेत चिलियानौला	2021-2022	38.48	0.52	17.20	56.20	3.12	123.52	0.00	56.20
		2022-2023	68.00	1.05	392.40	461.45	5.70	522.97	0.00	461.45
		2023-2024	73.10	1.20	250.73	325.02	6.04	671.09	0.00	325.02
		2024-2025	86.24	1.19	213.65	301.08	5.45	654.94	0.00	301.08
		2025-2026	103.48	1.52	424.30	529.30	15.77	820.21	0.00	529.30
बागेश्वर	बागेश्वर	2021-2022	312.74	65.92	358.00	736.66	44.06	558.01	235.77	972.43
		2022-2023	349.21	81.21	523.12	953.54	38.01	1,134.82	369.31	1,322.84
		2023-2024	416.80	132.27	708.78	1,257.85	41.62	1,573.97	584.91	1,842.76
		2024-2025	322.38	78.67	1,034.19	1,435.24	46.80	1,578.21	586.93	2,022.17
		2025-2026	354.62	86.53	1,138.94	1,580.09	51.43	1,735.88	645.61	2,225.70
चमोली	गौचर	2021-2022	121.88	5.33	274.46	401.67	37.34	413.71	0.00	401.67
		2022-2023	125.81	5.74	334.16	465.71	42.46	738.74	0.00	465.71
		2023-2024	165.63	5.85	517.49	688.98	49.69	1,015.60	0.00	688.98
		2024-2025	206.41	6.09	617.33	829.83	53.66	1,045.44	0.00	829.83
		2025-2026	231.18	6.52	813.48	1,051.17	57.74	1,221.08	0.00	1,051.17
	गोपेश्वर	2021-2022	334.12	75.21	1,043.76	1,453.09	134.69	1,003.80	0.00	1,453.09
		2022-2023	373.05	58.21	1,297.81	1,729.07	163.38	1,215.91	0.00	1,729.07
		2023-2024	390.42	81.25	1,282.13	1,753.80	233.55	1,598.95	0.00	1,753.80
		2024-2025	1.80	0.00	98.20	15.19	0.00	0.72	0.00	15.19
		2025-2026	33.93	0.00	66.07	428.34	0.00	26.63	0.00	428.34
	जोशीमठ	2021-2022	36.31	0.00	63.69	353.59	0.00	27.23	0.00	353.59
		2022-2023	6.11	1.41	92.48	15.33	3.52	4.43	1.02	16.35
		2023-2024	7.34	5.14	87.52	29.37	20.57	5.43	3.81	33.18
		2024-2025	41.05	8.84	50.11	302.10	65.03	26.26	5.65	307.75
		2025-2026	41.92	9.05	49.03	301.38	65.05	26.30	5.68	307.06
	कर्णप्रयाग	2021-2022	10.66	0.35	88.98	851.93	28.19	27.53	0.91	852.84
		2022-2023	4.50	2.82	266.71	274.03	42.55	693.80	428.58	702.61
		2023-2024	57.76	3.46	231.14	292.36	50.11	904.78	587.54	879.90
		2024-2025	25.30	3.60	427.97	456.87	59.68	982.18	430.14	887.01
		2025-2026	30.00	4.00	465.00	499.00	79.00	1,091.29	443.00	942.00
चम्पावत	चम्पावत	2021-2022	28.72	0.00	359.92	388.64	48.95	521.51	68.87	457.51
		2022-2023	25.11	0.00	971.18	996.29	51.06	746.95	34.44	1,030.73
		2023-2024	11.12	0.00	995.82	1,006.94	127.00	1,032.43	269.26	1,276.20
		2024-2025	17.49	0.00	768.40	785.89	104.08	1,175.58	145.98	931.87
		2025-2026	20.00	0.00	1,294.60	1,314.60	328.85	1,493.85	390.00	1,704.60
	लोहाघाट	2021-2022	0.00	0.00	250.77	250.77	146.36	526.64	477.58	728.35
		2022-2023	0.00	0.00	328.25	328.25	45.12	420.73	86.49	414.74
		2023-2024	0.00	0.00	372.58	372.58	63.16	522.44	219.08	591.67
		2024-2025	0.00	0.00	274.16	274.16	43.87	560.04	216.21	490.37
		2025-2026	0.00	0.00	458.10	458.10	47.00	708.00	289.96	748.06
	टनकपुर	2021-2022	0.00	5.45	454.36	459.81	57.33	640.79	186.77	646.58
		2022-2023	5.04	0.00	558.92	563.96	84.53	941.70	172.77	736.73
		2023-2024	3.10	0.38	671.58	675.06	96.78	1,114.13	123.29	798.35
		2024-2025	5.93	0.00	770.53	776.46	86.90	1,185.86	77.36	853.83
		2025-2026	6.00	5.00	372.50	383.50	91.50	1,320.94	182.87	566.37
देहरादून	डोईवाला	2021-2022	26.40	0.00	713.52	739.92	64.67	637.64	217.51	957.43
		2022-2023	32.34	0.00	1,241.95	1,274.29	90.57	1,919.17	1,112.21	2,386.50
		2023-2024	27.15	0.00	1,140.89	1,168.04	113.36	2,366.43	1,248.84	2,416.88
		2024-2025	18.50	0.00	1,007.00	1,025.50	121.76	2,560.60	1,528.19	2,553.69

जनपद	नगर पालिका परिषद	वित्तीय वर्ष	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल राजस्व व्यय	कुल स्वयं की राजस्व आय	कुल राजस्व आय (विधायक निधि आदि से राजस्व आय छोड़कर)	कुल पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2025-2026	30.00	0.00	1,762.50	1,792.50	128.75	3,078.75	3,270.00	5,062.50
	हरबर्टपुर	2021-2022	186.42	0.00	239.04	425.46	26.34	425.38	253.94	679.40
		2022-2023	216.93	0.00	162.85	379.78	54.55	593.23	166.77	546.55
		2023-2024	200.89	0.00	391.15	592.04	46.90	754.32	341.80	933.85
		2024-2025	225.38	0.00	395.29	620.67	63.74	827.69	93.18	713.85
		2025-2026	266.65	0.00	1,199.40	1,466.05	93.54	1,212.24	1,260.00	2,726.05
	मसूरी	2021-2022	167.93	169.26	2,281.93	2,619.11	643.19	3,101.77	1,059.75	3,678.86
		2022-2023	210.58	47.58	2,864.91	3,123.07	1,194.53	3,735.70	962.71	4,085.79
		2023-2024	206.28	47.44	3,122.10	3,375.82	1,345.82	4,657.07	1,338.11	4,713.93
		2024-2025	238.19	166.86	2,839.76	3,244.82	811.04	4,382.69	1,289.06	4,533.88
		2025-2026	300.00	100.00	3,751.00	4,151.00	1,401.20	5,401.20	1,340.00	5,491.00
	विकासनगर	2021-2022	361.46	146.81	394.46	902.73	91.79	1,141.24	356.64	1,259.37
		2022-2023	398.64	89.17	437.71	925.52	129.17	1,267.51	325.00	1,250.53
		2023-2024	403.45	86.85	492.43	982.73	133.55	1,536.56	540.97	1,523.70
		2024-2025	432.54	93.36	505.90	1,031.80	143.52	1,644.43	608.37	1,640.17
		2025-2026	475.79	102.70	556.49	1,134.98	157.87	1,808.87	669.20	1,804.18
हरिद्वार	लक्सर	2021-2022	223.10	11.37	3,128.01	3,362.48	31.99	834.38	0.00	3,362.48
		2022-2023	321.40	9.35	3,220.02	3,550.76	44.33	950.69	0.00	3,550.76
		2023-2024	332.68	11.01	2,775.99	3,119.67	39.05	1,208.55	0.00	3,119.67
		2024-2025	279.55	10.85	5,923.92	6,214.32	38.57	1,301.91	0.00	6,214.32
		2025-2026	335.46	11.94	6,837.17	7,184.57	54.17	1,443.84	0.00	7,184.57
	मंगलौर	2021-2022	484.15	85.91	2,561.81	3,131.87	30.52	1,744.21	1,810.77	4,942.64
		2022-2023	713.90	13.59	1,433.47	2,160.96	35.58	1,710.53	713.45	2,874.41
		2023-2024	861.58	162.20	1,317.27	2,341.05	27.98	2,168.76	117.96	2,459.01
		2024-2025	847.00	173.14	1,943.19	2,963.33	42.58	2,355.33	806.19	3,769.52
		2025-2026	900.00	180.00	4,229.70	5,309.70	57.00	2,607.75	2,480.00	7,789.70
	शिवालिक नगर	2021-2022	45.88	0.00	412.50	458.38	62.42	477.63	82.88	541.26
		2022-2023	0.00	0.00	1,206.12	1,206.12	45.40	1,287.50	0.00	1,206.12
		2023-2024	0.00	0.00	2,185.32	2,185.32	55.34	1,557.94	1,421.39	3,606.71
		2024-2025	0.00	0.00	1,630.53	1,630.53	40.29	1,663.73	652.68	2,283.22
		2025-2026	50.00	0.00	2,434.00	2,484.00	53.65	1,763.65	1,320.00	3,804.00
नैनीताल	भीमताल	2021-2022	115.09	3.58	122.87	241.54	43.41	535.38	485.14	726.68
		2022-2023	140.57	9.71	138.84	289.12	55.97	904.91	570.21	859.33
		2023-2024	168.41	21.29	154.54	344.24	53.41	1,152.78	202.69	546.93
		2024-2025	172.20	11.04	125.95	309.19	53.65	1,168.83	301.33	610.52
		2025-2026	206.64	24.00	246.91	477.55	62.87	1,273.79	555.43	1,032.98
	भवाली	2021-2022	0.00	90.36	167.52	257.88	47.41	121.71	0.00	257.88
		2022-2023	0.00	91.73	190.03	281.76	42.53	168.23	4.40	286.16
		2023-2024	0.00	115.25	285.61	400.86	104.93	274.58	70.38	471.24
		2024-2025	0.00	110.55	271.25	381.80	69.92	203.46	65.64	447.44
		2025-2026	0.00	125.00	493.47	618.47	75.00	225.00	156.58	775.05
	कालाढूंगी	2021-2022	83.59	22.06	125.59	231.24	37.81	385.22	795.83	1,027.07
		2022-2023	101.10	20.51	127.56	249.17	49.44	433.45	347.65	596.82
		2023-2024	116.09	17.21	173.45	306.76	64.05	545.41	444.51	751.27
		2024-2025	93.44	16.17	328.37	437.98	60.45	598.93	100.22	538.20
		2025-2026	102.79	16.98	345.52	465.29	0.00	592.33	471.78	937.06
	नैनीताल	2021-2022	1,457.16	675.42	1,420.09	3,552.66	503.14	3,610.32	0.00	3,552.66
		2022-2023	1,495.87	778.11	1,043.22	3,317.20	802.54	2,860.93	0.00	3,317.20
		2023-2024	1,761.14	862.40	1,147.19	3,770.73	1,262.15	3,667.42	154.39	3,925.13
		2024-2025	1,838.01	1,039.85	563.93	3,441.79	740.14	3,537.55	10.00	3,451.79
		2025-2026	2,000.00	1,500.00	1,294.35	4,794.35	1,169.91	3,943.43	0.00	4,794.35
	रामनगर	2021-2022	468.20	205.84	153.48	827.52	246.69	1,070.01	1,656.01	2,483.53

जनपद	नगर पालिका परिषद	वित्तीय वर्ष	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल राजस्व व्यय	कुल स्वयं की राजस्व आय	कुल राजस्व आय (विधायक निधि आदि से राजस्व आय छोड़कर)	कुल पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2022-2023	554.44	250.56	555.50	1,360.50	418.85	1,519.67	1,759.96	3,120.46
		2023-2024	714.78	357.26	288.76	1,360.80	435.04	1,697.82	3,402.54	4,763.34
		2024-2025	674.58	316.27	540.15	1,531.00	0.00	0.00	1,367.41	2,898.41
		2025-2026	750.00	0.00	89.93	839.93	0.00	0.00	1,531.00	2,370.93
पौड़ी	दुगड्डा	2021-2022	99.49	40.04	410.53	550.06	17.76	446.09	0.00	550.06
		2022-2023	122.53	39.81	427.34	589.68	19.98	561.60	0.00	589.68
		2023-2024	122.35	46.44	307.18	475.98	19.66	730.96	0.00	475.98
		2024-2025	136.31	44.73	152.40	333.43	24.62	792.45	0.00	333.43
		2025-2026	155.00	70.00	758.50	983.50	27.55	827.55	0.00	983.50
	पौड़ी	2021-2022	0.00	0.00	557.66	557.66	129.20	1,320.61	1,064.34	1,621.99
		2022-2023	0.00	0.00	554.03	554.03	186.15	1,590.73	675.30	1,229.33
		2023-2024	0.00	0.00	678.12	678.12	165.19	1,964.34	945.34	1,623.46
		2024-2025	0.00	0.00	934.30	934.30	400.22	2,403.99	723.60	1,657.90
		2025-2026	0.00	0.00	1,052.39	1,052.39	187.80	2,311.80	795.96	1,848.35
पिथौरागढ़	बेरीनाग	2021-2022	60.76	0.00	229.22	289.98	3.48	112.60	0.00	289.98
		2022-2023	99.77	0.00	366.88	466.65	12.29	265.91	0.00	466.65
		2023-2024	101.09	0.00	509.37	610.46	13.90	338.92	0.00	610.46
		2024-2025	171.17	0.00	502.59	673.76	16.13	343.23	0.00	673.76
		2025-2026	205.40	0.00	713.26	918.66	0.00	400.00	0.00	918.66
	धारचूला	2021-2022	178.28	13.62	350.40	542.29	46.23	490.61	0.00	542.29
		2022-2023	174.17	12.99	441.88	629.04	44.86	799.23	0.00	629.04
		2023-2024	214.40	14.04	727.85	956.29	70.66	972.29	0.00	956.29
		2024-2025	249.69	29.47	452.13	731.29	37.82	1,010.97	0.00	731.29
		2025-2026	274.66	32.42	497.34	804.42	41.61	1,112.07	0.00	804.42
	डीडीहाट	2021-2022	133.00	4.32	340.96	478.28	25.01	516.80	0.00	478.28
		2022-2023	102.00	8.09	418.14	528.23	40.05	714.73	0.00	528.23
		2023-2024	180.00	8.09	370.26	558.35	47.98	894.18	0.00	558.35
		2024-2025	190.00	9.19	422.22	621.41	48.91	1,050.91	0.00	621.41
		2025-2026	205.00	9.46	614.55	829.01	53.50	1,073.50	0.00	829.01
	गंगोलीहाट	2021-2022	62.76	0.00	80.73	143.49	3.77	110.55	89.13	232.62
		2022-2023	77.97	0.00	153.71	231.68	5.58	244.24	93.01	324.68
		2023-2024	75.40	8.30	257.40	341.10	5.26	309.48	306.45	647.55
		2024-2025	78.57	0.00	239.63	318.20	6.37	314.31	0.00	318.20
		2025-2026	81.00	0.00	366.76	447.76	0.00	400.00	365.00	812.76
रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	2021-2022	142.45	13.81	515.57	671.83	81.94	533.84	0.00	671.83
		2022-2023	182.61	31.47	736.48	950.56	98.51	931.06	0.00	950.56
		2023-2024	190.78	16.91	787.07	994.75	104.36	1,083.71	0.00	994.75
		2024-2025	221.42	17.53	939.90	1,178.85	80.87	1,136.20	0.00	1,178.85
		2025-2026	316.00	25.00	1,180.99	1,521.99	95.50	1,114.77	0.00	1,521.99
टिहरी	चम्बा	2021-2022	125.85	0.00	211.55	337.40	28.32	341.51	42.94	380.34
		2022-2023	144.94	0.00	353.80	498.74	38.97	519.95	63.85	562.58
		2023-2024	160.01	0.00	271.86	431.87	40.08	669.95	161.54	593.41
		2024-2025	181.69	0.00	442.17	623.86	46.89	732.73	4.78	628.65
		2025-2026	218.00	0.00	528.10	746.10	51.60	806.02	5.74	751.84
	देवप्रयाग	2021-2022	83.38	24.26	313.91	421.55	10.88	358.79	0.00	421.55
		2022-2023	95.98	26.15	393.87	516.00	13.70	690.92	0.00	516.00
		2023-2024	80.69	25.03	645.59	751.31	13.41	939.31	0.00	751.31
		2024-2025	118.72	26.16	404.01	548.89	14.88	997.53	0.00	548.89
		2025-2026	168.72	0.05	663.18	831.95	8.66	1,019.22	0.00	831.95
	मुनिकीरेती–ढालवाला	2021-2022	82.80	31.40	420.55	534.75	191.77	644.69	6.75	541.50
		2022-2023	85.30	36.40	506.86	628.56	362.89	1,770.39	9.58	638.14
		2023-2024	48.31	46.15	1,456.26	1,550.73	1,109.72	2,602.44	102.51	1,653.24

जनपद	नगर पालिका परिषद	वित्तीय वर्ष	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल राजस्व व्यय	कुल स्वयं की राजस्व आय	कुल राजस्व आय (विधायक निधि आदि से राजस्व आय छोड़कर)	कुल पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2024-2025	109.50	44.46	1,311.13	1,465.09	602.86	2,447.31	97.71	1,562.80
		2025-2026	120.03	48.00	1,843.60	2,011.63	710.11	2,710.11	250.00	2,261.63
	नरेन्द्र नगर	2021-2022	158.94	48.29	178.94	386.17	34.27	537.48	0.00	386.17
		2022-2023	207.49	53.01	210.18	470.68	54.69	545.36	0.00	470.68
		2023-2024	195.17	47.07	162.87	405.12	98.53	710.22	0.00	405.12
		2024-2025	222.75	50.25	223.36	496.37	254.24	914.81	0.00	496.37
		2025-2026	240.00	58.00	314.35	612.35	159.19	859.19	0.00	612.35
	टिहरी गढ़वाल	2021-2022	536.77	75.92	632.64	1,245.33	48.02	1,058.78	0.00	1,245.33
		2022-2023	616.99	102.33	506.19	1,225.51	130.75	429.84	0.00	1,225.51
		2023-2024	598.78	104.82	485.26	1,188.86	69.64	1,638.92	0.00	1,188.86
		2024-2025	695.66	102.95	418.89	1,217.50	136.72	1,832.21	0.00	1,217.50
		2025-2026	800.00	120.00	516.60	1,436.60	200.00	1,709.39	0.00	1,436.60
ऊधमसिंह नगर	बाजपुर	2021-2022	112.86	13.83	848.74	975.43	79.04	943.80	0.00	975.43
		2022-2023	275.17	36.61	891.77	1,203.55	125.77	1,207.55	0.00	1,203.55
		2023-2024	263.10	32.96	1,526.53	1,822.59	136.94	1,518.54	0.00	1,822.59
		2024-2025	319.88	47.36	1,153.63	1,520.87	271.88	1,764.14	45.01	1,565.89
		2025-2026	400.00	60.00	1,751.95	2,211.95	335.83	1,886.33	95.00	2,306.95
	गदरपुर	2021-2022	165.86	46.80	46.08	258.74	47.51	728.87	510.62	769.36
		2022-2023	205.76	49.20	233.55	488.51	61.90	903.62	324.62	813.13
		2023-2024	241.53	50.00	291.64	583.17	59.40	1,141.06	411.79	994.96
		2024-2025	243.82	65.40	307.60	616.82	55.61	1,224.04	718.41	1,335.23
		2025-2026	394.90	66.60	102.65	564.15	79.25	1,354.85	865.00	1,429.15
	जसपुर	2021-2022	581.42	119.47	938.18	1,639.08	63.57	1,622.36	403.72	2,042.80
		2022-2023	591.97	144.40	1,094.19	1,830.57	103.68	2,060.85	573.59	2,404.16
		2023-2024	588.85	223.27	732.27	1,544.39	110.90	2,452.45	656.05	2,200.45
		2024-2025	597.08	172.60	990.10	1,759.78	82.79	2,616.10	836.68	2,596.46
		2025-2026	630.00	230.00	988.04	1,848.04	135.53	3,016.99	1,000.10	2,848.14
	खटीमा	2021-2022	458.56	181.83	673.92	1,314.31	46.24	898.17	0.00	1,314.31
		2022-2023	573.44	177.37	1,591.25	2,342.06	56.29	2,126.75	0.00	2,342.06
		2023-2024	587.80	130.58	796.59	1,514.97	297.60	2,720.82	0.00	1,514.97
		2024-2025	446.85	131.03	1,919.37	2,497.25	47.31	2,410.78	0.00	2,497.25
		2025-2026	570.00	130.00	12339.00	13039.00	90.73	4090.73	0.00	13039.00
	किच्छा	2021-2022	300.06	47.08	827.89	1,175.03	69.53	1,429.02	898.80	2,073.82
		2022-2023	352.20	80.23	901.13	1,333.56	190.66	2,756.48	1,267.93	2,601.49
		2023-2024	370.12	84.32	1,076.52	1,530.95	181.48	3,266.82	2,726.10	4,257.05
		2024-2025	395.26	69.11	2,219.30	2,683.66	89.24	3,423.28	969.08	3,652.74
		2025-2026	434.78	76.02	2,441.23	2,952.03	98.17	3,765.61	1,065.99	4,018.02
	महुआखेड़ागंज	2021-2022	38.89	4.38	415.00	458.28	60.90	457.25	408.54	866.82
		2022-2023	83.89	4.85	273.74	362.49	88.10	183.11	118.81	481.30
		2023-2024	73.14	9.14	488.90	571.18	128.59	299.17	610.98	1,182.16
		2024-2025	83.29	9.81	359.49	452.59	60.07	839.62	385.52	838.10
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नगला	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	0.00	0.00	223.30	223.30	0.00	125.00	0.00	223.30
		2023-2024	1.56	0.00	640.15	641.71	0.00	509.86	0.00	641.71
		2024-2025	28.86	0.00	414.23	443.09	1.92	318.31	0.00	443.09
		2025-2026	40.00	0.00	1,352.13	1,392.13	12.00	544.78	0.00	1,392.13
	सितारगंज	2021-2022	197.28	86.84	919.19	1,203.32	24.39	906.80	0.00	1,203.32
		2022-2023	252.02	93.96	1,746.21	2,092.20	46.86	1,179.05	0.00	2,092.20
		2023-2024	290.53	96.62	966.38	1,353.53	34.57	1,496.14	0.00	1,353.53
		2024-2025	315.06	91.83	1,522.82	1,929.71	34.36	1,661.45	0.00	1,929.71
		2025-2026	346.56	101.02	1,714.42	2,162.00	65.75	1,601.55	0.00	2,162.00

जनपद	नगर पालिका परिषद	वित्तीय वर्ष	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल राजस्व व्यय	कुल स्वयं की राजस्व आय	कुल राजस्व आय (विधायक निधि आदि से राजस्व आय छोड़कर)	कुल पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्तरकाशी	बडकोट	2021-2022	99.56	21.42	300.17	421.15	20.67	480.86	320.58	741.73
		2022-2023	169.29	2.26	223.59	395.15	34.94	737.61	345.41	740.56
		2023-2024	203.95	2.42	199.83	406.20	40.47	910.06	514.29	920.49
		2024-2025	225.48	2.63	359.45	587.56	40.35	1,079.17	327.43	914.99
		2025-2026	248.03	7.43	458.28	713.74	44.38	1,060.15	391.05	1,104.78
	चिन्यालीसौड	2021-2022	65.68	0.00	17.70	83.38	4.32	142.16	29.96	113.34
		2022-2023	103.05	0.00	93.21	196.26	10.37	669.28	377.50	573.76
		2023-2024	112.92	0.00	133.55	246.47	17.55	934.21	449.74	696.22
		2024-2025	131.80	0.00	255.69	387.49	20.51	913.07	462.61	850.10
		2025-2026	144.99	0.00	281.19	426.18	27.20	1,233.82	0.00	426.18
	पुरोला	2021-2022	0.00	0.00	95.30	95.30	15.05	130.78	372.04	467.33
		2022-2023	0.00	0.00	181.60	181.60	25.47	391.43	884.53	1,066.13
		2023-2024	0.00	0.00	278.20	278.20	17.23	496.43	140.70	418.91
		2024-2025	0.00	0.00	204.81	204.81	21.42	604.93	407.78	612.58
		2025-2026	0.00	0.00	225.29	225.29	23.24	665.10	448.55	673.84
	बाडाहाट	2021-2022	0.00	0.00	1,009.65	1,009.65	53.06	869.25	250.34	1,259.98
		2022-2023	0.00	0.00	928.12	928.12	60.24	1,394.65	419.65	1,347.77
		2023-2024	0.00	0.00	1,247.16	1,247.16	129.51	1,755.24	609.90	1,857.06
		2024-2025	0.00	0.00	1,311.79	1,311.79	168.35	1,923.54	754.88	2,066.67
		2025-2026	0.00	0.00	722.13	722.13	200.84	2,297.24	896.92	1,619.05

तालिका 10.5 (ख)
नगर पालिका परिषद् के राजस्व व्यय विवरण (प्रतिशत अंश में)

जनपद	नगर पालिका परिषद्	वित्तिय वर्ष	कुल राजस्व व्यय के सापेक्ष			कुल स्वयं की राजस्व आय के सापेक्ष		कुल राजस्व आय के सापेक्ष	
			वेतन व्यय अंश (प्रतिशत में)	पेंशन व्यय अंश (प्रतिशत में)	अन्य व्यय अंश (प्रतिशत में)	वेतन व्यय अंश (प्रतिशत में)	पेंशन व्यय अंश (प्रतिशत में)	वेतन व्यय अंश (प्रतिशत में)	पेंशन व्यय अंश (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अल्मोड़ा	रानीखेत	2023–2024	22.49	0.37	77.14	1210.26	19.87	10.89	0.18
	चिलियानौला	2024–2025	28.64	0.40	70.96	1582.39	21.83	13.17	0.18
बागेश्वर	बागेश्वर	2023–2024	33.14	10.52	56.35	1001.44	317.80	26.48	8.40
		2024–2025	22.46	5.48	72.06	688.85	168.10	20.43	4.98
चमोली	गौचर	2023–2024	24.04	0.85	75.11	333.33	11.77	16.31	0.58
		2024–2025	24.87	0.73	74.39	384.66	11.35	19.74	0.58
	गोपेश्वर	2023–2024	22.26	4.63	73.11	167.17	34.79	24.42	5.08
		2024–2025	24.06	2.36	73.58	143.66	14.12	25.22	2.48
	जोशीमठ	2023–2024	22.80	3.56	73.64	279.55	43.66	19.47	3.04
		2024–2025	21.23	3.06	75.71	414.96	59.73	23.26	3.35
	कर्णप्रयाग	2023–2024	19.76	1.18	79.06	115.27	6.90	6.38	0.38
		2024–2025	5.54	0.79	93.67	42.39	6.03	2.58	0.37
चम्पावत	चम्पावत	2023–2024	1.10	0.00	98.90	8.76	0.00	1.08	0.00
		2024–2025	2.23	0.00	97.77	16.80	0.00	1.49	0.00
	लोहाघाट	2023–2024	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–2025	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	टनकपुर	2023–2024	0.46	0.06	99.48	3.20	0.39	0.28	0.03
		2024–2025	0.76	0.00	99.24	6.82	0.00	0.50	0.00
देहरादून	डोईवाला	2023–2024	2.32	0.00	97.68	23.95	0.00	1.15	0.00
		2024–2025	1.80	0.00	98.20	15.19	0.00	0.72	0.00
	हरबर्टपुर	2023–2024	33.93	0.00	66.07	428.34	0.00	26.63	0.00

जनपद	नगर पालिका परिषद्	वित्तिय वर्ष	कुल राजस्व व्यय के सापेक्ष			कुल स्वयं की राजस्व आय के सापेक्ष		कुल राजस्व आय के सापेक्ष	
			वेतन व्यय अंश (प्रतिशत में)	पेंशन व्यय अंश (प्रतिशत में)	अन्य व्यय अंश (प्रतिशत में)	वेतन व्यय अंश (प्रतिशत में)	पेंशन व्यय अंश (प्रतिशत में)	वेतन व्यय अंश (प्रतिशत में)	पेंशन व्यय अंश (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2024–2025	36.31	0.00	63.69	353.59	0.00	27.23	0.00
	मसूरी	2023–2024	6.11	1.41	92.48	15.33	3.52	4.43	1.02
		2024–2025	7.34	5.14	87.52	29.37	20.57	5.43	3.81
	विकासनगर	2023–2024	41.05	8.84	50.11	302.10	65.03	26.26	5.65
		2024–2025	41.92	9.05	49.03	301.38	65.05	26.30	5.68
हरिद्वार	लक्सर	2023–2024	10.66	0.35	88.98	851.93	28.19	27.53	0.91
		2024–2025	4.50	0.17	95.33	724.79	28.13	21.47	0.83
	मंगलौर	2023–2024	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–2025	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	शिवालिक नगर	2023–2024	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–2025	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नैनीताल	भीमताल	2023–2024	48.92	6.18	44.89	315.32	39.86	14.61	1.85
		2024–2025	55.69	3.57	40.74	320.97	20.58	14.73	0.94
	भवाली	2023–2024	0.00	28.75	71.25	0.00	109.84	0.00	41.97
		2024–2025	0.00	28.95	71.05	0.00	158.11	0.00	54.34
	कालाढूंगी	2023–2024	37.84	5.61	56.54	181.25	26.87	21.28	3.16
		2024–2025	21.33	3.69	74.97	154.57	26.75	15.60	2.70
	नैनीताल	2023–2024	46.71	22.87	30.42	139.53	68.33	48.02	23.52
		2024–2025	53.40	30.21	16.38	53.40	30.21	53.40	30.21
	रामनगर	2023–2024	52.53	26.25	21.22	164.30	82.12	42.10	21.04
		2024–2025	44.06	20.66	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
पौड़ी	दुगड्डा	2023–2024	25.70	9.76	64.54	622.33	236.22	16.74	6.35
		2024–2025	40.88	13.42	45.71	553.66	181.68	17.20	5.64
	पौड़ी	2023–2024	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–2025	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पिथौरागढ़	बेरीनाग	2023–2024	16.56	0.00	83.44	727.27	0.00	29.83	0.00
		2024–2025	25.41	0.00	74.59	1061.19	0.00	49.87	0.00
	धारचूला	2023–2024	22.42	1.47	76.11	303.42	19.87	22.05	1.44
		2024–2025	34.14	4.03	61.83	660.21	77.92	24.70	2.92
	डीडीहाट	2023–2024	32.24	1.45	66.31	375.16	16.86	20.13	0.90
		2024–2025	30.58	1.48	67.95	388.47	18.79	18.08	0.87
	गंगोलीहाट	2023–2024	22.10	2.43	75.46	1433.46	157.79	24.36	2.68
		2024–2025	24.69	0.00	75.31	1233.44	0.00	25.00	0.00
रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	2023–2024	19.18	1.70	79.12	182.81	16.20	17.60	1.56
		2024–2025	18.78	1.49	79.73	273.80	21.68	19.49	1.54
टिहरी गढ़वाल	चम्बा	2023–2024	37.05	0.00	62.95	399.23	0.00	23.88	0.00
		2024–2025	29.12	0.00	70.88	387.48	0.00	24.80	0.00
	देवप्रयाग	2023–2024	10.74	3.33	85.93	601.72	186.65	8.59	2.66
		2024–2025	21.63	4.77	73.60	797.85	175.81	11.90	2.62
	मुनिकीरेती–ढालवाला	2023–2024	3.12	2.98	93.91	4.35	4.16	1.86	1.77
		2024–2025	7.47	3.03	89.49	18.16	7.37	4.47	1.82
	नरेन्द्र नगर	2023–2024	48.18	11.62	40.20	198.08	47.77	27.48	6.63
		2024–2025	44.88	10.12	45.00	87.61	19.76	24.35	5.49
	टिहरी गढ़वाल	2023–2024	50.37	8.82	40.82	859.82	150.52	36.54	6.40
		2024–2025	57.14	8.46	34.41	508.82	75.30	37.97	5.62
ऊधमसिंह नगर	बाजपुर	2023–2024	14.44	1.81	83.76	192.13	24.07	17.33	2.17
		2024–2025	21.03	3.11	75.85	117.65	17.42	18.13	2.68
	गदरपुर	2023–2024	41.42	8.57	50.01	406.62	84.18	21.17	4.38
		2024–2025	39.53	10.60	49.87	438.45	117.60	19.92	5.34
	जसपुर	2023–2024	38.13	14.46	47.41	530.97	201.33	24.01	9.10
		2024–2025	33.93	9.81	56.26	721.20	208.48	22.82	6.60
	खटीमा	2023–2024	38.80	8.62	52.58	197.51	43.88	21.60	4.80

जनपद	नगर पालिका परिषद्	वित्तिय वर्ष	कुल राजस्व व्यय के सापेक्ष			कुल स्वयं की राजस्व आय के सापेक्ष		कुल राजस्व आय के सापेक्ष	
			वेतन व्यय अंश (प्रतिशत में)	पेंशन व्यय अंश (प्रतिशत में)	अन्य व्यय अंश (प्रतिशत में)	वेतन व्यय अंश (प्रतिशत में)	पेंशन व्यय अंश (प्रतिशत में)	वेतन व्यय अंश (प्रतिशत में)	पेंशन व्यय अंश (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2024–2025	17.89	5.25	76.86	944.51	276.96	18.54	5.44
	किच्छा	2023–2024	24.18	5.51	70.32	203.95	46.46	11.33	2.58
		2024–2025	14.73	2.58	82.70	442.92	77.44	11.55	2.02
	महुआखेड़ागंज	2023–2024	12.81	1.60	85.59	56.88	7.11	24.45	3.06
		2024–2025	18.40	2.17	79.43	138.65	16.33	9.92	1.17
	नगला	2023–2024	0.24	0.00	99.76	0.00	0.00	0.31	0.00
		2024–2025	6.51	0.00	93.49	1503.13	0.00	71.84	0.00
	सितारगंज	2023–2024	21.46	7.14	71.40	840.41	279.49	19.42	6.46
		2024–2025	16.33	4.76	78.91	916.94	267.26	18.96	5.53
उत्तरकाशी	बडकोट	2023–2024	50.21	0.60	49.19	503.95	5.98	22.41	0.27
		2024–2025	38.38	0.45	61.18	558.81	6.52	20.89	0.24
	चिन्यालीसौड	2023–2024	45.81	0.00	54.19	643.42	0.00	12.09	0.00
		2024–2025	34.01	0.00	65.99	642.61	0.00	14.43	0.00
	पुरोला	2023–2024	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–2025	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बाडाहाट	2023–2024	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–2025	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

तालिका 10.6 (क)

नगर पालिका परिषद् के स्वयं के स्रोतों से राजस्व आय के पूर्वानुमान (धनराशि लाख में)

जनपद	नगर पालिका परिषद्	2025–26			2026–27			2027–28		
		कर	करेत्तर	योग	कर	करेत्तर	योग	कर	करेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अल्मोड़ा	रानीखेत चिलियानौला	7.00	0.00	7.00	7.35	0.00	7.35	7.71	0.00	7.71
बागेश्वर	बागेश्वर	20.00	110.00	130.00	25.00	124.00	149.00	30.00	135.00	165.00
चमोली	गौचर	3.96	16.57	20.53	4.16	17.39	21.56	4.37	18.26	22.63
	गोपेश्वर	35.00	150.00	185.00	38.50	165.00	203.50	42.35	181.50	223.85
	जोशीमठ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कर्णप्रयाग	7.65	47.00	54.65	8.00	49.35	57.35	9.00	51.70	60.70
चम्पावत	चम्पावत	47.06	0.00	47.06	49.42	0.00	49.42	51.89	0.00	51.89
	लोहाघाट	20.00	36.00	56.00	20.50	36.50	57.00	20.60	37.50	58.10
	टनकपुर	20.40	0.00	20.40	21.50	0.00	21.50	23.15	0.00	23.15
देहरादून	डोईवाला	20.00	110.00	130.00	25.00	124.00	149.00	30.00	135.00	165.00
	हरबर्टपुर	195.79	271.54	467.34	199.81	276.42	476.23	203.45	281.40	484.85
	मसूरी	420.00	1,312.02	1,732.02	475.00	1404.12	1,879.12	530.00	1,499.33	2,029.33
	विकासनगर	82.20	67.29	149.49	95.43	75.37	170.79	104.97	84.41	189.38
हरिद्वार	लक्सर	0.00	39.50	39.50	0.00	48.51	48.51	0.00	57.15	57.15
	मंगलौर	157.00	27.00	184.00	164.00	30.00	194.00	173.00	32.00	205.00
	शिवालिक नगर	6.00	46.80	52.80	7.00	46.80	53.80	8.00	51.80	59.80
नैनीताल	भीमताल	20.00	110.00	130.00	25.00	124.00	149.00	30.00	135.00	165.00
	भवाली	18.43	0.00	18.43	20.43	0.00	20.43	24.42	0.00	24.42
	कालाढूंगी	8.80	60.77	69.57	8.80	66.77	75.57	9.24	72.77	82.01
	नैनीताल	205.00	635.00	840.00	220.50	650.00	870.50	230.50	662.00	892.50
	रामनगर	1,600.00	254.00	1,854.00	1760.00	278.60	2,038.60	1,930.00	307.26	2,237.26
पौड़ी	दुगड्डा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पौड़ी	117.00	74.00	191.00	119.00	75.00	194.00	120.50	75.50	196.00
पिथौरागढ़	बेरीनाग	30.50	43.10	73.60	32.80	43.60	76.40	34.50	44.10	78.60
	धारचूला	51.41	82.65	134.06	56.55	90.91	147.46	62.21	103.00	165.21
	डीडीहाट	39.38	0.00	39.38	40.43	0.00	40.43	41.49	0.00	41.49
	गंगोलीहाट	4.50	4.50	9.00	4.50	4.80	9.30	5.00	5.00	10.00
रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
टिहरी गढ़वाल	चम्बा	6.00	10.22	16.22	6.30	11.24	17.54	6.62	12.36	18.98
	देवप्रयाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	मुनिकीरेती–ढालवाला	82.05	0.00	82.05	84.05	0.00	84.05	88.05	0.00	88.05
	नरेन्द्र नगर	99.08	47.87	146.95	100.80	49.35	150.15	101.85	50.40	152.25
	टिहरी गढ़वाल	100.00	80.00	180.00	110.00	90.00	200.00	120.00	95.00	215.00
ऊधमसिंहनगर	बाजपुर	15.50	247.38	262.88	17.85	247.55	265.40	17.85	247.77	265.62
	गदरपुर	59.06	17.29	76.35	59.74	18.94	78.68	60.70	20.84	81.54
	जसपुर	164.10	6.62	170.72	166.10	6.72	172.82	168.10	6.72	174.82
	खटीमा	31.55	18.48	50.04	19.99	18.48	38.47	34.28	18.48	52.77
	किच्छा	212.41	145.57	357.98	223.03	156.02	379.05	234.18	167.47	401.65
	महुआखेड़ागंज	230.00	0.00	230.00	235.00	0.00	235.00	240.00	0.00	240.00
	नगला	4.00	8.00	12.00	4.20	8.40	12.60	4.40	8.90	13.30
	सितारगंज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तरकाशी	बडकोट	8.90	20.24	29.14	9.79	22.26	32.05	10.77	24.49	35.26
	चिन्यालीसौड	8.01	23.27	31.28	35.37	26.31	61.67	39.45	29.34	68.79
	पुरोला	3.73	19.51	23.24	4.10	21.47	25.56	4.51	23.61	28.12
	बाडाहाट	12.98	77.62	90.61	15.58	89.27	104.85	18.70	102.66	121.35

जनपद	नगर पालिका परिषद्	2028–29			2029–30			2030–31		
		कर	करेत्तर	योग	कर	करेत्तर	योग	कर	करेत्तर	योग
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
अल्मोड़ा	रानीखेत चिलियानौला	8.10	0.00	8.10	8.50	0.00	8.50	9.28	0.00	9.28
बागेश्वर	बागेश्वर	35.00	150.00	185.00	40.00	165.00	205.00	45.00	180.00	225.00
चमोली	गौचर	4.59	19.18	23.77	5.06	21.14	26.20	5.31	22.20	27.51
	गोपेश्वर	46.59	199.65	246.24	54.32	232.79	287.11	58.12	256.07	314.19
	जोशीमठ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कर्णप्रयाग	9.60	54.23	63.83	10.90	56.95	67.85	11.70	59.77	71.47
चम्पावत	चम्पावत	54.48	0.00	54.48	57.21	0.00	57.21	60.07	0.00	60.07
	लोहाघाट	20.80	38.00	58.80	22.00	38.50	60.50	26.00	40.00	66.00
	टनकपुर	24.80	0.00	24.80	29.20	0.00	29.20	33.00	0.00	33.00
देहरादून	डोईवाला	35.00	150.00	185.00	40.00	165.00	205.00	45.00	180.00	225.00
	हरबर्टपुर	207.52	287.03	494.54	211.67	292.77	504.43	215.90	298.62	514.53
	मसूरी	585.00	1,597.79	2,182.79	640.00	1,699.68	2,339.68	695.00	1,805.17	2,500.17
	विकासनगर	150.00	101.29	251.29	165.00	113.45	278.45	180.00	127.06	307.06
हरिद्वार	लक्सर	0.00	61.50	61.50	0.00	64.50	64.50	0.00	69.25	69.25
	मंगलौर	180.00	32.00	212.00	188.00	32.00	220.00	197.00	32.00	229.00
	शिवालिक नगर	9.00	57.80	66.80	10.00	64.30	74.30	11.00	71.30	82.30
नैनीताल	भीमताल	35.00	150.00	185.00	40.00	165.00	205.00	45.00	180.00	225.00
	भवाली	28.37	0.00	28.37	32.35	0.00	32.35	36.43	0.00	36.43
	कालाढूंगी	9.24	79.77	89.01	9.24	87.67	96.91	9.24	95.67	104.91
	नैनीताल	240.50	680.00	920.50	250.50	690.00	940.50	260.50	700.00	960.50
	रामनगर	2,120.00	337.98	2,457.98	2,330.00	371.78	2,701.78	2,560.00	408.66	2,968.66
पौड़ी	दुगड्डा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पौड़ी	122.00	76.00	198.00	123.50	76.50	200.00	125.00	77.00	202.00
पिथौरागढ़	बेरीनाग	36.50	44.40	80.90	38.50	44.80	83.30	40.50	45.20	85.70
	धारचूला	68.43	110.00	178.43	75.27	121.00	196.27	82.80	133.10	215.90
	डीडीहाट	42.47	0.00	42.47	43.60	0.00	43.60	44.63	0.00	44.63
	गंगोलीहाट	5.30	5.50	10.80	5.50	5.80	11.30	6.00	6.30	12.30
रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
टिहरी गढ़वाल	चम्बा	6.94	13.60	20.54	7.29	16.45	23.74	8.02	18.10	26.12
	देवप्रयाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मुनिकीरेती–ढालवाला	84.05	0.00	84.05	84.05	0.00	84.05	84.05	0.00	84.05
	नरेन्द्र नगर	102.90	51.45	154.35	105.00	52.50	157.50	107.10	53.55	160.65
	टिहरी गढ़वाल	130.00	100.00	230.00	140.00	110.00	250.00	150.00	120.00	270.00
ऊधमसिंह नगर	बाजपुर	17.85	248.07	265.92	30.93	248.22	279.15	30.93	248.57	279.49
	गदरपुर	61.95	22.92	84.87	63.52	25.22	88.74	65.46	27.74	93.20
	जसपुर	170.10	6.82	176.92	172.10	6.92	179.02	174.10	7.02	181.12
	खटीमा	35.85	20.61	56.46	37.58	20.61	58.19	39.49	20.61	60.09
	किच्छा	245.89	180.07	425.96	271.09	209.24	480.33	284.65	226.94	511.59

	महुआखेड़ागंज	245.00	0.00	245.00	245.00	0.00	245.00	250.00	0.00	250.00
	नगला	4.60	9.50	14.10	4.86	10.00	14.86	6.00	12.00	18.00
	सितारगंज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तरकाशी	बडकोट	11.85	26.94	38.78	13.03	29.63	42.66	14.34	32.59	46.93
	चिन्यालीसौड	43.53	32.38	75.90	47.61	38.45	86.05	54.41	40.47	94.88
	पुरोला	4.96	25.97	30.93	5.47	31.43	36.89	6.01	34.57	40.58
	बाडाहाट	21.50	123.19	144.69	2.47	141.66	144.14	28.44	162.91	191.35

तालिका 10.6 (ख)

नगर पालिका परिषद् के स्वयं के स्रोतों से राजस्व व्यय के पूर्वानुमान (धनराशि लाख में)

जनपद	नगर पालिका परिषद्	2025–26				2026–27				2027–28			
		वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अल्मोड़ा	रानीखेत चिलियानौला	103.48	1.52	13.25	118.25	124.18	1.90	13.95	140.03	136.60	2.40	19.45	158.45
बागेश्वर	बागेश्वर	354.62	95.18	186.40	636.20	390.08	104.70	205.03	699.81	429.08	115.17	225.51	769.76
चमोली	गौचर	177.86	6.47	84.63	268.96	186.75	6.79	88.86	282.40	196.09	7.13	93.30	296.52
	गोपेश्वर	460.00	50.00	88.90	598.90	487.60	75.00	95.77	658.37	516.86	60.00	103.29	680.15
	जोशीमठ	416.33	61.52	296.98	774.83	445.47	65.82	318.48	829.77	454.32	70.22	337.81	862.35
	कर्णप्रयाग	300.00	30.00	133.00	463.00	320.00	32.00	120.70	472.70	350.00	36.00	129.60	515.60
चम्पावत	चम्पावत	500.00	50.00	112.60	662.60	600.00	70.00	118.10	788.10	700.00	75.00	129.15	904.15
	लोहाघाट	200.00	18.00	530.06	748.06	250.00	19.80	556.36	826.16	275.00	21.78	608.37	905.15
	टनकपुर	6.50	5.00	12.70	24.20	7.50	6.00	15.55	29.05	8.00	7.00	18.40	33.40
देहरादून	डोईवाला	779.00	15.00	318.50	1,112.50	850.00	24.00	391.80	1,265.80	935.00	50.00	436.95	1,421.95
	हरबर्टपुर	266.65	45.00	49.58	361.23	308.95	51.00	40.20	400.15	355.00	58.00	46.32	459.32
	मसूरी	1,800.00	500.00	245.35	2,545.35	1,980.00	550.00	257.39	2,787.39	2,178.00	605.00	264.63	3,047.63
	विकासनगर	475.79	100.00	791.44	1,367.23	594.74	125.00	857.78	1,577.52	594.74	125.00	857.78	1,577.52
हरिद्वार	लक्सर	335.46	17.94	100.70	454.10	369.01	21.13	110.77	500.91	405.91	23.44	121.85	551.20
	मंगलौर	860.00	245.00	119.00	1,224.00	870.00	200.00	139.00	1,209.00	900.00	250.00	155.00	1,305.00
	शिवालिक नगर	331.10	0.00	170.10	501.20	331.10	0.00	200.12	531.22	331.10	0.00	237.15	568.25
नैनीताल	भीमताल	206.64	24.00	4.49	235.13	225.00	26.58	7.25	258.83	246.47	30.79	9.18	286.45
	भवाली	180.00	0.00	110.00	290.00	2.00	0.00	317.50	319.50	2.10	0.00	337.90	340.00
	कालाढूंगी	113.06	0.00	173.35	286.41	124.37	0.00	190.68	315.05	136.81	0.00	209.75	346.56
	नैनीताल	2,200.00	900.00	1,631.35	4,731.35	2,500.00	800.00	1,654.15	4,954.15	2,500.00	825.00	1,739.90	5,064.90
	रामनगर	695.00	500.00	1,151.80	2,346.80	1,000.00	1,000.00	762.07	2,762.07	1,100.00	1,100.00	844.36	3,044.36
पौड़ी	दुगड्डा	155.00	70.00	33.50	258.50	165.00	77.00	36.85	278.85	181.50	84.70	40.54	306.74
	पौड़ी	785.62	120.00	48.45	954.07	824.90	125.00	38.15	988.05	866.00	132.00	41.45	1,039.45
पिथौरागढ़	बेरीनाग	205.40	0.00	67.80	273.20	213.00	0.00	74.40	287.40	218.00	0.00	71.25	289.25
	धारचूला	274.66	32.42	41.42	348.50	302.12	35.66	45.56	383.34	332.34	39.23	50.11	421.68
	डीडीहाट	150.00	9.08	28.50	187.58	175.00	9.53	15.93	200.46	180.00	10.01	17.03	207.04
	गंगोलीहाट	72.01	0.00	283.15	355.16	75.00	0.00	371.50	446.50	85.50	0.00	465.10	550.60
रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	341.00	25.00	54.50	420.50	371.00	26.00	55.00	452.00	400.00	27.00	58.50	485.50
टिहरी गढ़वाल	चम्बा	218.00	0.00	77.85	295.85	261.60	0.00	93.41	355.01	313.92	0.00	112.10	426.02
	देवप्रयाग	168.72	27.29	69.27	265.28	185.60	30.02	80.84	296.45	213.44	36.02	98.16	347.62
	मुनिकीरेती–ढालवाला	135.00	50.00	62.00	247.00	160.00	51.00	63.10	274.10	170.00	52.00	64.00	286.00
	नरेन्द्र नगर	240.00	58.00	21.62	319.62	290.00	63.00	46.54	399.54	320.00	69.00	48.31	437.31
	टिहरी गढ़वाल	800.00	120.00	87.10	1,007.10	1,000.00	130.00	101.30	1,231.30	1,200.00	140.00	115.50	1,455.50
ऊधमसिंह नगर	बाजपुर	400.00	60.00	14.60	474.60	432.53	60.85	14.69	508.07	450.00	70.00	15.45	535.45
	गदरपुर	360.00	132.00	376.40	868.40	370.00	85.00	391.05	846.05	400.00	90.00	422.75	912.75
	जसपुर	693.00	253.00	719.95	1,665.95	762.30	278.30	791.84	1,832.44	838.53	306.13	870.88	2,015.54
	खटीमा	570.00	130.00	470.50	1,170.50	650.00	150.00	836.60	1,636.60	700.00	200.00	1,182.70	2,082.70
	किच्छा	652.17	80.00	76.84	809.01	717.39	88.00	84.52	889.91	789.13	96.80	92.97	978.90
	महुआखेड़ागंज	90.00	10.00	87.00	187.00	95.00	10.00	88.00	193.00	120.00	15.00	107.00	242.00
	नगला	60.00	0.00	86.24	146.24	84.00	0.00	53.34	137.34	90.00	0.00	59.40	149.40
	सितारगंज	396.00	91.62	62.49	550.11	435.60	100.79	68.73	605.12	479.16	110.86	75.61	665.63
उत्तरकाशी	बडकोट	248.03	7.43	54.30	309.76	620.08	8.91	18.36	647.35	1,550.20	10.69	21.11	1,582.01
	चिन्यालीसौड	144.99	0.00	263.62	408.61	181.23	0.00	329.53	510.76	271.85	0.00	494.29	766.14
	पुरोला	87.51	0.00	81.77	169.28	96.26	0.00	89.95	186.21	105.88	0.00	98.95	204.83
	बाडाहाट	757.93	100.00	190.52	1,048.45	90.95	120.00	237.93	448.88	104.59	125.00	281.17	510.76

जनपद	नगर पालिका परिषद्	2028–29				2029–30				2030–31			
		वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
अल्मोड़ा	रानीखेत चिलियानौला	163.92	2.80	22.90	189.62	196.70	3.20	27.35	227.25	236.04	4.50	55.75	296.29
बागेश्वर	बागेश्वर	471.98	126.68	248.02	846.68	519.17	139.34	272.81	931.32	571.08	153.27	300.07	1,024.42
चमोली	गौचर	205.89	7.49	97.97	311.35	216.19	7.86	102.87	326.92	227.00	8.26	108.01	343.26
	गोपेश्वर	558.20	68.00	110.94	737.14	597.28	85.00	118.92	801.20	621.17	90.00	127.60	838.77

जनपद	नगर पालिका परिषद्	2028–29				2029–30				2030–31			
		वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	जोशीमठ	465.25	75.26	350.80	891.31	470.86	79.12	377.84	927.82	526.87	98.74	485.31	1,110.92
	कर्णप्रयाग	400.00	40.00	136.50	576.50	420.00	44.00	147.10	611.10	450.00	48.00	162.80	660.80
चम्पावत	चम्पावत	850.00	80.00	142.75	1,072.75	1,000.00	90.00	159.95	1,249.95	1,200.00	100.00	172.25	1,472.25
	लोहाघाट	302.50	23.96	669.20	995.66	332.75	26.35	736.13	1,095.23	366.03	28.99	809.74	1,204.75
	टनकपुर	8.50	8.00	21.25	37.75	9.00	9.00	24.10	42.10	9.50	10.00	26.95	46.45
देहरादून	डोईवाला	1,028.00	60.00	494.10	1,582.10	1,130.00	70.00	539.25	1,739.25	1,250.00	100.00	598.90	1,948.90
	हरबर्टपुर	409.00	63.00	52.43	524.43	470.00	68.00	60.65	598.65	541.00	93.00	69.44	703.44
	मसूरी	2,395.80	665.50	282.10	3,343.40	2,635.38	732.05	288.80	3,656.23	2,898.92	805.26	300.79	4,004.96
	विकासनगर	654.21	137.50	930.12	1,721.83	719.63	151.25	1,009.03	1,879.91	791.59	166.38	1,095.11	2,053.08
हरिद्वार	लक्सर	446.50	30.89	133.30	610.69	491.15	35.48	147.44	674.07	540.26	40.23	162.17	742.66
	मंगलौर	950.00	270.00	181.00	1,401.00	1,000.00	275.00	186.00	1,461.00	1,050.00	280.00	211.00	1,541.00
	शिवालिक नगर	331.10	0.00	347.15	678.25	331.10	0.00	387.15	718.25	331.10	0.00	437.15	768.25
नैनीताल	भीमताल	267.95	35.01	11.24	314.20	289.42	39.23	13.49	342.14	310.89	43.44	15.95	370.29
	भवाली	2.15	0.00	357.85	360.00	2.30	0.00	387.70	390.00	230.00	0.00	187.00	417.00
	कालाढूंगी	150.49	0.00	230.72	381.21	165.54	0.00	253.80	419.34	182.09	0.00	279.18	461.27
	नैनीताल	2,550.00	850.00	1,760.10	5,160.10	2,550.00	875.00	1,773.35	5,198.35	2,600.00	900.00	1,791.10	5,291.10
	रामनगर	1,200.00	1,200.00	961.70	3,361.70	1,300.00	1,300.00	1,180.70	3,780.70	1,400.00	1,400.00	1,146.60	3,946.60
पौड़ी	दुगड्डा	195.65	93.17	48.59	337.41	219.62	102.49	49.05	371.15	241.58	112.74	53.95	408.26
	पौड़ी	910.00	139.00	45.25	1,094.25	954.92	146.00	49.65	1,150.57	1,002.67	153.00	54.45	1,210.12
पिथौरागढ़	बेरीनाग	220.00	0.00	72.45	292.45	225.00	0.00	85.60	310.60	225.00	0.00	82.90	307.90
	धारचूला	365.57	43.15	55.13	463.85	402.13	47.47	60.64	510.23	442.34	52.21	66.70	561.25
	डीडीहाट	182.00	10.51	18.18	210.69	185.00	11.04	19.41	215.45	195.00	11.59	20.68	227.27
	गंगोलीहाट	90.00	0.00	518.55	608.55	91.05	0.00	630.70	721.75	95.50	0.00	761.50	857.00
रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	430.00	28.00	66.00	524.00	460.00	29.00	68.50	557.50	500.00	30.00	76.00	606.00
टिहरी गढ़वाल	चम्बा	376.70	0.00	134.52	511.22	452.04	0.00	161.42	613.46	542.45	0.00	193.71	736.16
	देवप्रयाग	256.12	43.22	110.38	409.73	320.15	51.87	122.13	494.15	390.59	62.24	133.90	586.73
	मुनिकीरेती–ढालवाला	185.00	53.00	65.40	303.40	200.00	54.00	66.50	320.50	215.00	59.00	67.60	341.60
	नरेन्द्र नगर	352.00	75.50	54.78	482.28	385.00	81.00	57.40	523.40	430.00	89.00	32.72	551.72
	टिहरी गढ़वाल	1,300.00	150.00	129.70	1,579.70	1,400.00	160.00	143.90	1,703.90	1,500.00	170.00	158.05	1,828.05
ऊधमसिंह नगर	बाजपुर	485.63	70.25	15.86	571.74	500.00	70.50	16.23	586.73	525.52	70.85	16.70	613.07
	गदरपुर	430.00	92.00	452.00	974.00	445.00	95.00	459.20	999.20	460.00	98.00	502.30	1,060.30
	जसपुर	922.38	336.74	957.76	2,216.89	1,014.62	370.42	1,053.29	2,438.33	1,116.08	407.46	1,158.33	2,681.87
	खटीमा	750.00	250.00	1,528.80	2,528.80	800.00	300.00	1,874.90	2,974.90	850.00	350.00	2,221.00	3,421.00
	किच्छा	868.04	106.48	102.27	1,076.79	954.84	117.13	112.50	1,184.47	1,050.33	128.84	123.75	1,302.92
	महुआखेड़ागंज	150.00	15.00	124.00	289.00	160.00	20.00	134.00	314.00	160.00	20.00	118.00	298.00
	नगला	98.00	0.00	65.47	163.47	110.00	0.00	75.51	185.51	150.00	0.00	115.06	265.06
	सितारगंज	527.08	112.47	92.64	732.19	579.78	134.15	91.48	805.41	637.76	147.56	100.63	885.95
उत्तरकाशी	बड़कोट	3,875.51	12.83	24.29	3,912.63	9,688.78	15.40	27.96	9,732.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	चिन्यालीसौड़	475.74	0.00	865.00	1,340.74	951.47	0.00	1,730.01	2,681.48	2,140.81	0.00	3,892.52	6,033.33
	पुरोला	116.47	0.00	108.84	225.31	128.12	0.00	119.72	247.84	140.93	0.00	131.69	272.62
	बाड़ाहाट	120.28	130.00	308.41	558.69	138.32	135.00	350.56	623.88	159.07	140.00	381.90	680.97

10.27 शहरी स्थानीय निकायों की तीसरी श्रेणी टाउन काउंसिल, अर्थात् नगर पंचायतें हैं, जिनका गठन राज्य सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 थ के अंतर्गत ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्रों के लिए किया जाता है। वर्तमान में उत्तराखण्ड में कुल 51 नगर पंचायतें हैं, जिनमें से 48 निर्वाचित तथा 3 अनिर्वाचित हैं। ये अनिर्वाचित नगर पंचायतें बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री नगरों के लिए हैं, जहाँ इन्हीं नामों से प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल स्थित हैं। इन स्थानों पर तीर्थयात्राकाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसलिए वहाँ नागरिक सेवाओं एवं सुविधाओं की व्यवस्था केवल तीर्थयात्राकाल के दौरान ही करनी पड़ती है। आयोग द्वारा भेजे गए प्रश्नावली प्रारूपों से प्राप्त विवरणों के आधार पर नगर पंचायतों के आय एवं व्यय विवरण सहित वित्तीय स्थिति तालिका 10.7(क), 10.7(ख), 10.8(क) और 10.8(ख) में प्रस्तुत हैं। इनकी स्वयं के स्रोतों से आय तथा राजस्व व्यय के पूर्वानुमान तालिका 10.9(क) और 10.9(ख) में दिये गये हैं।

तालिका 10.7 (क)
नगर पंचायतों के आय विवरण (धनराशि लाख में)

जनपद	नगर पंचायत	वित्तीय वर्ष	करों से स्वयं की राजस्व आय	करों से भिन्न मदों से स्वयं की राजस्व आय	स्वयं की कुल राजस्व आय (3+4)	अनुदान			विधायक/ सांसद निधि व अन्य स्रोत से	कुल राजस्व आय	
						राज्य वित्त आयोग	केन्द्रीय वित्त आयोग	कुल अनुदान (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (6+9)	12 (6+9+10)
अल्मोड़ा	भिकियासैंण	2021-2022	4.31	5.43	9.74	75.00	21.59	96.59	0.00	106.33	106.33
		2022-2023	6.04	7.86	13.90	152.78	15.21	167.99	0.00	181.89	181.89
		2023-2024	6.68	8.65	15.32	190.73	31.15	221.88	0.00	237.20	237.20
		2024-2025	7.30	6.53	13.83	217.25	42.06	259.31	0.00	273.14	273.14
		2025-2026	4.00	10.00	14.00	250.00	50.00	300.00	0.00	314.00	314.00
	चौखुटिया	2021-2022	0.00	1.99	1.99	21.94	40.99	62.94	3.50	64.93	68.43
		2022-2023	0.13	2.48	2.61	152.78	15.52	168.30	12.34	170.91	183.25
		2023-2024	1.92	4.60	6.52	190.73	31.15	221.88	0.54	228.40	228.94
		2024-2025	2.17	4.45	6.62	217.25	34.75	252.00	32.10	258.62	290.71
		2025-2026	0.00	5.00	5.00	238.98	38.23	277.20	0.40	282.20	282.60
	द्वाराहाट	2021-2022	1.17	0.00	1.17	225.75	21.86	247.61	2.00	248.78	250.78
		2022-2023	0.94	0.00	0.94	228.03	16.51	244.54	2.70	245.48	248.18
		2023-2024	1.44	0.00	1.44	225.75	37.13	262.88	4.50	264.32	268.82
		2024-2025	1.02	0.00	1.02	243.95	48.07	292.02	0.00	293.04	293.04
		2025-2026	1.30	0.00	1.30	260.00	50.00	310.00	10.00	311.30	321.30
बागेश्वर	गरूड़	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00
		2023-2024	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00
		2024-2025	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00
	कपकोट	2021-2022	0.87	0.19	1.06	75.00	17.23	92.23	0.95	93.29	94.24
		2022-2023	3.19	0.98	4.17	142.78	22.60	165.38	182.81	169.55	352.36
		2023-2024	4.20	1.26	5.47	178.24	27.78	206.02	70.05	211.49	281.54
		2024-2025	4.36	9.95	14.31	203.01	30.73	233.74	24.54	248.05	272.59
		2025-2026	6.60	12.36	18.96	253.00	42.00	295.00	15.00	313.96	328.96
चमोली	बद्रीनाथ	2021-2022	13.85	44.40	58.24	100.00	0.00	100.00	11.00	158.24	169.24
		2022-2023	100.19	243.86	344.05	200.00	0.00	200.00	112.50	544.05	656.55
		2023-2024	160.19	250.57	410.76	200.00	0.00	200.00	25.00	610.76	635.76
		2024-2025	145.10	198.02	343.11	200.00	0.00	200.00	16.79	543.11	559.90
		2025-2026	170.00	85.00	255.00	200.00	0.00	200.00	30.00	455.00	485.00
	गैरसैण	2021-2022	0.42	7.24	7.66	182.50	55.10	237.60	0.00	245.26	245.26
		2022-2023	1.13	8.12	9.25	332.93	68.76	401.69	0.00	410.94	410.94
		2023-2024	1.24	7.40	8.64	894.96	69.63	964.59	0.00	973.23	973.23
		2024-2025	1.79	7.01	8.80	495.86	69.73	565.59	0.00	574.39	574.39
		2025-2026	4.50	7.76	12.26	460.00	75.00	535.00	0.00	547.26	547.26
	नन्दानगर	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नन्दप्रयाग	2021-2022	0.83	9.80	10.63	176.50	31.54	208.04	2.50	218.67	221.17
		2022-2023	0.50	12.76	13.26	215.91	18.50	234.41	9.00	247.67	256.67
		2023-2024	0.78	12.03	12.81	269.53	46.56	316.09	38.58	328.90	367.48
		2024-2025	0.85	13.02	13.87	307.00	35.19	342.19	7.49	356.06	363.54
		2025-2026	0.90	6.00	6.90	350.00	50.00	400.00	15.00	406.90	421.90
	पीपलकोटी	2021-2022	1.68	1.93	3.61	75.00	23.02	98.02	6.48	101.63	108.11
		2022-2023	5.55	2.43	7.98	229.13	19.72	248.85	60.37	256.83	317.21
		2023-2024	6.97	3.86	10.83	286.06	49.25	335.31	55.82	346.14	401.96
		2024-2025	11.40	5.79	17.19	325.79	65.74	391.53	27.03	408.72	435.75
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	345.20	80.75	425.95	15.40	425.95	441.35
	पोखरी	2021-2022	3.87	13.36	17.22	75.00	0.00	75.00	172.30	92.22	264.52

जनपद	नगर पंचायत	वित्तीय वर्ष	करों से स्वयं की राजस्व आय	करों से भिन्न मदों से स्वयं की राजस्व आय	स्वयं की कुल राजस्व आय (3+4)	अनुदान			विधायक/ सांसद निधि व अन्य स्रोत से	कुल राजस्व आय	
						राज्य वित्त आयोग	केन्द्रीय वित्त आयोग	कुल अनुदान (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (6+9)	12 (6+9+10)
		2022-2023	3.87	14.40	18.27	230.54	0.00	230.54	164.11	248.81	412.92
		2023-2024	3.87	11.74	15.61	268.39	0.00	268.39	125.28	284.00	409.28
		2024-2025	4.00	13.75	17.75	305.67	0.00	305.67	50.00	323.42	373.42
		2025-2026	4.00	16.00	20.00	325.00	0.00	325.00	50.00	345.00	395.00
	थराली	2021-2022	1.10	0.09	1.19	75.00	75.00	150.00	3.80	151.19	154.99
		2022-2023	0.76	0.02	0.78	132.57	38.97	171.54	1.78	172.32	174.10
		2023-2024	2.48	0.00	2.48	218.77	36.25	255.02	0.00	257.50	257.50
		2024-2025	2.35	0.00	2.35	229.51	0.00	229.51	0.00	231.86	231.86
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00
चम्पावत	बनबसा	2021-2022	0.00	16.14	16.14	75.00	32.48	107.48	93.00	123.62	216.62
		2022-2023	0.00	17.76	17.76	154.82	16.89	171.71	0.00	189.47	189.47
		2023-2024	8.56	15.12	23.68	193.29	30.00	223.29	92.94	246.97	339.91
		2024-2025	9.94	13.79	23.74	220.14	33.24	253.38	0.00	277.12	277.12
		2025-2026	11.00	16.00	27.00	250.00	50.00	300.00	102.00	327.00	429.00
	पाटी	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
देहरादून	सेलाकुई	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हरिद्वार	सुल्तानपुर अदमपुर	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	0.00	2.41	2.41	125.00	13.85	138.85	43.03	141.26	184.29
		2023-2024	0.02	14.15	14.17	100.00	55.41	155.41	221.99	169.58	391.57
		2024-2025	0.03	14.51	14.54	100.00	40.49	140.49	23.14	155.03	178.17
		2025-2026	0.03	15.96	15.99	100.00	121.47	221.47	0.00	237.46	237.46
	भगवानपुर	2021-2022	1.52	9.61	11.13	101.60	104.00	205.60	0.00	216.73	216.73
		2022-2023	4.53	20.77	25.30	398.82	73.84	472.66	0.00	497.96	497.96
		2023-2024	18.68	10.90	29.58	497.43	101.89	599.32	0.00	628.90	628.90
		2024-2025	14.56	11.74	26.30	566.41	84.72	651.13	28.33	677.43	705.76
		2025-2026	20.00	16.00	36.00	600.50	100.00	700.50	50.00	736.50	786.50
	ढंढेरा	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	0.00	0.00	0.00	100.25	0.00	100.25	0.00	100.25	100.25
		2023-2024	0.00	0.00	0.00	100.00	98.24	198.24	0.00	198.24	198.24
		2024-2025	0.00	0.00	0.00	100.00	34.55	134.55	0.00	134.55	134.55
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	100.00	100.15	200.15	0.00	200.15	200.15
	इमलीखेडा	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	5.44	5.44	10.88	125.00	50.78	175.78	12.29	186.66	198.95
		2023-2024	11.79	10.20	21.99	100.00	29.86	129.86	268.03	151.85	419.88
		2024-2025	20.73	13.92	34.65	100.00	0.00	100.00	166.67	134.65	301.32
		2025-2026	25.54	8.00	33.54	100.00	119.44	219.44	279.00	252.98	531.98
	झबरेडा	2021-2022	14.40	28.37	42.77	448.94	47.92	496.86	225.20	539.63	764.83
		2022-2023	13.81	41.10	54.91	505.79	34.96	540.75	68.69	595.66	664.35
		2023-2024	16.08	26.12	42.20	697.26	73.87	771.13	201.33	813.33	1,014.66
		2024-2025	15.62	28.98	44.60	718.14	75.05	793.19	0.42	837.79	838.21
		2025-2026	16.00	26.00	42.00	720.00	75.10	795.10	100.00	837.10	937.10
	लण्ढौरा	2021-2022	11.93	36.14	48.07	566.12	110.10	676.22	0.00	724.29	724.29
		2022-2023	12.60	50.08	62.68	632.09	117.40	749.49	0.00	812.17	812.17
		2023-2024	4.73	24.61	29.34	789.13	147.69	936.82	0.00	966.16	966.16
		2024-2025	16.24	54.14	70.39	898.74	155.40	1,054.14	0.00	1,124.53	1,124.53
		2025-2026	18.36	35.41	53.77	963.79	163.50	1,127.29	0.00	1,181.06	1,181.06

जनपद	नगर पंचायत	वित्तीय वर्ष	करों से स्वयं की राजस्व आय	करों से भिन्न मदों से स्वयं की राजस्व आय	स्वयं की कुल राजस्व आय (3+4)	अनुदान			विधायक/ सांसद निधि व अन्य स्रोत से	कुल राजस्व आय	
						राज्य वित्त आयोग	केन्द्रीय वित्त आयोग	कुल अनुदान (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (6+9)	12 (6+9+10)
	पाण्डली गुर्जर	2021-2022	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15.07	15.07
		2022-2023	11.02	6.51	17.53	125.00	46.71	171.71	0.00	189.24	189.24
		2023-2024	12.97	6.65	19.62	100.00	54.66	154.66	0.00	174.28	174.28
		2024-2025	17.76	3.01	20.77	100.00	0.00	100.00	0.00	120.77	120.77
		2025-2026	19.50	0.00	19.50	100.00	0.00	100.00	0.00	119.50	119.50
	पिरान कलियर	2021-2022	2.26	0.96	3.22	75.00	58.95	133.95	0.00	137.17	137.17
		2022-2023	6.06	1.86	7.92	448.16	60.67	508.83	0.00	516.75	516.75
		2023-2024	12.39	10.00	22.39	500.00	121.34	621.34	0.00	643.73	643.73
		2024-2025	12.24	6.56	18.80	636.39	130.23	766.62	0.00	785.42	785.42
		2025-2026	0.00	10.00	10.00	700.00	150.00	850.00	0.00	860.00	860.00
	रामपुर	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84	5.84	34.83	5.84	40.67
		2023-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	58.37	58.37	11.14	58.37	69.51
		2024-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	68.21	68.21	0.00	68.21	68.21
		2025-2026	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
नैनीताल	लालकुंआ	2021-2022	10.15	9.38	19.52	372.60	33.35	405.95	0.89	425.47	426.36
		2022-2023	8.64	22.97	31.62	376.36	24.49	400.85	83.50	432.47	515.97
		2023-2024	12.47	34.43	46.90	408.94	52.37	461.31	138.48	508.21	646.69
		2024-2025	9.17	49.96	59.13	465.77	53.25	519.02	1.83	578.15	579.98
		2025-2026	12.50	50.53	63.03	503.03	61.24	564.27	152.33	627.30	779.63
पौड़ी	सतपुली	2021-2022	0.27	0.87	1.14	75.00	21.69	96.69	2.49	97.83	100.32
		2022-2023	0.36	1.23	1.58	166.00	16.78	182.78	4.53	184.36	188.89
		2023-2024	0.10	0.00	0.10	208.00	38.68	246.68	0.00	246.78	246.78
		2024-2025	0.11	0.00	0.11	237.00	26.87	263.87	0.00	263.98	263.98
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	253.00	32.00	285.00	0.00	285.00	285.00
	स्वर्णाश्रम जौंक	2021-2022	4.83	4.29	9.12	75.00	23.31	98.31	0.00	107.43	107.43
		2022-2023	3.89	5.07	8.95	447.59	23.40	470.99	0.18	479.94	480.12
		2023-2024	9.94	18.01	27.95	528.02	69.01	597.03	0.00	624.98	624.98
		2024-2025	6.92	4.98	11.90	554.06	87.51	641.57	0.00	653.47	653.47
		2025-2026	9.47	0.00	9.47	587.18	95.00	682.18	0.00	691.65	691.65
	थलीसैण	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	0.00	0.00	0.00	125.00	18.06	143.06	0.00	143.06	143.06
		2023-2024	0.00	0.00	0.00	100.00	16.42	116.42	0.00	116.42	116.42
		2024-2025	0.00	0.00	0.00	100.00	11.18	111.18	0.00	111.18	111.18
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	200.00	30.00	230.00	0.00	230.00	230.00
पिथौरागढ़	मुन्स्यारी	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	14.11	0.00	14.11	14.11
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	2021-2022	8.20	29.27	37.47	79.90	20.23	100.13	36.28	137.60	173.88
		2022-2023	0.07	20.44	20.50	249.55	33.39	282.94	68.60	303.44	372.04
		2023-2024	4.75	24.65	29.40	309.27	67.94	377.21	5.92	406.61	412.53
		2024-2025	3.04	35.03	38.07	409.85	67.42	477.27	106.82	515.34	622.16
		2025-2026	4.00	37.00	41.00	409.85	67.42	477.27	150.00	518.27	668.27
	गुप्तकाशी	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केदारनाथ	2021-2022	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	14.60	50.00	64.60
		2022-2023	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	5.59	200.00	205.59
		2023-2024	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	2.34	200.00	202.34
		2024-2025	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.33	200.00	200.33

जनपद	नगर पंचायत	वित्तीय वर्ष	करों से स्वयं की राजस्व आय	करों से भिन्न मदों से स्वयं की राजस्व आय	स्वयं की कुल राजस्व आय (3+4)	अनुदान			विधायक/ सांसद निधि व अन्य स्रोत से	कुल राजस्व आय	
						राज्य वित्त आयोग	केन्द्रीय वित्त आयोग	कुल अनुदान (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (6+9)	12 (6+9+10)
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00
	तिलवाड़ा	2021-2022	0.00	0.00	0.00	99.68	0.00	99.68	0.00	99.68	99.68
		2022-2023	0.00	0.00	0.00	15.34	15.59	30.92	0.00	30.92	30.92
		2023-2024	0.00	0.00	0.00	191.07	23.84	214.91	0.00	214.91	214.91
		2024-2025	0.00	0.00	0.00	217.58	1.36	218.94	0.00	218.94	218.94
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	240.00	25.00	265.00	1.00	265.00	266.00
	ऊखीमठ	2021-2022	2.78	0.42	3.19	79.60	22.61	102.21	0.00	105.40	105.40
		2022-2023	2.38	0.44	2.82	253.90	18.94	272.84	0.00	275.66	275.66
		2023-2024	2.09	0.61	2.70	293.82	31.88	325.70	0.00	328.40	328.40
		2024-2025	2.48	0.78	3.26	327.82	0.00	327.82	0.00	331.08	331.08
		2025-2026	3.00	0.00	3.00	351.08	0.00	351.08	0.00	354.08	354.08
टिहरी गढ़वाल	चमियाला	2021-2022	0.00	1.89	1.89	75.00	31.32	106.32	71.19	108.21	179.40
		2022-2023	0.00	1.99	1.99	153.15	29.86	183.01	138.80	185.00	323.80
		2023-2024	0.19	2.26	2.45	191.20	0.00	191.20	87.77	193.65	281.42
		2024-2025	0.60	5.03	5.63	217.73	0.00	217.73	9.33	223.36	232.69
		2025-2026	0.80	6.00	6.80	250.00	35.00	285.00	36.00	291.80	327.80
	गजा	2021-2022	0.03	2.04	2.07	75.00	21.59	96.59	7.90	98.66	106.56
		2022-2023	0.05	2.40	2.45	145.18	14.84	160.02	18.15	162.47	180.62
		2023-2024	0.08	2.85	2.93	181.26	29.13	210.39	84.54	213.32	297.86
		2024-2025	0.04	3.44	3.48	206.40	23.59	229.99	134.12	233.47	367.59
		2025-2026	0.10	3.75	3.85	250.00	25.00	275.00	86.65	278.85	365.50
	'घनसाली	2021-2022	0.00	1.96	1.96	81.85	47.34	129.19	5.92	131.15	137.07
		2022-2023	0.00	2.99	2.99	222.88	43.28	266.16	5.01	269.15	274.16
		2023-2024	0.77	4.26	5.03	278.24	0.00	278.24	1.04	283.27	284.31
		2024-2025	1.56	5.15	6.71	316.87	0.00	316.87	0.63	323.58	324.21
		2025-2026	1.80	7.00	8.80	320.00	45.00	365.00	5.45	373.80	379.25
	कीर्तिनगर	2021-2022	5.29	6.22	11.51	198.25	21.84	220.09	11.37	231.60	242.97
		2022-2023	4.86	8.22	13.09	222.23	19.44	241.67	25.43	254.76	280.19
		2023-2024	21.65	6.96	28.61	277.06	52.29	329.35	72.81	357.96	430.77
		2024-2025	7.87	14.93	22.80	315.17	52.87	368.04	23.60	390.84	414.44
		2025-2026	24.31	18.00	42.31	350.00	58.16	408.16	20.00	450.47	470.47
	लम्बगांव	2021-2022	0.00	0.85	0.85	75.00	21.59	96.59	0.00	97.44	97.44
		2022-2023	0.00	0.41	0.41	209.91	15.21	225.12	0.00	225.52	225.52
		2023-2024	0.00	0.91	0.91	194.32	23.84	218.16	0.00	219.07	219.07
		2024-2025	0.15	0.73	0.89	217.25	0.00	217.25	24.72	218.14	242.86
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	243.77	0.00	243.77	0.00	243.77	243.77
	तपोवन	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	3.76	11.39	15.14	125.00	4.98	129.98	142.79	145.12	287.91
		2023-2024	11.58	20.74	32.32	100.00	25.77	125.77	1.54	158.09	159.63
		2024-2025	35.02	20.28	55.30	100.00	8.83	108.83	18.38	164.13	182.51
		2025-2026	50.00	40.00	90.00	100.00	30.00	130.00	30.00	220.00	250.00
ऊधमसिंह नगर	दिनेशपुर	2021-2022	15.66	8.13	23.79	616.73	51.52	668.25	43.01	692.04	735.05
		2022-2023	12.71	3.86	16.57	407.73	37.93	445.66	25.49	462.23	487.71
		2023-2024	9.45	4.28	13.73	402.97	81.14	484.11	103.92	497.84	601.76
		2024-2025	20.60	4.71	25.31	458.95	99.62	558.57	82.24	583.88	666.12
		2025-2026	22.66	5.18	27.84	504.85	114.56	619.41	500.00	647.25	1,147.25
	गढ़ीनेगी	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	गुलरभोज	2021-2022	0.00	6.81	6.81	82.10	42.70	124.80	0.00	131.61	131.61
		2022-2023	0.00	10.29	10.29	175.19	32.78	207.97	33.63	218.26	251.89
		2023-2024	2.73	12.00	14.73	229.05	0.00	229.05	39.94	243.78	283.72

जनपद	नगर पंचायत	वित्तीय वर्ष	करों से स्वयं की राजस्व आय	करों से भिन्न मदों से स्वयं की राजस्व आय	स्वयं की कुल राजस्व आय (3+4)	अनुदान			विधायक/ सांसद निधि व अन्य स्रोत से	कुल राजस्व आय	
						राज्य वित्त आयोग	केन्द्रीय वित्त आयोग	कुल अनुदान (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (6+9)	12 (6+9+10)
		2024-2025	2.73	12.93	15.66	249.07	0.00	249.07	112.04	264.73	376.77
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	150.00	280.00	430.00
	केलाखेडा	2021-2022	5.78	16.59	22.37	352.42	47.35	399.77	9.30	422.14	431.44
		2022-2023	3.32	19.33	22.65	355.98	34.83	390.81	24.14	413.46	437.60
		2023-2024	6.91	28.15	35.06	383.32	58.16	441.48	116.46	476.54	593.00
		2024-2025	7.75	20.24	27.99	436.58	75.18	511.76	0.42	539.75	540.17
		2025-2026	18.00	28.15	46.15	436.58	91.47	528.05	0.42	574.20	574.62
	लालपुर	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	0.00	0.00	0.00	125.00	12.46	137.46	10.00	137.46	147.46
		2023-2024	0.00	0.00	0.00	100.00	12.46	112.46	0.00	112.46	112.46
		2024-2025	0.00	0.00	0.00	100.00	14.67	114.67	0.00	114.67	114.67
		2025-2026	12.00	0.00	12.00	100.00	0.00	100.00	0.00	112.00	112.00
	महुवाडाबरा	2021-2022	1.20	1.78	2.98	296.42	0.00	296.42	140.91	299.40	440.31
		2022-2023	3.75	2.19	5.94	296.67	45.62	342.29	1.50	348.23	349.73
		2023-2024	1.39	11.35	12.74	294.05	53.60	347.65	101.91	360.39	462.30
		2024-2025	2.06	11.58	13.64	294.29	68.54	362.83	0.00	376.47	376.47
		2025-2026	2.17	11.87	14.04	338.43	78.82	417.25	0.00	431.29	431.29
	नानकमत्ता	2021-2022	0.00	4.15	4.15	86.40	37.35	123.75	5.44	127.90	133.34
		2022-2023	4.08	9.13	13.21	250.93	23.96	274.89	103.28	288.10	391.38
		2023-2024	4.01	62.00	66.01	503.26	41.10	544.36	0.00	610.37	610.37
		2024-2025	3.45	15.85	19.30	398.96	45.57	444.53	0.00	463.83	463.83
		2025-2026	5.00	18.50	23.50	460.00	55.00	515.00	0.00	538.50	538.50
	शक्तिगढ	2021-2022	6.90	30.34	37.24	140.48	14.00	154.48	5.45	191.72	197.17
		2022-2023	6.99	11.44	18.43	141.60	246.01	387.61	3.95	406.04	409.99
		2023-2024	7.03	11.80	18.83	280.45	106.51	386.96	2.23	405.79	408.02
		2024-2025	7.00	12.00	19.00	251.45	120.00	371.45	5.00	390.45	395.45
		2025-2026	7.50	13.00	20.50	265.00	120.00	385.00	5.00	405.50	410.50
	सुल्तानपुर पट्टी	2021-2022	0.62	2.18	2.80	261.20	49.42	310.62	13.08	313.42	326.49
		2022-2023	0.80	25.60	26.39	323.50	31.63	355.13	13.86	381.53	395.39
		2023-2024	2.10	33.51	35.61	317.45	68.10	385.55	51.50	421.16	472.66
		2024-2025	1.38	37.36	38.73	375.69	91.64	467.33	141.94	506.06	648.00
		2025-2026	0.37	11.90	12.27	400.00	120.00	520.00	330.34	532.27	862.61
उत्तरकाशी	गंगोत्री	2021-2022	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00
		2022-2023	0.36	41.69	42.05	200.00	0.00	200.00	0.00	242.05	242.05
		2023-2024	0.17	47.57	47.74	200.00	0.00	200.00	25.57	247.74	273.31
		2024-2025	0.06	47.64	47.70	200.00	0.00	200.00	17.59	247.70	265.29
		2025-2026	0.18	62.35	62.53	200.00	0.00	200.00	0.34	262.53	262.87
	नौगांव	2021-2022	1.41	0.50	1.91	75.00	23.39	98.39	0.00	100.30	100.30
		2022-2023	4.75	1.00	5.75	162.72	10.03	172.75	0.00	178.50	178.50
		2023-2024	3.74	1.74	5.48	203.17	21.40	224.57	0.00	230.05	230.05
		2024-2025	9.13	3.75	12.88	231.33	55.75	287.08	0.00	299.96	299.96
		2025-2026	10.04	0.00	10.04	254.46	61.33	315.79	0.00	325.83	325.83

तालिका 10.7 (ख)
नगर पंचायत के आय विवरण (प्रतिशत अंश में)

जनपद	नगर पंचायत	वित्तीय वर्ष	कुल राजस्व (विधायक निधि आदि को छोड़कर) के सापेक्ष					स्वयं के कुल राजस्व के सापेक्ष	
			स्वयं के कर से राजस्व आय अंश (प्रतिशत में)	करेत्तर राजस्व (प्रतिशत में)	स्वयं का कुल राजस्व अंश (प्रतिशत में)	राज्य वित्त आयोग अनुदान अंश (प्रतिशत में)	केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान अंश (प्रतिशत में)	स्वयं का कर राजस्व अंश (प्रतिशत में)	स्वयं का करेत्तर राजस्व अंश (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अल्मोड़ा	भिकियासैंण	2023–24	2.82	3.65	6.46	80.41	13.13	43.60	56.46
		2024–25	2.67	2.39	5.06	79.54	15.40	52.78	47.22

जनपद	नगर पंचायत	वित्तीय वर्ष	कुल राजस्व (विधायक निधि आदि को छोड़कर) के सापेक्ष					स्वयं के कुल राजस्व के सापेक्ष	
			स्वयं के कर से राजस्व आय अंश (प्रतिशत में)	करेत्तर राजस्व (प्रतिशत में)	स्वयं का कुल राजस्व अंश (प्रतिशत में)	राज्य वित्त आयोग अनुदान अंश (प्रतिशत में)	केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान अंश (प्रतिशत में)	स्वयं का कर राजस्व अंश (प्रतिशत में)	स्वयं का करेत्तर राजस्व अंश (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	चौखुटिया	2023–24	0.84	2.01	2.85	83.51	13.64	29.45	70.55
		2024–25	0.84	1.72	2.56	84.00	13.44	32.78	67.22
	द्वाराहाट	2023–24	0.54	0.00	0.54	85.41	14.05	100.00	0.00
		2024–25	0.35	0.00	0.35	83.25	16.40	100.00	0.00
बागेश्वर	गरूड़	2023–24	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		2024–25	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	कपकोट	2023–24	1.99	0.60	2.59	84.28	13.14	76.78	23.03
		2024–25	1.76	4.01	5.77	81.84	12.39	30.47	69.53
चमोली	बद्रीनाथ	2023–24	26.23	41.03	67.25	32.75	0.00	39.00	61.00
		2024–25	26.72	36.46	63.18	36.82	0.00	42.29	57.71
	गैरसैण	2023–24	0.13	0.76	0.89	91.96	7.15	14.35	85.65
		2024–25	0.31	1.22	1.53	86.33	12.14	20.34	79.66
	नन्दानगर	2023–24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नन्दप्रयाग	2023–24	0.24	3.66	3.89	81.95	14.16	6.09	93.91
		2024–25	0.24	3.66	3.90	86.22	9.88	6.13	93.87
	पीपलकोटी	2023–24	2.01	1.12	3.13	82.64	14.23	64.36	35.64
		2024–25	2.79	1.42	4.21	79.71	16.08	66.32	33.68
	पोखरी	2023–24	1.36	4.13	5.50	94.50	0.00	24.79	75.21
		2024–25	1.24	4.25	5.49	94.51	0.00	22.54	77.46
	थराली	2023–24	0.96	0.00	0.96	84.96	14.08	100.00	0.00
		2024–25	1.01	0.00	1.01	98.99	0.00	100.00	0.00
चम्पावत	बनबसा	2023–24	3.47	6.12	9.59	78.26	12.15	36.15	63.85
		2024–25	3.59	4.98	8.57	79.44	11.99	41.87	58.09
	पाटी	2023–24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
देहरादून	सेलाकुई	2023–24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हरिद्वार	सुल्तानपुर अदमपुर	2023–24	0.01	8.34	8.36	58.97	32.67	0.14	99.86
		2024–25	0.02	9.36	9.38	64.50	26.12	0.21	99.79
	भगवानपुर	2023–24	2.97	1.73	4.70	79.10	16.20	63.15	36.85
		2024–25	2.15	1.73	3.88	83.61	12.51	55.36	44.64
	नगर पंचायत, ढंढेरा	2023–24	0.00	0.00	0.00	50.44	49.56	0.00	0.00
		2024–25	0.00	0.00	0.00	74.32	25.68	0.00	0.00
	इमलीखेडा	2023–24	7.76	6.72	14.48	65.85	19.66	53.62	46.38
		2024–25	15.40	10.34	25.73	74.27	0.00	59.83	40.17
	झबरेडा	2023–24	1.98	3.21	5.19	85.73	9.08	38.10	61.90
		2024–25	1.86	3.46	5.32	85.72	8.96	35.02	64.98
	लण्ढौरा	2023–24	0.49	2.55	3.04	81.68	15.29	16.12	83.88
		2024–25	1.44	4.81	6.26	79.92	13.82	23.07	76.91
	पाण्डली गुर्जर	2023–24	7.44	3.82	11.26	57.38	31.36	66.11	33.89
		2024–25	14.71	2.49	17.20	82.80	0.00	85.51	14.49
	पिरान कलियर	2023–24	1.92	1.55	3.48	77.67	18.85	55.34	44.66
		2024–25	1.56	0.84	2.39	81.03	16.58	65.11	34.89
	रामपुर	2023–24	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		2024–25	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
नैनीताल	लालकुंआ	2023–24	2.45	6.77	9.23	80.47	10.30	26.59	73.41
		2024–25	1.59	8.64	10.23	80.56	9.21	15.51	84.49
पौड़ी	सतपुली	2023–24	0.04	0.00	0.04	84.29	15.67	100.00	0.00
		2024–25	0.04	0.00	0.04	89.78	10.18	100.00	0.00
	स्वर्णाश्रम जौंक	2023–24	1.59	2.88	4.47	84.49	11.04	35.56	64.44
		2024–25	1.06	0.76	1.82	84.79	13.39	58.15	41.85
	थलीसैण	2023–24	0.00	0.00	0.00	85.90	14.10	0.00	0.00
		2024–25	0.00	0.00	0.00	89.94	10.06	0.00	0.00
पिथौरागढ़	नगर पंचायत, मुन्स्यारी	2023–24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

जनपद	नगर पंचायत	वित्तीय वर्ष	कुल राजस्व (विधायक निधि आदि को छोड़कर) के सापेक्ष					स्वयं के कुल राजस्व के सापेक्ष	
			स्वयं के कर से राजस्व आय अंश (प्रतिशत में)	करेत्तर राजस्व (प्रतिशत में)	स्वयं का कुल राजस्व अंश (प्रतिशत में)	राज्य वित्त आयोग अनुदान अंश (प्रतिशत में)	केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान अंश (प्रतिशत में)	स्वयं का कर राजस्व अंश (प्रतिशत में)	स्वयं का करेत्तर राजस्व अंश (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	2023–24	1.17	6.06	7.23	76.06	16.71	16.16	83.84
		2024–25	0.59	6.80	7.39	79.53	13.08	7.99	92.01
	गुप्तकाशी	2023–24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केदारनाथ	2023–24	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		2024–25	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	तिलवाड़ा	2023–24	0.00	0.00	0.00	88.91	11.09	0.00	0.00
		2024–25	0.00	0.00	0.00	99.38	0.62	0.00	0.00
	ऊखीमठ	2023–24	0.64	0.19	0.82	89.47	9.71	77.41	22.59
		2024–25	0.75	0.24	0.98	99.02	0.00	76.07	23.93
टिहरी गढ़वाल	चमियाला	2023–24	0.10	1.17	1.27	98.73	0.00	0.10	1.17
		2024–25	0.27	2.25	2.52	97.48	0.00	10.66	89.34
	गजा	2023–24	0.04	1.34	1.37	84.97	13.66	2.73	97.27
		2024–25	0.02	1.47	1.49	88.41	10.10	1.15	98.85
	घनसाली	2023–24	0.27	1.50	1.78	98.22	0.00	15.31	84.69
		2024–25	0.48	1.59	2.07	97.93	0.00	23.25	76.75
	कीर्तिनगर	2023–24	6.05	1.94	7.99	77.40	14.61	75.67	24.33
		2024–25	2.01	3.82	5.83	80.64	13.53	34.52	65.48
	लम्बगांव	2023–24	0.00	0.42	0.42	88.70	10.88	0.00	100.00
		2024–25	0.07	0.33	0.41	99.59	0.00	16.85	82.02
	तपोवन	2023–24	7.32	13.12	20.44	63.26	16.30	35.83	64.17
		2024–25	21.34	12.36	33.69	60.93	5.38	63.33	36.67
ऊधमसिंह नगर	दिनेशपुर	2023–24	1.90	0.86	2.76	80.94	16.30	68.83	31.17
		2024–25	3.53	0.81	4.33	78.60	17.06	81.39	18.61
	गढ़ीनेगी	2023–24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	गुलरभोज	2023–24	1.12	4.92	6.04	93.96	0.00	18.53	81.47
		2024–25	1.03	4.88	5.92	94.08	0.00	17.43	82.57
	केलाखेडा	2023–24	1.45	5.91	7.36	80.44	12.20	19.71	80.29
		2024–25	1.44	3.75	5.19	80.89	13.93	27.69	72.31
	लालपुर	2023–24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	महुवाडाबरा	2023–24	0.39	3.15	3.54	81.59	14.87	10.91	89.09
		2024–25	0.55	3.08	3.62	78.17	18.21	15.10	84.90
	नानकमत्ता	2023–24	0.66	10.16	10.81	82.45	6.73	6.07	93.93
		2024–25	0.74	3.33	4.16	86.01	9.82	17.88	82.12
	शक्तिगढ	2023–24	1.73	2.91	4.64	69.11	26.25	37.33	62.67
		2024–25	1.79	3.07	4.87	64.40	30.73	36.84	63.16
	सुल्तानपुर पट्टी	2023–24	0.50	7.96	8.46	75.38	16.17	5.90	94.10
		2024–25	0.27	7.38	7.65	74.24	18.11	3.56	96.46
उत्तरकाशी	गंगोत्री	2023–24	0.07	19.20	19.27	80.73	0.00	0.36	99.64
		2024–25	0.02	19.23	19.26	80.74	0.00	0.13	99.87
	नौगांव	2023–24	1.63	0.76	2.38	88.32	9.30	68.25	31.75
		2024–25	3.04	1.25	4.29	77.12	18.59	70.89	29.11

तालिका 10.8 (क)

नगर पंचायत के व्यय का विवरण (धनराशि लाख में)

जनपद	नगर पंचायत	वित्तीय वर्ष	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल राजस्व व्यय	कुल स्वयं की राजस्व आय	कुल राजस्व आय (विधायक निधि आदि से राजस्व आय छोड़कर)	कुल पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2	3	1	4	5	6	7	8	9	10	11
अल्मोड़ा	भिकियासैंण	2021-2022	40.50	0.00	13.91	54.41	9.74	106.33	0.00	54.41
		2022-2023	41.51	0.00	23.26	64.77	13.90	181.89	0.00	64.77
		2023-2024	51.20	0.00	54.47	105.67	15.32	237.20	0.00	105.67

जनपद	नगर पंचायत	वित्तीय वर्ष	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल राजस्व व्यय	कुल स्वयं की राजस्व आय	कुल राजस्व आय (विधायक निधि आदि से राजस्व आय छोड़कर)	कुल पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2	3	1	4	5	6	7	8	9	10	11
		2024-2025	86.24	0.00	99.05	185.29	13.83	273.14	0.00	185.29
		2025-2026	103.48	0.00	113.25	216.73	14.00	314.00	0.00	216.73
	चौखुटिया	2021-2022	0.00	0.00	76.97	76.97	1.99	64.93	1.74	78.71
		2022-2023	0.00	0.00	111.86	111.86	2.61	170.91	24.80	136.66
		2023-2024	0.00	0.00	91.85	91.85	6.52	228.40	35.67	127.52
		2024-2025	0.00	0.00	108.55	108.55	6.62	258.62	58.47	167.02
		2025-2026	0.00	0.00	127.70	127.70	5.00	282.20	80.00	207.70
	द्वाराहाट	2021-2022	37.37	37.67	231.82	306.86	1.17	248.78	0.00	306.86
		2022-2023	79.94	10.73	289.56	380.22	0.94	245.48	0.00	380.22
		2023-2024	89.47	49.14	61.02	199.63	1.44	264.32	0.00	199.63
		2024-2025	119.17	12.06	41.33	172.56	1.02	293.04	0.00	172.56
		2025-2026	12.30	12.50	117.62	142.42	1.30	311.30	0.00	142.42
बागेश्वर	गरूड़	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
		2023-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		2024-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	कपकोट	2021-2022	48.65	0.00	8.59	57.24	1.06	93.29	80.33	137.57
		2022-2023	71.84	0.00	90.60	162.44	4.17	169.55	89.88	252.32
		2023-2024	71.98	0.00	57.66	129.64	5.47	211.49	99.66	229.30
		2024-2025	88.96	0.00	30.64	119.60	14.31	248.05	124.62	244.22
		2025-2026	123.00	0.00	72.00	195.00	18.96	313.96	182.48	377.48
चमोली	बद्रीनाथ	2021-2022	57.29	1.60	252.94	311.83	58.24	158.24	0.00	311.83
		2022-2023	98.24	1.72	249.28	349.25	344.05	544.05	0.00	349.25
		2023-2024	133.95	1.85	424.79	560.58	410.76	610.76	0.00	560.58
		2024-2025	171.74	1.94	229.78	403.46	343.11	543.11	0.00	403.46
		2025-2026	180.00	2.00	394.74	576.74	255.00	455.00	0.00	576.74
	गैरसैण	2021-2022	46.97	0.00	42.56	89.53	7.66	245.26	162.47	252.00
		2022-2023	78.64	0.00	60.63	139.27	9.25	410.94	175.36	314.63
		2023-2024	77.71	0.00	124.89	202.60	8.64	973.23	742.71	945.31
		2024-2025	88.51	0.00	86.51	175.02	8.80	574.39	374.46	549.48
		2025-2026	94.95	0.00	103.50	198.45	12.26	547.26	490.00	688.45
	नन्दानगर	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नन्दप्रयाग	2021-2022	78.15	3.62	185.53	267.31	10.63	218.67	5.50	272.81
		2022-2023	99.85	3.13	134.87	237.85	13.26	247.67	2.66	240.52
		2023-2024	113.73	3.88	194.33	311.94	12.81	328.90	0.00	311.94
		2024-2025	114.53	6.84	146.70	268.08	13.87	356.06	0.00	268.08
		2025-2026	120.00	7.00	185.00	312.00	6.90	406.90	5.00	317.00
	पीपलकोटी	2021-2022	49.36	0.00	261.68	311.04	3.61	101.63	3.00	314.04
		2022-2023	64.38	0.00	330.22	394.60	7.98	256.83	0.00	394.60
		2023-2024	83.29	0.00	386.55	469.84	10.83	346.14	9.20	479.04
		2024-2025	72.57	0.00	481.31	553.88	17.19	408.72	0.00	553.88
		2025-2026	75.74	0.00	569.44	645.18	0.00	425.95	0.00	645.18
	पोखरी	2021-2022	47.29	0.00	53.73	101.02	17.22	92.22	266.89	367.91
		2022-2023	67.66	0.00	41.55	109.21	18.27	248.81	156.90	266.11
		2023-2024	62.14	0.00	89.32	151.46	15.61	284.00	208.73	360.19
		2024-2025	63.39	0.00	91.10	154.49	17.75	323.42	212.90	367.39
		2025-2026	66.56	0.00	95.66	162.22	20.00	345.00	223.55	385.77
	थराली	2021-2022	52.07	0.00	4.10	56.17	1.19	151.19	0.00	56.17
		2022-2023	66.57	0.00	4.52	71.09	0.78	172.32	0.00	71.09
		2023-2024	92.66	0.00	8.95	101.61	2.48	257.50	0.00	101.61
		2024-2025	106.87	0.00	0.00	106.87	2.35	231.86	0.00	106.87
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
चम्पावत	बनबसा	2021-2022	1.70	0.00	74.95	76.65	16.14	123.62	60.38	137.03
		2022-2023	2.06	0.00	166.89	168.95	17.76	189.47	29.86	198.81
		2023-2024	2.38	0.00	184.22	186.60	23.68	246.97	120.05	306.65
		2024-2025	2.78	0.00	223.11	225.89	23.74	277.12	71.71	297.60
		2025-2026	3.11	0.00	361.80	364.91	27.00	327.00	127.00	491.91

जनपद	नगर पंचायत	वित्तीय वर्ष	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल राजस्व व्यय	कुल स्वयं की राजस्व आय	कुल राजस्व आय (विधायक निधि आदि से राजस्व आय छोड़कर)	कुल पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2	3	1	4	5	6	7	8	9	10	11
	पाटी	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
देहरादून	सेलाकुई	2021-2022	3.55	0.72	7.10	11.37	0.00	0.00	0.00	11.37
		2022-2023	8.65	1.24	1.01	10.89	0.00	0.00	0.00	10.89
		2023-2024	14.15	1.27	1.35	16.77	0.00	0.00	0.00	16.77
		2024-2025	13.29	1.36	1.18	15.82	0.00	0.00	0.00	15.82
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हरिद्वार	सुल्तानपुर अदमपुर	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	0.00	0.00	143.20	143.20	2.41	141.26	33.54	176.74
		2023-2024	0.00	0.00	117.52	117.52	14.17	169.58	0.00	117.52
		2024-2025	0.00	0.00	115.86	115.86	14.54	155.03	20.94	136.80
		2025-2026	0.00	0.00	127.45	127.45	15.99	237.46	0.00	127.45
	भगवानपुर	2021-2022	0.00	0.00	209.99	209.99	11.13	216.73	0.00	209.99
		2022-2023	54.29	0.00	638.24	692.53	25.30	497.96	159.89	852.41
		2023-2024	50.18	0.00	612.27	662.45	29.58	628.90	0.00	662.45
		2024-2025	35.59	0.00	628.09	663.68	26.30	677.43	76.24	739.92
		2025-2026	40.00	0.00	727.95	767.95	36.00	736.50	500.00	1,267.95
	ढंढेरा	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.25	0.00	0.00
		2023-2024	0.00	0.00	3.09	3.09	0.00	198.24	2.50	5.59
		2024-2025	84.11	0.00	7.24	91.35	0.00	134.55	0.00	91.35
		2025-2026	90.00	0.00	20.80	110.80	0.00	200.15	0.00	110.80
	इमलीखेडा	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	0.00	0.00	137.81	137.81	10.88	186.66	0.00	137.81
		2023-2024	0.00	0.00	136.04	136.04	21.99	151.85	9.27	145.31
		2024-2025	7.58	0.00	201.81	209.39	34.65	134.65	33.37	242.76
		2025-2026	18.00	0.00	234.99	252.99	33.54	252.98	40.00	292.99
	झबरेडा	2021-2022	142.85	6.79	208.60	358.25	42.77	539.63	310.84	669.09
		2022-2023	180.87	6.70	257.42	445.00	54.91	595.66	189.45	634.45
		2023-2024	207.27	43.47	186.71	437.45	42.20	813.33	320.07	757.52
		2024-2025	181.70	9.96	205.44	397.10	44.60	837.79	65.99	463.09
		2025-2026	190.00	10.50	286.35	486.85	42.00	837.10	400.00	886.85
	लण्ढौरा	2021-2022	153.66	0.00	32.40	186.06	48.07	724.29	0.00	186.06
		2022-2023	167.91	0.00	46.15	214.06	62.68	812.17	0.00	214.06
		2023-2024	211.10	0.00	81.62	292.72	29.34	966.16	0.00	292.72
		2024-2025	299.78	0.00	81.79	381.57	70.39	1,124.53	0.00	381.57
		2025-2026	320.00	0.00	71.95	391.95	53.77	1,181.06	0.00	391.95
	पाण्डली गुर्जर	2021-2022	0.00	0.00	24.16	24.16	15.07	15.07	0.00	24.16
		2022-2023	0.00	0.00	226.87	226.87	17.53	189.24	0.00	226.87
		2023-2024	0.00	0.00	353.17	353.17	19.62	174.28	0.00	353.17
		2024-2025	0.00	0.00	158.22	158.22	20.77	120.77	0.00	158.22
		2025-2026	0.00	0.00	114.02	114.02	19.50	119.50	0.00	114.02
	पिरान कलियर	2021-2022	101.00	0.00	96.81	197.81	3.22	137.17	0.00	197.81
		2022-2023	119.46	0.00	74.84	194.30	7.92	516.75	0.00	194.30
		2023-2024	151.50	0.00	88.07	239.57	22.39	643.73	0.00	239.57
		2024-2025	152.43	0.00	55.43	207.86	18.80	785.42	0.00	207.86
		2025-2026	169.50	0.00	262.00	431.50	10.00	860.00	0.00	431.50
	रामपुर	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	45.41	0.00	56.59	102.00	0.00	5.84	0.00	102.00
		2023-2024	82.47	0.00	139.04	221.51	0.00	58.37	37.54	259.05
		2024-2025	106.00	0.00	143.06	249.06	0.00	68.21	27.97	277.03
		2025-2026	120.00	0.00	184.70	304.70	5.00	5.00	0.00	304.70
नैनीताल	लालकुंआ	2021-2022	108.86	24.44	177.40	310.70	19.52	425.47	46.81	357.51
		2022-2023	59.03	31.46	362.05	452.53	31.62	432.47	35.01	487.54
		2023-2024	111.08	34.30	182.50	327.88	46.90	508.21	36.83	364.70
		2024-2025	118.43	37.79	262.77	418.99	59.13	578.15	51.21	470.20
		2025-2026	136.19	43.46	302.19	481.84	63.03	627.30	57.87	539.71
पौड़ी	सतपुली	2021-2022	38.44	0.00	67.18	105.62	1.14	97.83	0.00	105.62
		2022-2023	30.47	0.00	86.52	116.99	1.58	184.36	0.00	116.99

जनपद	नगर पंचायत	वित्तीय वर्ष	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल राजस्व व्यय	कुल स्वयं की राजस्व आय	कुल राजस्व आय (विधायक निधि आदि से राजस्व आय छोड़कर)	कुल पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2	3	1	4	5	6	7	8	9	10	11
		2023-2024	57.59	0.00	70.05	127.64	0.10	246.78	0.00	127.64
		2024-2025	64.56	0.00	77.51	142.07	0.11	263.98	0.00	142.07
		2025-2026	67.00	0.00	81.28	148.28	0.00	285.00	0.00	148.28
	स्वर्णाश्रम जौंक	2021-2022	134.50	0.00	151.40	285.90	9.12	107.43	0.00	285.90
		2022-2023	148.83	0.00	207.85	356.68	8.95	479.94	11.47	368.15
		2023-2024	196.76	0.00	407.64	604.40	27.95	624.98	19.57	623.97
		2024-2025	20.14	0.00	234.41	254.55	11.90	653.47	28.24	282.78
		2025-2026	20.85	0.00	265.70	286.55	9.47	691.65	58.78	345.34
	थलीसैण	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	48.57	0.00	81.21	129.78	0.00	143.06	0.00	129.78
		2023-2024	74.02	0.00	153.16	227.18	0.00	116.42	0.00	227.18
		2024-2025	71.72	0.00	177.85	249.57	0.00	111.18	22.84	272.41
		2025-2026	75.00	0.00	182.70	257.70	0.00	230.00	25.00	282.70
पिथौरागढ़	मुन्स्यारी	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	0.00	0.00
		2025-2026	0.00	0.00	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	182.70
रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	2021-2022	61.88	0.00	222.99	284.87	37.47	137.60	0.00	284.87
		2022-2023	72.62	0.00	359.52	432.14	20.50	303.44	0.00	432.14
		2023-2024	75.16	0.00	439.65	514.81	29.40	406.61	0.00	514.81
		2024-2025	93.09	0.00	499.75	592.84	38.07	515.34	0.00	592.84
		2025-2026	100.00	0.00	1,106.48	1,206.48	41.00	518.27	0.00	1,206.48
	गुप्तकाशी	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केदारनाथ	2021-2022	29.21	1.36	32.61	63.19	0.00	50.00	0.00	63.19
		2022-2023	59.42	1.54	102.56	163.52	0.00	200.00	11.25	174.77
		2023-2024	101.97	2.56	126.86	231.39	0.00	200.00	0.00	231.39
		2024-2025	88.61	4.19	117.36	210.16	0.00	200.00	0.00	210.16
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	तिलवाड़ा	2021-2022	38.16	0.00	429.27	467.43	0.00	99.68	0.00	467.43
		2022-2023	65.45	0.00	169.28	234.73	0.00	30.92	0.00	234.73
		2023-2024	76.14	0.00	635.19	711.33	0.00	214.91	0.00	711.33
		2024-2025	82.52	0.00	140.46	222.98	0.00	218.94	0.00	222.98
		2025-2026	90.00	0.00	774.98	864.98	0.00	265.00	0.00	864.98
	ऊखीमठ	2021-2022	55.87	0.00	178.16	234.03	3.19	105.40	0.00	234.03
		2022-2023	58.84	0.00	193.74	252.58	2.82	275.66	0.00	252.58
		2023-2024	67.12	0.00	185.06	252.18	2.70	328.40	0.00	252.18
		2024-2025	68.56	0.00	289.55	358.11	3.26	331.08	0.00	358.11
		2025-2026	75.76	0.00	304.08	379.84	3.00	354.08	0.00	379.84
टिहरी गढ़वाल	चमियाला	2021-2022	67.20	0.00	123.93	191.13	1.89	108.21	40.10	231.23
		2022-2023	93.25	0.00	190.04	283.29	1.99	185.00	82.86	366.15
		2023-2024	99.47	0.00	205.63	305.10	2.45	193.65	76.31	381.41
		2024-2025	124.22	0.00	198.98	323.20	5.63	223.36	58.22	381.42
		2025-2026	13.00	0.00	231.68	244.68	6.80	291.80	162.50	407.18
	गजा	2021-2022	0.00	0.00	93.12	93.12	2.07	98.66	0.00	93.12
		2022-2023	0.00	0.00	254.56	254.56	2.45	162.47	60.41	314.97
		2023-2024	0.00	0.00	263.37	263.37	2.93	213.32	15.22	278.58
		2024-2025	0.00	0.00	304.53	304.53	3.48	233.47	20.35	324.88
		2025-2026	0.00	0.00	704.20	704.20	3.85	278.85	100.00	804.20
	घनसाली	2021-2022	37.27	0.00	225.92	263.19	1.96	131.15	48.79	311.98
		2022-2023	27.83	0.00	253.58	281.41	2.99	269.15	51.80	333.22
		2023-2024	48.63	0.00	265.63	314.26	5.03	283.27	5.93	320.19
		2024-2025	117.40	0.00	1,130.97	1,248.37	6.71	323.58	1.76	1,250.13
		2025-2026	122.00	0.00	402.25	524.25	8.80	373.80	2.00	526.25
	कीर्तिनगर	2021-2022	86.99	21.73	540.57	649.29	11.51	231.60	31.20	680.49
		2022-2023	89.67	21.67	568.71	680.05	13.09	254.76	50.42	730.47
		2023-2024	119.09	20.33	527.40	666.83	28.61	357.96	38.99	705.82
		2024-2025	118.08	25.32	642.91	786.31	22.80	390.84	31.47	817.78

जनपद	नगर पंचायत	वित्तीय वर्ष	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल राजस्व व्यय	कुल स्वयं की राजस्व आय	कुल राजस्व आय (विधायक निधि आदि से राजस्व आय छोड़कर)	कुल पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2	3	1	4	5	6	7	8	9	10	11
		2025-2026	145.00	40.00	840.70	1,025.70	42.31	450.47	45.04	1,070.74
	लम्बगांव	2021-2022	31.33	0.00	56.16	87.49	0.85	97.44	42.17	129.66
		2022-2023	39.91	0.00	9.86	49.77	0.41	225.52	63.15	112.93
		2023-2024	57.80	0.00	75.64	133.44	0.91	219.07	35.05	168.48
		2024-2025	52.35	4.23	46.91	103.49	0.89	218.14	0.00	103.49
		2025-2026	57.58	0.00	51.61	109.19	0.00	243.77	0.00	109.19
	तपोवन	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	33.54	0.00	58.78	92.32	15.14	145.12	33.47	125.79
		2023-2024	81.55	0.00	163.59	245.14	32.32	158.09	17.82	262.96
		2024-2025	102.16	0.00	63.06	165.22	55.30	164.13	30.64	195.86
		2025-2026	120.00	5.00	362.70	487.70	90.00	220.00	60.00	547.70
ऊधमसिंह नगर	दिनेशपुर	2021-2022	97.90	16.47	131.40	245.77	23.79	692.04	134.25	380.02
		2022-2023	110.47	29.67	227.81	367.94	16.57	462.23	0.00	367.94
		2023-2024	159.45	30.84	90.78	281.07	13.73	497.84	0.00	281.07
		2024-2025	138.93	32.49	162.20	333.62	25.31	583.88	0.00	333.62
		2025-2026	250.00	65.00	964.20	1,279.20	27.84	647.25	0.00	1,279.20
	गढ़ीनेगी	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	गुलरभोज	2021-2022	0.00	0.00	139.17	139.17	6.81	131.61	0.00	139.17
		2022-2023	0.00	0.00	239.19	239.19	10.29	218.26	0.00	239.19
		2023-2024	0.00	0.00	212.39	212.39	14.73	243.78	0.00	212.39
		2024-2025	0.00	0.00	1,272.80	1,272.80	15.66	264.73	0.00	1,272.80
		2025-2026	0.00	0.00	287.37	287.37	0.00	280.00	0.00	287.37
	केलाखेडा	2021-2022	0.00	0.00	180.58	180.58	22.37	422.14	191.29	371.88
		2022-2023	0.00	0.00	188.68	188.68	22.65	413.46	311.96	500.63
		2023-2024	0.00	0.00	192.46	192.46	35.06	476.54	233.89	426.35
		2024-2025	0.00	0.00	237.71	237.71	27.99	539.75	266.40	504.10
		2025-2026	0.00	0.00	372.00	372.00	46.15	574.20	250.96	622.96
	लालपुर	2021-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-2023	33.47	0.00	50.75	84.22	0.00	137.46	0.00	84.22
		2023-2024	66.97	0.00	125.36	192.33	0.00	112.46	0.00	192.33
		2024-2025	67.57	0.00	78.26	145.83	0.00	114.67	0.00	145.83
		2025-2026	78.00	0.00	146.33	224.33	12.00	112.00	590.00	814.33
	महुवाडाबरा	2021-2022	129.06	4.22	140.17	273.45	2.98	299.40	427.68	701.14
		2022-2023	229.54	4.71	137.34	371.59	5.94	348.23	165.18	536.77
		2023-2024	84.02	6.40	287.88	378.31	12.74	360.39	624.08	1,002.39
		2024-2025	248.25	2.05	96.64	346.94	13.64	376.47	143.73	490.67
		2025-2026	285.49	2.36	111.13	398.98	14.04	431.29	165.29	564.26
	नानकमत्ता	2021-2022	65.46	0.00	26.20	91.66	4.15	127.90	152.95	244.61
		2022-2023	114.68	0.00	43.02	157.70	13.21	288.10	214.01	371.71
		2023-2024	134.49	0.00	38.51	173.00	66.01	610.37	179.97	352.97
		2024-2025	145.88	0.00	85.52	231.40	19.30	463.83	277.73	509.14
		2025-2026	150.00	0.00	86.50	236.50	23.50	538.50	287.00	523.50
	शक्तिगढ	2021-2022	68.36	0.92	33.80	103.08	37.24	191.72	51.24	154.32
		2022-2023	66.01	5.59	106.62	178.22	18.43	406.04	247.51	425.73
		2023-2024	90.53	5.33	152.23	248.09	18.83	405.79	179.77	427.86
		2024-2025	100.00	6.00	137.10	243.10	19.00	390.45	160.00	403.10
		2025-2026	110.00	6.50	155.00	271.50	20.50	405.50	165.00	436.50
	सुल्तानपुर पट्टी	2021-2022	148.77	14.44	52.26	215.47	2.80	313.42	0.00	215.47
		2022-2023	178.03	2.87	50.79	231.69	26.39	381.53	0.00	231.69
		2023-2024	162.30	33.27	61.39	256.95	35.61	421.16	0.00	256.95
		2024-2025	178.52	36.59	82.50	297.62	38.73	506.06	0.00	297.62
		2025-2026	205.30	42.08	94.87	342.26	12.27	532.27	0.00	342.26
उत्तरकाशी	गंगोत्री	2021-2022	17.06	0.00	43.07	60.13	0.00	50.00	11.85	71.99
		2022-2023	21.33	0.00	101.00	122.33	42.05	242.05	47.75	170.08
		2023-2024	5.27	0.00	123.30	128.57	47.74	247.74	102.66	231.23
		2024-2025	8.24	0.00	112.96	121.20	47.70	247.70	151.82	273.02
		2025-2026	0.00	0.00	137.49	137.49	62.53	262.53	121.65	259.14
	नौगांव	2021-2022	0.00	0.00	170.72	170.72	1.91	100.30	0.00	170.72

जनपद	नगर पंचायत	वित्तीय वर्ष	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल राजस्व व्यय	कुल स्वयं की राजस्व आय	कुल राजस्व आय (विधायक निधि आदि से राजस्व आय छोड़कर)	कुल पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2	3	1	4	5	6	7	8	9	10	11
		2022-2023	0.00	0.00	190.46	190.46	5.75	178.50	0.00	190.46
		2023-2024	0.00	0.00	242.35	242.35	5.48	230.05	0.00	242.35
		2024-2025	0.00	0.00	255.49	255.49	12.88	299.96	18.83	274.31
		2025-2026	0.00	0.00	281.25	281.25	10.04	325.83	0.00	281.25

तालिका 10.8 (ख)

नगर पंचायत के राजस्व व्यय विवरण (प्रतिशत अंश में)

जनपद	नगर पंचायत	वित्तिय वर्ष	कुल राजस्व व्यय के सापेक्ष			कुल स्वयं की राजस्व आय के सापेक्ष		कुल राजस्व आय के सापेक्ष	
			वेतन व्यय अंश (प्रतिशत में)	पेंशन व्यय अंश (प्रतिशत में)	अन्य व्यय अंश (प्रतिशत में)	वेतन व्यय अंश (प्रतिशत में)	पेंशन व्यय अंश (प्रतिशत में)	वेतन व्यय अंश (प्रतिशत में)	पेंशन व्यय अंश (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अल्मोड़ा	भिकियासैंण	2023–2024	48.45	0.00	51.55	334.20	0.00	21.59	0.00
		2024–2025	46.54	0.00	53.46	623.57	0.00	31.57	0.00
	चौखुटिया	2023–2024	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–2025	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	द्वाराहाट	2023–2024	44.82	24.62	30.57	6213.19	3412.50	33.85	18.59
		2024–2025	69.06	6.99	23.95	11683.33	1182.35	40.67	4.12
बागेश्वर	गरूड़	2023–2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कपकोट	2023–2024	55.52	0.00	44.48	1315.90	0.00	34.03	0.00
		2024–2025	74.38	0.00	25.62	621.66	0.00	35.86	0.00
चमोली	बद्रीनाथ	2023–2024	23.89	0.33	75.78	32.61	0.45	21.93	0.30
		2024–2025	42.57	0.48	56.95	50.05	0.57	31.62	0.36
	गैरसैण	2023–2024	38.36	0.00	61.64	899.42	0.00	7.98	0.00
		2024–2025	50.57	0.00	49.43	1005.80	0.00	15.41	0.00
	नन्दानगर	2023–2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नन्दप्रयाग	2023–2024	36.46	1.24	62.30	887.82	30.29	34.58	1.18
		2024–2025	42.72	2.55	54.72	825.74	49.32	32.17	1.92
	पीपलकोटी	2023–2024	17.73	0.00	82.27	769.07	0.00	24.06	0.00
		2024–2025	13.10	0.00	86.90	422.16	0.00	17.76	0.00
	पोखरी	2023–2024	41.03	0.00	58.97	398.08	0.00	21.88	0.00
		2024–2025	41.03	0.00	58.97	357.13	0.00	19.60	0.00
	थराली	2023–2024	91.19	0.00	8.81	3736.29	0.00	35.98	0.00
		2024–2025	100.00	0.00	0.00	4547.66	0.00	46.09	0.00
चम्पावत	बनबसा	2023–2024	1.28	0.00	98.72	10.05	0.00	0.96	0.00
		2024–2025	1.23	0.00	98.77	11.71	0.00	1.00	0.00
	पाटी	2023–2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
देहरादून	सेलाकुई	2023–2024	84.38	7.57	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–2025	84.01	8.60	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
हरिद्वार	सुल्तानपुर अदमपुर	2023–2024	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–2025	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	भगवानपुर	2023–2024	7.57	0.00	92.43	169.64	0.00	94.94	0.00
		2024–2025	5.36	0.00	94.64	135.32	0.00	5.25	0.00
	ढंढेरा	2023–2024	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–2025	92.07	0.00	7.93	0.00	0.00	62.51	0.00
	इमलीखेडा	2023–2024	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–2025	3.62	0.00	96.38	21.88	0.00	5.63	0.00
	झबरेडा	2023–2024	47.38	9.94	42.68	491.16	103.01	25.48	5.34
		2024–2025	45.76	2.51	51.74	407.40	22.33	21.69	1.19

जनपद	नगर पंचायत	वित्तिय वर्ष	कुल राजस्व व्यय के सापेक्ष			कुल स्वयं की राजस्व आय के सापेक्ष		कुल राजस्व आय के सापेक्ष	
			वेतन व्यय अंश (प्रतिशत में)	पेंशन व्यय अंश (प्रतिशत में)	अन्य व्यय अंश (प्रतिशत में)	वेतन व्यय अंश (प्रतिशत में)	पेंशन व्यय अंश (प्रतिशत में)	वेतन व्यय अंश (प्रतिशत में)	पेंशन व्यय अंश (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	लण्ढौरा	2023–2024	72.12	0.00	27.88	719.50	0.00	21.85	0.00
		2024–2025	78.56	0.00	21.44	425.88	0.00	26.66	0.00
	पाण्डली गुर्जर	2023–2024	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–2025	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पिरान कलियर	2023–2024	63.24	0.00	36.76	676.64	0.00	23.53	0.00
		2024–2025	73.33	0.00	26.67	810.80	0.00	19.41	0.00
	रामपुर	2023–2024	37.23	0.00	62.77	0.00	0.00	141.29	0.00
		2024–2025	42.56	0.00	57.44	0.00	0.00	155.40	0.00
नैनीताल	लालकुंआ	2023–2024	33.88	10.46	55.66	236.84	73.13	21.86	6.75
		2024–2025	28.27	9.02	62.72	200.29	63.91	20.48	6.54
पौड़ी	सतपुली	2023–2024	45.12	0.00	54.88	57590.00	0.00	23.34	0.00
		2024–2025	45.44	0.00	54.56	58690.91	0.00	24.46	0.00
	स्वर्णाश्रम जौंक	2023–2024	32.55	0.00	67.45	703.97	0.00	31.48	0.00
		2024–2025	7.91	0.00	92.09	169.24	0.00	3.08	0.00
	थलीसैण	2023–2024	32.58	0.00	67.42	0.00	0.00	63.58	0.00
		2024–2025	28.74	0.00	71.26	0.00	0.00	44.55	0.00
पिथौरागढ़	मुन्स्यारी	2023–2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	2023–2024	14.60	0.00	85.40	255.65	0.00	18.48	0.00
		2024–2025	15.70	0.00	84.30	244.52	0.00	18.06	0.00
	गुप्तकाशी	2023–2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केदारनाथ	2023–2024	44.07	1.11	54.83	0.00	0.00	50.99	1.28
		2024–2025	42.16	1.99	55.84	0.00	0.00	44.31	2.10
	तिलवाड़ा	2023–2024	10.70	0.00	89.30	0.00	0.00	35.43	0.00
		2024–2025	37.01	0.00	62.99	0.00	0.00	37.69	0.00
	ऊखीमठ	2023–2024	26.62	0.00	73.38	2485.93	0.00	20.44	0.00
		2024–2025	19.14	0.00	80.86	2103.07	0.00	20.71	0.00
टिहरी गढ़वाल	चमियाला	2023–2024	32.60	0.00	67.40	4060.00	0.00	63.47	0.00
		2024–2025	38.43	0.00	61.57	2206.39	0.00	55.61	0.00
	गजा	2023–2024	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–2025	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	घनसाली	2023–2024	15.47	0.00	84.53	966.80	0.00	17.17	0.00
		2024–2025	9.40	0.00	90.60	1749.63	0.00	36.28	0.00
	कीर्तिनगर	2023–2024	17.86	3.05	79.09	416.25	71.06	33.27	5.68
		2024–2025	15.02	3.22	81.76	517.89	111.05	30.21	6.48
	लम्बगांव	2023–2024	43.32	0.00	56.68	6351.65	0.00	26.38	0.00
		2024–2025	50.58	4.09	45.33	5882.02	475.28	24.00	1.94
	तपोवन	2023–2024	33.27	0.00	66.73	252.32	0.00	51.58	0.00
		2024–2025	61.83	0.00	38.17	184.74	0.00	62.24	0.00
ऊधमसिंह नगर	दिनेशपुर	2023–2024	56.73	10.97	32.30	1161.33	224.62	32.03	6.19
		2024–2025	41.64	9.74	48.62	548.91	128.37	23.79	5.56
	गढ़ीनेगी	2023–2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	गुलरभोज	2023–2024	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–2025	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केलाखेडा	2023–2024	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–2025	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	लालपुर	2023–2024	34.82	0.00	65.18	0.00	0.00	59.55	0.00
		2024–2025	46.33	0.00	53.67	0.00	0.00	58.93	0.00
	महुवाडाबरा	2023–2024	22.21	1.69	76.10	659.50	50.24	23.31	1.78
		2024–2025	71.55	0.59	27.85	1820.01	15.03	65.94	0.54

जनपद	नगर पंचायत	वित्तिय वर्ष	कुल राजस्व व्यय के सापेक्ष			कुल स्वयं की राजस्व आय के सापेक्ष		कुल राजस्व आय के सापेक्ष	
			वेतन व्यय अंश (प्रतिशत में)	पेंशन व्यय अंश (प्रतिशत में)	अन्य व्यय अंश (प्रतिशत में)	वेतन व्यय अंश (प्रतिशत में)	पेंशन व्यय अंश (प्रतिशत में)	वेतन व्यय अंश (प्रतिशत में)	पेंशन व्यय अंश (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	नानकमत्ता	2023–2024	77.74	0.00	22.26	203.74	0.00	22.03	0.00
		2024–2025	63.04	0.00	36.96	755.85	0.00	31.45	0.00
	शक्तिगढ	2023–2024	36.49	2.15	61.36	480.78	28.31	22.31	1.31
		2024–2025	41.14	2.47	56.40	526.32	31.58	25.61	1.54
	सुल्तानपुर पट्टी	2023–2024	63.16	12.95	23.89	455.77	93.43	38.54	7.90
		2024–2025	59.98	12.29	27.72	460.93	94.47	35.28	7.23
उत्तरकाशी	गंगोत्री	2023–2024	4.10	0.00	95.90	11.04	0.00	2.13	0.00
		2024–2025	6.80	0.00	93.20	17.27	0.00	3.33	0.00
	नौगांव	2023–2024	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024–2025	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

तालिका 10.9 (क)

नगर पंचायतों के स्वयं के स्रोतों से राजस्व आय के पूर्वानुमान (धनराशि लाख में)

जनपद	नगर पंचायत	2025–26			2026–27			2027–28		
		कर	करेत्तर	योग	कर	करेत्तर	योग	कर	करेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अल्मोड़ा	भिकियासैंण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	चौखुटिया	1.27	5.55	6.82	1.39	6.11	7.50	1.54	6.82	8.36
	द्वाराहाट	6.85	2.70	9.55	7.02	4.52	11.54	7.70	4.64	12.34
बागेश्वर	गरूड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कपकोट	20.00	36.00	56.00	20.50	36.50	57.00	20.60	37.50	58.10
चमोली	बद्रीनाथ	150.00	0.00	150.00	160.00	0.00	160.00	200.00	0.00	200.00
	गैरसैण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नन्दानगर	0.00	2.50	2.50	0.00	2.75	2.75	0.00	3.00	3.00
	नन्दप्रयाग	2.00	9.20	11.20	2.50	9.57	12.07	3.05	10.52	13.57
	पीपलकोटी	16.70	0.00	16.70	17.40	0.00	17.40	17.60	0.00	17.60
	पोखरी	8.90	0.00	8.90	9.37	0.00	9.37	10.06	0.00	10.06
	थराली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चम्पावत	बनबसा	17.83	14.09	31.92	18.17	16.70	34.87	18.40	18.94	37.34
	पाटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
देहरादून	सेलाकुई	194.00	271.54	465.54	196.00	273.54	469.54	198.00	275.54	473.54
हरिद्वार	सुल्तानपुर अदमपुर	0.20	18.00	18.20	0.50	20.00	20.50	1.00	22.00	23.00
	भगवानपुर	12.84	15.00	27.84	14.12	16.50	30.62	15.53	18.15	33.68
	ढंढेरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	इमलीखेडा	10.00	2.00	12.00	15.00	5.00	20.00	20.00	7.00	27.00
	झबरेडा	19.78	0.00	19.78	21.76	0.00	21.76	22.84	0.00	22.84
	लण्ढौरा	13.54	0.00	13.54	13.54	0.00	13.54	14.10	0.00	14.10
	पाण्डली गुर्जर	30.00	110.00	140.00	35.00	124.00	159.00	41.00	135.00	176.00
	पिरान कलियर	12.00	0.00	12.00	13.50	0.00	13.50	14.20	0.00	14.20
	रामपुर	8.00	0.00	8.00	10.00	0.00	10.00	12.00	0.00	12.00
नैनीताल	लालकुंआ	10.85	42.38	53.23	11.39	44.50	55.89	11.96	46.73	58.69
पौड़ी	सतपुली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	स्वर्णाश्रम जौंक	5.10	0.00	5.10	5.15	0.00	5.15	5.20	0.00	5.20
	थलीसैण	0.92	1.45	2.37	1.07	1.57	2.64	1.23	1.72	2.95
पिथौरागढ़	मुन्स्यारी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	27.50	29.50	57.00	29.70	33.50	63.20	32.40	37.00	69.40
	गुप्तकाशी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केदारनाथ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तिलवाड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

जनपद	नगर पंचायत	2025–26			2026–27			2027–28		
		कर	करेत्तर	योग	कर	करेत्तर	योग	कर	करेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ऊखीमठ	8.00	9.50	17.50	10.00	12.50	22.50	12.50	16.00	28.50
टिहरी गढ़वाल	चमियाला	0.10	3.52	3.62	0.10	3.53	3.63	0.10	3.53	3.63
	गजा	0.10	3.76	3.86	0.10	3.77	3.87	0.10	3.78	3.88
	घनसाली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कीर्तिनगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	लम्बगांव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तपोवन	50.00	150.00	200.00	60.00	30.00	90.00	65.00	35.00	100.00
ऊधमसिंह नगर	दिनेशपुर	20.90	5.20	26.10	21.46	5.95	27.41	21.79	6.51	28.30
	गढ़ीनेगी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	गुलरभोज	8.36	0.00	8.36	8.36	0.00	8.36	8.36	0.00	8.36
	केलाखेडा	5.53	18.15	23.68	5.53	19.97	25.50	5.53	20.15	25.68
	लालपुर	12.00	0.00	12.00	12.60	0.00	12.60	13.23	0.00	13.23
	महुवाडाबरा	2.46	0.00	2.46	2.53	0.00	2.53	2.60	0.00	2.60
	नानकमत्ता	1.75	0.00	1.75	2.16	0.00	2.16	2.98	0.00	2.98
	शक्तिगढ	20.00	100.00	120.00	25.00	124.00	149.00	30.00	135.00	165.00
	सुल्तानपुर पट्टी	44.78	0.00	44.78	49.26	0.00	49.26	54.19	0.00	54.19
उत्तरकाशी	गंगोत्री	0.55	55.25	55.80	0.61	57.57	58.17	0.67	58.84	59.50
	नौगांव	1.00	0.00	1.00	1.10	0.00	1.10	1.21	0.00	1.21

जनपद	नगर पंचायत	2028–29			2029–30			2030–31		
		कर	करेत्तर	योग	कर	करेत्तर	योग	कर	करेत्तर	योग
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
अल्मोड़ा	भिकियासैंण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	चौखुटिया	1.69	7.50	9.19	1.86	8.23	10.09	2.05	9.06	11.11
	द्वाराहाट	8.26	9.26	17.52	8.47	9.51	17.98	8.68	9.80	18.48
बागेश्वर	गरूड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कपकोट	20.80	38.00	58.80	22.00	38.50	60.50	26.00	40.00	66.00
चमोली	बद्रीनाथ	230.00	0.00	230.00	300.00	0.00	300.00	400.00	0.00	400.00
	गैरसैण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नन्दानगर	0.00	3.75	3.75	0.00	4.00	4.00	0.00	4.25	4.25
	नन्दप्रयाग	3.66	12.04	15.70	4.32	13.14	17.46	3.60	14.31	17.91
	पीपलकोटी	18.50	0.00	18.50	18.60	0.00	18.60	19.25	0.00	19.25
	पोखरी	11.17	0.00	11.17	13.41	0.00	13.41	17.69	0.00	17.69
	थराली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चम्पावत	बनबसा	18.86	21.43	40.29	19.32	24.72	44.04	20.01	27.83	47.84
	पाटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
देहरादून	सेलाकुई	200.00	277.54	477.54	202.00	279.54	481.54	204.00	281.54	485.54
हरिद्वार	सुल्तानपुर अदमपुर	2.00	25.00	27.00	3.00	30.00	33.00	5.00	35.00	40.00
	भगवानपुर	170.86	19.97	190.83	18.79	21.96	40.76	20.67	24.16	44.83
	ढंढेरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	इमलीखेडा	25.00	10.00	35.00	30.00	12.00	42.00	35.00	15.00	50.00
	झबरेडा	23.99	0.00	23.99	25.19	0.00	25.19	26.44	0.00	26.44
	लण्ढौरा	14.50	0.00	14.50	14.80	0.00	14.80	16.00	0.00	16.00
	पाण्डली गुर्जर	46.00	150.00	196.00	51.00	165.00	216.00	56.00	180.00	236.00
	पिरान कलियर	14.50	0.00	14.50	15.00	0.00	15.00	16.00	0.00	16.00
	रामपुर	13.00	0.00	13.00	14.00	0.00	14.00	14.50	0.00	14.50
नैनीताल	लालकुंआ	12.56	49.06	61.62	14.19	54.09	68.28	14.90	56.80	71.70
पौड़ी	सतपुली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	स्वर्णाश्रम जौंक	5.25	0.00	5.25	5.30	0.00	5.30	5.35	0.00	5.35
	थलीसैण	1.28	1.85	3.13	1.55	10.95	12.50	1.77	2.20	3.97
पिथौरागढ़	मुन्स्यारी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	35.20	40.50	75.70	38.00	44.00	82.00	40.50	47.50	88.00
	गुप्तकाशी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

जनपद	नगर पंचायत	2028–29			2029–30			2030–31		
		कर	करेत्तर	योग	कर	करेत्तर	योग	कर	करेत्तर	योग
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	केदारनाथ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तिलवाड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ऊखीमठ	15.00	19.50	34.50	17.50	23.00	40.50	20.00	26.50	46.50
टिहरी गढ़वाल	चमियाला	0.10	3.53	3.63	0.13	3.53	3.66	0.13	3.54	3.67
	गजा	0.10	3.79	3.89	0.12	38.00	38.12	0.12	3.81	3.93
	घनसाली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कीर्तिनगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	लम्बगांव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तपोवन	70.00	40.00	110.00	75.00	45.00	120.00	100.00	60.00	160.00
ऊधमसिंह नगर	दिनेशपुर	22.31	7.08	29.39	22.45	8.09	30.54	25.68	9.10	34.78
	गढ़ीनेगी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	गुलरभोज	8.36	0.00	8.36	8.36	0.00	8.36	8.36	0.00	8.36
	केलाखेडा	5.53	20.16	25.70	5.81	20.17	25.98	5.81	20.17	25.98
	लालपुर	13.89	0.00	13.89	14.59	0.00	14.59	15.32	0.00	15.32
	महुवाडाबरा	2.65	0.00	2.65	2.71	0.00	2.71	2.76	0.00	2.76
	नानकमत्ता	4.20	0.00	4.20	5.22	0.00	5.22	6.55	0.00	6.55
	शक्तिगढ	35.00	150.00	185.00	40.00	165.00	205.00	45.00	180.00	225.00
	सुल्तानपुर पट्टी	59.61	0.00	59.61	65.57	0.00	65.57	72.13	0.00	72.13
उत्तरकाशी	गंगोत्री	0.73	60.14	60.88	0.89	62.88	63.76	0.97	64.31	65.28
	नौगांव	1.31	0.00	1.31	1.41	0.00	1.41	1.51	0.00	1.51

तालिका 10.9 (ख)
नगर पंचायतों के राजस्व व्यय के पूर्वानुमान (धनराशि लाख में)

जनपद	नगर पंचायत	2025–26				2026–27				2027–28			
		वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अल्मोड़ा	भिकियासैण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	चौखुटिया	62.00	0.00	25.70	87.70	68.20	0.00	28.27	96.47	75.02	0.00	31.10	106.12
	द्वाराहाट	12.30	12.50	22.70	47.50	14.00	12.60	32.85	59.45	14.50	13.00	23.08	50.58
बागेश्वर	गरूड़	68.00	0.00	51.22	119.22	70.00	0.00	61.85	131.85	72.00	0.00	67.46	139.46
	कपकोट	123.00	0.00	29.36	152.36	130.00	0.00	31.10	161.10	140.00	0.00	32.80	172.80
चमोली	बद्रीनाथ	180.00	2.00	74.94	256.94	191.00	2.10	80.45	273.55	193.00	2.12	93.95	289.07
	गैरसैण	94.95	0.00	31.91	126.86	105.45	0.00	36.50	141.95	112.80	0.00	30.35	143.15
	नन्दानगर	5.00	0.00	176.00	181.00	5.50	0.00	215.00	220.50	6.05	0.00	205.20	211.25
	नन्दप्रयाग	120.00	5.00	178.00	303.00	130.00	5.00	183.50	318.50	150.00	5.00	203.70	358.70
	पीपलकोटी	90.00	0.00	48.35	138.35	92.00	0.00	42.47	134.47	92.50	0.00	70.55	163.05
	पोखरी	66.56	0.00	95.66	162.22	69.88	0.00	100.45	170.33	73.38	0.00	105.47	178.85
	थराली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चम्पावत	बनबसा	60.00	0.00	48.30	108.30	67.00	0.00	49.55	116.55	75.00	0.00	54.61	129.61
	पाटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
देहरादून	सेलाकुई	20.00	0.00	48.58	68.58	21.00	0.00	39.30	60.30	21.15	0.00	45.51	66.66
हरिद्वार	सुल्तानपुर	120.00	0.00	20.00	140.00	132.00	0.00	24.00	156.00	145.00	0.00	28.00	173.00
	भगवानपुर	40.00	0.00	48.00	88.00	44.00	0.00	52.80	96.80	48.40	0.00	58.08	106.48
	ढंढेरा	47.00	0.00	67.20	114.20	55.00	0.00	100.21	155.21	60.00	0.00	127.23	187.23
	झमलीखेडा	105.00	0.00	681.12	786.12	110.00	0.00	700.12	810.12	120.00	0.00	705.24	825.24
	झबरेडा	190.00	10.60	204.09	404.69	210.00	0.00	359.10	569.10	220.00	0.00	244.30	464.30
	लण्ढौरा	320.00	0.00	38.90	358.90	330.00	0.00	36.00	366.00	350.00	0.00	47.50	397.50
	पाण्डली गुर्जर	3.00	0.00	4.72	7.72	3.20	0.00	7.00	10.20	3.50	0.00	8.30	11.80
	पिरान कलियर	169.00	0.00	38.90	207.90	180.00	0.00	35.20	215.20	185.00	0.00	46.50	231.50
	पिरान रामपुर	120.00	0.00	33.00	153.00	150.00	0.00	30.40	180.40	200.00	0.00	35.50	235.50
नैनीताल	लालकुआ	149.81	59.89	712.34	922.04	164.79	65.87	783.58	1,014.25	181.27	72.46	861.94	1,115.67
पौड़ी	सतपुली	67.00	0.00	4.20	71.20	68.00	0.00	3.22	71.22	69.00	0.00	3.80	72.80
	स्वर्णाश्रम जौक	211.56	0.00	38.55	250.10	232.71	0.00	42.04	274.75	244.35	0.00	45.86	290.20
	थलीसैण	75.00	20.00	45.35	140.35	75.50	20.50	60.70	156.70	76.50	21.00	44.25	141.75
पिथौरागढ़	मुन्स्यारी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	10.00	0.00	43.75	53.75	15.00	0.00	53.52	68.52	20.00	0.00	76.85	96.85

जनपद	नगर पंचायत	2025–26				2026–27				2027–28			
		वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	गुप्तकाशी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केदारनाथ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तिलवाडा	90.00	0.00	35.57	125.57	108.00	0.00	42.69	150.69	129.60	0.00	51.22	180.82
	उखीमठ	78.00	0.00	22.00	100.00	80.00	0.00	27.60	107.60	81.50	0.00	33.80	115.30
टिहरी गढ़वाल	चमियाला	0.00	0.00	9.50	9.50	0.00	0.00	10.30	10.30	0.00	0.00	10.50	10.50
	गजा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	घनसाली	0.00	0.00	7.10	7.10	0.00	0.00	7.40	7.40	0.00	0.00	7.55	7.55
	कीर्तिनगर	90.00	10.00	87.00	187.00	95.00	10.00	88.00	193.00	120.00	15.00	107.00	242.00
	लम्बगांव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तपोवन	120.00	25.00	56.20	201.20	130.00	30.00	72.15	232.15	140.00	35.00	87.85	262.85
ऊधमसिंह नगर	दिनेशपुर	200.00	35.00	163.24	398.24	230.00	40.25	117.72	387.97	264.50	46.29	159.75	470.54
	गढीनेगी	50.00	0.00	29.25	79.25	70.00	0.00	32.18	102.18	85.00	0.00	35.69	120.69
	गुलरभेज	198.00	0.00	19.90	217.90	217.80	0.00	21.90	239.70	239.58	0.00	24.08	263.66
	केलाखेडा	81.03	38.98	24.29	144.30	85.08	41.71	25.89	152.67	90.18	44.62	27.94	162.75
	लालपुर	78.00	0.00	21.94	99.94	90.00	0.00	10.94	100.94	98.00	0.00	11.75	109.75
	महुवाडाबरा	285.49	2.36	111.14	398.98	328.31	5.58	53.89	387.78	377.56	6.41	61.98	445.95
	नानकमत्ता	150.00	0.00	210.00	360.00	155.00	0.00	234.00	389.00	160.00	0.00	290.00	450.00
	शक्तिगढ	115.00	7.00	15.00	137.00	120.00	7.50	17.30	144.80	125.00	8.00	19.30	152.30
	सुल्तानपुर पट्टी	205.30	42.08	30.53	277.91	225.83	46.29	32.58	304.70	248.42	50.92	34.84	334.17
उत्तरकाशी	गंगोत्री	65.09	2.66	163.33	231.08	71.60	2.93	165.71	240.23	78.76	3.22	181.49	263.47
	नौगांव	96.00	0.00	17.47	113.47	105.60	0.00	19.50	125.10	116.16	0.00	21.72	137.88

जनपद	नगर पंचायत	2028–29				2029–30				2030–31			
		वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
अल्मोड़ा	भिकियासैण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	चौखुटिया	82.52	0.00	34.21	116.73	90.77	0.00	37.63	128.40	99.85	0.00	41.39	141.24
	द्वाराहाट	15.00	13.10	22.87	50.97	16.00	13.15	35.17	64.32	17.00	13.20	23.43	53.63
बागेश्वर	गरूड़	74.00	0.00	72.67	146.67	75.00	0.00	66.58	141.58	76.00	0.00	73.72	149.72
	कपकोट	150.00	0.00	34.20	184.20	170.00	0.00	35.30	205.30	180.00	0.00	36.40	216.40
चमोली	बद्रीनाथ	195.00	2.14	152.74	349.88	198.00	2.16	124.06	324.22	200.00	3.00	126.82	329.82
	गैरसैंण	121.50	0.00	43.10	164.60	130.84	0.00	46.40	177.24	139.50	0.00	50.80	190.30
	नन्दानगर	6.66	0.00	225.50	232.16	7.32	0.00	245.70	253.02	8.05	0.00	266.00	274.05
	नन्दप्रयाग	155.00	5.00	224.00	384.00	160.00	5.00	244.20	409.20	165.00	5.00	264.50	434.50
	पीपलकोटी	95.00	0.00	78.58	173.58	98.00	0.00	63.15	161.15	100.50	0.00	93.35	193.85
	पोखरी	77.05	0.00	110.74	187.79	80.90	0.00	116.28	197.18	84.94	0.00	122.09	207.04
	थराली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चम्पावत	बनबसा	83.00	0.00	59.85	142.85	90.00	0.00	64.93	154.93	96.00	0.00	70.87	166.87
	पाटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
देहरादून	सेलाकुई	23.15	0.00	52.36	75.51	25.65	0.00	60.05	85.70	28.65	0.00	68.78	97.43
हरिद्वार	सुल्तानपुर	160.00	0.00	33.00	193.00	180.00	0.00	37.00	217.00	200.00	0.00	41.00	241.00
	भगवानपुर	53.24	0.00	63.88	117.12	58.56	0.00	70.28	128.84	64.42	0.00	77.30	141.72
	ढंढेरा	62.00	0.00	154.24	216.24	65.00	0.00	173.26	238.26	70.00	0.00	193.28	263.28
	झमलीखेडा	125.00	0.00	712.24	837.24	130.00	0.00	818.24	948.24	140.00	0.00	948.30	1,088.30
	झबरेडा	225.00	0.00	380.65	605.65	230.00	0.00	393.60	623.60	240.00	0.00	408.75	648.75
	लण्ढौरा	360.00	0.00	55.00	415.00	375.00	0.00	59.50	434.50	385.00	0.00	64.90	449.90
	पाण्डली गुर्जर	3.50	0.00	9.20	12.70	4.00	0.00	10.02	14.02	4.50	0.00	11.62	16.12
	पिरान कलियर	185.00	0.00	54.00	239.00	190.00	0.00	58.30	248.30	200.00	0.00	63.50	263.50
	पिरान रामपुर	200.00	0.00	38.50	238.50	225.00	0.00	40.00	265.00	250.00	0.00	46.00	296.00
नैनीताल	लालकुआ	199.40	79.71	948.13	1,227.24	219.34	87.68	1,042.94	1,349.96	241.27	96.45	1,147.24	1,484.96
पौड़ी	सतपुली	70.00	0.00	4.00	74.00	72.00	0.00	4.36	76.36	72.00	0.00	3.86	75.86
	स्वर्णाश्रम जौक	256.56	0.00	50.04	306.60	269.39	0.00	54.62	324.01	282.86	0.00	59.41	342.28
	थलीसैंण	77.00	21.50	52.10	150.60	79.00	22.00	55.10	156.10	80.00	23.00	69.20	172.20
पिथौरागढ़	मुन्स्यारी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	25.00	0.00	84.73	109.73	30.00	0.00	92.35	122.35	37.00	0.00	98.57	135.57
	गुप्तकाशी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केदारनाथ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तिलवाडा	155.52	0.00	61.47	216.99	186.62	0.00	73.76	260.39	223.95	0.00	88.52	312.46
	उखीमठ	83.40	0.00	38.00	121.40	85.40	0.00	43.20	128.60	87.40	0.00	48.60	136.00
टिहरी गढ़वाल	चमियाला	0.00	0.00	10.80	10.80	0.00	0.00	11.10	11.10	0.00	0.00	11.40	11.40
	गजा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	घनसाली	0.00	0.00	7.80	7.80	0.00	0.00	8.05	8.05	0.00	0.00	8.20	8.20
	कीर्तिनगर	150.00	15.00	124.00	289.00	160.00	20.00	134.00	314.00	160.00	20.00	118.00	298.00
	लम्बगांव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

जनपद	नगर पंचायत	2028–29				2029–30				2030–31			
		वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय	वेतन व्यय	पेंशन व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	तपोवन	150.00	40.00	93.45	283.45	160.00	45.00	119.10	324.10	170.00	50.00	134.75	354.75
ऊधमसिंहनगर	दिनेशपुर	304.18	53.23	169.71	527.12	349.80	61.22	203.05	614.07	402.27	70.40	225.01	697.68
	गढीनेगी	101.00	0.00	39.96	140.96	120.70	0.00	41.24	161.94	140.53	0.00	45.74	186.27
	गुलरभेज	263.54	0.00	26.49	290.03	289.89	0.00	29.14	319.03	318.88	0.00	32.06	350.94
	केलाखेडा	97.40	47.75	29.84	174.99	104.22	51.09	31.99	187.30	111.51	55.18	34.38	201.07
	लालपुर	110.00	0.00	12.32	122.32	114.00	0.00	13.10	127.10	116.00	0.00	14.43	130.43
	महुवाडाबरा	434.19	7.38	71.27	512.84	499.32	8.48	81.96	589.77	574.22	9.76	94.26	678.23
	नानकमत्ता	165.00	0.00	292.75	457.75	170.00	0.00	326.50	496.50	175.00	0.00	398.25	573.25
	,शक्तिगढ	130.00	8.50	21.30	159.80	135.00	9.00	23.30	167.30	140.00	9.50	25.30	174.80
	सुल्तानपुर पट्टी	273.26	56.01	42.32	371.59	300.59	61.61	45.05	407.25	330.64	67.77	48.06	446.47
उत्तरकाशी	गंगोत्री	86.63	3.54	198.82	288.99	95.30	3.89	217.84	317.03	104.83	4.28	238.71	347.82
	नौगांव	127.78	0.00	24.08	151.86	140.55	0.00	26.48	167.03	154.61	0.00	29.32	183.93

10.28 आयोग को जिला स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं स्थानीय स्वशासन इकाईयों के अधिकारियों के साथ आयोजित परामर्श/बैठकों के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई कि नए शहरी निकायों के गठन अथवा मौजूदा शहरी निकायों की सीमाओं के विस्तार के परिणामस्वरूप शहरी निकायों में सम्मिलित किए गए ग्रामीण क्षेत्रों को गृहकर से 10 वर्ष की छूट राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 1225/पं.(2) एस.वी.–2020–18 (मुख्यमंत्री घोषणा) 2018 दिनांक 23 नवम्बर, 2020 **[अनुलग्नक 6(10)]** के माध्यम से प्रदान की गई है। फलस्वरूप, ये शहरी स्थानीय निकाय अपने सबसे महत्वपूर्ण एवं ठोस राजस्व स्रोत से दस वर्षों के लिए, बिना किसी क्षतिपूर्ति व्यवस्था किए, वंचित हो गए हैं, जबकि हाल ही में ग्रामीण से शहरी निकायों में परिवर्तित हुए इन क्षेत्रों /स्थानों में आधारभूत अवसंरचना तथा नागरिक सेवाओं/सुविधाओं की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक है। आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों से इस छूट के कारण होने वाली राजस्व हानि का विवरण उपलब्ध कराने को कहा था। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को गृहकर के रूप में लगभग 2520 लाख रुपये **[अनुलग्नक 7(10)]** की आय से वंचित रहना पड़ा और आगे भी छूट अवधि तक रहना पड़ेगा। उपरोक्त गृहकर छूट के कारण संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को हो रही राजस्व हानि का विवरण निम्नलिखित है–

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र.सं.	जनपद	शहरी स्थानीय निकाय	गठन/सीमा विस्तार वर्ष	भवन कर छूट प्रापत भवनो की संख्या	भवन कर छूट से वार्षिक राजस्व अनुपलब्धता
1	देहरादून	1. नगर पालिका परिषद, विकासनगर	2018	4797	31.18
		2. नगर निगम, ऋषिकेश	2018	11000	85.00
		3. नगर पालिका परिषद, हरबर्टपुर	2017- 2024	2504	0.57
		4. नगर पालिका परिषद, डोईवाला	2018	13900	69.50
2	हरिद्वार	5. नगर निगम, हरिद्वार	2018	15135	324.00
		6. नगर निगम, रूडकी	2015, 2017, 2018	22030	280.05
		7. नगर पालिका परिषद, लक्सर	2017	5000	15.00
3	उत्तरकाशी	8. नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी	2018	1639	15.73
		9. नगर पालिका परिषद, बडकोट	2018	228	6.42
		10. नगर पंचायत, नौगांव	2018	900	0.89

क्र.सं.	जनपद	शहरी स्थानीय निकाय	गठन/सीमा विस्तार वर्ष	भवन कर छूट प्रापत भवनो की संख्या	भवन कर छूट से वार्षिक राजस्व अनुपलब्धता
4	चमोली	11. नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग	2018	315	1.32
		12. नगर पंचायत, गैरसैण	2011-12	548	2.82
		13. नगर पंचायत, पीपलकोटी	2016	4	0.26
5	टिहरी	14. नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर	2024	30	0.25
		15. नगर पालिका परिषद, चम्बा	2016	300	1.08
6	रूद्रप्रयाग	16. नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग	2024	250	2.25
		17. नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि	2018-19	435	0.28
		18. नगर पंचायत, ऊखीमठ	2018-19	108	0.18
7	पौडी	19. नगर निगम, कोटद्वार	2018-19	31744	200.00
		20. नगर पालिका परिषद, पौडी	1949	1730	8.00
8	पिथौरागढ	21. नगर निगम, पिथौरागढ	2018	2228	21.94
9	चम्पावत	22. नगर पालिका परिषद, टनकपुर	2018	771	3.86
10	अल्मोडा	23. नगर निगम, अल्मोडा	2018	3752	112.56
11	बागेश्वर	24. नगर पालिका परिषद, बागेश्वर	2018	3155	75.24
12	नैनीताल	25. नगर निगम, हल्द्वानी	2018	38900	350.00
		26. नगर पालिका परिषद, भवाली	2018	2500	10.00
		27. नगर पालिका परिषद, भीमताल	2018	800	4.80
13	उधमसिंह नगर	28. नगर निगम, रूद्रपुर	2018	33600	459.65
		29. नगर निगम, काशीपुर	2018	40426	404.26
		30. नगर पालिका परिषद, गदरपुर	2018	700	3.82
		31. नगर पालिका परिषद, बाजपुर	2018	1356	6.78
		32. नगर पालिका परिषद, किच्छा	2018	6740	18.94
		33. नगर पालिका परिषद, सितारगंज	2018	500	3.00
		34. नगर पंचायत, सुल्तानपुर पट्टी	2018	86	0.06
					2519.69

10.29 उपर्युक्त वर्णित गृहकर वसूली में दी गई छूट से संबंधित शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता और सुदृढ़ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है। यह उल्लेखनीय है कि इन शहरी स्थानीय निकायों को होने वाली सम्बद्ध राजस्व हानि की भरपाई के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। **अतः आयोग यह अनुशंसा करता है कि ऐसी छूट के कारण होने वाली राजस्व हानि के लिए शहरी निकायों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जानी चाहिए, जो कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय अंतरणों के अतिरिक्त हो। इस उद्देश्य से यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि छूट की अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए संबंधित प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय से सत्यापित एवं पुष्ट विवरण प्राप्त किए जाएँ।**

10.30 उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है, और इसे सुधारने के लिए गंभीर और ईमानदार प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। **सरकार को चाहिए कि वह विभिन्न प्रकार के करों, शुल्कों, उपकरों आदि की मदें और उनके लिए न्यूनतम मानक दरें निर्धारित करे तथा इस संबंध में मानक विनियम जारी करे। इसी प्रकार, करेत्तर राजस्व तथा ऐसी विभिन्न चिन्हित सेवाओं, जिनके लिए उपयोगकर्ता शुल्क लिए जाऐं, की मदें तथा उनके लिए न्यूनतम दरें निर्धारित करे और साथ ही कर आच्छादन/वसूली दक्षता के लिए प्रतिशत के रूप में मानक भी निर्धारित करे।**

अध्याय–11

पंचायतों के कार्यात्मक क्षेत्र एवं उनके सापेक्ष स्थिति तथा सुधार के बिंदु

11.1 भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 छ में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के प्राविधान हैं। उक्त अनुच्छेद निम्नवत उद्धरित है–

243 छ पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व– संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्तशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के सम्बन्ध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यागत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्–

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना;

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपे जाएं, जिनके अन्तर्गत वे स्कीमें भी हैं जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के सम्बन्ध में हैं, कार्यान्वित करना।

11.2 संविधान के उक्त वर्णित अनुच्छेद में यह स्पष्ट है कि राज्य के विधान मंडल को विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करना है जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर शक्तियाँ और दायित्व न्यागत करने की व्यवस्था भी की जाने की व्यवस्था है और इस सम्बन्ध में संविधान की ग्यारहवीं सूची में सूचीबद्ध विषयों को सम्मिलित किया गया है।

11.3 उत्तराखण्ड राज्य गठन के समय से राज्य में पूर्ववर्ती अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य के समय से समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1961 और उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 प्रभावी रहे। कालान्तर में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अपना पृथक 'उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016' पारित एवं क्रियान्वित किया गया है।

11.4 उक्त उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 के भाग–2 में अध्याय 2 से अध्याय 8 में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की स्थापना एवं गठन के और निर्वाचन, कृत्य/कर्तव्य/ अधिकार/प्रशासन, कर्मचारी वर्ग, निधि, सम्पत्ति तथा कराधानों आदि के प्राविधान हैं। अधिनियम की धारा 22 में ग्राम पंचायत के सामान्य कृत्य तथा धारा 23 में अन्य कृत्य वर्णित हैं।

11.5 उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 के भाग 2, अध्याय 5 के अन्तर्गत प्राविधानित धारा 22 में ग्राम पंचायत के सामान्य कृत्य तथा धारा 23 में ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य निम्नानुसार हैं–

धारा 22– ग्राम पंचायत के सामान्य कृत्य	धारा 23– ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य
1. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी उसमें विर्निदिष्ट की जाय, निम्नलिखित में से किसी एक या सभी कृत्यों अथवा अतिरिक्त कृत्यों को ग्राम पंचायत को सौंप सकेगी– i. पंचायत क्षेत्र के विकास हेतु योजना बनाना और ग्राम सभा के अनुमोदन के उपरान्त	ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसा राज्य सरकार, समय–समय पर विर्निदिष्ट करे प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात– 1. कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार भी है– I. कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नति,

धारा 22– ग्राम पंचायत के सामान्य कृत्य	धारा 23– ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य
निर्धारित प्राधिकारी को प्रेषित करना; II. ग्राम सभा की वार्षिक आय–व्ययक तैयार करना तथा ग्राम सभा से पारित करा कर निर्धारित प्राधिकारी को प्रेषित करना; III. प्राकृतिक आपदा में राहत कार्यों के सम्पादन में सहायता करना; IV. सामुदायिक कार्यों के लिए स्वेच्छिक श्रमदान व अंशदान की व्यवस्था करना; V. पंचायत के आवश्यक आकड़े तथा डाटा बेस का रखा जाना; VI. ग्राम पंचायत द्वारा सम्पन्न कार्यों का विवरण ग्राम सभा की बैठकों में प्रस्तुत करना; VII. ग्राम सभा के क्षेत्र के अन्दर प्रवेश करने वाले अपरिचित के विषय में सूचना पंजिका रखना; VIII. अन्य कृत्य जो इस अधिनियम के अधीन उसके क्षेत्राधिकार में पड़ते हो या उच्च स्तर से प्रतिनिहित किए जाए; IX. भूमि का बंदोबस्त तथा प्रबन्ध; परन्तु यह कि इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 117 के अधीन अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध (या राज्य सरकार द्वारा इस विषयक की गयी व्यवस्था) के अधीन ग्राम पंचायत में तत्समय निहित किसी सम्पत्ति का अन्तरण नहीं है; X. वन तथा वृक्षों का परिरक्षण, अनुरक्षण तथा विकास; XI. आबादी–स्थलों तथा ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण तथा विकास, XII. हाटों, बाजारों तथा मेलों का प्रबन्ध, XIII. मीनाशयों और तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास, XIV. ग्राम पंचायत द्वारा या उसके विरूद्ध समिति के कृत्यों के सम्बद्ध अथवा उनसे उद्भूत	II. बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास और उनके अनधिकृत संक्रमण और प्रयोग की रोकथाम करना। 2. भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी और भूमि संरक्षण– I. भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण में सरकार और अन्य एजेन्सियों की सहायता करना, II. भूमि चकबन्दी में सहायता करना। 3. लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास– I. लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण में प्रबन्ध और सहायता करना, II. लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण, सिंचाई उद्देश्य से जलापूर्ति का विनियमन। 4. पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन– I. पालतू जानवरों, कुक्कटों और अन्य पशुधनों की नस्लों का सुधार करना, II. दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, सुअर पालन इत्यादि की प्रोन्नति। 5. मत्स्य पालन–ग्रामों में मत्स्य पालन का विकास। 6. सामाजिक और कृषि वानिकी– I. सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण, II. सामाजिक और कृषि वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और प्रोन्नति। 7. लघु वन उत्पाद–लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति में सहायता करना, 8. लघु उद्योग– I. लघु उद्योगों के विकास में सहायता करना, II. स्थानीय व्यापारों की प्रोन्नति। 9. कुटीर और ग्राम उद्योग– I. कृषि और वाणिज्यिक उद्योगों के विकास में सहायता करना।

धारा 22– ग्राम पंचायत के सामान्य कृत्य	धारा 23– ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य
होने वाले वादों तथा कार्यवाहियों का संचालन तथा अभियोजन; xv. उत्तर प्रदेश जमीदारी–विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) अथवा किसी अन्य अधिनियम (या राज्य सरकार द्वारा की गयी व्यवस्था) के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति को विशेषतः अभ्यर्पित कृत्य का सम्पादन, और xvi. ऐसे प्रबन्ध, परीक्षण तथा नियंत्रण से सम्बद्ध कोई अन्य विषय जैसा विहित किया जाए। **स्पष्टीकरण–** (1) ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति का कोई सदस्य या पदाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति के या उसकी ओर से कोई लाइसेन्स पट्टा, क्रय, तबादला, संविदा या व्यवसाय में कोई हिस्सा या हित उपार्जित नहीं करेगा और न उपर्जित करने का प्रयत्न करेगा; परन्तु यह कि कोई व्यक्ति ऐसे क्रय में हित रखता हो जिससे सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति यह विश्वास करती है कि वह नियमित रूप से व्यापार करता है और क्रय की हुई वस्तु का मूल्य दस हजार रूपये से अधिक नहीं है। (2) कोई न्यायालय या अन्य अधिकारी ऐसे कार्य के आधार पर जो किसी व्यक्ति पर उपधारा (1) के उपबन्धों के विपरीत किया हो, उक्त व्यक्ति के दावा करने पर उसे कोई हक नहीं दिलायेगा; परन्तु यह कि ग्राम पंचायत जब भूमि प्रबन्धक समिति के रूप में कार्य करेगी तब राजस्व विभाग का (राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी)/ लेखपाल) ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करेगा।	II. कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति। 10. ग्रामीण आवास– I. ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, II. आवास स्थलों का वितरण और उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण। 11. पेयजल पीने, कपड़ा धोने, स्नान करने के प्रयोजनों के लिए जल सम्भरण के लिए सार्वजनिक कुओं, तालाबों और पोखरों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण और पीने के प्रयोजनों के लिए जल सम्भरण के स्रोतों का विनियमन। 12. ईधन और चारा भूमि– I. ईधन ओर चारा भूमि से सम्बन्धित बॉस और पौधों का विकास, II. चारा भूमि के अनियमित अन्तरण पर नियंत्रण। 13. सड़कें, पुलिया, पुलों, नौका घाट, जल मार्ग और संचार के अन्य साधन– I. ग्राम की सड़कों, पुलियों, पुलों और नौकाघाटों का निर्माण और अनुरक्षण, II. जलमार्गो का अनुरक्षण, III. सार्वजनिक स्थानों पर से अतिक्रमण को हटाना। 14. ग्रामीण विद्युतीकरण–सार्वजनिक मार्गों और अन्य स्थानों पर प्रकाश उपलब्ध कराना और अनुरक्षण करना। 15. गैर–पारम्परिक उर्जा स्रोत– ग्राम में गौर–पारम्परिक उर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों का विकास और प्रोन्नति और उनका अनुरक्षण। 16. गरीबी उपशमन कार्यक्रम–गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की प्रोन्नति और कार्यान्वयन। 17. शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय भी है– शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना। 18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा–ग्रामीण कला और शिल्पकारों की प्रोन्नति। 19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा–प्रौढ़ साक्षरता की प्रोन्नति। 20. पुस्तकालय–पुस्तकालयों और वाचनालयों

धारा 22– ग्राम पंचायत के सामान्य कृत्य	धारा 23– ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य
	की स्थापना और अनुरक्षण। 21. खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य– I. समाजिक और सांस्कृतिक क्रिया–कलापों की प्रोन्नति। II. विभिन्न त्यौहारों पर सांस्कृतिक संगोष्ठियों का आयोजन, III. खेलकूद के लिए ग्रामीण क्लबों की स्थापना और अनुरक्षण। 22. बाजार और मेला– पंचायत क्षेत्रों में मेलों, बाजारों और हाटों का विनियमन। 23. चिकित्सा और स्वच्छता– I. ग्रामीण स्वच्छता को प्रोन्नति, II. महामारियों के विरूद्व रोकथाम, III. मनुष्य और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम, IV. छुट्टा पशु और पशुधन के विरूद्व निवारक कार्यवाही, V. जन्म, मृत्यु और विवाह का रजिस्ट्रीकरण। 24. परिवार कल्याण कार्यक्रमों की प्रोन्नति और क्रियान्वयन। 25. आर्थिक विकास और बाल विकास–ग्राम पंचायत के क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करना। 26. प्रसूति और बाल विकास– I. ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना, II. बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों की प्रोन्नति। 27. समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का कल्याण भी है; I. वृद्वावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं में सहायता करना; II. विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों के कल्याण को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण कार्यक्रमों में भाग लेना।

धारा 22– ग्राम पंचायत के सामान्य कृत्य	धारा 23– ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य
	28. कमजोर वर्गो और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण– I. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गो के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भाग लेना, II. सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन। 29. सार्वजनिक वितरण प्रणाली– I. अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में सार्वजनिक चेतना की प्रोन्नति, II. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुश्रवण। 30. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण–सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण और अनुरक्षण।

11.6 उक्त अधिनियम के भाग तीन, अध्याय बारह के अन्तर्गत धारा 67 में क्षेत्र पंचायत के सामान्य अधिकार और कृत्य निम्नानुसार प्राविधानित हैं–

धारा 67 क्षेत्र पंचायत के सामान्य अधिकार और कृत्य

1. इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त या राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों के सम्बन्ध में तथा ग्राम पंचायत से प्राप्त योजनाओं को संकलित करते हुए विकास योजनाओं की वार्षिक योजना तैयार कर जिला पंचायत को प्रस्तुत करना;
2. ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना व आय–व्ययक स्वीकृत करना;
3. क्षेत्र पंचायत का आय–व्यय तैयार कर जिला पंचायत को प्रस्तुत करना;
4. ग्राम पंचायत के मध्य समन्वय स्थापित करना और उनका मार्ग दर्शन करना;
5. प्राकृतिक आपदाओं में आपातकालीन सहायता की व्यवस्था करना; और
6. राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा प्रतिनिहित या सौंपे गये कृत्यों का सम्पादन व शक्तियों को प्रयोग करना।

उक्त अधिकार व कृत्यों के अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र पंचायत खण्ड के भीतर धारा 74 (क) में निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन करेगी।

11.7 उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम के भाग चार, अध्याय 19 के अन्तर्गत धारा 104 में जिला पंचायतों के अधिकार, कृत्य एवं कर्तव्य इस प्रकार वर्णित हैं–

धारा 104 जिला पंचायतों के अधिकार, कृत्य व कर्तव्य

1. जिले के आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा उसको सौंपे गये कार्यक्रम व योजनाओं तथा क्षेत्र पंचायतों की वार्षिक योजनाओं को सम्मिलित व समेकित करते हुए सम्पूर्ण जिले के लिए वार्षिक योजना बनाना व जिला योजना समिति को प्रस्तुत करना।

2. क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों के क्रिया कलापों का समन्वयक मूल्यांकन, अनुश्रवण करना तथा मार्गदर्शन करना।

3. क्षेत्र पंचायतों की वार्षिक योजनाओं व आय–व्यय पारित करना।

4. लोक महत्व के कार्यों के लिए मान्यता प्राप्त व पंजीकृत संगठनों जो केन्द्र और राज्य स्तर पर क्रियाशील हो भागीदारी करना।

5. जिले के अन्तर्गत पंचायतीराज के तीनों स्तरों से सम्बन्धित क्रिया कलापों के सुदृढ़ीकरण प्रोत्साहन तथा जनतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रदर्शनियां, मेले, पंचायत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण तथा लोक महत्व व प्रजातांत्रिक व्यवस्था से सशक्तिकरण के लिए विचार गोष्ठियों का आयोजन व व्यवस्था करना।

6. अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायतीराज से सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिए किसी व्यक्ति, संस्था व समिति की आर्थिक व अन्य सहायता जो उसके अधिकार में हो उपलब्ध कराना।

7. पंचायत के कार्यों, प्रशासन तथा आय व्यय पर नियंत्रण रखना, तथा केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित धन को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा सम्बन्धित विभागों को नियत रीति व मानकों के आधार पर वितरित करना।

8. जिन मेलों का प्रबन्ध राज्य सरकार करती है या आगे करे, उनसे भिन्न मेले व उत्सवों का ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचात द्वारा प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए क्रमशः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत और उत्सवों के रूप में वर्गीकरण को बदलना।

9. ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाले हाट व बाजारों को ग्राम पंचायत के हाट व बाजार तथा जिला पंचायत के हाट बाजार के रूप में श्रेणीबद्ध करना।

10. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत द्वारा प्रबन्ध, रखरखाव व निर्माण के प्रयोजनार्थ मार्गों का क्रमशः ग्राम मार्ग, अन्तरग्राम मार्ग तथा जिला मार्ग के रूप में वर्गीकरण करना।

11. एतदर्थ बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए एक ओर राज्य सरकार तथा दूसरी ओर ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत के बीच पत्र व्यवहार के लिए मुख्य माध्यम के रूप में कार्य करना।

12. इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन सौंपे गए, प्रदत्त व प्रतिनिहित किए गए अन्य अधिकार व कृत्य तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपे जाने, प्रदत्त किए जाने व किए जाने वाले अधिकार व कृत्य।

11.8 इस प्रतिवेदन के अध्याय 4 जिसका शीर्षक **"परिदृश्य एवं कार्य निष्पादन की स्थिति"** है, के प्रस्तर 4.18 में राज्य सरकार द्वारा जारी उन विशिष्ट आदेशों, जिनके माध्यम से अनुसूची–XI में सूचीबद्ध दायित्वों एवं कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है, का विवरण दिया गया है।

11.9 उपर्युक्त उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए कार्यों एवं दायित्वों की वास्तविक स्थिति, विशेष रूप से क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों (जिला पंचायतों की स्थिति पारंपरिक रूप से भिन्न है) के संबंध में, संबंधित अधिनियम तथा समय–समय पर जारी विभिन्न शासकीय आदेशों में निहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। कुछ कार्यों को छोड़कर अधिकांश कार्य न तो ग्राम पंचायतों द्वारा और न ही क्षेत्र पंचायतों द्वारा संपादित/निष्पादित किए जा रहे हैं।

11.10 पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर है, जिला पंचायत जिला स्तर पर सर्वोच्च स्तर है तथा क्षेत्र पंचायत (ब्लॉक स्तर की पंचायत) मध्यवर्ती स्तर की पंचायत है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम

के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के मुख्य उद्देश्य से विकास खंडों की स्थापना की गई थी। कालान्तर में, विकास खंडों के भौगोलिक क्षेत्र के अनुरूप क्षेत्र पंचायतों की स्थापना की गई। तदनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों की विकासात्मक गतिविधियाँ विकास खंडों तथा अन्य शासकीय विभागों/अर्ध–सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही हैं। इस प्रकार व्यवहार में, उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 के भाग–3, अध्याय–12 की धारा 67 के अंतर्गत निर्धारित शक्तियों एवं कार्यों और साथ ही धारा 67(6) के अंतर्गत यह प्रावधान, कि राज्य सरकार या जिला पंचायत कुछ कर्तव्यों एवं शक्तियों को क्रियान्वयन हेतु क्षेत्र पंचायत को सौंप या प्रत्यायोजित कर सकती है, के बावजूद क्षेत्र पंचायत के पास कोई महत्वपूर्ण कार्य एवं दायित्व नहीं है।

11.11 उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा 22, 23 तथा 24 से 29 के अंतर्गत निहित विस्तृत प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि शक्तियों एवं कार्यों की दृष्टि से ग्राम पंचायतों की स्थिति क्षेत्र पंचायतों की अपेक्षा कुछ बेहतर है। इसी अधिनियम के भाग–2, अध्याय–8 की धारा 46 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को कर लगाने, शुल्क एवं टोल वसूलने का अधिकार प्रदान किया गया है तथा धारा 47 के अंतर्गत उन्हें ऋण लेने का भी अधिकार प्राप्त है। हालांकि, वास्तविकता में अधिकांश ग्राम पंचायतें इन कार्यों का निर्वहन नहीं कर रही हैं (कुछ मामलों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता संबंधी गतिविधियों जैसे सीमित कार्यों को छोड़कर) और न ही वे कर एवं शुल्कों की वसूली कर रही हैं (उपयोगकर्ता शुल्क के कुछ सीमित मामलों को छोड़कर)। ये पंचायतें अपने विकासात्मक एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्यतः केंद्रीय वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर केंद्र एवं राज्य सरकारों से प्राप्त निधियों के अंतरण पर निर्भर हैं।

11.12 क्षेत्र पंचायतों को कर लगाने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। उनकी स्थिति ग्राम पंचायतों तथा जिला पंचायतों से काफी भिन्न है। पंचायतों का यह स्तर भी अपने वित्तीय संसाधनों के लिए मुख्यतः राज्य वित्त आयोग तथा केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर क्रमशः राज्य सरकार और केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाले निधि अंतरण पर निर्भर रहता है।

11.13 तीनों स्तरों की पंचायतों में जिला पंचायतों की स्थिति कार्यों, दायित्वों तथा कर एवं शुल्क आदि लगाने की शक्तियों के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से बेहतर है। इनके पास प्रशासनिक ढांचा तथा स्वयं की परिसंपत्तियाँ भी होती हैं, जिनसे राजस्व प्राप्त होता है। धारा 106 में उपविधियों/विनियमों के निर्माण से संबंधित शक्तियों का विस्तार से उल्लेख किया गया है, जबकि अध्याय 22 की धारा 123 में जिला पंचायत को कर लगाने तथा शुल्क या अन्य फीस की वसूली करने की शक्तियों का प्रावधान किया गया है। किन्तु समग्र रूप से देखा जाए तो पिछले वर्षों के दौरान जिला पंचायतों की भूमिका, कार्य एवं दायित्वों में कमी आई है और वे कर एवं शुल्क आदि लगाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होती हैं। जिला पंचायतें भी राज्य वित्त आयोग तथा केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर क्रमशः राज्य सरकार और केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाले निधि अंतरण पर निर्भर हैं।

11.14 उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 के भाग–4, अध्याय–20 की धारा 113(1) के अनुसार प्रत्येक जिला पंचायत में राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। पूर्व में मुख्य विकास अधिकारी–और उससे पहले अपर जिला मजिस्ट्रेट (विकास)–को जिला पंचायत का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया जाता था। किन्तु वर्ष 2016 में नए अधिनियम के लागू होने के पश्चात् सरकार द्वारा किसी भी जिला पंचायत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। इस संबंध में पंचायती राज निदेशालय से प्राप्त सूचना (पत्र संख्या 459/1284/षष्ठम राज्य वित्त आयोग/2024–25 दिनांक 01 जुलाई 2025) का उल्लेख संदर्भ हेतु किया जाना उपयुक्त है [अनुलग्नक 8(11)]।

11.15 लंबे समय से जिला पंचायतों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति न होने के कारण वर्तमान में जिला पंचायतों के प्रशासनिक व्यवस्था का नेतृत्व अपर मुख्य अधिकारी कर रहे हैं। यद्यपि प्रत्येक जिले में मुख्य विकास अधिकारी उपलब्ध हैं और जबकि आयोग को सरकार द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति न किए जाने के पीछे की परिस्थितियों या कारणों की जानकारी नहीं है, फिर भी **आयोग दृढ़तापूर्वक अनुशंसा करता है कि राज्य सरकार तत्काल जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों को जिला पंचायतों के मुख्य अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करे।** यह व्यवस्था एक ओर पंचायतों के बीच ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज समन्वय स्थापित करने के लिए और दूसरी ओर पंचायतों और जनपदों में समकक्ष स्तरों पर कार्य कर रहे विभिन्न विभागों एवं अर्ध–सरकारी संस्थाओं के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही, इससे जनपदों के शीर्ष स्तर की पंचायतों के समेकन, पर्यवेक्षण तथा प्रभावी कार्य संचालन को भी सुदृढ़ किया जा सकेगा।

11.16 उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 तथा संविधान के अनुच्छेद 243छ के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय पंचायतों को सशक्त, सक्षम, स्वायत्त तथा जवाबदेह बनाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे अपने–अपने पंचायत क्षेत्रों में मूलभूत सेवाएँ (जैसे स्वच्छता, सफाई, जलापूर्ति आदि) तथा सार्वजनिक सुविधाएँ प्रदान कर सकें और आवश्यक स्थानीय अवसंरचना का निर्माण, संचालन, अनुरक्षण तथा सुदृढ़ीकरण कर सकें। इसके साथ–साथ स्थानीय स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित कार्यों को सम्पन्न करने के लिए पंचायतों के माध्यम से जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना और सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसमें जल संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन के प्रति उत्तरदायित्व, पर्यावरण संरक्षण, वनीकरण, वन संरक्षण आदि विभिन्न गतिविधियाँ भी सम्मिलित हैं। इस संदर्भ में यह आवश्यक हो जाता है कि ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों सहित विभिन्न कार्यों/विषयों की गतिविधि मानचित्रण के माध्यम से स्पष्ट रूप से पहचान की जाए और उन्हें संबंधित पंचायतों को सौंपा जाए। अन्यथा केवल इन विषयों को अधिनियम में शामिल कर देने या शासकीय आदेश जारी कर देने मात्र से पंचायतें वास्तव में सशक्त, सक्षम, स्वायत्त अथवा जवाबदेह नहीं बन सकी हैं। साथ ही, विभिन्न शासकीय विभागों एवं एजेंसियों के लिए यह स्पष्ट होना भी आवश्यक है कि उन्हें पंचायतों के साथ किस प्रकार सहयोग और समन्वय करना है तथा अपने अधिकारियों/कार्मिकों को संबंधित स्तरों पर पंचायतों के प्रति जवाबदेह कैसे बनाना है।

11.17 आयोग राज्य सरकार की मंशा से अवगत है, जो समय–समय पर विभिन्न रूपों में व्यक्त की गई है, तथा वर्तमान परिस्थितियों में भी यह परिलक्षित होती है। इस संदर्भ में 26 जून 2025 को दैनिक जागरण में प्रकाशित "स्वच्छता मिशन पंचायती राज को सौंपा गया" शीर्षक समाचार **[अनुलग्नक 9(11)]**, से ज्ञात होता है कि राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से स्वच्छ भारत मिशन की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। यह राज्य सरकार की उस मंशा को दर्शाता है कि संविधान तथा अधिनियम के अनुरूप पंचायतों को जिम्मेदारियाँ हस्तांतरित की जाएँ, जो सही दिशा में उठाया गया एक प्रगतिशील कदम है।

11.18 पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत, स्वायत्त, सक्षम और जवाबदेह बनाने के लिए उनका नियमित निर्वाचन कराना अत्यंत आवश्यक है। राज्य के गठन के बाद से विभिन्न कारणों से समय पर पंचायत चुनावों में बार–बार व्यवधान होते रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 243ङ के प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तिथि से पाँच वर्ष होता है। उत्तराखण्ड में, हरिद्वार जिले की पंचायतों का कार्यकाल अन्य 12 जिलों से अलग समय पर समाप्त होता है। संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, समय पर चुनाव कराने और तीनों स्तरों पर नई निर्वाचित पंचायतों के गठन में बार–बार विलंब होता रहा है। राज्य चुनाव आयोग से प्राप्त सूचना (पत्र संख्या 2860/रा0नि0आ0–2/4113/2025 दिनांक 26 सितंबर

2025, उपलब्ध **[अनुलग्नक 10(11)]**, के अनुसार, राज्य में आयोजित पंचायत चुनावों की स्थिति निम्नलिखित है–

जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन सम्बन्धी विवरण

(अ) जनपद हरिद्वार

क्र.सं.	राज्य गठन तिथि उपरान्त चुनाव हेतु संविधान अनुसार नियत तिथियां	चुनाव सम्पन्न होने की वास्तविक तिथियां	विलम्ब अथवा पूर्व चुनाव होने की अवधियां	देरी अथवा पूर्व में चुनाव होने के कारण
1	28.07.2005 एवं 31.08.2005	14.10.2005	लगभग 02 माह विलम्ब से	परिसीमन एवं आरक्षण विलम्ब से प्राप्त होने के कारण
2	20.10.2010	21.02.2011	लगभग 04 माह विलम्ब से	परिसीमन एवं आरक्षण विलम्ब से प्राप्त होने के कारण
3	29.03.2016	05.01.2016	लगभग 03 माह पूर्व	माह जनवरी–फरवरी, 2016 में अर्द्व कुम्भ होने के कारण
4	28.03.2021	28.09.2022	लगभग 01 वर्ष 06 माह विलम्ब से	परिसीमन एवं आरक्षण विलम्ब से प्राप्त होने के कारण

(ब) शेष 12 जनपद

क्र.सं.	राज्य गठन तिथि उपरान्त चुनाव हेतु संविधान अनुसार नियत तिथियां	चुनाव सम्पन्न होने की वास्तविक तिथियां	विलम्ब अथवा पूर्व चुनाव होने की अवधियां	देरी अथवा पूर्व में चुनाव होने के कारण
1	नवम्बर/दिसम्बर, 2001	30.03.2003	लगभग 01 वर्ष 04 माह विलम्ब से	परिसीमन एवं आरक्षण विलम्ब से प्राप्त होने के कारण
2	09.4.2008	13.09.2008	लगभग 05 माह विलम्ब से	परिसीमन एवं आरक्षण विलम्ब से प्राप्त होने के कारण
3	28/29.09.2013	27.06.2014	लगभग 06 माह विलम्ब से	लोक सभा निर्वाचन/ प्राकृतिक आपदा एवं परिसीमन व आरक्षण विलम्ब से प्राप्त होने के कारण
4	13.07.2019	21.10.2019	लगभग 03 माह विलम्ब से	लोकसभा निर्वाचन होने के कारण
5	27.11.2024	31.07.2025	लगभग 08 माह विलम्ब से	परिसीमन एवं आरक्षण विलम्ब से प्राप्त होने के कारण

11.19 समय पर चुनाव कराने में विलंब के अलावा यह भी देखा गया है कि चुनाव आयोजित होने के बाद भी कई ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो पाता, क्योंकि या तो ग्राम प्रधान का पद या ग्राम पंचायत में पर्याप्त संख्या में वार्ड सदस्य के पद रिक्त रहते हैं। इस संदर्भ में, पंचायती राज निदेशालय से प्राप्त सूचना (नवंबर 2025 के पहले सप्ताह तक) के अनुसार संगठित और असंगठित ग्राम पंचायतों की स्थिति निम्नलिखित है–

जनपदवार संगठित/असंगठित ग्राम पंचायतों का विवरण

क्र. सं.	जनपद	ग्राम पंचायत संख्या	ग्राम पंचायत वार्ड संख्या	निर्वाचित वार्ड संख्या	संगठित ग्राम पंचायत संख्या	असंगठित ग्राम पंचायत संख्या	असंगठित रहने का कारण
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	देहरादून	409	3397	2596	292	117	नमांकन न होना।
2	पौड़ गढ़वाल	1166	8188	2120	347	819	नमांकन न होना।
3	उत्तरकाशी	521	3753	1789	218	303	वार्ड पूर्ण न होने, कोरम का अभाव, नाम निर्देशन पत्र जमा न होना।
4	अल्मोड़ा	1160	8242	2001	235	925	नमांकन न होना।
5	पिथौरागढ़	681	4915	1977	303	378	नमांकन न होना।
6	चमोली	615	4385	1523	167	448	नमांकन न होना।
7	नैनीताल	475	3749	1465	145	330	नमांकन न होना।
8	ऊधमसिंह नगर	373	3887	2860	275	98	कोरम का अभाव, ग्राम पंचायत फिरोजपुर, विकास खण्ड काशीपुर में निर्विरोध निर्वाचन परिणाम मा0 उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. संख्या–19848/25 के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
9	टिहरी गढ़वाल	1049	7467	3286	369	680	नमांकन न होना।
10	बागेश्वर	405	2899	1294	133	272	दो तिहाई सदस्य निर्वाचित न होने के कारण।
11	चम्पावत	312	2286	584	47	265	नमांकन न होना।
12	रूद्रप्रयाग	333	2419	978	125	208	नमांकन न होना।
	योग–	**7499**	**55587**	**22473**	**2656**	**4843**	
13	हरिद्वार	318	3722	3722	318	0	
	महायोग–	**7817**	**59309**	**26195**	**2974**	**4843**	

11.20 आयोग सुझाव देता है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि पंचायत चुनावों में कोई विलंब न हो। इस संबंध में, सीटों और वार्डों के परिसीमन तथा आरक्षण से संबंधित कार्य संवैधानिक रूप से निर्धारित चुनाव तिथियों से पूर्व समय रहते पूर्ण कर दिए जाएँ। जब भी पंचायत चुनावों की तिथियाँ लोकसभा या विधानसभा चुनावों की तिथियों के साथ मेल खाती हों या उनके निकट हों, अथवा कोई अन्य समान परिस्थिति उत्पन्न हो, तो पंचायत चुनावों को नियत समय से पूर्व कराने पर विचार किया जाना चाहिए।

11.21 कुछ मामलों में, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों के हित/कार्य/मुद्दे एक–दूसरे से निकटता से जुड़े होते हैं, विशेषकर (सटे हुए) क्षेत्रों और परिस्थितियों में। कई बार उनके कार्य अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद, वित्तीय संसाधनों की कमी तथा समन्वय और सहयोग की कमी के कारण प्रभावित होते हैं, विशेषकर गंदे पानी और वर्षा जल निकासी, ठोस अपशिष्ट निपटान, पार्किंग सुविधाएँ और भूमि उपलब्धता जैसे मामलों में। इन स्थानीय शासन इकाइयों को अपने स्थानीय संसाधनों, वित्तीय स्थिति और ताकत व कमजोरियों का इस तरह समन्वित और पारस्परिक लाभकारी तरीके से उपयोग करना चाहिए कि उनकी सशक्तियाँ एक–दूसरे के लिए उपयोगी बनें और कमजोरियाँ तथा समस्याएँ सहयोग और समन्वय के माध्यम से आसानी से हल हो जाएँ। कुछ शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतें वास्तव में इस दिशा में आगे बढ़कर संसाधनों का संयुक्त उपयोग और राजस्व का उनके योगदान के अनुपात में साझा

करना शुरू कर चुकी हैं। इसलिए, **आयोग सुझाव देता है कि ऐसी परिस्थितियों में शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को अलग–थलग काम करने के बजाय, आवश्यकता अनुसार समझौता ज्ञापन के माध्यम से एक साथ कार्य करना चाहिए।**

अध्याय–12

शहरी स्थानीय निकायों के कार्यात्मक क्षेत्र एवं उनके सापेक्ष स्थिति तथा सुधार के बिंदु

12.1 भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 ब में यह व्यवस्था है कि नगर पालिकाओं, अर्थात सभी श्रेणी के शहरी स्थानीय निकायों को राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें, ऐसी विधि में वर्णित शर्तों के अधीन रहते हुए, स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाने हेतु आवश्यक हो। अनुच्छेद 243 ब निम्नानुसार उद्धरित है–

243–ब नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व– इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा–

(क) नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो और ऐसी विधि में नगरपालिकाओं को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के सम्बन्ध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यागत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्–

i. आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना;

ii. ऐसे कृत्यों का पालन करना और ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अन्तर्गत वे स्कीमें भी हैं जो बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के सम्बन्ध में है, कार्यान्वित करना;

(ख) समितियों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें अपने को प्रदत्त अत्तरदायित्वों को, जिनके अन्तर्गत वे उत्तरदायित्व भी हैं जो बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के सम्बन्ध में हैं, कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों।

12.2 पहली दृष्टि में और शब्दशः, अनुच्छेद 243ब का साधारण वाचन यह संकेत देता है कि राज्य सरकार के पास अपने शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियाँ और अधिकार प्रदान/सौंपने का विवेकाधिकार है। यदि इसे इसी दृष्टिकोण से देखा जाए, तो राज्य सरकार यह चुन सकती है कि बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय/दायित्वों को पूरी तरह, आंशिक रूप से अपने विभागों और एजेंसियों को सौंपे या उन्हें शहरी स्थानीय निकायों को बिल्कुल भी न सौंपे।

12.3 आयोग का मत है कि अनुच्छेद 243ब प्रावधान, अनुच्छेद 243थ की स्वाभाविक परिणति है, क्योंकि विस्तृत शहरी प्रशासनिक संरचना होने के बावजूद यदि उसके पास पर्याप्त शक्ति, दायित्व और अधिकार न हों, तो उसका उद्देश्य विफल हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य दक्ष शहरी शासन सुनिश्चित करना है, और शक्ति, अधिकार एवं दायित्वों के बिना शहरी शासन केवल एक कल्पना या सपना जैसा ही है।

12.4 राज्य के नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतें समय–समय पर उत्तराखण्ड में यथा संशोधित एवं यथा प्रभावी उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 द्वारा शासित हैं।

12.5 उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के अध्याय 5 की धारा 114 में निगम के अनिवार्य कर्तव्य और धारा 115 में निगम के स्वविवेकानुसार कर्तव्य वर्णित हैं। अधिनियम में वर्णित उक्त दोनों प्रकार के कर्तव्यों का विवरण निम्नानुसार है–

निगम के अनिवार्य कर्तव्य (धारा 114)	निगम के स्वविवेकानुसार कर्तव्य (धारा 115)
निगम के अनिवार्य (obligatory) कर्तव्य– निगम का यह अनिवार्य कर्तव्य होगा कि वह निम्नांकित विषयों में से प्रत्येक के लिये किसी भी ऐसे साधन या उपाय (means or measures) द्वारा, जिसका प्रयोग करने या जिसे ग्रहण करने के लिये वह विधिक रूप से (lawfully) सक्षम है, समुचित और प्रर्याप्त व्यवस्था करे– **1.** उन स्थानों पर, जहाँ प्राकृतिक सीमा सूचक चिन्ह न हों, इस प्रकार के और उस स्थल (position) पर, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे, पर्याप्त संख्या में ऐसे सीमासूचक चिन्ह खड़े करना, जिनके द्वारा नगर की सीमाओं या उन सीमाओं में किसी परिवर्तन का निर्धारण होना हो; **2.** निगम में निहित सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के नाम रखना या उनकी संख्या निश्चित करना या भू–गृहादि पर संख्या लिखवाना; **3.** मल इत्यादि (sewage), दुर्गन्धयुक्त पदार्थ (offensive matter) और कूड़े–करकट को एकत्रित कराना और हटवाना तथा उसके उपयोग (treatment) और निस्तारण (disposal) की व्यवस्था करना, जिसमें फार्म या फैक्ट्री स्थापित करना और उसका संधारण (maintaining) भी सम्मिलित है; **4.** नगर की समस्त सार्वजनिक सड़कों और स्थानों की पानी से धुलाई (watering), बुहारी द्वारा उनकी सफाई (scavenging), तथा उन्हें स्वच्छ रखना (cleansing) और वहाँ से सारा कूड़ा–करकट (sweeping) हटवाना; **5.** नालियों और जल–निस्सारण निर्माण कार्यों, सार्वजनिक शौचालयों, नाबदानों (water closets), मूत्रालयों तथा ऐसी ही अन्य सुविधाओं का निर्माण, उसका संधारण और उनकी सफाई (cleansing); **6.** निगम द्वारा अनुमोदित सामान्य व्यवस्था के अनुसार भू–गृहादि के मल इत्यादि (sewage) को प्राप्त करने और उसे निगम के नियंत्रण के अधीन नालियों में पहुँचाने के उद्देश्य से भू–गृहादि पर या उसके प्रयोग के लिये पात्रों (receptacles), संधायनों, पाइपों तथा अन्य उपकरणों (appliances) का सम्भरण (supply) और उनका निर्माण तथा संधारण; **7.** समस्त निगम जलकलों का प्रबन्ध तथा संधारण और ऐसे नये कार्यों का निर्माण या अर्जन	**निगम के स्वविवेकानुसार (discretionary) कर्तव्य–** निगम निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए समय–समय पर स्वविवेकानुसार पूर्णतः या अंशतः व्यवस्था कर सकती है– **1.** नगर के भीतर या बाहर, ऐसे व्यक्तियों की देखभाल के लिए, जो अशक्त (infirm), रूग्ण या असाध्य रूप से रोगग्रस्त हों या अंधे, बहरे, गूंगे (mute) या अन्य रूप से असमर्थ (disabled) व्यक्तियों या सुविधाहीन (handicapped) बच्चों की देखभाल तथा प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं का, जिनमें पागलखाने, कुष्ठाश्रम, अनाथालय तथा महिला–सेवा आश्रम (rescue house) सम्मिलित है, संगठन, अथवा प्रबन्ध करना; **2.** गर्भवती या दूध पिलाने वाली (nursing) माताओं या शिशुओं या स्कूली बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करना; **3.** तैरने के जल–कुण्ड (pools), कपड़ा धोने के सार्वजनिक घर (wash houses), स्नानगृह तथा अन्य संस्थाये जो नदी के किनारों पर स्नान–घाटों के विकास तथा निर्माण के लिए हों; **4.** नगर–निवासियों के लाभार्थ दूध या दूध से बने पदार्थों का संभरण (supply) वितरण और वैज्ञानिक निर्माण–क्रिया (processing) के निमित्त नगर में या उसके बाहर दुग्धशालायें (dairies) या फार्म स्थापित करना; **5.** सार्वजनिक सड़कों या स्थानों में मनुष्यों के लिए पीने के पानी के फौब्बारे (drinking fountain) अथवा प्याऊ अथवा पानी के बम्बों (stand posts) का तथा पशुओं के लिए चरहियों (water troughs) का निर्माण तथा संधारण; **6.** संगीत तथा अन्य ललित–कलाओं (fine arts) को प्रोत्साहन देना तथा सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक समागम स्थलों (public resorts) पर संगीत की व्यवस्था करना; **7.** नगर के भीतर तथा बाहर स्थित शिक्षा सम्बन्धी तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान देना; **8.** मनोविनोद के मैदानों (recreation grounds), मूर्ति स्थापना तथा नगर को सुन्दर बनाने की व्यवस्था करना; **9.** प्रदर्शनी, व्यायाम प्रदर्शन (athletics) या

निगम के अनिवार्य कर्तव्य (धारा 114)	निगम के स्वविवेकानुसार कर्तव्य (धारा 115)
(acquisition), जो (घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये) पर्याप्त जल–सम्भरण (supply water) के लिये आवश्यक हों; **8.** मनुष्यों के उपभोग के लिये प्रयुक्त होने वाले जल को दूषित (polluted) न होने देना और दूषित जल के ऐसे उपभोग को रोकना; **9.** निगम में निहित सार्वजनिक सड़कों, निगम बाजारों तथा सार्वजनिक भवनों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में रोशनी का प्रबन्ध करना; **9क** पार्किंग स्थलों, बस स्टापों और जन सुविधाओं का निर्माण और उनका संधारण। **10.** सार्वजनिक चिकित्सालयों तथा औषधालयों की, जिनमें संक्रामक या संसर्गजन्य रोगों से ग्रस्त अथवा इस प्रकार संदिग्ध व्यक्तियों को अलग रख कर उनकी चिकित्सा करने के चिकित्सालय भी सम्मिलित हैं, स्थापना, उनका संधारण या उनकी सहायता करना तथा जनता को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये अन्य साधनों की व्यवस्था करना; **11.** संक्रामक, संसर्गजन्य तथा भयानक रोगों की रोकथाम करना और उनके प्रसार को नियंत्रित करना; **12.** जलान्तक रोगों (anti-rabic diseases) की चिकित्सा की व्यवस्था करना; **13.** बीमारों को ले जाने वाली गाड़ियों (ambulance service) का संधारण; **14.** सार्वजनिक रूप से टीके लगाने (public vaccination) की पद्धति की स्थापना तथा उसका संधारण; **15.** प्रमुख आँकड़ों (statistics), जिनमें जन्म–मरण के आँकड़े भी हैं, का पंजीयन (registration) ; **16.** मातृव्य केन्द्रों और शिशु कल्याण एवं सन्तति निग्रह सदनों की स्थापना, उनका संधारण तथा उनकी सहायता करना और जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण और छोटे परिवार के मानक का उन्नयन; **17.** रोगों का या खाद्य–पदार्थों में मिलावट का पता लगाने या सार्वजनिक स्वास्थ्य से सम्बद्ध खोज कार्यों (research) के निमित्त पानी, खाद्य पदार्थ या भेषजों (drugs) की परीक्षा का विश्लेषण के लिये	खेलकूद के समारोहों का आयोजन; **10.** नगर में ठहरने की जगहों (lodging house), शिविर–स्थलों (camping grounds) और विश्राम गृहों का विनियमन; **11.** प्रेक्षा–गृहों (theatres), विश्राम–गृहों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों का निर्माण, उनकी स्थापना तथा उनका संधारण; **12.** वस्तुओं की दुष्प्राप्यता के समय जीवन–धारण के लिए आवश्यक वस्तुयें बेचने के निमित्त दुकानों और स्टालों का संगठन तथा संधारण; **13.** निगम के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए निवास–गृहों (dwellings) का निर्माण, उनकी खरीद तथा उनका संधारण; **14.** निगम के कर्मचारियों को निर्माण–कार्य के लिए ऐसे निबन्धनों (terms) पर और ऐसी शर्तों के अधीन, जो निगम द्वारा विहित की जाये, ऋण देना; **15.** निगम के कर्मचारियों या उनके किसी वर्ग के कल्याणार्थ कोई अन्य कार्य (measures) करना; **16.** राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से बिजली या गैस का संभरण (supply) करने के लिए किसी संस्थापन (undertaking) को खरीदना या ऐसे किसी संस्थापन को, जो जनता के सामान्य हितों के लिये हो, चलाना या उसे आर्थिक सहायता देना; **17.** नगर के भीतर या बाहर व्यक्तियों तथा माल को लाने, ले जाने के लिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ट्राम्बे, बिना पटरी की ट्रामें या मोटर गाड़ियों द्वारा यातायात की सुविधाओं का निर्माण, उनकी खरीद, उनका संगठन, संधारण या प्रबन्ध; **18.** धारा 114 के खंड (25) में उल्लिखित शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों को बढ़ावा देना और नगर के भीतर और बाहर स्थित शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देना; **19.** पुस्तकालयों, संग्रहालयों और कलात्मक वस्तुओं के संग्रहालयों (art galleries), वनस्पति–विज्ञान विषयक (botanical) या जीव विज्ञान विषयक (zoological) संग्रहालयों (collections) की स्थापना और संधारण या उनको सहायता देना तथा उनके लिए भवनों का खरीदना या बनवाना; **20.** स्नानागारों (baths), स्नानघाटों, कपड़ा धोने

निगम के अनिवार्य कर्तव्य (धारा 114)	निगम के स्वविवेकानुसार कर्तव्य (धारा 115)
रासायनिक या जीवाणु विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगशालाओं bacteriological laboratories) की व्यवस्था, उनका संधारण अथवा प्रबन्ध; **18.** अस्वास्थ्यकर स्थानों (localities) का पुनरूद्धार (reclamation), हानिकर (noxious) उद्भिज (vegetation) का हटाया जाना और सामान्यतः समस्त अपदूषणों (nuisance) का समाप्त किया जाना (abatement); **19.** आपत्तिजनक (offensive) तथा खतरनाक किस्म के व्यापारों, आजीविकाओं (callings) तथा कार्यों (practices) जिसके अनतर्गत वेश्यावृत्ति भी है, का विनियमन तथा उनका समाप्त किया जाना; **20.** मृतकों के शव–निस्तारण के स्थानों का संधारण, उन्हें नियत करना तथा उनका विनियमन और उक्त प्रयोजनों के लिए तथा ऐसे शवों का निस्तारण करने के लिए, जिनका कोई न हो, नये स्थानों की व्यवस्था करना या किसी दूसरी संस्था द्वारा उक्त उद्देश्यों के लिए की गई व्यवस्था में यथा–शक्ति सहायता देना; **21.** सार्वजनिक बाजारों और वधशालाओं और चर्म शोधन शालों का निर्माण, तथा संधारण तथा समस्त बाजारों और वधशालाओं का विनियमन; **22.** खतरनाक भवनों तथा स्थानों को निरापद (secure) बनाना या हटाना; **23.** पानी निकालने के बम्बों (hydrants) का संधारण तथा आग लगने पर ऐसी सहायता पहुँचाना, जिसके लिए राज्य सरकार सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा समय–समय पर आदेश दे। इस सहायता में आग लगने पर उसे बुझाने के लिए दमकलों (fire brigade) का संधारण या प्रबन्ध और जन–धन की रक्षा की रक्षा भी सम्मिलित है; **24.** सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में या पर, उपस्थित अवरोधों (obstruction) तथा बाहर निकले हुए अनियमित भागों (projections) को हटाना; **25.** प्रारम्भिक (primary) शिक्षा, जिसके अन्तर्गत शिशु शिक्षा (nursery education) भी है, के लिए स्कूलों की स्थापना, उनका संधारण तथा उनकी सहायता करना और उनके लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना; **26.** शरीर संवर्द्धन (physical culture) सम्बन्धी संस्थाओं की स्थापना और उनका संधारण करना या	के घरों (washing places), तालाबों, कुओं, बांधों (dam) तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य कार्यों का निर्माण, उसकी स्थापना, उनका संधारण या उनके संधारण के लिए अंशदान देना; **21.** अशक्तों के लिए सेवाश्रमों (infirmaries) या पशुओं के लिए चिकित्सालयों का निर्माण तथा संधारण; **22.** ऐसे पशु–पक्षियों को, जिनके कारण अपदूषण (nuisance) पैदा होता हो, या हानिकर कीड़े–मकोड़े (vermins) को नष्ट कराना तथा छुट्टे (stray) या लावारिस कुत्तों को पकड़कर बन्द करना (confinement) या उन्हें नष्ट करना। **23.** नगर के भीतर पीड़ित व्यक्तियों के सहायतार्थ (relief) अथवा लोक कल्याणार्थ स्थापित किसी सार्वजनिक निधि में अंशदान देना; **24.** अभिनन्दन–पत्र (civic address) प्रदान करना तथा स्वागत करना; **25.** पशुचर भूमियों का अर्जन तथा संधारण और प्रजनन के लिए पशुओं के बाड़ों (breeding stud) की स्थापना तथा उनका संधारण; **26.** निवास–गृहों (dwellings) की व्यवस्था करने में या गृह निर्माण योजनाओं को कार्यान्वित करने में अभिरूचि रखने वाले किसी व्यक्ति, समिति या संस्था को ऋण या अन्य प्रकार की सुविधायें देना; **27.** गरीबों की सहायता (poor relief) की व्यवस्था करना; **28.** गौशालाओं और किराये की गाड़ियों (hackney carriages or carts) में प्रयुक्त होने वाले घोड़ों, टट्टुओं (ponies) और पशुओं के लिए आरोग्यकर पशुशालाओं (stables) का निर्माण, क्रय तथा संधारण; **29.** भवनों या भूमियों का सर्वेक्षण (survey); **30.** किसी ऐसी आपदा के, जिसका प्रभाव नगर की जनता पर पड़ता हो, निवारणार्थ सहायता कार्यों की व्यवस्था करना; **31.** धारा 114 में या इस धारा के अन्य खंड़ों में निर्दिष्ट उपायों से भिन्न अन्य उपाय करना, जिनसे सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधाओं में विकास होने की संभावना हो; **32.** बजट में धनराशि की व्यवस्था होने पर नगर में किसी सार्वजनिक समारोह (ceremony) या

निगम के अनिवार्य कर्तव्य (धारा 114)	निगम के स्वविवेकानुसार कर्तव्य (धारा 115)
उन्हें सहायता देना;	मनोरंजन (entertainment) के निमित्त अंशदान देना;
27. पशु–चिकित्सालयों का संधारण या उनके संधारण के लिए अंशदान देना (contributing)	**33.** पर्यटक–कार्यालय (tourist bureau) की स्थापना तथा संधारण;
28. कांजीहौजों (cattlepounds) के निर्माण या अर्जन (acquisition) और संधारण;	**34.** निगम कार्य के लिए तथा फालतू समय में मूल्य (charges) लेकर निजी कामों के लिए प्रेस और कारखाना (workshop) स्थापित करना तथा उसका संधारण करना;
29. सार्वजनिक सड़कों, पुलों, उप–मार्गों (subways), पुलियों–पुलों की ऊँची सड़कों (causeways) तथा अन्य ऐसे ही साधनों का निर्माण, संधारण और उनमें परिवर्तन या सुधार करना;	**35.** विष्टा (night soil) और कूड़ा–करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करने का प्रबन्ध करना;
30. सड़कों के किनारों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण करना तथा उनका संधारण;	**36.** व्यापार तथा उद्योग की उन्नति के उपायों की व्यवस्था करना तथा निगम बैंक की स्थापना करना;
31. गमनागमन (traffic) का विनियमन तथा गमनागमन चिन्हों (traffic sings) की व्यवस्था करना;	**37.** अपने कर्मचारियों के लिए श्रम–हितकारी केन्द्रों की स्थापना करना और ऐसे कर्मचारियों के किसी संगठन (association), यूनियन या क्लब की सामान्य प्रगति के लिए अनुदान अथवा ऋण देकर उसके कार्य–कलापों (activities) में आर्थिक सहायता देना;
32. निगम के सफाई कर्मचारियों (municipal conservancy staff) तथा सब प्रकार के श्रमिक वर्गों के लोगों की, उनके रहने के लिए क्वार्टरों का निर्माण तथा संधारण करके अथवा ऋण देकर निवास–व्यवस्था में सहायता करना;	**38.** निगम यूनियनों को संगठित करना और उन्हें अंशदान देना;
33. नगर नियोजन तथा सुधार, जिसमें गन्दी बस्तियों की सफाई, गृह–निर्माण योजनाओं को तैयार करना तथा उन्हें कार्यान्वित करना और नयी सड़कों (streets) का विन्यास (laying out) भी सम्मिलित है;	**39.** अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की सामाजिक निर्योग्यताओं (disabilities) को दूर करने की व्यवस्था करना;
33क नगरीय वानिकी और पारिस्थितिकी पहलुओं की वृद्धि और पर्यावरण का संरक्षण;	**40.** भिक्षा–वृत्ति के नियंत्रण तथा निवारण के लिए कार्यवाही करना;
34. निगम में निहित अथवा उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी सम्पत्ति का संधारण तथा उसके मूल्य में विकास करना;	**41.** राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से पुलिस के ऐसे कर्तव्यों का, जो विहित किये जायें, भार–ग्रहण करने और ऐसी रीति से, जो विहित की जायें उनका निर्वहन करने के लिए निगम के पुलिस दल (force) की स्थापना तथा संधारण;
34क समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों का संरक्षण;	**42.** राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किसी ऐसे व्यावसायिक कार्य का भार ग्रहण करना, जिसका उद्देश्य सुख–सुविधा (amenity) या रोजगार की व्यवस्था करना या उनमें वृद्धि करना अथवा बेकारी को दूर करना हो;
34ख सांस्कृतिक शैक्षणिक सौंदर्यपरक पहलुओं की अभिवृद्धि;	**43.** कोई ऐसा कार्य जिस पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार या राज्य सरकार की स्वीकृति से निगम यह घोषित करे कि वह निगम निधि पर उपयुक्त रूप से भारित (appropriate charge) है:
34ग कांजी हाउस का निर्माण और संधारण और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण;	किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार
35. निगम कार्यालय, समस्त सार्वजनिक स्मारकों, खुले स्थानों (open space) तथा अन्य निगम में निहित सम्पत्ति का संधारण;	

निगम के अनिवार्य कर्तव्य (धारा 114)	निगम के स्वविवेकानुसार कर्तव्य (धारा 115)
36. एक बुलेटिन प्रकाशित करना, जिसमें निगम तथा उसकी समितियों की कार्यवाहियों (proceedings) या उन कार्यवाहियों के सार तथा निगम के कार्य–कलापों (activities) की अन्य सूचनायें दी गयी हों; **37.** सरकारी पत्रों पर तत्काल ध्यान देना और ऐसे विवरण–पत्रों (return statements) तथा ऐसी रिपोर्टों को तैयार और प्रस्तुत करना, जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार निगम को आदेश दें और **38.** इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन आरोपित किसी आभार (obligation) की पूर्ति करना। **39.** गन्दी बस्ती का सुधार और उन्नयन; **40.** नगरीय निर्धनता कम करना; **41.** नगरीय सुख–सुविधाओं तथा सुविधाओं जैसे कि पार्क, उद्यान और खेल के मैदानों की व्यवस्था करना।	गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी एक निगम या समस्त निगमों के सम्बन्ध में यह घोषणा कर सकती है कि इस धारा में उल्लिखित कृत्यों में से कोई कृत्य को सम्पन्न करना संबद्ध निगम या निगमों का कर्तव्य होगा और तदुपरान्त इस अधिनियम के उपबन्ध उस सम्बन्ध में इस प्रकार लागू हांगे मानो वह धारा 114 द्वारा आरोपित कोई कर्तव्य हो;

12.6 उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अध्याय दो की धारा 7 में नगर पालिकाओं (अर्थात नगर पालिका परिषद् और नगर पंचायतों) के अनिवार्य कर्तव्य और धारा 8 में स्वविवेकानुसार कार्यों का विवरण वर्णित है जिनका विवरण इस प्रकार है–

नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के अनिवार्य कर्तव्य (धारा 7)	नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत स्वविवेकानुसार कर्तव्य (धारा 8)
प्रत्येक नगरपालिका का यह कर्तव्य है कि वह नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित की समुचित व्यवस्था करें– **1.** सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर रोशनी; **2.** सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर पानी का छिडकाव; **3.** नगरपालिका की सीमा का सर्वेक्षण करना और सीमा चिन्ह लगाना; **4.** सार्वजनिक सड़कों, स्थानों और नालियों की सफाई करना, हानिकारक वनस्पति को हटाना और समस्त लोक उत्पत्ति का उपशमन करना; **5.** संतापकारी, खतरनाक या आपत्तिजनक व्यापार, आजीविका या प्रथा का विनियमन करना; **6.** आवारा कुत्तों तथा खतरनाक पशुओं को परिरुद्ध करना, हटाना या नष्ट करना;	नगरपालिका सीमाओं के भीतर और विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से ऐसी सीमाओं के बाहर, निम्नलिखित के लिए व्यवस्था कर सकता है– **1.** उन क्षेत्रों में, जिनमें चाहे पहले से निर्माण किया गया हो या नहीं नवीन सार्वजनिक सड़कों का विन्यास और इस प्रयोजन के लिए तथा भवनों और उनके अहातो के निर्माण के लिए, जो ऐसी सड़कों से संसक्त हों, भूमि अर्जित करना; **2.** मास्टर प्लान तैयार करना और उसे निष्पादित करना; **3.** पुस्तकालय, संग्रहालय, वाचनालय, रेडियो संग्राही केन्द्र, कुष्ठधाम, अनाथालय, शिशु–सदन और महिला उद्धार–गृह, पागलखाना, हाल, कार्यालय, धर्मशाला, विश्राम–गृह, शिविर–स्थल, अकिंचन–गृह, दुग्धशाला, स्नानागार, स्नान–घाट, धोबियों के धुलाई–स्थल, पीने के पानी का स्रोत (ड्रींकिंग फाउन्टेन), तालाब, कुआं, बांध तथा अन्य लोकोपयोगी निर्माण कार्यों का निर्माण, उनकी

नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के अनिवार्य कर्तव्य (धारा 7)	नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत स्वविवेकानुसार कर्तव्य (धारा 8)
7. लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा के आधार पर सड़कों या सार्वजनिक स्थानों से अवांछनीय अवरोध और प्रक्षेप हटाना; 8. खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना; 9. मृतकों के निस्तारण के लिए स्थान अर्जित, अनुरक्षित, परिवर्तित और विनियमित करना और आदावाकृत शवों के पुलिस से लिखित रूप में यह अभिनिश्चित करने के पश्चात् कि ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है, निस्तारण का प्रबन्ध करना; 10. सार्वजनिक सड़कों, पुलियों, बाजारों, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों, नालियों, जलोत्सारण निर्माण कार्यों तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी निर्माण कार्यों का निर्माण, परिवर्तन और अनुरक्षण करना; 11. अस्वच्छ मोहल्लों की साफ–सफाई कराना; 12. सड़क के किनारे तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में वृक्ष लगाना और उनका अनुरक्षण करना; 13. घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति उपलब्ध कराना। 14. ऐसे स्थानों में, जहां वर्तमान जल संभरण के अपर्याप्त या अस्वास्थ्यप्रद होने से वहां के निवासियों के स्वास्थ्य को संकट हो, शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद जल के पर्याप्त संभरण की व्यवस्था करना, मनुष्यों के उपभोग के लिए प्रयुक्त होने वाले जल को प्रदूषित होने से बचाना और प्रदूषित जल के ऐसे उपयोग को रोकना; 15. जल सम्भरण के अन्य किसी स्त्रोत के अतिरिक्त, सार्वजनिक कुओं को, यदि कोई हो, ठीक हालत में रखना, उनके जल को प्रदूषित होने से बचाना और उसे मनुष्यों के उपभोग के योग्य बनाये रखना; 16. जन्म और मरण का रजिस्ट्रीकरण; 17. सार्वजनिक टीका लगाने की प्रणाली की स्थापना तथा उसका अनुरक्षण; 18. सार्वजनिक चिकित्सालयों और औषधालयों की स्थापना, उनका अनुरक्षण या उनकी सहायता करना और सार्वजनिक चिकित्सा सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था करना; 19. प्रसूति केन्द्रों, शिशु कल्याण और जन्म	स्थापना तथा उनका अनुरक्षण या उनके अनुरक्षण में अंशदान देना; 4. प्राथमिक स्कूलों की स्थापना और उनके अनुरक्षण से भिन्न उपायों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का प्रसार करना; 5. जनगणना करना और ऐसी सूचना के लिये इनाम देना, जिससे जन्म–मरण के आंकड़ों का सही रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित हो सके; 6. ऐसी सूचना के लिये इनाम देना जिसमें इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर के अपवंचन का, नगरपालिका में निहित या उसके प्रबन्ध या नियंत्रण में सौंपी गई सम्पत्ति को हानि पहुंचाना या उस पर अधिक्रमण करने का पता लगे; 7. स्थानीय विपत्ति पड़ने पर, सहायता कार्यों की स्थापना और उनका अनुरक्षण करके या अन्य प्रकार से सहायता करना; 8. धारा 298 के शीर्षक "छ" के उपशीर्षक (क) अधीन उल्लिखित किसी व्यापार या निर्माण के कार्यान्वयन के लिये उपयुक्त स्थान प्राप्त करना या प्राप्त करने में सहायता देना; 9. सीवेज के निस्तारण के लिये फार्म या कारखाना स्थापित करना और उसका अनुरक्षण करना; 10. विष्ठा और कूड़ा–करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करने के लिये प्रबन्ध करना; 11. ट्राम मार्ग, रेल पथ या संचलन के अन्य साधनों और बिजली या गैस की रोशनी या विद्युत या गैस के शक्ति संक्रमण का निर्माण करना, उन्हें सहायता देना या उनकी प्रत्याभूति देना; 12. पर्यटक यातायात की अभिवृद्धि करना; 13. मेले और प्रदर्शनियां लगाना; 14. गृह और नगर नियोजन योजनायें तैयार करना और उनका निष्पादन; 15. व्यापार और उद्योग की अभिवृद्धि के लिये उपाय करना; 16. दुग्ध–सम्भरण; 17. अपने कर्मचारियों के लिये श्रम कल्याण केंद्र स्थापित करना और ऐसे कर्मचारियों के किसी ऐसोशियेशन, संघ या क्लब की सामान्य उन्नति के लिये अनुदान अथवा ऋण देकर, उसके कार्यकलापों में सहायता देना; 18. नगरपालिका बोर्ड संघो को संगठित करना और उन्हें अंशदान देना; 19. धारा 7 में या इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में विनिर्दिष्ट उपायों से भिन्न ऐसे उपाय करना

नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के अनिवार्य कर्तव्य (धारा 7)	नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत स्वविवेकानुसार कर्तव्य (धारा 8)
नियन्त्रण क्लीनिकों की स्थापना, अनुरक्षण सहायता करना और जनसंख्या नियंन्त्रण, परिवार कल्याण और छोटे परिवार के मानक का संवर्द्धन करना; **20.** पशु–चिकित्सालयों का अनुरक्षण या उनके अनुरक्षण के लिये अंशदान देना; **21.** शारीरिक संवर्धन की संस्थाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण या उन्हें सहायता प्रदान करना; **22.** प्राथमिक स्कूलों की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना; **23.** आग बुझाने में सहायता देना और आग लगने पर जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करना; **24.** बोर्ड में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी सम्पत्ति की सुरक्षा करना, उसका अनुरक्षण तथा विकास करना; **25.** बोर्ड की वित्त–व्यवस्था को संतोषप्रद स्थिति में बनाये रखना और उसके दायित्वों को पूरा करना; **26.** शासकीय पत्रों पर तत्काल ध्यान देना और ऐसी विवरणियां, विवरण और रिपोर्ट तैयार करना, जिन्हें राज्य सरकार नगरपालिका से प्रस्तुत करने की अपेक्षा करें; **27.** विधि द्वारा उस पर अधिरोपित किसी बाध्यता की पूर्ति करना; **28.** चर्मशोधन शालाओं को विनियमित करना; **29.** पार्किंग स्थल, बस स्टाप और जन सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण करना; **30.** नगरीय वानिकी और परिस्थितिकी पहलुओं की अभिवृद्धि और पर्यावरण का संरक्षण करना; **31.** समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मन्द व्यक्ति हैं, हितों का संरक्षण करना; **32.** सांस्कृति, शैक्षणिक और सौन्दर्यपरक पहलुओं की अभिवृद्धि करना; **33.** कांजी हाउस का निर्माण और अनुरक्षण करना और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करना; **34.** गन्दी–बस्ती सुधार और उन्नयन; **35.** नगरीय निर्धनता कम करना; **36.** नगरीय सुख–सुविधाओं, जैसे कि पार्क, उद्यान और खेल के मैदानों की व्यवस्था करना ।	जिनसे लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा में अभिवृद्धि होने की संभावना हो; **20.** अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ें वर्गों की सामाजिक निर्योग्यताओं को ऐसी रीति से दूर करना, जो विहित की जाये; **21.** भिक्षा–वृत्ति पर नियंत्रण के लिये उपाय करना; **22.** कोई ऐसा कार्य करना जिसके सम्बन्ध में व्यय राज्य सरकार द्वारा या नगरपालिका द्वारा अन्य सरकार की स्वीकृति से, नगरपालिका निधि पर समुचित प्रभार घोषित किया जाय; परन्तु यह कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, किसी नगरपालिका या समस्त नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में यह घोषणा कर सकती है कि इस धारा में उल्लिखित कोई भी कृत्य, संबद्ध नगरपालिका या नगरपालिका का कर्तव्य होगा और तदुपरान्त इस अधिनियम के उपबन्ध उस पर लागू होंगे मानो वह धारा 7 द्वारा अधिरोपित कोई कर्तव्य हों । नगरपालिका, नगर पालिका की सीमाओं से परे किसी नगरपालिका उपक्रम की प्रसुविधाओं के विस्तार के किये व्यवस्था कर सकता है: परन्तु यह कि किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें किसी छावनी का सम्पूर्ण या उसका कोई भाग समाविष्ट तथा अन्तर्विष्ट हो, जल–संम्भरण के लिये किसी नगरपालिका उपक्रम की प्रसुविधाओं के विस्तार के लिये केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई व्यवस्था नहीं की जायेगी।

12.7 राज्य नगरीय विकास संस्थान, नैनीताल के माध्यम आयोग द्वारा कराये गये अध्ययन में इंगित विवरण अनुसार राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को अनुसूची 12 में वर्णित 18 विषयों को सौंपे जाने की स्थिति इंगित की गई है जिसका सार यहॉ नीचे दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संपरीक्षा प्रतिवेदनों में भी शहरी निकायों को सौंपे गए विषयों/कार्यों की स्थिति इंगित की गई है–

शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे गये विषयों/कार्यों की स्थिति

क्र.सं.	विषय/कार्य	क्रियाकलाप	विषय/कार्य सम्पन्न करने वाले प्राधिकारी
1	नगरीय योजना एवं नगर योजना	मास्टर प्लान विकास योजना/जोनल प्लान, मास्टर प्लानिंग विनियमों का प्रवर्तन	उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण, जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर, नैनीताल एवं चम्पावत।
		भवन उपनियमों एवं अनुज्ञावों का प्रवर्तन	
		समूह आवासों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास	सिडकुल, पी.पी.पी. प्रकोष्ठ
2	भूमि उपयोग विनियमन और भवनों का निर्माण	भूमि उपयोग विनियमन	सम्बन्धित जनपदीय विकास प्राधिकरण और राजस्व विभाग
		भवन मानचित्र /ऊँचे निर्माणों की स्वीकृति	सम्बन्धित जनपदीय विकास प्राधिकरण
		अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण	सम्बन्धित जनपदीय विकास प्राधिकरण
3	आर्थिक एवं सामाजिक विकास का नियोजन	आर्थिक क्रिया कलापों के कार्यक्रम क्रियान्वयन	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) एवं शहरी स्थानीय निकाय
		सामाजिक विकास के लिए नीतियाँ	समाज कल्याण विभाग एवं शहरी स्थानीय निकाय
4	सड़क एवं पुल	सड़कों का निर्माण एवं अनुरक्षण	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), लोक निर्माण विभाग, शहरी स्थानीय निकाय
		पुलों, नालियों, फ्लाई ओवर और फुटपाथों का निर्माण व अनुरक्षण	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), सिंचाई विभाग एवं शहरी स्थानीय निकाय
5	घरेलू, व्यवसायिक व वाणिज्यिक उपयोग हेतु जलापूर्ति	जल वितरण, संयोजन देना संचालन व अनुरक्षण मूल्य वसूली	पेयजल निगम एवं जल संस्थान
6	सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई एवं ठोस अपशिष्ट	अस्पतालों एवं औषधालयों का अनुरक्षण प्रतिरक्षण /टीकाकरण	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्र.सं.	विषय/कार्य	क्रियाकलाप	विषय/कार्य सम्पन्न करने वाले प्राधिकारी
	प्रबन्धन	जन्म–मृत्यु पंजीकरण	सम्बन्धित जनपद में शहरी स्थानीय निकाय
		संक्रामक रोगों से ग्रस्त स्थानों का कीटाणुशोधन तथा सफाई	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शहरी स्थानीय निकाय
		ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	शहरी स्थानीय निकाय
		सार्वजनिक बाजारों का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण	शहरी स्थानीय निकाय एवं छावनी परिषद
7	अग्निशमन सेवाऐं	फायर ब्रिगेड स्थापना एवं अनुरक्षण	अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग
		अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र/ऊँचे भवनों के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रमाण पत्र	अग्निशमन विभाग एवं विकास प्राधिकरण
8	शहरी वानिकी एवं पारिस्थितिकी अयामों की अभिवृद्धि	वनीकरण	प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और नियोजन प्राधिकरण (CAMPA), वन विभाग
		हरितीकरण	
		जागरूकता अभियान पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी पहलुओं का संवर्द्धन	वन विभाग द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान (NEAC), गैर सरकारी संगठन (NGOs) समुदाय आधारित संगठन (CBOs)
		प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल स्थानों आदि का रखरखाव	CAMPA, वन विभाग, जल संस्थान एवं शहरी स्थानीय निकाय
9	विकलांगों और मंदबुद्वि सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण	लाभार्थियों का चिन्हीकरण	समाज कल्याण विभाग एवं शहरी स्थानीय निकाय
		उपकरण/ लाभ, जैसे तिपहिया देना	
		आवासीय कार्यक्रम	शहरी स्थानीय निकाय, सम्बन्धित जनपद के विकास प्राधिकरण
		छात्र वृत्ति	समाज कल्याण विभाग
10	मलिन बस्ती सुधार एवं उन्नयन	लाभार्थियों का चिन्हांकन	शहरी स्थानीय निकाय, जिला प्रशासन
		वहन करने योग्य किफायती आवास	शहरी स्थानीय निकाय, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
		उन्नयन	
11	शहरी गरीबी उन्मूलन	लाभार्थियों का चिन्हांकन	NULM, शहरी स्थानीय निकाय
		आजीविका एवं रोजगार	आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
		फुटपाथ विक्रेता	शहरी स्थानीय निकाय
12	शहरी सुख सुविधाओं और जनसुविधाओं का प्रावधान जैसे पार्क, बाग एवं खेल मैदान	पार्क एवं बागों की स्थापना	सम्बन्धित जनपद में विकास प्राधिकरण, शहरी स्थानीय निकाय
		संचालन एवं अनुरक्षण	
13	सांस्कृतिक, शैक्षणिक और	स्कूल एवं शिक्षा	विद्यालयी शिक्षा विभाग

क्र.सं.	विषय/कार्य	क्रियाकलाप	विषय/कार्य सम्पन्न करने वाले प्राधिकारी
	सौन्दर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि	मेले एवं त्यौहार	शहरी स्थानीय निकाय, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई
		सांस्कृतिक भवन/संस्थाऐं	पर्यटन विभाग
		विरासत	पर्यटन विभाग
		सार्वजनिक स्थल सौन्दर्यीकरण	शहरी स्थानीय निकाय, पर्यटन विभाग
14	शव गाडना और कब्रिस्तान, शवदाह एवं श्मशान	शवदाह गृहों का निर्माण एवं संचालन व अनुरक्षण, कब्रिस्तान एवं विद्युत शवदाह गृह	शहरी स्थानीय निकाय, सिंचाई विभाग, निजी ट्रस्ट, वक्फ बोर्ड
15	कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण	आवारा जानवरों को पकड़ना एवं रखना	पशुधन तथा दुग्ध विकास विभाग, शहरी स्थानीय निकाय
		बन्ध्यकरण एवं एन्टी रैबीज	
		पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना	
16	जन्म व मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आंकड़े	आंकड़ो के रखरखाव तथा अद्यतनीकरण हेतु सूचना प्राप्त करने के लिए अस्पतालों / श्मशानों से समन्वय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शहरी स्थानीय निकाय
17	पथ प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टाप एवं जन सुविधाओं सहित सार्वजनिक सुख–सुविधाऐं	स्ट्रीट लाईट स्थापना एवं रखरखाव	सम्बन्धित जनपद में शहरी स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण
		बसों के मार्गों का निर्णय एवं संचालन	परिवहन विभाग
		पार्किंग स्थलों का निर्माण एवं रखरखाव	परिवहन विभाग, शहरी स्थानीय निकाय
		सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण एवं रखरखाव	शहरी स्थानीय निकाय
18	वधशालाओं एवं चर्मशोधनशालाओं का विनियमन	पशुओं और मांस की गुणवत्ता सुनिश्चित करना	शहरी स्थानीय निकाय, खाद्य सुरक्षा विभाग (अनापत्ति प्रमाण पत्र)
		अपशिष्ट का निस्तारण	शहरी स्थानीय निकाय
		वधशालाओं का संचालन एवं रखरखाव	शहरी स्थानीय निकाय

12.8 अध्ययन में यह इंगित किया गया है कि 18 राज्यों में विधि द्वारा औसतन 17 कार्य विषय शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे गये हैं। यह भी इंगित किया गया है कि नौ राज्यों क्रमशः छत्तीसगढ़, हरयाणा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब एवं त्रिपुरा में सभी 18 कार्य विषय शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे हैं। उल्लेखनीय है कि विकेन्द्रित नगरी शासन को समर्थ करने और शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त करने के लिए कार्य विषयों को उन्हें सौंपा जाना महत्वपूर्ण है। अध्ययन अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में 18 कार्य विषयों के सापेक्ष 8 विषय ही शहरी स्थानीय निकायों को पूर्णतः सौंपे जाने की स्थिति इंगित हुई है और अन्य कार्य विषय शासकीय विभागों/संस्थाओं द्वारा निर्वहन किये जा रहे हैं। राज्य में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मुख्यतः ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, वधशालाओं का संचालन एवं रख–रखाव कार्य, जन्म मृत्यु पंजीकरण, कांजी हाउस/आवारा जानवरों सम्बन्धी कार्य, कुछ सीमा तक शहरी सुख–सुविधाओं व जन सुविधाओं के निर्माण व रखरखाव/सड़कों व नालियों का निर्माण व

रखरखाव/पार्कों का निर्माण व रखरखाव/शवदाह गृहों का निर्माण, संचालन व रखरखाव/पार्किंग व बस स्टाप आदि किये जा रहे हैं। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जो कार्य किये जा रहे हैं उनमें से अधिकांश के सम्बन्ध में शासकीय विभागों/संस्थाओं द्वारा भी कार्य किया जा रहा है जिससे आपसी समन्वय की कमी, क्षेत्राधिकार एवं अतिव्यापन एवं कार्य दोहराव जैसी स्थिति होने से किसी एक निकाय की जवाबदेही आसानी से नियत /निर्धारित नहीं हो पाती है। इस प्रकार विधिक तथा वास्तविक रूप से कार्य विषयों को शहरी स्थानीय निकायों को सौंपने की स्थिति में काफी अन्तर तो है ही, साथ ही किसी का उत्तरदायित्व स्पष्ट निर्धारण करने की भी समस्या है।

12.9 शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे गए अथवा उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों (विशिष्ट रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य) के प्रदर्शन की स्थिति तथा नागरिकों की उन कार्यों के सम्बन्ध में संतुष्टि स्तर बहुत संतोषजनक नहीं देखा गया है और यह स्थिति सभी शहरों को देखने मात्र से ही विदित हो जाती है। इस सम्बन्ध में इस प्रतिवेदन के अध्याय 4 एवं अध्याय 13 में स्थिति इंगित की गई है।

12.10 भारत के संविधान के 74वें संशोधन के लागू होने को 32 वर्ष और उत्तराखण्ड राज्य के गठन को 25 वर्ष बाद भी एक ओर शहरी स्थानीय निकायों को संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य/विषय सौंपने में असमर्थता और उनके सौंपे गए कार्यों/विषयों का कमजोर प्रदर्शन, एक ओर चिंता का विषय है तो दूसरी ओर, शहरी स्थानीय निकायों की कमजोर स्थिति और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का कमजोर प्रदर्शन यह दर्शाता है कि राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों दोनों की ओर से इन्हें स्थानीय स्तर पर सशक्त और मजबूत स्वशासन इकाइयाँ बनाने में रुचि या तत्परता की कमी/उदासीनता है।

12.11 शहरी स्थानीय निकाय शासन में शहरी विकास विभाग के प्रशासनिक पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करते हैं, तथा सरकार और शहरी स्थानीय निकायों के बीच समन्वय के लिए शहरी विकास निदेशालय स्थापित और संचालन में है; मगर यह निदेशालय भी पर्याप्त रूप से सशक्त प्रतीत नहीं होता। यह अनुभव किया गया है कि वित्तीय आकड़ों सहित सत्यापित, अद्यतन और समेकित जानकारी, न तो नियमित रूप से शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध हैं और न ही ये समग्रता में शहरी विकास निदेशालय के पास हैं। इस संदर्भ में यह वांछनीय है कि ऑनलाइन और वास्तविक समय अनुसार सूचना/आकड़ों को संग्रहित, संचित और उपयोग करने के लिए उचित प्रणाली स्थापित की जाए, जिसमें एक प्रभावी डेटा सेंटर का निर्माण भी शामिल हो। आज के कंप्यूटर, डिजिटल तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी के युग में, इन आधुनिक तकनीकों और ज्ञान का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र और गतिविधि में आवश्यक है।

12.12 विगत कुछ समय पूर्व उत्तराखण्ड राज्य के 'सेतु आयोग' State Institute of Empowering and Transforming Uttarakhand (SETU) द्वारा "Urban Transformation of Uttarakhand : Empowering Urban Local Bodies- A Roadmap for Livable and Inclusive Cities" नामक अपने प्रतिवेदन में उत्तराखण्ड के शहरों की निम्नलिखित कमियों को इंगित करते हुए स्पष्ट रूप से शहरों के कमजोर प्रदर्शन में सेवा प्रदाय, संस्थागत शासन एवं नागरिकों की सहभागिता की कमी पर चिन्ता व्यक्त की है–

1. चौहत्तरवें संविधान संशोधन के तीस वर्षों बाद भी कमजोर स्थानीय शासन।
2. शहरी स्थानीय निकायों का लगभग 86 प्रतिशत राजस्व राज्य व केन्द्र से प्राप्त होता है जो उनकी कमजोर वित्तीय स्वायत्तता तथा सरकार के अनुदान पर निर्भरता को उजागर करता है।
3. उत्तराखण्ड में कई शहरी स्थानीय निकायों में जनसंख्या व क्षेत्रफल अति न्यून है।

4. पन्द्रहवें वित्त आयोग अनुसार कार्यो के अन्तरण में उत्तराखण्ड सबसे निचले स्थान से एक स्थान ऊपर है। यह भी इंगित किया है कि चार महत्वपूर्ण कार्य विषय क्रमशः शहरी नियोजन, जलापूर्ति, अग्निशमन सेवा तथा भूमि उपयोग विनियमन राज्य की शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं के पास हैं जबकि छः कार्य विषय क्रमशः सड़क एवं पुल, शहरी वानिकी, कमजोर वर्गों का कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, शिक्षा और सांस्कृतिक अवसंरचना आंशिक रूप से अन्तरित हैं। इस विखरी हुई व्यवस्था से उत्तरदायित्व की अतिव्याप्ति, संसाधनों का अदक्ष उपयोग, जवाबदेही की कमी तथा परिसम्पत्तियों के कमजोर रखरखाव परिणामित है और इससे शहरी शासन की प्रभावशीलता में काफी कमी हुई है। यह भी इंगित किया गया है कि नगर निकायों में लगभग 60 प्रतिशत स्वीकृत पद रिक्त हैं तथा इनमें, विशेषकर पर्वतीय जनपदों में, तकनीकी पदों की कमी है और कार्यों की अस्पष्टता है जिससे शहरी प्रबन्धन की प्रभावशीलता में कमी है। शहरी निकायों का वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर होने से वे अवसंरचनाओं के वित्त पोषण के अयोग्य हैं। यह भी पाया है कि नगर निकायों में सेवा प्रदाय कार्य खराब स्थिति में है एवं नागरिकों की भागीदारी न्यून है।

'सेतु आयोग' द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में उक्त स्थिति के दृष्टिगत उत्तराखण्ड के शहरी शासन को पुनर्जीवित करने अथवा नई जान फूकने के लिए चरणवद्ध सुधार मार्ग (रोड़ मैप) का सुझाव दिया है जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने, वित्तीय स्वास्थ्य के सुधार/अभिवृद्धि सहित विखरे दायित्व को समेकित कर दायित्व विखराव को कम करने के बिन्दु सम्मिलित हैं। सेतु आयोग के विशिष्ट सुझाव निम्नानुसार हैं–

1. जलापूर्ति एवं शहरी नियोजन जैसे प्रमुख कार्य विषय सरकारी/अर्धसरकारी संस्थाओं से शहरी स्थानीय निकायों को अन्तरित किया जाना तथा साथ में निकायों की क्षमता व वित्तीय अभिवृद्धि किया जाना। इस हेतु शासकीय स्वीकृति प्राप्ति से एक वर्ष में कार्य विषय अन्तरण पूर्ण किया जाने की उम्मीद इंगित की गई है।
2. संसाधनों के दोहराव, स्पष्ट जवाबदेही तथा शहरी स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण हेतु आंशिक रूप से अन्तरित कार्य विषयों को पूर्ण रूप से इन निकायों को अन्तरित किया जाना।
3. कार्मिको की स्वीकृति/आवश्यकता के सापेक्ष कमी/अन्तर की पूर्ति तथा निकायों की क्षमता वृद्धि करना।
4. वित्तीय स्वायत्तता एवं जवाबदेही हेतु सरकारी/अर्धसरकारी संस्थाओं के माध्यम के स्थान पर सीधे शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वितरण किया जाना।
5. सुशासन की अभिवृद्धि, पारदर्शिता तथा वास्तविक समय अनुसार नागरिकों से प्रतिक्रिया (फीड बैक) के लिए डिजीटल उपकरणों का लाभ लेना।
6. योग्य शहरी योजनाकारों, अभियन्ताओं, तथा वित्तीय विशेषज्ञों सम्बन्धी स्टॉफ सहित नगर पालिका नियोजन ईकाईयों की स्थापना करना।
7. सक्रिय वार्ड समितियों तथा समुदायिक मंचों माध्यम नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
8. छोटे शहरी स्थानीय निकायों का समेकन पर विचार ताकि दक्षता में वृद्धि सहित प्रशासनिक दोहराव में कमी हो।
9. कार्य विषयों के अन्तरण कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को देखने हेतु उच्च स्तरीय शक्ति सम्पन्न समिति बनाया जाना।

12.13 उत्तराखण्ड के नगरपालिकाओं के महापौरों और अध्यक्षों ने बार–बार राज्य सरकार से 74वें संविधान संशोधन को पूरी तरह लागू करने की मांग की है। इस संदर्भ में दैनिक जागरण समाचार पत्र की 21 मई 2025 की प्रति **[अनुलग्नक 11(12)]**, ध्यान देने योग्य है।

12.14 शहरी यातायात का विषय भी पूरी तरह से शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, सिवाय कुछ छोटे कार्यों जैसे बस स्टॉप और पार्किंग का प्रबंधन। सितंबर 2025 में, राज्य मंत्रिमंडल ने 'देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट' नामक विशेष प्रयोजन वाहन के गठन को मंजूरी दी, ताकि देहरादून के यातायात तंत्र को सुव्यवस्थित और संगठित किया जा सके। इस संबंध में समाचार दैनिक जागरण, 11 सितंबर 2025 में प्रकाशित हुआ **[अनुलग्नक 12(12)]**। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने देहरादून को स्मार्ट सिटी विकसित करने की योजना को मंजूरी दी, और परियोजना पर कार्य शुरू हो गया। मगर देहरादून नगर निगम को कार्यान्वयन सौंपने के बजाय, इसके लिए एक अलग एजेंसी का निर्माण किया गया।

12.15 आयोग के अल्मोड़ा जिले के दौरे के दौरान, नगर निगम के महापौर और पार्षदों ने सूचित किया कि सिंचाई विभाग द्वारा नालियों के निर्माण के लिए पहला चरण का टेंडर 2023 में जारी किया गया था, लेकिन कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ। बाद में दूसरा टेंडर जारी किया गया, पर कार्य फिर से रुक गया। यह भी बताया गया कि जन निकास प्रणाली के निर्माण के लिए नालियों के साथ चल रही पेयजल पाइपलाइनों को स्थानांतरित करना आवश्यक था। यद्यपि पाइपलाइन स्थानान्तरण के लिए पेयजल विभाग द्वारा निधियाँ स्वीकृत की गईं, परन्तु पाइपलाइन स्थानांतरण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ। नगर निगम की जल निकास निर्माण कार्य में भागीदारी न होने और दो अलग–अलग विभागों के बीच जिम्मेदारियों के विभाजन के कारण जल निकास सुविधा का निर्माण नहीं हो सका, जिससे नागरिक इसके लाभ से वंचित रहे और विलंब के कारण परियोजना की लागत में स्वाभाविक रूप से वृद्धि हुई।

12.16 आयोग के हरिद्वार जिले के दौरे के दौरान, रुड़की नगर निगम के कुछ हिस्सों और आसपास के गाँवों का स्थल निरीक्षण करते हुए यह देखा गया कि वहाँ जल निकास की गंभीर समस्या है। वर्तमान में, रसोई और बाथरूम से निकला अपशिष्ट जल नालियों में जमा हो जाता है, जो पॉलीथीन और अन्य ठोस कचरे से जाम हो गई हैं। अपशिष्ट जल और वर्षा जल के निकास या उपचार का कोई व्यवस्थित प्रबंध नहीं है। इसी प्रकार, देहरादून में बिंदाल और रिसपना जैसी नदियाँ प्रदूषित नालियों में बदल गई हैं, जिनसे गंदगी और बदबू निकल रही है, क्योंकि इनमें सीवेज, ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक और कचरा मौजूद है। जल निकास व्यवस्था आंशिक रूप से नगरपालिकाओं को सौंपा गया है, जबकि सीवेज/अपशिष्ट जल उपचार का अधिकार पेयजल विभाग (जल निगम/जल संस्थान) के पास है। इसके अलावा, हमें यह भी ज्ञात हुआ कि सिंचाई विभाग विभिन्न नगरों के लिए वर्षा जल निकास की योजनाएँ तैयार कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन परियोजनाओं में नगरपालिकाओं को किनारे रखा गया है और उन्हें इनके कार्यान्वयन में शामिल नहीं किया गया है, जो उपयुक्त नहीं है।

12.17 इन टिप्पणियों के प्रकाश में और 74वें संविधान संशोधन के उद्देश्य एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए, **आयोग का मत है कि शहरी निकायों से संबंधित सभी विषय, जिनमें बारहवीं अनुसूची के विषय भी शामिल हैं, को क्रमिक तरीके से पूर्ण रूप से शहरी स्थानीय निकायों को सौंपा जाना चाहिए (उदाहरण के लिए, अगले पाँच वर्षों में वार्षिक आधार पर)। इसके साथ ही, उनके कार्मिक ढ़ाँचा, वित्तीय संसाधन और क्षमताओं में अनुपातिक वृद्धि भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।**

12.18 भारत सरकार ने समय–समय पर अवसंरचना निर्माण, प्रणाली सुदृढ़ीकरण और शहरी प्रशासन सुधार के लिए विभिन्न योजनाएँ, कार्यक्रम और मिशन शुरू किए हैं। पहले के कार्यक्रम जैसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन और अटल मिशन फॉर रीजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT)

लागू किए गए थे, जिनका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों में सुधार लक्ष्यों सहित राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों के बीच समझौता ज्ञापन (MoUs) भी हस्ताक्षरित किए गए थे। इन प्रयासों के बावजूद, शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। आयोग का मानना है कि जब तक शहरी स्थानीय निकायों को उनके कार्य, कर्मी और वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में सक्षम, सशक्त, स्वायत्त और जवाबदेह नहीं बनाया जाता, और एक से अधिक संस्थाओं को कार्य सौंपने से उत्पन्न होने वाले अतिव्यापन की समस्या नहीं सुलझाई जाती, तब तक कुशल शहरी प्रशासन की कल्पना वास्तविकता में नहीं बदल पाएगी।

12.19 भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–प में वर्णित व्यस्थानुसार शहरी निकाय का कार्यकाल अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पॉच वर्ष पूर्ण होने तक ही है, उससे अधिक नहीं। यह देखा गया है कि राज्य में संविधान की उक्त व्यवस्थानुसार नए निर्वाचित शहरी निकायों के गठन की व्यवस्था में बहुधा विलम्ब होता रहा है, इस सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त विवरणानुसार राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचन सम्पन्न कराने की स्थिति नियमानुसार पाई गई है–

शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचन सम्बन्धी विवरण।

क्र. सं.	राज्य गठन की तिथि उपरान्त चुनाव हेतु संविधान अनुसार आंगणित नियत तिथियां	चुनाव सम्पन्न कराने की वास्तविक तिथियां	देरी अथवा पूर्व चुनाव होने की अवधियां	देरी अथवा पूर्व में चुनाव होने के कारण
1	मार्च, 2002	03 फरवरी, 2003	लगभग 11 माह का विलम्ब	पदों/स्थानों का आरक्षण प्राप्त न होने के कारण
2	14 फरवरी, 2008	08 अप्रैल, 2008	लगभग 02 माह का विलम्ब	पदों/स्थानों का आरक्षण प्राप्त न होने के कारण
3	04 मई, 2013	13 अप्रैल, 2013	नियत समय में	–
4	03 मई, 2018	20 नवम्बर, 2018	लगभग 07 माह का विलम्ब	पदों/स्थानों का आरक्षण प्राप्त न होने के कारण
5	01 दिसम्बर, 2023	25 जनवरी, 2025	लगभग 01 वर्ष 01 माह का विलम्ब	पदों/स्थानों का आरक्षण प्राप्त न होने के कारण

12.20 शहरी विकास निदेशालय से आयोग की पृच्छा पर जानकारी प्राप्त हुई है कि निम्नलिखित शहरी निकायों में चुनाव सम्पन्न नहीं हुए जिस सम्बन्ध में कारण भी इंगित किए गए हैं–

क्र.सं.	शहरी निकाय जहां चुनाव सम्पन्न नहीं हुए	चुनाव सम्पन्न न हो पाने का कारण
1	नगर पालिका परिषद, किच्छा	म0 उच्च न्यायालय में याचिका लम्बित होने के कारण
2	नगर पालिका परिषद, सिरौलीकलां	म0 उच्च न्यायालय में याचिका लम्बित होने के कारण
3	नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर	वार्डो के परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण न होने के फलस्वरूप
4	नगर पंचायत, पाटी	वार्डो के परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण न होने के फलस्वरूप

क्र.सं.	शहरी निकाय जहां चुनाव सम्पन्न नहीं हुए	चुनाव सम्पन्न न हो पाने का कारण
5	नगर पंचायत, गढ़ीनेगी	वार्डो के परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण न होने के फलस्वरूप

12.21 चुनाव कराने में विलंब और इस दौरान निर्वाचित शहरी स्थानीय निकायों की अनुपस्थिति, चाहे किसी भी कारण से हो, शहरी शासन में सुधारों के लिए बाधाएँ उत्पन्न करती है। सीटों/पदों का आरक्षण या वार्डों का परिसीमन संवैधानिक रूप से निर्धारित चुनाव तिथियों से पर्याप्त समय पूर्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि चुनाव समय पर संपन्न हो सकें और निर्वाचित निकाय संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यभार ग्रहण कर सकें।

अध्याय–13

शहरीकरण की प्रवृत्तियाँ, बुनियादी ढांचे और सेवा प्रदाय की स्थिति तथा सुझाव

13.1 शहरीकरण एक परिवर्तनकारी सामाजिक–आर्थिक प्रक्रिया है, जो मानव बस्तियों, अर्थव्यवस्थाओं और शासन संरचनाओं को रूपांतरित करती है। अनुमान है कि वर्ष 2050 तक विश्व की लगभग दो–तिहाई जनसंख्या शहरों में निवास करेगी, जिससे औद्योगीकरण और आर्थिक विकास में तीव्रता आएगी। यह अनुमानित है कि भारत में देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 70 प्रतिशत भाग शहरों पर निर्भर करता है, किन्तु शहरी तथा अन्य आधारभूत अवसंरचनाएँ पर्याप्त नहीं हैं। अतः शहरों के लिए बेहतर शहरी शासन व्यवस्था, सुधार, वित्तीय स्वायत्तता और उन्नत शहरी वित्त प्रणाली की आवश्यकता है।

13.2 चूँकि शहरीकरण तथा शहरीकरण की तीव्र गति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और उत्तराखण्ड भी मैदानी क्षेत्रों के शहरों तथा उनके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मानव जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का अनुभव कर रहा है, इसलिए यह आवश्यक है कि शहरी क्षेत्रों (चारों ओर के परिनगरीय क्षेत्रों और शहरी समूह सहित) में आधारभूत अवसंरचना तथा सेवा प्रदाय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और पर्याप्त सुविधाओं एवं जनसुविधाओं हेतु दूरदर्शी तथा उपयुक्त शहरी नियोजन/नगर नियोजन की स्थापना की जाय। इसके अतिरिक्त इन शहरों के शासन, प्रशासन, वित्त तथा स्वायत्तता (वित्तीय स्वायत्तता सहित) को सुदृढ़ करना भी आवश्यक है। यह उल्लेखनीय है कि आयोग के जनपद भ्रमणों के दौरान कुछ जनप्रतिनिधियों ने यह अपेक्षा व्यक्त की कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवश्यक अवसंरचना का विकास किया जाए, ताकि भविष्य में शहरी क्षेत्रों का विस्तार अधिक सुगम तथा कम लागत वाला हो सके।

13.3 इस प्रतिवेदन के अध्याय 5 (तालिका 5.10) में उत्तराखण्ड राज्य में नवीनतम जनसंख्या तथा शहरीकरण की गति के अनुमानों को दर्शाया गया है। किसी शहरी क्षेत्र की परिभाषा प्रत्येक राज्य में भिन्न हो सकती है, किन्तु जनगणना नगरों के रूप में चिन्हित क्षेत्रों के लिए सभी राज्यों में कदाचित लगभग समान मानदण्ड होते हैं। बहरहाल, उत्तराखण्ड राज्य में शहरीकरण की गति अपेक्षाकृत अधिक तेज है। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ इसका तुलनात्मक विवरण भी उक्त अध्याय में इंगित है।

13.4 देश के अन्य भागों की तरह उत्तराखण्ड राज्य में भी आरम्भिक वर्षों में शहरीकरण की गति धीमी थी, किन्तु अब इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। इस संबंध में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा उत्तराखण्ड में शहरीकरण पर कराए गए अध्ययन से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। उक्त अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार राज्य में शहरीकरण की प्रवृत्तियाँ निम्नानुसार पाई गई हैं–

तालिका 13.1

उत्तराखण्ड में शहरीकरण की प्रवृति 1901–2011

दशक	कुल जनसंख्या	दशकीय जनसंख्या वृद्धि	शहरी जनसंख्या	शहरी जनसंख्या वृद्धि	दशकीय शहरी जनसंख्या वृद्धि
1901	1979866	-	154424	7.80	-
1911	2142258	8.20	179332	8.37	16.13
1921	2115984	-1.22	191660	9.06	6.87
1931	2301019	8.74	195797	8.51	2.16
1941	2614540	13.63	270503	10.35	38.15

दशक	कुल जनसंख्या	दशकीय जनसंख्या वृद्धि	शहरी जनसंख्या	शहरी जनसंख्या वृद्धि	दशकीय शहरी जनसंख्या वृद्धि
1951	2945929	12.67	400631	13.60	48.11
1961	3610938	22.57	495995	13.74	23.80
1971	4492724	24.42	734856	16.36	48.16
1981	5725972	27.45	1149136	20.07	56.38
1991	7060634	23.31	1634084	23.18	42.20
2001	8489349	11.53	2179074	25.67	33.35
2011	10086292	18.81	3049338	30.23	39.94

स्रोत–चतुर्थ राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन

13.5 उत्तराखण्ड राज्य में शहरीकरण की उपर्युक्त प्रवृत्तियों की स्थिति के अतिरिक्त यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि राज्य के मैदानी क्षेत्रों में शहरीकरण की गति, पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक तेज है। शहरी विकास निदेशालय से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर इसका विवरण नीचे दी गई तालिका 13.2 में इंगित है।

तालिका 13.2

जनपद वार शहरीकरण स्तर का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्रवार जनपद	शहरीकरण प्रतिशत 2001 (जनगणना)	शहरीकरण प्रतिशत 2011 (जनगणना)
(अ)	**मैदानी क्षेत्र**		
1	हरिद्वार	30.88	36.66
2	ऊधमसिंह नगर	32.6	35.58
(ब)	**पर्वतीय क्षेत्र**		
3	देहरादून	52.9	55.52
4	चमोली	13.7	15.17
5	पिथौरागढ़	12.9	14.40
6	रूद्रप्रयाग	1.2	4.10
7	उत्तरकाशी	7.8	7.36
8	अल्मोड़ा	8.6	10.01
9	बागेश्वर	3.1	3.49
10	चम्पावत	15.0	14.77
11	पौड़ी गढ़वाल	12.9	16.40
12	नैनीताल	35.3	38.94
13	टिहरी	9.9	11.33

स्रोत– शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड सरकार

13.6 जनगणना 2001 तथा 2011 अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में जनपदवार शहरीकरण, तथा स्थलाकृति के आधार पर वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के नगरों का वितरण क्रमशः तालिका 13.3 और 13.4 में दर्शाया गया

है। ये विवरण आयोग द्वारा सौंपे गए अध्ययन के अंतर्गत राज्य नगरीय विकास संस्थान, नैनीताल द्वारा तैयार की गई अध्ययन रिपोर्ट में वर्णित हैं।

तालिका 13.3

उत्तराखण्ड में शहरीकरण की जनपदवार स्थिति (जनगणना 2001 एवं 2011 अनुसार)

क्र. सं.	जनपद	जनगणना 2001			जनगणना 2011		
		कुल जनसंख्या	शहरी जनसंख्या	शहरीकरण प्रतिशत	कुल जनसंख्या	शहरी जनसंख्या	शहरीकरण प्रतिशत
1	उत्तरकाशी	295013	22918	7.8	330086	24305	7.4
2	चमोली	370359	50703	13.7	391605	59396	15.2
3	रूद्रप्रयाग	227439	2732	1.2	242285	9925	4.1
4	टिहरी गढ़वाल	604747	59846	9.9	618931	70139	11.3
5	देहरादून	1282143	678742	52.9	1696694	941941	55.5
6	पौड़ीगढ़वाल	697078	89875	12.9	687271	112703	16.4
7	पिथौरागढ़	462289	59833	12.9	483439	69605	14.4
8	बागेश्वर	249462	7803	3.1	259898	9079	3.5
9	अल्मोड़ा	630567	54505	8.6	622506	62314	10.0
10	चम्पावत	224542	33778	15.0	259648	38343	14.8
11	नैनीताल	762909	269050	35.3	954605	371734	38.9
12	ऊधमसिंह नगर	1235614	403014	32.6	1648902	586760	35.6
13	हरिद्वार	1447187	446275	30.8	1890422	693094	36.7
	उत्तराखण्ड	8489349	2179074	25.7	10086292	3049338	30.2

तालिका 13.4

स्थलाकृति आधार पर उत्तराखण्ड में शहरों का विवरण, 2011

क्र.सं.	जनपद	पर्वतीय स्थलाकृति				मैदानी स्थलाकृति			
		शहरी क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	शहरी केन्द्रों की संख्या	शहरी जनसंख्या	शहरी जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	शहरी क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	शहरी केन्द्रों की संख्या	शहरी जनसंख्या	शहरी जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)
1	देहरादून	83.36	3	38774	465	188.94	19	897905	4752
2	हरिद्वार	-	-	-	-	121.24	24	693094	5717
3	ऊधमसिंह नगर	-	-	-	-	122.21	19	573063	4689
4	चमोली	39.53	6	59396	1503	-	-	-	-
5	पिथौरागढ़	16.5	3	69605	4218	-	-	-	-
6	रूद्रप्रयाग	12.75	2	9925	778	-	-	-	-
7	उत्तरकाशी	27.02	3	24305	900	-	-	-	-
8	अल्मोड़ा	35.68	5	62314	1746	-	-	-	-
9	बागेश्वर	5.5	1	9079	1651	-	-	-	-
10	चम्पावत	9.5	2	12727	1340	3.54	2	25616	7236
11	पौड़ी गढ़वाल	59.08	4	53644	908	12.09	4	54167	4480
12	नैनीताल	39.43	4	56806	1441	58.45	7	314928	5388

क्र.सं.	जनपद	पर्वतीय स्थलाकृति				मैदानी स्थलाकृति			
		शहरी क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	शहरी केन्द्रों की संख्या	शहरी जनसंख्या	शहरी जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	शहरी क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	शहरी केन्द्रों की संख्या	शहरी जनसंख्या	शहरी जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)
13	टिहरी	63.66	5	44371	697	3.45	2	28636	8300
	उत्तराखण्ड	392.01	38	440946	1125	509.92	77	2587409	5074

स्रोत–राज्य शहरी विकास संस्थान, नैनीताल से प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदन

13.7 तालिका 13.4 से स्पष्ट होता है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड का कुल शहरी क्षेत्रफल 901.93 वर्ग किमी है, जिसमें से पर्वतीय क्षेत्र के 38 नगरों की शहरी जनसंख्या कुल शहरी जनसंख्या का 14.56 प्रतिशत है, जबकि मैदानी क्षेत्र के 77 नगरों की शहरी जनसंख्या 85.44 प्रतिशत है। यह भी स्पष्ट है कि पर्वतीय क्षेत्र के नगरों का कुल क्षेत्रफल 392 वर्ग कि.मी. है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में यह लगभग 510 वर्ग कि.मी. है। जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों के नगरों में घनत्व केवल 1,125 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में यह पर्वतीय नगरों की तुलना में लगभग 4.5 गुना अधिक, अर्थात् 5,074 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है।

13.8 तालिका 13.2 से स्पष्ट होता है कि राज्य के मैदानी जिलों में शहरीकरण की गति काफी अधिक है, जबकि पर्वतीय जिलों में यह अपेक्षाकृत कम है, और विशेष रूप से रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी तथा बागेश्वर जिलों में यह बहुत कम है। तालिका 13.4 से यह भी स्पष्ट होता है कि मैदानी क्षेत्रों में न केवल नगरों की संख्या और उनका कुल क्षेत्रफल अधिक है, बल्कि वहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है।

13.9 उत्तराखण्ड में शहरीकरण की तीव्र गति के पीछे कई कारण हैं। सामान्यतः इनमें सेवाओं एवं सुविधाओं तक आसान पहुँच, आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने के अवसर, तथा प्राथमिक क्षेत्र की अपेक्षा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार को अधिक प्राथमिकता देना शामिल है। ये सभी कारक ग्रामीण निवासियों को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से शहरों या उनके आसपास के क्षेत्रों में प्रवास करने के लिए प्रेरित करते हैं। उत्तराखण्ड में पर्वतीय जिलों/क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर होने वाला पलायन मुख्यतः इन्हीं कारणों से होता है। इसके अतिरिक्त, यह स्थिति पर्वतीय क्षेत्रों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, और सेवाओं, सुविधाओं एवं आधारभूत अवसंरचना की अपर्याप्त उपलब्धता, तथा मैदानी क्षेत्रों की तुलना में वहाँ अत्यंत सीमित आर्थिक एवं रोजगार के अवसरों से भी प्रभावित होती है। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश से सटे क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों से भी लोग विभिन्न कारणों से उत्तराखण्ड के मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में आकर बस गए हैं।

13.10 इन परिस्थितियों में राज्य के मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के साथ–साथ शहरीकरण की गति भी तीव्र हो रही है। इस तेज शहरीकरण की प्रवृत्ति के साथ–साथ शहरों के आसपास के परिनगरीय क्षेत्रों का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप कई जनपदों में दो या अधिक शहरों के बीच के मध्य जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि ये शहर या तो पहले ही एक ही शहरी क्षेत्र में मिल चुके हैं या शीघ्र ही मिल जाने संभावित हैं। यद्यपि कुछ स्थानों पर शहरों के बीच स्थित वन क्षेत्र और कृषि भूमि अब तक बसावट को रोके हैं, फिर भी डोईवाला–भनियावाला–जॉलीग्रांट, रुद्रपुर– किच्छा– गदरपुर–पंतनगर, हल्द्वानी– लालकुआँ– कालाढूंगी, ऋषिकेश–मुनि की रेती–तपोवन–स्वर्गाश्रम, रायवाला–हरिद्वार, रुड़की–लंढौरा–मंगलौर, रुद्रप्रयाग–अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी–फाटा–सोनप्रयाग–गौरीकुंड, काशीपुर–रामनगर तथा राज्य के अन्य समान क्षेत्र इस शहरीकरण और शहरी समूह की प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से

दर्शाते हैं। इस प्रकार केवल मैदानी क्षेत्रों में शहरीकरण की गति तेज ही नहीं है, बल्कि लगभग प्रत्येक जिले में कई शहरी गलियारें भी विकसित हो चुके हैं और निरंतर विकसित हो रहे हैं।

13.11 वर्तमान में राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के गठन की सामान्य प्रथा यह है कि ऐसे निकाय किसी एक जनपद की सीमा के भीतर ही सीमित रहते हैं परन्तु नगर पालिका परिषद देवप्रयाग एक सुखद अपवाद है। भौगोलिक स्थिति के आधार पर राज्य में दो या अधिक जनपदों में कई ऐसे शहरी स्थानीय निकाय हैं जो पृथक–पृथक निकाय हैं परन्तु एक–दूसरे के सन्निकट हैं या एकदम परस्पर सटे हुए हैं। उदाहरण के लिए देहरादून, टिहरी और पौड़ी जनपदों में ऋषिकेश नगर निगम (देहरादून), मुनि की रेती–ढालवाला नगर पालिका परिषद, तपोवन नगर पंचायत (टिहरी) तथा स्वर्गाश्रम–जौंक नगर पंचायत (पौड़ी) ऐसे हैं, जो अलग–अलग जनपदों में स्थित परन्तु परस्पर सटे हुए शहरी स्थानीय निकाय हैं। इसी प्रकार श्रीनगर नगर निगम (पौड़ी) और कीर्तिनगर नगर पंचायत (टिहरी) तथा टिहरी जनपद का चौरास क्षेत्र भी परस्पर सटे हुए शहरी स्थानीय निकायों/ग्रामीण पंचायत के अन्य उदाहरण हैं। नगर पालिका परिषद् देवप्रयाग एक मात्र ऐसा स्थानीय निकाय /नगर पालिका परिषद जिसका क्षेत्राधिकार दो जनपदों क्रमशः टिहरी गढवाल एवं पौड़ी गढ़वाल जनपदों के सीमान्तर्गत है। एक ही जनपद के अन्तर्गत निकटस्थ स्थित शहरी स्थानीय निकायों के उदाहरण रूप में हरिद्वार जनपद में रुड़की नगर निगम, रामपुर नगर पंचायत और ढ़ंढेरा नगर पंचायत, तथा हरिद्वार नगर निगम और शिवालिक नगर पालिका परिषद हैं।

13.12 राज्य में शहरीकरण की प्रवृत्तियों और उसकी वर्तमान स्थिति के संबंध में आयोग ने उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (U-SAC) से उपग्रह चित्रों के आधार पर जानकारी प्राप्त की। प्राप्त विवरणों के अनुसार, मौजूदा शहरी स्थानीय निकायों के आसपास तथा अन्य क्षेत्रों में कई बसावटे या तो पहले ही शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुके हैं या ऐसा होने की प्रक्रिया में हैं। प्राप्त जानकारी का संक्षिप्त सार निम्नलिखित है–

जनपदवार शहरीकृत रूप ले रहे या लेने वाले ग्रामीण क्षेत्रों का विवरण

क्र.सं.	जनपद	वर्तमान शहरी निकायों की कुल संख्या/प्रकार	शहरीकृत हो रहे/होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या	टिप्पणी
1	देहरादून	नगर निगम–2	66	सम्बन्धित क्षेत्र उसी जनपद के अथवा दूसरे जनपद के वर्तमान शहरी निकायों के चारों ओर हैं या पृथक शहरों का रूप ले रहे हैं अथवा लेने वाले हैं।
		नगर पालिका परिषद्–4		
		नगर पंचायत–1		
	योग	07		
2	हरिद्वार	नगर निगम–2	65	
		नगर पालिका परिषद्–3		
		नगर पंचायत–9		
	योग	14		
3	टिहरी	नगर पालिका परिषद्–5	27	
		नगर पंचायत–6		
	योग	11		
4	पौड़ी	नगर निगम–2	3	
		नगर पालिका परिषद्–2		

क्र.सं.	जनपद	वर्तमान शहरी निकायों की कुल संख्या/प्रकार	शहरीकृत हो रहे/होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या	टिप्पणी
		नगर पंचायत–3		
	योग	**07**		
5	**रूद्रप्रयाग**	नगर पालिका परिषद्–1	**4**	
		नगर पंचायत–5		
		योग–06		
6	**चमोली**	नगर पालिका परिषद्–4	**2**	
		नगर पंचायत–7		
	योग	**11**		
7	**उत्तरकाशी**	नगर पालिका परिषद्–4	**2**	
		नगर पंचायत–2		
	योग	**06**		
8	**अल्मोड़ा**	नगर निगम–1	**2**	
		नगर पालिका परिषद्–1		
		नगर पंचायत–3		
	योग	**05**		
9	**बागेश्वर**	नगर पालिका परिषद्–1	**19**	
		नगर पंचायत–2		
	योग	**03**		
10	**चम्पावत**	नगर पालिका परिषद्–3	**11**	
		नगर पंचायत–2		
	योग	**05**		
11	**नैनीताल**	नगर निगम–1	**8**	
		नगर पालिका परिषद्–5		
		नगर पंचायत–1		
	योग	**07**		
12	**पिथौरागढ़**	नगर निगम–1	**3**	
		नगर पालिका परिषद्–4		
		नगर पंचायत–1		
	योग	**06**		
13	**ऊधमसिंह नगर**	नगर निगम–2	**24**	
		नगर पालिका परिषद्–9		
		नगर पंचायत–9		
	योग	**20**		

स्रोत–उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र से प्राप्त विवरण

13.13 इस संबंध में आयोग अनुशंसा करता है कि उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (U-SAC) से प्राप्त नवीनतम उपग्रह चित्रों का उपयोग करते हुए राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों के चारों ओर विकसित हो

चुके / हो रहे परिनगरीय क्षेत्रों तथा उन ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान की जाए जो या तो शहरीकृत हो चुके है अथवा हो रहे हैं, को चिन्हित किया जाय और वर्तमान शहरी निकायों के निकट स्थित ऐसे क्षेत्रों को कई नये नगर पंचायतों के रूप में गठित करने के स्थान पर इन क्षेत्रों को वर्तमान शहरी स्थानीय निकायों में, उन शहरी स्थानीय निकायों का क्षेत्र विस्तार आवश्यक होने पर उनका उच्चीकरण करते हुए उन्हें ऐसे शहरी निकायों में सम्मिलित किया जाए। ऐसी स्थिति में, वर्तमान शहरी स्थानीय निकायों को उच्चीकृत करना बेहतर विकल्प है, क्योंकि समय के साथ ये नगर पंचायतें अंततः इन शहरी निकायों में विलय हो जाएँगी। ऋषिकेश के आसपास तीन जनपदों में फैले बहु–जनपदीय शहरी समूह के लिए बेहतर शासन और नागरिक सेवाओं में एकरूपता लाने व साझा अवसंरचना के सृजन की अनिवार्यता एवं वहां आने वाले पर्यटकों तथा तीर्थयात्रियों के दैनिक संख्या की व्यवस्था को विचारित कर एक एकीकृत नगर निगम के गठन की संभावना को भी तलाशना चाहिए। ऐसे एकीकृत नगर निगम में महापौर का पद प्रत्येक जिले की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर क्रमागत रूप में बारी–बारी आधार पर आवंटित किया जा सकता है। श्रीनगर–कीर्तिनगर–चौरास शहरी समूह में भी इसी प्रकार का निकाय हो सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित जनपदों के अन्य प्रशासनिक अधिकार क्षेत्रों को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बीच राज्य का शहरी विकास विभाग सटे हुए शहरी स्थानीय निकायों के समन्वित संचालन के लिए एक शासनादेश या दिशा–निर्देश जारी करे, ताकि वे नागरिक सुविधाओं तथा तीर्थयात्री/पर्यटक सेवाओं से संबंधित कार्यों में संसाधनों, परिसंपत्तियों और मानव संसाधनों को साझा करते हुए लागत एवं राजस्व साझेदारी के आधार पर एकीकृत रूप से कार्य कर सकें। ऐसे अंतर–जनपदीय शहरी स्थानीय निकायों का एकीकृत निकाय में विलय कालांतर में हो या न हो, तथापि इस प्रकार के शहरी समूहों के लिए समन्वय और सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) किया जा सकता है, जिसमें उनकी भूमिकाएँ, जिम्मेदारियाँ, लागत एवं राजस्व की हिस्सेदारी तथा अन्य संबंधित विषयों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए। आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि शहरी स्थानीय निकायों और उनके आसपास की ग्राम पंचायतों के बीच भी आपसी सहयोग और समन्वय स्थापित किया जाए, जिसे समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जा सकता है। इससे उपलब्ध संसाधनों को साझा करते हुए नागरिक सेवाओं का बेहतर, अधिक दक्ष और लागत प्रभावी तरीके से संचालन संभव होगा। चमोली जनपद में बद्रीनाथ नगर पंचायत और माणा ग्राम पंचायत, तथा रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ और अगस्त्यमुनि नगर पंचायतों ने सीमित उद्देश्यों, जैसे पार्किंग और कचरा निस्तारण, के लिए इस प्रकार की व्यवस्था पहले ही अपनाई है। आयोग के जनपदीय भ्रमणों के दौरान अनेक शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों ने कचरा निस्तारण, सीवेज एवं वर्षा जल निकासी, पार्किंग तथा राजस्व उत्पन्न करने वाली नागरिक परिसंपत्तियों के निर्माण से संबंधित विभिन्न समस्याएँ और आवश्यकताएँ अलग–अलग रूप से प्रस्तुत कीं। इनमें से कई समस्याओं का समाधान आपसी सहयोग और समन्वय के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है, जिससे सभी हितधारकों को लाभ होगा।

आयोग के संज्ञान में 20.12.2017 को राज्य सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना का एक विचित्र/असामान्य मामला आया, जिसके माध्यम से किच्छा नगर पालिका परिषद की सीमा का विस्तार करते हुए सिरौलीकलां ग्राम पंचायत को उसमें सम्मिलित किया गया था, तथा इसके बाद इस निर्णय को बार–बार बदलने के लिए कई अधिसूचनाएँ जारी की गईं। इस मामले को उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने पर, राज्य सरकार ने 09.03.2018 के न्यायालयीय आदेश के अनुपालन में उक्त अधिसूचना को निरस्त कर दिया और 10.03.2018 को सिरौलीकलां ग्राम पंचायत को सम्मिलित करते हुए किच्छा नगर पालिका परिषद की सीमा के विस्तार के लिए एक नई अधिसूचना जारी की, जिसमें यदि कोई आपत्तियाँ/सुझाव हों तो आमंत्रित किए गए। इसके बाद 05.04.2018 को प्रस्तावित विस्तार की

पुष्टि करते हुए अंतिम अधिसूचना जारी की गई। बाद में 29.07.2021 को राज्य सरकार ने पहले किच्छा नगर पालिका परिषद में सम्मिलित किए गए सिरौलीकलां ग्राम पंचायत क्षेत्र तथा दो अन्य वार्डों को अलग कर एक नए शहरी स्थानीय निकाय अर्थात् नगर पंचायत के गठन की अधिसूचना जारी की। इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई, जिस पर न्यायालय ने उक्त अधिसूचना के क्रियान्वयन पर स्थगन आदेश दे दिया। इसके पश्चात उच्च न्यायालय ने विवादित क्षेत्र में विकासात्मक एवं नागरिक सेवाओं के कार्य किच्छा नगर पालिका परिषद द्वारा जारी रखने के लिए निर्देश दिए। बाद में 08.05.2023 को राज्य सरकार ने संबंधित अधिसूचना को वापस ले लिया। इसके उपरांत राज्य सरकार ने 15.08.2024 को पुनः एक अधिसूचना जारी कर सिरौलीकलां को किच्छा नगर पालिका परिषद के अधिकार क्षेत्र से अलग करने का प्रयास किया। इसके बाद 25.04.2025 और 19.05.2025 को राज्य सरकार ने सिरौलीकलां को संक्रमणाधीन शहरी क्षेत्र मानते हुए "सिरौलीकलां नगर पालिका परिषद" के गठन के लिए अधिसूचनाएँ जारी की। इन अधिसूचनाओं को भी न्यायालय में चुनौती दी गई, जिस पर उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश देते हुए यह निर्देश दिया कि सिरौलीकलां को किच्छा नगर पालिका परिषद का ही हिस्सा माना जाएगा। उपरोक्त घटनाक्रम के कारण पिछले दो वर्षों से किच्छा नगर पालिका परिषद या सिरौलीकलां नगर पालिका परिषद – किसी भी निकाय के चुनाव आयोजित नहीं हो सके हैं। वर्तमान में किच्छा नगर पालिका परिषद प्रशासक के अधीन संचालित हो रही है। इस स्थिति का एक अन्य प्रतिकूल परिणाम यह भी है कि इन निकायों को केन्द्रीय वित्त आयोग के माध्यम से मिलने वाले अनुदान और वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो पा रही है। अतः आयोग अनुशंसा करता है कि सरकार इस बिंदु के पूर्ववर्ती प्रस्तर में उल्लिखित संस्तुति के अनुसार सटे हुए क्षेत्रों को वर्तमान शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने के विषय पर विचार करे।

13.14 भारत के संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों तथा संबंधित विधिक प्रावधानों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों के शासन और प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नगर निकायों की स्थापना की गई है, जबकि इन शहरी स्थानीय निकायों के आसपास स्थित परिनगरीय क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाएँ कार्यरत हैं। इन शहरों और उनके आसपास स्थित पंचायतों के बीच समन्वय, समेकन और सामंजस्य स्थापित करने की अत्यंत आवश्यकता है।

13.15 परिनगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण पंचायतें नागरिक सेवाओं से संबंधित कार्य करती हैं, यद्यपि ये सेवाएँ अक्सर अपर्याप्त या निम्न स्तर की गुणवत्ता वाली होती हैं। शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण और कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता के संदर्भ में उनकी वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत, जल आपूर्ति, सड़क सम्पर्क, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि जैसे शेष नागरिक कार्यों को विभिन्न विभागों और अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। किन्तु ये सभी विभाग और एजेंसियाँ पृथक–पृथक रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि इनके बीच तथा इनके और पंचायती राज संस्थाओं के बीच समुचित समन्वय और सहयोग का अभाव है। परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से उपेक्षा दिखाई देती है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि जनपद के जिलाधिकारी/जिला कलेक्टर इन क्षेत्रों में संबंधित सभी विभागों और एजेंसियों की गतिविधियों और कार्यों का समन्वय करें। जैसा कि पूर्ववर्ती प्रस्तरों में उल्लेखित है, विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं, कार्यक्रमों तथा संबंधित विभागों और एजेंसियों के संसाधनों और परिसंपत्तियों के समेकन और समन्वय से परिनगरीय क्षेत्रों में विद्यमान अनेक कमियों को दूर किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में जिला विकास प्राधिकरणों तथा मंडी बोर्ड/समितियों को भी अधिक सक्रिय विकासात्मक भूमिका निभानी चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकार को सुविचारित दिशा–निर्देश जारी करने चाहिए।

यह भी उल्लेखनीय है कि शहरों के आसपास स्थित परिनगरीय क्षेत्रों तथा संक्रमणाधीन ग्रामीण क्षेत्रों में यह व्यापक धारणा है कि किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित/परिवर्तित करने का अर्थ करों का भुगतान

करने की बाध्यता होती है। इसी कारण इन क्षेत्रों को शहरी स्थानीय निकायों के रूप में उन्नत करने का विरोध भी देखा जाता है। इस धारणा को तत्काल दूर किए जाने की आवश्यकता है, और इस संबंध में उचित तथा व्यावहारिक कदम उठाना, जिनमें राजनीतिक स्तर के प्रयास भी शामिल हों, अत्यंत आवश्यक है।

13.16 इन शहरी तथा परिनगरीय क्षेत्रों की समस्याओं और आवश्यकताओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय शहरी नीति रूपरेखा (National Urban Policy Framework – NUPF) जारी की, जो शहरी विकास के लिए एक मार्गदर्शक ढांचा प्रदान करती है। इस रूपरेखा की प्रस्तावना में कहा गया है कि देश में शहरीकरण की बदलती गति केवल एक जनसांख्यिकीय परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह शहरों और कस्बों को देश की विकास प्रक्रिया के केंद्र में स्थापित करती है। इस रूपरेखा में यह भी उल्लेख किया गया है कि जनगणना 2001 और 2011 के बीच शहरी फैलाव और उपनगरीकरण के कारण अनेक शहरी समूहो की वृद्धि हुई है।

13.17 इस रूपरेखा में यह भी रेखांकित किया गया है कि विस्तृत ग्रामीण क्षेत्रों की शहरों पर आर्थिक निर्भरता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शहरी नीति रूपरेखा (NUPF) ने आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित हस्तक्षेप गतिविधियों की पहचान की है–

1. संधारणीय भौतिक अवसंरचना का विकास।
2. वित्त, अवसंरचना, नीति, विनियमन, संस्थागत समर्थन और शासन से संबंधित समर्थक व्यवस्थाओं के माध्यम स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना।
3. बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देना।
4. शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियों का हस्तान्तरण और उनकी वित्तीय अभिवृद्धि।
5. स्थानीय, राज्य और केंद्रीय स्तरों को एकीकृत करने वाले वास्तविक समय आधारित शहरी सूचना केंद्र की स्थापना करना।
6. पर्यावरणीय संधारणीयता नियोजन के लिए उपयुक्त तंत्र और प्रौद्योगिकियों की स्थापना करना।

13.18 उपर्युक्त रूपरेखा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि देश के शहरों में सेवा प्रदाय अपर्याप्त है तथा आधारभूत अवसंरचना पर अत्यधिक दबाव है। साथ ही यह भी बताया गया है कि शहरी निकायों की राजकोषीय एवं वित्तीय स्वायत्तता सीमित है, जिसके कारण वे अनुदानों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं। उनकी संस्थागत एवं वित्तीय क्षमता कमजोर है।

13.19 इस नीति रूपरेखा में सुगम शहरी जीवन, उत्तरदायी शासन, संधारणीय पर्यावरण, तीव्र आर्थिक विकास तथा नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है, जिसकी विशेषताएँ एकल बिंदु संचालन, नागरिक–केंद्रित दृष्टिकोण, सहयोग, समावेशिता, मांग के प्रति उत्तरदायित्व, परिणामोन्मुखता, समानता, वाणिज्यिक वित्तपोषण को प्रोत्साहन, पारदर्शिता तथा अन्य प्रमुख सिद्धांत हैं। इस रूपरेखा के अंतर्गत प्रत्येक शहर को एक व्यापक शहरी योजना तैयार करना आवश्यक होगा, जिसे बाद में राज्य स्तर पर समेकित करके राज्य समेकित शहरी योजना का निर्माण किया जाएगा।

13.20 यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 में पूर्व राष्ट्रपति डा0 ऐ0पी0जे0 अब्दुल कलाम ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के विकास पर बल दिया था। इसी उद्देश्य से PURA (Provision of Urban Amenities in Rural Areas) की अवधारणा प्रस्तुत की गई, जिसे बाद में भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन हेतु अपनाया गया।

इसके बावजूद आज भी ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर परिनगरीय क्षेत्रों में शहरी सुविधाएँ पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। इसके अतिरिक्त, शहरों में भी जनसुविधाओं सहित अवसंरचना, सार्वजनिक सुविधाओं तथा सेवा प्रदाय प्रणाली की स्थिति अभी भी अपर्याप्त बनी हुई है।

13.21 यह भी उल्लेखनीय है कि हाल के वर्षों में राज्य में नवगठित शहरी स्थानीय निकायों अथवा जिन निकायों की सीमाओं का विस्तार किया गया है, उन क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा सम्पत्ति कर (भवन/संपत्ति कर) में 10 वर्षों की छूट प्रदान की गई है। इस छूट के कारण होने वाली राजस्व हानि की भरपाई के लिए कोई प्रतिपूरक तंत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है, और इन निकायों को इस संभावित राजस्व हानि के लिए किसी प्रकार का प्रतिपूर्ति या प्रतिदान प्राप्त नहीं होता है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23.11.2020 को आदेश जारी कर शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति कर से छूट प्रदान की गई, जिसके अनुसार 40 शहरी स्थानीय निकायों में नवसमाविष्ट क्षेत्रों के लिए 10 वर्षों की संपत्ति कर छूट दी गई। इसके पश्चात कई नवगठित शहरी निकायों ने यह सूचित किया है कि संपत्ति कर पर दी गई छूट से उन्हें राजस्व की आवृत्तक हानि हो रही है। आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों से इन छूटों के कारण हुई राजस्व हानि का विवरण प्राप्त किया गया है। प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के संपत्ति कर राजस्व में कमी का विवरण अध्याय 10 के प्रस्तर 10.28 में उल्लिखित है।

13.22 अद्यतन संशोधित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 177 के अंतर्गत, वहां उल्लिखित प्रतिबंधों के अधीन भूमि एवं भवनों पर कर से छूट का प्रावधान है। उत्तराखण्ड में उत्तर प्रदेश नगर निगम (संपत्ति कर) नियमावली, 2000 (अनुकूलन एवं संशोधन आदेश, 2002), अनुकूलन एवं संशोधन आदेश, 2007 (संशोधन) नियम, 2016 के नियम 1(2) के अनुसार यह प्रावधान उत्तराखण्ड के सभी नगर निगमों पर उन आवासीय भवनों जो 30 वर्ग मीटर के भूखंड पर निर्मित हों अथवा जिनका कार्पेट क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर तक हो, यदि ऐसे भवन के स्वामी पर शहर में अन्य भवन न हो, को छोडकर लागू है। अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की कर–छूट से होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति अथवा प्रतिदान के लिए संबंधित नगर निकाय को कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। आयोग के संज्ञान में जिलों के भ्रमण के दौरान एक अप्रमाणित सूचना भी आई कि गरुड़ नगर पंचायत के गठन से पूर्व वर्तमान नगर पंचायत क्षेत्र में संपत्ति कर/गृह कर का संग्रह जिला पंचायत द्वारा किया जाता था, परंतु नगर पंचायत के गठन के बाद गृह कर में दी गई छूट के कारण अब जिला पंचायत और नगर पंचायत, दोनों ही इस कर से वंचित हो गए हैं। आयोग के संज्ञान में यह भी आया कि पहले अल्मोड़ा नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में भवन मानचित्रों को स्वीकृत करता था, किंतु जिला विकास प्राधिकरण के गठन के बाद यह कार्य स्वतः ही उसे स्थानांतरित हो गया। चूँकि राज्य सरकार ने भवन मानचित्र स्वीकृति प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है, इसलिए अब निवासियों के भवन मानचित्र (स्वैच्छिक आवेदनों को छोड़कर) न तो जिला विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किए जा रहे हैं और न ही अल्मोड़ा नगर निगम द्वारा, क्योंकि इस विषय में सरकार की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। इस स्थिति के कारण एक ओर राजस्व की हानि हो रही है, वहीं दूसरी ओर आवेदकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें गृह ऋण तथा अन्य सेवाओं के लिए ऐसे अनुमोदनों की आवश्यकता होती है।

13.23 शहरी शासन व्यवस्था में समग्र सुधार हेतु शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासनिक, वित्तीय तथा कार्यात्मक तंत्र को सुदृढ़ बनाने के विषय में आयोग द्वारा राज्य नगरीय विकास संस्थान, नैनीताल को एक व्यापक अध्ययन सौंपा था। इस अध्ययन में चयनित नगरों में प्रदान की जा रही कुछ सेवाओं के प्रदर्शन की स्थिति को निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है –

(क) जलापूर्तिः—जलापूर्ति शहरी तथा ग्रामीण (जिसमें परिनगरीय क्षेत्र भी शामिल हैं) दोनों क्षेत्रों के लिए एक अत्यंत आवश्यक सेवा है। उत्तराखंड में जलापूर्ति की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय निकायों के पास नहीं है। इसके स्थान पर यह कार्य उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (अर्थात् उत्तराखंड पेयजल निगम) द्वारा निर्माण संबंधी कार्यों के लिए तथा उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा जलापूर्ति के संचालन के लिए किया जाता है। जलापूर्ति की स्थिति निम्नलिखित पाई गई—

(i) आवासीय इकाइयों में पाइप द्वारा जलापूर्ति की उपलब्धता तथा उन्नत पेयजल स्रोतों तक पहुँच (वर्ष 2020—21)

	प्रतिशत लोगों तक पहुँच					
	आवास तक पाईप लाइन जल			उन्नत पेयजल स्रोत		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
उत्तराखण्ड	41.4	70.7	48.6	95.1	100	96.3
भारत	24.8	61.5	35.5	95	97.2	95.7

स्रोतः रा.श.वि.सं. अध्ययन (एन.एस.एस.ओ./राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय 2020—21)

(ii) शहरों में पीने के पानी के मुख्य स्रोत तक पहुँच (2020-21)

	घरों का प्रतिशत वितरण				
	घर विशेष के उपयोग हेतु	भवन में घरों के उपयोग हेतु	पडोसी के स्रोत से	सामुदायिक उपयोग	पहुँच का अन्य प्रकार
उत्तराखण्ड (शहरी)	85.5	8.5	3	0.6	2.5
भारत	65.2	10.8	1.8	11.8	10.4

स्रोत— रा.श.वि.सं. अध्ययन (एन.एस.एस.ओ./राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय 2020—21)

(iii) दूरी अनुसार शहरों में पेयजल के मुख्य स्रोत से घरों की पहुँच का विवरण (2020—21)

	मुख्य पेयजल स्रोत से उपलब्धता का घरों का प्रतिशत		
	निवास के भीतर	निवास के बाहर परन्तु परिसर में	परिसर से बाहर
उत्तराखण्ड (शहरी)	78.1	9.3	12.7
भारत	60.5	21.2	18.4

स्रोतः रा.श.वि.सं. अध्ययन

(iv) जल आपूर्ति संयोजन आच्छादन का सेवा बैंचमार्क शतप्रतिशत है जिसके सापेक्ष 50 नमूना शहरी निकायों की स्थिति निम्नानुसार पाई गई है—

जल संयोजन अच्छादन प्रतिशत श्रेणी	आवृत्ति	प्रतिशत
100	29	58
90—99	10	20
90 से कम	11	22

(v) बैंचमार्क (100%) के सापेक्ष नगर निकाय श्रेणीवार जल संयोजन के आच्छादन की स्थिति इस प्रकार है–

शहरी निकाय प्रकार	आच्छादन प्रतिशत स्थिति		
	100	90–99	90 से कम
नगर निगम	28.57	28.57	42.86
नगर पालिका परिषद्	69.57	21.74	8.70
नगर पंचायत	55	15	30

(vi) 135 लीटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति जलापूर्ति के बैंचमार्क के सापेक्ष 46 नमूना निकायों में स्थिति निम्नानुसार देखी गई–

आपूर्ति श्रेणी (लीटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति)	आवृत्ति	प्रतिशत
135 लीटर एवं अधिक	19	41.30
100–134	11	23.91
100 से न्यून	16	34.78

(vii) प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 135 लीटर जलापूर्ति के बैंचमार्क के सापेक्ष शहरी निकाय श्रेणीवार स्थिति इस प्रकार है–

शहरी निकाय प्रकार	लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन जलापूर्ति की स्थिति प्रतिशत में		
	135 लीटर एवं अधिक	100–134	100 से कम
नगर निगम	71.43	-	28.57
नगर पालिका परिषद्	43.48	21.74	34.78
नगर पंचायत	25	37.50	37.50

(viii) जलापूर्ति संयोजनों की मीटरिंग 100 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष 24 नमूना नगर निकायों में इस प्रकार है–

प्रतिशत संयोजन मीटरिंग श्रेणी	आवृत्ति	प्रतिशत
100	11	45.83
80–99	7	29.17
80 से कम	6	25

(ix) जलापूर्ति संयोजनों की मीटरिंग के 100 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष नगर निकायों के प्रकार वार स्थिति नीचे उद्धृत है–

निकाय प्रकार	प्रतिशत संयोजन मीटरिंग बैंचमार्क के सापेक्ष स्थिति		
	100	80–99	80 से कम
नगर निगम	50	-	50
नगर पालिका परिषद्	45.45	36.36	18.18
नगर पंचायत	44.4	33.33	22.22

(x) प्रतिदिन दबाव युक्त जलापूर्ति की निरन्तरता के औसत समय (घंटों) से सम्बन्धित स्थिति 49 नमूना नगर निकायों में 24 घंटा जलापूर्ति बैंचमार्क के सापेक्ष इस प्रकार पाई है–

जलापूर्ति की निरन्तरता श्रेणी (बैंचमाक 24 घंटे)	आवृत्ति	प्रतिशत
20 एवं अधिक	11	22.45
10–19	10	20.41
10 से कम	28	57.14

(xi) विभिन्न स्तर के शहरी निकायों में जलापूर्ति की निरन्तरता 24 घंटा के बैंचमार्क के सापेक्ष इस प्रकार है–

नगर निगम का प्रकार	24 घंटा बैंचमार्क के सापेक्ष जलापूर्ति की निरन्तरता की प्रतिशत स्थिति		
	20 घंटे एवं अधिक	10–19	10 से कम
नगर निगम	28.57	28.57	42.86
नगर पालिका परिषद्	13.04	26.09	60.87
नगर पंचायत	31.58	10.53	57.89

(xii) जलापूर्ति के लागत की वसूली की स्थिति 43 नमूना शहरी स्थानीय निकायों में 100 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष निम्नानुसार है–

लागत वसूली की प्रतिशत श्रेणी	जलापूर्ति सेवा की लागत वसूली स्थिति (बैंचमार्क 100 प्रतिशत)	
	आवृत्ति	प्रतिशत
100	10	23.26
70–99	25	58.14
70 से कम	8	18.60

(xiii) जलापूर्ति के देयों की वसूली दक्षता हेतु 90 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष 43 नमूना शहरी निकाय की स्थिति नीचे है–

प्रतिशत वसूली बैंचमाक दक्षता श्रेणी	आवृत्ति	प्रतिशत
90 एवं अधिक	19	44.19
70–89	17	39.53
70 से कम	7	16.28

(xiv) जलापूर्ति संबन्धी ग्राहक शिकायतों के निवारण की दक्षता स्थिति 80 प्रतिशत के बैंचमार्क के सापेक्ष 47 नमूना निकायों में निम्नवत् है–

शिकायत समाधान की प्रतिशत श्रेणी	आवृत्ति	प्रतिशत
80 एवं अधिक	30	63.83
60–79	10	21.28
60 से नीचे	7	14.89

(xv) विभिन्न स्तर की नगर निकायों में 80 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष जलापूर्ति सम्बन्धित ग्राहक शिकायतों के निवारण की स्थिति इस प्रकार पाई गई है–

नगर निकाय प्रकार	प्रतिशत शिकायत निवारण की स्थिति		
	80 एवं अधिक	60–79	60 से कम
नगर निगम	85.71	14.29	-
नगर पालिका परिषद्	52.17	30.43	17.39
नगर पंचायत	70.59	11.76	17.65

(ख) सीवेज प्रबंधन सेवाएँः– इस सेवा के अंतर्गत शौचालयों, नालियों, सीवेज उपचार संयंत्रों आदि का निर्माण तथा उनसे संबंधित कार्य शामिल हैं, साथ ही घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों से उत्पन्न तरल अपशिष्ट के निपटान की व्यवस्था भी इसमें सम्मिलित है। यह सेवा मुख्यतः पेयजल निगम और जल संस्थान द्वारा संचालित की जाती है, जबकि कुछ कार्य जैसे निजी एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण आदि इसके अपवाद हैं। उत्तराखण्ड के शहरी स्थानीय निकायों में इस सेवा के प्रदर्शन की स्थिति निम्नलिखित पाई गई है–

(i) शौचालयों तक पहुँचः–स्वच्छता का आशय यहाँ शौचालयों की उपलब्धता से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में अध्ययन से प्राप्त विवरण अनुसार उत्तराखण्ड के शहरी क्षेत्रों में शौचालयों तक पहुँच की दृष्टि से स्थिति निम्नानुसार पाई गई है–

घर के सदस्यों की शौचालयों तक पहुँच (2020–21)

	केवल परिवार के उपयोग हेतु	भवन में परिवारों के सामुहिक उपयोग हेतु	सामुदायिक उपयोग हेतु	अन्य प्रकार की पहुँच	परिवार के सदस्यों की शौचालयों तक कुल पहुँच
उत्तराखण्ड	83.2	15.6	0	-	98.8
भारत	80.8	13	2.8	0.5	97.1

(ii) उन्नत शौचालयों तक पहुँच निम्नानुसार है–

उन्नत शौचालयों तक पहुँच (2020–21)

विवरण	व्यक्तियों की उन्नत शौचालयों तक पहुँच (प्रतिशत में)			उन्नत व्यक्तिगत शौचालयों तक पहुँच		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	योग
उत्तराखण्ड	99.9	100	99.9	91	88.3	90.3
भारत	97.5	99	98	87.5	86	87

(iii) बैंचमार्क (100 प्रतिशत) के सापेक्ष शौचालयों का आच्छादन 57 नमूना शहरी स्थानीय निकायों में इस प्रकार है–

100 बैंचमार्क के सापेक्ष प्रतिशत आच्छादन श्रेणी	संख्या	प्रतिशत आच्छादन
100	32	56.14
90-99	18	31.58
90 से न्यून	5	8.77
0	2	3.51

(iv) 100 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष शहरी स्थानीय निकाय वार आच्छादन निम्नानुसार है

शहरी निकाय श्रेणी	आच्छादन प्रतिशत			
	100	90-99	90 से न्यून	0
नगर निगम	37.5	25	37.5	0
नगर पालिका परिषद्	58.6	31	6.9	3.4
नगर पंचायत	55	35	5	5

(ग) सीवेज प्रबंधन सेवाः– सीवेज से संबंधित कार्य पेयजल विभाग (निर्माण कार्य पेयजल निगम द्वारा तथा संचालन और अनुरक्षण का कार्य जल संस्थान) द्वारा किया जाता है। 49 नमूना शहरी निकायों में 100 प्रतिशत मानक (बेंचमार्क) के सापेक्ष सीवरेज सेवाओं के आच्छादन की स्थिति निम्नानुसार इंगित हुई है।

(i) सीवरेज तंत्र सेवा आच्छादन स्थिति (बैंचमार्क 100 प्रतिशत)

प्रतिशत आच्छादन श्रेणी	संख्या	प्रतिशत आच्छादन
100	5	10.20
80-99	11	22.45
80 से न्यून	13	26.53
0	20	40.82

(ii) 100 प्रतिशत आच्छादन बैंचमार्क के सापेक्ष शहरी निकाय वार सीवेज तंत्र सेवा आच्छादन की स्थिति इस प्रकार है–

शहरी निकाय श्रेणी	सीवरेज तंत्र सेवा से आच्छादन प्रतिशत (बैंचमार्क 100 प्रतिशत के सापेक्ष)			
	100	80-99	80 से न्यून	0
नगर निगम	12.5	25.0	62.5	0
नगर पालिका परिषद्	12.5	16.7	20.8	50
नगर पंचायत	5.9	29.4	17.6	47.1

(iii) सीवेज तंत्र की सीवेज संग्रहण दक्षता की स्थिति कुल 47 नमूना शहरी निकायों के सम्बन्ध में नीचे इंगित है।

सीवेज तंत्र की सीवेज संग्रहण दक्षता (100 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष)

सीवेज संग्रहण दक्षता श्रेणी प्रतिशत में	संख्या	प्रतिशत
100	4	8.51
80-99	11	23.40
80 से न्यून	10	21.28
0	22	46.81

शहरी निकायों में सीवेज तंत्र की सीवेज संग्रहण दक्षता (100 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष)

शहरी निकाय श्रेणी	सीवेज तंत्र की सीवेज संग्रहण दक्षता का प्रतिशत			
	100	80-99	80 से न्यून	0
नगर निगम	16.7	66.7	16.7	0
नगर पालिका परिषद्	8.3	12.5	20.8	58.3
नगर पंचायत	5.9	23.5	23	47.1

(iv) सीवेज शोधन क्षमता की पर्याप्तता की स्थिति 100 प्रतिशत बैंचमार्क मानक के सोपक्ष 43 नमूना शहरी निकायों में इस प्रकार ज्ञात हुई है–

100 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष शहरी स्थानीय निकायों में सीवेज शोधन क्षमता पर्याप्तता

सीवरेज शोधन क्षमता की पर्याप्तता श्रेणी प्रतिशत में	संख्या	प्रतिशत
100	6	13.64
80-99	5	11.36
80 से न्यून	10	22.73
0	23	52.27

(v) 100 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष शहरी निकाय श्रेणीवार नमूना शहरी निकायों में सीवेज शोधन क्षमता की पर्याप्तता का विवरण निम्नानुसार है–

शहरी निकाय श्रेणी	सीवेज शोधन क्षमता की प्रतिशत पर्याप्तता (100 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष)			
	100	80-99	80 से न्यून	0
नगर निगम	40	0	40	20
नगर पालिका परिषद्	8.7	13	17.4	60.9
नगर पंचायत	12.5	12.5	25.0	50

(vi) सीवेज शोधन की गुणवत्ता 100 प्रतिशत बैंचमार्क मानक के सापेक्ष 44 नमूना शहरी निकायों में इस प्रकार है–

सीवेज शोधन की गुणवत्ता (100 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष)

सीवेज शोधन गुणवत्ता की प्रतिशत श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
100	9	20.45
80-99	4	9.09
80 से न्यून	7	15.91
0	24	54.55

शहरी निकाय श्रेणीवार सीवेज शोधन की गुणवत्ता (100 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष)

शहरी निकाय श्रेणी	प्रतिशत श्रेणी अनुसार सीवेज शोधन गुणवत्ता स्थिति			
	100	80-99	80 से न्यून	0
नगर निगम	60.0	0	20	20
नगर पालिका परिषद्	17.4	4.3	13	65.2
नगर पंचायत	12.5	12.5	25	50

(vii) सीवेज का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग की स्थिति 44 नमूना शहरी निकायों में 20 प्रतिशत बैंचमार्क मानक के सापेक्ष इस प्रकार है–

सीवेज का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग की स्थिति (20 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष)

प्रतिशत श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
20 प्रतिशत से ऊपर	12	27.27
15-19	4	9.09
15 से न्यून	2	4.55
0	26	59.09

शहरी निकायों में सीवेज के पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग की स्थिति

शहरी निकाय श्रेणी	पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग का प्रतिशत			
	20 प्रतिशत एवं उससे ऊपर	15-19	15 से न्यून	0
नगर निगम	20	40	0	40
नगर पालिका परिषद्	26.1	0	8.7	65.2
नगर पंचायत	31.3	6.3	6.3	56.3

(viii) 21 नमूना शहरी निकायों में 100 प्रतिशत बेंचमार्क मानक के सापेक्ष सीवेज प्रबन्धन की लागत वसूली की स्थिति निम्नानुसार है–

सीवेज प्रबन्धन की लागत वसूली की स्थिति (100 प्रतिशत बेंचमार्क के सापेक्ष)

लगत वसूली प्रतिशत श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
100	9	42.86
50-99	5	23.81
50 से न्यून	7	33.33

शहरी निकाय श्रेणीवार सीवेज प्रबन्धन की लागत वसूली की स्थिति

शहरी निकाय श्रेणी	लागत वसूली प्रतिशत श्रेणी		
	100	50-99	50 से न्यून
नगर निगम	40.0	20.0	40
नगर पालिका परिषद्	33.3	22.2	44.4
नगर पंचायत	42.9	28.6	28.6

(ix) सीवेज देयों की वसूली दक्षता की स्थिति 90 प्रतिशत वसूली बेंचमार्क मानक के सापेक्ष नमूना शहरी निकायों में इस प्रकार पाई गई है–

सीवेज देयों की वसूली दक्षता (90 प्रतिशत बेंचमार्क)

प्रतिशत वसूली दक्षता श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
90	9	20.93
70-89	5	11.63
70 से न्यून	29	67.44

शहरी निकाय श्रेणीवार सीवेज देयों की वसूली दक्षता
(90 प्रतिशत वसूली बेंचमार्क के सापेक्ष)

शहरी निकाय श्रेणी	वसूली दक्षता प्रतिशत		
	90	**70-89**	**70 से न्यून**
नगर निगम	33.3	33.3	33.3
नगर पालिका परिषद्	14.3	9.5	76.2
नगर पंचायत	18.8	6.3	75.0

(x) सीवेज सेवा सम्बन्धी शिकायतों के निवारण की स्थिति नमूना शहरी निकायों में 80 प्रतिशत बैंचमार्क मानक के सापेक्ष निम्नानुसार है–

सीवेज सेवा सम्बन्धी शिकायतों के निवारण की स्थिति
(80 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष)

प्रतिशत शिकायत निवारण श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
80 एवं 80 से ऊपर	18	27.27
60-79	10	15.15
60 से न्यून	22	33.33
0	16	24.24

शहरी निकाय श्रेणीवार सीवेज सेवा सम्बन्धी शिकायतों के निवारण की स्थिति
(80 प्रतिशत बैंचमार्क मानक के सापेक्ष)

शहरी निकाय श्रेणी	शिकायत निवारण प्रतिशत श्रेणी			
	80 एवं ऊपर	**60-79**	**60 से न्यून**	**0**
नगर निगम	50.0	33.3	16.7	0
नगर पालिका परिषद्	19.4	16.7	36.1	27.8
नगर पंचायत	29.2	8.3	37.5	25.0

(घ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधनः–ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य पूर्णतः शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। राज्य नगरीय विकास संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन में निम्नलिखित तथ्य सामने आए–

(i) 100 प्रतिशत बेंचमार्क मानक के सापेक्ष ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवा से परिवारों का आच्छादन नमूना शहरी निकायों में इस प्रकार है–

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवाओं से परिवारों के आच्छादन की स्थिति
(100 प्रतिशत बेंचमार्क के सापेक्ष)

प्रतिशत आच्छादन श्रेणी	संख्या	आच्छादन प्रतिशत
100	47	72
90-99	15	23
90 से न्यून	3	5

शहरी स्थानीय निकाय श्रेणीवार परिवारों का ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवाओं से आच्छादन प्रतिशत (100 प्रतिशत बेंचमार्क के सापेक्ष)

शहरी निकाय श्रेणी	आच्छादन प्रतिशत स्थिति		
	100	**90-99**	**90 से न्यून**
नगर निगम	63	13	25
नगर पालिका परिषद्	72	25	3
नगर पंचायत	76	24	0

(ii) 100 प्रतिशत बेंचमार्क मानक के सापेक्ष 64 नमूना शहरी निकायों में ठोस अपशिष्ट संग्रहण की दक्षता इस प्रकार है–

ठोस अपशिष्ट संग्रहण दक्षता (100 प्रतिशत बेंचमार्क के सापेक्ष)

संग्रहण दक्षता प्रतिशत श्रेणी	संख्या	संग्रहण दक्षता प्रतिशत
100	41	64.06
90-99	15	23.44
90 से न्यून	8	12.50

शहरी स्थानीय निकाय श्रेणीवार ठोस अपशिष्ट संग्रहण दक्षता प्रतिशत की स्थिति (100 प्रतिशत बेंचमार्क के सापेक्ष)

शहरी निकाय श्रेणी	प्रतिशत श्रेणीवार संग्रहण दक्षता स्थिति		
	100	**90-99**	**90 से न्यून**
नगर निगम	37.50	25.0	37.50
नगर पालिका परिषद्	65.63	25.0	9.38
नगर पंचायत	70.83	20.83	8.33

(iii) 100 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष 54 नमूना शहरी निकायों में ठोस अपशिष्ट के पृथ्थकीकरण की स्थिति इस प्रकार है–

ठोस अपशिष्ट के पृथ्थकीकरण की स्थिति (100 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष)

प्रतिशत पृथ्थकीकरण श्रेणी	संख्या	पृथ्थकीकरण प्रतिशत
100	20	37.04
70-99	20	37.04
70 से न्यून	14	25.93

शहरी निकाय श्रेणीवार ठोस अपशिष्ट के पृथ्थकीकरण प्रतिशत की स्थिति
(100 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष)

शहरी निकाय श्रेणी	प्रतिशत पृथ्थकीकरण स्थिति		
	100	**70-99**	**70 से न्यून**
नगर निगम	16.67	16.67	66.67
नगर पालिका परिषद्	37.50	37.50	25.0
नगर पंचायत	42.0	-	-

(iv) 80 प्रतिशत बैंचमार्क मानक के सापेक्ष 62 नमूना शहरी निकायों में ठोस अपशिष्ट के पुनर्चक्रण एवं पुनर्प्राप्ति की स्थिति नीचे इंगित है–

ठोस अपशिष्ट के पुनर्चक्रण एवं पुनर्प्राप्ति की स्थिति
(80 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष)

पुनर्चक्रण एवं पुनर्प्राप्ति प्रतिशत स्थिति श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
100	4	6.45
75-99	22	35.48
50-74	22	35.48
50 से न्यून	14	22.58

शहरी निकाय श्रेणीवार ठोस अपशिष्ट के पुनर्चक्रण एवं पुनर्प्राप्ति की स्थिति
(80 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष)

शहरी निकाय श्रेणी	पुनर्चक्रण एवं पुनर्प्राप्ति प्रतिशत स्थिति			
	100	**75-99**	**50-74**	**50 से न्यून**
नगर निगम	0	42.86	14.29	42.86
नगर पालिका परिषद्	6.06	27.27	33.33	33.33
नगर पंचायत	8.70	43.48	43.48	4.35

(v) 100 प्रतिशत बैंचमार्क मानक के सापेक्ष 63 शहरी निकायों में ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण की स्थिति निम्नानुसार है–

ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण की स्थिति
(100 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष)

प्रतिशत वैज्ञानिक निस्तारण श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
100	14	22.22
60-99	21	33.33
60 से न्यून	21	33.33
0	7	11.11

शहरी निकाय श्रेणीवार ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण की स्थिति
(100 प्रतिशत बैंचमार्क मानक के सापेक्ष)

शहरी निकाय श्रेणी	पुनर्चक्रण एवं पुनर्प्राप्ति प्रतिशत स्थिति			
	100	**60-99**	**60 से न्यून**	**0**
नगर निगम	28.57	42.86	28.57	0
नगर पालिका परिषद्	15.15	36.36	36.36	12.12
नगर पंचायत	30.43	26.09	30.43	13.04

(vi) 100 प्रतिशत बैंचमार्क मानक के सापेक्ष ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवाओं की लागत वसूली की स्थिति 61 नमूना शहरी निकायों में इस प्रकार है–

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवाओं की लागत वसूली की स्थिति
(100 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष)

लागत वसूली प्रतिशत श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
100	9	14.75
50-99	29	47.54
50 से न्यून	23	37.70

शहरी स्थानीय निकाय श्रेणीवार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवाओं की लागत वसूली की स्थिति (100 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष)

शहरी निकाय श्रेणी	लागत वसूली श्रेणीवार स्थिति प्रतिशत		
	100	**50-99**	**50 से न्यून**
नगर निगम	16.67	50	33.33
नगर पालिका परिषद्	10.0	46.67	43.33
नगर पंचायत	20.0	48.0	32.0

(vii) 90 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष 62 नमूना शहरी निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवा देयों की वसूली दक्षता की स्थिति निम्नानुसार है–

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवा देयों की वसूली दक्षता
(90 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष)

वसूली दक्षता श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
90 एवं 90 से ऊपर	18	29.03
60-89	27	43.55
60 से न्यून	17	27.42

शहरी निकाय श्रेणीवार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवा देयों की वसूली दक्षता
(90 प्रतिशत बैंचमार्क के सापेक्ष)

शहरी निकाय श्रेणी	प्रतिशत श्रेणीवार वसूली दक्षता स्थिति		
	90 एवं 90 से ऊपर	60-89	60 से न्यून
नगर निगम	0	50	50
नगर पालिका परिषद्	26.67	46.67	26.67
नगर पंचायत	41.67	37.50	20.83

(viii) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवा सम्बन्धी शिकायतों के निवारण की स्थिति 65 नमूना शहरी निकायों में 80 प्रतिशत बेंचमार्क मानक के सापेक्ष निम्नानुसार पाई है–

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवा सम्बन्धी शिकायतों के निवारण की दक्षता स्थिति
(80 प्रतिशत बेंचमार्क मानक के सापेक्ष)

शिकायत निवारण दक्षता श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
80 एवं 80 से ऊपर	40	61.54
70-79	11	16.92
70 से न्यून	14	21.54

शहरी निकाय श्रेणीवार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवा सम्बन्धी शिकायतों के निवारण की दक्षता स्थिति (80 प्रतिशत बेंचमार्क मानक के सापेक्ष)

शहरी निकाय श्रेणी	शिकायत निवारण दक्षता स्थितिप्रतिशत श्रेणीवार		
	80 एवं 80 से ऊपर	70-79	70 से न्यून
नगर निगम	62.50	25	12.50
नगर पालिका परिषद्	53.13	18.75	28.13
नगर पंचायत	72.0	12	16

(ङ) वर्षा जल निकासी :–शहरों में वर्षा जल निकासी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य के कई भागों, विशेषकर मैदानी क्षेत्रों तथा हरिद्वार जनपद के रूड़की और उसके आसपास के क्षेत्रों में जलभराव एक सामान्य समस्या है। बरसात के मौसम में शहरों में, विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में, जलभराव अक्सर देखने को मिलता है, जिससे कभी–कभी बीमारियाँ फैलती हैं तथा जन–धन की हानि भी होती है। वर्षा जल निकासी की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय निकायों के साथ–साथ लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा पेयजल निगम/जल संस्थान की भी होती है। यातायात जाम की समस्या को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग भी इस कार्य से जुड़े रहते हैं। आयोग के संज्ञान में आया है कि वर्तमान में सिंचाई विभाग शहरों के लिए वर्षा जल निकासी से संबंधित अध्ययन कर रहा है और योजनाएँ तैयार कर रहा है। आयोग का मत है कि शहरों में जलभराव तथा उसके निकास में अवरोध का मुख्य कारण यह है कि शहरी क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न कार्य कई विभागों/संस्थाओं में विभाजित हैं, जबकि उन्हें शहरी स्थानीय निकायों के अधीन होना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप किसी एक विभाग/संस्था की पूर्ण जिम्मेदारी निर्धारित नहीं हो पाती, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, जवाबदेही स्पष्ट नहीं रहती और आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता।

(i) राज्य नगरीय विकास संस्थान, नैनीताल के माध्यम से कराए गए अध्ययन के अनुसार वर्षा जल निकासी से संबंधित सेवाओं के प्रदर्शन की स्थिति निम्नानुसार है–

विवरण	बेंचमार्क मानक प्रतिशत	प्रदर्शन स्तर (श्रेणीवार)			निकाय वार स्थिति
		श्रेणी	संख्या	प्रतिशत	
वर्षा जल निकासी आच्छादन (नमूना निकाय 54)	100	100	19	35.19	100% ड्रेनेज नेटवर्क कवरेज– नगर निगमों में 33.33%, नगर पालिका परिषदों में 37.04% तथा नगर पंचायतों में 33.33%।
		60-99	21	38.89	60–99% ड्रेनेज नेटवर्क कवरेज– नगर निगमों में 33.33%, नगर पालिका परिषदों में 44.44% तथा नगर पंचायतों में 33.33%।
		< 60	8	14.81	60% से न्यून ड्रेनेज नेटवर्क कवरेज– नगर निगमों में 16.67%, नगर पालिका परिषदों में 14.81% तथा नगर पंचायतों में 14.29%।
		0	6	11.11	शून्य ड्रेनेज नेटवर्क कवरेज– नगर निगमों में 16.67%, नगर पालिका परिषदों में 3.70% तथा नगर पंचायतों में 19.05%।
जल भराव की घटनाऐं (नमूना निकाय 52)	0	0	11	21.15	57.14% नगर निगमों, 16.67% नगर पालिका परिषदों तथा 14.29% नगर पंचायतों में शून्य जल भराव घटनाऐं।
		1	41	78.85	42.86% नगर निगमों, 83.33% नगर पालिका परिषदों तथा 85.71% नगर पंचायतों में जलभराव की समस्या।

अध्याय–14

स्थानीय स्वशासन इकाइयों की संगठनात्मक संरचना और उसका सरलीकरण

14.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 छ और 243 ब राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल के माध्यम से पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को क्रमशः ऐसी शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ प्रदान करने का प्रावधान करते हैं, ताकि वे स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हों।

14.2 उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम, 2016 के भाग II, अध्याय 6 के अन्तर्गत, धारा 36 और 37 में क्रमशः ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव और अधिकारियों/कार्मिको की नियुक्ति तथा उनके अधिकार, कार्य और कर्तव्य वर्णित हैं। अधिनियम के भाग III, अध्याय 13 के अन्तर्गत, धारा 75, 76, और 77 में क्रमशः क्षेत्र पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियों, उनकी शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों तथा उन पर नियंत्रण से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। इसी अधिनियम के अध्याय 20, धारा 113 से 116 में क्रमशः जिला पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियों, कुछ कर्मचारी श्रेणियों के केंद्रीयत स्थानान्तरणीय संवर्ग, अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों तथा उन पर नियंत्रण से संबंधित प्रावधान हैं।

14.3 उत्तराखण्ड में यथा प्रभावी उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अध्याय 2 की धारा 57 और 58 में नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान हैं, जबकि उत्तराखण्ड में यथा प्रभावी उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अध्याय 2 की धारा 58 और 59 में नगर आयुक्त और अतिरिक्त नगर आयुक्त से संबंधित प्रावधान, और अध्याय 4 की धारा 106 से 113 में निगम के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान हैं।

14.4 राज्य सरकार ने राज्य में सभी जिला पंचायतों के एकीकृत संरचनात्मक ढांचे के लिए पंचायती राज अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या– 475/XII(2)/2021/92(22)2003 दिनांक 22 सितंबर, 2021 **[अनुलग्नक 13(14)],** माध्यम से स्वीकृति जारी की है, जिसके अनुसार स्वीकृत पदों की स्थिति निम्नवत् है–

क्र.सं.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	अभ्युक्ति
1	अपर मुख्य अधिकारी	13	प्रत्येक जनपद हेतु एक
2	कार्य अधिकारी	13	प्रत्येक जनपद हेतु एक
3	अभियन्ता	24	05 विकास खण्डों वाले जनपदों में प्रत्येक में एक तथा अधिक विकास खण्डों वाले जनपदों में प्रत्येक में दो।
4	कनिष्ठ अभियन्ता	61	प्रत्येक जिला पंचायत में दो विकास खण्डों पर एक एवं एक पद मुख्यालय में।
5	कर अधिकारी	13	प्रत्येक जनपद हेतु एक
6	लेखाकार	13	प्रत्येक जनपद हेतु एक
7	सहायक लेखाकार	13	प्रत्येक जनपद हेतु एक
8	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	13	प्रत्येक जनपद हेतु एक
9	प्रशासनिक अधिकारी	13	प्रत्येक जनपद हेतु एक
10	प्रधान सहायक	32	05 विकास खण्ड तक वाले जिला पंचायतों में प्रत्येक में दो तथा अधिक

क्र.सं.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	अभ्युक्ति
			वालों में प्रत्येक में तीन।
11	वरिष्ठ सहायक	49	05 विकास खण्ड तक वाले जिला पंचायतों में प्रत्येक में तीन तथा अधिक वालों में प्रत्येक में चार।
12	कनिष्ठ सहायक	72	05 विकास खण्ड तक वाले जिला पंचायतों में प्रत्येक में चार तथा अधिक वालों में प्रत्येक में छः।
13	वैयक्तिक सहायक	13	प्रत्येक जनपद हेतु एक
14	कर /राजस्व निरीक्षक	28	
15	कर /राजस्व समाहर्ता	95	प्रत्येक विकास खण्ड हेतु एक
16	वाहन चालक (आउटसोर्सिंग)	26	प्रति जिला पंयायत दो–दो
17	चतुर्थ श्रेणी (चपरासी/चौकीदार/सफाई कर्मचारी) आउटसोर्सिंग से	79	06 विकास खण्डों तक वाले जिला पंचायतों में पांच और छ से अधिक विकास खण्ड वालों में सात।
	योग–	**570**	

14.5 उक्त पदों के अतिरिक्त जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ हेतु भी 17 पद निम्नानुसार स्वीकृत हैं–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद
1	संयुक्त निदेशक	02
2	सहायक अभियन्ता	01
3	कनिष्ठ अभियन्ता	01
4	लेखाकार	01
5	सहायक लेखाकार	01
6	वरिष्ठ सहायक	01
7	कनिष्ठ सहायक/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	03
8	अशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक	01
9	वाहन चालक (आउटसोर्सिंग)	02
10	चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्सिंग)	04
	योग–	**17**

14.6 उत्तराखण्ड राज्य की जिला पंचायतों में कुल स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण, जैसा कि सम्बन्धित से आयोग द्वारा प्रेषित प्रश्नावली माध्यम प्राप्त हुआ है, निम्नवत् है–

जिला पंचायतों के कर्मचारियों की सूचना (2024–25)

क्र.सं.	जिला पंचायत	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	आउटसोर्स कार्मिक		
					स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	अल्मोड़ा	55	34	23	20	20	0
2	बागेश्वर	42	30	4	2	0	0
3	चमोली	50	19	31	0	14	0
4	चम्पावत	33	26	19	0	2	0

क्र.सं.	जिला पंचायत	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	आउटसोर्स कार्मिक		
					स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
5	देहरादून	42	32	10	0	19	0
6	हरिद्वार	34	13	21	18	18	0
7	नैनीताल	46	28	5	6	21	1
8	पौड़ी	60	19	12	0	23	6
9	पिथौरागढ़	70	58	10	11	20	4
10	रूद्रप्रयाग	29	16	13	9	9	0
11	टिहरी	57	34	15	0	11	0
12	ऊधमसिंह नगर	47	81	3	0	16	0
13	उत्तरकाशी	42	18	1	0	13	4
	योग–	**607**	**408**	**167**	**66**	**186**	**15**

14.7 जिला पंचायतों में पदनाम वार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण, प्राप्त सूचना अनुसार इस प्रकार है–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	टिप्पणी
1	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	13	0	13	अधिनियम की धारा 113(1) के प्रावधान अनुसार शासन द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की गई है।
2	अपर मुख्य अधिकारी	13	09	03	एक अपर मुख्य अधिकारी स्वजल में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।
3	कार्यकारी अधिकारी	13	10	03	
4	अभियन्ता	24	06	18	सहायक अभियन्ता स्तरीय
5	कनिष्ठ अभियन्ता	61	45	16	
6	कर अधिकारी	13	05	08	
7	लेखाकार	13	12	01	
8	सहायक लेखाकार	13	04	09	
9	कर/राजस्व निरीक्षक	28	21	07	
10	कर/राजस्व समाहर्ता	95	08	87	
	योग–	**286**	**120**	**165**	

14.8 उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा 113 (1) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक जिला पंचायत में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायत के कार्यों को संपादित करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि नए अधिनियम के लागू होने के बाद से राज्य सरकार ने किसी भी जिला पंचायत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है, जैसा कि पंचायती राज निदेशक के पत्र संख्या 459/1284/6th राज्य वित्त आयोग/2024–25, दिनांक 1 जुलाई 2025 **[अनुलग्नक 8 (11)]** से प्रमाणित होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद जिला पंचायतों के कार्मिक ढाँचा सम्बन्धी शासनादेश में सम्मिलित नहीं किया गया है, जैसा कि पैराग्राफ 14.4 में इंगित है। **आयोग यह संस्तुति करता है कि जिला पंचायतों में उक्त प्रावधानानुसार तत्काल मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाए। आयोग यह भी सुझाव देता है कि प्रत्येक जनपद के मुख्य विकास अधिकारी को जिला पंचायत के पदेन कार्यकारी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदस्थ किया जाए।**

14.9 आयोग यह भी संस्तुति करता है कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा 113 (2) (VII) के प्रावधानों के अनुसार, संविधान की अनुसूची XI में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित सभी विभागों के जनपद स्तर के अधिकारियों को, जब तक कि उक्त अनुसूची में वर्णित कार्य सम्बन्धित कर्मियों सहित पूरी तरह से जिला पंचायत को हस्तान्तरित नहीं किए जाते, संबंधित जिला पंचायत के प्रति जवाबदेह बनाया जाए।

14.10 उक्त अधिनियम की धारा 75 में क्षेत्र पंचायतों और धारा 36 में ग्राम पंचायतों के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में विशेष रूप से कोई प्रावधान नहीं हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेखित जिला पंचायतों के मामले में है। फिर भी, धारा 36(2) राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा राज्य के मामलों से संबंधित किसी भी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग को ग्राम पंचायत के अधीन सेवा करने के लिए स्थानांतरित कर सकती है।

14.11 आयोग अनुशंसा करता है कि विभिन्न राज्य सरकार के विभागों तथा जिला स्तर पर स्थित सरकारी/अर्द्ध–सरकारी संस्थानों के जिला स्तरीय अधिकारियों, विकास खंड स्तर पर सभी विभागों के विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों तथा ग्राम पंचायत स्तर पर सभी विभागों के ग्राम स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों (जैसा लागू हो), जिन्हें संबंधित ग्राम या ग्रामों के समूह के लिए नियुक्त किया गया हो, को सामान्य या विशिष्ट आदेशों द्वारा संबंधित स्तर की पंचायतों के कार्यों के निष्पादन हेतु नियुक्त/नामित किया जाना चाहिए (समकक्ष पंचायतों में समकक्ष स्तर के अधिकारी/कर्मचारी)। इसी प्रकार, सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों तथा सरकारी/अर्द्ध–सरकारी संस्थानों के समकक्ष स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए भी सामान्य या विशिष्ट व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए, जिससे वे संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के प्रति उत्तरदायी हों। इस संबंध में संबंधित अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए तथा विद्यमान नियमों में भी उपयुक्त संशोधन किए जाने चाहिए। ये व्यवस्थाएँ तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि अनुसूची XI और अनुसूची XII में उल्लिखित सभी कार्य, उनसे संबंधित कार्मिकों सहित, पूर्ण रूप से पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित नहीं कर दिए जाते।

14.12 उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम के अध्याय 13 की धारा 75 के अनुसार, क्षेत्र पंचायत के सचिव के दायित्व संबंधित विकास खंड के खंड विकास अधिकारी द्वारा निर्वहन किए जाते हैं। चूँकि क्षेत्र पंचायत और विकास खंड का क्षेत्राधिकार समान है तथा क्षेत्र पंचायत और विकास खंड का मुख्यालय भी एक ही स्थान पर स्थित है, इसलिए क्षेत्र पंचायत के दायित्वों का निर्वहन खंड विकास अधिकारी तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायतों के लिए अपना पृथक कार्मिक ढांचा उपलब्ध नहीं है और उनके कार्यों के निर्वहन हेतु यद्यपि अलग से कोई पद स्वीकृत नहीं हैं, तथापि ग्राम पंचायत सचिव के दायित्वों के निर्वहन के लिए पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का पद सृजित किया गया है। पंचायती राज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के जिला–वार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति तथा प्रति ग्राम पंचायत विकास अधिकारी औसतन ग्राम पंचायतों की संख्या निम्नानुसार है –

जनपदवार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पदों की स्थिति

क्र. सं.	जनपद	ग्राम पंचायतें	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	प्रति ग्राम पंचायत विकास अधिकारी औसत ग्राम पंचायत संख्या	
						स्वीकृत पद	कार्यरत पद
1	उत्तरकाशी	521	71	63	8	7.34	8.27
2	टिहरी	1049	137	125	12	7.66	8.39
3	चमोली	615	77	68	9	7.97	9.03
4	पौड़ी	1166	216	194	22	5.40	6.02
5	रूद्रप्रयाग	333	53	48	5	6.28	6.94
6	देहरादून	409	59	59	0	6.93	6.93
7	हरिद्वार	318	46	46	0	6.91	6.91
8	नैनीताल	475	72	64	8	6.64	7.47
9	ऊधमसिंह नगर	373	34	37	-3	11.00	10.11
10	बागेश्वर	405	69	63	6	5.87	6.43
11	पिथौरागढ़	681	119	109	10	5.72	6.25
12	अल्मोड़ा	1160	178	165	13	6.52	7.03
13	चम्पावत	312	44	40	4	7.14	7.85
	योग–	**7817**	**1175**	**1081**	**94**	**6.66**	**7.24**

14.13 उत्तराखण्ड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि सात जिले पूर्णतः पर्वतीय भू–आकृति वाले हैं; चार जिले आंशिक रूप से पर्वतीय तथा आंशिक रूप से मैदानी हैं, जबकि दो जिले पूर्णतः मैदानी हैं। इस दृष्टिकोण से यदि जनसंख्या (2011) तथा क्षेत्रफल के आँकड़ों (पंचायती राज निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आँकड़ों) पर विचार किया जाए, तो इन तीनों भौगोलिक क्षेत्रों के लिए जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के आँकड़े निम्नानुसार हैं –

क्र. सं.	भू–संरचना अनुसार भौगोलिक परिस्थिति श्रेणी	जनपदों की संख्या	कुल ग्रामीण जनसंख्या (2011)	प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या का अंश प्रतिशत	कुल ग्रामीण क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	प्रदेश की कुल ग्रामीण क्षेत्रफल का अंश प्रतिशत	प्रतिवर्ग कि. मी. जनसंख्या घनत्व
1	**पूर्णतः पर्वतीय**	7	2499416	40.62	13294.85	57.73	188.00
2	**अंशतः पर्वतीय तथा मैदानी**	4	1667314	27.10	6245.73	27.12	266.95
3	**पूर्णतः मैदानी**	2	1986294	32.28	3488.72	15.15	569.35
	उत्तराखण्ड	**13**	**6153024**		**23029.3**		**267.18**

14.14 वर्ष 2011 की ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में प्रति ग्राम पंचायत औसत जनसंख्या तथा प्रति ग्राम पंचायत विकास अधिकारी औसत जनसंख्या का जनपद–वार विवरण निम्नानुसार है–

क्र.सं.	जनपद	कुल ग्रामीण जनसंख्या	कुल ग्रामीण क्षेत्रफल वर्ग कि. मी.	प्रति ग्राम पंचायत औसत जनसंख्या	प्रति ग्राम पंचायत विकास अधिकारी औसत जनसंख्या
1	उत्तरकाशी	278597	2582.41	534.74	3923.90
2	टिहरी	534815	1562.89	509.83	3903.76
3	चमोली	308972	3244.59	502.39	4012.62
4	पौड़ी	457026	2661.68	391.96	2115.86
5	रूद्रप्रयाग	216364	549.34	649.74	4082.34

क्र.सं.	जनपद	कुल ग्रामीण जनसंख्या	कुल ग्रामीण क्षेत्रफल वर्ग कि. मी.	प्रति ग्राम पंचायत औसत जनसंख्या	प्रति ग्राम पंचायत विकास अधिकारी औसत जनसंख्या
6	देहरादून	548851	1206.71	1341.93	9302.56
7	हरिद्वार	1124085	1519.51	3534.86	24436.63
8	नैनीताल	440375	1306.6	927.11	6116.32
9	ऊधमसिंह नगर	862209	1969.21	2311.55	25359.09
10	बागेश्वर	224767	1022.02	554.98	3257.49
11	पिथौरागढ़	386944	2030.82	568.20	3251.63
12	अल्मोड़ा	548957	2302.78	473.65	3084.03
13	चम्पावत	221062	1070.74	710.81	5024.14
	उत्तराखण्ड	**6153024**	**23029.30**	**787.13**	**5236.62**

14.15 यह उल्लेखनीय है कि शहरी स्थानीय निकायों की तीन विभिन्न श्रेणियों के लिए पदों की स्वीकृति हेतु विभिन्न सेवा संवर्ग–वार मानक, तथा उनके समक्ष संबंधित शहरी स्थानीय निकायों की सूची (उस समय की स्थिति के अनुसार) शहरी विकास अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 756/IV(1)/2015–01(32)/2014 दिनांक 12 जून, 2015 **[अनुलग्नक 14(14)]** के माध्यम से जारी किए गए हैं।

14.16 उपर्युक्त प्रस्तर में उल्लिखित शासनादेश में उस समय कुल पदों (आउटसोर्स पदस्थानों सहित) की संख्या के मानक स्वीकृत किए गए थे। वर्तमान समय तक कुछ नगरपालिकाओं को नगर निगमों में उच्चीकृत कर दिया गया है तथा कुछ अन्य शहरी स्थानीय निकायों का सृजन किया गया है या उनकी सीमाओं का विस्तार किया गया है।

14.17 आयोग के प्रश्नावली प्रारूपों पर शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त सूचनाओं अनुसार, स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों से संबंधित जो विवरण आयोग के संज्ञान में आए हैं, वे निम्नानुसार हैं।

नगर निगम में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

जनपद	नगर निगम का नाम	स्वीकृत पद		कार्यरत पद		रिक्त पद	
		नियमित	आउटर्सोस	नियमित	आउटर्सोस	नियमित	आउटर्सोस
अल्मोड़ा	नगर निगम अल्मोड	159	4	216	75	58	3
देहरादून	नगर निगम देहरादून	193	1305	91	2564	102	3
	नगर निगम ऋषिकेश	382	11	134	165	27	61
हरिद्वार	नगर निगम हरिद्वार	722	-	425	205	229	-
	नगर निगम रूड़की	42	98	26	124	16	1
नैनीताल	नगर निगम हल्द्वानी	464	-	317	839	41	-
पौड़ी	नगर निगम श्रीनगर	84	155	22	83	62	72
	नगर निगम कोटद्वार	136	328	74	313	62	18
पिथौरागढ़	नगर निगम पिथौरागढ़	197	69	80	150	142	11
ऊधमसिंह नगर	नगर निगम काशीपुर	98	50	62	71	49	-
	नगर निगम रूद्रपुर	485	41	163	317	41	5
	समस्त नगर निगम	**2962**	**2061**	**1610**	**4906**	**829**	**174**

नगर पालिका परिषद् में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

जनपद	नगर पालिका परिषद् का नाम	स्वीकृत पद		कार्यरत पद		रिक्त पद	
		नियमित	आउटर्सोस	नियमित	आउटर्सोस	नियमित	आउटर्सोस
अल्मोड़ा	रानीखेत–चिनियानौला	12	34	5	16	7	19
बागेश्वर	बागेश्वर	40	22	28	22	22	3
चमोल	गौचर	19	24	17	37	2	0
	गोपेश्वर	25	68	14	90	18	9

जनपद	नगर पालिका परिषद् का नाम	स्वीकृत पद		कार्यरत पद		रिक्त पद	
		नियमित	आउटर्सोस	नियमित	आउटर्सोस	नियमित	आउटर्सोस
	जोशीमठ	21	56	31	78	12	1
	कर्णप्रयाग	32	23	26	14	6	9
चम्पावत	चम्पावत	22	30	15	51	7	3
	लोहाघाट	12	0	7	0	5	0
	टनकपुर	13	58	15	26	3	29
देहरादून	डोईवाला	37	167	20	167	23	3
	हरवर्टपुर	24	39	19	45	5	0
	मसूरी	38	95	204	110	6	61
	विकास नगर	114	58	102	57	14	1
हरिद्वार	लक्सर	36	75	25	68	14	7
	मंगलौर	74	105	60	73	14	0
	शिवालिक नगर	13	119	8	96	6	24
नैनीताल	भीमताल	13	19	21	35	7	15
	भवाली	8	1	7	8	3	0
	कालाढूंगी	14	39	7	23	4	16
	नैनीताल	121	48	210	118	14	5
	रामनगर	74	147	27	147	47	0
पौड़ी	दुगड्डा	30	50	19	53	20	1
	पौड़ी	33	66	32	95	13	26
पिथौरागढ़	बेरीनाग	50	67	12	49	38	16
	धारचूला	10	17	14	9	8	10
	डीडीहाट	16	38	14	38	2	0
	गंगोलीहाट	13	35	4	24	10	11
रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	28	2	21	12	11	2
टिहरी	चम्बा	13	38	7	40	6	2
	देवप्रयाग	19	20	9	2	10	18
	मुनिकीरेती–ढालवाला	44	139	36	213	26	7
	नरेन्द्रनगर	12	13	23	24	3	0
	टिहरी	93	0	87	15	12	0
ऊधमसिंह नगर	बाजपुर	23	44	22	70	6	0
	गदरपुर	13	18	8	5	5	13
	जसपुर	160	0	194	90	14	0
	खटीमा	13	53	46	83	6	15
	किच्छा	20	0	40	121	6	0
	महुआखेड़ागंज	11	54	8	34	25	20
	नगला	30	44	7	0	23	44
	सितारगंज	23	62	20	56	3	0
उत्तरकाशी	बड़कोट	15	37	15	37	4	0
	चिन्यालीसौड़	11	38	6	36	4	2
	पुरोला	13	42	4	31	5	15
	बाडाहाट	60	63	65	52	7	61
	समस्त नगर पालिका परिषद	**1515**	**2167**	**1581**	**2470**	**506**	**468**

नगर पंचायत में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

जनपद	नगर पंचायत	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	आउटसोर्स कार्मिक		
					स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
अल्मोड़ा	भिकियासैंण	6	1	3	16	18	0
	चौखुटिया	5	3	2	17	16	1
	द्वाराहाट	9	8	1	8	7	1
बागेश्वर	गरूड़	10	4	6	18	0	0
	कपकोट	7	5	2	24	24	0
चमोली	बद्रीनाथ	6	4	3	0	2	0
	गैरसैंण	6	3	3	29	28	1

जनपद	नगर पंचायत	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	आउटसोर्स कार्मिक		
					स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	नन्दानगर	6	0	6	13	0	13
	नन्दप्रयाग	14	12	2	17	17	0
	पीपलकोटी	6	4	2	19	27	1
	पोखरी	5	3	2	22	23	0
	थराली	7	5	2	19	0	19
चम्पावत	बनबसा	6	4	2	22	22	0
	पाटी	0	0	0	0	0	0
देहरादून	सेलाकुई	3	3	0	39	38	1
	सुल्तानपुर अदमपुर	11	3	7	48	37	11
	भगवानपुर	11	6	5	56	56	0
	ढंढेरा	2	1	1	32	32	0
	इमलीखेडा	11	2	7	34	36	6
	झबरेडा	11	13	4	33	47	0
हरिद्वार	लण्ढौरा	7	12	2	12	57	4
	पाण्डली गुर्जर	12	1	11	65	36	29
	पिरान कलियर	7	7	0	10	48	0
	रामपुर	11	3	8	34	34	0
नैनीताल	लालकुंआ	5	6	0	30	30	0
	सतपुली	6	5	1	19	9	10
पौड़ी	स्वर्णाश्रम जौंक	8	6	2	17	43	0
	थलीसैण	6	1	5	7	3	4
पिथौरागढ़	मुन्स्यारी	0	0	0	0	0	0
	अगस्त्यमुनि	5	4	1	24	29	3
	गुप्तकाशी	5	0	5	13	0	13
रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	11	5	6	13	0	13
	तिलवाड़ा	6	2	4	26	24	2
	ऊखीमठ	12	4	8	8	10	0
	चमियाला	6	4	2	7	7	0
	गजा	4	4	0	7	7	0
टिहरी	'घनसाली	5	4	1	8	6	2
गढ़वाल	कीर्तिनगर	10	10	0	1	1	0
	लम्बगांव	9	2	7	28	22	6
	तपोवन	5	2	3	15	30	1
	दिनेशपुर	12	8	4	36	36	0
	गढ़ीनेगी	6	1	5	17	13	4
	गुलरभोज	6	5	1	8	8	0
	केलाखेडा	14	8	6	10	13	6
ऊधमसिंह	लालपुर	12	8	4	17	17	0
नगर	महुवाडाबरा	7	4	3	8	8	0
	नानकमत्ता	6	4	3	31	31	0
	शक्तिगढ	9	5	4	16	16	0
	सुल्तानपुर पट्टी	25	4	11	0	51	0
उत्तरकाशी	गंगोत्री	6	3	3	14	10	4
	नौगांव	6	6	0	21	41	0
	समस्त नगर पंचायत	**391**	**222**	**170**	**988**	**1070**	**155**

सारांश में सम्बन्धित शहरी निकाय श्रेणीवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है–

शहरी निकाय की श्रेणी	निकाय की संख्या	स्वीकृत पद		कार्यरत पद		रिक्त पद	
		नियमित	आउटर्सोस	नियमित	आउटर्सोस	नियमित	आउटर्सोस
नगर निगम	11	2962	2061	1610	4906	829	174
नगर पालिका परिषद	46*	1515	2167	1581	2470	506	468
नगर पंचायत	51	391	988	222	1070	170	155
योग–	**108**	**4868**	**5216**	**3413**	**8446**	**1505**	**797**
* सिरौली कलां अभी केवल कागजों में है।							

14.18 प्राप्त सूचनाओं तथा जिला भ्रमण के दौरान संबंधित स्थानीय स्वशासी इकाइयों के साथ हुई चर्चाओं के आधार पर यह पाया गया कि विभिन्न स्थानीय स्वशासी इकाइयों में अनेक पद, विशेषकर तकनीकी पद, रिक्त हैं। यह भी पाया गया कि कई नगर पंचायतों में ''कनिष्ठ अभियंता'' का पद स्वीकृत ही नहीं है। इन निकायों के कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों/अधिकारियों ने यह इंगित करते हुए कि सीमा विस्तार तथा कार्यों के समुचित क्रियान्वयन की आवश्यकता को देखते हुए, आयोग के जनपद भ्रमणों के दौरान सुझाव दिया कि ''पर्यावरण मित्र'' की संख्या को वर्तमान मानक, जो कि प्रति हजार जनसंख्या पर दो है, से बढ़ाकर प्रति हजार जनसंख्या पर छह किया जाना चाहिए।

14.19 आयोग अनुशंसा करता है कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले कार्यों तथा उनके अधीन आने वाले भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, उनके कार्मिकों की पर्याप्तता की उपयुक्त स्तर पर समीक्षा की जानी चाहिए। विभिन्न तकनीकी तथा कर–संग्रहण से संबंधित पदों, जिनमें ''कनिष्ठ अभियंता'' का पद भी शामिल है, को शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत किया जाना चाहिए। साथ ही, अधिप्राप्ति नियमों के प्रावधानों अनुसार अनेक कार्यों को आउटसोर्स भी किया जा सकता है।

14.20 स्थानीय स्वशासन इकाइयों को सशक्त, सक्षम एवं सुदृढ़ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उनके पास उनके द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों और दायित्वों, उनकी वास्तविक वर्तमान आवश्यकताओं तथा (विशेषकर शहरी निकायों के मामले में) उनके विस्तारित क्षेत्रों और उससे संबंधित जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की उपयुक्त संख्या उपलब्ध हो। साथ ही, शाखा–वार पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ कर्मियों की उपलब्धता भी समान रूप से आवश्यक है। उचित लेखांकन एवं वित्तीय प्रबंधन के लिए संबंधित निकायों को संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षित एवं उपयोगी कार्मिकों की भी आवश्यकता होती है। आयोग के जनपदीय/क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मियों/पर्यावरण मित्रों की नियुक्ति की अनुमति देने के संबंध में अनुरोध एवं सुझाव भी प्राप्त हुए। आयोग को यह भी अवगत कराया गया कि जिस दिन किसी ग्राम को नगर पंचायत में परिवर्तित किया जाता है, उसी दिन कुछ पदों, जिनमें सफाई कर्मियों के पद भी शामिल हैं, सृजित हो जाते हैं। **अतः आयोग अनुशंसा करता है कि इन सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा निकायों द्वारा किए जा रहे कार्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शहरी निकायों तथा जिला पंचायतों के लिए न्यूनतम आवश्यक पदों की संख्या का पुनः निर्धारण करना चाहिए। इनके कार्यक्षेत्र को संविधान की अनुसूची XI और अनुसूची XII में उल्लिखित कार्यों/विषयों के अनुरूप क्रमशः विस्तारित किया जाना चाहिए तथा उसी के अनुसार आवश्यकतानुसार पदों की संख्या बढ़ाई/स्वीकृत की जानी चाहिए। साथ ही, अधिप्राप्ति नियमों के अंतर्गत बाह्य सेवा प्रदाताओं के माध्यम से स्वच्छता, लेखांकन एवं संबंधित कार्यों तथा अन्य ऐसे कार्यों की सेवाएँ प्राप्त करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि ग्राम पंचायतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर अंशकालीन समय (पार्ट–टाइम) या नियत मानदेय के आधार पर एक निश्चित संख्या में ''पर्यावरण मित्र'' रखने की अनुमति प्रदान की जाए।**

अध्याय–15

सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की प्रास्थिति एवं सुधार की सम्भावनाएँ

15.1 वर्तमान समय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल शासन और इनका उपयोग सेवा प्रदाय व निर्माण कार्यों के प्रबन्धन–अनुश्रवण आदि सहित हर क्षेत्र में किये जाने का काल है। यह मात्र कार्यों को कम्प्यूटरों के माध्यम से करने तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि वास्तविक समय अनुसार ऑनलाइन आधार पर कार्य निष्पादन सहित सूचनाओं के संकलन, कार्य में पारदर्शिता, प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने, जवाबदेही, दक्षता को बढ़ाने, सेवाओं को नागरिकों तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने, सेवा की गुणवत्ता आदि में अत्यंत उपयोगी और आवश्यक है। इस सम्बन्ध में G2C, G2B, G2G सभी प्रकृति के सेवाऐं/कार्य सम्पन्न किए जाते हैं। इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी, डिजीटल शासन आदि माध्यम उक्त वर्णित सभी प्रकार के कार्य शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के स्तर पर भी किए जाने से न केवल उनके कार्य निष्पादन के प्रदर्शन स्थिति को सुधारेगी बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही, सटीकता, समयबद्धता, स्थानीय शासन इकाईयों की स्वायतत्ता, सशक्तता एवं विश्वश्नीयता में सुधार होगा।

15.2 उत्तराखण्ड राज्य में शहरी एवं ग्रामीण दोंनों प्रकार की स्थानीय शासन इकाईयों में सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल शासन आदि को अपनाये जाने की स्थिति अत्यंत प्रारंम्भिक स्थिति में है। इस स्थिति के कई कारण हो सकते हैं जिनमें एकीकृत मानक सॉफ्टवेयर की व्यवस्था न होना, डाटा रखरखाव, संरक्षण और कार्यसंचालन/सम्पादन हेतु केन्द्रीकृत सर्वर/डाटा सेंटर की अनुउपलब्धता, कार्मिकों, अधिकारियों तथा चुने हुए प्रतिनिधियों की इस सम्बन्ध में उदासीनता, पहल की कमी, पर्याप्त प्रशिक्षण न होना तथा असहजता आदि प्रमुख हैं।

15.3 राज्य नगरीय विकास संस्थान के माध्यम कराए गये अध्ययन से राज्य में निम्नलिखित सेवाओं के सम्बन्ध में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की स्थिति इस प्रकार स्पष्ट हुई है–

विवरण	स्थिति	ऑनलाईन लिंक	स्थानीय निकायों की संख्या जो ऑनलाइन हैं
सम्पत्ति कर	ऑनलाइन	https://nagarsewa.uk.gov.in/common	7
भवन मानचित्र स्वीकृति व्यवस्था	ऑनलाइन	https://uhudaeaseapp.uk.gov.in/easeapp	107 (सुलभ)
व्यवसाय लाईसेंस	ऑनलाइन	https://nagarsewa.uk.gov.in/common	11
जन शिकायत निवारण	ऑनलाइन	https://cmhelpline.uk.gov.in	107
अग्नि अनापत्ति/अन्य अनापत्ति	ऑनलाइन	https://ukfireservices.com/ittaraljamd_fire	107
जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र	ऑनलाइन	https://eservices.uk.gov.in	107
जल एवं सीवर सेवा	ऑफलाइन		
मल कीचड़ प्रबन्धन/कीचड़ हटाना	ऑफलाइन	–	–
उपयोगकर्ता	ऑफलाइन	–	–

विवरण	स्थिति	ऑनलाईन लिंक	स्थानीय निकायों की संख्या जो ऑनलाइन हैं
शुल्क / विविध वसूली			
पालतू जानवर पंजीकरण	ऑफलाइन	–	–
ई–अवशिष्ट प्रबन्धन	ऑफलाइन	–	–
समुदायिक हॉल / स्थल बुकिंग	ऑफलाइन	–	–
फुटपाथ विक्रेता	ऑफलाइन	–	–
विज्ञापन	ऑफलाइन	–	–
वित्तीय एवं लेखा प्रबन्धन	ऑफलाइन	–	–
परिसम्पत्ति	ऑफलाइन	–	–
विवाह पंजीकरण	ऑनलाइन	https://ucc.uk.gov.in/portal/login	107

15.4 उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है कि शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही ई–सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की स्थिति—विशेषकर नागरिकों से सीधे जुड़े मामलों में–किसी भी मानक के अनुसार संतोषजनक नहीं है। यह स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड के शहरी स्थानीय निकायों / पंचायतीराज संस्थाओं में सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य नवीन तकनीकी ज्ञान एवं प्रणालियों को तत्काल और तीव्र गति से उनके सभी कार्यक्षेत्रों में लागू किया जाना आवश्यक है। इसके लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर और डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित और व्यवस्थित किए जाने चाहिए, जिसमें GIS (Geographic Information System) और GPS (Global Positioning System) तकनीकों का उपयोग भी शामिल होना चाहिए।

15.5 गृह / संपत्ति कर शहरी स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के लिए मुख्य स्व–राजस्व स्रोत है। वर्तमान में, शहरी स्थानीय निकायों / जिला पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी घरों / संपत्तियों की पहचान, सूचीबद्ध करना और कराधान पूरी तरह से नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, ये निकाय गृह / संपत्ति कर से पूर्ण राजस्व क्षमता का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस संदर्भ में, घर / संपत्तियों की पहचान और कराधान के लिए GIS–आधारित प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। यह प्रणाली सभी शहरी स्थानीय निकायों / जिला पंचायतों में वर्ष 2026–27 तक लागू की जानी चाहिए और उसके बाद वार्षिक रूप से अद्यतन की जानी चाहिए।

15.6 शहरी क्षेत्रों में खुले स्थानों, नदियों और नालियों में फैले ठोस अपशिष्ट का नियमित निरीक्षण, घर–घर कचरा संग्रह, कचरा वाहनों की आवाजाही का ट्रैकिंग, भराव स्थलों की स्थिति, अपशिष्ट निपटान और पृथक्करण की स्थिति जैसी गतिविधियों की निगरानी करके ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को काफी सुधारा जा सकता है। इसके लिए जी0पी0एस0, जी0आई0एस0, सी0सी0टी0वी0 और ड्रोन कैमरों जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार, नई तकनीकों और प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग करके प्रत्येक गतिविधि में सुधार प्राप्त किया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने नदी से खनन की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों के उपयोग और वाहनों को जी.पी.एस. सक्षम चिप्स से युक्त करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड राज्य की ड्रोन नीति भी विचाराधीन होने की सूचना है।

15.7 सूचना प्रौद्योगिकी/डिजिटल प्लेटफार्म के उपयोग माध्यम से गृहकर एवं अन्य देयों की वसूली व प्रबन्धन और ससमय सूचना/नोटिस भेजे जाने आदि जैसे कार्यों में काफी सुधार प्राप्त किया जा सकता है।

15.8 इसी प्रकार विभिन्न स्थलों पर लगने वाले हाटों, फुटपाथ विक्रेताओं आदि से सम्बन्धित कार्यों का उचित प्रबन्धन एवं पर्यवेक्षण किया जा सकता है।

15.9 शहरी स्थानीय निकायों के लिए सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न प्रकार की प्रमाणित सूचनाओं और आकड़ों का दैनिक स्तर पर संकलन और समेकन है। इसी तरह शहरी स्थानीय निकायों की भूमि और संपत्तियों की पहचान, सत्यापन और प्रबंधन में भी समस्या है। सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, उपयुक्त सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम (algorithms) का उपयोग करके स्थानीय निकायों के वार्षिक तुलन पत्रों को तैयार करने में मदद मिलेगी और संबंधित सभी अभिलेखों का वास्तविक समय में लेखाकारों और लेखा परीक्षको के लिए सत्यापन और लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जा सकेगा। वर्तमान में इसकी नितान्त कमी है, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी, नई डिजिटल तकनीकों आदि के उपयोग से दूर किया जा सकता है और इसे अबिलम्ब किया जाना चाहिए।

15.10 किसी भी संस्था के प्रमाणित एवं संपरीक्षित वित्तीय लेखा की उपलब्धता एक अति महत्वपूर्ण कार्य है। सभी शहरी निकायों के लिए **उत्तराखण्ड शहरी लेखा मैनुअल लागू होते हुए भी लेखांकन कार्य के लिए मानक सॉफ्टवेयर, जो सभी निकायों में समान रूप से लागू हो, नहीं लागू है। इसे शीघ्र (वर्ष 2026–27 में ही) बनाया एवं लागू किया जाना चाहिए।**

15.11 पंचायती राज संस्थाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग शहरी स्थानीय निकायों की तुलना में काफी पीछे है और वास्तविकता में यह लगभग अस्तित्वहीन है। उदाहरण के लिए, मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए वित्तीय जानकारी भारत सरकार के दिशानिर्देशों और सिस्टम के अनुसार पोर्टल पर अपलोड की जाती है, लेकिन अन्य गतिविधियों के लिए पंचायतों में सूचना प्रौद्योगिकी अपनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। विशेषकर ग्राम पंचायतों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अत्यंत प्राथमिक स्तर पर है। इस संदर्भ में अत्यधिक सुधार और कार्यवाही की आवश्यकता है।

15.12 उचित होगा कि शहरी स्थानीय निकायों में ई–शहरी स्थानीय निकाय तथा पंचायतों में ई–पंचायत माध्यम निकायों/पंचायतों की बैठकें, बैठकों हेतु सूचना प्रेषण, बैठक कार्यवाही अंकन, वित्तीय प्रबन्धन, लेखांकन कार्य सहित लेखा रखरखाव, निर्माण कार्यों के प्रत्येक क्रियाकलाप का प्रबन्धन, भुगतान, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति अनुश्रवण आदि कार्य, नागरिक सेवायें तथा अन्य सभी कार्यों को सम्पन्न किया जाना चाहिए और इस हेतु 2026–27 में ही यथोचित व्यवस्था आदि स्थापित कर लिए जाने चाहिए। उल्लेखनीय है कि सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से वास्तविक समय अनुसार त्वरित तथा पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होगी और साथ ही आंकडों के त्वरित संकलन सहित उनके संरक्षण को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

15.13 पंचायतीराज संस्थाओं में जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों में उक्तानुसार ही सभी कार्य विषयों से सम्बन्धित समस्त क्रिया कलापों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग इस हेतु मानक सॉफ्टवेयर तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित कर तत्काल प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

15.14 उत्तराखण्ड में यद्यपि कई ग्राम पंचायतों में नेटवर्क की उपलब्धता है तथापि पर्वतीय क्षेत्रों के कई ग्रामों तथा मैदानी क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में नेटवर्क या तो उपलब्ध नहीं हो सका है अथवा उसकी स्थिति कमजोर एवं अविश्वसनीय है। चूँकि नेटवर्क की उपलब्धता विषय भारत सरकार के कार्यक्षेत्रान्तर्गत है, अतः इस सम्बन्ध में भारत सरकार के स्तर से इस समस्या के त्वरित एवं विश्वसनीय समाधान हेतु

कार्यवाही करनी होगी भले ही उसके लिए उच्च तकनीकी/प्रणाली यथा सीधे उपग्रह से नेटवर्क उपलब्धता की व्यवस्था ही क्यों न की जानी हो।

15.15 डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तराखण्ड की 6094 पंचायतों में कम्प्यूटर तथा प्रिन्टर हैं जो कि प्रति ग्राम पंचायत औसतन 0.77 उपलब्धता है। टेलीफोन संयोजन/कनेक्टिविटी उत्तराखण्ड में मात्र 108 ग्राम पंचायतों में है और इस प्रकार प्रति ग्राम पंचायत औसतन 0.01 है। इन्टरनैट उपलब्धता उत्तराखण्ड के केवल 1624 ग्राम पंचायतों में है जो औसतन 0.21 है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) अन्तर्गत ई–कनैक्टिविटी को प्रमुख उद्देश्यों में से चिन्हित किया गया है ताकि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग सभी स्तरों की पंचायतों में सबसे निचले स्तर तक भी सुनिश्चित हो सके।

15.16 उत्तराखण्ड में कई डिजिटल प्लेटफार्म पंचायतों में कार्यान्वित किये गये हैं जिनमें लेखा सम्बन्धी प्रिया सॉफ्ट (PRIYA SOFT), प्लान प्लस (नियोजन) एक्शन सॉफ्ट (कार्य अनुश्रवण), परिसम्पत्ति निर्देशिका, पंचायत प्रोफाइलर, शिकायत निवारण, प्रशिक्षण प्रबन्धन आदि हैं; परन्तु डिजिटल शासन तंत्र मामले में उत्तराखण्ड पीछे है जिसमें जी.आई.एस. समेकन, पंचायत पोर्टल, राज्य विकसित सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म/टूल्स अभी कार्यान्वित नहीं हैं और सर्विस प्लस भी कार्यान्वित नहीं है जिसके अन्तर्गत नागरिको को आनलाइन सेवाऐं दी जानी हैं।

15.17 दून विश्वविद्यालय के माध्यम से आयोग द्वारा सम्पन्न कराई गई कार्यशाला में नियोजन, क्षमता वृद्धि तथा प्रशिक्षण हेतु आभासी माध्यम से परामर्शदताओं के उपयोग के महत्व को प्रस्तुत किया गया और उसे अपनाने पर विचार करने का सुझाव भी दिया गया। आभासी–माध्यम परामर्शदाता को लागत की दृष्टि से कम खर्चीला, समय बचाने वाला, वैश्विक स्तर के विशेषज्ञों की उपलब्धता, वास्तविक समय अनुसार मार्गदर्शन एवं समस्या समाधान के लिए उपयोगी बताया गया। आज के कृत्रिम वृद्धिमत्ता काल में इस प्रकार की प्रौद्योगिकी से सम्पन्न उपायों/साधनों का उपयोग स्थानीय शासन ईकाईयों के स्तर पर भी किये जाने की ओर प्रयास करने की आवश्यकता है।

विगत राज्य वित्त आयोगों के प्रतिवेदनों पर अनुपालन की स्थिति

16.1 पूर्ववर्ती अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दो नए राज्य 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आये। उत्तराखंड बनने के समय उसके पंचायती राज संस्थाऐं और शहरी स्थानीय निकाय, नवम्बर 2000 से मार्च 2001 की अवधि के दौरान 1996–2001 की अवधि के लिए पहले से ही उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों अनुसार वित्तीय अंतरण प्राप्त कर रहे थे। चूंकि उत्तराखंड राज्य का गठन नवम्बर 2000 में हुआ जो कि उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग की संस्तुति अवधि का अंतिम वर्ष (2000–2001) था और प्रथम उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग 31 मार्च 2001 को गठित हुआ, इसलिए पंचायतीराज संस्थाऐं और शहरी स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के निर्णय के अनुसार मार्च 2002 तक वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए वित्तीय अंतरण उत्तराखंड के प्रथम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों अनुसार समायोजनाधीन पाते रहे।

16.2 उत्तराखंड का पहला राज्य वित्त आयोग अप्रैल 2001 से मार्च 2006 तक की पाँच साल की अवधि के लिए (अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2001) पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय अंतरण सम्बन्धी और अन्य वित्तीय व प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए संस्तुतियाँ देने हेतु गठित किया गया। इसके बाद उत्तराखंड के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम राज्य वित्त आयोग क्रमशः 2006–2011, 2011–2016, 2016–2021 और 2021–2026 की पाँच–पाँच साल की अवधि के लिए गठित किए गए। इन आयोगों के प्रतिवेदन और संस्तुतियों पर, संशोधनों सहित, राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की है।

16.3 आयोग द्वारा पिछले पांच राज्य वित्त आयोगों के प्रतिवेदनों/संस्तुतियों पर की गयी कृत कार्रवाई की समीक्षा की गई। जैसा कि विधान सभा पटल में प्रस्तुत "कृत कार्रवाई ज्ञापनों" से स्पष्ट है, इन आयोगों के प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई का सारांश निम्नानुसार है–

पिछले राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्टों पर किए गए कार्यों का संक्षिप्त सार

क्र.स.	राज्य वित्त आयोग	संस्तुति अवधि	गठन की तिथि	श्री राज्यपाल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	विधान सभा पटल में कार्रवाई ज्ञापन व स्पष्टीकारक ज्ञापन प्रस्तुत करने की तिथि	अभियुक्ति
1	प्रथम राज्य वित्त आयोग	01-04-2001 से 31-03-2006	31.03.2001	29.06.2002	03.07.2004	–
2	द्वितीय राज्य वित्त आयोग	01-04-2006 से 31-03-2011	30.04.2005	07.06.2006	05.10.2006 24.03.2011	आयोग की अन्य प्रशासनिक संस्तुतियों का स्पष्टीकारक ज्ञापन दिनांक 24.03.2011 को विधान सभा पटल में प्रस्तुत किया गया।
3	तृतीय राज्य वित्त आयोग	01-04-2011 से 31-03-2016	02.12.2009	13.06.2011	30.05.2012 16.03.2015	आयोग की अन्य प्रशासनिक संस्तुतियों का स्पष्टीकारक ज्ञापन दिनांक 16.03.2015 को विधान सभा पटल में प्रस्तुत किया गया।
4	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	01-04-2016 से 31-03-2021	02.02.2015	31.05.2016	27.03.2017 23.09.2020	आयोग की अन्य प्रशासनिक संस्तुतियों का स्पष्टीकारक ज्ञापन दिनांक 23.09.2020 को विधान सभा पटल में प्रस्तुत किया गया।

क्र.स.	राज्य वित्त आयोग	संस्तुति अवधि	गठन की तिथि	श्री राज्यपाल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	विधान सभा पटल में कार्रवाई ज्ञापन व स्पष्टीकारक ज्ञापन प्रस्तुत करने की तिथि	अभियुक्ति
5	पंचम राज्य वित्त आयोग	01-04-2021 से 31-03-2026	04.11.2019	14.06.2021	30.03.2022	–

16.4 पिछले पांच राज्य वित्त आयोगों की संस्तुतियों पर की गई कार्रवाईयों का सारांश, जैसा कि कृत कार्रवाई ज्ञापनों में इंगित है, नीचे दी गई तालिका में अवलोकनीय है–

क्र.सं.	विवरण	प्रथम राज्य वित्त आयोग	द्वितीय राज्य वित्त आयोग	तृतीय राज्य वित्त आयोग	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	पंचम राज्य वित्त आयोग
1	कुल संस्तुतियाँ	28	57	56	59	43
2	संस्तुति अनुरूप स्वीकृत संस्तुतियाँ	20	25	47	44	19
3	संशोधन सहित स्वीकृत संस्तुतियाँ	4	-	1	5	2
4	अस्वीकृत संस्तुतियाँ	2	9	-	3	-
5	परीक्षण हेतु लम्बित रखी गई संस्तुतियाँ	1	-	-	-	2
6	संस्तुतियाँ जिन में कार्रवाई होने की कोई सूचना नहीं	1	-	8	3	-
7	वे स्वीकृत संस्तुतियाँ जिन्हें प्रशासनिक विभागों/निकायों द्वारा कार्यवाही किये जाने हेतु नियत किया गया था।	4	1	-	-	19
8	अनुवर्ती कार्रवाई सम्बन्धी संस्तुतियाँ	-	-	-	4	1
9	अन्तिम निर्णय हेतु लम्बित संस्तुतियाँ	-	18	-	-	-
10	कार्रवाई की आवश्यकता न पाने वाली संस्तुतियाँ	-	4	-	-	-

16.5 पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन / संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण, अनुवर्ती कार्रवाई सहित, नीचे प्रस्तुत है–

(क) पंचम राज्य वित्त आयोगों द्वारा की गई वित्तीय संस्तुतियों पर कृत कार्रवाई का विवरण (2021–2026)

क्र0 सं0	आयोग द्वारा की गई वित्तीय संस्तुतियां	संस्तुतियों के क्रम में की गई कार्रवाई	अनुवर्ती कार्रवाई
	वित्तीय संक्रमण से संबंधित संस्तुतियॉः–		
1	कोविड महामारी के कारण बढ़ती जिम्मेदारियों के साथ–साथ बढ़ते	प्रदेश सरकार द्वारा बजट के माध्यम	

क्र0 सं0	आयोग द्वारा की गई वित्तीय संस्तुतियां	संस्तुतियों के क्रम में की गई कार्रवाई	अनुवर्ती कार्रवाई
	शहरीकरण और गुणवत्तापूर्ण नागरिक सेवाओं की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए, आयोग राज्य के अपने कर राजस्व (जीएसटी मुआवजे सहित) के 11% हस्तांतरण की सिफारिश करता है, जिसे शहरी स्थानीय निकाय और ग्रामीण निकायों के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित किया जाना है। **(अध्याय–8, प्रस्तर 8.8)**	से प्रदेश की ग्रामीण एवं शहरी निकायों के विकास एवं जनकल्याण हेतु विभिन्न योजनायें संचालित की जाती है, जिनमें काफी वित्तीय व्यय भार निहित होता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 तक ही जी.एस.टी. की क्षतिपूर्ति की जायेगी। कोविड–19 के प्रतिकूल प्रभाव के कारण वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये विकल्प के अंतर्गत राज्यो को विशेष विंडों के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा ऋण के माध्यम से क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के वचनबद्ध दायित्वों एवं सीमित संसाधनों के दृष्टिगत अन्तरण/ हस्तांतरण की धनराशि प्रदेश को प्राप्त निज कर राजस्व (जी.एस.टी. की क्षतिपूर्ति को छोड़कर) का 10. 50 प्रतिशत ही रखी जाय, जिसे आयोग की संस्तुतियों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों एवं ग्रामीण निकायों के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित किया जायेगा। उक्तानुसार संस्तुति स्वीकार की गई।	
2	आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय के परस्पर अंश के निर्धारण के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाया है:– **(अध्याय–8, प्रस्तर 8.11)**	संस्तुति यथावत स्वीकार की गई।	
(i)	सभी केन्द्रीय वित्त आयोगो ने जनसंख्या के मापदंड का सिद्धांत अपनाया है जो कि निवासियों की आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है, क्योंकि यह एक साधारण तटस्थ और पारदर्शी संकेतक है, जिसका महत्वपूर्ण समान प्रभाव पड़ता है, और यह किसी भी प्रकार के सांख्यिकीय पूर्वाग्रह से मुक्त है। चूंकि कुछ शहरी स्थानीय निकायों में विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र में एक अल्प आबादी है, फिर भी कुछ आवश्यक नगरपालिका सेवाएं प्रदान की जानी हैं, इसलिए हमने नगर पालिका परिषद के लिए 10000, नगर पंचायत के लिए 5000 और ग्राम पंचायत के लिए 500 की न्यूनतम जनसंख्या मान ली है। **(प्रस्तर 8.11)**		

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>आयोग द्वारा की गई वित्तीय संस्तुतियां</th><th>संस्तुतियों के क्रम में की गई कार्रवाई</th><th>अनुवर्ती कार्रवाई</th></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों द्वारा रिपोर्ट किए गए क्षेत्रफल के आंकड़ों में बहुत अधिक विसंगति है। ग्राम पंचायतों के लिए अधिकतम क्षेत्रफल 600 हैक्टेयर और न्यूनतम क्षेत्रफल 200 हैक्टेयर निर्धारित किया गया है।
नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों हेतु न्यूनतम/ अधिकतम क्षेत्रफल का मापदंड निम्नवत हैः–
(प्रस्तर 8.11)
<table>
<tr><th>स्थानीय निकायों का नाम</th><th>न्यूनतम क्षेत्रफल (वर्ग किमी) में</th><th>अधिकतम क्षेत्रफल (वर्ग किमी)में</th></tr>
<tr><td>नगर पालिका परिषदें</td><td>10</td><td>40</td></tr>
<tr><td>नगर पंचायतें</td><td>10</td><td>40</td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत रिमोटनेस के संकेतक के रूप में निकटतम रेल हेड से दूरी ली हैः–
<u>नगर पालिका परिषदें और नगर पंचायतें</u>
(i) 0–20 किमी, (ii) 21–80 किमी, (iii) 81–180 किमी, और (iv) 180 किमी से अधिक।
<u>जिला पंचायतें और क्षेत्र पंचायतें</u>
(i) 0–50 किमी, (ii) 51–100 किमी, (iii) 101–150 किमी, और (iv) 150 किमी से अधिक। निकटतम रेल हेड से दूरी के आधार पर जिला पंचायतों को 10% और क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों को 20% भारांक दिया गया है। यहां रेल हैड से जिला परिषद व विकास खण्ड मुख्यालय की दूरी है। (प्रस्तर 8.11)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>आयोग ने हस्तांतरण सूत्र (Devolution formula) में कर प्रयास को एक मापदण्ड के रूप में शामिल किया है। प्रति व्यक्ति कर की समीक्षा के साक्ष्य को 50% और प्रति व्यक्ति वसूली को 50% महत्व देना होगा। (प्रस्तर 8.11)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(v)</td><td>विशेष व्यवस्था :– कुछ शहर अस्थायी आबादी के रूप में बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करते हैं क्योंकि वे 1) एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, 2) जिला मुख्यालय, 3) यात्रा मार्ग पर स्थित और 4) अन्य कार्यालय और महत्वपूर्ण संस्थान जैसे माननीय 'उच्च न्यायालय', 'आवासीय विद्यालय' आदि ऐसे यह प्रत्येक कारक को समान भार देकर और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत तक सीमित करके उपरोक्त आधार पर हस्तांतरण सूत्र में व्यवस्था की गयी है। (प्रस्तर 8.11)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(1)</td><td>ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और ग्राम पंचायतों के बीच परस्पर अंश क्रमशः 37.5%, 17.5% और 45% होगा और क्षैतिज हस्तांतरण के लिए मापदण्ड निम्नानुसार अनुशंसित हैः–
सारिणी–8.3
<table>
<tr><th>क्र. स.</th><th>ग्रामीण स्थानीय निकाय का नाम</th><th>आबादी</th><th>क्षेत्रफल</th><th>कर प्रयास</th><th>पृथकता</th></tr>
<tr><td>1</td><td>जिला पंचायतें</td><td>60%</td><td>20%</td><td>10%</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्षेत्र पंचायतें</td><td>60%</td><td>20%</td><td>-</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ग्राम पंचायतें</td><td>60%</td><td>20%</td><td>-</td><td>20%</td></tr>
</table></td><td>संस्तुति यथावत स्वीकार की गई।</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>आयोग द्वारा की गई वित्तीय संस्तुतियां</th><th>संस्तुतियों के क्रम में की गई कार्रवाई</th><th>अनुवर्ती कार्रवाई</th></tr>
<tr><td></td><td>उपर्युक्त सूत्र के अनुसार जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और ग्राम पंचायतों के हिस्से की गणना आयोग के प्रतिवेदन के अनुलग्नकः 8.1, 8.2, 8.3 में दी गई हैं। (अध्याय–8, प्रस्तर 8.13)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(2)</td><td>शहरी स्थानीय निकाय के लिए परस्पर अंश की सिफारिश निम्नानुसार की गई है–
नगर निगमें – 40%
नगर पालिका परिषदें – 47%
नगर पंचायतें – 13%
(अध्याय–8, प्रस्तर 8.13)</td><td>संस्तुति यथावत स्वीकार की गई।</td><td></td></tr>
<tr><td>(3)</td><td>अंश का निर्धारण निम्नलिखित विचार के आधार पर करने की अनुशंसा की गई हैः–
सारिणी –8.4
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>शहरी स्थानीय निकाय</th><th>आबादी</th><th>क्षेत्रफल</th><th>कर प्रयास</th><th>पृथकता</th><th>विशेष व्यवस्था</th></tr>
<tr><td>1</td><td>नगर निगम</td><td>60%</td><td>20%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2</td><td>नगर पालिका</td><td>65%</td><td>10%</td><td>15%</td><td>5%</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>नगर पंचायत</td><td>65%</td><td>10%</td><td>15%</td><td>5%</td><td>5%</td></tr>
</table>
उपरोक्त मापदंड और वेटेज के आधार पर नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत का संबंधित हिस्सा आयोग के प्रतिवेदन के अनुलग्नक 8.4, 8.5, 8.6 में दी गई हैं।
(अध्याय–8, प्रस्तर 8.13)</td><td>संस्तुति यथावत स्वीकार की गई।</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>आयोग के अधिनिर्णय की अवधि के दौरान नवसृजित नगर परिषद और नगर पंचायतों को प्रथम वर्ष में ₹1.25 करोड़ रूपये और शेष वर्षों में ₹75.00 लाख रूपये प्रति वर्ष के अनुदान के लिए दिया जाना चाहिए। प्रथम वर्ष में सहायता अनुदान की कुल राशि में से 50 लाख रूपये की राशि उन मदों पर खर्च की जाएगी जो पूंजीगत कार्यों और राजस्व व्यय की प्रारंभिक मदों की प्रकृति की हैं लेकिन नयी, स्टाफ कार/जीप इस अनुदान से नहीं खरीदी जा सकती है।
(अध्याय–8, प्रस्तर 8.14)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>आयोग के अधिनिर्णय की अवधि के दौरान नव निर्मित नगर परिषदों और नगर पंचायतों को संस्तुत सहायता अनुदान की राशि को उनके द्वारा अनुशंसित सूत्र या सहायता अनुदान में शामिल नहीं किया गया है, उनके संबंधित समूहों को स्वीकार्य कुल हस्तांतरण राशि से ऐसी धनराशि की कटौती की जाऐगी।
(अध्यायः 8 प्रस्तर–8.15)</td><td>संस्तुति स्वीकार की गई।</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>तीन नगर पंचायतों को सहायता के लिए निम्नलिखित अनुदान की सिफारिश की हैः–
बद्रीनाथ ₹1 करोड़ प्रति वर्ष
केदारनाथ ₹0.50 करोड़ प्रति वर्ष
गंगोत्री ₹0.50 करोड़ प्रति वर्ष।</td><td>उत्तराखण्ड के महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थल होने के कारण उक्त प्रत्येक गैर निर्वाचितों निकायों को ₹2.00 करोड़ वार्षिक अनुदान दिया जायेगा। इस संशोधन के</td><td></td></tr>
</table>

क्र0 सं0	आयोग द्वारा की गई वित्तीय संस्तुतियां	संस्तुतियों के क्रम में की गई कार्रवाई	अनुवर्ती कार्रवाई
	(अध्यायः 8 प्रस्तर–8.18)	साथ संस्तुति स्वीकार की गई।	
7	संसूचित वेतन और पेंशन संबंधी बकाया राशि कुल ₹38.15 करोड़ है, लेखापरीक्षित खातों के आधार पर देय सत्यापन के बाद बकाया की निकासी के लिए आयोग ₹38.15 करोड़ के अनुदान की सिफारिश करता है। (अध्यायः 8 प्रस्तर–8.20)	संस्तुति स्वीकार की गई।	
8	बिजली के बिल की बकाया धनराशि हेतु तृतीय राज्य वित्त आयोग ने एक व्यवस्था का सुझाव दिया था, जिससे वर्तमान आयोग सहमत है। इसके अनुसार निदेशक लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित बकाया का 20% अनुदान के रूप में वर्ष 2021–22 में भुगतान किया जाना चाहिए और दूसरे वर्ष से बाकी की कटौती की जाएगी (राज्य के कर राजस्व में सामान्य वृद्धि के कारण हस्तांतरण के लिए उपलब्ध किसी भी अतिरिक्त राशि से 50% तक) कटौती की जाएगी। नगरपालिका क्षेत्र में बिजली की खपत पर एक अधिभार या उपकर लगाया जाना चाहिए है। जिसकी आय उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विद्युत बिलों के साथ एकत्र की जा सकती है, और इससे बिजली बिलों का भुगतान किया जाय। (अध्यायः 8 प्रस्तर–8.23)	संस्तुति स्वीकार की गई। प्रशासनिक विभाग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जायेगी।	
9	**विशेष प्रयोजन अनुदान** :– विस्तृत सर्वेक्षण के बाद जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करना। आयोग इस उद्देश्य के लिए ₹15 करोड़ के अनुदान की सिफारिश करता है। हालांकि, अनुदान जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका उपयोग उन शहरी स्थानीय निकायों के लिए किया जाता है जिन्हें किसी अन्य योजना द्वारा इस उद्देश्य के लिए वित्त पोषित नहीं किया जाता है। एस एस जे कैंपस, कुमाऊं विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में केंद्र द्वारा अल्मोड़ा शहर के लिए एक जीआईएस आधारित व्यापक मॉडल तैयार किया गया था, जो प्रथम दृष्टया काफी जानकारीपूर्ण प्रतीत होता है। इसे अन्य स्थानों के लिए उचित जांच के बाद दोहराया जा सकता है। (अध्यायः 8 प्रस्तर–8.25)	संस्तुति स्वीकार की गई।	
10	हालांकि, आयोग उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में राज्य शहरी विकास संस्थान की स्थापना के संबंध में तृतीय वित्त आयोग के प्रस्ताव को दोहराता है, जो कि लागत प्रभावी व्यवस्था है, क्योंकि बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाए वहॉ उपलब्ध है। संस्थान को प्रशिक्षण और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए ₹1 करोड़ का वार्षिक अनुदान प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती है। शहरी मुद्दों पर कार्ययोजना से विभिन्न योजनाओं के तहत परियोजना आधारित वित्त पोषण किया जा सकता है। (अध्यायः 8 प्रस्तर–8.25)	संस्तुति स्वीकार की गई।	
11	400 करोड़ की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना जिसे 35% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना है और 65% राज्य का हिस्सा है तथा जिसमें से ₹80 करोड़ जारी किए गए हैं, आयोग इस उद्देश्य के लिए राज्यांश हेतु ₹180 करोड़ के अनुदान की सिफारिश करता है। (अध्यायः 8 प्रस्तर–8.25)	संस्तुति स्वीकार की गई।	
12	एलईडी लाइटों द्वारा मौजूदा स्ट्रीट लाइट और सौर आधारित एलईडी लाइटों की स्थापना के लिए ₹25 करोड़ रुपये प्रस्तावित	संस्तुति स्वीकार की गई।	

क्र0 सं0	आयोग द्वारा की गई वित्तीय संस्तुतियां	संस्तुतियों के क्रम में की गई कार्रवाई	अनुवर्ती कार्रवाई
	किए गए हैं। चूंकि यह एक ऊर्जा बचत उपकरण है, इसलिए ₹25 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की जाती है। **(अध्यायः 8 प्रस्तर–8.25)**		
13	आयोग द्वारा भूमिगत कचरा बिन स्थापित करने के लिए प्रस्तावित ₹20 करोड़ की सिफारिश की जाती है बशर्ते कि यह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की किसी अन्य परियोजना में वित्त पोषित न हो। **(अध्यायः 8 प्रस्तर–8.25)**	संस्तुति स्वीकार की गई।	
14	शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त अधिकांश प्रस्ताव भूमि की उपलब्धता, स्थान, राजस्व मॉडलिंग आदि के बारे में किसी भी विवरण के बिना हैं। इसलिए, आयोग शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹100 करोड़ के एक संयुक्त अनुदान की सिफारिश करता है, मुख्य रूप से परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु जिससे आय में वृद्धि हो सकती है। कोविड के अनुभव ने विद्युत शवदाह गृह की आवश्यकता के दृष्टिगत इसका उपयोग किया जाए इस असंबद्ध अनुदान में से देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में विद्युत शवदाह गृह की स्थापना को प्राथमिकता दी जाए, जब शहरी स्थानीय निकायों द्वारा भूमि उपलब्ध करा दी जाए। इसी प्रकार, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के लिए ₹20 करोड़ के संयुक्त अनुदान की सिफारिश की गई है। **(अध्यायः 8 प्रस्तर–8.26)**	संस्तुति स्वीकार की गई।	
15	इन अनुदानों को दूसरे वर्ष से जारी किया जा सकता है और सम्पत्ति कर न्यूनतम दरों की शर्त के अधीन उन शहरी स्थानीय निकायों को छोडकर जो इस अवधि के लिए बनाये गए है और छूट प्राप्त अन्य पर लागू होगी। छूट की अवधि समाप्त होने पर यह छूट प्राप्त निकायों पर भी लागू हो जाएगा। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित शर्त अनुदान जारी करने के लिए लागू की जाय। **(अध्यायः 8 प्रस्तर–8.27)**	संस्तुति स्वीकार की गई।	

(ख) पंचम राज्य वित्त आयोगों द्वारा की गई अन्य संस्तुतियों पर कृत कार्रवाई का विवरण (2021–2026)

क्र0सं0	आयोग द्वारा की गई अन्य संस्तुतियां	संस्तुतियों के क्रम में की गई कार्रवाई	अनुवर्ती कार्रवाई
1	सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, विकेंद्रीकृत शासन, वित्तीय योजना, आई.सी.टी. (सूचना संचार प्रौद्योगिकी) और आई.सी.ई. (सूचना संचार एवं शिक्षा) उपायों पर फिर से जोर देने की चुनौती, सामुदायिक भागीदारी को बेहतर बनाने हेतु एक मजबूत इच्छा के साथ सकारात्मक स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करना होगा। **(अध्याय–4, प्रस्तर 4.10)**	संस्तुति स्वीकार की गई। संबंधित प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।	सूचना नहीं।
2	ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र के साथ–साथ सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को सुगम बनाना होगा। राज्य को योजनाकार के साथ–साथ एक सक्षमकर्ता के रूप में एक बड़ी भूमिका निभानी होगी तथा उपयुक्त और समुचित नवीन प्रौद्योगिकी और प्रथाओं को पेश करना होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ स्थायी कृषि और संबद्ध गतिविधियों, सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और प्रभावी आई.सी.टी.	संस्तुति स्वीकार की गई। संबंधित प्रशासकीय विभाग सूचना प्रौद्योगिक विभाग से समन्वय स्थापित कर अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।	सूचना नहीं।

क्र0सं0	आयोग द्वारा की गई अन्य संस्तुतियां	संस्तुतियों के क्रम में की गई कार्रवाई	अनुवर्ती कार्रवाई
	उपायों के उपयोग की आवश्यकता होगी। **(अध्याय–4, प्रस्तर 4.21)**		
3	जल और मृदा संरक्षण एवं उत्पादकता के दोहरे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जबकि तकनीकी उन्नयन अत्यधिक वांछनीय है और इसके सफल होने के लिए किसी भी तकनीकी अनुप्रयोगों हेतु एक गहन लागत लाभ विश्लेषण की आवश्यकता है। क्लस्टर दृष्टिकोण के साथ स्वैच्छिक चकबन्दी, अनुबंध खेती के साथ, प्रसंस्करण उद्योग का लिंकेज और तकनीकी निवेश की सूक्ष्म स्तरीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए समीक्षा की जानी चाहिए। **(अध्याय–4, प्रस्तर 4.28)**	संस्तुति स्वीकार की गई। संबंधित प्रशासकीय विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।	सूचना नहीं।
4	पहला कदम उन सभी संस्थानों, उत्पादन इकाइयों आदि की, जिन्हें कृषि और बागवानी अनुसंधान और प्रसंस्करण, उत्पादन, विपणन आदि के लिए स्थापित किया गया है, उनमें अपने वास्तविक प्रदर्शन एवं दक्षता आदि के संदर्भ में समग्र समीक्षा होनी चाहिए और यदि गंभीर अड़चनें हैं, तो संस्थागत संरचना और रणनीतियों दोनों के संदर्भ में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं।**(अध्याय–4, प्रस्तर 4.30)**	संस्तुति स्वीकार की गई। संबंधित प्रशासकीय विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर समीक्षा करते हुये अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।	सूचना नहीं।
5	यह समान रूप से रेशम उत्पादन, पशुपालन, डेयरी क्षेत्र, मत्स्य पालन मधुमक्खी पालन, और अन्य संबंधित गतिविधियों पर लागू होगा। **(अध्याय–4, प्रस्तर 4.31)**	संस्तुति स्वीकार की गई। संबंधित विभाग परस्पर समन्वय स्थापित कर विभाग को अधिक सुदृढ़ीकरण करने हेतु प्रौद्योगिकी विभाग से तकनीकी सहायता प्राप्त कर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।	सूचना नहीं।
6	आधुनिक विपणन रणनीतियों और निजी क्षेत्र के रणनीतिक साझेदारों के साथ डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र में मूल्यवर्धन की संभावना तलाशने की जरूरत है। **(अध्याय–4, प्रस्तर 4.32)**	संस्तुति स्वीकार की गई। प्रशासनिक विभाग, डेरी एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा मूल्य वर्धन की संभावनाओं को तलाशने हेतु आधुनिक विपणन रणनीतियों एवं निजी क्षेत्र के रणनीतिक साझेदारों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।	सूचना नहीं।
7	इसमें सरकार के स्वामित्व वाली के साथ–साथ सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों भी, जहां सरकारी हिस्सेदारी 90% से अधिक है, का उत्पाद विविधीकरण भी शमिल है। **(अध्याय–4, प्रस्तर 4.35)**	सरकार का स्वामित्व 90%से अधिक है, उत्पाद के विविधिकरण में शामिल करने हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।	सूचना नहीं।
8	विशेष रूप से पर्यटकों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आने वाले गंतव्यों में अपशिष्ट प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जैव चिकित्सा अपशिष्ट जैसेः– मास्क, सैनिटाइज़र आदि के सुरक्षित निपटान के बारे में होगा। बैंकॉक पहले ही जागरूकता अभियान के माध्यम से इस संबंध में एक पहल कर चुका है। **(अध्याय–4, प्रस्तर 4.38)**	संस्तुति स्वीकार की गई। संबंधित प्रशासनिक विभाग पर्यटन, स्वास्थ्य, नगर विकास द्वारा आपस में समन्वय स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।	सूचना नहीं।
9	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास योजना पर नये सिरे से विचार कर भविष्य की योजनाओं और रणनीतियों को बदली हुई परिस्थितियों के संदर्भ में तैयार किया जाना चाहिए। **(अध्याय–4,** प्रस्तर **4.44)**	संस्तुति स्वीकार की गई। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास विभाग द्वारा योजना पर नये सिरे से विचार	सूचना नहीं।

क्र0सं0	आयोग द्वारा की गई अन्य संस्तुतियां	संस्तुतियों के क्रम में की गई कार्रवाई	अनुवर्ती कार्रवाई
		कर भविष्य की योजनाओं और रणनीतियों को बदली हुई परिस्थितियों के संदर्भ में तैयार किये जाने हेतु अपने स्तर पर कार्यवाही करेंगें।	
10	एक अधिक स्थानीयकृत योजना, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ परिवहन सुविधाएं, जिलावार सूक्ष्म योजनाओं पर आधारित संचार अवसंरचना शामिल होगी, को भविष्य के लिए स्थानीय जनता को रोजगार उपलब्ध कराने की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए तैयार करने की आवश्यकता है। **(अध्याय–4, प्रस्तर 4.45)**	संस्तुति स्वीकार की गई। संबंधित प्रशासनिक विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।	सूचना नहीं।
11	व्यय नियंत्रण में सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना भी शामिल होना चाहिए, जहां उनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है तथा सामर्थ्य के आधार पर बेहतर लक्ष्यीकरण किया जाना चाहिए। राज्य के स्वामित्व वाली और सहकारी चीनी मिलों, जहां राज्य सरकार की बहुमत हिस्सेदारी (90% से अधिक) है, को सरकारी अनुदान या गैर–वसूली योग्य ऋणों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान के माध्यम से सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे उद्यमों का निजीकरण किया जाना चाहिए या उन्हें पीपीपी मोड में चलाने के साथ–साथ गन्ने के रस से इथेनॉल जैसे उत्पाद विविधीकरण किया जाना चाहिए। बिजली क्षेत्र में सब्सिडी पर दोबारा गौर किया जाए और धीरे–धीरे चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए। **(अध्याय–5, प्रस्तर 5.36)**	संस्तुति स्वीकार की गई। संबंधित प्रशासनिक विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।	सूचना नहीं।
12	आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वाले और भर्ती में देरी के कारण को छोड़कर तीन वर्षों से अधिक समय से रिक्त पड़े पदों को समाप्त करके विभागों के सही आकार की आवश्यकता है। इसके अलावा समान कार्यों वाले विभागों का विलय कर दिया जाए और उपरिव्ययों को कम किया जाए। **(अध्याय–5, प्रस्तर 5.37)**	संस्तुति स्वीकार की गई। कार्मिक विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	सूचना नहीं।
13	उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में अतिरेक से छुटकारा पाने के लिए एक उपयुक्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तैयार की जानी चाहिए जिसे कहीं और समायोजित नहीं किया जा सकता है। **(अध्याय–5, प्रस्तर 5.38)**	संस्तुति स्वीकार की गई। कार्मिक विभाग अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करेगा।	सूचना नहीं।
14	स्कूलों, कॉलेजों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक आदि जैसे शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों में एक बड़े खर्च की जांच की जानी चाहिए और जिन संस्थानों में बुनियादी ढांचा लगभग न के बराबर है, छात्र शिक्षक अनुपात बहुत कम है, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए और अन्य के पडोसी क्षेत्र के संस्थानों को इसे व्यवहार्य बनाने और शिक्षा की गुणवत्ता के हित में विलय कर दिया जाना चाहिए। **(अध्याय–5, प्रस्तर 5.39)**	संस्तुति स्वीकार की गई। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जिन विद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थाओं में, जहां छात्रों की संख्या कम थी, उनको नजदीक के विद्यालय/संस्थान में विलय करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं ।	सूचना नहीं।
15	विभागों के पुनर्गठन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई की जा सकती है, ताकि एक उपयुक्त रूप से डिजाइन की गई प्रतिबद्धता नियंत्रण प्रणाली द्वारा वेतन, भत्ते और पेंशन का खर्च भविष्य में एक समयावधि में कम हो सके। संसाधन जुटाने के उपाय, लागत–प्लस आधार पर सेवाओं के मूल्य निर्धारण द्वारा किए जाते हैं, जहां कम से कम	संस्तुति स्वीकार की गई। सिंचाई, स्वास्थ्य, पेयजल विभाग द्वारा शुल्क आदि के पुनरीक्षण हेतु अपने स्तर पर कार्यवाही की जायेगी।	सूचना नहीं।

क्र0सं0	आयोग द्वारा की गई अन्य संस्तुतियां	संस्तुतियों के क्रम में की गई कार्रवाई	अनुवर्ती कार्रवाई
	परिचालन व्यय, उपभोग्य सामग्रियों की लागत आदि को मूल्य सूचीकरण के प्रावधान के साथ वसूल किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता शुल्क को सालाना संशोधित किया जा सके। आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के लिए सिंचाई, अस्पताल सेवाओं, पेयजल, अन्य शुल्क आदि के संबंध में शुल्क पुनरीक्षण की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए।**(अध्याय–5, प्रस्तर 5.40)**		
16	बालू, मिट्टी, पत्थर आदि जैसे गौण खनिजों के खनन और वनोपज से प्राप्त रॉयल्टी की बारीकी से निगरानी की जाए और दरों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए और किसी भी तरह के रिसाव को प्रभावी ढंग से रोका जाए। **(अध्याय–5, प्रस्तर 5.41)**	संस्तुति स्वीकार की गई। प्रशासनिक विभाग, खनिज एवं वन विभाग द्वारा रायल्टी की बारीकी से निगरानी एवं दरों को संयोजित करने हेतु परीक्षण कर कार्यवाही की जायेगी	सूचना नहीं।
17	यह संस्तुति की जाती है कि किराये, उपयोगकर्ता शुल्क आदि की समय–समय पर समीक्षा की जाए और परिसंपत्ति निर्माण के लिए असंबद्ध अनुदानों का वितरण करते समय, मौजूदा परिसंपत्तियों से आय की समीक्षा की जाए और लागत और मूल्य सूचकांकों के आधार पर आवधिक वृद्धि के लिए उपयुक्त प्रतिबद्धता प्राप्त की जाए। **(अध्याय–6, प्रस्तर 6.51)**	संस्तुति स्वीकार की गई। संबंधित प्रशासनिक विभाग अपने स्तर पर कार्यवाही करेंगें।	सूचना नहीं।
18	शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत 'वैल्यू कैप्चर फाइनेंस' के माध्यम से हो सकता है। विभिन्न शहरी विकास प्राधिकरणों द्वारा बेहत्तरी शुल्क, विकास शुल्क के रूप में लागू कर, इन शुल्कों का एक हिस्सा अधिकार क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकाय के लिए निर्धारित किया जा सकता है, एवं इसमें उचित परिमाण में वृद्धि की जा सकती है। **(अध्याय–6, प्रस्तर 6.52)**	संस्तुति स्वीकार की गई। प्रशासनिक विभाग अपने से कार्यवाही करेंगें।	सूचना नहीं।
19	पूर्ववर्ती आयोगों ने राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे गए सम्पत्ति एवं विभव कर को व्यवसाय कर के रूप में प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की है। वर्तमान आयोग भी अधिकृत रूप से समर्थन करते हुए व्यवसाय कर आरोपित कराने की संस्तुति करता है। चूंकि हस्तांतरण सूत्र (Devolution Formula)में कर प्रयासों को उचित महत्व दिया जा रहा है, इसलिए यह राजस्व जुटाने के लिए बढ़े हुए प्रयासों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करने की संभावना है। **(अध्याय–7, प्रस्तर 7.25)**	संस्तुति स्वीकार की गई।	सूचना नहीं।
20	क्षेत्र पंचायतों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में किया गया कार्य जो कि एक से अधिक ग्राम पंचायतो की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उनके बेहतर लेखा, लेखा सम्परीक्षा और अनुश्रवण से बेहत्तर व्यय की दक्षता सुनिश्चित की जानी चाहिए। **(अध्याय–7, प्रस्तर 7.30)**	संस्तुति स्वीकार की गई। पंचायतीराज विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।	सूचना नहीं।
21	अधिकांश ग्राम पंचायतों में कार्मिकों का अभाव है। अतः ग्राम पंचायतों के कार्यालयों को कार्मिक और प्रबंधन दोनों प्रकार से सुदृढ़ किया जाना चाहिए।**(अध्याय–7, प्रस्तर 7.37)**	संस्तुति स्वीकार की गई। पंचायतीराज विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।	
22	इससे पहले चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि जब एक नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद या नगर पालिका परिषद को नगर निगम में उच्चीकृत किया जाता है, तो इससे संबंधित समूहों के परस्पर हिस्से के बीच एक विकृति	संस्तुति स्वीकार की गई।	

क्र0सं0	आयोग द्वारा की गई अन्य संस्तुतियां	संस्तुतियों के क्रम में की गई कार्रवाई	अनुवर्ती कार्रवाई
	पैदा होती है। आयोग ने सिफारिश की है कि उक्त शहरी स्थानीय निकाय के निर्धारित आपसी अंश को बदला नहीं जा सकता है और उच्चीकृत किए गए शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान की उतनी ही राशि प्राप्त करना जारी रखना चाहिए जितना कि हमारे अवार्ड अवधि के दौरान इसके उन्नयन से पहले प्राप्त हो रहा था। **(अध्यायः 8 प्रस्तर–8.16 एवं प्रस्तर–8.17)**		
23	शहरी स्थानीय निकायों के भीतर एक प्रभावी संस्थागत व्यवस्था किया जाना अपेक्षित है जो कि एक समर्पित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या सेल जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मैनुवल प्रबंधन के लिए विशिष्ठ तकनीकी और प्रबंधकीय विशेषज्ञता वाले कार्मिक हों ऐसे प्रकोष्ठ में कार्यरत कार्मिक नवीनतम तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं से परिचित हो सकते हैं। **(अध्यायः 9 प्रस्तर–9.17)**	संस्तुति स्वीकार की गई।	सूचना नहीं।
24	तृतीय राज्य वित्त आयोग ने राज्य शहरी विकास संस्थान (एसआईयूडी) की स्थापना की संस्तुति की थी, जो शायद अभी तक कार्यात्मक नहीं है। राज्य स्तर पर एक ऐसा संस्थान स्थापित करने की दृढ़तापूर्वक संस्तुति की जाती है, जो शहरीकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करता हो तथा स्थानीय परिस्थितियों और विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त एवं उचित समाधान खोजने के उपाय सुझाता हो। चूंकि नैनीताल में राज्य प्रशासन अकादमी प्रशिक्षण के उद्देश्य से सुविधाओं की दृष्टि से अच्छी तरह से सुसज्जित है, इसलिए यह अपने वर्तमान बुनियादी ढांचे के साथ बिना अधिक खर्च के राज्य शहरी विकास संस्थान को इसमें स्थापित किए जाने की अनुशंसा की जाती है। **(अध्यायः 10 प्रस्तर–10.37** एवं **प्रस्तर–10.38)**	संस्तुति स्वीकार की गई।	डा0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी में 'स्टेट इन्स्टीटूयट ऑफ अरबन डेवलपमेंट' स्थापित एवं कार्यरत।
25	जहॉ ऊपर प्रस्तावित एक संस्थान की स्थापना करना अत्यधिक वांछनीय है, शहरी विकास निदेशालय को मजबूत करने की भी आवश्यकता है ताकि वे शहरी स्थानीय निकायों के लिए डेटा बेस बनाए रख सकें और शहरी विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी कर सकें। कम्प्यूटरीकरण और आईसीटी का प्रभावी उपयोग तथा डेटा का निरंतर अद्यतन होना आवश्यक है और सुधारात्मक तंत्र के लिए सुझाव की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। आवास, शहरी विकास, जल आपूर्ति जैसे विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जा रही नगरीय नियोजन और नगरपालिका सेवाओं का प्रावधान अभिसरण के सिद्धांत के विरुद्ध है। किसी स्तर पर एक एकीकृत अधिकार क्षेत्र और नियंत्रण होना चाहिए और प्रभावी क्षमता निर्माण उपायों के साथ बढ़ते हुए विकेंद्रीकरण के साथ उस दिशा में प्रयास प्रारंभ होने चाहिए। **(अध्यायः 10 प्रस्तर–10.39)**	संस्तुति स्वीकार की गई।	सूचना नहीं।
26	कुमाऊं विश्वविद्यालय के सोबन सिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा में भूगोल विभाग ने शहरी शासन के लिए अल्मोड़ा नगर के लिए केस स्टडी के माध्यम से जी.आई.एस. आधारित अभ्यास किया था, जिसमें बहुत सारे उपयोगी डेटा शामिल हैं। शहर, नगरपालिका और वार्ड स्तर पर शहरी शासन के लिए अल्मोड़ा शहर के जी. आई.एस. बुनियादी ढांचे का विकास शहर के डिजिटल टेरेन मॉडल और डिजिटल सतह मॉडल, भूमि उपयोग/भूमि कवर	संस्तुति स्वीकार की गई।	सूचना नहीं।

क्र0सं0	आयोग द्वारा की गई अन्य संस्तुतियां	संस्तुतियों के क्रम में की गई कार्रवाई	अनुवर्ती कार्रवाई
	मानचित्रण, और भवन प्रदान करके उच्च संकल्प उपग्रह डेटा के माध्यम से किया गया था। नगर निगम और वार्ड स्तर के लिए भवन क्षेत्र, भवन की ऊंचाई और भूमि उपयोग पैटर्न सहित एक जी.आई.एस. प्लेटफार्म पर डेटा जिसमें सड़क और फुटपाथ आदि जैसी रैखिक विशेषताएं शामिल हैं। पहले चरण में सभी नगर निगमों और दूसरे चरण में नगर पालिका परिषदों और उसके बाद नगर पंचायतों के लिए इसी तरह के अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। **(अध्यायः 11 प्रस्तर–11.13)**		
27	ग्रामीण स्तर पर कम्प्यूटरीकरण कृषि, सिंचाई, जलापूर्ति आदि सहित व्यापक अर्थो में ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू करने वाले विभिन्न विभागों के बीच समन्वय एवं अभिसरण की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए।**(अध्यायः 11 प्रस्तर–11.15)**	संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा आपस में समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करेंगें।	सूचना नहीं।

16.6 इस राज्य वित्त आयोग ने पिछले राज्य वित्त आयोगों के प्रतिवेदनों में की गई संस्तुतियों पर कृत अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा करने की कोशिश की है। संबंधित राज्य वित्त आयोगों के प्रतिवेदनों में की गई संस्तुतियों पर निर्णय लेने का अधिकार सरकार का है, परन्तु राज्य सरकार के निर्णय और निर्देशों के बावजूद संबंधित विभागों ने इन संस्तुतियों पर, जैसा कि आयोग को एक भी अनुपालना सूचना प्राप्त नहीं हुई, कोई रूचि नहीं दिखाई है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक भी संस्तुति कार्रवाई हेतु विचारित नहीं हुई। विभाग इन संस्तुतियों के प्रति उदासीन, उत्साहहीन और संवेदनहीन रहे हैं।

अध्याय–17

स्थानीय स्वशासन इकाइयों के वित्तीय और लेखा प्रबंधन की स्थिति एवं वांछित सुधार के बिंदु

17.1 भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–ञ में पंचायतों के तथा अनुच्छेद 243–य में नगर पालिकाओं के लेखा रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के वारे में राज्य सरकार द्वारा उपवंध किये जाने की व्यवस्था है। संविधान के तत्सम्बन्धी अनुच्छेद निम्नवत् उद्धृरित हैं–

243ञ पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा– किसी राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा।

243य नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा–किसी राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा, नगर पालिकाओं द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा।

17.2 उत्तराखण्ड में यथा प्रभावी एवं समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 142 से 145 में नगर निगम के वित्तीय लेखों के रखरखाव और उनके लेखा परीक्षण (ऑडिट) से संबंधित प्रावधान हैं, जबकि उत्तराखण्ड में यथा प्रभावी एवं समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 95(ङ) में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों अनुसार नगर पालिकाओं (नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत) के वित्तीय लेखों के रखरखाव तथा उनके ऑडिट की व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान हैं।

17.3 उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा 45, 83 और 122 में क्रमशः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के वित्तीय लेखों के ऑडिट (लेखा परीक्षण) का प्रावधान है। हालांकि, इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि वित्तीय लेखों को किस प्रकार और किस प्रारूप में तैयार और संधारित किया जाए। इस संबंध में अधिनियम में तत्सम्बन्धी प्रावधान और साथ ही उनके क्रियान्वयन के लिए नियम और मैनुअल भी शीघ्र बनाए जाऐं। यह उल्लेखनीय है कि नगर पालिकाओं के वित्तीय लेखों के रखरखाव के लिए लेखा मैनुअल पहले से बनाया गया है और उसका पालन किया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए भी लेखा मैनुअल की तुरंत आवश्यकता है।

17.4 लेखा परीक्षा विभाग ने आयोग को बताया है कि राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के लिए उत्तराखंड म्यूनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल, 2021 लागू है, जिसके अनुसार वित्तीय लेखों का रख–रखाव किया जाना है। इस मैनुअल के अनुसार नगर निकायों को अपने वित्तीय लेखे दोहरी प्रविष्टि प्रणाली व्यवस्था से उपार्जन आधार पर रखने हैं, लेकिन वर्तमान में ये नगर निकाय नकद आधारित लेखा पद्धति से वित्तीय लेखों का रख–रखाव कर रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय म्यूनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल भी तैयार किया है, और उसी के अनुसार राज्यों को अपने शहरी स्थानीय निकायों के लिए लेखा मैनुअल/प्रणाली बनानी थी। राज्य के नगर निकायों द्वारा इन मैनुअलों में निर्धारित प्रणाली के स्थान पर नकद आधारित लेखा पद्धति अपनाना न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि यह वित्तीय लेन–देन की पारदर्शिता और सही लेखांकन के लिए अहितकर भी है।

17.5 आगे यह भी सूचित किया गया कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग के संबंध में लेखा परीक्षा विभाग के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह भी सूचित किया है कि वर्तमान में वित्तीय लेखांकन के लिए उपयोग किए जा रहे प्रारूपों के बारे में भी लेखा परीक्षा विभाग के पास कोई जानकारी नहीं है।

17.6 लेखा परीक्षा विभाग ने यह भी अवगत कराया है कि शहरी स्थानीय निकायों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक वित्तीय विवरण अगले वित्तीय वर्ष के जून माह तक तैयार कर लेने चाहिए, ताकि 1

जुलाई से शुरू होने वाले ऑडिट वर्ष में समय पर लेखा परीक्षा की जा सके। लेकिन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए अगले वर्ष के जून तक अपने वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए जा रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि यदि दैनिक वित्तीय लेखांकन के लिए मानक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाए, तो सभी शहरी स्थानीय निकायों में एक समान वित्तीय लेखा प्रणाली लागू की जा सकती है। इससे वित्तीय वर्ष के अंत में वार्षिक वित्तीय विवरण समय पर उपलब्ध हो सकेंगे और उन्हें संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के बोर्ड के समक्ष ससमय वित्तीय सत्यापन और ऑडिट कराने के लिए प्रस्तुत किये जा सकें। इससे नगर निकायों को सत्यापित और सटीक दैनिक तथा मासिक लेखा विवरण उपलब्ध होंगे। साथ ही, इससे केंद्रीय वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त करने और वित्तीय लेखांकन की समयबद्धता व शुद्धता सहित अन्य आवश्यकताओं और दायित्वों को पूरा करने में भी सुविधा होगी।

17.7 आयोग के अनुरोध पर, उत्तराखंड के उप निदेशक (लेखा परीक्षा) ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लेखा परीक्षा (ऑडिट) की तथा वार्षिक वित्तीय लेखों की वर्ष–वार स्थिति उपलब्ध कराई है, जो नीचे दी गई तालिका में दर्शित है–

(क) शहरी स्थानीय निकाय–

वित्तीय वर्ष	लेखा परीक्षा प्रकार	नगर निगम (संख्या)			नगर पालिका परिषद् (संख्या)			नगर पंचायत (संख्या)		
		कुल नगर निगम	लेखा परीक्षा	किस वर्ष किया	कुल न. पा. परिषद	लेखा परीक्षा	किस वर्ष किया	कुल नगर पंचायत	लेखा परीक्षा	किस वर्ष किया
2019–20	आन्तरिक लेखा परीक्षा	8	8	2020–21	39	26	2020–21	50	24	2020–21
	वित्तीय साक्ष्यांकन (सत्यापन) लेखा परीक्षा	8	8	2022–23 (04) 2023–24 (04)	39	35	2022–23 (25) 2023–24 (10)	50	38	2022–23 (24) 2023–24 (14)
2020–21	आन्तरिक लेखा परीक्षा	8	0	–	39	–	–	50	–	–
	वित्तीय साक्ष्यांकन (सत्यापन) लेखा परीक्षा	8	6	2022–23 (03) 2023–24 (03)	39	29	2022–23 (18) 2023–24 (10) 2024–25 (01)	50	34	2022–23 (23) 2023–24 (11)
2021–22	आन्तरिक लेखा परीक्षा	9	6	2022–23	41	30	2022–23	58	28	2022–23
	वित्तीय साक्ष्यांकन (सत्यापन) लेखा परीक्षा	9	5	2024–25	41	26	2023–24 (18) 2024–25 (08)	58	38	2023–24 (35) 2024–25 (03)
2022–23	आन्तरिक लेखा परीक्षा	11	–	–	–	–	–	–	–	–
	वित्तीय साक्ष्यांकन (सत्यापन) लेखा परीक्षा	11	9	2024–25	45	43	2023–24 (23) 2024–25 (20)	52	42	2023–24 (32) 2024–25 (10)
2023–24	आन्तरिक लेखा	–	–	–	–	–	–	–	–	–

वित्तीय वर्ष	लेखा परीक्षा प्रकार	नगर निगम (संख्या)			नगर पालिका परिषद् (संख्या)			नगर पंचायत (संख्या)		
		कुल नगर निगम	लेखा परीक्षा	किस वर्ष किया	कुल न. पा. परिषद	लेखा परीक्षा	किस वर्ष किया	कुल नगर पंचायत	लेखा परीक्षा	किस वर्ष किया
	परीक्षा									
	वित्तीय साक्ष्यांकन (सत्यापन) लेखा परीक्षा	11	10	2024–25	45	34	2024–25	52	33	2024–25

(ख) ग्रामीण पंचायतें–

वित्तीय वर्ष	लेखा परीक्षा प्रकार	जिला पंचायत (संख्या)			क्षेत्र पंचायत (संख्या)			ग्राम पंचायत (संख्या)		
		कुल जिला पंचायत	लेखा परीक्षा	लेखा परीक्षा का वर्ष	कुल क्षेत्र पंचायत	लेखा परीक्षा	लेखा परीक्षा का वर्ष	कुल ग्राम पंचायत	लेखा परीक्षा	लेखा परीक्षा का वर्ष
2019–20	वित्तीय साक्ष्यांकन (सत्यापन) लेखा परीक्षा	13	1	2020–21	95	0	–	7805	7405	2020–21 (2811) 2022–23 (4994)
2020–21	वित्तीय साक्ष्यांकन (सत्यापन) लेखा परीक्षा	13	0	–	95	0	–	7807	7802	2021–22 2022–23
2021–22	वित्तीय साक्ष्यांकन (सत्यापन) लेखा परीक्षा	13	13	2022–23	95	95	2022–23	7791	7762	2022–23
2022–23	वित्तीय साक्ष्यांकन (सत्यापन) लेखा परीक्षा	13	13	2023–24	95	95	2023–24	7813	7795	2023–24
2023–24	वित्तीय साक्ष्यांकन (सत्यापन) लेखा परीक्षा	13	13	2024–25	95	95	2024–25	7795	7793	2024–25

17.8 जब वित्तीय लेखा परीक्षा, विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय सत्यापन और ऑडिट के बारे में जानकारी मांगी गई, तो लेखा परीक्षा विभाग ने बताया कि राज्य के शहरी स्थानीय निकाय अपने वित्तीय लेखा नकद आधार (एकल प्रविष्टि प्रणाली) पर रख रहे हैं और वे उत्तराखंड म्यूनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल के अनुसार वित्तीय लेखा नहीं रख रहे हैं। जब आयोग ने जनपद भ्रमणों के दौरान या अन्य अवसरों पर नगर निकायों से जानकारी प्राप्त की, तो यह बताया गया कि वित्तीय लेखे 'टैली अकाउंटिंग' के माध्यम से रखे जा रहे हैं। इस विरोधाभासी स्थिति के बारे में जब लेखा परीक्षा विभाग से पूछा गया, तो यह सामने आया कि नगर निकाय अपने वित्तीय लेखा नकद आधार पर हस्तलिखित (मैनुअल) रूप से रखते हैं, लेकिन कुछ आवश्यक परिस्थितियों के कारण 'टैली अकाउंटिंग' के माध्यम से भी विवरण तैयार किए जाते हैं।

17.9 यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय म्यूनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल और उत्तराखंड म्यूनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल उपलब्ध होने के बावजूद नगर पालिकाएँ अपने वित्तीय लेखे दोहरी प्रविष्टि प्रणाली (उपार्जन

आधारित लेखा प्रणाली) से नहीं रख रही हैं। प्रत्येक नगर पालिका द्वारा केवल अपने कंप्यूटर पर बाजार में उपलब्ध टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके वित्तीय लेखा तैयार करना न केवल दोहरे प्रयास को दर्शाता है, बल्कि यह नियमों द्वारा नियत प्रणाली को न अपनाए जाने के कारण आपत्तिजनक भी है। **उचित होगा कि शहरी विकास विभाग, शहरी विकास निदेशालय की सहायता से, उत्तराखंड म्यूनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार ऐसा मानक सॉफ्टवेयर विकसित करे, जो सभी नगरपालिकाओं के लिए लागू हो, ताकि सभी शहरी स्थानीय निकाय ऑनलाइन और वास्तविक समय आधार पर अपने वित्तीय लेखांकन का कार्य करे। सभी नगर निकायों के वित्तीय लेखांकन कार्यों को संचालित करने और संबंधित डेटा के संरक्षण के लिए एक केंद्रीय सर्वर/डेटा सेंटर भी स्थापित किया जाना चाहिए। इससे वित्तीय लेखांकन का कार्य सही, वास्तविक समय और समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जा सकें, साथ ही अन्य वित्तीय कार्यों के निर्वहन में भी सुविधा होगी और आकड़े एवं सूचना सभी स्तरों पर शीघ्र और नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा सकेगी।**

17.10 **ऊपर दिए गए प्रस्तर 17.9 की तरह ही पंचायती राज संस्थाओं के लेखा कार्य के लिए भी अधिनियम और नियमों में आवश्यक संशोधन करते हुए एक लेखा मैनुअल तैयार किया जाना चाहिए ताकि वित्तीय लेखे दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के आधार पर रखे जाऐं। इसके साथ ही सभी पंचायतों के लिए लेखा कार्य हेतु मानक सॉफ्टवेयर विकसित किया जाना चाहिए और सर्वर/डेटा सेंटर की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।**

17.11 **जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लेखा कार्य के लिए अधिनियम और नियमों में आवश्यक संशोधन, मानक सॉफ्टवेयर का विकास तथा सर्वर/डेटा सेंटर की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2026–27 में ही पूर्ण कर कार्यान्वित कर लिए जाने चाहिए,** ताकि वित्तीय वर्ष 2027–28 से यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी निकायों में लेखा कार्य समान प्रारूपों में, ऑनलाइन और वास्तविक समय पर मानक सॉफ्टवेयर माध्यम दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली आधार पर समान रूप से किया जाना सुनिश्चित हो जाए, जिससे सटीक और विश्वसनीय सूचना भी तत्काल उपलब्ध हो सके।

अध्याय–18

केंद्रीय वित्त आयोगों की संस्तुतियों के अनुसार स्थानीय स्वशासी इकाइयों को राजकोषीय हस्तांतरण की स्थिति

18.1 राज्य के वित्त विभाग के वित्त आयोग निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, केंद्रीय वित्त आयोगों की संस्तुतियों के आधार पर हुए वित्तीय अंतरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

(धनराशि करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	विवरण	12वॉ वित्त आयोग (2005–10)		13वॉ वित्त आयोग (2011–15)		14वॉ वित्त आयोग (2016–20)		15वॉ वित्त आयोग			
								(2020–21)		(2021–25)	
		संस्तुत	अवमुक्त	संस्तुत	अवमुक्त	संस्तुत	अवमुक्त	संस्तुत	अवमुक्त	संस्तुत	अवमुक्त
1	केन्द्रीय करों से प्राप्तियाँ	5762.22	6374.45	16245.10	15964.85	41534.92	41534.92	6568.72	6568.72	47234.00	61696.00
2	राजस्व घाटा अनुदान	5114.68	5114.68					5076.00	5076.00	28147.00	27972.00
3	स्वास्थ्य अनुदान	50.00	40.00							797.00	351.55
4	शिक्षा	0.00									
5	सड़कों/पुलों का अनुरक्षण	324.56	202.85	329.00	149.00						
6	भवनों का अनुरक्षण	98.60	73.20								
7	वनों का अनुरक्षण	35.00	35.00								
8	विरासत का संरक्षण	5.00	1.25								
9	राज्य विशिष्ट आवश्यकता	240.00	185.73	7000.00	410.72						
10	**स्थानीय निकाय अनुदान**	**196.00**	**139.80**	**781.30**	**523.22**	**2698.52**	**2378.40**	**852.00**	**852.00**	**3384.00**	**2703.70**
11	आपदा राहत	369.28	369.28	605.10	605.14	1158.00	1158.00	1041.00	1041.00	5752.00	5625.00
12	प्रदर्शन प्रोत्साहन	0.00	12.00	1000.00	1000.00						
13	प्राथमिक शिक्षा			197.00	197.00						
14	न्याय वितरण सुधार			102.20	48.24						
15	विशिष्ट पहचान हेतु प्रोत्साहन			36.00	3.60						
16	जिला नवाचार निधि			13.00	13.00						
17	संख्यकीय प्रणाली सुधार			13.00	7.80						
18	कार्मिक एवं पेंशन डाटा वेस			5.00	5.00						
19	वन			205.40	166.92						
20	जल क्षेत्र प्रबन्धन			76.00	19.00						
	एम.आइ.आर. प्रोत्साहन			171.69	171.69						
	नवीकरणीय ऊर्जा			39.21	39.21						
	योग	**12195.34**	**12548.24**	**20519.00**	**19324.39**	**45391.44**	**45071.32**	**13537.72**	**13537.72**	**85314.00**	**98348.25**

18.2 पिछले केंद्रीय वित्त आयोगों की संस्तुतियों के आधार पर राज्य को प्राप्त आवंटनों का विवरण (केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, आपदा राहत और राजस्व घाटा अनुदान को छोड़कर) निम्नलिखित है–

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र.सं.	केन्द्रीय वित्त आयोग विवरण	स्थानीय शासन ईकाईयों हेतु अनुदान		अन्य अनुदान	कुल	टिप्पणी
		संस्तुत	प्राप्त			
1	12वॉ वित्त आयोग	196.00	139.80	753.16	550.03	
2	13वॉ वित्त आयोग	781.30	523.22	9187.50	2231.18	रू0 1000 करोड़ प्रदर्शन प्रोत्साहन
3	14वॉ वित्त आयोग	2698.52	2378.40	-	-	-
4	15वॉ वित्त आयोग			-	-	-
	2020-21	852.00	852.00	-	-	-
	2021-22	634.00	627.70	797.00	351.55	अन्य अनुदान स्वास्थ्य हेतु
	2022-23	657.00	656.21	-	-	-
	2023-24	674.00	663.50	-	-	-
	2024-25	714.00	666.88	-	-	-
	2025-26	705.00	89.41	-	-	-

18.3 ऊपर दी गई तालिका से अनुशंसित राशि और जारी की गई राशि के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। इससे स्पष्ट है कि राज्य को अनुशंसित आवंटनों का कुछ अंश नहीं मिल पाया है, जो कि संसाधनों की कमी से जूझ रहे राज्य के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। यह सरकार की ओर से एक गंभीर चूक को दर्शाता है। सरकार को नियमित रूप से यह समीक्षा और निगरानी करनी चाहिए कि विभिन्न विभागों/उपक्रमों द्वारा प्रस्ताव/परियोजनाएँ प्रस्तुत करने तथा केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आवंटनों और निधियों की अवमुक्ति से संबंधित शर्तों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही समय पर की जा रही है या नहीं। जो विभाग/उपक्रम इन अनुशंसित आवंटनों का लाभ प्राप्त करने में असफल रहते हैं, उनके विरुद्ध उनकी विफलता के लिए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

18.4 पंद्रहवें वित्त आयोग ने नए शहरों की स्थापना के लिए कुल ₹8000 करोड़ तथा साझा नगरपालिका सेवाओं के लिए ₹450 करोड़ का प्रावधान किया था। लेकिन नए शहरों की स्थापना से सम्बन्धित इस अनुदान का लाभ उत्तराखंड को नहीं मिल पाया। हालांकि, साझा नगरपालिका सेवाओं के लिए राज्य को कुल ₹11.40 करोड़ प्राप्त हुए हैं। यह उल्लेखनीय है कि राज्य के शहरी स्थानीय निकाय विभिन्न कारणों से कुछ नागरिक कार्यों/सेवाओं को अपने स्तर पर अलग–अलग संचालित करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे मामलों में सटे हुए शहरी स्थानीय निकायों (सटे हुए नगर निकाय और ग्राम पंचायतें भी) आपस में सहयोग कर समझौता ज्ञापन के माध्यम से संसाधनों के एकत्रीकरण और राजस्व में हिस्सेदारी करके, जैसा कि पूर्व में विस्तार से इंगित किया गया है, संयुक्त रूप से अवसंरचना विकसित कर सकते हैं और सेवाएँ व सुविधाएँ प्रदान कर सकते हैं।

18.5 केंद्रीय वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। इनमें मुख्य रूप से पिछले वित्तीय वर्ष और उससे पहले के वर्ष के लेखा–परीक्षित (ऑडिटेड) वित्तीय लेखों का उपलब्ध होना और उन्हें ऑनलाइन सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड करना शामिल है। इसके अलावा, संविधान में निर्धारित समय–सीमा के भीतर शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव कराना तथा इन निकायों का सही तरीके से गठन सुनिश्चित करना भी अनुदान जारी करने के लिए अनिवार्य है। इसके साथ ही, शहरी स्थानीय निकायों से अपेक्षित है कि वे संपत्ति कर की न्यूनतम दर निर्धारित करें और उसे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुरूप रखें। राज्य को केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा

अनुशंसित अनुदानों का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए इन सभी शर्तों को पूरा करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

18.6 शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं हेतु पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुति के सापेक्ष अनुमन्य, तथा अवमुक्त अनुदान राशि का विवरण नीचे है–

क्र.सं.	वर्ष	अनुमन्य अनुदान		अवमुक्त अनुदान		टिप्पणी
		पंचायती राज संस्थान	शहरी स्थानीय निकाय	पंचायती राज संस्थान	शहरी स्थानीय निकाय	
1	2020-21	574.00	278.00	574.00	278.00	-
2	2021-22	425.00	209.00	418.70	209.00	-
3	2022-23	440.00	217.00	439.21	217.00	-
4	2023-24	445.00	229.00	444.13	219.37	प्रवेश स्तरीय शर्तें पूर्ण न होने/विधिवत चुनाव सम्पन्न न होने के कारण कम राशि अवमुक्त हुई।
5	2024-25	471.00	243.00	470.18	196.70	प्रवेश स्तरीय शर्तें पूर्ण न होने/विधिवत चुनाव सम्पन्न न होने के कारण कम राशि अवमुक्त हुई।
6	2025-26	458.00	247.00	89.41	-	प्रवेश स्तरीय शर्तें पूर्ण न होने के कारण धनराशि अप्राप्त।

18.7 केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि को 10 कार्य दिवसों के भीतर शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को हस्तांतरित करना आवश्यक है। यदि इसमें देरी होती है, तो इन निकायों को ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है। कुछ कारणों से वित्तीय वर्ष 2023–24 में शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को धनराशि हस्तांतरित करने में देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹92.98 लाख का ब्याज भुगतान करना पड़ा। यह संतोषजनक स्थिति नहीं है।

अध्याय–19

संस्तुतियाँ

क. वित्तीय वितरण से सम्बन्धित संस्तुतियाँ

19.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 243झ और 243म में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य वित्त आयोग पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत किए गए करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीस के शुद्ध आगमों में से पंचायतों और नगर निकायों के प्रत्येक स्तर/प्रकार को वितरण हेतु सिद्वांतों एवं अंशों के संबंध में अपनी संस्तुतियाँ देगा।

19.2 वर्तमान छठवॉ राज्य वित्त आयोग का गठन उत्तराखंड सरकार (वित्त अनुभाग–1) की अधिसूचना संख्या 58/78489/FCD-IRFC/FSFC/10/2025 दिनांक 27 जनवरी, 2025 के माध्यम से किया गया है। इस अधिसूचना के पैराग्राफ 4 के अंतर्गत वे सिद्धांत, जिनके आधार पर आयोग को राज्य सरकार से स्थानीय स्वशासन इकाइयों (ग्रामीण पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों) को किए जाने वाले वित्तीय अंतरण/वितरण तथा करों/शुल्कों आदि का समनुदेशन करने के संबंध में अपनी संस्तुतियाँ करनी हैं, इस प्रकार हैं–
"4-राज्य वित्त आयोग पंचायतों तथा स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करेगा तथा श्री राज्यपाल को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियाँ देगा–

(क) सिद्धान्त, जो संनियमित करेंगे–

(i) राज्य और ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों के बीच राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगम, जो संविधान के भाग–9 व 9–क, के अधीन उनमें विभाजित किये जाने हैं, या विभाजित किये जाएं, के वितरण के बारे में और उक्त सभी स्तरों की पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों के बीच ऐसे आगमों के तत्सम्बन्धी अंश के आवंटन के बारे में;

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों, जिन्हें ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों को समनुदेशन किया जाना है अथवा जिन्हें उनके द्वारा हस्तगत किया जाना है, के अवधारण के बारे में;

(iii) राज्य सरकार की संचित निधि में से ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान के रूप में संदेय राशियों को शासित करने वाले सिद्धान्तों के बारे में;

(ख) ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में;

(ग) कोई अन्य विषय, जिन्हें राज्यपाल द्वारा ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों की ठोस वित्त व्यवस्था के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाए।...."

(1) स्थानीय स्वशासन इकाइयों को किए जाने वाले वित्तीय अंतरण/वितरण का आधार।

19.3 उत्तराखंड राज्य के गठन के समय, उत्तराखंड के स्थानीय स्वशासन निकायों को वित्तीय अंतरण/वितरण उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों तथा अविभाजित राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार किया

जा रहा था। यह व्यवस्था (उत्तराखंड के प्रथम राज्य वित्त आयोग की स्वीकृत संस्तुतियों अनुसार समायोजनाधीन) मार्च 2002 तक जारी रही। राज्य के गठन के बाद, भारत का संविधान के अनुच्छेद 243झ और 243म के प्रावधानों के अनुसार, उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रत्येक पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया। ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय अंतरण/वितरण के संबंध में पूर्व के पाँच राज्य वित्त आयोगों द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार ने, परिवर्तनों के साथ, इन निकायों को वित्तीय अंतरण/वितरण को सुनिश्चित किया है।

19.4 संविधान के अनुच्छेद 243झ और 243म में वर्णित प्रावधानों तथा उत्तराखंड सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार, राज्य के स्थानीय स्वशासन इकाइयों को वित्तीय अंतरण/वितरण केवल राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत करों, शुल्कों, पथकरों और फीस की शुद्ध आय तक ही सीमित हैं। प्रथम राज्य वित्त आयोग ने, अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों तथा अविभाजित राज्य की सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप, राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 11 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित/वितरित करने की संस्तुति की। द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने विचार–विमर्श के बाद राज्य के स्वयं के राजस्व (जिसमें ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, मुनाफा, खनिजों पर रॉयल्टी तथा वन उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय को छोड़कर कर और करेत्तर दोनों राजस्व सम्मिलित हैं) का 10 प्रतिशत राज्य की स्थानीय स्वशासन इकाइयों को हस्तांतरित/वितरित करने की संस्तुति की। तृतीय, चतुर्थ और पंचम राज्य वित्त आयोगों द्वारा क्रमशः राज्य के सकल कर राजस्व का 10.5 प्रतिशत, 11 प्रतिशत और 11 प्रतिशत इन स्थानीय स्वशासन इकाइयों को हस्तांतरित/वितरित करने की संस्तुति की गई। राज्य सरकार से राज्य की स्थानीय स्वशासन इकाइयों को वित्तीय अंतरण/वितरण के संबंध में पूर्व राज्य वित्त आयोगों की संस्तुतियाँ (संक्षेप में) निम्नवत् हैं–

क्र.सं.	राज्य वित्त आयोग	स्थानीय शासन ईकाईयों को वित्तीय वितरण का आधार व अंश
1	प्रथम राज्य वित्त आयोग	राज्य के स्वयं के निवल कर राजस्व का 11 प्रतिशत
2	द्वितीय राज्य वित्त आयोग	राज्य के निज राजस्वों (ब्याज प्राप्तियों, लाभांश, मुनाफों, खनिजों पर रायल्टियाँ और वन उत्पादों की बिक्रय आय को छोड़कर कर तथा करेत्तर दोनों सम्मिलित करते हुए) का 10 प्रतिशत
3	तृतीय राज्य वित्त आयोग	राज्य के स्वयं के सकल कर राजस्व का 10.5 प्रतिशत
4	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	राज्य सरकार के स्वयं के सकल कर राजस्व का 11 प्रतिशत
5	पंचम राज्य वित्त आयोग	राज्य सरकार के स्वयं के सकल कर राजस्व (जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति सहित) का 11 प्रतिशत

19.5 वर्तमान आयोग ने इस संदर्भ में पूर्व राज्य वित्त आयोगों द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243झ और 243म में वर्णित प्रावधानों तथा 27 जनवरी, 2025 की उपर्युक्त अधिसूचना के प्रस्तर 4(क)(i) में उल्लिखित राजस्व मदों (करों, शुल्कों, पथकरों और फीस की शुद्ध प्राप्ति) पर विचार किया। आयोग का मत है कि यद्यपि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ मदवार संकलित की जाती हैं, परंतु राज्य सरकार के स्वयं के करों, शुल्कों, टोल और फीस से होने वाली सकल आय का वर्षवार विवरण तैयार करना जटिल है, और उनसे प्राप्त शुद्ध आय का निर्धारण करना उससे भी अधिक जटिल है, क्योंकि राज्य सरकार विभिन्न राजस्व आय मदों के लिए आवश्यक रूप से शुद्ध प्राप्तियों का विवरण संकलित नहीं करती। आयोग यह भी मानता है कि राज्य सरकार की स्वयं की राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ

में स्थानीय स्वशासन इकाइयों को होने वाले वित्तीय अंतरण/वितरण की राशि की गणना करने के लिए एक सरल प्रक्रिया और सूत्र की संस्तुति करना तथा आवंटित धनराशियों के शीघ्र निर्धारण और समय पर अंतरण/वितरण सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएँ सुझाना उसका दायित्व है।

19.6 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमान विवरण सहित वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2023–24 तक के आंकड़ों की समीक्षा राज्य के स्वयं के करेत्तर राजस्व में सम्मिलित ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी तथा वन उत्पादों से प्राप्त आय की सकल प्राप्ति का निर्धारण करने की दृष्टि से की, जो निम्नानुसार है–

(रू0 करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	मद	कुल प्राप्तियाँ	ब्याज से प्राप्तियाँ	लाभ/ लाभांश से प्राप्तियाँ	रॉयल्टी से प्राप्तियाँ	वन उत्पाद प्राप्तियाँ	करेत्तर राजस्व में ब्याज आदि मदो की कुल राशि (4+5+6+7)	ब्याज आदि मदों को छोड़कर शेष करेत्तर राजस्व (3-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018–19	सकल कर राजस्व आय	12,188.09	—	—	—	—	—	12,188.09
	सकल करेत्तर राजस्व आय	3,309.88	55.7	18.69	480.86	368.73	923.98	2,385.90
	योग	15,497.97	55.7	18.69	480.86	368.73	923.98	14,573.99
2019–20	सकल कर राजस्व आय	11,513.45	—	—	—	—	—	11,513.45
	सकल करेत्तर राजस्व आय	3,998.81	47.81	14.08	396.75	410.16	868.8	3,130.01
	योग	15,512.26	47.81	14.08	396.75	410.16	868.8	14,643.46
2020–21	सकल कर राजस्व आय	11,937.59	—	—	—	—	—	11,937.59
	सकल करेत्तर राजस्व आय	4,170.57	98.52	40.02	506.41	512.27	1,157.22	3,013.35
	योग	16,108.16	98.52	40.02	506.41	512.27	1,157.22	14,950.94
2021–22	सकल कर राजस्व आय	14,176.12	—	—	—	—	—	14,176.12
	सकल करेत्तर राजस्व आय	2,755.96	403.55	35.05	575.01	511.55	1,525.16	1,230.80
	योग	16,932.08	403.55	35.05	575.01	511.55	1,525.16	15,406.92
2022–23	सकल कर राजस्व आय	17,102.53	—	—	—	—	—	17,102.53
	सकल करेत्तर राजस्व आय	4,366.55	759.04	25.07	472.13	474.93	1,731.17	2,635.38
	योग	21,469.08	759.04	25.07	472.13	474.93	1,731.17	19,737.91
2023–24	सकल कर राजस्व आय	19,244.97	—	—	—	—	—	19,244.97
	सकल करेत्तर राजस्व आय	4,418.08	125.77	25.2	645.84	551.53	1,348.34	3,069.74
	योग	23,663.05	125.77	25.2	645.84	551.53	1,348.34	22,314.71
2024–25 पुनरीक्षित अनुमान	सकल कर राजस्व आय	20878.72	—	—	—	—	—	20878.72
	सकल करेत्तर राजस्व आय	4181.52	165.71	21.10	1040.59	579.91	1807.31	2374.21
	योग	25060.24	165.71	21.10	1040.59	579.91	1807.31	23252.93

19.7 प्रस्तर 19.6 में इंगित तालिका से यह स्पष्ट होता है कि राज्य के स्वयं के करेत्तर राजस्व का औसतन लगभग 33 प्रतिशत हिस्सा ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी तथा वन उत्पादों से प्राप्त होता है, जबकि लगभग 67 प्रतिशत आय अन्य मदों से प्राप्त होती है। इसी प्रकार, ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी तथा वन उत्पादों को छोड़कर शेष करेत्तर राजस्व प्राप्तियाँ कुल कर राजस्व का औसतन लगभग 18 प्रतिशत भाग है। इस संबंध में विवरण नीचे हैं–

(रू0 करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	स्वयं के कर राजस्व की कुल प्राप्तियाँ	कुल करेत्तर राजस्व प्राप्तियाँ	ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी, वन उत्पाद मदों से प्राप्तियाँ	ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी, वन उत्पाद मदों को छोड़कर शेष करेत्तर राजस्व प्राप्तियाँ	कुल करेत्तर राजस्व में ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी एवं वन उत्पादों का प्रतिशत अंश (स्तंभ 4/स्तंभ 3)	शेष कुल करेत्तर राजस्व का सकल कर राजस्व में प्रतिशत अंश (स्तंभ 5/स्तंभ 2)	सकल करेत्तर राजस्व का सकल कर राजस्व में प्रतिशत अंश (स्तंभ 3/स्तंभ 2)
1	2	3	4	5	6	7	8
2018–19	12,188.09	3,309.88	923.98	2,385.90	27.92	19.58	27.16
2019–20	11,513.45	3,998.81	868.8	3,130.01	21.73	27.19	34.73
2020–21	11,937.59	4,170.57	1,157.22	3,013.35	27.75	25.24	34.94
2021–22	14,176.12	2,755.96	1,525.16	1,230.80	55.34	8.68	19.44
2022–23	17,102.53	4,366.55	1,731.17	2,635.38	39.65	15.41	25.53
2023–24	19,244.97	4,418.08	1,348.34	3,069.74	30.52	15.95	22.96
2024–25 पुनरीक्षित अनुमान	20878.72	4181.52	1807.31	2374.21	43.22	11.37	20.03
2018–19 से 2023–24 तक औसत	15291.64	3885.91	1337.43	2548.48	35.16	17.63	25.41

19.8 प्रस्तर 19.7 में दी गई तालिका के आधार पर तथा यह ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार के करेत्तर राजस्व का लगभग 33 प्रतिशत भाग ब्याज, लाभांश और रॉयल्टी आदि से प्राप्त होता है, शेष करेत्तर राजस्व प्राप्तियाँ कुल कर राजस्व प्राप्तियों का लगभग 18 प्रतिशत होना अनुमानित हैं। यद्यपि खनिजों तथा वन उत्पादों पर रॉयल्टी से प्राप्त आय एक प्रकार की शुल्क/फीस है और संबंधित संवैधानिक प्रावधानों तथा इस आयोग के विचारार्थ विषयों के अनुसार शुल्क/फीस की शुद्ध प्राप्ति का आयोग द्वारा निर्धारित अंश स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जानी चाहिए, इसलिए इसे विभाज्य राशि में शामिल करने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती है। फिर भी, समुचित विचार–विमर्श के पश्चात आयोग यह उचित समझता है कि स्थानीय स्वशासन इकाइयों को वित्तीय अंतरण केवल राज्य के सकल कर राजस्व प्राप्तियों में हिस्सेदारी के आधार पर किया जाए और इस उद्देश्य से राज्य सरकार की करेत्तर राजस्व प्राप्तियों को वितरण/हस्तांतरण के लिए शामिल न किया जाए। **आयोग ने, इस प्रतिवेदन के प्रयोजनार्थ, विभाज्य पूल (Divisible Pool) की उत्तराखण्ड राज्य शासन के वार्षिक राजस्व के उस अंश /भाग के रूप में व्याख्या की है जिससे शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय हस्तान्तरण का निर्धारण किया जा रहा है। आयोग ने तद्नुसार उत्तराखण्ड राज्य के वार्षिक सकल कर राजस्व को विभाज्य पूल (Divisible Pool) माना है।** तथापि, यह उचित होगा कि स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान राज्य सरकार की समेकित निधि से अतिरिक्त राशि के रूप में प्रदान करने की व्यवस्था अपनाई जाए।

(2) स्थानीय स्वशासन इकाइयों के लिए कुल वित्तीय आवंटन का अंश।

19.9 प्रश्न यह है कि राज्य सरकार के कुल कर राजस्व का कितना प्रतिशत स्थानीय स्वशासन इकाइयों को वित्तीय अंतरण के रूप में देने की संस्तुति की जानी चाहिए? इस संदर्भ में आयोग ने, प्रस्तर 19.4 में उल्लिखित पूर्व राज्य वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित प्रतिशत अंश को ध्यान में रखते हुए यह भी विचार किया कि स्थानीय स्वशासन इकाइयों को वित्तीय और कार्यात्मक रूप से स्वायत्त, सक्षम, सशक्त तथा नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए उन्हें अधिक वित्तीय अंतरण के साथ–साथ पर्याप्त और यथेष्ट कार्य/जिम्मेदारियाँ भी हस्तांतरित की जानी चाहिए। इस संबंध में सोलहवें वित्त आयोग को राज्य

सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में राज्य सरकार की कुल कर एवं करेत्तर राजस्व प्राप्तियों तथा कुल कर राजस्व के अनुमानों के संदर्भ में राज्य सरकार से स्थानीय स्वशासन इकाइयों को प्रस्तावित वित्तीय अंतरण विवरण निम्नवत् हैं–

सोलहवें केन्द्रीय वित्त आयोग को प्रेषित ज्ञापन अनुसार विवरण (राशि रूपये करोड़ में)

मद	वित्तीय वर्ष							
	2023–24 वास्तविक	2024–25 अनंतिम	2025–26 अनुमान	2026–27 पुर्वानुमान	2027–28 पुर्वानुमान	2028–29 पुर्वानुमान	2029–30 पुर्वानुमान	2030–31 पुर्वानुमान
राज्य की स्वयं की कर राजस्व प्राप्तियाँ	19,245	20,754	22,727	24,912	27,332	29,905	32,746	35,885
राज्य की स्वयं की करेत्तर राजस्व प्राप्तियाँ	4,418	4,063	4,395	4,835	5,319	5,850	6,435	7,079
स्थानीय शासन ईकाईयों को अनुदान	2,557	2,708	3,968	4,563	5,248	6,035	6,940	7,981
कुल कर राजस्व के सापेक्ष स्थानीय शासन ईकाईयों को अनुदान अंश (प्रतिशत में)	13.29	13.05	17.46	18.32	19.2	20.18	21.19	22.24

टिप्पणी– वित्तीय वर्ष 2024–25 का अनन्तिम कर राजस्व 20,878.72 करोड़ रुपये तथा करेत्तर राजस्व 4,181.52 करोड़ रुपये है।

19.10 प्रस्तर 19.8 और 19.9 में दिए गए विवरणों के दृष्टिगत तथा समुचित विचार–विमर्श के उपरांत, **आयोग यह संस्तुति करता है कि आयोग की अनुशंसा अवधि के प्रथम वर्ष अर्थात 2026–27 में राज्य सरकार के स्वयं के सकल कर राजस्व का कम से कम 12.5 प्रतिशत राज्य की स्थानीय स्वशासन इकाइयों (पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों) को हस्तांतरित/वितरित किया जाए।** चूँकि शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को अपनी संस्थागत क्षमता विकसित करने तथा राज्य सरकार को इन निकायों को पर्याप्त एवं यथेष्ट कार्य/दायित्व हस्तांतरित करने में कम से कम एक वर्ष का समय लगेगा, इसलिए **आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि इसके बाद (अर्थात प्रथम वर्ष के पश्चात) वित्तीय अंतरण/वितरण का यह अंश क्रमिक रूप से प्रतिवर्ष बढ़ा कर वित्तीय वर्ष 2027–28 में 13 प्रतिशत किया जाए तथा इसके बाद प्रत्येक वर्ष इसमें 1 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए आयोग की संस्तुति अवधि के अंतिम वर्ष अर्थात 2030–31 में इसे 16 प्रतिशत किया जाए।** यह उल्लेखनीय है कि आयोग रॉयल्टी, लाभांश, ब्याज, वन उत्पादों की बिक्री आदि से प्राप्त आय, जोकि शुल्क /फीस होने के दृष्टिगत विभाज्य है, सहित राज्य सरकार के स्वयं के करेत्तर राजस्व से प्राप्त समस्त आय को वितरण/हस्तांतरण के सूत्र/गणना से पूर्णतः बाहर रख रहा है। इस प्रकार के संतुलन से सकल कर राजस्व और शुद्ध कर राजस्व के बीच का अंतर निष्प्रभावी हो जाता है। यह व्यवस्था राज्य के सकल कर आय व शुद्ध कर आय के अंतर एवं रॉयल्टी, लाभांश, ब्याज, वन उत्पादों की बिक्री आदि से प्राप्त कुल आय को संतुलित करती है। राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के संबंध में आँकड़ों के अभाव में आयोग के समक्ष यही एक व्यावहार्य/न्यायसंगत विकल्प उपलब्ध है। तथापि, स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान प्रस्तावित वितरण/हस्तांतरण राशि के अतिरिक्त प्रदान किए जाएँगे।

19.11 आयोग ने अपनी अनुशंसा अवधि के लिए राज्य सरकार की कर राजस्व प्राप्तियों के संबंध में राज्य सरकार के बजट साहित्य, सोलहवें वित्त आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन में दर्शित पूर्वानुमानों तथा 'सेतु आयोग' द्वारा किए गए अध्ययन में इंगित पूर्वानुमानों का अवलोकन किया, जो निम्नलिखित हैं–

राज्य सरकार के स्वयं के कर राजस्व प्राप्ति के पूर्वानुमान (धनराशि करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	बजट साहित्य अनुसार	सोलहवें वित्त आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन अनुसार	सेतु आयोग के माध्यम से कराये गये अध्ययन के अनुसार
1	2023–24 वास्तविक	19,244.97	19,245	18,556.94
2	2024–25 पुनरीक्षित अनुमान	22,134.14	20,754*	21,850.42
3	2025–26 बजट अनुमान	24,014.81	22,727	25,425.01
4	2026–27 पूर्वानुमान	27,136.74	24,912	29,294.46
5	2027–28 पूर्वानुमान	30,664.51	27,332	33,752.80
6	2028–29 पूर्वानुमान	34,650.90	29,905	38,889.66
7	2029–30 पूर्वानुमान	—	32,746	44,808.31
8	2030–31 पूर्वानुमान	—	35,885	51,627.71
9	योग 2026–27 से 2030–31 तक	—	1,50,780	1,98,372.94
10	2026–27 से 2030–31 तक की अवधि में प्रतिवर्ष औसत	—	30,156	39,674.59
*** टिप्पणीः वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनन्तिम आँकड़ों के अनुसार, राज्य सरकार का कुल कर राजस्व ₹20,878.72 करोड़ है।**				

19.12 उपर्युक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि सोलहवें वित्त आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन में राज्य सरकार द्वारा दर्शाए गए कर राजस्व प्राप्तियों के पूर्वानुमान अपेक्षाकृत संयमित/न्यून हैं। अतः कर राजस्व प्राप्तियों के आकलन के संबंध में एक सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए आयोग इन पूर्वानुमानों (अर्थात सोलहवें वित्त आयोग को प्रस्तुत किए गए पूर्वानुमानों) को स्वीकार करना उचित समझता है।

19.13 जैसा कि ऊपर प्रस्तर 19.11 में दर्शाया गया है, वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक की पाँच वर्षीय अवधि, जो कि छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि है, के लिए औसत वार्षिक कर राजस्व का अनुमान ₹30,156 करोड़ लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य सरकार की कुल कर राजस्व प्राप्तियाँ ₹20,878.72 करोड़ (अनन्तिम) हैं, जो कि 16वें वित्त आयोग को प्रस्तुत किए गए

₹20,754 करोड़ के अनुमान से थोड़ी अधिक हैं। **अतः यह आयोग** वार्षिक औसत सकल कर राजस्व ₹30,156 करोड़ को ध्यान में रखते हुए, तथा इसे न्यूनतम ₹24,000 करोड़, मध्यक ₹27,000 करोड़ और अधिकतम ₹30,000 करोड़ मानते हुए, **वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य सरकार के ₹24,000 करोड़ के अनुमानित सकल कर राजस्व के आधार पर स्थानीय स्वशासन निकायों को सकल कर राजस्व का 12.5 प्रतिशत वित्तीय अंतरण/वितरण करने की संस्तुति करता है।** यह अनुमान राज्य के औसत वार्षिक सकल कर राजस्व के संबंध में आयोग के संयमित (Conservative) आकलन पर आधारित है। **वर्षवार वित्तीय अंतरण/वितरण के लिए कुल राशि का निर्धारण नीचे दर्शाए गए प्रतिशत अंशों के आधार पर किया जाएगा।**

क्र.सं.	वर्ष	आयोग की संस्तुति	16वें वित्त आयोग हेतु प्रेषित ज्ञापन अनुसार
1	2026-27	12.50	18.32
2	2027-28	13.00	19.20
3	2028-29	14.00	20.18
4	2029-30	15.00	21.19
5	2030-31	16.00	22.24

19.14 राज्य सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन में स्थानीय स्वशासन इकाइयों को दिए जाने वाले अनुदानों के अनुमान, जिन्हें राज्य की स्वयं की कर राजस्व प्राप्तियों के अंश के रूप में प्रस्तर 19.9 की तालिका में ऊपर दर्शाया गया है, वे पाँचवें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की तुलना में अधिक हैं। इस संबंध में उत्तराखंड सरकार के वित्त सचिव ने आयोग के साथ अपनी नवीनतम बैठकों में बताया कि इन आंकड़ों में केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा स्थानीय स्वशासन इकाइयों को दिए जाने वाले अनुदान की राशि भी सम्मिलित हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, छठवॉ राज्य वित्त आयोग ने 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर इस संबंध में एक सह–संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्वशासन इकाइयों को प्रस्तावित वित्तीय हस्तांतरण में 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों को सम्मिलित करने के बाद भी, अगले पाँच वर्षों में राज्य सरकार के अनुमानित सकल कर राजस्व में औसतन 4.34 प्रतिशत की अतिरिक्त गुंजाइश बनी रहती है। अर्थात, प्रतिवर्ष ₹1308.80 करोड़ (परिमाणात्मक/धनराशि के रूप में) की अतिरिक्त राशि का उच्च ओर अंतर अभी भी रहता है। इस प्रकार आयोग द्वारा की गई वित्तीय हस्तांतरण संबंधी संस्तुतियाँ, राज्य सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन में दर्शाए गए अनुमानों से पर्याप्त कम हैं।

अनुदान पूर्वानुमानों के सापेक्ष स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदान (राशि करोड़ में)								
क्र.सं.	विवरण	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	पाँच वर्षों का कुल	वार्षिक औसत
1	अनुमानित सकल कर राजस्व	24912.00	27332.00	29905.00	32746.00	35885.00	150780.00	30156.00
2	स्थानीय स्वशासन इकाइयों को अनुमानित अनुदान (16वें वित्त आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन के अनुसार)	4563.00	5248.00	6035.00	6940.00	7981.00	30767.00	6153.40
3	कुल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप	18.32	19.20	20.18	21.19	22.24	-	20.23

	में स्थानीय स्वशासन इकाइयों को अनुदान का अंश							
4	अनुशंसित प्रतिशत अंश (6वां राज्य वित्त आयोग)	12.50	13.00	14.00	15.00	16.00	-	14.10
5	उपर्युक्त के अनुसार अनुशंसित राशि (6वां राज्य वित्त आयोग)	3114.00	3553.16	4186.70	4911.90	5741.60	21507.36	4301.47
6	अंतर	1449.00	1694.84	1848.30	2028.10	2239.40	9259.64	1851.93
7	प्रतिशत अंतर	5.82	6.20	6.18	6.19	6.24	-	6.13
8	16वें केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल राशि	-	-	-	-	-	6544.00	1308.80
9	अनुमानित वार्षिक औसत सकल कर राजस्व का वार्षिक औसत प्रतिशत अंश	-	-	-	-	-	-	4.34

19.15 निम्नलिखित तालिका भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर किए गए आवंटन, 16वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आवंटन, तथा वे मद/शीर्ष जिनके अंतर्गत 16वें वित्त आयोग द्वारा या तो कोई आवंटन नहीं किया गया है या कम आवंटन की संस्तुति की है, को दर्शाती है–

(रू0 करोड़ में)

क्र. सं.	**विवरण**	**2021–22 से 2025–26 (15वें केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि) के दौरान राशि**	**2026–27 से 2030–31 (16वें केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि) के दौरान राशि**	**अंतर (+/–)**
1	केंद्रीय करों में हिस्सा	47234	110631.57	63397.57
2	राजस्व घाटा अनुदान	28147	-	-28147
3	राज्य–विशिष्ट अनुदान	797	-	-797
4	आपदा प्रबंधन	5178	3962.70	-1215.30
5	स्थानीय निकायों को अनुदान	3384	6544	3160
	कुल	**84740**	**121138.27**	**36398.27**
6	स्थानीय निकायों को अनुदान को छोड़कर कुल	81356	114594.27	33238.27

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तराखंड राज्य को वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31 की पाँच वर्षीय अवधि में, 15वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अंतर्गत प्राप्त ₹84,740 करोड़ (जिसमें स्थानीय निकायों को दिए गए अनुदान शामिल हैं) तथा ₹81,356 करोड़ (स्थानीय निकायों के अनुदानों को छोड़कर) की तुलना में कम से कम ₹36,398.27 करोड़ (स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदानों सहित) अथवा ₹33,238.27 करोड़ (स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदानों को छोड़कर) अतिरिक्त प्राप्त होंगे। यह वृद्धि भारत सरकार द्वारा 2026–27 से 2030–31 के लिए राजस्व घाटा अनुदान और राज्य–विशिष्ट अनुदान न दिए जाने तथा आपदा प्रबंधन अनुदान में कमी किए जाने के बावजूद होगी।

19.16 चूँकि किसी वित्तीय वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित आँकड़े अगले वित्तीय वर्ष के दूसरे भाग में ही उपलब्ध हो पाते हैं, और यद्यपि स्थानीय स्वशासन इकाइयों को औसत वार्षिक वित्तीय अंतरण की न्यूनतम अनुमानित राशि (जैसा कि प्रस्तर 19.13 में उल्लेखित है) को उदाहरण स्वरूप इस आयोग की अनुशंसा अवधि के प्रथम वर्ष अर्थात 2026–27 के संदर्भ में दर्शाया गया है, फिर भी स्थानीय स्वशासन इकाइयों को होने वाला वास्तविक वित्तीय अंतरण संबंधित वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार की कुल कर राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष वर्ष वार संस्तुत अनुपात में ही निर्धारित एवं अंतरित किया जाएगा। **अतः आयोग यह अनुशंसा करता है कि किसी भी वित्तीय वर्ष में स्थानीय स्वशासन इकाइयों को किया जाने वाला वित्तीय अंतरण/वितरण उसी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार की कुल कर राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष वर्ष वार संस्तुत अनुपात में किया जाए, न कि उससे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की कुल कर राजस्व प्राप्तियों के आधार पर।**

19.17 स्थानीय स्वशासन इकाइयों को राज्य सरकार के सकल कर राजस्व से किये जाने वाले वित्तीय अंतरण /वितरण के प्रतिशत अंश को बढ़ाने की आवश्यकता पर समुचित विचार करते समय आयोग ने निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया–

1) पाँचवें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से आच्छादित अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने तीन नगर पालिका परिषदों को नगर निगमों में उन्नत किया, तथा चार नगर पंचायतों को नगर पालिका परिषदों में उन्नत किया और साथ ही दो नए नगर पालिका परिषदों और पाँच नई नगर पंचायतों का गठन भी किया है। इसके अतिरिक्त कुछ शहरी स्थानीय निकायों की सीमाओं का विस्तार भी किया गया है।

2) पंचायती राज संस्थाएँ अब उच्च न्यायालय के निर्देश पर अपने स्वयं के संसाधनों से स्वच्छता संबंधी कार्यों का संचालन कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को दिए जाने वाले मानदेय भी व्यय की एक अन्य मद है। ये परिस्थितियाँ उनके वित्तीय आवंटन में वृद्धि को औचित्यपूर्ण ठहराती हैं।

3) राज्य सरकार द्वारा 16वें केंद्रीय वित्त आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन में, राज्य के सकल कर राजस्व के सापेक्ष वर्ष 2026–27 से 2030–31 की पाँच वर्षीय अवधि (जो कि छठवॉ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति अवधि के समान है) के सम्बन्ध में प्रस्तावित वित्तीय अंतरण/वितरण को क्रमशः 18.32%, 19.20%, 20.18%, 21.19% तथा 22.20% दर्शाया है।

4) सभी शहरी स्थानीय निकायों की स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ (देहरादून नगर निगम, जो अपने स्वयं के राजस्व से केवल वेतन व्यय वहन करने में एक मात्र सक्षम है, को छोड़कर) उनके वेतन और पेंशन व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि उनके वेतन व्यय मात्र ही, जैसा कि अध्याय 10 में दी गई तालिकाओं से स्पष्ट होता है, उनके स्वयं के राजस्व आय से कहीं अधिक हैं।

5) जनपदों के भ्रमणों के दौरान तथा उनके अभ्यावेदनों माध्यम सभी स्थानीय स्वशासन इकाइयों ने राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों अन्तर्गत उन्हें आवंटित किए जाने वाली निधि में वृद्धि की मांग की है।

6) स्थानीय स्वशासन इकाइयों को सशक्त, सक्षम, मजबूत और स्वायत्त स्थानीय संस्थाओं के रूप में विकसित करने में वित्तीय स्वायत्तता एक महत्वपूर्ण कारक है।

7) सेतु आयोग ने राज्य सरकार को यह अनुशंसा की है कि संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों को शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए।

8) शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा यह मांग की जाती रही है कि संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियों में सूचीबद्ध विषयों को उन्हें हस्तांतरित किया जाए।

9) माननीय मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा जाएगा।

10) केंद्र सरकार भी विभिन्न केंद्रीय कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से स्थानीय स्वशासन इकाइयों, विशेष रूप से शहरी स्थानीय निकायों, को सशक्त और मजबूत बनाने पर लगातार जोर दे रही है।

11) राज्य में शहरीकरण की गति तेजी से बढ़ रही है।

19.18 आयोग ने पूर्व वर्षों में स्थानीय स्वशासन इकाइयों को वास्तव में वितरित/अंतरित की गई धनराशि के अंशों का भी आकलन किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

राज्य वित्त आयोगों की संस्तुति के क्रम में विगत वर्षों में स्थानीय निकायों (पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों) को वित्तीय विवरण की स्थिति (रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्षक	2017–18 वास्तविक	2018–19 वास्तविक	2019–20 वास्तविक	2020–21 वास्तविक	2021–22 वास्तविक	2022–23 वास्तविक	2023–24 वास्तविक	2024–25 पुनरीक्षित अनुमान	2025–26 बजट अनुमान
1	राज्य का स्वयं का कुल कर राजस्व	10164.93	12188.09	11513.45	11937.59	14176.12	17102.53	19244.97	20878.72	24014.81
2	राज्य का स्वयं का कुल करेत्तर राजस्व	1769.53	3309.88	3998.81	4170.57	2755.96	4366.54	4418.08	4181.52	4395.48
	राज्य का कुल कर एवं करेत्तर राजस्व	11934.46	15497.97	15512.26	16108.16	16932.08	21469.07	23663.05	25060.24	28410.29
3	स्थानीय निकायों को कुल वितरण (विशिष्ट अनुदान सम्मिलित नही)	929.91	962.68	967.13	976.26	988.76	1492.17	1794.93	2020.00	2192.27
i	स्वयं के कुल कर राजस्व से स्थानीय निकायों को वितरण अंश (प्रतिशत)	**9.15**	**7.90**	**8.40**	**8.18**	**6.97**	**8.72**	**9.33**	**9.67**	**9.13**
ii	स्वयं के कुल कर एवं करेत्तर राजस्व से स्थानीय निकायों को वितरण का अंश (प्रतिशत)	**7.79**	**6.21**	**6.23**	**6.06**	**5.84**	**6.95**	**7.59**	**8.06**	**7.72**

19.19 प्रस्तर 19.18 में दिए गए विवरण से यह ज्ञात होता है कि स्थानीय स्वशासन इकाइयों को वितरित की गई धनराशि का प्रतिशत, राज्य वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिशत से काफी कम था। यह स्पष्ट रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि राज्य सरकार की स्वयं की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि स्थानीय स्वशासन इकाइयाँ पर्याप्त धन, कार्य और कार्मिकों से युक्त सशक्त और मजबूत हो सकें।

(3) राज्य सरकार से स्थानीय स्वशासन इकाइयों को वित्तीय अंतरण का अंश।

19.20 राज्य सरकार के कुल कर राजस्व में से स्थानीय स्वशासन इकाइयों को वितरण हेतु प्रस्तर 19.13 के वर्णनानुसार प्रस्तावित/संस्तुत अंश के उपरान्त अगला प्रश्न यह उठता है कि एक ओर शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के मध्य तथा दूसरी ओर इन स्वशासन इकाइयों के विभिन्न प्रकारों /स्तरों के मध्य वित्तीय वितरण का अनुपात क्या होना चाहिए। इस संदर्भ में, छठवॉ राज्य वित्त आयोग ने सबसे पहले पूर्व राज्य वित्त आयोगों की संस्तुतियों की समीक्षा की। पूर्व राज्य वित्त आयोगों ने इसे दो प्रकार से अनुशंसित किया था, जिनमें पहला था शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच ऊर्ध्वाधर वित्तीय वितरण, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

राज्य वित्त आयोग	स्थानीय शासन ईकाईयों को वित्तीय वितरण की मात्रा (प्रतिशत में)	स्थानीय शासन ईकाईयों हेतु संस्तुत कुल वितरण राशि के सापेक्ष	
		पंचायती राज संस्थाओं को वितरण हेतु संस्तुत अंश (प्रतिशत में)	शहरी स्थानीय निकायों को वितरण हेतु संस्तुत अंश (प्रतिशत में)
प्रथम राज्य वित्त आयोग	राज्य के कुल शुद्ध कर राजस्व का 11 प्रतिशत	42.23	57.77
द्वितीय राज्य वित्त आयोग	सकल कर एवं करेत्तर राजस्व का 10 प्रतिशत	60	40
तृतीय राज्य वित्त आयोग	स्वयं के कर राजस्व का 10. 5 प्रतिशत	50	50
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	स्वयं के कर राजस्व का 11 प्रतिशत (राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 10.5 प्रतिशत)	45	55
पंचम राज्य वित्त आयोग	स्वयं के कर राजस्व (जी. एस.टी. मुआवजा सहित) का 11 प्रतिशत (राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 10.5 प्रतिशत)	40	60

19.21 प्रस्तर 19.20 में दी गई तालिका से स्पष्ट है कि राज्य के भीतर स्थानीय स्वशासन इकाइयों को किए जाने वाले वित्तीय अंतरण के अनुपात में, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के बीच अंतर रहा है, जैसा कि पूर्व राज्य वित्त आयोगों की संस्तुतियों में दर्शाया गया है। द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए सबसे अधिक 60 प्रतिशत हिस्से की अनुशंसा की थी, जबकि द्वितीय राज्य वित्त आयोग के अधिनिर्णय अवधि से पहले और बाद के काल में, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और पंचम राज्य वित्त आयोगों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुशंसित अंश क्रमशः 42.23%, 50%, 45% और 40% रहा, जो कि शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित अंश की तुलना में कम था।

19.22 इसके अतिरिक्त, पूर्व राज्य वित्त आयोगों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित धन के वितरण और इन निधियों को स्वशासन निकायों के तीन प्रकारों /स्तरों में ऊर्ध्वाधर वितरण के संबंध में की गई संस्तुतियों पर भी विचार किया गया। इस संदर्भ में, पूर्व आयोगों द्वारा की गई संस्तुतियों का सारांश इस प्रकार है–

क्र. सं.	राज्य वित्त आयोग	राज्य वित्त आयोग की संस्तुति अनुसार वितरण अंश	राज्य सरकार के निर्णय अनुसार अंश	कुल वितरण में पंचायती राज संस्थाओं का प्रतिशत अंश	कुल वितरण में शहरी स्थानीय निकायों का अंश	पंचायती राज संस्थाओं के मध्य प्रतिशत अंश			शहरी स्थानीय निकायों के मध्य प्रतिशत अंश		
						जिला पंचा0	क्षेत्र पंचा0	ग्राम पंचा0	नगर निगम	नगर पा0 परि0	नगर पंचा0
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	उ0प्र0 राज्य वित्त आयोग 1996–2001	राज्य के कुल शुद्ध कर राजस्व का 10 प्रतिशत (पंचायतें 3+ शहरी स्था0 निकाय 7)	11 (4+7)	4 (कुल शुद्ध कर राजस्व का) (36.36)	7 (कुल शुद्ध कर राजस्व का) (63.64)	20 (0.8)	–	80 (3.2)	3.12 (44.57)	3.12 (44.57)	0.76 (10.86)
2	प्रथम राज्य वित्त आयोग 2001–2006 (संस्तुति 2001–2006 हेतु परन्तु वितरण 2002–2006 के चार वर्ष हेतु, 2001–02 की राशि समायोजन का प्रतिबन्ध)	राज्य के कुल शुद्ध कर राजस्व का 11 प्रतिशत	11	42.23	57.77	15.47	9.35	75.18	21.65	68.94	9.14
3	2006–2011 द्वितीय समय वित्त आयोग 2006–11	सकल कर एवं करेत्तर राजस्व (ब्याज प्राप्तियों, लाभांश, मुनाफों, खनिजो की रायल्टी तथा वन उत्पाद के विक्रय मूल्य को छोड़कर) का 10 प्रतिशत	10	60	40	20	30	50	20.17	64.97	14.86
4	तृतीय राज्य वित्त आयोग 2011–16	स्वयं के कर राजस्व का 10.5 प्रतिशत	10.50	50	50	30	20	50	25	60	15
5	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग 2016–2021	स्वयं के कर राजस्व का 11 प्रतिशत	10.50	45	55	35	30	35	40	45	15
6	पंचम राज्य वित्त आयोग 2021–2026	स्वयं के कर राजस्व का (जी.एस.टी. मुआवजे सहित) 11 प्रतिशत	10.50	40	60	37.5	17.5	45	40	47	13

19.23 शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच ऊर्ध्वाधर वित्तीय वितरण और तीन प्रकार के शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तरों के बीच वितरण निर्धारित करने पर विचार करने से पहले, आयोग ने जनपदों और स्थानीय निकायों की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आकड़ों तथा साथ ही राज्य में शहरीकरण की स्थिति का भी परीक्षण किया। इसके अतिरिक्त, आयोग ने जनपदवार सकल घरेलू उत्पाद की स्थिति को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में भी देखा, तथा राज्य घरेलू उत्पाद और जिला घरेलू उत्पाद के बीच अंतर (अभाव/वंचना के दृष्टिकोण से) का विश्लेषण किया। इस संबंध में विवरण निम्नवत् हैं–

जनपदवार जनसंख्या (2011 आधारित) विवरण

क्र0स0	जनपद	शहरी जनसंख्या (अनिर्वाचित शहरी स्थानीय निकायों को छोड़कर)	राज्य के कुल शहरी जनसंख्या से अंश	ग्रामीण जनसंख्या	राज्य के कुल ग्रामीण जनसंख्या से अंश	राज्य के कुल ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या	राज्य के कुल जनसंख्या से अंश
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	अल्मोड़ा	55,435	0.015	5,48,957	0.089	6,04,392	0.062
2	बागेश्वर	35,637	0.010	2,24,767	0.037	2,60,404	0.027
3	चमोली	83,327	0.023	3,08,972	0.050	3,92,299	0.040
4	चम्पावत	50,526	0.014	2,21,062	0.036	2,71,588	0.028
5	देहरादून	10,49,328	0.288	5,48,851	0.089	15,98,179	0.163
6	हरिद्वार	7,10,629	0.195	11,24,085	0.183	18,34,714	0.187
7	नैनीताल	4,25,477	0.117	4,40,375	0.072	8,65,852	0.088
8	पौड़ी	2,12,956	0.059	4,57,026	0.074	6,69,982	0.068
9	पिथौरागढ़	1,00,617	0.028	3,86,944	0.063	4,87,561	0.050
10	रूद्रप्रयाग	24,974	0.007	2,16,364	0.035	2,41,338	0.025
11	टिहरी	95,611	0.026	5,34,815	0.087	6,30,426	0.064
12	ऊधमसिंह नगर	7,38,932	0.203	8,62,209	0.140	16,01,141	0.163
13	उत्तरकाशी	56,465	0.016	2,78,597	0.045	3,35,062	0.034
	योग	**36,39,914**	**1**	**61,53,024**	**1**	**97,92,938**	**1**

स्रोत–शहरी विकास/पंचायती राज निदेशालयों से प्राप्त सूचना।

जनपदवार क्षेत्रफल विवरण

क्र0स0	जनपद	शहरी क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0 में)	राज्य के कुल शहरी क्षेत्रफल से अंश	ग्रामीण क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0 में)	राज्य के कुल ग्रामीण क्षेत्रफल से अंश	कुल ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0 में)	राज्य के कुल शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रफल से अंश
1	अल्मोड़ा	30.72	0.022	2302.78	0.100	2333.50	0.096
2	बागेश्वर	16.63	0.012	1022.02	0.044	1038.65	0.043
3	चमोली	88.66	0.064	3244.59	0.141	3333.25	0.137
4	चम्पावत	30.63	0.022	1070.74	0.046	1101.37	0.045
5	देहरादून	367.36	0.266	1206.71	0.052	1574.07	0.064
6	हरिद्वार	134.25	0.097	1519.51	0.066	1653.76	0.068
7	नैनीताल	134.13	0.097	1306.60	0.057	1440.73	0.059
8	पौड़ी	130.10	0.094	2661.68	0.116	2791.78	0.114
9	पिथौरागढ़	39.19	0.028	2030.82	0.088	2070.01	0.085
10	रूद्रप्रयाग	25.04	0.018	549.34	0.024	574.38	0.024
11	टिहरी	99.18	0.072	1562.89	0.068	1662.07	0.068
12	ऊधमसिंह नगर	234.33	0.169	1969.21	0.086	2207.72	0.090
13	उत्तरकाशी	53.32	0.039	2582.41	0.112	2635.73	0.108
	योग	**1383.54**	**1.000**	**23029.30**	**1.000**	**24417.02**	**1.000**

स्रोत–शहरी विकास/पंचायती राज निदेशालयों से प्राप्त सूचना।

प्रचलित भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं जनपद घरेलू उत्पाद 2021–22
(आधार वर्ष 2011–12 अनुसार)

(रू0 करोड़ में)

क्र0स0	जनपद	जनपद घरेलू उत्पाद (2021–22)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष जनपद घरेलू उत्पाद अंश	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से जनपद घरेलू उत्पाद का अन्तर	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से जनपद घरेलू उत्पाद के अन्तर का सकल राज्य घरेलू उत्पाद अंश
1	अल्मोड़ा	8606	0.034	246360	0.081
2	बागेश्वर	3226	0.013	251740	0.083
3	चमोली	6270	0.025	248696	0.082
4	चम्पावत	3805	0.015	251161	0.083
5	देहरादून	50687	0.199	204279	0.067
6	हरिद्वार	85636	0.336	169330	0.056
7	नैनीताल	23464	0.092	231502	0.076
8	पौड़ी	9680	0.038	245286	0.081
9	पिथौरागढ़	7272	0.029	247694	0.081
10	रूद्रप्रयाग	2839	0.011	252127	0.083
11	टिहरी	8245	0.032	246721	0.081
12	ऊधमसिंह नगर	57579	0.226	197387	0.065
13	उत्तरकाशी	4488	0.02	250478	0.082
सकल राज्य घरेलू उत्पाद –254966					

स्रोत–अर्थ एवं संख्या निदेशालय के प्रकाशनों से

भौगोलिक क्षेत्र अनुसार जनपदों के जनसंख्या विवरण (2011 आधारित)

क्र0स0	जनपद	कुल ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या	शहरी जनसंख्या (अनिर्वाचित नगर पंचायतों को छोड़कर)	कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का अंश	ग्रामीण जनसंख्या	कुल जनसंख्या से ग्रामीण जनसंख्या का अंश
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	पूर्णतः पर्वतीय जनपद					
1	अल्मोड़ा	604392	55435	0.09	548957	0.91
2	बागेश्वर	260404	35637	0.14	224767	0.86
3	चमोली	392299	83327	0.21	308972	0.79
4	पिथौरागढ़	487561	100617	0.21	386944	0.79
5	रूद्रप्रयाग	241338	24974	0.10	216364	0.90
6	उत्तरकाशी	335062	56465	0.17	278597	0.83
7	टिहरी	630426	95611	0.15	534815	0.85
	योग	**2951482**	**452066**	**0.15**	**2499416**	**0.85**
	आंशिक पर्वतीय एवं मैदानी जनपद					
1	चम्पावत	271588	50526	0.19	221062	0.81
2	देहरादून	1598179	1049328	0.66	548851	0.34
3	नैनीताल	865852	425477	0.49	440375	0.51
4	पौड़ी	669982	212956	0.32	457026	0.68
	योग	**4036027**	**1833898**	**0.45**	**2202129**	**0.55**
	पूर्णतः मैदानी जनपद					
1	हरिद्वार	1834714	710629	0.39	1124085	0.61
2	ऊधमसिंह नगर	1601141	738932	0.46	862209	0.54
	योग	**3435855**	**1449561**	**0.42**	**1986294**	**0.58**

क्र0स0	जनपद	कुल ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या	शहरी जनसंख्या (अनिर्वाचित नगर पंचायतों को छोड़कर)	कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का अंश	ग्रामीण जनसंख्या	कुल जनसंख्या से ग्रामीण जनसंख्या का अंश
1	2	3	4	5	6	7
	महायोग	**9792938**	**3639914**	**0.37**	**6153024**	**0.63**

स्रोत–शहरी विकास/पंचायती राज निदेशालयों से प्राप्त सूचना।

भौगोलिक क्षेत्र अनुसार जनपदों के क्षेत्रफल विवरण

क्र0स0	जनपद	कुल ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रफल	शहरी क्षेत्रफल (अनिर्वाचित नगर पंचायतों को छोड़कर)	कुल क्षेत्रफल से शहरी क्षेत्रफल का अंश	ग्रामीण क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल से ग्रामीण क्षेत्रफल का अंश
1	2	3	4	5	6	7
	पूर्णतः पर्वतीय जनपद					
1	अल्मोड़ा	2333.50	30.72	0.01	2302.78	0.99
2	बागेश्वर	1038.65	16.63	0.02	1022.02	0.98
3	चमोली	3333.25	88.66	0.03	3244.59	0.97
4	पिथौरागढ़	2070.01	39.19	0.02	2030.82	0.98
5	रूद्रप्रयाग	574.38	25.04	0.04	549.34	0.96
6	उत्तरकाशी	2635.73	53.32	0.02	2582.41	0.98
5	टिहरी	1662.07	99.18	0.06	1562.89	0.94
	योग	**13647.59**	**352.74**	**0.03**	**13294.85**	**0.97**
	आंशिक पर्वतीय एवं मैदानी जनपद					
1	चम्पावत	1101.37	30.63	0.03	1070.74	0.97
2	देहरादून	1574.07	367.36	0.23	1206.71	0.77
3	नैनीताल	1440.73	134.13	0.09	1306.6	0.91
4	पौड़ी	2791.78	130.10	0.05	2661.68	0.95
	योग	**8570.02**	**761.40**	**0.09**	**7808.62**	**0.91**
	पूर्णतः मैदानी जनपद					
1	हरिद्वार	1653.76	134.25	0.08	1519.51	0.92
2	ऊधमसिंह नगर	2207.72	234.33	0.11	1973.39	0.89
	योग	**3861.48**	**368.58**	**0.10**	**3492.90**	**0.90**
	महायोग	**24417.02**	**1383.54**	**0.06**	**23033.48**	**0.94**

स्रोत–शहरी विकास /पंचायती राज निदेशालयों से प्राप्त सूचना।

शहरी स्थानीय निकायों के जनसंख्या एवं क्षेत्रफल विवरण (अनिर्वाचित शहरी स्थानीय निकायों को छोड़कर)

(क) जनसंख्या विवरण

क्र.सं.	नगर निकाय	जनसंख्या	कुल शहरी जनसंख्या से अंश
1	नगर निगम	2254687	62.0
2	नगर पालिका परिषद	1004676	27.6
3	नगर पंचायत*	380551	10.4
	योग	**3639914**	**100**

(ख) क्षेत्रफल विवरण

क्र.सं.	नगर निकाय	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.	कुल शहरी क्षेत्रफल से अंश
1	नगर निगम	546.46	39.50
2	नगर पालिका परिषद	611.61	44.20
3	नगर पंचायत*	225.47	16.30
	योग	**1383.54**	**100**

*टिप्पणीः अनिर्वाचित तीन नगर पंचायतों को छोड़कर कुल जनसंख्या 380551 एवं कुल क्षेत्रफल 225.49 वर्ग कि.मी. है।

(ग) शहरी जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अंशों का औसत विवरण

क्र.सं.	नगर निकाय	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.	कुल शहरी क्षेत्रफल से अंश
1	नगर निगम	62.0	39.50
2	नगर पालिका परिषद	27.6	44.20
3	नगर पंचायत	10.4	16.30

स्रोत–शहरी विकास निदेशालय से प्राप्त विवरण अनुसार

(घ) पंचायती राज संस्थाओं के जनसंख्या एवं क्षेत्रफल विवरण

क्र.सं.	पंचायत विवरण	जनसंख्या	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.
1	जिला पंचायत	6153024	23029.30
2	क्षेत्र पंचायत	6153024	23029.30
3	ग्राम पंचायत	6153024	23029.30

स्रोत–पंचायतीराज निदेशालय से प्राप्त विवरण अनुसार

(ङ) राज्य एवं उसके अन्तर्गत स्थानीय शासन निकायों सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	स्थानीय शासन निकाय	जनसंख्या (2011)	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.	कुल शहरी जनसंख्या/क्षेत्रफल के सापेक्ष		कुल शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या/क्षेत्रफल के सापेक्ष	
				जनसंख्या अंश	क्षेत्रफल अंश	जनसंख्या अंश	क्षेत्रफल अंश
1	नगर निगम	2254687	546.46	62.0	39.50	23.02	2.24
2	नगर पालिका परिषद	1004676	611.61	27.6	44.20	10.26	2.51
3	नगर पंचायत	380551	225.47	10.4	16.30	3.39	0.92
	योग शहरी निकाय	**3639914**	**1383.54**	**100**	**100**	**37.17**	**5.67**
4	जिला पंचायत	6153024	23029.30	-	-	62.83	94.33
5	क्षेत्र पंचायत	6153024	23029.30	-	-	62.83	94.33
6	ग्राम पंचायत	6153024	23029.30	-	-	62.83	94.33
7	राज्य	9792938	24412.84	-	-	100	100

स्रोत–शहरी विकास/पंचायतीराज निदेशालय से प्राप्त सूचनाओं अनुसार

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज संस्थाओं के बीच जनपदवार कुल जनसंख्या और क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सभी तीन स्तरों की पंचायतों– ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक, के अलग–अलग श्रेणीकृत अधिकार क्षेत्र हैं। ग्राम पंचायत की जनसंख्या क्षेत्र पंचायत में सम्मिलित होती है और क्षेत्र पंचायत की जनसंख्या जिला पंचायत में सम्मिलित होती है। जबकि, शहरी स्थानीय निकायों के बीच जनसंख्या और क्षेत्रफल में भिन्नताएँ हैं।

स्थानीय स्वशासन निकायवार जनसंख्या/क्षेत्रफल विस्तार नीचे दिये गये हैं। क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के मामले में, जनपदवार विवरण **अनुलग्नक 15(19) और 16(19)** में दिये गये हैं।

स्थानीय स्वशासन निकायवार जनसंख्या एवं क्षेत्रफल विस्तार

स्थानीय निकाय विवरण	जनसंख्या		क्षेत्रफल (वर्गकिमी) (ग्राम पंचायत है0क0 में)	
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
शहरी स्थानीय निकाय				
नगर निगम	अल्मोड़ा 34125	देहरादून 571312	पिथौरागढ 12	देहरादून 196.45
नगर पालिका परिषद	दुगड्डा 2422	खटीमा 76176	रानीखेत–चिन्यानौला 0.62	मसूरी 64.75
नगर पंचायत	लंबगांव 1061	रामपुर 27364	घांसाली 0.52	इमलीखेड़ा 15.91
पंचायती राज संस्थाए				
जिला पंचायत	रूद्रप्रयाग 216364	हरिद्वार 1124085	रूद्रप्रयाग 549.51	चमोली 3244.60
क्षेत्र पंचायत	खिर्सु 21009	बहादराबाद 320309	एकेश्वर 60.71	जोशीमठ 2291.53
ग्राम पंचायत	ओलियागांव 42	भगतनपुर– आबिदपुर 20306	रायवाला 4.73	नीती (चमोली) 47545.57

19.24 आयोग ने इस विकल्प पर भी विचार किया कि वित्तीय संसाधनों का वितरण/आवंटन पहले जनपदवार किया जाए और उसके बाद प्रत्येक जनपद के भीतर स्थानीय निकायों के बीच ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वितरण की अनुशंसा की जाए। इस विकल्प के अंतर्गत जनपदवार निधि आवंटन के उद्देश्य से प्रत्येक जिले की कुल जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रफल, साथ ही जनपद के घरेलू उत्पाद और उसका राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में अंश तथा असमानता/वंचना के संकेतकों का भी परीक्षण किया गया। यह उल्लेखनीय है कि शहरीकृत जनसंख्या, तथा शहरी स्थानीय निकायों के प्रकार और उनकी संख्या के संदर्भ में जनपदों के मध्य काफी भिन्नता है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट होता है। इन भिन्नताओं के कारण आयोग ने पाया कि पहले चरण में जनपदवार वित्तीय अंतरण /वितरण का अंश निर्धारित करना और उसके बाद जनपद के भीतर स्थानीय निकायों के बीच धन का वितरण करना समानता, एकरूपता और समकक्षता के दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। इसलिए आयोग का मत है कि जनपदवार ऊर्ध्वाधर वित्तीय वितरण की पद्धति व्यावहारिक रूप से उपयुक्त नहीं है। इन परिस्थितियों में आयोग इसे उपयुक्त मानते हुए अनुशंसा करता है कि पहले चरण में राज्य स्तर पर राज्य के वार्षिक सकल कर राजस्व से विभिन्न प्रकार के स्थानीय निकायों (शहरी स्थानीय निकायों के तीनों प्रकार और पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर) के मध्य ऊर्ध्वाधर वित्तीय वितरण की गणना की जाए। इसके पश्चात अगले चरण में संबंधित स्थानीय निकायों की प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत आने वाले निकायों– जैसे नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत– के बीच क्षैतिज वित्तीय वितरण निर्धारित/आगणित और वितरित किया जाए।

2011 आधारित जनसंख्या अनुसार शहरीकरण स्थिति का जनपद वार विवरण

क्र.सं.	जनपद	शहरी जनसंख्या प्रतिशत	ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत	नगर निकायों की संख्या			
				नगर निगम	*नगर पालिका परिषद	**नगर पंचायत	योग
1	अल्मोड़ा	9	91	1	1	3	5
2	रूद्रप्रयाग	10	90	-	1	4	5

क्र.सं.	जनपद	शहरी जनसंख्या प्रतिशत	ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत	नगर निकायों की संख्या			
				नगर निगम	*नगर पालिका परिषद	**नगर पंचायत	योग
3	बागेश्वर	14	86	-	1	2	3
4	टिहरी	15	85	-	5	6	11
5	चम्पावत	19	81	-	3	2	5
6	उत्तरकाशी	17	83	-	4	1	5
7	चमोली	21	79	-	4	6	10
8	पिथौरागढ़	21	79	1	4	1	6
9	पौड़ी गढ़वाल	32	68	2	2	3	7
10	हरिद्वार	39	61	2	3	9	14
11	नैनीताल	49	51	1	5	1	7
12	ऊधमसिंह नगर	46	54	2	9	9	20
13	देहरादून	66	34	2	4	1	7
14	उत्तराखण्ड (13)	**37.17**	**62.83**	**11**	**46**	**48**	**105**

***जनपद ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत सिरौलीकलां सम्मिलित।**
****नगर पंचायतों में अनिर्वाचित नगर पंचायतें सम्मिलित नहीं।**

19.25 राज्य में वेतन एवं स्थापना, सेवा प्रदाय तथा परिसंपत्तियों के रख–रखाव सहित राजस्व व्यय मुख्यतः शहरी स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों में होता है। ये स्थानीय शासन निकायों के केवल ऐसे प्रकार/स्तर हैं जो स्वयं का राजस्व भी अर्जित करते हैं। क्षेत्र पंचायतों और ग्राम पंचायतों में स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ तथा वेतन/स्थापना संबंधित राजस्व व्यय दोनों ही नगण्य हैं। इस संबंध में विवरण **अनुलग्नक 17(19), 18(19), 19(19), 20(19), 21(19), 22(19), 23(19), 24(19), 25(19), 26(19) एवं 27(19)** में दिये गये हैं तथा इसका सारांश नीचे प्रस्तुत है।

स्थानीय शासन निकायों के स्वयं की राजस्व आय तथा राजस्व व्यय विवरण (रू0 लाख में)

क्र. सं.	निकाय प्रकार	2021–22 से 2024–25 तक चार वर्षों के वार्षिक औसत			2026–27 से 2030–31 तक के पांच वर्षों के वार्षिक औसत पूर्वानुमान		
		स्वयं की राजस्व आय	कुल राजस्व व्यय	अन्तर	स्वयं की राजस्व आय	कुल राजस्व व्यय	अन्तर
1	नगर निगम	11563.41	74002.18	-62438.77	20306.00	76888.00	-56582.00
2	नगर पालिका परिषद	5607.80	44462.42	-38854.62	10398.46	46901.33	-36502.87
3	नगर पंचायत*	566.42	10201.86	-9635.44	1718.57	10539.53	-8820.96
	समस्त शहरी स्थानीय निकाय	17737.63	128666.45	-110928.83	32423.03	134328.86	-101905.83
4	जिला पंचायत	4709.64	9161.83	-4452.19	7812.93	14359.34	-6546.41
5	क्षेत्र पंचायत	-	-	-	-	-	-
6	ग्राम पंचायत	-	-	-	-	-	-

***अनिर्वाचित शहरी निकाय सम्मिलित नहीं हैं**

संबंधित निकायों (क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत को छोड़कर) के औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति राज्य वित्त आयोग अनुदान, औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति स्वयं के राजस्व आय एवं कुल राजस्व व्यय के मध्य अन्तर

तथा वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक की पांच वर्षो की अवधि में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति राजस्व आय एवं कुल राजस्व व्यय के मध्य अन्तर के पूर्वानुमान विवरण निम्मवत् है–

(धनराशि रूपये में)

क्र. सं.	**निकाय प्रकार**	**वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक पांच वर्षों का प्रतिव्यक्ति वार्षिक औसत राज्य वित्त आयोग अनुदान**	**वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक के चार वर्षों में प्रति व्यक्ति औसत स्वयं के राजस्व एवं राजस्व व्यय का अन्तर**	**वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक के पांच वर्षों में प्रति व्यक्ति औसत स्वयं के राजस्व एवं राजस्व व्यय का अन्तर**
1	नगर निगम	2019.31	-2769.29	-2509.53
2	नगर पालिका परिषद्	4154.92	-3867.38	-3633.30
3	नगर पंचायत*	2781.26	-2531.97	-2317.94
	योग समस्त शहरी निकाय	**2688.44**	**-3047.57**	**-2799.68**
4	जिला पंचायत	358.34	-72.36	-86.04

***तीन अनिर्वाचित नगर पंचायतें सम्मिलित नहीं**

19.26 उपर्युक्त वित्तीय प्रदर्शन की स्थिति तथा प्रस्तर 19.17 में उल्लिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कि पूर्व में कई शहरी स्थानीय निकायों का उन्नयन किया गया, अनेक नए निकाय गठित किए गए, और कुछ के क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ग्राम पंचायतों की संख्या में कमी आई–यद्यपि निधियों के वितरण में शहरी स्थानीय निकायों के अंश में वृद्धि पर विचार किया जा सकता था, फिर भी यह आयोग अपने अधिनिर्णय अवधि के लिए शहरी स्थानीय निकायों के अंश में किसी वृद्धि करने की अनुशंसा करना मुख्यतः इस कारण उचित नहीं समझता कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग को छोड़कर, पूर्व के अधिनिर्णय अवधियों में शहरी स्थानीय निकायों का अंश लगातार अधिक रहा है, तथा इन निकायों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों का दोहन कर स्वयं का राजस्व अर्जित करना अत्यआवश्यक है। **अतः आयोग पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच ऊर्ध्वाधर वित्तीय वितरण का अनुपात 60:40 बनाए रखने की संस्तुति करता है।**

19.27 पूर्व राज्य वित्त आयोगों ने स्थानीय स्वशासन इकाइयों के विभिन्न प्रकारों और स्तरों के लिए वित्तीय अंतरण के सूत्रों की संस्तुति विभिन्न कारकों को, उनके लिए उचित और न्यायसंगत/समतापूर्ण भारांश प्रदान करते हुए, ध्यान में रखा है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न राज्य वित्त आयोगों द्वारा अपनाए गए सूत्रों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है–

विगत राज्य वित्त आयोगों द्वारा वित्तीय वितरण हेतु अपनाये गए कारक एवं उनके भारांश का विवरण।

क्र. सं.	**राज्य वित्त आयोग (अधिनिर्णय अवधि)**	**वित्तीय वितरण हेतु अपनाए गये कारक**	**भारांश**
1	अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम राज्य वित्त आयोग	जनसंख्या	80 प्रतिशत
		क्षेत्रफल (ग्राम पंचायत हेतु केवल जनसंख्या आधार पर ही)	20 प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य वित्त आयोग (अधिनिर्णय अवधि)	वित्तीय वितरण हेतु अपनाए गये कारक	भारांश
	(1996–2001)		
2	प्रथम राज्य वित्त आयोग (2001–2006)	**ग्राम पंचायत** ग्राम पंचायतों की उनके विकास खण्ड मुख्यालय तक निकटतम रेल शीर्ष से दूरी हेतु पांच श्रेणियाँ– 0–49 कि.मी. 50–99 कि.मी. 100–149 कि.मी. 150–199 कि.मी. 200 कि.मी. एवं अधिक साथ ही ग्राम पंचायत हेतु मोटरेबल सड़क से 10 कि.मी. से अधिक दूरी/विकास खण्ड मुख्यालय से 50 कि.मी. से अधिक दूरी वाले गांवों को दूरस्थ ग्राम पंचायत माना गया। धनराशि वितरण प्रति व्यक्ति आधार पर उक्त श्रेणी वार क्रमशः रू0 30, 45, 60, 75 एवं रू0 90 की दर से और साथ ही दूरस्थ ग्राम पंचायत को उक्त दर के अतिरिक्त रू0 15 अधिक। **क्षेत्र पंचायत** 50000 जनसंख्या तक रूपये तीन लाख, 50000 से अधिक जनसंख्या वालों को रूपये पांच लाख। **जिला पंचायत** ग्राम पंचायत की तरह 5 श्रेणियाँ जिला मुख्यालय की निकटतम रेल शीर्ष से दूरी आधार पर। कुल आगणित राशि का 70 प्रतिशत अंश प्रारम्भ में वितरण तथा शेष 30 प्रतिशत अंश वित्तीय एवं लोकतांत्रिक अच्छे प्रदर्शन पर अवमुक्त।	
3	द्वितीय राज्य वित्त आयोग (2006–2011)	जनसंख्या	50 प्रतिशत
		क्षेत्रफल	15 प्रतिशत
		दूरस्थता (रेल शीर्ष से दूरी) चार श्रेणियाँ	15 प्रतिशत
		0–25 कि.मी.	15 प्रतिशत } कुल 15 प्रतिशत का
		26–75 कि.मी.	35 प्रतिशत } कुल 15 प्रतिशत का
		76–150 कि.मी.	60 प्रतिशत } कुल 15 प्रतिशत का
		150 कि.मी. से अधिक	100 प्रतिशत } कुल 15 प्रतिशत का
		वंचितता सूचकांक	10 प्रतिशत
		कर प्रयास	10 प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य वित्त आयोग (अधिनिर्णय अवधि)	वित्तीय वितरण हेतु अपनाए गये कारक	भारांश
			ग्राम पंचायतों को जनसंख्या (80%) तथा क्षेत्रफल (20%) आधार पर आवंटन, ग्राम पंचायत की न्यूनतम जनसंख्या 300 मानी गई।
4	तृतीय राज्य वित्त आयोग (2011–2016)	**नगर निगमों के मध्य**	
		जनसंख्या	75 प्रतिशत
		क्षेत्रफल	10 प्रतिशत
		कराधान प्रयास	10 प्रतिशत
		विशेष परिस्थितियाँ	05 प्रतिशत
		नगर पालिका परिषदों के मध्य	
		जनसंख्या	65 प्रतिशत
		क्षेत्रफल	10 प्रतिशत
		स्वयं का प्रति व्यक्ति राजस्व	15 प्रतिशत
		विशेष परिस्थितियाँ	10 प्रतिशत
		नगर पंचायतों के मध्य	
		जनसंख्या	60 प्रतिशत
		क्षेत्रफल	10 प्रतिशत
		स्वयं का प्रति व्यक्ति राजस्व	15 प्रतिशत
		विशेष परिस्थितियाँ	15 प्रतिशत
		स्थानीय नगर निकायों (नगर पालिका/नगर पंचायत) की न्यूनतम जनसंख्या 5000 मान ली गई।	
		क्षेत्रफल की श्रेणियाँ नगर पालिका परिषद (04 श्रेणियाँ)	
		0–10 वर्ग कि.मी.	50 प्रतिशत
		11–20 वर्ग कि.मी.	70 प्रतिशत
		21–30 वर्ग कि.मी.	85 प्रतिशत
		30 से अधिक	100 प्रतिशत
		नगर पंचायत (03 श्रेणियाँ)	
		0–10 वर्ग कि.मी.	65 प्रतिशत
		11–20 वर्ग कि.मी.	95 प्रतिशत
		20 से अधिक	100 प्रतिशत
		जिला पंचायत	
		जनसंख्या	50 प्रतिशत
		क्षेत्रफल	20 प्रतिशत
		दूरस्थता (04 श्रेणियाँ) 0–25 कि.मी. 26–75 कि.मी. 76–150 कि.मी. 150 से अधिक	15 प्रतिशत 15 प्रतिशत 35 प्रतिशत 60 प्रतिशत 100 प्रतिशत } कुल 15 प्रतिशत का
		कराधान प्रयास	15 प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य वित्त आयोग (अधिनिर्णय अवधि)	वित्तीय वितरण हेतु अपनाए गये कारक	भारांश			
		क्षेत्र पंचायत				
		जनसंख्या	60 प्रतिशत			
		क्षेत्रफल	15 प्रतिशत			
		दूरस्थता (04 श्रेणियाँ) 0–25 कि.मी. 26–75 कि.मी. 76–150 कि.मी. 150 से अधिक	15 प्रतिशत 15 प्रतिशत 35 प्रतिशत 60 प्रतिशत 100 प्रतिशत	कुल 15 प्रतिशत का		
		ग्राम पंचायतों की संख्या	10 प्रतिशत			
		ग्राम पंचायत				
		जनसंख्या	80 प्रतिशत			
		क्षेत्रफल न्यूनतम 200 है0 अधिकतम 600 है0	20 प्रतिशत			
5	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (2016–2021)	**जिला पंचायत**				
		जनसंख्या	50 प्रतिशत			
		क्षेत्रफल	20 प्रतिशत			
		दूरस्थता	15 प्रतिशत			
		कर प्रयास (50% कर लगाना एवं 50% कर वसूली)	15 प्रतिशत			
		क्षेत्र पंचायत				
		जनसंख्या	50 प्रतिशत			
		क्षेत्रफल	30 प्रतिशत			
		दूरस्थता	20 प्रतिशत			
		ग्राम पंचायत				
		जनसंख्या	60 प्रतिशत			
		क्षेत्रफल	20 प्रतिशत			
		दूरस्थता विकास खण्ड मुख्यालय की रेल शीर्ष से दूरी हेतु पांच श्रेणियाँ 0–49 कि.मी. 50–99 कि.मी. 100–149 कि.मी. 150–199 कि.मी. 200 से अधिक	20 प्रतिशत(क्षेत्र पं0, ग्राम पं0) 15 प्रतिशत(जिला पं0)			
		शहरी स्थानीय निकाय	**जनसंख्या**	**क्षेत्रफल**	**कर प्रयास**	**प्लावन जनसंख्या**
		नगर निगम	50%	20%	20%	10%
		नगर पालिका परिषद्	60%	10%	20%	10%
		नगर पंचायत	60%	20%	20%	–

क्र. सं.	राज्य वित्त आयोग (अधिनिर्णय अवधि)	वित्तीय वितरण हेतु अपनाए गये कारक	भारांश			
		न्यूनतम क्षेत्रफल नगर पालिका/नगर पंचायत – 02 वर्ग कि.मी.				
6	पाचवॉ राज्य वित्त आयोग (2021–2026)	क्षैतिज वितरण के आधार – जनसंख्या, क्षेत्रफल, दूरस्थता, कर प्रयास और संग्रह				
		न्यूनतम जनसंख्या– नगर पालिका परिषद्–10000 नगर पंचायत–5000 ग्राम पंचायत–500				
		क्षेत्रफल **न्यूनतम** ग्राम पंचायत–200 है0 नगर पालिका परिषद–10 वर्ग कि.मी. नगर पंचायत–10 वर्ग कि.मी. **अधिकतम** ग्राम पंचायत–600 है0 नगर पालिका परिषद्–40 वर्ग कि.मी. नगर पंचायत–40 वर्ग कि.मी.				
		दूरस्थता श्रेणियाँ नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (04 श्रेणियाँ) 0–20 कि.मी. 21–80 कि.मी. 81–180 कि.मी. 180 से अधिक				
		जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत **(04 श्रेणियाँ)** 0–50 कि.मी. 51–100 कि.मी. 101–150 कि.मी. 150 से अधिक				
		कर प्रयास 50%, प्रति व्यक्ति कर आधार पर 50%, प्रति व्यक्ति वसूली आधार पर				
		प्लावन जनसंख्या पर्यटन स्थल, जिला मुख्यालय, यात्रा मार्ग, अन्य कार्यालय (उच्च न्यायालय, आवासीय विद्यालय आदि)				
		पंचायती संस्थाओं के मध्य वितरण	**जनसंख्या**	**क्षेत्रफल**	**कर प्रयास**	**दूरस्थता**
		जिला पंचायत	60%	20%	10%	10%

क्र. सं.	राज्य वित्त आयोग (अधिनिर्णय अवधि)	वित्तीय वितरण हेतु अपनाए गये कारक	भारांश				
		क्षेत्र पंचायत	60%	20%	–	20%	
		ग्राम पंचायत	60%	20%	–	20%	
		शहरी स्थानीय निकायों के मध्य वितरण	**जनसंख्या**	**क्षेत्रफल**	**कर प्रयास**	**दूरस्थता**	**विशेष व्यवस्था**
		नगर निगम	60%	20%	10%	10%	–
		नगर पालिका परिषद	65%	10%	15%	05%	05%
		नगर पंचायत	65%	10%	15%	05%	05%

19.28 **आयोग ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के मध्य वित्तीय अंतरण के निर्धारण हेतु विभिन्न कारकों तथा उन्हें दिए जाने वाले भारांक पर विधिवत विचार किया। समुचित विचार–विमर्श के पश्चात आयोग निम्नलिखित कारकों तथा उनके लिए निर्धारित भारांक की अनुशंसा करता है–**

1. शहरी स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में–

(i) लोकतंत्र में जनसंख्या– विशेष रूप से नागरिक सेवाएँ, सुविधाएँ तथा भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से– सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अतः जनसंख्या को प्राथमिक कारक मानते हुए वित्तीय अंतरण के लिए इसे 76.50 प्रतिशत का भारांक दिया जाना उचित है। नगर पालिका परिषदों के लिए न्यूनतम 10,000 की जनसंख्या सीमा को ध्यान में रखा जाना होगा और जिन नगर पालिका परिषदों की जनसंख्या 10,000 से कम है, उनके लिए भी यही न्यूनतम सीमा मान्य होगी। इसी प्रकार नगर पंचायतों के लिए न्यूनतम 5,000 की जनसंख्या सीमा निर्धारित की जानी उचित है, और जिन नगर पंचायतों की जनसंख्या 5,000 से कम है, उनके लिए भी वित्तीय हस्तांतरण/वितरण के उद्देश्य से 5,000 की न्यूनतम जनसंख्या मानकर विचार किया जाएगा।

(ii) स्थानीय निकाय का क्षेत्रफल भी इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कारक है, अतः इसे 13.50 प्रतिशत का भारांक दिया जाना उचित है। नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के लिए वित्तीय हस्तांतरण के उद्देश्य से न्यूनतम 10 वर्ग किलोमीटर तथा अधिकतम 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का मानदंड निर्धारित किया जाना समीचीन है, ताकि जिन निकायों का क्षेत्रफल इससे कम या अधिक है, उनके लिए भी इसी सीमा को ध्यान में रखकर वित्तीय वितरण किया जा सके।

(iii) शहरी स्थानीय निकायों को विशेष रूप से निर्माण सामग्रियों पर पूंजीगत व्यय के रूप में अधिक व्यय करना पड़ता है। अतः उनकी निकटतम रेलवे स्टेशन से दूरी के आधार पर, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर होने वाले वित्तीय अंतरण के अतिरिक्त, उन्हें कुछ अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने के उद्देश्य से कुल 4 प्रतिशत भारांक आधारित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित श्रेणियाँ तथा उनके अनुरूप अंक निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है–

(क) 0 जव 30 कि.मी	**शून्य**	
(ख) 31 जव 60 कि.मी	2 %	4 % भारांक आधारित राशि के सापेक्ष
(ग) 61 जव 100 कि.मी	4 %	
(घ) 101 जव 150 कि.मी	6 %	
(ड़) 151 जव 200 कि.मी	8 %	
(च) 201 कि.मी से अधिक	10 %	

(iv) अस्थायी/चलायमान जनसंख्या के कारण कुछ शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियों तथा व्यय भार पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इस संदर्भ में, कुछ चिन्हित शहरी स्थानीय निकायों को 2 प्रतिशत भारांक आधारित राशि में से निम्नानुसार अतिरिक्त वित्तीय संसाधन आवंटित किया जाना समीचीन है–

(क) हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि की रेती, तपोवन, स्वर्गाश्रम–जोंक,

जहाँ पर्यटक/तीर्थयात्री पूरे वर्ष आते रहते हैं – **5%** (2 % भारांक आधारित राशि के सापेक्ष)

(ख) प्रमुख पर्यटन स्थल तथा चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर
(मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर और उत्तरकाशी) –**3%** (2 % भारांक आधारित राशि के सापेक्ष)

(ग) तीर्थ/पर्यटन मार्ग पर स्थित अन्य चिन्हित स्थल
(बड़कोट और जोशीमठ) – **2%** (2 % भारांक आधारित राशि के सापेक्ष)

(घ) तीर्थ/पर्यटन मार्ग पर स्थित अन्य चिन्हित स्थल
(हल्द्वानी, अल्मोड़ा और टनकपुर) – **1%** (2 % भारांक आधारित राशि के सापेक्ष)

(v) जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के कारकों तथा उपर्युक्त अन्य कारकों के अतिरिक्त, कर प्रयास के आधार पर वित्तीय हस्तांतरण/वितरण में अतिरिक्त हिस्सेदारी कुल 4 प्रतिशत भारांक आधारित राशि में से निम्नानुसार निर्धारित की जानी समीचीन है–

(क) सभी कर एवं करेत्तर राजस्व मदों का क्रियान्वयन —
अधिकतम 1% (4 % भारांक आधारित राशि के सापेक्ष)

(ख) कर एवं करेत्तर राजस्व मदों पर मानक दरों को अपनाना—
अधिकतम 2% (4 % भारांक आधारित राशि के सापेक्ष)

(ग) सभी कर एवं करेत्तर राजस्व मदों की वसूली दक्षता
(वास्तविक मांग तथा बकाया के संदर्भ में) —
अधिकतम 4% (4 % भारांक आधारित राशि के सापेक्ष)

70 प्रतिशत से नीचे—	शून्य
70 से 80% —	1%
81 से 90% —	2%
90% से अधिक—	4%

(घ) उत्तराखण्ड नगरपालिका लेखा मैनुअल के अनुसार सॉफ्टवेयर के माध्यम से वित्तीय लेखों का ऑनलाइन संधारण– **1%** (4 % भारांक आधारित राशि के सापेक्ष)

(ङ) पिछले वर्ष के वित्तीय लेखों का लेखा–परीक्षण पूर्ण होना (वर्ष के उत्तरार्द्ध की किश्तों पर लागू) – **1%** (4 % भारांक आधारित राशि के सापेक्ष)

(च) प्रत्येक वर्ष कर/करेत्तर राजस्व में 10 प्रतिशत वृद्धि की उपलब्धि–
1% (4 % भारांक आधारित राशि के सापेक्ष)

(सभी उप–कारकों के अंतर्गत प्रगति के आधार पर कर प्रयास के लिए नियत कुल भारांक के सापेक्ष कुल प्राप्तांक अधिकतम 4 प्रतिशत या, यथास्थिति, उससे कम होंगे।)

टिप्पणी: इस कारक से संबंधित शर्तों की पूर्ति के प्रमाण सहित दावा प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व संबंधित निकाय का होगा, तथा इन शर्तों के विधिवत पालन की पुष्टि एवं प्रमाणीकरण होने के पश्चात ही उन्हें देय राशि जारी की जाएगी।

2. पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में

(i) जनसंख्या – जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों के लिए 76 प्रतिशत का भारांक निर्धारित किया गया है, जबकि ग्राम पंचायतों के लिए यह 70.60 प्रतिशत होगा। ग्राम पंचायतों के लिए न्यूनतम जनसंख्या मानदंड 200 निर्धारित किया जाएगा।

(ii) क्षेत्रफल – इसके लिए 14 प्रतिशत का भारांक निर्धारित किया गया है। ग्राम पंचायतों के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर तथा अधिकतम क्षेत्रफल 600 हेक्टेयर का मानदंड रखा जाएगा।

(iii) पर्यावरणीय बाधाएँ/अवसर लागत– पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय बाधाओं के अधिक प्रभाव तथा आर्थिक अवसरों की कमी को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से पर्वतीय ग्राम पंचायतों के लिए, सभी ग्राम पंचायतों के कुल अंश में से 9.40 प्रतिशत (पंचायती राज संस्थाओं के कुल अंश का 4. 37 प्रतिशत) भाग केवल पूर्णतः पर्वतीय विकासखंडों की ग्राम पंचायतों को आवंटित किया जाएगा।

(iv) दूरस्थता– दूरस्थता के आधार पर जिला पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के लिए 6 प्रतिशत का भारांक निर्धारित किया गया है, जबकि क्षेत्र पंचायतों के लिए 10 प्रतिशत का भारांक नियत किया गया है। दूरस्थता कारक के आधार पर भारांकित आवंटन सभी स्तरों की पंचायतों को शहरी स्थानीय निकायों के लिए अपनाए गए दूरी मानदंड के अनुसार दिया जाएगा; तथापि, ग्राम पंचायतों के लिए इस कारक के अंतर्गत वित्तीय अंतरण उनके विकासखंड/क्षेत्र पंचायत मुख्यालय से निकटतम रेलवे स्टेशन की दूरी के आधार पर किया जाएगा।

(v) कर प्रयास– कर प्रयास के अन्तर्गत अतिरिक्त वित्तीय अंतरण केवल जिला पंचायतों को प्रदान किया जाएगा, जो कि शहरी स्थानीय निकायों के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार होगा। इसके लिए 4 प्रतिशत का भारांक निर्धारित किया गया

(टिप्पणी: चलायमान (प्रवासी/अस्थायी) जनसंख्या के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के लिए किसी अतिरिक्त वित्तीय हस्तांतरण की अनुशंसा नहीं की गई है।)

कारकों तथा उन्हें दिए गए भारांक प्रतिशतों का संक्षिप्त सार नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है–

शहरी स्थानीय निकाय

स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ	जनसंख्या	क्षेत्रफल	दूरस्थता	कर प्रयास	अस्थायी (फ्लोटिंग) जनसंख्या	कुल
नगर निगम	76.50	13.50	4.00	4.00	2.00	100
नगर पालिका परिषद	76.50	13.50	4.00	4.00	2.00	100
नगर पंचायत	76.50	13.50	4.00	4.00	2.00	100
शहरी स्थानीय निकाय	**76.50**	**13.50**	**4.00**	**4.00**	**2.00**	**100**

पंचायती राज संस्थाएँ

स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ	जनसंख्या	क्षेत्रफल	दूरस्थता	कर प्रयास	पर्यावरणीय बाधाएँ/ अवसर लागत	कुल
जिला पंचायत	76.00	14.00	6.00	4.00	-	100
क्षेत्र पंचायत	76.00	14.00	10.00	-	-	100
ग्राम पंचायत	70.60	14.00	6.00	-	9.40	100
पंचायती राज संस्थाएँ	**73.49**	**14.00**	**6.74**	**1.40**	**4.37**	**100**

19.29 समुचित विचार–विमर्श के उपरांत आयोग अनुशंसा करता है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31 की पाँच वर्षीय अवधि के लिए शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के बीच, तथा प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय / पंचायती राज संस्था के मध्य, वित्तीय हस्तांतरण निम्नानुसार किया जाए–

1. राज्य सरकार के सकल कर राजस्व से वित्तीय हस्तांतरण के लिए, ऊपर प्रस्तर 19.10 तथा 19.13 में उल्लिखित वर्षवार अनुशंसित प्रतिशत हिस्सेदारी के अनुसार निर्धारित कुल राशि में से 60 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों के लिए तथा 40 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित किया जाएगा।

2. शहरी स्थानीय निकायों के लिए निर्धारित 60 प्रतिशत राशि को नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतों के मध्य क्रमशः 24, 27.6 और 8.4 प्रतिशत के अनुपात में वितरित किया जाएगा (अर्थात सभी स्थानीय निकायों के लिए कुल हस्तांतरण राशि में से शहरी स्थानीय निकायों का कुल 60 प्रतिशत हिस्सा)। इस प्रकार उनके मध्य यह वितरण क्रमशः नगर निगमों के लिए 40 प्रतिशत, नगर पालिका परिषदों के लिए 46 प्रतिशत तथा नगर पंचायतों के लिए 14 प्रतिशत होगा।

3. प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत सभी शहरी स्थानीय निकायों के बीच क्षैतिज वितरण के लिए, प्रस्तर 19.28 तथा उसमें दी गई सारणी में उल्लिखित कारकों एवं उनके संबंधित भारांक प्रतिशतों के आधार पर प्रत्येक कारक के लिए वितरित की जाने वाली राशि का निर्धारण किया जाएगा। कर प्रयास के आधार पर निर्धारित राशि संबंधित शहरी स्थानीय निकाय को तभी जारी की जाएगी जब वह विधिवत प्रमाणों सहित अपना दावा प्रस्तुत करेगा और यह सुनिश्चित हो जाएगा कि निर्धारित शर्तों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है।

4. पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित 40 प्रतिशत राशि के अंतर्गत, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर अर्थात जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत का हिस्सा क्रमशः 14, 7.40 और 18.16 के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा। इन स्तरों के भीतर क्षैतिज वितरण ऊपर प्रस्तर 19.28 तथा उससे संबंधित सारणी में उल्लिखित कारकों एवं उनके भारांक प्रतिशतों के अनुसार किया जाएगा। इस प्रकार उनके मध्य यह वितरण क्रमशः जिला पंचायतों के लिए 35 प्रतिशत, क्षेत्र पंचायतों के लिए 18.50 प्रतिशत तथा ग्राम पंचायतों के लिए 46.50 प्रतिशत होगा।

5. कर प्रयास कारक के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों तथा जिला पंचायतों को वितरित की जाने वाली राशि के आकलन एवं निर्गमन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी–

विवरण	कर प्रयास के लिए निर्धारित हिस्से का प्रतिशत	टिप्पणी
सभी कर एवं करेत्तर राजस्व मदों का क्रियान्वयन	अधिकतम 1	सभी निकायों के लिए लागू किए जाने वाले कर/ करेत्तर राजस्व मदों की सूची तथा उनसे संबंधित मानक नियम/उपविधियाँ राज्य सरकार द्वारा

विवरण	कर प्रयास के लिए निर्धारित हिस्से का प्रतिशत	टिप्पणी
		प्रत्येक निकाय के लिए जारी की जाएँगी।
सभी कर एवं करेत्तर राजस्व मदों पर मानक दरों का अनुप्रयोग	अधिकतम 2	**सभी कर/** करेत्तर **राजस्व मदों के लिए मानक दरें प्रत्येक निकाय के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएँगी।**
सभी कर एवं करेत्तर राजस्व मदों की वसूली दक्षता (वास्तविक मांग और बकाया के संदर्भ में) 1. 70% से नीचे 2. 70–80% 3. 81–90% 4. 90% से अधिक	अधिकतम 4 0 1 3 4	
लागू लेखा मैनुअल के अनुसार सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन वित्तीय लेखों को रखना	1	
पिछले वित्तीय वर्ष के वित्तीय लेखों का लेखा–परीक्षण पूर्ण होना	1	
कर एवं करेत्तर राजस्व वसूली में प्रति वर्ष 10% वृद्धि प्राप्त करना	1	

19.30 उपर्युक्त अनुशंसाओं के अनुपालन में, यह उदाहरणात्मक मानते हुए कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य सरकार का सकल कर राजस्व कम से कम ₹24,000 करोड़ है, उपर्युक्त सूत्र के अनुसार श्रेणीवार अनुमानित राशि निम्नानुसार होगी।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य का कुल सकल कर राजस्व– ₹24,000 करोड़

स्थानीय निकायों को वितरण हेतु अनुशंसित अंश– 12.50 प्रतिशत

उपरोक्त आधार पर स्थानीय निकायों को वितरण हेतु कुल राशि– ₹3,000 करोड़

(क) उपरोक्तानुसार स्थानीय निकायों को वितरण हेतु अनुशंसित राशि में से—

(1) शहरी स्थानीय निकायों के लिए निर्धारित अंश (60%)— ₹1,800 करोड़

(2) पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित अंश (40%)— ₹1,200 करोड़

(ख) शहरी स्थानीय निकायों की तीनों श्रेणियों के मध्य वित्तीय वितरण के अंश /राशि का विवरण।

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	शहरी निकाय का प्रकार	कुल वितरण अंश	कारकवार भारांक एवं वितरण राशि										कुल अंश	कुल राशि
			जनसंख्या		क्षेत्रफल		दूरस्थता		कर प्रयास		फ्लोटिंग जनसंख्या			
			भारांक %	राशि	भारांक %	राशि	भारांक %	राशि	भारांक %	राशि	भारांक %	राशि		
1	नगर निगम	24	76.5	550.8	13.5	97.2	4.00	28.8	4.00	28.8	2.00	14.4	100	720
2	नगर पालिका परिषद	27.6	76.5	633.42	13.5	111.78	4.00	33.12	4.00	33.12	2.00	16.56	100	828
3	नगर पंचायत	8.4	76.5	192.78	13.5	34.02	4.00	10.08	4.00	10.08	2.00	5.04	100	252
	शहरी स्थानीय निकाय	**60**	**76.5**	**1377**	**13.5**	**243**	**4.00**	**72**	**4.00**	**72**	**2.00**	**36**	**100**	**1800**

(ग) पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के मध्य वित्तीय वितरण के हिस्से/राशि का विवरण।

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	पंचायतीराज संस्था का प्रकार	कुल वितरण अंश	कारकवार भारांक एवं वितरण राशि										कुल अंश	कुल राशि
			जनसंख्या		क्षेत्रफल		दूरस्थता		कर प्रयास		पर्यावरणीय /अवसर लागत			
			भारांक %	राशि	भारांक %	राशि	भारांक %	राशि	भारांक %	राशि	भारांक %	राशि		
1	जिला पंचायत	14	76	319.2	14	58.8	6.00	25.2	4.00	16.8	-	-	100	420
2	क्षेत्र पंचायत	7.4	76	168.72	14	31.08	10.00	22.2	-	-	-	-	100	222
3	ग्राम पंचायत	18.6	70.6	393.95	14	78.12	6.00	33.48	-	-	9.4	52.45	100	558
	पंचायतीराज संस्थाएं	**40**	**73.49**	**881.87**	**14**	**168**	**6.74**	**80.88**	**1.4**	**16.8**	**4.37**	**52.45**	**100**	**1200**

(घ) स्थानीय स्वशासन निकायों को छठवॉ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति अवधि में वर्षवार वित्तीय अंतरण/ वितरण।

वर्ष विशेष में राज्य सरकार के सकल कर राजस्व के सापेक्ष स्थानीय स्वशासन निकायों को वित्तीय अंतरण/वितरण करने के लिए पूर्वोक्त प्रस्तर 19.10 एवं 19.13 में छठवॉ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति अवधि में वर्षवार संस्तुत वितरण अंश अनुसार आगणित कुल धनराशि में से सम्बन्धित वर्ष में स्थानीय स्वशासन निकायों के प्रकारों /स्तरों को तथा उनके मध्य आपसी वित्तीय अंतरण प्रस्तर 19.26, 19.27, 19.28 एवं 19.29 में संस्तुत कारकों, उनके भारांकों और उन पर आधारित निकायवार संस्तुत अंशों अनुसार उस वित्तीय वर्ष के कुल कर राजस्व के सापेक्ष आगणित कर प्रत्येक निकाय को वित्तीय अंतरण /वितरण किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वर्ष विशेष में स्थानीय निकाय वार वित्तीय अंतरण /वितरण राशि **अनुलग्नक 28(19), 29(19), 30(19), 31(19), 32(19) एवं 33(19)** में इंगित हस्तान्तरण सूचकांकों अनुसार, एवं कतिपय अपवादिक नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के सम्बन्ध में प्रस्तर 19.31 में वर्णित प्रतिबन्धाधीन, आगणित कर उन्हें वितरित की जायेगी।

19.31 यद्यपि आयोग द्वारा अपनाए गए सूत्र के अंतर्गत लगभग सभी शहरी स्थानीय निकायों को पंचम राज्य वित्त आयोग की पुरस्कार अवधि के अंतिम वर्ष (अर्थात 2025–26) में उन्हें की गई कुल आवंटन राशि की तुलना में अधिक राशि प्राप्त हो रही है, तथापि यह देखा गया कि 2026–27 में मसूरी, देवप्रयाग एवं रुद्रप्रयाग नगर पालिका परिषद, तथा नगर पंचायतों में झबरेड़ा, लंढौरा, स्वर्गाश्रम–जोंक और लालकुआँ को वर्ष 2025–26 की तुलना में कम राशि प्राप्त होनी सम्भावित है। इस **स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उपर्युक्त सूत्र से उत्पन्न असंतुलन को समाप्त करने के लिए इन शहरी स्थानीय निकायों की जनसंख्या में सांकेतिक समायोजन किया है। तदनुसार सुझावित जनसंख्या इस प्रकार है– मसूरी नगर पालिका परिषद– 45,000, देवप्रयाग नगर पालिका परिषद– 12,000, रुद्रप्रयाग नगर पालिका परिषद– 11,200, झबरेड़ा नगर पंचायत– 16,000, लंढौरा नगर पंचायत– 20,500, स्वर्गाश्रम–जोंक नगर पंचायत– 5,700, लालकुआँ नगर पंचायत– 9,800; इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि उपर्युक्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय दृष्टि से उनको विगत वर्ष आवंटित राशि के सापेक्ष कोई हानि न हो।**

19.32 राज्य सरकार के सकल कर राजस्व के अनुपात में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को होने वाले वित्तीय हस्तांतरण का एक संक्षिप्त तुलनात्मक विवरण (उदाहरणार्थ) नीचे संदर्भ हेतु प्रस्तुत किया गया है। इसमें पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि के अंतिम वर्ष (अर्थात् 2025–26) तथा षष्ठम् राज्य वित्त आयोग के प्रथम वर्ष (अर्थात् 2026–27) की तुलना की गई है।

स्थानीय निकायों को वित्तीय हस्तांतरण का तुलनात्मक विवरण (संक्षेप)

सकल कर राजस्व से नियत वितरण प्रतिशत अंश		
पंचम राज्य वित्त आयोग		छठवॉ राज्य वित्त आयोग
संस्तुत	स्वीकृत	संस्तुत
11	10.5	12.5 (प्रथम वर्ष हेतु)

वर्ष 2026–27 हेतु उदाहरण स्वरूप

(धनराशि करोड़ में)

क्र. सं.	स्थानीय निकाय का प्रकार	पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति अवधि का अन्तिम वर्ष (2025–26)	कुल विभाज्य धनराशि स्थानीय निकायों को कुल वितरण धनरशि का प्रतिशत अंश	छठवे राज्य वित्त आयोग की संस्तुति अवधि का प्रथम वर्ष (2026–27)	कुल विभाज्य धनराशि स्थानीय निकायों को कुल वितरण धनरशि का प्रतिशत अंश	दोनों के मध्य अन्तर
1	नगर निगम	526.14	24.00	720.00	24.00	193.86
2	नगर पालिका परिषद्	618.22	28.20	828.00	27.60	209.78
3	नगर पंचायत	170.99	7.80	252.00	8.40	81.01
	समस्त शहरी निकाय योग	**1315.35**	**60.00**	**1800.00**	**60.00**	**484.65**
5	जिला पंचायत	328.83	15.00	420.00	14.00	91.17
6	क्षेत्र पंचायत	153.46	7.00	222.00	7.40	68.54
7	ग्राम पंचायत	394.60	18.00	558.00	18.60	163.40
	समस्त पंचायतें योग	**876.89**	**40.00**	**1200.00**	**40.00**	**323.11**
	महायोग	**2192.24**	**100**	**3000.00**	**100**	**807.76**

19.33 राज्य में तीन नगर पंचायतें क्रमशः बद्रीनाथ, गंगोत्री एवं केदारनाथ अनिर्वाचित निकाय हैं, अतः इन तीनों निकायों को सहायक अनुदान माध्यम निम्नानुसार वार्षिक धनावंटन करने पर विचार किया जाय–

क्र. सं.	निकाय	पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति अनुसार	राज्य सरकार की कृत कार्रवाई अनुसार	छठवे राज्य वित्त आयोग की संस्तुति
1	बद्रीनाथ नगर पंचायत	रू0 1.00 करोड़ प्रति वर्ष	रू0 2.00 करोड	रू0 3.00 करोड़ प्रति वर्ष
2	केदारनाथ नगर पंचायत	रू0 0.50 करोड़ प्रति वर्ष	रू0 2.00 करोड	रू0 2.75 करोड़ प्रति वर्ष
3	गंगोत्री नगर पंचायत	रू0 0.50 करोड़ प्रति वर्ष	रू0 2.00 करोड	रू0 2.25 करोड़ प्रति वर्ष
	योग–	2.00 करोड़	6.00 करोड़	8.00 करोड़ प्रतिवर्ष

19.34 राज्य सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व प्राप्तियाँ एक मुश्त रूप में प्राप्त न होकर नियमित प्रवाह आधार पर प्राप्त होती हैं और तदानुसार ही धनराशि व्यय होती है। राज्य सरकार को वित्तीय प्रबंधन की

दृष्टि से अपनी अर्थोपाय की स्थिति को लगातार नियंत्रण में रखना आवश्यक है। **अतः यह आयोग संस्तुति करता है कि राज्य सरकार से स्थानीय शासन इकाइयों को भी चरणबद्ध रूप से ही विभिन्न चार त्रैमासिक किश्तों में वित्तीय वितरण निम्नानुसार किये जाने पर विचार किया जाय–**

क्र.सं.	किश्त विवरण	निर्गत करने हेतु नियत तिथि	टिप्पणी
1	प्रथम किश्त	माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में	कराधान प्रयास की धनराशि सम्बन्धित निकाय से नियत लक्ष्य की पूर्ति का प्रमाणों सहित पुष्ट एवं प्रमाणित दावा प्रस्तुत करने उपरान्त ही निर्गत की जाऐगी।
2	द्वितीय किश्त	माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में	
3	तृतीय किश्त	माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में	
4	चतुर्थ किश्त	माह जनवरी के प्रथम सप्ताह में	
टिप्पणीः अत्यधिक ऊचाई पर स्थित निकायों जहाँ शीत काल में आबादी निवास नहीं करती, यथा ग्राम पंचायत माणा तथा नगर पंचायत बद्रीनाथ आदि को अन्तिम त्रैमासिक किश्त की धनराशि का उपयोग अगले वित्तीय वर्ष में करने की अनुमति दी जानी चाहिए।			

वित्तीय हस्तांतरण और वितरण सूत्र–एक दृष्टि में

आयोग ने पूर्व प्रस्तरों में किये गये अपने विमर्श, विश्लेषण और टिप्पणियों के दृष्टिगत, राज्य के वार्षिक सकल कर राजस्व को आधार मानकर शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के संयुक्त हस्तांतरण अंश को निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

वित्तीय हस्तांतरण राज्य के वार्षिक सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में

वित्तीय वर्ष	विभाज्य पूल, अर्थात राज्य का सकल कर राजस्व, के सापेक्ष संस्तुत वर्षवार प्रतिशत अंश
2026-27	**12.5%**
2027-28	**13.0%**
2028-29	**14.0%**
2029-30	**15.0%**
2030-31	**16.0%**

ऊर्ध्वाधर वित्तीय हस्तान्तरण

(क) शहरी स्थानीय निकाय 60%
(ख) पंचायतीराज संस्थाऐं 40%

शहरी स्थानीय निकाय

स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ	जनसंख्या	क्षेत्रफल	दूरस्थता	कर प्रयास	अस्थायी (फ्लोटिंग) जनसंख्या	कुल
नगर निगम	76.50	13.50	4.00	4.00	2.00	100
नगर पालिका परिषद	76.50	13.50	4.00	4.00	2.00	100
नगर पंचायत	76.50	13.50	4.00	4.00	2.00	100
शहरी स्थानीय निकाय	**76.50**	**13.50**	**4.00**	**4.00**	**2.00**	**100**

पंचायती राज संस्थाएँ

स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ	जनसंख्या	क्षेत्रफल	दूरस्थता	कर प्रयास	पर्यावरणीय बाधाएँ/ अवसर लागत	कुल
जिला पंचायत	76.00	14.00	6.00	4.00	-	100
क्षेत्र पंचायत	76.00	14.00	10.00	-	-	100
ग्राम पंचायत	70.60	14.00	6.00	-	9.40	100
पंचायती राज संस्थाएँ	**73.49**	**14.00**	**6.74**	**1.40**	**4.37**	**100**

टिप्पणीः विस्तृत विवरण हेतु संस्तुतियों के सुसंगत प्रस्तर अवलोकनीय।

ख. सहायता अनुदान सम्बन्धी संस्तुतियाँ

19.35 इस आयोग के विचारार्थ विषयों में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान सम्बन्धी संस्तुतियाँ देने का विषय निम्नवत् है–

"4(क) (iii) राज्य सरकार की संचित निधि में से ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान के रूप में संदेय राशियों को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में;"

19.36 छठवॉ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति अवधि, जो वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक पाँच वर्षों की है, के दौरान **राज्य की तीन अनिर्वाचित नगर पंचायतों, अर्थात बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री**—जो देश के प्रमुख तीर्थस्थल हैं—**के लिए प्रतिवर्ष ₹8.00 करोड़ की सहायता अनुदान राशि की संस्तुति की जाती है। इस प्रकार आयोग की पूर्ण संस्तुति अवधि के लिए इस अध्याय के प्रस्तर 19.33 में इंगित व्यवस्था अनुरूप कुल ₹40 करोड़ के सहायता अनुदान की अनुशंसा की जाती है।**

19.37 राज्य में शहरीकरण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने समय–समय पर कई नये शहरी स्थानीय निकायों का गठन किया है, कुछ पूर्व स्थापित शहरी स्थानीय निकायों का उन्नयन किया है तथा कुछ मौजूदा शहरी स्थानीय निकायों की सीमाओं का विस्तार किया है। इस संदर्भ में, राज्य सरकार ने इन शहरी स्थानीय निकायों की सीमाओं में सम्मिलित/समाहित ग्रामीण क्षेत्रों को संपत्ति/भवन कर से 10 वर्षों की अवधि के लिए सामान्य छूट, बिना किसी प्रतिपूरक व्यवस्था/तंत्र के प्रदान की है। आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऐसी छूट के कारण कुल 34 शहरी स्थानीय निकाय वार्षिक रूप से लगभग ₹25.20 करोड़ के राजस्व से वंचित हो रहे हैं। **इसलिए, आयोग सबल अनुशंसा करता है कि संपत्ति/भवन कर में दी गई छूट के कारण होने वाली राजस्व हानि की राशि, संबंधित शहरी स्थानीय निकायों से सत्यापित और प्रमाणित विवरण प्राप्त करने के बाद, छूट की अवधि तक वार्षिक आधार पर प्रभावित शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान के रूप में प्रतिपूर्तित की जाए। इस प्रकार, अनुशंसा अवधि के लिए यह राशि कुल मिलाकर ₹126 करोड़ होगी।**

19.38 पूर्ववर्ती राज्य वित्त आयोगों की संस्तुतियों के अनुरूप, डॉ. आर.एस. टोलिया राज्य प्रशासन अकादमी, नैनीताल में "राज्य नगरीय विकास संस्थान'' की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान में कार्यरत है। संस्थान द्वारा सहायता अनुदान की व्यवस्था हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं—

1. **संस्थान के नियमित वार्षिक गतिविधियों के संचालन हेतु** – ₹835.50 लाख (वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक)। इस राशि की व्यवस्था वार्षिक आधार पर इस प्रकार किया जाना प्रस्तावित है—(₹151.98 लाख + ₹170.88 लाख + ₹170.88 लाख + ₹170.88 लाख + ₹170.88 लाख = ₹835.50 लाख)।
2. **अर्बन डेटा सेंटर की स्थापना तथा उसकी आवर्ती आवश्यकताओं हेतु** – ₹60 लाख + ₹225 लाख = ₹285 लाख।
3. **जलवायु अनुकूलन एवं न्यूनीकरण प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु** – ₹400 लाख (प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, प्रलेखीकरण, अनुसंधान तथा ज्ञान संसाधन केंद्र आदि के लिए)।

चूँकि यह संस्थान सुचारु रूप से कार्य कर रहा है तथा शहरी विकास से संबंधित प्रशिक्षण, अनुसंधान और अध्ययन के लिए उपयोगी है, **इसलिए आयोग यह अनुशंसा करता है कि राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने बजट में उपयुक्त प्रावधान किए जाने अथवा किसी अन्य वित्तीय सहायता तंत्र की व्यवस्था होने तक, इस संस्थान को प्रतिवर्ष ₹1.50 करोड़ (सम्पूर्ण संस्तुति अवधि के लिए कुल**

₹7.50 करोड़) सहायता अनुदान प्रदान की जाए। संस्थान के अन्य प्रस्तावों पर संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अपने स्तर पर विचार कर आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु भी संस्थान को आवश्यकता के अनुसार वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए।

19.39 आयोग ने जनपदों में परामर्श के दौरान उठे लंबित देनदारियों के संबंध में जिला पंचायतों तथा सभी शहरी स्थानीय निकायों से 31 मार्च 2025 की स्थिति अनुसार लंबित देनदारियों का विवरण प्राप्त किया। आयोग को प्राप्त विवरण **अनुलग्नक 34(19), 35(19), 36(19) एवं 37(19)** में हैं। इस संबंध में प्राप्त सूचनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है–

स्थानीय स्वशासन निकायों की देनदारियों का विवरण (राशि ₹ लाख में)

क्र. स.	शहरी स्थानीय निकाय का प्रकार	बिजली बकाया	पेयजल बकाया	पेंशन अंशदान	पेंशन / सेवानिवृत्ति लाभ	समूह बीमा	समूह बीमा	अन्य	कुल देनदारियाँ
1	नगर निगम	4911.18	582.70	1669.49	1261.30	600.00	90.00	5080.10	14194.77
2	नगर पालिका परिषद	1455.13	14.91	690.73	93.63	0.00	9.00	1695.09	3958.49
3	नगर पंचायत	851.24	2.38	355.93	12.90	0.00	0.00	597.38	1819.83
	कुल (शहरी स्थानीय निकाय)	**7217.55**	**599.51**	**2716.15**	**1367.83**	**600.00**	**99.00**	**7372.57**	**19973.09**
4	जिला पंचायत	16.35	2.53	458.63	18.14	64.97	0.06	14.36	575.05
	महायोग (स्थानीय स्वशासन निकाय)	**7233.90**	**602.04**	**3174.78**	**1385.97**	**664.97**	**99.06**	**7386.93**	**20548.14**

उपरोक्त विवरण के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों की कुल लंबित देनदारियाँ लगभग ₹126.00 करोड़ तथा जिला पंचायतों की लंबित देनदारियाँ लगभग ₹5.61 करोड़ हैं। इन देनदारियों के आंकड़े न तो सत्यापित हैं और न ही प्रमाणित। इस संबंध में, यद्यपि संबंधित निकायों से सटीक विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परंतु अपेक्षित जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। **तथापि, आयोग यह अनुशंसा करता है कि वेतन, पेंशन अंशदान, विद्युत देयक, जल देयक, पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभ, समूह जीवन बीमा तथा भवन किराया से संबंधित संचित लंबित देनदारियों के सत्यापित एवं प्रमाणित (आवश्यक होने पर लेखा परीक्षित) आंकड़े प्राप्त करने के बाद, और केवल उन्हीं देनदारियों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें संबंधित शहरी स्थानीय निकायों/जिला पंचायतों द्वारा भुगतान नहीं किया गया अथवा नहीं किया जा सका, की वास्तविक लंबित राशि को वित्तीय वर्ष 2026–27 में सहायता अनुदान के रूप में उन्हें अवमुक्त किया जाए। इस अनुदान की कुल राशि ₹132 करोड़ से अधिक होना सम्भावित नहीं है।** अन्य बकाया राशि यथा उक्त सारणी के स्तम्भ 'अन्य' में प्रदर्शित इस हेतु विचारणीय नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि संस्तुत सहायता अनुदान की राशि की अवमुक्ति के साथ यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में इन मदों के अंतर्गत देनदारियाँ संचित न होवें बल्कि संबंधित शहरी स्थानीय निकायों/जिला पंचायतों द्वारा इन्हें प्राथमिकता के आधार पर नियमित रूप से भुगतान किया जाए। यह उल्लेखनीय है कि वेतन, पेंशन तथा समूह जीवन बीमा को भुगतान में प्राथमिकता दी जाती है।

19.40 हल्द्वानी–काठगोदाम नगर निगम ने भवन, सड़क एवं नाली निर्माण कार्यों से संबंधित संचित लंबित देनदारियों तथा साथ ही ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, निस्तारण और प्रबंधन से संबंधित संचित देनदारियों का विवरण सहायता अनुदान के लिए विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया है–

लंबित देनदारियाँ (राशि ₹ लाख में)

क्र.स.	देनदारी का प्रकार	आवर्ती	अनावर्ती
1	भवन निर्माण	-	49.47
2	सड़क एवं नाली निर्माण आदि	-	1950.53
3	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	794	700
	कुल	**794**	**2700**

आयोग ने इस विषय पर विचार–विमर्श किया। यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त लंबित देनदारियों की पहली दो मदें पूंजीगत व्यय से संबंधित हैं, जिनके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई होगी। ऐसी स्थिति में आयोग इस विषय के गुण–दोष में जाने का इच्छुक नहीं है कि स्वीकृतियाँ नियमों के अनुसार दी गई थीं या नहीं, तथा यदि स्वीकृतियाँ नियमों के अनुसार दी गई थीं तो भुगतान क्यों नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, आयोग शहरी स्थानीय निकायों में अग्रिम रूप से देनदारियाँ सृजन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना या बाद में वित्तीय स्वीकृति की अपेक्षा में इस प्रकार का कोई दृष्टांत स्थापित नहीं करना चाहता है। जहाँ तक उपर्युक्त तीसरी मद का प्रश्न है, वह संबंधित शहरी स्थानीय निकाय का नियमित कार्य है, जिसके लिए सहायता अनुदान का प्रस्ताव उचित नहीं है। अतः आयोग को इस प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं दृष्टिगत होता है। फिर भी, संबंधित नगर निगम इस विषय में वित्तीय स्वीकृति आदि के लिए राज्य सरकार को प्रकरण संदर्भित कर सकता है।

19.41 हल्द्वानी–काठगोदाम नगर निगम द्वारा काठगोदाम में दो इंटर कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं—एक बालिकाओं के लिए तथा दूसरा बालकों के लिए। बालकों के इंटर कॉलेज के लिए नगर निगम ने कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, स्मार्ट कक्षाएँ, विद्यालय कार्यालय, खेल मैदान तथा सभागार के निर्माण हेतु ₹314.29 लाख व्यय के अनुमानित लागत का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए सहायता अनुदान की मांग की है। नगर निगम ने यह भी उल्लेख किया है कि उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हैं तथा उस पर अन्य संचित देनदारियाँ भी **हैं। अतः आयोग विचारोपरांत यह अनुशंसा करता है कि उक्त इंटर कॉलेज के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में ₹314.29 लाख की राशि सहायता अनुदान के रूप में स्वीकृत की जाए। यह राशि दो वर्षों की अवधि (2026–27 से 2027–28) में सहायता अनुदान के रूप में इस शर्त के साथ जारी की जा सकती है कि निर्माण कार्यों तथा उपकरणों की स्वीकृति विद्यालयी शिक्षा विभाग के विभागीय मानकों तथा वित्तीय नियमों के अनुसार प्रदान की जाएगी।**

19.42 आयोग को स्थानीय शासन निकायों से निम्नलिखित सहायता अनुदान प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आयोग की संस्तुतियाँ/अभिमत संगत स्तभ में इंगित किये गये हैं–

सहायता अनुदान के अन्य प्रस्तुत प्रस्तावों की सूची

क्र. सं.	निकाय का नाम	अनुदान की मांग का विवरण	धनराशि (रू0 लाख में)	आयोग का अभिमत/संस्तुति
(क)	**शहरी स्थानीय निकाय**			
1.	**जनपद नैनीताल**			
	1. नगर पालिका परिषद, नैनीताल	1. नगर पालिका परिषद कार्यालय की मरम्मत एवं रंगरोगन कार्य।	23.58	विवरण उपलब्ध नहीं। पालिका द्वारा पालिका निधि से किया जाना चाहिए।
		2. नर्सरी स्कूल, माल रोड़, नैनीताल की मरम्मत एवं रख–रखाव कार्य।	**3.44**	विवरण उपलब्ध नहीं। **प्रकरण शिक्षा सम्बन्धित होने से इस हेतु सहायक अनुदान दिये जाने हेतु संस्तुति**

क्र. सं.	निकाय का नाम	अनुदान की मांग का विवरण	धनराशि (रू0 लाख में)	आयोग का अभिमत/संस्तुति
				सहित राज्य सरकार के विचारार्थ संदर्भित।
		3. एशडेल स्कूल, नैनीताल की मरम्मत एवं रख–रखाव कार्य।	44.95	विवरण उपलब्ध नही। यह स्कूल ट्रस्ट का है।
		4. नगर में स्वच्छता, विद्युत प्रकाश हेतु वाहनों, उपकरणों एवं एल.ई.डी. लाईट्स की आपूर्ति कार्य।	455.63	विवरण उपलब्ध नहीं है। कचरा/डम्पर ट्रक और अपशिष्ट निपटान एवं भराव स्थल प्रकरण अलग से विचारित किया जा रहा है।
		5. अशोक सिनेमा स्थल पर बहुमंजिला शॉपिंग काम्प्लेक्स /पार्किंग निर्माण।	3000.00	विवरण उपलब्ध नहीं। पी.पी.पी. पद्धति पर निकाय विचार कर सकते हैं।
		6. ठोस अपशिष्ट हेतु वाहन।	270.77	डम्पर वाहनों के लिए संस्तुति अलग से विचारित की जा रही है।
	2. नगर निगम हल्द्वानी– काठगोदाम	1. मंगल पड़ाव, हल्द्वानी में शॉपिंग कम्प्लैक्स का निर्माण।	1834.00	विवरण उपलब्ध नहीं। आयोग को स्थल भ्रमण भी कराया गया। वर्तमान में व्यावसायिक कार्य हेतु ही उपयोग होता है जिसे नए रूप में निगम निर्माण करना चाहता है। सम्पत्ति निगम की ही बताई गई। नगर निगम के द्वारा इसे पी.पी.पी. पद्धत्ति से विकसित करना उचित होगा।
		2. कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी के भवन का विस्तार।	694.00 **(500.00)**	आयोग ने जिला स्तरीय परामर्श के दौरान स्थल निरीक्षण किया और महापौर एवं नगर आयुक्त के साथ चर्चा की। यद्यपि परियोजना का विवरण उपलब्ध नहीं है, **फिर भी अतिरिक्त कार्यालय भवन के निर्माण के लिए ₹5.00 करोड़ के अनुदान की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि भूतल पर उपलब्ध स्थान का व्यावसायिक उपयोग किया जाएगा जिससे नियमित रूप से राजस्व सृजित हो।**
		3. नव सम्मिलित क्षेत्रों में 100 कि.मी. की सड़कों एवं नालियों का निर्माण।	9000.00	विवरण उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, निगम को इस कार्य की योजना और स्वीकृति स्वयं के वित्तीय संसाधनों से करनी चाहिए।
		4. नव सम्मिलित क्षेत्र की 200 कि.मी. सड़क /नालियों का अनुरक्षण व मरम्मत कार्य।	3500.00	इसके अलावा, निगम को इस कार्य की योजना और स्वीकृति स्वयं के संसाधनों से करनी चाहिए।

क्र. सं.	निकाय का नाम	अनुदान की मांग का विवरण	धनराशि (रू0 लाख में)	आयोग का अभिमत/संस्तुति
		5. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु आवश्यक वाहन की आपूर्ति।	270.77	विवरण उपलब्ध नहीं। डम्पर वाहनों के लिए संस्तुति पृथक से विचारित की जा रही है।
		6. नव सम्मिलित क्षेत्रों में अनाच्छादित भागों में सीवर लाईन एवं एस.टी.पी. निर्माण कार्य।	35000.00	विवरण उपलब्ध नहीं। राज्य सरकार को सभी शहरी निकायों में आवश्यक अवसंरचना सम्बन्धी निर्माण कार्यों आदि के लिए वाह्य सहायतित परियोजना प्रस्ताव तैयार कर वित्त पोषण हेतु कार्यवाही करने का परामर्श है।
2.	**जनपद उत्तरकाशी**			
	1. नगर पालिका परिषद, पुरोला	1. अधिक चलायमान जनसंख्या के दृष्टिगत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता।	40.00	यह स्थिति लगभग सभी शहरी निकायों में कमोवेश है। आयोग द्वारा कतिपय चिन्हित शहरी निकायों को चलायमान जनसंख्या आधार पर कुछ अतिरिक्त वित्तीय वितरण की संस्तुति की गई है (प्रमुख तीर्थयात्रा मार्ग में न होने से पुरोला सम्मिलित नहीं)।
		2. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, नाली आदि के लिए प्रतिमाह अनुसार धनराशि आवंटन मांग।	10.00	विवरण अस्पष्ट/उपलब्ध नहीं, निकाय निधि अन्तर्गत ही देखा जाय।
		3. गौसदन निर्माण कार्य।	45.00	विवरण उपलब्ध नहीं है। इस मद के लिए अनुदान अलग से विचारित किया जा रहा है।
		4. सड़कों एवं रास्तों का निर्माण कार्य।	1000.00	विवरण उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, इसे शहरी स्थानीय निकाय को अपनी स्वयं के वित्तीय संसाधनों से करना चाहिए।
		5. रैन बसेरा निर्माण कार्य।	120.00	विवरण उपलब्ध नहीं है। इस मद के लिए अनुदान अलग से विचारित किया जा रहा है।
		6. बारात घर निर्माण कार्य	100.00	विवरण उपलब्ध नहीं। शहरी स्थानीय निकाय इस परियोजना को पी.पी.पी. पद्धति पर विचारित कर सकती है।
		7. हैलीपैड़ निर्माण कार्य	100.00	विवरण उपलब्ध नहीं। भूमि की उपलब्धता की सूचना भी नहीं दी है। यह प्रकारण **राज्य सरकार को सम्बन्धित विभागीय योजना अन्तर्गत विचारार्थ संदर्भित।**
		8. ओपन जिम पार्क निर्माण कार्य।	80.00	विवरण उपलब्ध नहीं।
		9. स्टेडियम निर्माण कार्य।	200.00	विवरण उपलब्ध नहीं। यह प्रकारण

क्र. सं.	निकाय का नाम	अनुदान की मांग का विवरण	धनराशि (रू0 लाख में)	आयोग का अभिमत/संस्तुति
				राज्य सरकार को सम्बन्धित विभागीय योजना अन्तर्गत विचारार्थ संदर्भित।
		10. पुस्तकालय।	50.00 **(30.00)**	विवरण उपलब्ध नहीं है। नगर पालिका कार्यालय परिसर में पुस्तकालय निर्माणाधीन (अंतिम चरण में) पाया गया। **पुस्तकों और उपकरणों की खरीद के लिए ₹30.00 लाख का अनुदान अनुशंसित है।**
		11. वार्ड नं0 4 में स्थाई दुकानों का निर्माण कार्य।	600.00	विवरण उपलब्ध नहीं। नगर पालिका इस परियोजना को पी.पी.पी. पद्धति पर विचारित कर सकती है।
		12. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र।	200.00	विवरण उपलब्ध नहीं है। डम्पर ट्रकों और भराव स्थल प्रकरण अलग से विचारित किए जा रहे हैं।
		13. पथ प्रकाश व्यवस्था।	100.00	विवरण उपलब्ध नहीं।
		14. निर्धन परिवारों हेतु किफायती आवास।	1000.00	विवरण उपलब्ध नहीं। **प्रकरण प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत सरकार को विचारार्थ संदर्भित।**
		15. सार्वजनिक शौचालय निर्माण/व्यवस्था	100.00	भूमि उपलब्धता संबंधी विवरण और जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए अलग से संस्तुति है।
		16. कमल नदी में कृत्रिम झील का निर्माण।	7000.00	विवरण उपलब्ध नहीं है। **यह विषय प्रासंगिक विभागीय योजना के अन्तर्गत विचार के लिए सरकार को सिंचाई विभाग से उपयोगिता और व्यवहार्यता के पुनरीक्षण के अध्यधीन संदर्भित किया जाता है।**
		17. श्मशान घाट का निर्माण।	150.00	विद्युत शवदाह गृह प्रकारण अलग से विचारित किया जा रहा है।
		18. कुमौला खड्ड में पैदल पुलों का निर्माण कार्य।	500.00	विवरण उपलब्ध नहीं।
		19. पुलियों का निर्माण एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य।	1000.00	विवरण उपलब्ध नहीं।
		20. बहुउद्देशीय भवन।	500.00	विवरण उपलब्ध नहीं।
		21. ड्रेनेज सिस्टम निर्माण कार्य।	5000.00	विवरण उपलब्ध नहीं।
		22. बहुमंजीला पार्किंग।	5000.00	विवरण उपलब्ध नहीं है। सार्वजनिक–निजी भागीदारी पद्वति अपनाने का मार्ग है।
		23. टैक्सी स्टैण्ड एवं बस अड्डा कार्य।	5000.00	विवरण उपलब्ध नहीं।
		24. आधारभूत संरचना विकास	25.00	विवरण उपलब्ध नहीं।

क्र. सं.	निकाय का नाम	अनुदान की मांग का विवरण	धनराशि (रू0 लाख में)	आयोग का अभिमत/संस्तुति
		एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।		
	2. नगर पालिका परिषद, बाड़ाहाट (उत्तरकाशी)	1. प्रकाश व्यवस्था एवं विकास कार्य।	-	विवरण उपलब्ध नहीं।
		2. सौ सीट का पुस्तकालय निर्माण।	-	विवरण उपलब्ध नहीं।
		3. चार सौ वाहनों की पार्किंग निर्माण।	-	विवरण उपलब्ध नहीं।
		4. दो सौ दुकानों वाला शॉपिंग कॉम्पलेक्स निर्माण।	-	विवरण उपलब्ध नहीं है। शहरी स्थानीय निकाय इस कार्य को सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पी.पी.पी) पद्वति अंतर्गत कर सकता है।
3	**जनपद टिहरी गढवाल**			
	1. नगर पालिका परिषद, टिहरी	1. नगर की क्षतिग्रस्त 28 कि. मी. आंतरिक सड़को का पुनर्निर्माण कार्य।	50.00	विवरण उपलब्ध नहीं। निकाय को अपनी निधि अन्तर्गत ही कार्य करना चाहिए।
		2. नगर में सड़को के किनारे की क्षतिग्रस्त/बंद पड़ी नालियों का पुनर्निर्माण कार्य।	20.00	विवरण उपलब्ध नहीं। निकाय को अपनी निधि अन्तर्गत ही कार्य करना चाहिए।
		3. नगर में आवारा कुत्तों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु निर्माण कार्य।	5.00	विवरण उपलब्ध नहीं है। शहरी स्थानीय निकाय को पशुपालन विभाग की साझेदारी में सरकार की समग्र योजना का पालन करना चाहिए। फिर भी, यह विषय अलग से विचारित किया जा रहा है।
		4. रामलीला मैदान में निर्मित बारात घर का विस्तारीकरण एवं प्रथम तल पर हॉल एवं कमरों का निर्माण।	10.00	विवरण उपलब्ध नहीं।
		5. नगर के विभिन्न वाडों में निर्मित पार्कों का पुनर्निर्माण कार्य।	10.00	विवरण उपलब्ध नहीं।
		6. नगर के विभिन्न वाडों में वाहन पार्किंग निर्माण कार्य।	50.00	विवरण उपलब्ध नहीं।
		7. नगर में क्षतिग्रस्त पुलों/पुलियों का निर्माण कार्य।	10.00	विवरण उपलब्ध नहीं।
		8. कोटी कॉलोनी, खाण्ड खाल, भागीरथीपुरम एवं बौराड़ी में हाईटैक शौचालयों का निर्माण कार्य।	10.20	विवरण उपलब्ध नहीं है। सार्वजनिक शौचालयों का विषय अलग से विचारित किया जा रहा है।

क्र. सं.	निकाय का नाम	अनुदान की मांग का विवरण	धनराशि (रू0 लाख में)	आयोग का अभिमत/संस्तुति
4	**जनपद ऊधम सिंह नगर**			
	1. नगर पंचायत, नानकमत्ता	1. विकास कार्यों हेतु धनराशि बढ़ायी जाय।	120.00	इसका संज्ञान लिया गया।
	2. नगर निगम, रूद्रपुर	1. रूद्रपुर में 7 अन्य वैंडिंग जोन का निर्माण	500.00	विवरण उपलब्ध नहीं।
		2. पी.आई.एल. संख्या 51/2015 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2016 तथा अवमानना याचिका संख्या 120/2018 में दिनांक 05.03.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में अतिक्रमण हटाने तथा नाली/फुटपाथ निर्माण व सड़क चौडीकरण सम्बन्धी व्यय।	1070.00	प्रकरण को निगम राज्य सरकार को संदर्भित कर सकती है।
5.	**जनपद बागेश्वर**			
	1. नगर पालिका, बागेश्वर	1. नुमाईश खेत (खेल प्रतियोगिता, विवाह, रामलीला, दुर्गापूजा, उत्तरायणी मेला, सभाऐं आदि के उपयोग में लाया जाने वाला) के सौन्दर्यकरण/मिनी स्टेडियम निर्माण।	**500.00**	आयोग ने अपनी जिला स्तरीय परामर्श बैठक के दौरान स्थल निरीक्षण किया। यद्यपि इस संबंध में वित्तीय एवं तकनीकी विवरण उपलब्ध नहीं हैं, **तथापि आयोग अधिकतम ₹5.00 करोड़ तक के अनुदान की अनुशंसा करता है, अथवा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण के आधार पर अंतिम रूप से सत्यापित राशि प्रदान की जा सकती है।**
		2. गरूड़ मोटर मार्ग थाने के समीप दो मंजिला पार्किंग निर्माण हेतु डी.पी.आर. 212 लाख के सापेक्ष उपलब्ध 50 लाख एवं राज्य वित्त आयोग का 47.92 लाख कुल 97.92 लाख व्यय होना इंगित करते हुए रू0 200 लाख के अनुदान की मांग।	200.00	शहरी स्थानीय निकाय नियमों के अनुसार प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग को प्रेषित कर सकता है।
		3. उत्तरायणी मेले के आयोजन हेतु प्रतिवर्ष अनुदान।	50.00 (प्रति वर्ष)	**शासन को संदर्भित।**
6	**जनपद अल्मोड़ा**			
	1. नगर निगम, अल्मोड़ा	1. प्रत्येक वार्ड में जल निकासी व्यवस्था।	-	विवरण उपलब्ध नहीं।
		2. प्रत्येक वार्ड में सीवर लाईन का निर्माण।	-	विवरण उपलब्ध नहीं।

क्र. सं.	निकाय का नाम	अनुदान की मांग का विवरण	धनराशि (रू0 लाख में)	आयोग का अभिमत/संस्तुति
		3. प्रमुख सड़कों का जीर्णोद्धार एवं दो पहिया/चार पहिया वाहन पार्किंग निर्माण।	-	विवरण उपलब्ध नहीं।
		4. पथ प्रकाश।	-	विवरण उपलब्ध नहीं।
		5. प्राचीन एवं एतिहासिक इमारतों/धरोहरों का संरक्षण व सौन्दर्यीकरण।	-	विवरण उपलब्ध नहीं।
		6. छः छोटे हाइड्रोलिक पिकअप वाहनों की व्यवस्था।	-	विवरण उपलब्ध नहीं है। डम्पर वाहनों का विषय अलग से विचारित किया जा रहा है।
		7. एल.ई.डी. लाइट/हाईमास्ट लाईट कार्य।	500.00	विवरण उपलब्ध नहीं।
		8. मल्लामहल से स्याहीदेवी, कसार देवी, वानणी देवी तक रोपवे।	-	विवरण उपलब्ध नहीं।
		9. पच्चीस भूमिगत डस्टबिन	-	विवरण उपलब्ध नहीं।
		10. प्राचीन नौलों को संरक्षित करने हेतु व्यवस्था।	-	विवरण उपलब्ध नहीं।
7	**जनपद हरिद्वार**			
	1. नगर पंचायत, पिरान कलियर	1. बजार स्थल/ परिसर विकास।	-	विवरण उपलब्ध नहीं।
		2. सीवर सिस्टम, सार्वजनिक शौचालय और कचरा निपटान सुविधा की स्थापना।	-	विवरण उपलब्ध नहीं है। सार्वजनिक शौचालयों एवं स्वच्छता का विषय अलग से विचारित किया जा रहा है।
	2. नगर पंचायत, सुल्तानपुर–आदमपुर	1. सहकारी समिति के निकट पुराने भवन का ध्वस्तीकरण कर आधुनिक पुस्तकालय निर्माण।	200.00	विवरण उपलब्ध नहीं।
		2. जनता इण्टर कॉलेज के निकट बारात घर की छत पर व्यावसायिक दुकानों का निर्माण।	80.00	विवरण उपलब्ध नहीं। निकाय परियोजना को पी.पी.पी. पद्धति अन्तर्गत विचार कर सकती है।
		3. सार्वजनिक कूड़ेदान हेतु अनुदान।	50.00	विवरण उपलब्ध नहीं।
		4. ईस्माइलपुर रोड़ स्थित व्यावसायिक वैंडिंग स्थल निर्माण।	250.00	विवरण उपलब्ध नहीं है। पीपीपी पद्धति का मार्ग है।
		5. कार्यालय भवन एवं बारातघर की छतों पर सोलर पावर प्लान्ट स्थापना।	300.00	विवरण उपलब्ध नहीं है। शहरी स्थानीय निकाय को UREDA से संपर्क करना चाहिए।
		6. ऊचॉई पर कार्य करने हेतु स्काई लिफ्ट मशीन सहित वाहन क्रय।	15.00	विवरण उपलब्ध नहीं।
		7. कूड़ा उठान हेतु एक–एक	95.00	विवरण उपलब्ध नहीं है। डम्पर ट्रकों

क्र. सं.	निकाय का नाम	अनुदान की मांग का विवरण	धनराशि (रू0 लाख में)	आयोग का अभिमत/संस्तुति
		क्रेन, टिपर ट्रक एवं ट्रैक्टर ट्राली तथा चार टाटा एस वाहन क्रय।		का विषय **अलग से विचारित किया जा रहा है।**
		8. जल निकासी हेतु खाली नालों पर सौन्दर्यीकरण एवं निर्माण कार्य।	370.00	विवरण उपलब्ध नहीं।
		9. निकाय में दो स्थानों पर 100 फिट ऊँचे नेशनल प्लैग की स्थापना तथा नगर पंचायत के सभी द्वार पर स्वागत द्वार निर्माण कार्य हेतु अनुदान।	40.00	विवरण उपलब्ध नहीं।
		10. रामलीला मैदान व सभी कब्रिस्तानों का सौन्दर्यीकरण, मिट्टी भराव, चाहर दीवारी निर्माण कार्य हेतु अनुदान।	220.00	विवरण उपलब्ध नहीं।
		11. नगर पंचायत में हाईमास्ट लाईट हेतु अनुदान।	50.00	विवरण उपलब्ध नहीं।
	3. नगर निगम, रूड़की	1. जल निकासी हेतु विभिन्न स्थानों पर नालों का निर्माण।	5000.00 **(1000.00)**	आयोग ने कुछ स्थलों का निरीक्षण किया। आयोग का अभिमत है कि यह एक गंभीर समस्या है, जिसका समाधान किया जाना आवश्यक है। यद्यपि इस संबंध में विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है, **तथापि आयोग ₹10 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा करता है, जिसे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के पूर्ण तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण के उपरांत अवमुक्त किया जा सकता है।**
		2. कार्यालय/बहुउद्देशीय भवन निर्माण।	500.00	विवरण उपलब्ध नहीं। निगम पी.पी.पी. पद्धति पर विचार कर सकते हैं।
		3. पड़ाव में पार्किंग निर्माण।	500.00	विवरण उपलब्ध नहीं। निगम पी.पी.पी. पद्धति पर विचार कर सकते हैं।
(ख)	**पंचायतीराज संस्थाऐं**			
1	जिला पंचायत, चम्पावत	1. बाराकोट स्थित जिला पंचायत की रिक्त भूमि में नये बहुउद्देशीय/ अतिथि गृह का निर्माण।	300.00	विवरण उपलब्ध नहीं। पी.पी.पी. पद्धति पर निर्माण एवं संचालन हेतु निकाय विचार कर सकते हैं।
		2. लोहाघाट स्थित जिला पंचायत के पुराने डाक बंगला (केन्द्रीय विद्यालय) परिसर में बारातघर/डाक बंगला एवं व्यावसायिक काम्पलेक्स आदि निर्माण।	750.00	विवरण उपलब्ध नहीं। पी.पी.पी. पद्धति पर निर्माण एवं संचालन हेतु निकाय विचार कर सकते हैं।
		3. लोहाघाट डिग्री कॉलेज	250.00	विवरण उपलब्ध नहीं। पी.पी.पी.

क्र. सं.	निकाय का नाम	अनुदान की मांग का विवरण	धनराशि (रू0 लाख में)	आयोग का अभिमत/संस्तुति
		रोड़ में जिला पंचायत डाक बंगले में व्यावसायिक कॉम्पलेक्स, पार्किंग का निर्माण एवं डाक बंगला पुनर्निर्माण।		पद्धति पर निर्माण एवं संचालन हेतु निकाय विचार कर सकते हैं।
		4. धूनाघाट स्थित जिला पंचायत डाक बंगले के समीप खाली भूमि में डाक बंगला का नव निर्माण/विस्तारीकरण।	100.00	विवरण उपलब्ध नहीं। पी.पी.पी. पद्धति पर निर्माण एवं संचालन हेतु निकाय विचार कर सकते हैं।
		5. सूखी ढ़ांग स्थित जिला पंचायत की भूमि में पर्यटक आवास गृह एवं डेस्टीनेशन वैडिंग सैन्टर निर्माण।	150.00	विवरण उपलब्ध नहीं। पी.पी.पी. पद्धति पर निर्माण एवं संचालन हेतु निकाय विचार कर सकते हैं।
		6. तामली स्थित जिला पंचायत बहुउद्देशीय भवन का विस्तारीकरण।	150.00	विवरण उपलब्ध नहीं। पी.पी.पी. पद्धति पर निर्माण एवं संचालन हेतु निकाय विचार कर सकते हैं।
		7. श्रीपूर्णागिरी मेला क्षेत्र में बूम स्थित जिला पंचायत विश्राम गृह का विस्तारीकरण।	150.00	विवरण उपलब्ध नहीं। पी.पी.पी. पद्धति पर निर्माण एवं संचालन हेतु निकाय विचार कर सकते हैं।
		8. देवीधुरा में बारातघर, व्यावसायिक काम्पलेक्स, बहुउद्देशीय भवन, पुस्तकालय एवं मेला व्यवस्था हेतु आवासीय भवन निर्माण।	500.00	विवरण उपलब्ध नहीं। पी.पी.पी. पद्धति पर निर्माण एवं संचालन हेतु निकाय विचार कर सकते हैं अथवा प्रकरण शासन को संदर्भित किया जा सकता है।
		9. खेतीखान स्थित जिला पंचायत की भूमि पर बारातघर, बहुउद्देशीय भवन, पुस्तकालय एवं व्यावसायिक कॉम्पलेक्स निर्माण।	500.00	विवरण उपलब्ध नहीं। पी.पी.पी. पद्धति पर निर्माण एवं संचालन हेतु निकाय विचार कर सकते हैं।
2	जिला पंचायत देहरादून	1. विकास खण्डो स्थित जिला पंचायत की परिसम्पत्तियों पर व्यावसायिक भवनों का निर्माण		
		(1) कालसी	370.00	विवरण उपलब्ध नहीं। पी.पी.पी. पद्धति पर निकाय विचार कर सकते हैं।
		(2) कालसी (सहिया–नेवी)	295.00	विवरण उपलब्ध नहीं। पी.पी.पी. पद्धति पर निकाय विचार कर सकते हैं।
		(3) चकराता (मानथात)	85.00	विवरण उपलब्ध नहीं। पी.पी.पी. पद्धति पर निकाय विचार कर सकते हैं।
		(4) चकराता (कावाखेड़ा)	444.00	विवरण उपलब्ध नहीं। पी.पी.पी.

क्र. सं.	निकाय का नाम	अनुदान की मांग का विवरण	धनराशि (रू0 लाख में)	आयोग का अभिमत/संस्तुति
				पद्धति पर निकाय विचार कर सकते हैं।
		(5) चकराता (आबकारी मोहल्ला)	26.00	विवरण उपलब्ध नहीं। पी.पी.पी. पद्धति पर निकाय विचार कर सकते हैं।
		(6) विकास नगर (शॉपिंग काम्पलेक्स, हरबर्टपुर)	700.00	विवरण उपलब्ध नहीं। पी.पी.पी. पद्धति पर निकाय विचार कर सकते हैं।
		(7) सहसपुर (सेलाकुई कांजी हॉउस/आंगनबाड़ी)	88.76	विवरण उपलब्ध नहीं **परन्तु विवरण प्राप्त होने के प्रतिबंध सहित सहायता अनुदान दिये जाने हेतु शासन को संदर्भित।**
		(8) सहसपुर (झाझरा)	78.25	विवरण उपलब्ध नहीं। पी.पी.पी. पद्धति पर निर्माण एवं संचालन हेतु निकाय विचार कर सकते हैं।
		(9) सहसपुर (मार्केट पोस्ट ऑफिस/पूर्व पौंड भूमि)	432.81	विवरण उपलब्ध नहीं। पी.पी.पी. पद्धति पर निर्माण एवं संचालन हेतु निकाय विचार कर सकते हैं।
		(10) रायपुर (माजरा)	57.00	विवरण उपलब्ध नहीं। पी.पी.पी. पद्धति पर निर्माण एवं संचालन हेतु निकाय विचार कर सकते हैं।
		(11) रायपुर (नत्थनपुर)	70.00	विवरण उपलब्ध नहीं। पी.पी.पी. पद्धति पर निर्माण एवं संचालन हेतु निकाय विचार कर सकते हैं।
		(12) रायपुर (रायपुर चौक)	90.00	विवरण उपलब्ध नहीं। पी.पी.पी. पद्धति पर निर्माण एवं संचालन हेतु निकाय विचार कर सकते हैं।
		(13) डोईवाला (नोरतूवाला– भोगपुर)	1599.00	विवरण उपलब्ध नहीं। पी.पी.पी. पद्धति पर निर्माण एवं संचालन हेतु निकाय विचार कर सकते हैं।
		(14) डोईवाला (वीवीवाला– गुमानीवाला)	836.48	विवरण उपलब्ध नहीं। पी.पी.पी. पद्धति पर निर्माण एवं संचालन हेतु निकाय विचार कर सकते हैं।
		2. क्यारकुली भट्टा में बहुमंजिला पार्किंग निर्माण।	1606.10	ग्राम पंचायत संग भागीदारी से निकाय पी.पी.पी. पद्धति माध्यम विचार कर सकते हैं। अवगत कराया गया है कि पंचम राज्य वित्त आयोग से इस पार्किंग के लिए रू0 7.31 करोड़ की संस्तुति की गई थी। परियोजना की प्रगति के कोई विवरण प्राप्त नहीं कराये हैं।
		3. ग्राम चिल्हाड़ (क्षेत्र पंचायत,	70.00	आगणन उपलब्ध कराया है। पी.पी.पी.

क्र. सं.	निकाय का नाम	अनुदान की मांग का विवरण	धनराशि (रू0 लाख में)	आयोग का अभिमत/संस्तुति
		चकराता) में बारात घर निर्माण।		पद्धति सुझावित है।
3	जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग	1. बद्रीनाथ मार्ग में सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, शौचालय आदि कार्य।	30.00	विवरण उपलब्ध नहीं। **सार्वजनिक शौचालय एवं डम्पर ट्रक प्रकरण अलग से विचारित किया जा रहा है।**
		2. जिला पंचायत कार्यालय भवन का विस्तार, पार्किंग, दुकाने आदि परिसम्पत्ति निर्माण।	149.55	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) उपलब्ध कराया गया है।
		3. कचरा डंपिंग एवं निस्तारण के लिए शेड का निर्माण।	33.50	विस्तृत आगणन उपलब्ध कराया गया है। **कूड़ा भराव प्रकरण अलग से विचारित किया जा रहा है।**
4.	जिला पंचायत, चमोली	1. जिला पंचायत की पुरानी जीर्ण–शीर्ण परिसम्पत्ति में पर्यटक आधारित भवन, गेस्ट हाउस, पार्किंग, बाजारों का विकास।	500.00 (अनुमानित)	विवरण उपलब्ध नहीं।
5.	जिला पंचायत, अल्मोड़ा	1. जिला पंचायत के जीर्ण–शीर्ण भवनों का रखरखाव तथा रिक्त भूमियों पर बारात घर, पार्किंग स्थल, दुकानें, विश्रामगृह आदि निर्माण।	-	विवरण उपलब्ध नहीं।
6	जिला पंचायत, हरिद्वार	2. आवंटित भूमि पर कार्यालय भवन/बैठक कक्ष तथा आवासों का निर्माण।	1000.00	विवरण उपलब्ध नहीं।
		योग–	**104203.79**	

उपरोक्त तालिका में आयोग द्वारा व्यक्त टिप्पणी एवं संस्तुतियों के दृष्टिगत, मदों 1–1(2), 1–2(2), 2–1(10), 5–1(1) और 7–3(1) के लिए कुल ₹20.3344 करोड़ को अनुदान के रूप में संस्तुति की जाती है।

19.43 आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों तथा जिला अधिकारियों के साथ व्यापक परामर्श/चर्चाओं, कई जनपदों में स्थलीय निरीक्षणों तथा अनेक शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाआ द्वारा स्वच्छता एवं अपशिष्ट निस्तारण से संबंधित प्राप्त मांगों के आधार पर, तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर परिस्थितियों का बनाए रखना रोग–मुक्त जीवन के लिए अनिवार्य शर्त है, और यह भी कि उत्तराखंड पारिस्थितिकी रूप से एक संवेदनशील राज्य है–जहाँ स्वच्छता के उच्च मानक बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि राज्य से अनेक अंतर्राज्यीय नदियाँ उद्गमित होती हैं—आयोग का मत है कि स्थानीय स्वशासन इकाइयों के स्वच्छता एवं अपशिष्ट निस्तारण कार्यों को सुधारने/सुदृढ़ीकृत करने तथा उन्नत करने की आवश्यकता है। **आयोग पूर्णतः सुसज्जित 233 कचरा डम्पर ट्रकों की खरीद हेतु ₹80 करोड़ की राशि अनुशंसित करता है। इन डम्पर ट्रकों का वितरण—13 जिला पंचायतों के लिए 95 ट्रक (प्रत्येक विकासखंड के लिए एक); देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार नगर निगम के लिए 5–5 ट्रक; रुद्रपुर,**

काशीपुर, ऋषिकेश और रुड़की नगर निगम के लिए 3–3 ट्रक; कोटद्वार, श्रीनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर निगम के लिए 2–2 ट्रक; 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले 6 नगर पालिका परिषदों के लिए 2–2 ट्रक; शेष 40 नगर पालिका परिषदों के लिए 1–1 ट्रक; राज्य की 51 नगर पंचायतों के लिए 1–1 ट्रक। डम्पर ट्रक विभिन्न आकारों में उपलब्ध होते हैं, इसलिए उनकी लागत भी आकार के अनुसार भिन्न होती है। आयोग आवश्यकता के परीक्षण पर विकासखंडों के लिए छोटे आकार, नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों तथा पर्वतीय क्षेत्रों के नगर निगमों के लिए मध्यम आकार, तथा मैदानी क्षेत्रों के नगर निगमों के लिए बड़े आकार के ट्रकों को उपयुक्त पाता है। संबंधित शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्था इन वाहनों का संचालन एवं रखरखाव सरकार के नवीनतम नियमों, दिशानिर्देशों अथवा निर्देशों के अनुसार लागत वसूली (यूजर चार्ज) प्रणाली के आधार पर सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त, अपशिष्ट निस्तारण तथा भराव स्थलों का मानक भी संतोषजनक नहीं पाया गया है। अनेक शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के पास भराव स्थल उपलब्ध नहीं हैं, और जहाँ उपलब्ध हैं वहाँ भी उनका उचित प्रबंधन नहीं किया जा रहा है। कई स्थानों पर ठोस अपशिष्ट का उचित पृथक्करण एवं निस्तारण भी नहीं हो रहा है। **इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार–विमर्श के उपरांत आयोग भराव स्थलों तथा अपशिष्ट निस्तारण के लिए ₹100 करोड़ की राशि की अनुशंसा करता है।** यह राशि संबंधित स्थानीय निकायों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आवंटित की जाएगी। इस संदर्भ में बड़ी ग्राम पंचायतों को भी प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देने की व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिए या तो भूमि संबंधित स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध हो, अथवा उसकी उपलब्धता निकटस्थ शहरी स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत से साथ भूमि साझेदारी तथा लागत/राजस्व साझेदारी व्यवस्था के माध्यम से सुनिश्चित की जाए।

19.44 कम होते वनाच्छादन एवं पर्यावरणीय अवनति के कारण धीरे–धीरे दाह संस्कार हेतु विद्युत शवदाह उपयोग समय की मांग है, **अतः आयोग 21 विद्युत शवदाह गृहों के लिए ₹7 करोड़ की राशि संस्तुत करता है।** ये विद्युत शवदाह गृह संबंधित नगर निगम, नगर परिषद और जिला पंचायतों द्वारा चिन्हित स्थानों पर निर्मित किए जाएँ। जिन शहरी स्थानीय निकायों में भूमि की उपलब्धता की समस्या है वे पास के ग्राम पंचायतों या अन्य नगर निकायों के साथ, जैसी भी स्थिति हो, उचित समझौता ज्ञापन माध्यम से भूमि की व्यवस्था कर सकते है। कुल 21 विद्युत शवदाह गृहो का वितरण: नगर निगम देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रूड़की, काशीपुर, श्रीनगर, ऋषिकेश एवं रुद्रपुर के लिए प्रत्येक में 1 और 13 जिला पंचायतों के लिए प्रत्येक में 1 शवदाह गृह।

19.45 जिला पंचायतों द्वारा लागत वसूली आधार पर संचालन एवं रखरखाव की व्यवस्था अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में एक की तैनाती अनुसार आयोग 95 शव वाहन के लिए ₹6 करोड़ की संस्तुति करता है। एक शव वाहन की इकाई लागत लगभग ₹6.5 लाख अनुमानित की गई है।

19.46 राज्य के ग्यारह (11) पर्वतीय जनपदों के लिए पचपन (55) विद्यालय वाहन हेतु आयोग ₹11 करोड़ की संस्तुति करता है। ग्यारह (11) पर्वतीय जिला पंचायतों को पांच–पांच प्रति जिला पंचायत विद्यालय वाहन प्रदान किये जाएं। इन वाहनों को जिला पंचायत द्वारा अलग–अलग स्थानों में इस भांति तैनात, संचालित एवं अनुरक्षित किया जाय जिससे सम्पूर्ण जनपद का आच्छादन हो सके। जिला पंचायतें दूरी पर स्थित विद्यालयों तक छात्र छात्राओं को ले जाने लाने हेतु उपयोगकर्ता शुल्क वसूली के आधार पर संचालित करेंगी। छात्राओं को इस हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। एक 25 सीटों वाली मिनी बस, जिसे विद्यालय वाहन के रूप में संचालित किया जाएगा, की अनुमानित इकाई लागत लगभग ₹20 लाख रुपये मानी गई है।

19.47 **आयोग** प्रति विकास खण्ड एक के आधार पर प्रत्येक जनपद के जिला पंचायत तथा प्रति नगर निगम एक के आधार पर देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुद्रपुर और श्रीनगर नगर निगमों द्वारा संचालित और अनुरक्षित किये जाने वाले **सौ (100) मेडिकल एम्बुलेंस के लिए ₹15 करोड़ की संस्तुति करता है।** संबंधित जिला पंचायत और नगर निगम उस जनपद में कार्यरत 108 इमरजेंसी सेवा बेड़े के साथ इन एम्बुलेंसों की पूलिंग करने पर विचार कर सकते हैं। एक सुसज्जित मेडिकल एम्बुलेंस की अनुमानित इकाई लागत लगभग ₹15 लाख रुपये मानी गई है।

19.48 वाहनों का संचालन एवं रखरखाव – डम्पर ट्रको (प्रस्तर 19.43 में उल्लिखित): शव वाहनों (प्रस्तर 19.45 में उल्लिखित): स्कूल वाहनों (प्रस्तर 19.46 में उल्लिखित) और चिकित्सा एम्बुलेंस (प्रस्तर 19.47 में उल्लिखित) पीपीपी (निजी–सार्वजनिक भागीदारी) पद्धति पर आधारित होगा। शहरी स्थानीय निकाय/पंचायतीराज संस्था द्वारा चयनित निजी ऑपरेटर को संपूर्ण अनुबंध अवधि के लिए वाहन चालक की सेवाएं भी प्रदान करनी होंगी।

19.49 **आयोग पच्चीस (25) गौशालाओं के लिए ₹25 करोड़ की संस्तुति करता है,** जिन्हें सभी तेरह (13) जिला पंचायतों और ग्यारह (11) नगर निगमों द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित किया जाएगा। हरिद्वार नगर निगम एक अतिरिक्त गौशाला संचालित करेगा। गौशालाओं के संचालन और रखरखाव के लिए जिला पंचायतें और नगर निगम इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे सुविख्यात स्वैच्छिक और धर्मार्थ संस्थाओं/ संगठनों के साथ पी.पी.पी. (सार्वजनिक–निजी भागीदारी) अनुबन्ध कर सकते हैं। 100 जानवरों की क्षमता वाली एक गौशाला की इकाई लागत लगभग ₹1 करोड़ मानी गई है।

19.50 **आयोग पचपन (55) पशु देखभाल आश्रयों के लिए ₹5.5 करोड़ की संस्तुति करता है।** सभी ग्यारह (11) नगर निगमों और बयालिस (42) नगर पालिका परिषदों को प्रत्येक को अपने क्षेत्र में एक पशु देखभाल आश्रय स्थापित करने के लिए प्रति ईकाई ₹10 लाख अनुदान स्वरूप प्रदान किए जाएंगे। देहरादून नगर निगम को दो (2) अतिरिक्त पशु देखभाल आश्रय प्रदान किए जा रहे हैं। इन्हें पी.पी.पी. पद्धति में संचालित किया जाएगा। एक पशु देखभाल आश्रय की इकाई लागत लगभग ₹10 लाख मानी गई है।

19.51 प्रत्येक जनपद में सम्बन्धित जिला पंचायत के लिए **आयोग तेरह (13) वृद्धाश्रम के लिए ₹65 करोड़ संस्तुति करता है**। इस उद्देशय के लिए प्रत्येक जनपद को ₹5 करोड़ प्रदान किए जाएंगे। इनके संचालन और रखरखाव के लिए पी.पी.पी. पद्धति को अपनाने का सुझाव है।

19.52 देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, काशीपुर, रुड़की और श्रीनगर नगर निगमों तथा शेष जनपदों के मुख्यालय की नगर पालिका परिषदों (उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और चंपावत), जिन्हें इन नगर निगमों /नगर पालिका परिषदों द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित किया जाएगा, में प्रत्येक में एक **आश्रय गृह (शैल्टर होम) हेतु आयोग ₹15 करोड़ की संस्तुति करता है।** इन नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों के क्षेत्र में ऐसे एक शैल्टर होम को स्थापित करने के लिए ₹1 करोड़ आवंटित किया जाता है। यह सुविधा पी.पी.पी. पद्धति में संचालित की जायेगी।

19.53 नगर निगम देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर में प्रत्येक के लिए एक, **कुल 04 कामकाजी महिला छात्रावास,** जिन्हें लागत वसूली के आधार पर संचालित और अनुरक्षित किया जाएगा, **के लिए आयोग ₹ 20 करोड़ की संस्तुति करता है।** पचास (50) महिलाओं के लिए एक ऐसे छात्रावास की स्थापना हेतु ₹5 करोड़ आवंटित किए जा रहे हैं। यह सुविधा पी.पी.पी. पद्धति में संचालित की जायेगी।

19.54 **सभी नगरीय स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण** (ITDA) **द्वारा विद्यमान जनोपयोगी सेवाओं** (Public Utilities) **के मानचित्रीकरण करने के लिए आयोग ₹50 करोड़ की संस्तुति करता है।** यह राज्य में भविष्य के बुनियादी ढांचे के बैहतर विकास के नियोजन करने में सहायक होगा। शहरीकरण के बढ़ने के साथ विभिन्न श्रेणियों के सड़क संजाल के अतिरिक्त

जनोपयोगी सेवाओं के संजाल समूह/तंत्र– जैसे जल पाइपलाइन, सीवेज नेटवर्क, जल निकास तंत्र, भूमिगत विद्युत केबल, दूरसंचार कॉपर केबल, दूरसंचार और इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं के ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइपलाइन आदि – की विद्यमानता कोई भी अनुभव कर सकता है। बहुधा विभिन्न एजेंसियां आपसी सामन्जस्य से काम नहीं करतीं, और सड़कें मरम्मत /अनुरक्षण के लिए अथवा अतिरिक्त लाईनें डालने के लिए बार–बार खोदी जाती हैं। इससे लाइनों के आपसी प्रतिच्छेदन से जुडाव के कारण सार्वजनिक असुविधा और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। आधुनिक युग में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग आवश्यक है। इसके लिए यह अतिआवश्यक है कि किसी स्थानीय निकाय की सभी संपत्तियों और जनोपयोगी सेवाओं का भलीभांति मानचित्रण किया जाय और सम्बन्धित स्थानीय निकाय– विभिन्न श्रेणियों के शहरी स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों की सम्पूर्ण आकड़ों तक पहुंच हो। इससे ये स्थानीय निकाय, स्थानीय निवासियों को बेहतर प्रतिक्रियाशील रूप से अपनी सेवाएं दे सकेंगे और संबंधित एजेंसी को, जनता को व्यवधान के समय की जानकारी को प्रभावीपूर्ण रूप से सूचित करते हुए, संचालन कार्यों की अनुमति दे सकेंगे। साथ ही विभिन्न जनोपयोगी सेवाओं में खतरनाक प्रकृति के प्रतिच्छेद न होने को सुनिश्चित कर पायेंगे। प्रत्येक ऐजेंसी के पास अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और भूमिगत कार्य की उस गहराई जिसमें क्रियाकलाप किए जा सकते हैं, के सम्बन्ध में विशिष्ट संकेतावली (कोड) होते हैं। इन संकेतावलियों (कोडों) को नगर पालिका और पंचायत प्राधिकारियों के साथ साझा करना होगा ताकि सामाजिक ऑडिट प्रभावी ढंग से किया जा सके। यह एक दुर्भर कार्य है, और छठे राज्य वित्त आयोग का मत है कि केवल कोई तकनीकी एजेंसी जो सभी सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी उपकरणों का पूरा ज्ञान रखती हो, इसे सफलतापूर्वक कर सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण (ITDA) राज्य सरकार की एक पेशेवर तकनीकी संस्था है, जो सहयोगी एजेंसियों के साथ यह कार्य कर सकती है। इस कार्य के लिए ₹50 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो सभी शहरी स्थानीय निकायों और सभी पंचायतों (ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों) को आच्छादित करेगा। उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (U-COST) और सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण (ITDA) को, एक दूसरे के कार्यों के अनुपूरक व प्रतिपूरक होने से, आपसी निकट सहयोग और समन्वय से कार्य करना होगा।

19.55 शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के व्यापक प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और पुनर्प्रशिक्षण पाठय क्रम के लिए आयोग पाँच वर्षों हेतु ₹50 करोड़ की संस्तुति करता है। इन संस्थाओं का ध्यानकेन्द्र निम्नानुसार होगा–

i. उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान सभी पंचायतीराज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एंव जिला पंचायत) के निर्वाचित प्रतिनिधियों और ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एंव जिला पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मियों के व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार करे।

ii. राज्य नगरीय विकास संस्थान, जो डॉ. आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में कार्यरत है, सभी शहरी स्थानीय निकायों (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम) के निर्वाचित प्रतिनिधियों और नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम स्तर पर कार्यरत कर्मियों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार करे।

iii. पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो देहरादून में स्थित है, सभी पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों निर्वाचित प्रतिनिधियों को वित्त, लेखा, बजट और ऑडिट से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करे।

डॉ. आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी, नैनीताल इस कार्य के लिए चयनित सभी संस्थाओं के सभी स्तरों पर समान रूप से समन्वित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने वाली संस्था होगी।

इस सम्बन्ध में निम्नानुसार धनराशि आवंटित की जायेगी–

1.	डॉ. आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी, नैनीताल	**–15 करोड़**
2.	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, रुद्रपुर	**–20 करोड़**
3.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन	**–15 करोड़**
	कुल राशि	**–50 करोड़**

पंचायती राज निदेशालय और शहरी विकास निदेशालय को पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण को समन्वित रूप से सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं से समन्वय करना होगा।

19.56 सम्पूर्ण तीर्थयात्रा एवं पर्यटन मार्गों में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित किये जाने वाले **गढ़वाल रसोई और कुमाऊँ रसोई की स्थापना हेतु, उत्तराखण्ड के व्यंजनों को इन रसोईयों के माध्यम से ब्रांड नाम से पहचान देने के उद्देश्य से, आयोग जिला पंचायतों के लिए ₹20 करोड़ की संस्तुति करता है।** गढ़वाल रसोई, हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में चार धाम यात्रा मार्ग को आच्छादित करेगी। हरिद्वार और देहरादून जिला पंचायतों को ₹1 करोड़ प्रत्येक को आवंटित किया जाता है। अन्य जनपद (उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली) के जिला पंचायतों को ₹2 करोड़ प्रत्येक को आवंटित किया जाता है। इसी तरह कुमाऊँ मण्डल में ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिला पंचायतों को ₹1 करोड़ प्रत्येक को और जिला पंचायत अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं चंपावत को ₹1.5 करोड़ प्रत्येक को स्वयं सहायता समूहों की दुकानों (आउटलेट्स) के रूप में कुमाऊँ रसोई की श्रृंखला स्थापित करने के लिए आवंटित किये जाते हैं।

इन गतिविधियों का नियोजन उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की सहायता से किया जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद यात्रा सघन बिंदुओं को गढ़वाल रसोई और कुमाऊँ रसोई हेतु स्वयं सहायता समूहों के स्थलों को चिन्हित/निश्चित करेगा और आवश्यक भौतिक बुनियादी ढांचे को मानकीकृत करेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट स्थानीय क्षेत्र के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मानकों के अनुरूप मानक व्यंजनों के सम्बन्ध में तकनीकी एवं व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

19.57 विरासत स्थलों के विकास एवं अनुरक्षण के लिए आयोग ₹13 करोड़ (प्रति जिला पंचायत ₹1 करोड़) की संस्तुति करता है। इसका उद्देश्य उन उपेक्षित स्थलों को पुनर्स्थापित और अनुरक्षित करना है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या राज्य के संस्कृति विभाग के अंतर्गत और देख–रेख तथा पर्यवेक्षणाधीन नहीं हैं। इस उद्देश्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट (INTACH) की सहायता ली जा सकती है। दूरस्थ क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला पंचायतों को राज्य सरकार के संबंधित विभागों से परामर्श कर संरक्षण गतिविधियों को लागू क्रियान्वित करना होगा।

19.58 सभी तीर्थयात्रा एवं पर्यटन मार्गों पर तथा जनपद मुख्यालयों में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए आयोग ₹30 करोड़ की संस्तुति करता है। इन सुविधाओं का संचालन और अनुरक्षण उपयोगकर्ता शुल्क वसूली के आधार पर किया जाएगा। शौचालय निर्माण की राशि चार धाम और मानसखंड मार्गों के पर्वतीय क्षेत्र के जिला पंचायतों को प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद् स्थानीय रूप से बिखरे हुए तरीके से जिला पंचायतों के साथ समन्वय करके शौचालयों के स्थल नियत करेगा, ताकि यात्रियों की

इन सार्वजनिक सुविधाओं तक आसान पहुँच हो। पर्वतीय क्षेत्र के 10 जिला पंचायतों (उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत) प्रत्येक को ₹3 करोड़ आवंटित किये जाते है।

19.59 **आयोग आपदा आपातकालीन कोष के रूप में पर्वतीय ग्राम पंचायतों के निर्वतन में रखने के लिए ₹55 करोड़ की संस्तुति करता है।** पहले प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में पर्वतीय ग्राम पंचायतों द्वारा इसका उपयोग आपदा के तत्काल बाद आपातिक स्थिति से निपटने एवं बचाव और राहत कार्यों के लिए तब किया जाएगा, जब जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/ विभाग से धन उपलब्ध न हो या प्रतिपूर्ति योग्य न हो। यह कोष व्यपगत नहीं होगा। वित्त विभाग द्वारा **11 पर्वतीय जनपदों** (हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर) के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से प्रत्येक जनपद के लिए **₹5 करोड़** सीधे आवंटित किए जाएँगे, ताकि आपदा के दृष्टिकोण से संवेदनशील ग्राम पंचायतों तक उनके अंश की राशि सीधे पहुंचे।

19.60 **आयोग राज्य में उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् द्वारा किये जाने वाले नगरीय और क्षेत्रीय नियोजन के लिए ₹50 करोड़ की संस्तुति करता है।** यह संपूर्ण राज्य की सभी शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं को आच्छादित करेगा। **उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् नोडल प्राधिकारी के रूप में** विशेषज्ञ संस्थानों (मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक, स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–रूड़की, राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान आदि) और सभी हितधारकों, जैसे– विकास प्राधिकरणों सहित शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं के साथ परामर्श करेगा। यह प्रक्रिया सामन्जस्यपूर्ण शहरी और ग्रामीण विकास का आधार बनेगा, जिससे राज्य 'विकसित भारत' की दिशा में आगे बढ़ेगा।

19.61 नैनीताल तथा ऊधम सिंह जनपदों में (रुद्रपुर, काशीपुर, रामनगर, टनकपुर, हल्द्वानी और मुरादाबाद को लेते हुए) एवं जनपद देहरादून व हरिद्वार में (देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की और सहारनपुर को लेते हुए) **क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (RRTS-Regional Rapid Transit System) के पूर्व–संभाव्यता अध्ययन के लिए आयोग ₹50 करोड़ की संस्तुति करता है।**

19.62 **आयोग तीन वैश्विक क्षमता केन्द्रों** (GCCs- Global Capability Centers) **की स्थापना के लिए ₹150 करोड़ की संस्तुति करता है।** इन वैश्विक क्षमता केन्द्रों को जिला पंचायत और निकटतम नगर निगम के संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित किया जाएगा। आयोग निम्नलिखित संयुक्त उपक्रमों को चिन्हित किया है–

(i) रुद्रपुर वैश्विक क्षमता केन्द्र – जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर तथा नगर निगम रुद्रपुर/काशीपुर।
(ii) हरिद्वार वैश्विक क्षमता केन्द्र – जिला पंचायत हरिद्वार तथा नगर निगम हरिद्वार/रुड़की।
(iii) देहरादून वैश्विक क्षमता केन्द्र – जिला पंचायत देहरादून तथा नगर निगम देहरादून।

इन प्रत्येक तीन संयुक्त उपक्रमों को जनपद ऊधम सिंह नगर के लिए सिडकुल (State Infrastructure and Industrial Development Corporation of Uttarakhand Limited) एवं एक शैक्षणिक संस्थान (गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय– GBPUAT), जनपद हरिद्वार के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान– रुड़की और जनपद देहरादून के लिए ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऋषिकेश तथा दून विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम करना होगा।

राज्य सरकार को इन जनपद के लिए पर्याप्त और सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता के बूते प्रमुख निजी निवेशकों को आमंत्रित करना होगा। प्रत्येक मामले में वैश्विक क्षमता केन्द्र के संचालन हेतु एक विशेष प्रयोजन संस्था (SPV) स्थापित की जा सकती है। संबंधित स्थानीय निकाय (जिला पंचायत/नगर निगम) को इस विशेष प्रयोजन संस्था में भूमि अथवा स्वामित्व हिस्सेदारी राशि निवेश (पूंजी निवेश) के रूप में अपनी स्वामित्व भागीदारी रखनी होगी। **यहां उद्देश्य यह है कि 4P – PPPP (Public–Private–**

Panchayat Partnership /सार्वजनिक–निजी–पंचायत सहभागीदारी) पद्धति प्रोत्साहित हो ताकि संबंधित जिला पंचायत/नगर निगम के राजस्व की वृद्धि हो सके।

प्रत्येक वैश्विक क्षमता केन्द्र को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए केंद्रित किया जा सकता है (अमृत कृषि– गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सहयोग से भारतीय कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता; अमृत आरोग्य– ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऋषिकेश के सहयोग से भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता; अमृत उद्योग– भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के सहयोग से भारतीय विनिर्माण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता; अमृत विद्या– दून विश्वविद्यालय, देहरादून के सहयोग से भारतीय शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता; अमृत नीति– सेतु आयोग तथा बैंकिंग संस्थानों के सहयोग से भारतीय वित्तीय सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता)

19.63 शहरी चुनौती कोष तक पहुँच: हाल ही में भारत सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की वर्तमान चुनौतियों के समाधान के लिए 'शहरी चुनौती कोष–Urban Challenge Fund' की शुरुआत की घोषणा की गई है। राज्य सरकार को चाहिए कि वह राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के लिए इस निधि का अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु एक समन्वित रणनीति तैयार करे। यह रणनीति उपर्युक्त प्रमुख परियोजनाओं–जैसे क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (RRTS) तथा वैश्विक क्षमता केन्द्रों (GCCs) के लिए समकक्ष वित्तपोषण के रूप में हो सकती है।

19.64 राज्य सरकार, नगरीय स्थानीय निकायों/पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत शेष प्रस्तावों/परियोजनाओं (जिन्हें विवरण अभाव आदि के कारण छठवॉ राज्य वित्त आयोग द्वारा निधि दिये जाने हेतु संस्तुत नहीं किया गया है) पर परीक्षणोपरान्त विचार कर सकती है। ऐसे प्रस्ताव/परियोजनाओं की स्वीकृति लगभग रू0 855 करोड़ की सीमा तक की जा सकती है। इस प्रकार कुल स्वीकृत प्रस्तावों की कुल अनुदान सहायता (नीचे दी गई तालिका के अनुसार रू0 1145 करोड़ सहित) रू0 2000 करोड़ हो जायेगी।

सहायक अनुदान संस्तुतियाँ– एक दृष्टि में

क्रम संख्या	अनुशंसित प्रस्ताव/परियोजना/योजना/कार्यक्रम	अनुशंसित राशि (करोड़ रुपये में)
1	बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री के तीन गैर–निर्वाचित नगर पंचायतों को 5 वर्षों के लिए क्रमशः ₹3 करोड़, ₹2.75 करोड़ और ₹2.25 करोड़ प्रति वर्ष की दर से वार्षिक सहायता अनुदान।	40.00
2	35 शहरी स्थानीय निकायों के लिए भवन कर छूट के सापेक्ष 5 वर्षों के लिए ₹25.20 करोड़ का वार्षिक सहायता अनुदान।	126.00
3	राज्य नगरीय विकास संस्थान (SIUD) के लिए 5 वर्षों हेतु ₹1.5 करोड़ की दर से वार्षिक सहायता अनुदान।	7.50
4	शहरी स्थानीय निकायों एवं जिला पंचायतों की बकाया प्रतिबद्ध देनदारियों के विरुद्ध एकमुश्त सहायता अनुदान।	132.00
5	हल्द्वानी नगर निगम के राजकीय इंटर कॉलेज (छात्र) भवन के लिए एकमुश्त सहायता अनुदान।	3.15
6	नगर निगम हल्द्वानी के भवन विस्तार हेतु एकमुश्त सहायता अनुदान।	5.00
7	नगर पालिका परिषद पुरोला के पुस्तकालय हेतु पुस्तकों एवं उपकरणों के क्रय के लिए एकमुश्त सहायता अनुदान।	0.30
8	नगर पालिका परिषद बागेश्वर के नुमाइशखेत, मिनी स्टेडियम के निर्माण तथा सौंदर्यीकरण आदि हेतु एकमुश्त सहायता अनुदान।	5.00
9	नगर निगम, रुड़की के जल निकास कार्य के लिए एकमुश्त सहायता अनुदान।	5.00

क्रम संख्या	अनुशंसित प्रस्ताव / परियोजना / योजना / कार्यक्रम	अनुशंसित राशि (करोड़ रुपये में)
10	शहरी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के लिए 233 कचरा डंपर ट्रकों की खरीद हेतु एकमुश्त सहायता अनुदान।	80.00
11	शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के लिए भराव स्थल और अपशिष्ट निपटान हेतु एकमुश्त सहायता अनुदान।	100.00
12	शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के लिए 21 विद्युत शवदाह गृहों हेतु एकमुश्त सहायता अनुदान।	7.00
13	जिला पंचायतों के निवर्तन पर 95 शव वाहनों हेतु एकमुश्त सहायता अनुदान।	6.00
14	11 पर्वतीय जिला पंचायतों के लिए 55 स्कूल वैन हेतु एकमुश्त सहायता अनुदान।	11.00
15	जिला पंचायतों एवं नगर निगमों के लिए 100 मेडिकल एंबुलेंस हेतु एकमुश्त सहायता अनुदान।	15.00
16	13 जिला पंचायतों और 11 नगर निगमों में गौशालाओं हेतु एकमुश्त सहायता अनुदान।	25.00
17	नगर निगमों और 42 नगर पालिका परिषदों के लिए 55 पशु शरणालयों हेतु एकमुश्त सहायता अनुदान।	5.50
18	जिला पंचायतों के लिए 13 वृद्धाश्रमों हेतु एकमुश्त सहायता अनुदान।	65.00
19	नगर निगमों / नगर पालिका परिषदों के लिए 15 रैन बसेरों हेतु एकमुश्त सहायता अनुदान।	15.00
20	देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर नगर निगमों में 4 कामकाजी महिला छात्रावासों हेतु एकमुश्त सहायता अनुदान।	20.00
21	सभी शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतों में सार्वजनिक उपयोगिताओं की मैपिंग हेतु ITDA को एकमुश्त सहायता अनुदान।	50.00
22	नगर निकायों एवं पंचायतों के लिए प्रशिक्षण, क्षमता विकास एवं और पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु एकमुश्त सहायता अनुदान।	50.00
23	जिला पंचायतों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं रसोइयों हेतु एकमुश्त सहायता अनुदान।	20.00
24	विरासत स्थलों के रखरखाव और विकास हेतु जिला पंचायतों के लिए एकमुश्त सहायता अनुदान।	13.00
25	10 पर्वतीय जिला पंचायतों के लिए सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण हेतु एकमुश्त सहायता अनुदान।	30.00
26	पर्वतीय ग्राम पंचायतों के लिए आपदा आपातकालीन निधि हेतु एकमुश्त सहायता अनुदान।	55.00
27	शहरी और क्षेत्रीय नियोजन हेतु U-COST के लिए एकमुश्त सहायता अनुदान।	50.00
28	RRTS के लिए पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन (Pre-feasibility Study) हेतु एकमुश्त सहायता अनुदान।	50.00
29	वैश्विक क्षमता केन्द्रों की (GCCs) स्थापना हेतु एकमुश्त सहायता अनुदान।	150.00
	कुल योग	**1146.45**

टिप्पणीः विस्तृत विवरण हेतु संस्तुतियों के सुसंगत प्रस्तर अवलोकनीय।

ग. अन्य संस्तुतियाँ

19.65 "सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन", जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित **"विकसित भारत"** के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए त्रिआयामी मंत्रों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, शासन की किसी भी व्यवस्था– चाहे वह केंद्रीय, राज्य या स्थानीय स्तर पर हो–के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन मंत्रों को ठोस वास्तविकता में परिवर्तित करने की जिम्मेदारी–ताकि राज्य के स्थानीय निकाय सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर, स्वायत्त, सुदृढ़, उत्तरदायी और पारदर्शी बन सकें तथा वे नागरिकों की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए उन्हें सुरक्षित, सुविधाजनक और स्वस्थ वातावरण तथा आवश्यक सेवाएँ प्रदान कर सकें–केवल राज्य सरकार पर ही नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं पर भी समान रूप से निर्भर करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें न केवल पहल करनी चाहिए, बल्कि "विकसित भारत" के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए इस दिशा में तीव्र प्रगति करने का प्रयास भी करना चाहिए। यदि इन मंत्रों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लक्ष्य/उपलब्धि स्तर यदि पहले से निर्धारित नहीं किए गए हैं, तो राज्य सरकार के लिए यह उपयुक्त होगा कि वह अपने स्तर पर तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की प्रत्येक संबंधित श्रेणी के लिए इन्हें चिन्हित करे और उनकी प्राप्ति के लिए एक निश्चित समय–सीमा भी निर्धारित करे।

19.66 यह कहना अनावश्यक है कि शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले वेतन, पेंशन तथा भत्ते इन संस्थाओं की आय पर, विशेषकर उन्हें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्राप्त होने वाले वित्तीय हस्तान्तरणों पर, प्रथम देय होते है। आयोग को अवगत कराया गया है कि राज्य के शहरी स्थानीय निकायों की केन्द्रीयत सेवा संवर्ग के सेवानिवृत्त कर्मियों के सम्बन्ध में वार्षिक पेंशन देयता ₹5,66,11,808 है। पूर्ववर्ती आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि शहरी स्थानीय निकायो को दिए जाने वाले कुल वार्षिक वित्तीय हस्तांतरण का 2% राज्य स्तर पर स्थापित किए जाने वाले एक कोष में स्थानांतरित किया जाए, ताकि केंद्रीयत सेवा संवर्ग के लिए नियमित पेंशन भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। हमें बताया गया है कि इस अनुशंसा पर कार्यवाही की जा चुकी है। **हम पुनः यह दोहराते हैं कि इस व्यवस्था को आगे भी जारी रखा जाना चाहिए। इस संबंध में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में आयोग को कोई सूचना या अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। यह माना जाता है कि इस विषय में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में कोई समान समस्या या कठिनाई नहीं है। तथापि, सरकार पंचायती राज संस्थाओं के केंद्रीकृत संवर्गों के लिए भी उपर्युक्त व्यवस्था को अपनाने पर विचार कर सकती है।**

19.67 उत्तराखंड राज्य के पास राजस्व संसाधन सीमित हैं और इन संसाधनों पर मांग का अत्यधिक दबाव है, जो भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है। इसलिए राज्य सरकार के लिए **अपने स्वयं के संसाधनों को बढ़ाने तथा व्यय पर नियंत्रण रखने की विशेष आवश्यकता है।** तदनुसार, कार्यों के अनावश्यक दोहराव को रोकने, सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित कर परिसंपत्तियों के संचालन, रखरखाव और संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए निर्मित परिसंपत्तियों के दीर्घकालिक एवं सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने, परिसंपत्तियों के निर्माण के समय गुणवत्ता सुनिश्चित करने, तथा टाले जा सकने वाले और अनुत्पादक राजस्व एवं पूंजीगत व्ययों को कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और निष्पादित कार्यों का नियमित मूल्यांकन तथा उपयोगिता–आधारित अध्ययन/अनुसंधान किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए नियोजन विभाग के माध्यम से वर्तमान तकनीकी मूल्यांकन, संपरीक्षण और मूल्यांकन प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए, जिसमें तृतीय पक्ष एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन संपरीक्षण की व्यवस्था भी शामिल हो। हम समझते हैं कि इस संबंध में पूर्ववर्ती राज्य योजना आयोग में एक तंत्र मौजूद था। **अतः सेतु आयोग की आंतरिक विशेषज्ञता और विषयगत ज्ञान का इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। स्वतंत्र तृतीय–पक्ष एजेंसियों की नियुक्ति सेतु आयोग को सम्मिलित करते हुए की जा सकती है, जो कार्यान्वयन**

करने वाले विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करने का कार्य भी कर सकता है।

19.68 यद्यपि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के क्रियान्वयन को लगभग 32 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियों में सूचीबद्ध शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जाने वाले कार्यों, दायित्वों और जिम्मेदारियों का एक बड़ा भाग अभी भी राज्य में इन स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना शेष है। यहाँ तक कि जो कार्य और जिम्मेदारियाँ इन्हें सौंप दी गई हैं, उनका भी प्रभावी रूप से निर्वहन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये संस्थाएँ अभी पर्याप्त रूप से सशक्त, सक्षम और सुदृढ़ नहीं बन पाई हैं। इस संदर्भ में जहाँ एक ओर राज्य सरकार को इन संस्थाओं को आवश्यक कार्य, कर्तव्य, जिम्मेदारियाँ और संसाधन हस्तांतरित करने के लिए एक स्पष्ट ढाँचा स्थापित करना तथा ठोस कदम उठाना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर इनके कार्य निष्पादन का नियमित आकलन/मूल्यांकन किया जाना भी उतना ही आवश्यक है। **यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकार को प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर विभागीय पर्यवेक्षण स्तरों तथा पूर्ववर्ती प्रस्तरों में अनुशंसित स्वतंत्र तृतीय–पक्ष एजेंसियों के माध्यम से इन स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का आकलन, मूल्यांकन और अध्ययन कराना चाहिए तथा ऐसे आकलनों, मूल्यांकनों और निष्कर्षों के आधार पर उचित सुधारात्मक (यहाँ तक कि दंडात्मक) कदम उठाने चाहिए।** इस व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण पंचायती संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, तथा साथ ही उन सरकारी एजेंसियों/संस्थाओं के प्रदर्शन का भी आकलन/मूल्यांकन किया जाना चाहिए जो ग्रामीण पंचायती संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए संवैधानिक रूप से निर्धारित विषयों/कार्यों का निष्पादन कर रही हैं; **प्राप्त निष्कर्षों/परिणामों के आधार पर तुलनात्मक श्रेणीकरण/मानक निर्धारण भी किया जाना चाहिए।** यह दायित्व शहरी स्थानीय निकायों के मामले में राज्य नगरीय विकास संस्थान (SIUD), नैनीताल को तथा ग्रामीण पंचायती संस्थाओं के लिए उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, रुद्रपुर को सौंपा जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, यह कार्य राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों या अन्य स्वतंत्र संस्थाओं के माध्यम से भी कराया जा सकता है।

19.69 शहरी क्षेत्रों में विभिन्न सेवा प्रदाय एवं आधारभूत संरचना विकास से संबंधित कार्य अनेक वित्तीय स्रोतों से तथा विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किए जाते हैं। इनके क्रियान्वयन के समय में समन्वय के अभाव के कारण प्रायः यह देखा जाता है कि एक ही सड़क को कई बार खोदा और पुनः बनाया जाता है। इससे न केवल अनावश्यक व्यय और कार्यों की पुनरावृत्ति होती है, बल्कि आम जनता को बार–बार असुविधा का सामना भी करना पड़ता है। यद्यपि वर्तमान में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के स्तर पर निर्देश मौजूद हैं, किंतु वे या तो प्रभावी सिद्ध नहीं हुए हैं या फिर क्रियान्वयन एजेंसियों में इस संबंध में आवश्यक इच्छाशक्ति या उत्तरदायित्व की भावना का अभाव है। उचित होगा कि सभी विभाग/क्रियान्वयन एजेंसियाँ आगामी वर्ष में किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की समय सारिणी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन महीनों के दौरान, जिला मजिस्ट्रेट, संबंधित शहरी स्थानीय निकाय तथा जिला योजना समिति के सचिव को प्रस्तुत करें। इसमें प्रत्येक कार्य के आरंभ से लेकर पूर्णता तक की अवधि स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, स्थानीय निकाय तथा जिला योजना समिति के सचिव के साथ मिलकर प्राप्त कार्यों की समय–सीमा और विवरण को संकलित करें तथा इस प्रकार से कार्यों के क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान करें कि कार्यों की पुनरावृत्ति और धन की बर्बादी से बचा जा सके, साथ ही वित्तीय एवं स्थानीय संसाधनों का सर्वोत्तम और सुविचारित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

19.70 कुछ वर्ष पूर्व तक राज्य सरकार के आय–व्ययक में विकास व्यय को दो शीर्षों–आयोजनागत और आयोजनेत्तर–के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता था। यह उल्लेखनीय है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग की स्थापना और पंचवर्षीय योजनाओं की परिकल्पना के साथ देश के विकास के लिए

प्रत्येक पाँच वर्षीय अवधि के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पूर्व निर्धारित किया जाता था और उसी के अनुसार उन्हें प्राथमिकता देकर क्रियान्वित किया जाता था। हाल के वर्षों में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है और पंचवर्षीय योजना ढाँचे के स्थान पर "विकसित भारत" के दृष्टिकोण के अंतर्गत विकास कार्यों तथा राष्ट्रीय विकास की गति और दिशा को ठोस रूप देने की व्यवस्था अपनाई गई है। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति–विचार मंच है, जो नीतिगत तथा दिशात्मक सुझाव प्रदान करता है और राष्ट्र के रूपांतरण से संबंधित पहलों में भारत सरकार का सहयोग करता है। इसी प्रकार, उत्तराखंड सरकार ने भी "सेतु आयोग" की स्थापना की है, जो राज्य के रूपांतरण और सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार को समय–समय पर दिशात्मक एवं नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है। इन परिवर्तनों के साथ राज्य सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली और बजट शीर्षों के अंतर्गत आयोजनागत और आयोजनात्तर के रूप में व्ययों को दर्शाने और लेखांकन करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, और अब इन्हें केवल राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों/व्ययों के रूप में ही दर्शाया और लेखांकित किया जाता है। इस प्रकार राज्य सरकार अब किसी विशेष वर्ष या मध्यम/दीर्घकालीन अवधि के लिए यह केंद्रीय रूप से निर्धारित नहीं करती कि किन आर्थिक क्षेत्रों और विशिष्ट गतिविधियों पर अधिक व्यय किया जाना चाहिए, न ही विभिन्न गतिविधियों/विषयों के लिए नीतिगत व्यय लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इसके स्थान पर विभाग अपनी आवश्यकताओं या प्राथमिकताओं के अनुसार योजनाएँ तैयार कर रहे हैं और बजटीय प्रावधान कर रहे हैं। सीमित संसाधनों तथा कठिन भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों वाले राज्य के लिए ऐसी स्थिति उपयुक्त नहीं मानी जा सकती। **इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि सेतु आयोग द्वारा तैयार की जाने वाली नीतिगत एवं दिशात्मक प्रस्तावनाओं तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें अपनाने के अनुरूप विभागवार प्राथमिकताओं का निर्धारण करने की व्यवस्था की जाए तथा वार्षिक एवं मध्यम/दीर्घकालीन व्यय प्रावधान/परिव्यय को भी इंगित किया जाए। इसी के अनुरूप राज्य सरकार का वार्षिक बजट तैयार किया जाए** तथा विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं/कार्यों का चयन, पहचान और क्रियान्वयन भी उसी आधार पर किया जाए। यह भी उल्लेखनीय है कि जिला योजना प्रक्रिया के अंतर्गत इसी प्रकार की व्यवस्था किसी न किसी रूप में पहले से विद्यमान है।

19.71 संविधान के अनुच्छेद 243ब तथा बारहवीं अनुसूची के अंतर्गत नगरीय योजना/नगर योजना को प्रथम विषय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में उत्तराखंड में यह कार्य राज्य में लागू उत्तराखंड (पूर्व में उत्तर प्रदेश) नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अंतर्गत गठित 13 जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों, उत्तराखंड आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण तथा उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा संपादित किया जा रहा है, जबकि शहरी मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा किया जाता है। जनपदों भ्रमणों के दौरान आयोग को जनप्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों के लिए मास्टर प्लान तैयार नहीं किए जा रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि नगर लगातार विस्तार कर रहे हैं और मास्टर प्लान के अभाव में शहर, उनके विस्तारित क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्र अव्यवस्थित (अनियोजित) रूप से विकसित हो रहे हैं। उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग वर्तमान में उत्तराखंड आवास विभाग के अधीन कार्य करता है। **आयोग का मत है कि 74वें संवैधानिक संशोधन के बाद पूर्व से प्रचलित नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम को संविधान की भावना के अनुरूप एक नए अधिनियम से प्रतिस्थापित किया जाना उपयुक्त होगा। इस नए अधिनियम में यह प्रावधान होना चाहिए कि सभी नगरों/शहरी स्थानीय निकायों के लिए, चाहे व्यक्तिगत रूप से या एक से अधिक स्थानीय निकायों के समूह (क्लस्टर) के रूप में, नवीनतम उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करते हुए एकीकृत ढंग से मास्टर प्लान तैयार किए जाएँ। इन मास्टर प्लानों में उन आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो परिनगरीय क्षेत्र में आते हैं और जो निकट भविष्य या दीर्घकाल में (लगभग 20 से 30 वर्ष की समयावधि में) शहरी क्षेत्रों के समूहों**

या शहरी गलियारों के रूप में विकसित होने की संभावना रखते हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी उपयुक्त होगा कि–

1. उत्तराखंड राज्य में आवास विभाग और शहरी विकास विभाग को विलय कर एकीकृत "उत्तराखंड आवास एवं शहरी विकास विभाग" की स्थापना की जाए।
2. उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को इस एकीकृत विभाग के अधीन रखा जाए। साथ ही शहरी विकास निदेशालय का पुनर्गठन कर उसे आवास एवं शहरी विकास निदेशालय के रूप में स्थापित किया जाए।
3. वर्तमान शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हुए एक नया "उत्तराखंड शहरी एवं ग्रामीण नियोजन तथा विकास अधिनियम" बनाया जाए, जिसमें संविधान की बारहवीं अनुसूची के अंतर्गत परिकल्पित शहरी/नगर नियोजन कार्यों के अनुरूप शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका और सहभागिता को स्पष्ट रूप से समाहित किया जाए। साथ ही, इस अधिनियम में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाले सभी शहरी स्थानीय निकायों तथा संबंधित ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी मास्टर प्लान की तैयारी और अनुमोदन प्रक्रिया में हो तथा प्रस्तावों को संबंधित शहरी स्थानीय निकाय अथवा पंचायतों द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाए।

उक्त संस्तुतियाँ प्रशासनिक सुधार एवं सुशासन श्रेणी में आते है।

19.72 यद्यपि नगरों की सीमाएँ उनके गठन या विस्तार के समय निर्धारित कर दी जाती हैं, फिर भी नगरों/शहरों के आसपास स्थित परिनगरीय क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं, वहाँ भी तीव्र जनसंख्या वृद्धि और अव्यवस्थित विकास देखा जा रहा है। किंतु इन क्षेत्रों में प्रायः पर्याप्त आधारभूत संरचना विकास तथा नागरिक सेवाओं/सुविधाओं की कमी बनी रहती है या इन्हें उपेक्षित कर दिया जाता है। जब बाद में ऐसे क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है या नए शहरी स्थानीय निकायों के रूप में गठित किया जाता है, तब पूर्व में योजनाबद्ध विकास की उपेक्षा, अधिक जनसंख्या घनत्व, संकीर्ण सड़कों, तथा पार्क और पार्किंग स्थलों के अभाव के कारण अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। **अतः ऐसे क्षेत्रों के साथ–साथ दो या अधिक शहरी स्थानीय निकायों के समूह के लिए भी अग्रिम रूप से दीर्घकालिक शहरी योजनाएँ/मास्टर प्लान तैयार किए जाने चाहिए, जिनमें जी.आई.एस. जैसी नई तकनीकों का उपयोग किया जाए। इन योजनाओं में आसपास के तथा मध्यवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों को भी समाहित किया जाना चाहिए, साथ ही उन शहरी गलियारों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो विकसित हो रहे हैं, विकसित हो चुके हैं अथवा भविष्य में विकसित होने की संभावना रखते हैं। चंपावत जिले में आयोजित बैठक के दौरान आयोग को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अवगत कराया गया कि जिला स्तर की योजना उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, तथा स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर, नई दिल्ली आदि संस्थाओं के सहयोग से तैयार की जा रही है। आयोग का सुझाव है कि इस कार्य के लिए उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (U-COST) को नोडल एजेंसी नामित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जैसी संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर समग्र एवं यथार्थपरक दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार कराने में सहायता कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त व्यवस्था के अनुरूप बड़े क्षेत्रों एवं क्षेत्रीय समूहों के लिए मास्टर प्लान तैयार करने, तथा नगरीय नियोजन से संबंधित मानचित्र स्वीकृति एवं अन्य प्रक्रियाओं के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण की एक या अधिक उपयुक्त शाखाएँ (संबंधित स्टाफ सहित) संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के नियंत्रण में कार्य करें। इस व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित क्षेत्र से प्राप्त होने वाले राजस्व का एक भाग (लगभग 20 से 30 प्रतिशत) संबंधित विकास प्राधिकरण के साथ साझा किया जाना चाहिए।**

यह एक ऐसी अनुशंसा है जो प्रशासनिक सुधार की श्रेणी में आती है।

परिनगरीय क्षेत्रों में लाइन विभागों, निगमों और पैरा–स्टेटल संस्थाओं को उन नागरिक सेवाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, जो वर्तमान में विद्यमान पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। इस संदर्भ में जिला विकास प्राधिकरणों तथा मंडी परिषद/समितियों को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए तथा जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय इनके बीच समन्वय सुनिश्चित करे।

यह संस्तुति सुशासन सम्बन्धी है।

19.73 नवीनतम प्रौद्योगिकियों तथा कार्य प्रक्रियाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, शहरी विकास विभाग को नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर निगमों के लिए जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर एक मानक कार्मिक संरचना तैयार करनी चाहिए, जिसमें विभिन्न स्तरों पर शाखा–वार पदनाम तथा पदों के वेतनमान स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाएँ। इसी प्रकार, पंचायती राज विभाग को जिला पंचायतों के लिए भी एक मानक कार्मिक संरचना तैयार करनी चाहिए।

यह अनुशंसा प्रशासनिक सुधार की प्रकृति की है।

19.74 जिन मामलों में शहरी स्थानीय निकायों में नई प्रौद्योगिकियों पर आधारित कंप्यूटर आधारित लेखांकन तथा संबंधित प्रणालियाँ लागू नहीं की गई हैं, वहाँ सामान्यतः कार्मिकों या प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी को इसका कारण बताया जाता है। **उचित होगा कि सभी शहरी स्थानीय निकाय तथा जिला पंचायतें अपने लेखांकन कार्य को इस उद्देश्य के लिए निर्धारित एक समान मानक सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए कंप्यूटर आधारित प्रणाली के माध्यम से संपादित करें (दो अलग–अलग सॉफ्टवेयर प्रणालियाँ–एक शहरी स्थानीय निकायों के लिए तथा दूसरी पंचायती राज संस्थाओं के लिए)। इसके लिए आवश्यकता होने पर बाहरी स्रोतों से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सेवाएँ ली जा सकती हैं। इससे एक ओर लेखांकन कार्य समय पर और सही ढंग से संपादित होगा तथा दूसरी ओर मौजूदा कार्मिकों को भी इस प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्राप्त होगा। शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक लेखांकन मैनुअल पहले से उपलब्ध है। इसी प्रकार पंचायतों के लिए भी एक लेखांकन मैनुअल तैयार कर निर्धारित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायतों में दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।**

यह अनुशंसा प्रशासनिक सुधार की प्रकृति की है।

19.75 आयोग की जिला स्तरीय बैठकों और भ्रमणों के दौरान लगभग सभी संबंधित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की सीमाओं के भीतर स्थित सार्वजनिक भूमि के सर्वेक्षण, पहचान, मापन तथा उसका स्वामित्व/कब्जा संबंधित निकाय को हस्तांतरित करने का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया गया। अधिकांश शहरी स्थानीय निकाय, विशेषकर नव–निर्मित और उन्नत (अपग्रेडेड) निकाय, इस बात से अनभिज्ञ पाए गए कि कौन–कौन सी भूमि उन्हें हस्तांतरित की जानी चाहिए। यह स्पष्ट है कि भूमि वह सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति/संसाधन है, जिसका उपयोग शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सेवाएँ प्रदान करने तथा राजस्व सृजन के लिए करना चाहिए। **अतः यह अनुशंसा की जाती है कि राजस्व विभाग, अन्य भूमि स्वामी सरकारी विभागों, तथा संबंधित स्थानीय निकाय के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम गठित कर ऐसी सभी सार्वजनिक भूमि का सर्वेक्षण एवं पहचान की जाए, जिन्हें संबंधित स्थानीय निकाय को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। साथ ही, पहचानी गई भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक विशेष अभियान के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।**

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्था की भूमि का सर्वेक्षण और पहचान करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए तथा प्रत्येक स्थानीय निकाय के लिए भूमि बैंक तैयार कर उसे संबंधित स्थानीय निकाय के परिसंपत्ति पंजिका में अभिलेखित किया जाना चाहिए। यह संबंधित शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के भूमि बैंक का आधार बनेगा।

उपरोक्त अनुशंसा प्रशासनिक सुधार तथा सुशासन दोनों को बढ़ावा देने की श्रेणी में आती है।

19.76 दिनांक 1 अप्रैल 2024 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 66,847 पद रिक्त पड़े थे, जिनका श्रेणीवार विवरण नीचे दिया गया है। इन पदों को भरने से राज्य सरकार के वेतन तथा उससे संबंधित व्यय में वृद्धि होगी। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर कई प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया है। नई प्रौद्योगिकियों और आधुनिक प्रणालियों के उपयोग के साथ अब प्रशासनिक इकाइयों और पदों की संख्या में अनावश्यक विस्तार की आवश्यकता नहीं रह गई है, विशेष रूप से तब जब सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अनेक सेवाएँ सीधे नागरिकों को प्रदान की जा रही हैं। यद्यपि उपर्युक्त अनुसार कई प्रशासनिक इकाइयाँ (जैसे तहसील आदि) बनाई गई हैं, फिर भी उनमें सृजित पद लंबे समय से रिक्त पड़े हुए हैं। इससे स्वाभाविक रूप से सुशासन तथा कार्यों के समयबद्ध निष्पादन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। **अतः आयोग यह अनुशंसा करता है कि इस प्रकार गठित प्रशासनिक इकाइयों को समीपवर्ती इकाइयों के साथ विलय कर उनकी संख्या को कम किया जाए। इससे मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित होगा तथा इस संबंध में वित्तीय व्यय में भी बचत होगी।**

क्र.सं.	पद श्रेणी	कुल स्वीकृत पद			कुल भरे हुए पद	कुल रिक्त पद
		स्थायी	अस्थायी	योग		
1	श्रेणी–क	9277	343	9620	6123	3497
2	श्रेणी–ख	13349	914	14263	9554	4709
3	श्रेणी–ग	161153	1605	162758	120280	42478
4	श्रेणी–घ	34441	17671	52112	35949	16163
	कुल	**218220**	**20533**	**238753**	**171906**	**66847**

स्रोत: वित्त विभाग, उत्तराखंड सरकार से प्राप्त विवरण।

19.77 राज्य में शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों, इन अधिनियमों के अंतर्गत गठित स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को सौंपे गए कार्यों/विषयों, तथा उनकी अपेक्षाओं की तुलना में कार्यक्षमता और समग्र रूप से कमजोर स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग ने यह अवलोकन किया है कि राज्य सरकार को इन संस्थाओं को सशक्त, सुदृढ़, स्वायत्त, सक्षम, पारदर्शी तथा नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए तत्काल और उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

अतः आयोग अनुशंसा करता है कि उत्तराखंड सरकार निम्नलिखित कार्यवाही करे–

1. **सभी श्रेणियों के शहरी स्थानीय निकायों के लिए सभी हितधारकों से समुचित परामर्श एवं सुझाव प्राप्त करने के उपरांत एक एकीकृत अधिनियम तथा उससे संबंधित नियम बनाए/प्रवर्तित किए जाने चाहिए। इस अधिनियम में कार्य, कार्मिक, वित्त, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व से संबंधित सभी पहलुओं को समुचित रूप से समाहित किया जाना चाहिए। कार्यों/विषयों के निर्धारण के लिए इस अधिनियम में केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ब तथा बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों को ही नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर के अन्य कार्यों/विषयों को भी शामिल किया जाना चाहिए।** चूँकि राज्य में स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले कार्य एवं गतिविधियाँ न केवल स्थानीय नागरिकों को प्रभावित करती हैं, बल्कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, **"विकसित स्थानीय निकाय"**, **"विकसित राज्य"** तथा अंततः **"विकसित राष्ट्र"** के निर्माण में भी योगदान देती हैं, इसलिए नागरिकों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जानी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग तथा अन्य सरकारी/अर्ध–सरकारी संस्थाएँ आधारभूत संरचना के विकास, उसके रखरखाव तथा विभिन्न सेवाओं के प्रदाय में संलग्न हैं। **अतः नए अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए कि ऐसे सभी विभाग और संस्थाएँ इन कार्यों को संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के नियंत्रण में संपादित करेंगे। वार्षिक योजनाओं की तैयारी, स्थल/लाभार्थी चयन, क्रय प्रक्रियाएँ/निविदाएँ, कार्यान्वयन, भुगतान, निगरानी एवं मूल्यांकन तथा सामाजिक अंकेक्षण के प्रत्येक चरण में संबंधित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपयुक्त प्रस्तावों को अनुमोदित किया जाना आवश्यक होगा, तभी कार्यों का क्रियान्वयन किया**

जाएगा। इसे और स्पष्ट करने के लिए अधिनियम में यह भी प्रावधान होना चाहिए कि राज्य स्तर पर सरकार सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक समान प्रणाली सुनिश्चित करेगी, जिसमें— नीति एवं दिशा–निर्देश, लेखा प्रणाली, तकनीकी मूल्यांकन, कार्यों एवं प्रदर्शन का बाह्य संपरीक्षण, कार्यान्वयन, भुगतान तथा प्राप्तियों की ऑनलाइन एवं रियल–टाइम निगरानी, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व शामिल होंगे।

इसी प्रकार कराधान के संबंध में अधिनियम में यह प्रावधान होना चाहिए कि राज्य सरकार करों के प्रकार, मानक कर दरें, कर निर्धारण प्रणाली, समय–समय पर (जैसे पाँच वर्षीय) कर पुनर्मूल्यांकन, करेत्तर राजस्व के प्रकार एवं उनकी मानक दरें, तथा उपयोगकर्ता शुल्क के प्रकार एवं उनकी मानक दरें के लिए नमूना/मानक विनियम तैयार करेगी।

शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे जाने वाले कार्यों/विषयों के संबंध में अधिनियम में यह भी प्रावधान होना चाहिए कि राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से कार्य–वार स्पष्ट मानचित्रण करते हुए यह निर्धारित करेगी कि जिला योजनाएँ, राज्य योजनाएँ तथा केंद्र प्रायोजित योजनाएँ सहित सभी योजनाओं और कार्यक्रमों में– वार्षिक योजना तैयार करना, स्थल चयन, लाभार्थी पहचान, समितियों का गठन, निविदा प्रक्रिया, अनुबंध, कार्यान्वयन, निगरानी, भुगतान, सामाजिक अंकेक्षण जैसी गतिविधियाँ शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर को किस प्रकार सौंपी जाएँगी। शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे गए सभी कार्यों का निष्पादन संबंधित सरकारी विभागों, सरकारी/अर्ध–सरकारी संस्थाओं तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा केवल संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के पर्यवेक्षण एवं अनुमोदन के अंतर्गत किया जाएगा। इस संदर्भ में विकास खंडों/पंचायतों में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था–जिसके अंतर्गत संबंधित विभागों/सरकारी अथवा अर्ध–सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, स्थापना तथा सेवा शर्तों से संबंधित सभी विषय संबंधित विभाग/संस्था के अधीन रहते हैं–को यथावत रखा जाना चाहिए। नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण की यह व्यवस्था, आवश्यकता अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों/पंचायतों द्वारा विकास प्राधिकरणों, विशेष प्रयोजन वाहनों/इकाइयों, परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों तथा अन्य समान संस्थाओं पर भी लागू होगी, जो बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए गठित की गई हैं, बशर्ते कि संबंधित वित्तपोषण एजेंसी की सहमति प्राप्त हो।

2. यद्यपि राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए **पंचायती राज अधिनियम, 2016** लागू है, तथापि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243छ तथा ग्यारहवीं अनुसूची के अनुपालन के लिए **इस अधिनियम में उचित संशोधन अथवा अद्यतन किया जाना चाहिए, ताकि बिंदु (1) में उल्लिखित अनुसार ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों/विषयों को ग्रामीण पंचायतों के तीनों स्तरों को सौंपा जा सके। इन कार्यों/विषयों के लिए कार्य–वार स्पष्ट मानचित्रण किया जाना चाहिए, जिसमें जिला योजनाएँ, राज्य योजनाएँ तथा केंद्र प्रायोजित योजनाएँ सहित सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को शामिल किया जाए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सौंपे गए कार्यों/गतिविधियों का निष्पादन सभी सरकारी विभागों, सरकारी अथवा अर्ध–सरकारी संस्थाओं, विशेष प्रयोजन वाहनों/इकाइयों, संस्थाओं तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा केवल संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के पर्यवेक्षण और अनुमोदन के अंतर्गत किया जाए। साथ ही, संबंधित विभागों/संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, स्थापना तथा सेवा शर्तों से संबंधित विषय पूर्ववत् संबंधित विभाग/संस्था के अधीन ही रहेंगे–यह द्वैत नियंत्रण प्रणाली कोई नई व्यवस्था नहीं है। पंचायतों द्वारा नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण की यह व्यवस्था विकास प्राधिकरणों, विशेष प्रयोजन वाहनों/इकाइयों, परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों तथा अन्य समान संस्थाओं पर भी लागू होगी, जो बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए गठित की गई हैं, बशर्ते कि संबंधित वित्तपोषण एजेंसी की सहमति प्राप्त हो।**

3. वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं की लेखा प्रणाली एवं वित्तीय लेन–देन का संधारण एकल–प्रविष्टि, नकद–आधारित प्रणाली के अंतर्गत किया जा रहा है तथा लेखांकन, वित्तीय सत्यापन, लेखा–परीक्षण और कार्य–प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए कोई पृथक मैनुअल या नियमावली उपलब्ध नहीं है। यद्यपि जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में लेखांकन एवं वित्तीय कार्यों के लिए कार्मिक उपलब्ध हैं, किंतु ग्राम पंचायत स्तर पर वित्त एवं लेखांकन कार्य के लिए कोई समर्पित कार्मिक उपलब्ध नहीं है। ऐसी

स्थिति में, **पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक समुचित लेखांकन मैनुअल तैयार किया जाना चाहिए, जो उत्तराखंड नगर लेखा मैनुअल के समान हो (सुझावित रूप से "उत्तराखंड पंचायत लेखा मैनुअल" नाम से)। इस मैनुअल में दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली, अर्थात अभिदेय–आधारित लेखांकन प्रणाली का प्रावधान होना चाहिए।** उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा सूचनाओं के प्रेषण के लिए भारत सरकार द्वारा वर्तमान में निर्धारित सॉफ्टवेयर/प्रणाली को, जब तक उसमें परिवर्तन या प्रतिस्थापन न हो, इस प्रणाली के साथ–साथ उपयोग में लाया जाना चाहिए। **पंचायती राज विभाग के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक पैनल होना चाहिए, जिन्हें प्रत्येक ग्राम पंचायत में लेखा संधारण के लिए नियुक्त किया जा सके। विधिवत चयनित सी0ए0 फर्में प्रत्येक माह निर्धारित तिथि पर अपने आवंटित ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेंगी और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान के समन्वय से मैनुअल में निर्धारित प्रारूपों के अनुसार लेखांकन कार्य सुनिश्चित करेंगी। वित्तीय वर्ष के अंत तक संबंधित सीए फर्में पूर्ण लेखा–विवरण तैयार करेंगी, जिसमें वित्तीय वर्ष के तुलनात्मक विवरण भी शामिल होंगे।** इन विवरणों को ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों में अनुमोदित/पारित किया जाएगा तथा समय पर निर्धारित प्राधिकारी, जिला पंचायत और पंचायती राज निदेशालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

19.78 पंचायतों के प्रमुख कार्य समग्र ग्रामीण विकास, जिसमें आधारभूत संरचना का विकास तथा विभिन्न सेवाओं का प्रदाय शामिल है, से संबंधित हैं। वर्तमान में पंचायत स्तर के अनेक कार्य विभिन्न विभागों, सरकारी तथा अर्ध–सरकारी संस्थाओं/पैरास्टेटल निकायों, तथा अन्य विद्यमान संस्थाओं–जैसे जिला विकास प्राधिकरणों और विशेष प्रयोजन इकाइयों/प्राधिकरणों–द्वारा भी संपादित किए जा रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के निर्माण एवं रखरखाव, सेवा प्रदाय तथा अन्य कार्यों का निष्पादन करते हैं। **आयोग अनुशंसा करता है कि ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग को एकीकृत कर "उत्तराखंड ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग" का गठन किया जाए, जिसके अंतर्गत "उत्तराखंड ग्रामीण एवं पंचायती राज निदेशालय" की स्थापना की जाए। यह एकीकृत निदेशालय ग्रामीण पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन, लेखांकन, कार्य–निष्पादन निगरानी तथा सेवा प्रदाय के लिए उपयुक्त दिशा–निर्देश निर्धारित करेगा और इन कार्यों की वास्तविक समय आधारित पारेषण तथा संधारण के लिए एकीकृत एवं मानकीकृत सॉफ्टवेयर विकसित करेगा। दोनों विभागों के एकीकरण के साथ ग्राम पंचायतों में वर्तमान में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के पदों का विलय किया जा सकता है। इससे पंचायत सचिवों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध हो सकेगी तथा प्रत्येक तीन से चार ग्राम पंचायतों पर कम से कम एक पंचायत सचिव सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह अनुशंसा प्रशासनिक सुधार की प्रकृति की है।**

19.79 आयोग के अनुसार स्वच्छता, साफ–सफाई तथा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन अत्यंत उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र हैं। किसी शहर को वास्तव में "स्वच्छ और हरित" बनाने के लिए उसकी छवि विज्ञापन होर्डिंग, नारे या "I love Mussoorie, Nainital" जैसे प्रदर्शनों से नहीं, बल्कि वास्तविक कार्य निष्पादन के माध्यम से प्रस्तुत होनी चाहिए। इस संदर्भ में कुछ कार्य/विषय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जैसे– ठोस अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन, किसी भी शहर या गाँव से सभी प्रकार के ठोस अपशिष्ट का संग्रहण और उसका वैज्ञानिक निस्तारण, अपशिष्ट जल का संग्रहण और वैज्ञानिक उपचार, वृक्षारोपण, पर्यावरण सुधार और संवर्धन, जो अत्यंत महत्वपूर्ण और सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विषय हैं।

शहरी स्थानीय निकायों में कचरे का जैव–अपघटनीय और अजैव–अपघटनीय अर्थात गीले और सूखे कचरे में पृथक्करण प्रायः उपेक्षित रहता है तथा आम जनता में इसके प्रति पर्याप्त जागरूकता नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप, जिन शहरी स्थानीय निकायों के पास कचरा भंडारण/निस्तारण स्थलों की कमी है, उनके लिए कचरा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन जाता है। चूँकि घरेलू स्तर पर 100% कचरा पृथक्करण नहीं हो पा रहा है, इसलिए शहरी स्थानीय निकायों को कचरे को अलग करने के लिए अतिरिक्त समय, कार्मिक और धन व्यय करना पड़ता है। साथ ही, कम्पोस्ट निर्माण तथा सूखे कचरे (जैसे प्लास्टिक, कागज, डिब्बे आदि) की बिक्री से संभावित राजस्व भी प्राप्त नहीं हो पाता। कुछ शहरी स्थानीय निकाय

इस कार्य को आंशिक रूप से संचालित कर रहे हैं, किंतु अधिकांश निकायों में स्थिति अभी भी अत्यंत दयनीय है। आयोग के कर्नाटक राज्य के भ्रमण के दौरान यह देखा गया कि वहाँ ग्राम पंचायतें भी कचरे का पृथक्करण करती हैं तथा विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे (जिसमें प्लास्टिक भी शामिल है) को अलग कर बिक्री के लिए तैयार करती हैं। अल्मोड़ा नगर निगम के साथ आयोजित बैठक में पूर्व अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ने यह सुझाव दिया कि अल्मोड़ा शहर में उपलब्ध स्थान की कमी को देखते हुए उच्च क्षमता वाले भस्मीकरण संयत्र (इंसीनेरेशन प्लांट) के उपयोग पर विचार किया जाना चाहिए। आयोग इस सुझाव पर कोई टिप्पणी नहीं करता और इस विषय को राज्य सरकार तथा संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के विचार एवं निर्णय पर छोड़ना उचित समझता है। हालाँकि **आयोग यह दृढ़ता से अनुशंसा करता है कि नागरिकों को पर्याप्त रूप से जागरूक और उत्तरदायी बनाने के लिए व्यापक और नियमित जन–जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा घरेलू स्तर पर 100% कचरा पृथक्करण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।**

राज्य के शहरी स्थानीय निकाय विभिन्न कारणों से घरों से 100% और नियमित रूप से कचरा संग्रहण करने में भी सक्षम नहीं हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कचरा प्रायः सड़कों, सार्वजनिक स्थलों, निजी खाली भूखंडों और नालियों में बिखरा या डाला हुआ पाया जाता है। कुछ मामलों में कुछ व्यक्ति संबंधित शहरी स्थानीय निकाय की अनुमति या प्राधिकार के बिना घरों से कचरा एकत्र करते हैं और इसके लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया या प्रणाली भी उपलब्ध नहीं है। परिणाम स्वरूप, ऐसे व्यक्ति कचरे को नालियों, खाली भूखंडों, सड़कों के किनारे या नदियों में फेंक देते हैं। **जहाँ घरेलू, वाणिज्यिक या औद्योगिक परिसरों में कचरा पृथक्करण नहीं किया जाता, वहाँ शहरी स्थानीय निकायों को उल्लंघन करने वालों पर पर्याप्त आर्थिक दंड (भारी जुर्माना) लगाने की व्यवस्था अपनानी चाहिए और इसके लिए नियमों में उपयुक्त प्रावधान किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि घरेलू या संस्थागत कचरा नियमित रूप से एकत्र नहीं किया जाता, तो नियमों में यह प्रावधान होना चाहिए कि दो दिनों से अधिक देरी होने पर उपयोगकर्ता शुल्क में क्रमिक कमी की जाए और इसे कड़ाई से लागू किया जाए। साथ ही, यदि सार्वजनिक स्थलों, नालियों या अन्य समान स्थानों पर कचरा बिखरा हुआ पाया जाता है, तो संबंधित क्षेत्र के स्वच्छता निरीक्षकों पर आर्थिक दंड लगाने की प्रक्रिया भी लागू की जानी चाहिए।**

19.80 राज्य में पंचायतों के लिए उत्तराखंड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति, 2017 तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2013 तथा उत्तराखंड वेस्ट–टू–एनर्जी नीति, 2019 भी लागू हैं। अब भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026" अधिसूचित किए हैं, जो 2016 के नियमों का स्थान लेंगे। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। नए नियमों के अनुसार स्रोत स्तर पर ठोस अपशिष्ट का चार–स्तरीय पृथक्करण अनिवार्य किया गया है। **आयोग अनुशंसा करता है कि राज्य सरकार तथा स्थानीय निकाय (सभी शहरी स्थानीय निकाय और सभी स्तरों की पंचायतें) इन विषयों पर उच्च प्राथमिकता के साथ, युद्ध–स्तर पर तथा निरंतर कार्य करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कदम अत्यंत आवश्यक हैं–**

1. **प्रत्येक घर और संस्थान/अधिठान में ठोस अपशिष्ट/कचरे का चार स्पष्ट श्रेणियों में पृथक्करण सुनिश्चित करना–** गीला कचरा (रसोई का कचरा आदि), सूखा कचरा (प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच आदि), स्वच्छता कचरा (डायपर, नैपकिन आदि) तथा विशेष देखभाल कचरा (बल्ब, बैटरी, दवाइयाँ आदि)।

2. स्थानीय निकाय स्वयं 100% घर–घर कचरा पृथक्करण प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए नागरिकों की 100% भागीदारी, उनकी जागरूकता और सतर्कता आवश्यक है। **अतः सरकार और स्थानीय निकायों को न केवल सभी स्तरों पर और सभी प्रकार के सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रमों और पहलों को निरंतर जारी रखना चाहिए, बल्कि उन घरों/संस्थाओं से, जो स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित तरीके से कचरे का पृथक्करण नहीं करते, भारी आर्थिक दंड लगाने और वसूलने की व्यवस्था भी करनी चाहिए।**

3. **100% घरेलू स्तर पर कचरा पृथक्करण के बाद, संबंधित स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी है कि वह हर दिन सभी घरों से कचरा एकत्रित करे। यदि 100% घरों से दैनिक कचरा संग्रहण नहीं होता और संग्रहण में दो दिनों से अधिक की देरी होती है, तो स्थानीय निकाय के पास प्रभावित घरों को मुआवजा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। घरेलू कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए, घरों से प्राप्त शिकायतों, जिनमें CCTV कैमरा फुटेज शामिल हो, को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। पृथक किए गए गीले (जैव–अपघटनीय) कचरे के लिए, घरों/संस्थाओं को इसे अपने परिसर में गड्ढे में डालकर जैविक कम्पोस्ट में परिवर्तित करना चाहिए। यदि किसी घर के पास जमीन उपलब्ध नहीं है, तो स्थानीय निकाय को, जब तक कि नियुक्त डंपिंग या कचरा निस्तारण स्थल उपलब्ध न हो, ऐसे कचरे को सबसे नजदीकी सार्वजनिक भूमि पर कम्पोस्टिंग के लिए तैयार किए गए गड्ढों में निस्तारित करना चाहिए। गांवों में, चूंकि घरों के पास जमीन होने की संभावना अधिक है, ऐसे कचरे के संग्रहण की आवश्यकता नहीं हो सकती। स्थानीय निकाय को सार्वजनिक भूमि की पहचान, घोषणा और प्रदर्शन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम्पोस्टिंग के लिए पर्याप्त आकार और संख्या के गड्ढे बनाए जाएँ।**

4. **सूखे (अजैव–अपघटनीय) कचरे का संग्रह, एकत्रीकरण, सघनकरण और बिक्री संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा 100% स्तर पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में विभिन्न सामग्री और उत्पादों–जैसे मोटे प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक रैपर, प्लास्टिक कंटेनर/बोतलें, टिन और अन्य धातु वस्तुएँ–को अलग–अलग ढेर या बंडल में पृथक किया जाना चाहिए और उचित रूप से बेचा जाना चाहिए।**

5. **स्वच्छता और विशेष देखभाल कचरे को घर/संस्थान स्तर पर निवासियों द्वारा पृथक और संग्रहित किया जाना चाहिए, जबकि 100% स्तर पर संग्रहण और निस्तारण संबंधित स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी होगी।**

6. उपरोक्त उपायों को लागू करने से, निस्तारण के लिए शेष बचा ठोस अपशिष्ट की वास्तविक मात्रा महत्त्वपूर्ण रूप से कम हो जाएगी, जिससे इसे वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित, बेचा या पुनःचक्रित करने की उचित व्यवस्थाएँ संभव होंगी और डंपिंग के लिए भूमि/स्थान की आवश्यकता भी कम हो जाएगी। यह ध्यान देने योग्य है कि उत्तराखंड में भूमि की अनुपलब्धता ठोस अपशिष्ट निस्तारण में एक मुख्य बाधा/समस्या है।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में, कचरा संग्रहण जिला पंचायत या ब्लॉक (क्षेत्र) पंचायत स्तर पर किया जाता है, और अजैविक कचरे को प्रत्येक विकास खंड के लिए सौंपे गए सघनकरण इकाइयों तक पहुँचाया जाता है। वर्तमान में, ब्लॉकों में कचरा संग्रहण के लिए उपलब्ध वाहनों और सघनकरण इकाइयों की संख्या सीमित है। **आयोग अनुशंसा करता है कि, प्रत्येक ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, वाहनों और सघनकरण इकाइयों/स्थलों की संख्या को इष्टतम रूप से बढ़ाया जाए।**

8. **आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में, जो व्यक्ति कचरा बीनते हैं या घरों/संस्थाओं से कचरा एकत्र करते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से नगरपालिका द्वारा पंजीकृत किया जाना चाहिए। इसके लिए, राज्य सरकार द्वारा उनके लिए मानक दिशा–निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए।** इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी स्तर पर कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी उचित प्रक्रिया से भटकने न पाए।

9. **अपशिष्ट जल को सार्वजनिक नालियों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि इसे प्रत्येक घर में उपलब्ध स्थान पर निर्मित गड्ढे में निस्तारित किया जाना चाहिए। जहाँ यह संभव न हो, वहाँ इसे सीवर लाइन के माध्यम से निस्तारित किया जा सकता है, या जब तक ऐसे प्रावधान नहीं बन जाते, इसे नियुक्त सार्वजनिक स्थलों पर उपयुक्त आकार के गड्ढों में निस्तारित किया जाना चाहिए।**

10. **किसी भी स्थिति में शहरों या गाँवों में अपशिष्ट जल को नालियों या नदियों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, और ठोस अपशिष्ट को भी इन नालियों/नदियों में नहीं फेंका जाना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में नालियों या नदियों में कचरा पाया जाता है, तो उस क्षेत्र के स्वच्छता निरीक्षक पर आर्थिक दंड**

लगाने की प्रणाली होनी चाहिए और साथ ही उस क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक दंड भी लागू किया जाना चाहिए, साथ ही भविष्य में इस प्रकार के डंपिंग को रोकने के उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

19.81 जिला स्तर पर आयोजित बैठकों के दौरान आयोग को यह जानकारी दी गई कि पंचायतों–विशेष रूप से ग्राम पंचायतों–ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छता कर्मियों को नियोजित करने की स्वीकृति का अनुरोध किया है। कुछ ग्राम पंचायतों में यह भी बताया गया कि जैसे ही कोई ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में अपग्रेड किया जाता है, स्वच्छता कर्मियों सहित कई पद तुरंत सृजित कर दिए जाते हैं। इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छता कर्मियों के लिए वर्तमान निर्धारित मानक की जगह प्रति हजार व्यक्ति आधार पर अधिक स्टाफिंग मानक तय करने की अनुमति/स्वीकृति के लिए भी अनुरोध किया गया। चूंकि अजैविक कचरे की समस्या, उसका घर–घर पृथक्करण और वैज्ञानिक निस्तारण पर्यावरण प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं, **आयोग अनुशंसा करता है कि राज्य सरकार ग्राम पंचायतों के लिए स्वच्छता कर्मियों की संख्या को जनसंख्या के आधार पर (अंशकालिक/बाहरी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से) अनुमोदित/स्वीकृत करे, और इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में प्रति हजार आबादी के आधार पर स्वच्छता कर्मियों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन करे।**

19.82 कई नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों और ग्राम पंचायतों की जनसंख्या बहुत कम है। किसी संस्था की वित्तीय स्थिति उसके आकार से प्रभावित होती है, और आकार की अर्थव्यवस्थाएँ के सिद्धांत के अनुसार, संस्था पर प्रति व्यक्ति व्यय भार भी प्रभावित होता है। अत्यंत कम जनसंख्या के कारण, ऐसे शहरी स्थानीय निकायों का प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय बहुत अधिक हो जाता है, जिससे वे वित्तीय सहायता/अनुदानों पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं, जबकि उनकी स्वयं की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम रहती है। इसके अलावा, योजनाबद्ध शहरी विकास के लिए, कई छोटे पड़ोसी निकायों की तुलना में एक बड़ा शहरी स्थानीय निकाय बनाना अधिक उपयोगी और उपयुक्त होता है। अत्यंत कम जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों के मामले में, चुनाव के बाद भी, कई सदस्य या प्रधान पद लंबे समय तक रिक्त रह जाते हैं, जिससे ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रभावी गठन लंबे समय तक नहीं हो पाता। **अतः आयोग की सबल अनुशंसा है कि—**

1. **कई पड़ोसी ग्राम पंचायतों को विलय करके एक बड़ी ग्राम पंचायत बनाई जानी चाहिए।** इससे प्रत्येक ग्राम पंचायत सचिव के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या भी सीमित होगी।
2. **अत्यंत कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत या नगर परिषद नहीं बनाई जानी चाहिए। साथ ही, मौजूदा नजदीकी शहरी स्थानीय निकायों को विलय करके एक बड़ा शहरी स्थानीय निकाय बनाया जाना चाहिए।**

यह अनुशंसा प्रशासनिक सुधार के स्वरूप में है।

19.83 राज्य में शहरीकरण की गति तेज है, न केवल शहरी जनसंख्या के संदर्भ में, बल्कि शहरी स्थानीय निकायों की संख्या और श्रेणी के संदर्भ में भी। इसी कारण, पिछले पांच राज्य वित्त आयोगों के अधिनिर्णय अवधियों में, शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित वित्तीय हिस्सा धीरे–धीरे बढ़ता गया, और वर्तमान में वे वित्तीय हस्तांतरण का 60% प्राप्त कर रहे हैं। **शहरीकरण की गति भविष्य में भी तेज बनी रहने की संभावना है, जिससे पंचायती राज संस्थाओं के लिए सापेक्षित कम वित्तीय हिस्सा रह जायेगा। इसके अलावा, राज्य सरकार भी वित्तीय आवंटन/हस्तांतरण को एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ा सकेगी। अतः आयोग दृढ़ता से अनुशंसा करता है कि: एक ओर, शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए, करों के प्रकार, उनका दायरा, कर दरें, और विभिन्न सेवाओं के लिए उपभोक्ता शुल्क दरें निर्धारित और तय की जाएँ, और कर संग्रह में छूट देने से बचा जाए। दूसरी ओर, जिला पंचायतों के लिए समान प्रणाली सुनिश्चित की जाए, और ग्राम पंचायतों को भी अपना स्वयं का राजस्व उत्पन्न करने**

के लिए उचित ढांचा प्रदान किया जाए। ध्यान देने योग्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई प्रतिष्ठान और व्यवसाय–जैसे व्यापार, दुकानें, रिसॉर्ट, होटल और अन्य आर्थिक गतिविधियाँ–हैं, जिनसे कर, शुल्क और उपभोक्ता शुल्क आसानी से वसूला जा सकता है।

19.84 राज्य सरकार ने 5,765 ग्राम प्रहरी/चौकीदार को मासिक मानदेय पर नियुक्त करने की व्यवस्था की है, जो वर्तमान में प्रति व्यक्ति ₹2,000 प्रति माह प्राप्त कर रहे हैं, और इसका बजट गृह (पुलिस) विभाग के अंतर्गत है। इन ग्राम प्रहरी/प्रहरियों को अब आधिकारिक रूप से "ग्राम रक्षक" के रूप में मान्यता दी गई है। इन्हें संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन ग्राम पंचायत के साथ इनके संबंध और ग्राम पंचायत के प्रति उनकी जवाबदेही स्पष्ट नहीं है। **आयोग अनुशंसा करता है कि राज्य सरकार ग्राम रक्षकों और संबंधित ग्राम पंचायतों के बीच संबंध को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे।**

यह अनुशंसा प्रशासनिक सुधार के स्वरूप में है।

19.85 राज्य में **वन पंचायतों** की एक प्रणाली है, जिसके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पारंपरिक रूप से वन और पर्यावरण संबंधी गतिविधियाँ संचालित की जाती रही हैं। स्वाभाविक रूप से, यह प्रणाली वनरोपण, वन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोगी है। वर्तमान में, वन पंचायतें उत्तराखंड वन पंचायत नियमों के अंतर्गत कार्यरत हैं, और उन पर भारतीय वन अधिनियम की धारा 76 के साथ धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ लागू होती हैं। संविधान के 11वें अनुसूची में, मद 6 में सामाजिक वानिकी और फार्म फॉरेस्ट्री, तथा मद 12 में ईंधन और चारा शामिल हैं। इस प्रकार, ये कार्य पंचायतों को अनिवार्य रूप से सौंपे गए हैं, जिससे स्थानीय मुख्य गतिविधियों में जनभागीदारी सुनिश्चित होती है। **आयोग का मत है कि वन पंचायतें संबंधित ग्राम पंचायत के अंतर्गत कार्य करें। अतः आयोग अनुशंसा करता है कि वन पंचायत नियमों में संशोधन किया जाए, ताकि वन पंचायतों को उपयुक्त रूप से "ग्राम पंचायत के वन एवं पर्यावरण समिति" के रूप में पुनः नामित किया जा सके और वे उस क्षमता में कार्य करें।**

यह अनुशंसा प्रशासनिक सुधार के स्वरूप में है।

19.86 ग्राम पंचायतों, ब्लॉक/क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की बैठकों में विभिन्न विभागों या संस्थाओं के अधिकारी/कर्मचारी, जो संबंधित स्थानीय स्तर पर गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं, अक्सर अनुपस्थित रहते हैं। इसके परिणामस्वरूप, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों के अनुसार विभागों/संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों और पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों की आवश्यकताओं से संबंधित मामलों में जनता की सक्रिय भागीदारी सीमित या नगण्य रह जाती है। **आयोग अनुशंसा करता है कि इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित प्रत्येक पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी स्थानीय अधिकारियों और विभागों, सरकारी और अर्ध–सरकारी संस्थाओं के कर्मियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने चाहिए, जिसमें कहा जाए कि–**

1. **प्रत्येक वर्ष सितंबर के अंत तक, या अक्टूबर के पहले सप्ताह तक, विभाग को अगले वित्तीय वर्ष के लिए नियोजित सभी कार्यों (चालू और नए) की पूरी सूची संबंधित स्थानीय निकाय को प्रदान करनी चाहिए, जिसमें कार्य का नाम, स्थान, लागत, वर्तमान प्रगति, लक्षित पूर्णता तिथि और वित्तपोषण का स्रोत/प्रकार शामिल हो।**
2. **अगले वित्तीय वर्ष के लिए विभागीय कार्य/योजनाओं को पिछले वर्ष की अक्टूबर में आयोजित संबंधित स्थानीय निकाय की बैठक में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।**
3. **जब स्थानीय निकाय की वार्षिक विकास योजना (अगले वित्तीय वर्ष के लिए) को अनुमोदित किया जा रहा हो, तब विभाग यह सुनिश्चित करे कि उसके अपने कार्य (वित्तपोषण स्रोत, लागत आदि का विवरण सहित) भी अनुमोदित हों। समय के साथ, इन कार्यों को जिला योजना (या लागू योजना) में शामिल किया जाना चाहिए।**

4. **विभाग को कार्यों/योजनाओं की प्रगति (भौतिक और वित्तीय दोनों) के बारे में संबंधित स्थानीय निकाय को अद्यतन स्थिति प्रदान करनी चाहिए और उसकी बैठकों में भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।**

5. **किसी कार्य के पूरा होने पर, उसकी संपत्तियों को संबंधित स्थानीय निकाय के परिसंपत्ति पंजिका में अभिलेखित किया जाना चाहिए और उन्हें हस्तांतरित किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, इन संपत्तियों के रख–रखाव का प्रबंधन विभाग द्वारा जारी रहना चाहिए, जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाई जाती।**

उपरोक्त अनुशंसा सुशासन को बढ़ावा देने की श्रेणी में आती है।

19.87 भारत के संविधान के अनुच्छेद 243यघ के अन्तर्गत, जनपद के स्तर पर एक जिला योजना समिति गठित करने का प्रावधान है, जो पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तैयार वार्षिक योजनाओं को समेकित करते हुए पूरे जनपद के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार करे। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत, तीन स्तरों पर विकास योजनाओं की तैयारी अनिवार्य है—ग्राम पंचायत विकास योजना (धारा 28), ब्लॉक/क्षेत्र पंचायत विकास योजना (धारा 68), और जिला पंचायत विकास योजना (धारा 105)। ग्राम पंचायतों की योजनाओं को पहले ब्लॉक/क्षेत्र योजनाओं में समेकित किया जाता है, और एकीकृत एवं समेकित ब्लॉक पंचायतों की विकास योजनाओं के माध्यम से अंतिम रूप से जिला पंचायत विकास योजना में शामिल किया जाता है। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत, धारा 127–B के अनुसार, नगर पालिका को वार्षिक विकास योजना तैयार करनी होती है और उसे समेकन के लिए जिला योजना समिति को प्रस्तुत करना होता है। इसी तरह, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 383–क के अन्तर्गत, नगर निगमों को अपनी विकास योजनाएँ तैयार करनी होती हैं और उन्हें जिला योजना समिति को प्रस्तुत करना होता है। **उत्तराखंड राज्य सरकार ने "उत्तराखंड त्रि–स्तरीय पंचायत मॉडल योजना" नामक एक पुस्तिका जारी की है,** जिसमें सभी तीन स्तरों की पंचायतों के वार्षिक विकास योजनाओं की तैयारी, उच्च स्तर की योजनाओं में समेकन, और अंतिम रूप से जिला योजना में शामिल करने की समय–सीमा, प्रक्रिया और अनुमोदन तंत्र के विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। आयोग ने देखा है कि पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वार्षिक विकास योजनाओं की तैयारी और उन्हें जिला योजना में **समेकित करना अभी तक प्रभावी रूप से नहीं किया जा रहा है। आयोग अनुशंसा करता है कि यह प्रक्रिया किसी भी हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए: जिला योजना समिति के संयुक्त सचिव (जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी अधिकारी) और जिला योजना समिति के सचिव (जिला मुख्य विकास अधिकारी) को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए कि वे सुनिश्चित करें कि जनपद की सभी पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की वार्षिक विकास योजनाओं का समेकन किया गया हो और इन्हें जिला योजना में शामिल किया गया हो। यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाना चाहिए कि मसौदा जिला योजना पर विचार करने से पहले, जिला योजना समिति यह सुनिश्चित करे कि सभी पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की वार्षिक योजनाएँ पूरी तरह से जिला योजना में समेकित की गई हैं।**

वर्तमान में, जनपद के प्रभारी मंत्री को जिला योजना समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। **आयोग अनुशंसा करता है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष को जिला योजना समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। जपपद के नगर निगम के महापौर को उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाए। जिला कलेक्टर को सह–अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाए, जबकि मुख्य विकास अधिकारी समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करें।**

जिला योजना का संकलन और समेकन तथा उसके अनुमोदन के बाद, एवं इसके उपरान्त कार्यान्वयन, प्रगति और व्यय की नियमित समीक्षा/निगरानी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए। केंद्रीय वित्तपोषित, राज्य वित्तपोषित, बाह्य वित्त पोषित, अन्य स्रोतों से वित्तपोषित या राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य अंततः स्थानीय विकास और सेवा वितरण के लिए होते हैं। इसलिए **आयोग अनुशंसा करता है**

कि विभिन्न स्रोतों माध्यम वित्तपोषित एवं राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों अन्तर्गत आवंटनों माध्यम वित्त पोषित व अनुमोदित कार्यों सहित जिला योजना की तैयारी, अनुमोदन और प्रगति समीक्षा/अनुश्रवण नियमित समयावधियों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए।
उपरोक्त अनुशंसा सुशासन को बढ़ावा देने की श्रेणी में आती है।

19.88 भारत सरकार ने **"विकसित भारत 2047"** के दृष्टिकोण के अन्तर्गत चार स्तंभों—युवा, गरीब, महिलाएँ और किसान—पर केंद्रित पहल शुरू की हैं, ताकि आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सततता को बढ़ावा दिया जा सके। एक **"विकसित भारत"** के लिए **"विकसित राज्य"** की आवश्यकता है, और एक **"विकसित राज्य"** के लिए **"विकसित स्वशासी स्थानीय निकाय"** का होना अनिवार्य है। इस प्रकार, सभी स्तरों के स्थानीय निकायों को अपनी योजनाओं को इस तरह संरेखित करना चाहिए कि वे अगले 20–25 वर्षों में प्राप्त किए जाने योग्य लक्ष्यों का निर्माण कर सकें और उन्हें अपने वार्षिक योजनाओं के माध्यम से लागू करें। विभिन्न कारणों से, स्थानीय शासन इकाइयाँ अकेले इन लक्ष्यों को हासिल करने की स्थिति में नहीं हो सकती हैं और यह उनके लिए व्यवहारिक भी नहीं है। इसलिए, स्थानीय निकायों को आपसी सहयोग का तंत्र अपनाना चाहिएः जैसे पंचायत–पंचायत–सार्वजनिक, पंचायत –शहरी निकाय–सार्वजनिक, या पंचायत–निजी–सार्वजनिक साझेदारी, ताकि वे एक–दूसरे की ताकतों का लाभ उठा सकें, कमजोरियों को दूर कर सकें, और विकास लक्ष्यों को हासिल करने और निवेश आकर्षित करने के लिए चुनौतियों को सामूहिक रूप से पार कर सकें। इसके लिए उन्हें जी.आई.एस. और अन्य आधुनिक तकनीकों एवं कार्यप्रणालियों का उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार, शहरी मास्टर प्लानिंग में भी ऐसी तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि नजदीकी शहरी निकायों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को समूहबद्ध किया जा सके, और दीर्घकालिक (25–30 वर्ष) के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा सके।

19.89 राज्य में तीव्र शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए, नए शहर अस्तित्व में आ रहे हैं तथा मौजूदा शहरों का विस्तार भी हो रहा है, और स्वाभाविक रूप से इस गति/प्रक्रिया के आगे और तेज होने की संभावना है। इस संदर्भ में, राज्य में कई शहरी गलियारे पहले से विकसित हो चुके हैं या विकासाधीन हैं। इनमें से निम्नलिखित दो प्रमुख गलियारे विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं और इनमें **क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली** की आवश्यकता प्रतीत होती है:

1. **शिवालिक चतुर्भुज– देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की** शहरों के बीच तथा इनके मध्य स्थित घनी आबादी वाले और विकासशील क्षेत्रों के लिए तीव्र परिवहन प्रणाली विकसित करने पर विचार किया जाए। इसके साथ ही **रुड़की से सहारनपुर** तक संपर्क का विस्तार करना भी वांछनीय है, क्योंकि यह सामाजिक–आर्थिक विकास कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण भाग है।
2. **कुमाऊँ गेटवे– काशीपुर, रुद्रपुर और टनकपुर के बीच** गलियारे के लिए तीव्र परिवहन प्रणाली पर विचार किया जाए, साथ ही **रुद्रपुर से हल्द्वानी को जोड़ने** वाली शाखाओं तथा **मुरादाबाद–काशीपुर–रामनगर खंड से संपर्क** स्थापित किया जाए, क्योंकि यह एक सतत सामाजिक–आर्थिक गलियारे का निर्माण करता है।
3. राज्य सरकार भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर दिल्ली–मेरठ–मुजफ्फरनगर RRTS को हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए भी पहल कर सकती है।

   आयोग उपरोक्त प्रस्तावों के लिए पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन कराने हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के पक्ष में है।

19.90 शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों को चुनावों के तुरंत बाद तथा उसके पश्चात समय–समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वे अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें। वर्तमान में नैनीताल में राज्य नगरीय विकास संस्थान स्थापित और संचालित है तथा रुद्रपुर में उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज

संस्थान कार्यरत है। इसके अतिरिक्त सुद्धोवाला, देहरादून में पंडित दीन दयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र भी उपलब्ध है। **आयोग अनुशंसा करता है कि शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रशिक्षण** राज्य नगरीय विकास संस्थान **के माध्यम से तथा पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण** उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, **रुद्रपुर के माध्यम से आयोजित किया जाए। इसके अतिरिक्त, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इन दोनों संस्थानों को इन गतिविधियों के संचालन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, सुद्धोवाला, देहरादून स्थित वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का उपयोग भी शहरी स्थानीय निकायों और ग्रामीण पंचायतों के प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है।**

उपरोक्त अनुशंसा सुशासन को बढ़ावा देने की श्रेणी में आती है।

19.91 शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव एक लगातार बनी रहने वाली समस्या है, विशेषकर हरिद्वार जिले (रुड़की क्षेत्र) में। इसलिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की, उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर तथा यू–कॉस्ट की सहायता से एक ड्रेनेज/जल प्रबंधन मास्टर प्लान तैयार किया जाना चाहिए। इसके क्रियान्वयन के लिए विभिन्न वित्तीय संसाधनों, जिनमें केंद्र प्रायोजित योजनाएँ तथा राज्य वित्तपोषित योजनाएँ शामिल हैं, का उपयोग किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की से भी सहयोग प्राप्त करना लाभकारी होगा।

19.92 शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य एवं केंद्र सरकार के वित्तपोषण सहित विभिन्न माध्यमों से परिसंपत्तियों का सृजन किया जाता है। तथापि, रखरखाव या पर्याप्त ध्यान के अभाव में ये परिसंपत्तियाँ प्रायः लंबे समय तक उपयोगी नहीं रह पाती हैं। इसलिए संबंधित निकायों को यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे सभी वित्तीय स्रोतों से सृजित परिसंपत्तियों को अपने–अपने परिसंपत्ति पंजिका में अभिलेखित करें तथा उनके नियमित रखरखाव को सुनिश्चित करें। इन कार्यों को संपादित करने के लिए उन्हें आवश्यक अधिकार भी प्रदान किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में निकटतम नगर निगम या नगर परिषद (जैसा लागू हो) को नोडल निकाय के रूप में नामित करने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

सभी शहरी स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को **सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन संस्थानों** के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। यह आवश्यक है ताकि विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध संसाधनों का इन परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। **दीर्घकालिक दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है कि परिसंपत्तियों के मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत प्रतिवर्ष रखरखाव घटक के रूप में प्रदान किया जाए। केवल इसी व्यवस्था के माध्यम से परिसंपत्तियों का सुव्यवस्थित और तर्कसंगत रखरखाव सुनिश्चित किया जा सकेगा।** यह अनुशंसा इस उद्देश्य से की जा रही है कि राज्य सरकार को अपने स्थानीय स्वशासी निकायों में विभिन्न स्रोतों से सृजित परिसंपत्तियों का समग्र दृष्टिकोण प्राप्त हो सके।

19.93 सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में अब यह संभव हो गया है कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को उनके घरों के निकट ही जानकारी और सेवाएँ प्रदान की जा सकें। तथापि, अभी भी सभी गाँवों में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) उपलब्ध नहीं हैं। **इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि पंचायत भवन या उसके परिसर में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएँ।** इससे नागरिकों को अपने घरों के पास ही सुविधाजनक रूप से सेवाएँ प्राप्त हो सकेंगी, और ग्राम पंचायत भी कॉमन सर्विस सेंटर का उपयोग सूचना आदान–प्रदान तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए कर सकेगी।

स्वचालन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के व्यापक प्रसार को देखते हुए यह महसूस किया जा रहा है कि एनआईसी, जो भारत सरकार की एक संस्था है, को अपना विस्तार विकास खंड (क्षेत्र पंचायत) स्तर तक करना चाहिए। वर्तमान में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) जिला स्तर पर जनपद सूचना

विज्ञान केन्द्र (DIC) के रूप में हैं। **अब समय आ गया है कि ब्लॉक सूचना विज्ञान केन्द्रों (BICs) की स्थापना की जाए।** यह अत्यंत वांछनीय है कि BICs को आधारभूत संरचना के रूप में डेटा सेंटरों से सुदृढ़ किया जाए। विकसित हो रहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित अनुप्रयोगों के लिए इसकी आवश्यकता है।

यह अनुशंसा प्रशासनिक सुधार तथा सुशासन दोनों की श्रेणी में आती है।

19.94 यद्यपि देश के अनेक नगर निकाय **"म्युनिसिपल बॉन्ड"** या अन्य माध्यमों से पूंजी निवेश जुटाकर आधारभूत ढाँचा विकास परियोजनाएँ संचालित कर रहे हैं, परंतु उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं (जिला पंचायतों) की वित्तीय स्थिति अभी इतनी सुदृढ़ नहीं है कि वे ऐसे निवेश को आकर्षित कर सकें। **अतः आयोग सुझाव देता है कि राज्य सरकार उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को उनकी अवसंरचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुपक्षीय वित्तपोषण (जैसे विश्व बैंक, एडीबी, एआईआईबी आदि) के माध्यम से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने पर विचार करे।** इस उद्देश्य से राज्य सरकार लगभग **1 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का **सिंडिकेटेड ऋण** विभिन्न स्रोतों, विशेषकर बहुपक्षीय वित्तपोषण संस्थाओं से प्राप्त कर सकती है। इसके पश्चात राज्य सरकार इस राशि को ऋण के रूप में शहरी स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों को उनकी अवसंरचना आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपलब्ध करा सकती है, जिससे उनके राजस्व स्रोतों को भी सुदृढ़ किया जा सके। **इन शहरी स्थानीय निकायों एवं जिला पंचायतों में ऋण लेने की प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि इन संस्थाओं को दिए गए ऋण और उस पर देय ब्याज की वसूली उनके भविष्य में प्राप्त होने वाले वित्तीय हस्तांतरण की राशि, जिसके वे हकदार हैं, से समायोजित करके की जाए।** राज्य सरकार उपर्युक्त अनुशंसाओं पर विचार कर, यदि सहमत हो, तो शहरी स्थानीय निकायों एवं जिला पंचायतों की ओर से वित्तीय उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश तैयार कर सकती है। इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय विकास संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली सॉफ्ट लोन रिकवरी प्रणाली की पद्धति को अपनाया जा सकता है।

19.95 वर्तमान में पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ते प्रदान किए जाते हैं, जबकि कुछ मामलों में उन्हें किसी प्रकार का भत्ता प्राप्त नहीं होता। जनपदों में आयोजित **जन–सुनवाइयों के दौरान निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता प्रदान करने तथा स्वीकृत भत्ता दरों में वृद्धि करने की माँग की गई। चूँकि यह विषय सरकार के स्तर से संबंधित है, इसलिए आयोग इसे विचार एवं निर्णय के लिए राज्य सरकार को संदर्भित करता है।** जिला स्तर की जन–सुनवाइयों के दौरान यह भी अवगत कराया गया कि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों का एक बड़ा हिस्सा भत्तों के भुगतान में व्यय हो जाता है, जिसके कारण विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं रह पाती। यह भी बताया गया कि आपदा या अन्य आकस्मिक परिस्थितियों से उत्पन्न तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। **आयोग का मत है कि भत्तों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदानों से अलग रखा जाना चाहिए, तथा इस उद्देश्य के लिए एक पृथक बजटीय प्रावधान किया जाना चाहिए।** इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को आपदा प्रबंधन तथा अन्य तात्कालिक आवश्यकताओं से संबंधित आपात कार्यों/कार्यों के निष्पादन के लिए भी उपयुक्त व्यवस्थाएँ करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में शहरी स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएँ अग्रिम पंक्ति में कार्य करती हैं।

19.96 यह सुझाव/मांग की गई कि शहरी स्थानीय निकायों तथा ग्रामीण पंचायतों के प्रतिनिधियों को भी विधायक और सांसद निधि के समान धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। इस विषय पर आयोग की कोई स्पष्ट राय नहीं है और इसे विचारार्थ राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

19.97 संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के प्रभावी होने के लगभग 32 वर्ष बीत जाने के बाद भी राज्य में स्थानीय शासन इकाइयाँ—वित्तीय संसाधनों, कार्यात्मक दायित्वों, कार्मिक व्यवस्था, उनके प्रदर्शन तथा उधार लेने की क्षमता के संदर्भ में—अभी तक पर्याप्त रूप से सशक्त, सक्षम और प्रभावी नहीं बन पाई हैं। **"विकसित भारत"** के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए **"विकसित ग्राम"**, **"विकसित नगर"** और परिणामस्वरूप **"विकसित स्थानीय निकाय"** की दिशा में कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। उत्तराखंड राज्य में प्रत्येक पाँच वर्षीय अनुशंसा अवधि के लिए नियमित रूप से राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, और इसकी अधिकांश अनुशंसाओं को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है तथा कई मामलों में उन पर कार्यवाही भी की गई है। तथापि, आयोग ने यह भी देखा है कि कई मामलों में अनुशंसाओं को स्वीकार किए जाने के बावजूद उन पर अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई है। उदाहरण के लिए, पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर कुमाऊँ मंडल की छह जिला पंचायतों में, जहाँ संपत्ति एवं विभव कर नहीं लगाया जा रहा था, तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किए थे और उत्तराखंड के प्रथम राज्य वित्त आयोग ने भी उनके क्रियान्वयन की अनुशंसा की थी। यद्यपि सरकार ने इसे स्वीकृति प्रदान की, फिर भी सभी जिला पंचायतों द्वारा यह कर अभी तक नहीं लगाए गए हैं (पिथौरागढ़ /चम्पावत जिला पंचायत इसका प्रमुख उदाहरण हैं)। इसी प्रकार, तृतीय राज्य वित्त आयोग ने व्यवसाय कर लगाए जाने की अनुशंसा की थी, और इस विषय को कार्यवाही के लिए पंचायती राज विभाग को संदर्भित किया गया था, किंतु यह अभी तक लंबित है। **अतः आयोग दृढ़ता से अनुशंसा करता है कि वित्त मंत्री की अध्यक्षता में "राज्य स्थानीय शासन परिषद" का गठन किया जाए, जिसमें पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री सदस्य हों, तथा सचिव (वित्त) इस परिषद के सचिव हों। यह परिषद आवश्यकता अनुसार 11वीं और 12वीं अनुसूचियों से संबंधित विषयों वाले विभागों के सचिवों या विभागाध्यक्षों को आमंत्रित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, परिषद में कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों मंडलों से निम्नलिखित प्रतिनिधियों को नामित किया जाना चाहिए— शहरी स्थानीय निकायों के तीनों प्रकार (नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत) से एक–एक नामित अध्यक्ष ग्रामीण पंचायतों के तीनों स्तरों (जिला पंचायत, क्षेत्र/ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत) से एक–एक नामित अध्यक्ष इस प्रकार कुल 12 प्रतिनिधियों को परिषद में शामिल किया जाना चाहिए। जिला स्तर पर "जिला स्तरीय स्थानीय शासन परिषद" का गठन जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया जाना चाहिए, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी सदस्य–सचिव हों तथा पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य हों। प्रत्येक जिला परिषद में निम्नलिखित निकायों से दो–दो प्रतिनिधि शामिल किए जाएँ—नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, क्षेत्र /ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत इस प्रकार कुल 10 नामित प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य और जिला स्तर की दोनों परिषदों की कम–से–कम वर्ष में दो बैठकें (मार्च और अक्टूबर) आयोजित की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय और ग्रामीण पंचायत की वार्षिक विकास योजनाएँ अक्टूबर–नवंबर तक तैयार हो जाएँ, जिन्हें जिला योजना समिति द्वारा समेकित कर जिला योजना में पूर्ण रूप से शामिल किया जा सके। ये परिषदें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर समयबद्ध कार्यवाही की निगरानी भी करेंगी। इसके अतिरिक्त, राज्य परिषद सरकार को निम्न विषयों पर परामर्श प्रदान करेगी—स्थानीय शासन इकाइयों को सशक्त, सक्षम और मजबूत बनाने के उपाय उनकी वित्तीय स्थिति तथा स्व–राजस्व स्रोतों को बढ़ाने के उपाय राज्य में निकटवर्ती शहरी निकायों के विलय या नए शहरी स्थानीय निकायों के गठन से संबंधित अनुशंसाएँ।**

उपरोक्त अनुशंसा सुशासन को बढ़ावा देने की श्रेणी में आती है।

19.98 **राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं तथा उपर्युक्त "राज्य स्थानीय शासन परिषद" की अनुशंसाओं पर राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के शीघ्र क्रियान्वयन की निगरानी हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य निगरानी समिति" का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें सचिव (वित्त) को सदस्य–सचिव की**

भूमिका प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त, यह निगरानी समिति केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों/आवंटनों की समयबद्ध और पूर्ण प्राप्ति तथा उनके समुचित उपयोग की भी निगरानी करेगी।

19.99 उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के अध्याय IX की धारा 172(1) के अंतर्गत नगर निगमों द्वारा लगाए जाने वाले अनिवार्य करों का प्रावधान है, तथा धारा 172(2) के अंतर्गत ऐसे वैकल्पिक करों का प्रावधान है जिन्हें लगाया जा सकता है। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के अध्याय V की धारा 128 में नगरपालिकाओं (नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत) द्वारा लगाए जाने वाले करों के संबंध में प्रावधान किया गया है। **इन प्रावधानों के अनुसार, उत्तराखंड के सभी शहरी स्थानीय निकायों में निर्धारित सभी प्रकार के कर लगाए जाने चाहिए तथा ऐसे करों के लिए मानक दरें और प्रक्रियाएँ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। उदाहरणार्थ, नगर निगमों के लिए संपत्ति कर की दर वार्षिक आकलित मूल्य का 12% तथा नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों के लिए 10% निर्धारित करने पर विचार किया जा सकता है।** इससे सभी शहरी स्थानीय निकायों में कराधान और उसकी वसूली एक समान विधि एवं प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित होगी तथा उनकी कार्य–क्षमता का तुलनात्मक आकलन भी संभव हो सकेगा। **इसी प्रकार, जिला पंचायतों के लिए भी करों के प्रकार तथा उनकी मानक दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सभी स्थानीय निकायों के लिए करेत्तर राजस्व तथा उपयोगकर्ता शुल्क के प्रकार और उनकी मानक दरें भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।** यह उल्लेखनीय है कि कई शहरी स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों में पिछले वर्षों की तुलना में कर तथा/या करेत्तर राजस्व में कमी देखी जा रही है, जो चिंता का विषय है।

19.100 उत्तर प्रदेश नगर निगम (वार्ड समिति) नियमावली, 2014 के अनुसार, 3.00 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों में **वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान है**, जिनमें निर्वाचित पार्षदों के साथ–साथ 10 अन्य नामित/चयनित सदस्य शामिल होते हैं। **इसी प्रकार का प्रावधान उत्तराखंड में भी अपनाया जाना चाहिए, ताकि शहरी स्थानीय शासन में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित की जा सके।**

19.101 आयोग की जिला स्तरीय परामर्श बैठकों/दौरों के दौरान यह मांग/सुझाव प्रस्तुत किया गया कि खनन गतिविधियों से प्राप्त राजस्व में ग्राम पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों को भी हिस्सा दिया जाना चाहिए। आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 19 पैरा 19.8 में दिए गए मंतव्य के आलोक में यह स्पष्ट है कि खनिज तथा वन उत्पादों पर प्राप्त रॉयल्टी से होने वाली आय को समेकित निधि से स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था अन्तर्गत ही रखा जाए। इसके अतिरिक्त, **राज्य सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि संबंधित पंचायतों (मुख्यतः ग्राम पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों) को– जिनके भौगोलिक अधिकार क्षेत्र में खनिज उत्खनन या वन उत्पादों का संग्रहण होता है, या जिनके क्षेत्र से होकर खनिज/वन उत्पादों का परिवहन किया जाता है, अथवा जो खनन/वन उत्पाद क्षेत्रों के आसपास स्थित हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर पर्यावरण/सुविधा शुल्क लगाने और उसे परिवहन करने वाले वाहनों तथा उत्खनन करने वाली कंपनियों/व्यक्तियों से वसूलने का अधिकार प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त, वनरोपण, सड़कों के निर्माण/सुधार, वर्षा जल संचयन/भंडारण तथा भू–जल पुनर्भरण, जल निकासी व्यवस्था, पेयजल स्रोतों के संरक्षण/पुनर्जीवन, कटाव नियंत्रण तथा मृदा संरक्षण आदि से संबंधित योजनाएँ, जिन्हें जिला खनिज फाउंडेशन न्यास तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, उन्हें संबंधित पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों के परामर्श और उनकी सहमति से स्वीकृत किया जाना चाहिए, जिनका उस क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है।**

19.102 पंद्रहवें केंद्रीय वित्त आयोग ने यह निर्धारित किया था कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए प्रदान किए जाने वाले अनुदानों में 60 प्रतिशत टाईड तथा 40 प्रतिशत अनटाईड होंगे। तदनुसार, केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों में से 60 प्रतिशत राशि को स्वच्छता तथा खुले में शौच से मुक्त स्थिति के रखरखाव, तथा पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और सशक्तीकरण के लिए

निर्धारित किया गया है। शेष 40 प्रतिशत अनटाईड अनुदान को 29 विषयों से संबंधित कार्यों/योजनाओं पर व्यय किया जा सकता है। जिला दौरों और उन अवसरों पर आयोजित बैठकों के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने केंद्रीय वित्त आयोग के टाईड अनुदानों के अनुपात को कम करने की मांग, यह कहते हुए की कि इससे अनुदान राशि के उपयोग में कठिनाई उत्पन्न होती है, विशेषकर इसलिए कि पेयजल से संबंधित कार्य सरकार द्वारा **"जल जीवन मिशन"** के अंतर्गत पहले से ही किए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में एक पंचायत प्रतिनिधि ने यह सुझाव दिया कि टाईड अनुदान को 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया जाए, तथा शेष 10 प्रतिशत राशि को स्थानीय तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में आयोग का मत है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 पंद्रहवें वित्त आयोग की अवधि का अंतिम वर्ष है, अतः जनपद स्तर की बैठकों के दौरान आयोग के समक्ष उठाए गए इस अनुपात में परिवर्तन के प्रस्ताव पर अब किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक या उपयोगी प्रतीत नहीं होता।

19.103 आपदा की स्थिति में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में कार्य करने तथा स्थानीय स्तर पर उत्पन्न तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पंचायतों (विशेषकर ग्राम पंचायतों) को कुछ धनराशि उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई है। आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य, उनके लिए निर्धारित मानक एवं प्रक्रियाएँ केंद्र सरकार के स्तर पर निर्धारित की जाती हैं, तथा राज्य स्तर पर इन कार्यों का संचालन आपदा प्रबंधन/राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में आयोग इस विषय पर कोई विशिष्ट अनुशंसा करना उपयुक्त नहीं समझता, तथापि पंचायतों की इस मांग में कुछ औचित्य अवश्य प्रतीत होता है कि तत्काल बचाव एवं राहत कार्यों को सुनिश्चित करने तथा संपर्क/आवागमन बहाल करने के लिए उन्हें कुछ संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ। **इस संदर्भ में आयोग इस विषय को राज्य सरकार के विचारार्थ चिन्हित करता है, और सुझाव देता है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर तथा आवश्यकतानुसार केंद्र सरकार से परामर्श/अनुमोदन प्राप्त कर पंचायतों को प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता इकाई के रूप में कार्य करने हेतु उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराने पर विचार कर सकती है। इस सम्बन्ध में आयोग ने सहायक अनुदान उपशीर्षक पैरा 19.58 में इसका उल्लेख किया है।**

19.104 कई शहरी स्थानीय निकायों में आवारा पशुओं तथा सड़क पर घूमने वाले कुत्तों की समस्या विद्यमान है और कुछ क्षेत्रों में यह विशेष रूप से गंभीर है। टनकपुर नगर क्षेत्र में यह समस्या काफी गंभीर पाई गई, जहाँ बड़ी संख्या में गोवंशीय पशु मुख्य सड़कों (जिसमें टनकपुर–पिथौरागढ़ मार्ग भी शामिल है) तथा प्रमुख चौराहों पर खड़े या बैठे पाए गए, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती है और कई बार दुर्घटनाएँ भी होती हैं। श्रीनगर में, नगर निगम द्वारा गौशाला की स्थापना एवं संचालन किए जाने के बावजूद भी सड़कों पर गोवंशीय पशु देखे जाते हैं। उत्तरकाशी में आयोग के संज्ञान में यह बात आई कि कांजी हाउस की व्यवस्था होने के बावजूद उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह विषय केवल शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ही नहीं, बल्कि पशुपालन विभाग द्वारा भी देखा जाता है। तथापि, इस समस्या के समाधान की मुख्य जिम्मेदारी शहरी स्थानीय निकायों पर ही होगी, जिन्हें इस कार्य में पशुपालन विभाग से आवश्यक सहयोग और समर्थन प्राप्त होना चाहिए। श्रीनगर नगर निगम ने यह भी संकेत दिया है कि वह अपनी स्थापित गौशाला के साथ–साथ आवारा कुत्तों के लिए भी व्यवस्था करने की योजना बना रहा है। **यह उचित होगा कि सभी शहरी स्थानीय निकाय गौशालाओं तथा आवारा कुत्तों के आश्रय स्थलों की स्थापना करें, और जहाँ मौजूदा गौशालाओं में स्थान की कमी हो, वहाँ उनका विस्तार किया जाए। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त संस्थाओं के माध्यम से गौशालाओं और श्वान आश्रय स्थलों के संचालन एवं रख–रखाव पर भी विचार किया जा सकता है।** इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई भी उल्लेखनीय है।

19.105 केदारनाथ पुनर्निर्माण परियोजना के अंतर्गत पूर्ण किए गए कार्यों तथा बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं से सृजित परिसंपत्तियों और सार्वजनिक सुविधाओं के समुचित

संचालन एवं रख–रखाव के लिए पूर्व से ही योजना बनाना आवश्यक है। साथ ही, इन परिसंपत्तियों और सुविधाओं के संचालन एवं रख–रखाव हेतु संबंधित एजेंसी द्वारा पर्याप्त बजटीय प्रावधान भी सुनिश्चित किए जाने चाहिए। चूँकि इन क्षेत्रों में गैर–निर्वाचित नगर पंचायतों का गठन किया गया है और वे कार्यरत हैं, इसलिए यह उचित होगा कि सृजित परिसंपत्तियों एवं सार्वजनिक सुविधाओं को इन निकायों को समयबद्ध तरीके से हस्तांतरित करने, उनके संचालन एवं निगरानी की जिम्मेदारी निर्धारित करने, उनकी क्षमता में वृद्धि करने, तथा इन उद्देश्यों के लिए आवश्यक वर्षवार वित्तीय आवंटन के संबंध में समय रहते निर्णय लिए जाएँ। **आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ की गैर–निर्वाचित नगर पंचायतों को (यद्यपि गैर–निर्वाचित निकाय के रूप में) नगर पालिका के स्तर पर उन्नत किया जाए, तथा उनके क्षेत्राधिकार का उपयुक्त विस्तार करते हुए पूरे नगर क्षेत्रों (टाउनशिप) को उनमें सम्मिलित किया जाए।**

19.106 आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों तथा जिला पंचायतों से प्रश्नावली के माध्यम से उनकी वार्षिक आय एवं व्यय, आगामी पाँच वर्षों के लिए आय–व्यय के प्रक्षेपण, तथा लंबित देनदारियों का विवरण मांगा था। तथापि आयोग को प्राप्त जानकारी न तो विश्वसनीय, न ही सटीक अथवा प्रमाणिक पाई गई। साथ ही संबंधित निकायों ने प्रस्तुत करने से पूर्व उपलब्ध आँकड़ों में पाई गई त्रुटियों या कमियों पर भी समुचित ध्यान नहीं दिया। लंबित देनदारियों में वेतन, पेंशन, पेंशन अंशदान, जीवन बीमा अंशदान, इसके अतिरिक्त बिजली एवं जल बिल, तथा निर्माण कार्यों से संबंधित बकाया देनदारियाँ भी शामिल हैं। यह उल्लेखनीय है कि देनदारियों के भुगतान के लिए स्थापित प्राथमिकताएँ होती हैं, जिनमें सरकार को देय भुगतान, वेतन, पेंशन, पेंशन अंशदान तथा जीवन बीमा अंशदान आदि को प्राथमिकता दी जाती है। अधिकांश निकायों में, अपने स्रोतों से प्राप्त धनराशि तथा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों सहित उपलब्ध कुल धन पर्याप्त होने के बावजूद, इन देनदारियों का निरंतर लंबित रहना न केवल चिंता का विषय है, बल्कि यह संबंधित अधिशासी अधिकारियों/नगर आयुक्तों तथा वित्त अधिकारियों की ओर से लापरवाही, उदासीनता तथा स्थापित नियमों और मानकों की अवहेलना का संकेत भी देता है। पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना निर्माण कार्यों को प्रारंभ करना और बाद में उन्हें लंबित देनदारी के रूप में दर्शाना भी अत्यंत आपत्तिजनक है। **आयोग अनुशंसा करता है कि ऐसे मामलों में संबंधित कार्यकारी अधिकारियों/नगर आयुक्तों तथा वित्त अधिकारियों/वित्त नियंत्रकों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए और उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। भविष्य के लिए इस संबंध में कड़े निर्देश तथा मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के वित्तीय आंकड़ों—जैसे अपने स्रोतों से आय, अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि, कुल प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय (मदवार) तथा पूंजीगत व्यय (मदवार)—की मासिक आधार पर नियमित निगरानी शहरी विकास विभाग, पंचायती राज विभाग तथा वित्त विभाग द्वारा की जानी चाहिए।**

शहरी स्थानीय निकायों में यह प्रवृत्ति देखी गई है कि वे बिजली बिलों (विशेषकर पथ प्रकाश से संबंधित) को इस अनुमान पर लंबित रखते हैं कि राज्य सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था करेगी या अनुदान प्रदान करेगी। इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। **इस संबंध में शहरी स्थानीय निकायों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने चाहिए कि वे बिजली देयों, जिसमें पथ प्रकाश के बिल भी शामिल हैं, का भुगतान मासिक बिलिंग के आधार पर नियमित रूप से सुनिश्चित करें।**

19.107 राज्य में तीन गैर–निर्वाचित शहरी स्थानीय निकाय—अर्थात नगर पंचायत बद्रीनाथ, नगर पंचायत गंगोत्री और नगर पंचायत केदारनाथ—का गठन किया गया है और वे कार्यरत हैं। नगर पंचायत केदारनाथ में सम्मिलित क्षेत्र काफी सीमित है और प्रतीत होता है कि यह केवल केदारनाथ मंदिर के दोनों ओर बहने वाली नदियों तथा उनके संगम के बीच स्थित क्षेत्र तक ही सीमित है। **आयोग दृढ़तापूर्वक अनुशंसा करता है कि नगर पंचायत केदारनाथ की सीमाओं का तत्काल विस्तार कर पूरे नगर क्षेत्र (टाउनशिप) को इसमें**

सम्मिलित किया जाए। आयोग के संज्ञान में यह भी आया है कि इन तीनों अनिर्वाचित नगर पंचायतों में से गंगोत्री और केदारनाथ नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी तथा कुछ अन्य कर्मचारी तीर्थयात्रा काल के दौरान भी वहाँ नियमित रूप से निवास नहीं करते, तथा वहाँ उचित कार्यालय भवन और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त/उपयुक्त आवासीय व्यवस्था का अभाव है। **अतः आयोग अनुशंसा करता है कि इन तीनों शहरी स्थानीय निकायों में कार्यालय भवन, कर्मचारियों/अधिशासी अधिकारी के लिए आवासीय सुविधा तथा एक लघु अतिथि गृह की व्यवस्था की जाए। आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि इन अनिर्वाचित शहरी स्थानीय निकायों में स्थानीय मंदिर समितियों, व्यापारियों/दुकानदारों के संगठनों, घोड़ा–खच्चर संचालकों के संघों आदि से कुछ हितधारक प्रतिनिधियों को नामित किया जाए, और इस प्रकार एक समन्वय समिति का गठन किया जाए, ताकि शहरी स्थानीय निकाय अपने कार्यों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में संबंधित हितधारकों के सुझावों और विचारों का उपयोग कर सके।**

19.108 स्थानीय स्वशासन संस्थाओं द्वारा स्थानीय नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं एवं सुविधाओं से संबंधित अनेक कार्य वर्तमान में विभिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में **आयोग का मत है कि चरणबद्ध तरीके से (उदाहरणार्थ आगामी पाँच वर्षों में वार्षिक आधार पर) शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायतों से संबंधित सभी कार्यात्मक विषय–जिसमें ग्यारहवीं/बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित विषय भी शामिल हैं–पूर्ण रूप से इन संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाने चाहिए। साथ ही, इनके मानव संसाधन संरचना, वित्तीय संसाधनों/धन की उपलब्धता तथा संस्थागत क्षमता में भी समुचित और अनुपातिक वृद्धि की जानी चाहिए। (अध्याय 12, प्रस्तर 12.3/12.18)**

19.109 राज्य में तीव्र गति से हो रहे नगरीकरण को ध्यान में रखते हुए **आयोग यह अनुशंसा करता है कि उत्तराखण्ड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की सहायता से तथा नवीनतम उपग्रह चित्रों का उपयोग करते हुए उन सभी परि–नगरीय क्षेत्रों की पहचान की जाए जो वर्तमान शहरी स्थानीय निकायों के आसपास विकसित हो चुके हैं या विकसित हो रहे हैं, तथा उन ग्रामीण क्षेत्रों की भी पहचान की जाए जहाँ बस्तियों ने पहले ही नगरीय स्वरूप ग्रहण कर लिया है या ऐसा होने की प्रक्रिया में हैं। ऐसे क्षेत्रों को सीमा विस्तार और उन्नयन के माध्यम से वर्तमान शहरी स्थानीय निकायों में सम्मिलित किया जाए अथवा आवश्यकता होने पर नए शहरी स्थानीय निकायों के गठन पर विचार किया जाए। आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि उत्तराखण्ड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की सहायता से उन अन्य शहरी स्थानीय निकायों की भी पहचान की जाए जो वर्तमान शहरी स्थानीय निकायों के अत्यंत निकट या समीप स्थित हैं और उन्हें निकटतम बड़े शहरी स्थानीय निकाय में विलय एवं एकीकरण के लिए विचार किया जाए।** यह उल्लेखनीय है कि राज्य के अनेक शहरी स्थानीय निकायों, विशेषकर नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों, में जनसंख्या बहुत कम होने तथा ऐसे निकायों की संख्या अधिक होने के कारण इन निकायों की प्रति व्यक्ति स्वयं के स्रोतों से आय कम है, जबकि प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय अधिक है। बहुत कम जनसंख्या वाले नगर निगमों में भी प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। "आकार आधारित मितव्ययता (Economies of Scale)" के सिद्धांत के अनुसार छोटे इकाइयों में प्रति इकाई लागत स्वाभाविक रूप से अधिक होती है। राज्य में ऐसे कई शहरी स्थानीय निकाय हैं जो न केवल एक ही जनपद की सीमाओं में स्थित हैं, बल्कि कुछ निकाय आस–पास के जनपदों की सीमाओं में भी स्थित हैं। **अतः आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि ऐसे शहरी स्थानीय निकाय/पंचायत जो एक अथवा अधिक जनपदों की भौगोलिक सीमा पर स्थित हैं तथा एक–दूसरे के बहुत निकट हैं, उन्हें उनमें से उच्चतम श्रेणी के शहरी स्थानीय निकाय में विलय और एकीकरण हेतु विचार किया जाए। ऐसे मामलों में संबंधित जनपदों के शेष प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र यथावत और अप्रभावित रहेंगे। नगर पालिका परिषद देवप्रयाग एक मात्र ऐसा उत्तम द्विजनपदीय स्थानीय निकाय का उदाहरण है जिसने क्रियात्मक रूप से**

अन्तर्जनपदीय निकाय के स्वरूप कोई कठिनाई नहीं संसूचित किया है। जब तक ऐसे अन्तर्जनपदीय शहरी स्थानीय निकायों का विलय कर एकीकृत शहरी स्थानीय निकाय का गठन नहीं किया जाता, तब तक ये सभी शहरी स्थानीय निकाय आपसी सहयोग तथा समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधित/विस्तारित किए जाने वाले समझौता ज्ञापनों के माध्यम से कार्य करें। यह सहयोग नगरीय एवं नगर नियोजन, अवसंरचना विकास, स्थानीय संसाधनों एवं भूमि (संपत्तियों सहित) के उपयोग, योजनाओं की तैयारी एवं क्रियान्वयन तथा राजस्व और लागत के साझा प्रबंधन जैसे विषयों में किया जा सकता है, जिसमें एक–दूसरे की क्षमताओं एवं कमियों को ध्यान में रखा जाए। आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि इसी प्रकार का सहयोग शहरी स्थानीय निकायों और आसपास की ग्राम पंचायतों के बीच भी समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से किया जाए, जिससे विकास की गति तेज होने के साथ–साथ दोनों की वित्तीय सुदृढ़ता भी बढ़ सके। उल्लेखनीय है कि नगर पंचायत बद्रीनाथ और ग्राम पंचायत माणा के बीच इस प्रकार के MoU के माध्यम से कुछ अच्छे कार्य और बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं। जिला भ्रमण के दौरान अनेक शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों के स्तर पर वर्षा जल निकासी, सीवेज निस्तारण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक एवं राजस्व सृजन करने वाली परिसंपत्तियों के निर्माण से संबंधित कई समस्याएँ और आवश्यकताएँ सामने आईं। ऐसे विविध मुद्दों के समाधान तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति आपसी सहयोग और MoU व्यवस्था के माध्यम से अधिक सरलता से की जा सकती है, जिससे न केवल समस्याओं का प्रभावी समाधान होगा बल्कि दोनों पक्षों को वित्तीय लाभ भी प्राप्त होगा।

आयोग आगे यह भी अनुशंसा करता है कि इस बिंदु के पूर्व भाग में उल्लिखित अनुशंसा के क्रम में राज्य सरकार को उन क्षेत्रों को, जो तेजी से नगरीय स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं या पहले से नगरीय स्वरूप धारण कर चुके हैं और जो वर्तमान शहरी स्थानीय निकायों के निकट स्थित हैं, अलग शहरी स्थानीय निकाय के रूप में गठित नहीं करना चाहिए। इसके बजाय ऐसे क्षेत्रों को निकटतम मौजूदा शहरी स्थानीय निकाय में विलय कर बड़े शहरी स्थानीय निकाय के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, निकटवर्ती वर्तमान शहरी स्थानीय निकायों को भी बड़े शहरी स्थानीय निकाय में एकीकृत कर उसका उन्नयन किया जा सकता है। (अध्याय 13, प्रस्तर 13.13)

यह अनुशंसा प्रशासनिक सुधार की श्रेणी में आती है।

19.110 आयोग अनुशंसा करता है कि जिला पंचायतों में मुख्य अधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति तत्काल की जाए। आयोग यह भी परामर्श देता है कि जनपद के मुख्य विकास अधिकारी को संबंधित जिला पंचायत का पदेन मुख्य अधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी नामित किया जाए। (अध्याय 14, पैरा 14.15 तथा पैरा 14.8)

उपरोक्त अनुशंसा सुशासन को प्रोत्साहित करने की श्रेणी में आती है।

19.111 आयोग अनुशंसा करता है कि उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा 113(2)(सात) के प्रावधानों के अनुसार संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित सभी जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों को भी संबंधित जिला पंचायत से संबद्ध किया जाए तथा उन्हें उसके प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। (अध्याय 14, पैरा 14.9)

19.112 आयोग अनुशंसा करता है कि जनपद स्तर पर विभिन्न राज्य सरकार के विभागों तथा सरकारी/अर्ध–सरकारी संस्थाओं के जनपद स्तरीय अधिकारियों, विकास खंड स्तर पर सभी विभागों के खंड स्तरीय अधिकारियों, तथा ग्राम पंचायत स्तर पर सभी विभागों के ग्राम स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों (जो संबंधित ग्राम अथवा ग्रामों के समूह के लिए नियुक्त हों) को सामान्य अथवा विशेष आदेशों के माध्यम से पंचायतों के संबंधित स्तरों पर कार्यों के निष्पादन हेतु नामित/आवंटित किया जाए (अर्थात् समान स्तर की पंचायतों के लिए समान स्तर के अधिकारी/कर्मचारी)। इसी प्रकार, सभी नगर निगम, नगर पालिका

परिषद तथा नगर पंचायतों के क्षेत्राधिकार में स्थित विभिन्न सरकारी विभागों एवं सरकारी/अर्ध–सरकारी संस्थाओं के समकक्ष स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी सामान्य अथवा विशेष व्यवस्था के माध्यम से इन निकायों के कार्यों के निष्पादन हेतु नामित किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संबंधित अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएँ तथा वर्तमान नियमों में भी उपयुक्त संशोधन किए जाएँ। (अध्याय 14, प्रस्तर 14.11)

यह अनुशंसा इस उद्देश्य से की जा रही है कि पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने वाले सभी स्तरों के क्षेत्रीय सरकारी अधिकारी/कर्मचारी उस स्थानीय निकाय के प्रति उत्तरदायी हों, जिसके अधिकार क्षेत्र में वे कार्य कर रहे हैं।

उपरोक्त अनुशंसा सुशासन को प्रोत्साहित करने की श्रेणी में आती है।

19.113 आयोग अनुशंसा करता है कि शहरी स्थानीय निकायों में शाखा–वार पर्याप्त पद स्वीकृत किए जाएँ तथा कनिष्ठ अभियंता सहित विभिन्न तकनीकी पदों और कर–संग्रहण से संबंधित पदों को भी स्वीकृत किया जाए। हालाँकि, स्वच्छता, संचालन तथा अन्य समान प्रकार की गतिविधियों से संबंधित कार्यों को क्रय नियमों के अनुसार उपयुक्त अनुबंधों के माध्यम से आउटसोर्स किया जाना चाहिए। (अध्याय 14, प्रस्तर 14.19)

19.114 आयोग अनुशंसा करता है कि विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों तथा जिला पंचायतों के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम आवश्यक पदों की मानक संख्या का पुनर्निर्धारण कर उन्हें पदवार तथा शाखा–वार निर्धारित किया जाए। यह निर्धारण संबंधित निकायों के क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रकृति और परिमाण को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों के अनुरूप इनके कार्य–क्षेत्र के क्रमिक विस्तार के साथ–साथ आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में वृद्धि/स्वीकृति भी की जानी चाहिए। इसके साथ ही स्वच्छता, लेखा–व्यवस्था तथा संबंधित सेवाओं सहित अन्य समान प्रकार की सेवाओं को वर्तमान क्रय नियमों के अंतर्गत बाहरी सेवा प्रदाताओं से प्राप्त करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। आयोग आगे यह भी अनुशंसा करता है कि ग्राम पंचायतों को जनसंख्या मानकों के आधार पर निर्धारित संख्या में पर्यावरण मित्रों को आंशिक समय के आधार पर निश्चित मानदेय पर अथवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित करने की अनुमति दी जाए। (अध्याय 14, प्रस्तर 14.20)

19.115 आयोग सुझाव देता है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव किसी भी परिस्थिति में विलंबित न हों। इस संबंध में परिसीमन तथा आरक्षण जैसी प्रक्रियाएँ संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्धारित चुनाव तिथियों से पर्याप्त पूर्व पूर्ण कर ली जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, जब भी पंचायत/शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव की तिथियाँ लोकसभा या राज्य विधान सभा चुनावों की तिथियों के साथ या उनके बहुत निकट पड़ने की संभावना हो, अथवा अन्य समान परिस्थितियाँ उत्पन्न हों, तब पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कुछ पहले कराने पर विचार किया जाना चाहिए। (अध्याय 11, प्रस्तर 11.20/11.21)

19.116 आयोग अनुशंसा करता है कि शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को अलग–अलग या पृथक रूप से कार्य नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर उन्हें आपसी समझौते (आवश्यकतानुसार) के माध्यम से सहयोगात्मक ढंग से कार्य करते हुए अपने दायित्वों का संयुक्त रूप से निर्वहन करना चाहिए। (अध्याय 11, प्रस्तर 11.21)

उपरोक्त अनुशंसा सुशासन को प्रोत्साहित करने की श्रेणी में आती है।

19.117 आयोग अनुशंसा करता है कि शहरी स्थानीय निकायों को गृह/संपत्ति कर में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई छूट के कारण होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। यह प्रतिपूर्ति राज्य वित्त

आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार प्राप्त होने वाले वित्तीय हस्तांतरणों के अतिरिक्त राज्य सरकार के निर्णयों के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रतिवर्ष सत्यापित एवं प्रमाणित विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा उसी के आधार पर प्रतिपूर्ति प्रदान की जानी चाहिए। **(अध्याय 10, प्रस्तर 10.29)**

19.118 आयोग अनुशंसा करता है कि राज्य सरकार करों तथा उपयोगकर्ता शुल्क के अंतर्गत एकत्रित किए जाने वाले राजस्व के लिए वार्षिक लेखा परीक्षण की व्यवस्था स्थापित करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक प्राप्तियाँ अनुमानित मांग के अनुरूप हैं। इसके अतिरिक्त, कर तथा उपयोगकर्ता शुल्क से प्राप्त राजस्व में वृद्धि की संभावनाओं का अन्वेषण करने तथा उससे संबंधित राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन भी किया जाना चाहिए। (अध्याय 7, प्रस्तर 7.17)

19.119 आयोग अनुशंसा करता है कि सभी जिला पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले करों के प्रकार तथा उनके लिए न्यूनतम मानक दरें सभी जिला पंचायतों के लिए निर्धारित की जाएँ। इसी प्रकार उपयोगकर्ता शुल्क के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। यह व्यवस्था यूजर फीस के मामले में भी लागू की जानी चाहिए। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं तथा राज्य सरकार की स्वीकृति के बावजूद पिथौरागढ़ व चम्पावत जिला पंचायतों द्वारा अब तक परिस्थिति एवं विभव कर (CP Tax) लागू नहीं किया गया हैं। यह उल्लेखनीय है कि **उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम के अध्याय 22 की धारा 123 के अंतर्गत जिला पंचायतों द्वारा कर, फीस तथा शुल्क लगाने का प्रावधान है, परन्तु विभिन्न करों की मदों तथा उनकी मानक दरों के निर्धारण की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः आयोग आगे यह भी अनुशंसा करता है कि उक्त अधिनियम तथा उससे संबंधित नियमों/विनियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएँ।(अध्याय 9, प्रस्तर 9.14)**

19.120 राज्य के शहरी स्थानीय निकायों ने सूचित किया है कि 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार पथ प्रकाश (स्ट्रीट लाइटिंग) से संबंधित बिजली देयों के मद में लगभग ₹172.18 करोड़ की देनदारियाँ लंबित हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सामान्यतः शहरी स्थानीय निकाय पथ प्रकाश से संबंधित बिजली देयों का भुगतान करने में रुचि नहीं दिखाते, यह कहते हुए कि उनकी वित्तीय स्थिति कमजोर है तथा उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड उनके क्षेत्रों में स्थापित उप–स्टेशनों/बिजली के खंभों आदि के लिए उन्हें कोई किराया भी नहीं देता। इस समस्या के समाधान के लिए द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि पथ प्रकाश के लिए राज्य सरकार सभी उपभोक्ताओं द्वारा देय बिजली टैरिफ पर विद्युत मूल्य का अधिकतम 2 प्रतिशत तक उपकर लगाए। इस उपकर को उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिजली बिल के साथ ही एकत्रित किया जाए और पथ प्रकाश से संबंधित बिजली देयों के बदले अपने पास रख लिया जाएगा। इस संबंध में ऊर्जा विभाग को राज्य मंत्रिमंडल से निर्णय प्राप्त कर संबंधित प्रचलित कानूनों एवं नियमों में आवश्यक संशोधन करना था। किन्तु इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके पश्चात भी क्रमागत राज्य वित्त आयोगों द्वारा इसी प्रकार की अनुशंसा की गई, परंतु आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जो अत्यंत खेदजनक है। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की इसी विषय पर की गई अनुशंसा के पश्चात राज्य सरकार ने 2 प्रतिशत के स्थान पर सभी बिजली उपभोक्ताओं पर 1 प्रतिशत अधिभार लगाने पर सहमति व्यक्त की थी, किंतु इसके बावजूद आज तक इसका अनुपालन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण विषय तथा एक मूल्यवान राजस्व स्रोत ऊर्जा विभाग की उदासीनता के कारण क्रमशः अनसुलझा और अप्राप्त बना हुआ है। यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा 46(18) के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को सड़क सफाई, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता के लिए कर लगाने का अधिकार प्राप्त है तथा धारा 84(ख) के अंतर्गत क्षेत्र पंचायतों को सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने या उसका अनुरक्षण करने के लिए कर लगाने का अधिकार दिया गया है। किंतु शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए

जाने वाले इन कार्यों के संदर्भ में ऐसा कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। समुचित एवं सावधानीपूर्वक विचार के उपरांत **आयोग दृढ़तापूर्वक अनुशंसा करता है कि शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित प्रासंगिक कानूनों में तत्काल संशोधन कर उन्हें भी ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के समान सक्षम प्रावधान प्रदान किए जाएँ। यह संशोधन वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रथम अर्धभाग में किया जाना चाहिए तथा इसके साथ ही इस उद्देश्य के लिए मानक दरें और एक मानक विनियामक ढाँचा निर्धारित कर लागू किया जाना चाहिए।** यह उल्लेखनीय है कि पथ प्रकाश व्यवस्था तथा सार्वजनिक सड़कों की सफाई अत्यंत प्राथमिकता एवं आवश्यक प्रकृति के कार्य हैं, जिनके लिए शहरी स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकाय पहले से ही सार्वजनिक सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों की सफाई तथा पथ प्रकाश की व्यवस्था कर रहे हैं।

19.121 कई शहरी स्थानीय निकायों (जैसे नगर निगम रुद्रपुर/नगर पालिका परिषद महुआ खेड़ा गंज/नगर पंचायत सेलाकुई आदि) के अधिकार क्षेत्र के भीतर या उसके आसपास औद्योगिक क्षेत्र/एस्टेट स्थित हैं, जहाँ संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वच्छता तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। तथापि, अधिकांश मामलों में इन क्षेत्रों से उन्हें गृह/संपत्ति कर, अन्य करों, शुल्कों या उपयोगकर्ता शुल्कों के रूप में कोई राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है। **आयोग अनुशंसा करता है कि इस संबंध में संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को अधिकृत करने के लिए आवश्यक कानूनी और/या प्रक्रियात्मक व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों तथा औद्योगिक क्षेत्रों/एस्टेटों के बीच समन्वय और सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए समझौता ज्ञापन के रूप में एक मानक प्रारूप तैयार कर उसे औपचारिक रूप से लागू किया जाए, ताकि ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों /एस्टेटों को नागरिक सुविधाएँ सुचारु रूप से प्रदान की जा सकें और संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को राजस्व प्राप्ति में कोई बाधा न हो। यह भी अनुशंसा की जाती है कि शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी कार्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य भवन अपने नगरपालिका देयों का भुगतान करें, जिसके लिए प्रत्येक विभाग को अपने वार्षिक बजट में आवश्यक प्रावधान करना चाहिए।**

19.122 आयोग अनुशंसा करता है कि जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर को राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के बीच नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाए। इसका उद्देश्य राज्य एवं केंद्रीय वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के आधार पर निधियों का समयबद्ध आवंटन, उनका समुचित उपयोग सुनिश्चित करना, तथा आवंटित निधियों के उपयोग में उत्पन्न होने वाली समस्याओं या अवरोधों के समाधान में समन्वय स्थापित करना है।

वर्तमान में शहरी विकास विभाग के पास जनपदों में कोई नोडल अधिकारी नहीं है, जिसके कारण अनेक कठिनाइयाँ तथा समन्वय संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। **अतः यह आवश्यक है कि जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके समग्र नियंत्रण में अपर जिला मजिस्ट्रेट को उनके संबंधित जिलों में शहरी स्थानीय निकायों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाए।**

अध्याय–20

सत्रहवें वित्त आयोग के लिए मुद्दे

उत्तराखंड सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग को [जुलाई 2020 में– संशोधित ज्ञापन] तथा सोलहवें वित्त आयोग को [मई 2025] में अपना ज्ञापन प्रस्तुत किये थे।

मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं–

1. राजस्व घाटा अनुदान को बढ़ाया जाए। (यह स्थिति इस कारण रही कि पूर्व कन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा उत्तराखंड के स्वयं के कर राजस्व को अधिक और व्यय को कम अनुमानित किया था)।

2. सभी राज्यों के लिए ऊर्ध्वाधर बंटवारे को 41% से बढ़ाकर 50% किया जाए।

3. सभी राज्यों के बीच क्षैतिज बंटवारे में वन आच्छादन क्षेत्र, बर्फ एवं हिमनदों का क्षेत्र, तथा दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा सीमावर्ती राज्य होने जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाए और इन बाह्य प्रभावों की प्रतिपूर्ति की जाए।

4. स्थानीय निकायों को होने वाले हस्तांतरण में क्षेत्रफल को अधिक महत्व दिया जाए, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों को नुकसान न हो।

5. राज्यों को राज्य वित्त आयोगों के समय पर गठन और उनकी संस्तुतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

6. हिमालय को भारतीय गंगा मैदान पट्टी का "जल स्तम्भ" मानते हुए इसके संरक्षण के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान की जाए।

7. विशेष परियोजनाओं के लिए राज्य को मिलने वाली सहायता की राशि बढ़ाई जाए।

8. राज्य–विशिष्ट और क्षेत्र–विशिष्ट अनुदान प्रदान किए जाएँ, ताकि विशेष आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके।

9. जहाँ बड़ी संख्या में अस्थायी आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है उन मामलों में प्रतिपूर्ति दी जाय (मेला प्रशासन और चारधाम यात्रा प्रशासन)।

10. राजकोषीय अनुशासन का पालन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत किया जाए।

पंद्रहवें वित्त आयोग की प्रमुख संस्तुतियाँ

1. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के बीच भारांश 90:10 रखा जाए।

2. राज्य–विशिष्ट अनुदानों का उपयोग सरकारी स्वामित्व वाली भूमि के भुगतान के लिए नहीं किया जाए।

3. वित्त आयोग के अनुदानों के उचित उपयोग की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए।

4. स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदान जून और अक्टूबर में दो किस्तों में जारी किए जाएँ।

छठवॉ राज्य वित्त आयोग द्वारा निम्नलिखित बिन्दु (मुद्दे) चिन्हित किये हैं। इन्हें उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सत्रहवें केंद्रीय वित्त आयोग के समक्ष विचारार्थ संस्तुतियों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है–

1. उन राज्यों, जो अपने क्षेत्राधिकार में स्थानीय निकायों को कार्य, कार्मिक और वित्त का हस्तांतरण करते हैं, को पुरस्कृत करने हेतु प्रोत्साहन प्रणाली की व्यवस्था की जा सकती है।

2. सभी शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन संस्थान के रूप में मान्यता दी जाए।

3. **(क)** सभी शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं को अपनी परिसंपत्तियों का मानचित्रण करने तथा परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार करने के लिए सहायता प्रदान की जाए।

   (ख) परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए वार्षिक आधार पर परिसंपत्ति मूल्य के 2 से 3 प्रतिशत राशि स्वीकृत की जाए। पूरे देश में परिसंपत्तियों के सही आकलन के लिए एक मानक निर्धारित किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए समान भौगोलिक क्षेत्रों में एक समान प्रणाली अपनाई जा सकती है।

4. बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री स्थित तीन गैर–निर्वाचित स्थानीय निकायों को केंद्रीय वित्त आयोग से सीधे विशेष अनुदान दिया जाए। इन तीनों निकायों पर चुनाव की शर्त लागू नहीं होती, क्योंकि ये मौसमी रूप से कार्य करते हैं और यात्रा अवधि के दौरान ही यहाँ अस्थायी आबादी रहती है। उल्लेखनीय है कि इन पवित्र धामों में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।

N. Ravi Shanker

(एन0 रवि शंकर)
अध्यक्ष

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
सदस्य

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य